दश माला खंड 9, अंक 5

बुधवार, 26 फरवरी 1997

7 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग – एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRA

No. ...56...

Date...12-12-97...

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा (वाद-विवाद)

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 26 फरवरी, 1997/7 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
पृष्ठ (iii)	9	बीच	अवैध
108	नीचे से 2	विज्ञापन	विज्ञान
128	पंक्ति 5 और 6 का लोप कीजिए ।		
137	नीचे से 16	श्री गोरधन भाई जावरिया	श्री गोरधन भाई जावीया
140	7	384	684
200	2	*735	735
239	नीचे से 12	श्री वी·एन·सुधीरन	श्री वी·एम·सुधीरन

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणि नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला खंड 9, चौथा सत्र (भाग–एक) 1997/1918 (शक)]

अंक 5, बुधवार, 26 फरवरी, 1997/7 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 66	2—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 67 से 80	30—63
अतारांकित प्रश्न संख्या 628 से 857	63—325
सभा पटल पर रखे गए पत्र	325—329
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
पांचवा प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	329
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	329
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—*सभा पटल पर रखा गया*	329
कार्य मंत्रणा समिति	
दसवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	329
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
(एक) बोफोर्स तोप सौदे के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए संसदीय समिति के गठन हेतु नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता के मुद्दे के बारे में	330—331
(दो) उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के संबंध में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता के मुद्दे के बारे में	331—333
बजट (रेल), 1997-98—*प्रस्तुत*	
श्री राम विलास पासवान	333—364

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1994-95

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नीमच और रतलाम के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 365

(दो) खैर तहसील (उत्तर प्रदेश) और पलवल तहसील (हरियाणा) के बीच यमुना नदी द्वारा हो रहे भूमि के कटाव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती शीला गौतम 365

(तीन) लंदन स्थित "आर्ट आक्सन हाउस" द्वारा भारतीय पुरातन वस्तुओं के बीच व्यापार की शीघ्र जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हाण्डिक 366

(चार) उड़ीसा में भीषण सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण साहू 366

(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सुन्दरबन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में दूरभाष सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 367

(छः) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर को अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों से सीधी रेल सेवा द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता

डा॰ बलिराम 367

(सात) तमिलनाडु के नागापट्टीनम पत्तन का अधिग्रहण कर उसे प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम॰ सेल्वारासु 367

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 368—394, 396—430

श्री कृष्ण लाल शर्मा . . . . . . 368—373

श्री मधुकर सरपोतदार . . . . . . 373—383

श्री नीतिश कुमार . . . . . . 383—394

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह . . . . . . 396—399

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला . . . . . . 399—407

श्री के॰ पी॰ सिंहदेव . . . . . . 407—417

श्री दिलीप संघानी . . . . . . 419—423

श्री सुखलाल कुशवाहा . . . . . . 423—427

श्री राम सागर . . . . . . 427—430

श्री एम॰ रामनाथन 430

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता

श्री इन्द्र कुमार गुजराल . . . . . . 395—396

लोक सभा

बुधवार, 26 फरवरी, 1997/7 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को बड़े दुख के साथ अपने सम्माननीय सहयोगी श्री डी॰ एल॰ बैठा के निधन की सूचना देनी है।

श्री डी॰ एल॰ बैठा सातवीं लोक सभा के सदस्य थे उन्होंने 1980-84 के दौरान बिहार में अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1952-57 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। वह अनेक वर्षों तक राज्य मंत्रि परिषद के सदस्य रहे तथा अनेक महत्त्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। एक कुशल सांसद, श्री बैठा ने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में राज्य रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वह गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य भी थे। वह 1980-84 के दौरान रेल अभिसमय समिति के सभापति भी रहे। पेशे से कृषक और वकील होने के नाते उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कठिन परिश्रम किया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए सतत् कार्य किया।

श्री डी॰ एल॰ बैठा का 10 फरवरी, 1997 को डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक और संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

सभा दिवंगत नेता के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कच्चे तेल पर रॉयल्टी

\+

*61. **श्री नामदेव दिवाथे :**
श्री गोरधन भाई जावीया :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक तेल उत्पादक राज्य खनन के समय कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उद्गम-स्रोत मूल्य (वैल-हैड प्राइस) पर रॉयल्टी दरें 1993 से ही संशोधित करने का केन्द्र सरकार के आग्रह कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 के उपबंधों में तदनुसार संशोधन किए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) असम और गुजरात की सरकारें केन्द्र सरकार से 1993-96 की ब्लाक अवधि के लिए कच्चे तेल पर रॉयल्टी की दर नियत करने और 1.4.1996 से कच्चे तेल पर रॉयल्टी की "लेखागत" दर में संशोधन करने के लिए अनुरोध करती रही हैं।

(ग) तीन वर्ष की अवधि (1993-94 से 1995-96 तक) के लिए उत्पादन की वास्तविक भारित लागत का आकलन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा और रॉयल्टी की अंतिम दर अधिसूचित की जाएगी व पहले से किए गए "लेखागत" भुगतानों के प्रति किए गए आवश्यक समायोजन किए जाएंगे। सरकार ने 1.4.1996 से कच्चे तेल की रॉयल्टी की "लेखागत" दर को संशोधित करके 528 रुपए प्रति मीट्रिक टन से 578 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया है।

(घ) से (च) जैसे ही सरकार द्वारा खनिज तेल पर रायल्टी की दर पुन: नियत कर दी जाती है, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची में उपयुक्त संशोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री नामदेव दिवाथे : अध्यक्ष महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस

की रॉयल्टी के प्रश्नों को लेकर राज्य और केन्द्र सरकार में तनाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। रॉयल्टी निर्धारण करने की जो चालू पद्धति है वह न्यायोचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को क्या कुछ सुझाव दिए हैं और उन सुझावों पर केन्द्र सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिया है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि स्वदेशी कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत क्या है और आयात किए गए कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत क्या है और रॉयल्टी निश्चित करते समय क्या आयात दरों का विचार किया जाता है ?

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : क्या आप अपना प्रश्न दोहराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री नामदेव दिवाथे : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में रॉयल्टी को लेकर दिनों-दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, क्या उस पर केन्द्र सरकार ने कुछ विचार किया है या कोई निर्णय लिया है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि घरेलू कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल क्या है और आयातित कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत क्या है और रॉयल्टी करते समय क्या आयात करों पर कुछ विचार किया जाता है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने प्रश्न समझ लिया ? क्या राज्य सरकार से कोई सुझाव मिला है ?

श्री टी॰ आर॰ बालू : 'वस्तु रूप में' रॉयल्टी देने के संबंध में हमें गुजरात के मुख्यमंत्री का एक सुझाव मिला है।

अध्यक्ष महोदय : 'वस्तु रूप में' से क्या तात्पर्य है ?

श्री टी॰ आर॰ बालू : इसे तेल अथवा गैस के रूप में दिया जाएगा। परन्तु इस समय हम आत्म-निर्भर नहीं हैं। हम 50 प्रतिशत कच्चे तेल का विदेशों में आयात कर रहे हैं। यद्यपि रॉयल्टी का वस्तु रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। फिर भी इस समय इस सुझाव पर विचार करना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय सरकार को वस्तु रूप में रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए सहमति देनी है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस समय वस्तु रूप में रॉयल्टी का भुगतान करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नामदेव दिवाथे : मंत्री महोदय ने जो इसका जवाब दिया है वह ठीक नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ कि मैंने उनसे इमली के दाम पूछे और उन्होंने आम के दाम बता दिए, इसमें विसंगति है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल यह है कि रॉयल्टी में एक साल में 50 रुपए की बढ़त केन्द्र सरकार की तरफ से होती है, जबकि वास्तव में यह हर तीन साल में बढ़नी चाहिए, लेकिन यह एक साल में ही बढ़ जाती है और जो राज्य सरकारों को कोटा मिलता है वह कोटा सिर्फ एक परसेंट बढ़ाया जाता है। यानी रॉयल्टी दस परसेन्ट बढ़ायी जाती है और तेल का कोटा सिर्फ एक परसेंट बढ़ाया जाता है, जिसके कारण राज्यों में असंतोष पैदा हो रहा है। हमारी महाराष्ट्र सरकार में इसका असर यह हुआ कि राज्य सरकार को राशनिंग करनी पड़ी, इस प्रकार इसका बहुत बड़ा असर हुआ। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार रॉयल्टी का कोटा कम करके तेल का कोटा बढ़ाएगी ?

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह वक्तव्य सही नहीं है। लेकिन फिर भी अन्य सदस्यों के लाभ के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 1993 में ईश्वरन समिति ने रॉयल्टी की दर निर्धारित की थी अर्थात् 481 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से रॉयल्टी निर्धारित की गई और उसका पूरी तरह भुगतान कर दिया गया। 1993-1996 की अवधि के दौरान 528 रुपए प्रति टन की दर से रॉयल्टी का अन्तरिम भुगतान किया जा रहा है। अन्तरिम भुगतान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तक तेल की उत्पादन लागत (वैल-हैडकॉस्ट) अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। हमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक से आंकड़ों की लेखा परीक्षा करानी है। 'वैल हैड कॉस्ट' अर्थात् उत्पादन लागत संबंधी लेखा परीक्षित आंकड़े मिलने के बाद ही हम रॉयल्टी का अन्तिम रूप से भुगतान कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री नामदेव दिवाथे : अध्यक्ष महोदय, सी॰ ए॰ जी॰ की रिपोर्ट सिर्फ हानि के बारे में है। ऐसी हालत में यह रॉयल्टी बढ़ाते हैं और तेल का कोटा कम करते हैं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि रॉयल्टी की दर कम करके राज्यों का जो सप्लाई कोटा है, क्या सरकार उस कोटे को बढ़ाएगी ? मुझे उसका जवाब नहीं मिला है।

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : माननीय सदस्य की बात मेरी समझ में नहीं आती। तेल का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। वह यह बात शुरू से ही कह रहे हैं। कोटा जैसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है और गुजरात सरकार के सुझाव को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। यही जवाब है।

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार को प्रति वर्ष गुजरात से तेल के द्वारा आय प्राप्त होती है, तो रॉयल्टी की दर अन्तिम रूप से निर्धारित करने में तीन वर्ष का विलंब क्यों किया जाता है ?

दूसरे, आप जानते हैं कि निजीकरण और उदारीकरण के बाद जब आप तेल क्षेत्र निजी कम्पनियों को सौंप रहे हैं तो तेल की भागीदारी के लिए हालात पैदा हो गए हैं। बदलती परिस्थितियों में गुजरात सरकार के कुल उत्पादन में तेल की भागीदारी संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया है ? यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो लेखा परीक्षा आदि से जुड़े सभी प्रश्न हल हो जाएंगे और प्रक्रिया बड़ी सरल हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री टी॰ आर॰ बालू : दूसरे भाग के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। तथापि, सभा के हित में, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने 1993-94 में राज्यों को रॉयल्टी के रूप में 616.42 करोड़ रुपए, 1994-95 में 641.97 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 653.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

श्री सनत मेहता : इसमें कोई दयालुता नहीं दिखाई गई।

श्री टी॰ आर॰ बालू : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ...*(व्यवधान)* यदि आप नहीं चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आन्ध्र प्रदेश को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में मिले तेल के लिए दी गई रॉयल्टी के बारे में जानना चाहता हूं। वे उस पंचायत को कोई उपकर क्यों नहीं देते जिसके क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न प्रासंगिक है।

श्री टी॰ आर॰ बालू : जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबंध है। 1993-94 में हमने 9.99 करोड़ रुपए, 1994-95 में 10.33 करोड़ रुपए और 1995-96 में 11.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 62 पर विचार करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल असम और गुजरात से संबंधित है इसलिए हमें भी सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष जी, हम भी इस प्रश्न पर मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं क्योंकि गुजरात की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सवाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझता हूं। सभी प्रश्न केवल गुजरात से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

विकास दर

***62. श्री राम टहल चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत वर्ष के दौरान विकास-दर लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि गत वर्ष की खामी की पुनरावृत्ति न होने पाए ?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) विकास दर लक्ष्य वार्षिक रूप से नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूप से योजना अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। फिर भी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के तुरंत अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष (1995-96) में प्राप्त की गई विकास दर 7.1 प्रतिशत है जो आठवीं योजना के 5.6 प्रतिशत के वार्षिक औसत लक्ष्य से अधिक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री राम नाईक : यह सी॰ एस॰ ओ॰ क्या है ?

श्री योगेन्द्र अलघ : यह केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन है।

श्री राम नाईक : उत्तरों में भी संक्षिप्त रूपों का प्रयोग किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से सभी संक्षेपाक्षर जानने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'क' भाग में मैंने पूछा था कि क्या सरकार गत वर्ष के दौरान विकास-दर लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है, जिसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि विकास दर लक्ष्य वार्षिक रूप से नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूप से योजना अवधि के लिए निर्धारित की जाती है, फिर भी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के तुरंत अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष (1995-96) में प्राप्त की गई विकास दर 7.1 प्रतिशत है जो आठवीं योजना के 5.6 प्रतिशत के वार्षिक औसत लक्ष्य से अधिक है—मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं लेकिन विकास दर में जब वृद्धि हुई तो फिर उसे घुमा-फिराकर, एवरेज के हिसाब से जवाब क्यों प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास दर का लक्ष्य क्या था, टार्गेट कितना था और उसे प्राप्त करने में कितनी कमी रही, यदि कोई कमी रही है, तो उसके कारण क्या थे ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : अध्यक्ष जी, सालाना स्तर पर विकास की दर का लक्ष्य नहीं रखा जाता है, लक्ष्य 5 साल के लिए योजना आयोग की पंच-वर्षीय योजना में रखा जाता है लेकिन योजना आयोग कुछ प्रोजैक्शन्स जरूर करता है। अगर आप 1995-96 का प्लान देखें, जब 1995-96 की योजना बनी थी, उस समय योजना आयोग का यह अनुमान था कि विकास दर 5.6 प्रतिशत होगी लेकिन विकास की दर चूंकि अच्छी रही, अतः जो विकास की दर हासिल की गई वह 7.1 प्रतिशत थी। इसमें मैं कुछ भी घुमा-फिरा नहीं रहा हूं बल्कि सीधे सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या सरकार लक्ष्यों की पूर्ति न होने की स्थिति में अधिकारियों की लापरवाही की जांच करती है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दी जाए ?

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं जो आर्थिक विकास की दर थी उसमें पिछले साल में भी त्रुटि नहीं हुई और इस साल भी विकास की दर अच्छी चल रही है, लेकिन यदि किसी खास योजना में, किसी खास प्रोजेक्ट में कोई त्रुटि हो, जैसा नौवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में कहा गया है, तो उसके लिए एक बड़ा लंबा-चौड़ा प्रासीजर है और उसके अन्तर्गत ऐसे जो अधिकारी हैं उनके लिए एक ढांचा बनाया गया है जिसमें उनकी रिस्पांसिबिलिटी को देखा जाता है।

[अनुवाद]

श्री निर्मलकांति चटर्जी : महोदय, इस वक्तव्य से संदेह पैदा होता है। यदि पिछले वित्तीय वर्ष का उल्लेख किया गया है, तो उस वर्ष विकास दर में गिरावट नहीं आई है। चालू वित्तीय वर्ष अथवा विगत कलैंडर वर्ष में विकास दर में थोड़ी सी गिरावट आई है।

मेरे प्रश्न को इस ढंग से समझा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन के किस क्षेत्र में विकास तेजी से कम हुआ है और किस क्षेत्र में विकास बढ़ा है अथवा यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि विगत वित्तीय वर्ष की विकास दर में गिरावट के कारण क्या कम्पनियों के लाभ में भी कमी आई है अथवा विकास दर की तुलना में उनका तेजी से विकास हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, कल सभापटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में सब कुछ बताया गया है। इसलिए मैं इस संबंध में और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देना चाहता।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : महोदय, मेरे विचार से यह बड़ा रोचक प्रश्न है क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न इस वर्ष से संबंधित है न कि पिछले वर्ष से।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस वर्ष केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने विकास दर का, जिसका आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है, जो अनुमान लगाया है वह प्रथम अनुमान है जो पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 6.2 प्रतिशत था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि हमने जो अनुमान लगाया है उसमें कोई अन्तर नहीं आएगा। यह पहली बात है।

दूसरे, जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध है। मैं माननीय सदस्य के विचारार्थ यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-नवम्बर तक निर्माणकारी क्षेत्र का विकास गत वर्ष के समान है। वृद्धि दर वही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो तमाशा हो रहा है कि वृद्धि दर की गति में गिरावट आई है, गलत है।

परन्तु विद्युत क्षेत्र में वृद्धि दर कम है क्योंकि, जैसा हम जानते ही हैं, हमने कई समस्याओं का सामना किया है। यहां तक कि डा० मनमोहन सिंह जैसे विशिष्ट अर्थशास्त्री ने भी कहा है कि गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में जितना निवेश करना चाहिए था। हम उतना निवेश नहीं कर पाए हैं। परन्तु नौवीं योजना में हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

अतः यह बात नहीं है कि गत वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र का विकास कम हुआ है। इस वर्ष निर्माण क्षेत्र का विकास दर उतना ही है जितना गत वर्ष था।

पूंजीगत माल क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हमें संतुलित आंकड़ों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। अतः जब तक हम अन्तिम निर्णय नहीं ले लेते तब तक उसकी प्रतीक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : हमारे पास अभी कम्पनियों के लाभ से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये आंकड़े सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक नमूना सर्वेक्षण द्वारा निकाले जाते हैं और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तुलन-पत्रों के कारण वर्ष की समाप्ति के बाद इस पर ध्यान दिया जाता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस सर्वेक्षण को पढ़िए और बजट पर बहस के दौरान बेहतर योगदान कीजिए।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

\+

***63. श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** :

श्री राजकेशर सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने के मामले में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में रसोई गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर देने का है, क्योंकि वहां पर ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में दिए गए रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अगस्त, 1996 से इन क्षेत्रों के रसोई गैस कनेक्शनों में 50 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन लोगों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में 2000 फुट और अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को एल पी जी कनेक्शन 1.4.1996 से मांग पर जारी करने को कहा है।

(ख) सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों को एल पी जी कनेक्शन जारी करने को प्राथमिकता प्रदान की है। इसी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को रसोई गैस कनेक्शन जारी करने में वरीयता दी जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	पंजीकरण (लाखों में)
1993-94	0.41
1994-95	0.61
1995-96	0.90
1996-97 (अप्रैल-दिसम्बर, 1996)	0.49

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) कांदला और मंगलौर में एल पी जी के आयात की सुविधाओं के चालू किए जाने के बाद देश में एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि के फलस्वरूप अब एल पी जी कनेक्शनों के लिए और अधिक संख्या में पंजीकरण करने की योजना है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोगों को सरकार की नीति के अनुसार एल पी जी कनेक्शन दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो रसोई गैस का प्रकरण है, यह पर्वतीय क्षेत्रों में आज की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस संबंध में दो तथ्य आपके सामने रख कर माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए सुप्रीमकोर्ट का 12 दिसंबर को एक फैसला आया है। यह सिविल पैटीशन नम्बर 202/1995, श्री पी॰ एन॰ गोह्डा बर्मन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट है। इसके अन्तर्गत पूरे पर्वतीय क्षेत्र और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरी हिमालयन बैल्ट है। उसमें पेड़ काटे जाने पर पूरी रोक लगा दी गई है। इस समय तक जितने गैस कनेक्शन निर्गत हुए हैं वह मात्र आठ से नौ प्रतिशत जनता के लिए ही उपलब्ध हैं। इसका नतीजा यह है कि जंगलों पर सब लोग आधारित हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जंगलों की रक्षा हो लेकिन उसके लिए हमारे पास सिवाय रसोई गैस के कोई वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध नहीं है क्योंकि बायो गैस और जो सौर ऊर्जा है वह पर्वतीय क्षेत्र में ही जम्मू कश्मीर से लेकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तक कहीं नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप पर्वतीय क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत रसोई गैस के कनेक्शन निर्गत करें। मैं मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो मानक तय किया है कि दो हजार फीट की ऊंचाई तक गैस कनेक्शन दिए जाएंगे और दो हजार फीट के नीचे नहीं दिए जाएंगे। हिमालयन तीन रेंजेज में चलता है। पहले पहाड़ फिर डाऊन फिर पहाड़। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप दो हजार का मानक हटा दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिल रीजन पर पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। हम भी चाहते हैं कि वनों का संरक्षण हो। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दो हजार फीट से ऊपर का जो मानक है क्योंकि दो हजार फीट चढ़ते हैं उसके बाद एक हजार फीट नीचे चलते हैं, उसमें सारा पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। दो हजार मानक से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं पहला प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि इसको हटाने पर आप क्या विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : वर्ष 1992, से सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस कनेक्शन दिए जाएं। हमने प्रतीक्षा सूची को लगभग निपटा दिया है। परन्तु माननीय सदस्य मैदानी क्षेत्रों में भी गैस कनेक्शन चाहते हैं। हमने पहले ही 2000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं और वहां पर कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री इसी से संबंधित है। अभी भी जितने गैस कनेक्शन हैं, जिनके लिए 1993 से मांग की जा रही है कि नए डिस्ट्रीब्यूशन सैंटर्स और नयी गैस एजेंसीज दी जाएं। अभी भी हमारे रीजन में केवल 57 एजेंसीज कुमाऊं मंडल विकास निगम की एक मोनोपोली है। उससे यह हो रहा है कि जितने कनेक्शन्स हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। जिसकी वजह से दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में तमाम लोगों को त्राहि-त्राहि रही। नतीजा यह है कि लकड़ी नहीं मिल पा रही है और लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट्स, नयी गैस एजेंसीज, नए गैस डिपो नहीं खोले जाएंगे तब तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। मैं यह चाहता हूं कि दो हजार की लिमिट खत्म करने के साथ जितनी नयी एजेंसीज और डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट्स के प्रपोजल 1993 से आपके मंत्रालय में पेंडिंग है, उन्हें एक्सपीडाइट करें। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उसको हम मजबूरी में फौलो करने के लिए तैयार हैं। मुर्दों को भी हम टायरों से जला रहे हैं क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों से लकड़ी नहीं काट पा रहे हैं। हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है। इस पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों/वितरकों को किसी भी एजेंसी के विशेष डीलरशिप क्षेत्र की 15 कि॰ मी॰ सीमा तक अपने विस्तार काउंटरों को स्थापित करने की अनुमति दी गई है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, कम्पनियों को 50 कि॰ मी॰ की

सीमा तक विस्तार काउंटर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई विशेष शिकायत है, हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राजकेशर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वर्तमान में 20 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर एल पी जी गैस कनेक्शन देने की व्यवस्था है। यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर, मड़ियाहुं, जमालापुर, केराकत, मछलीशहर, बदलापुर आदि कस्बों में कोई एजेंसीज नहीं है जिसकी वजह से लोगों को गैस कनेक्शन नाम मात्र के लिए भी प्राप्त नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एल पी जी गैस एजेंसीज आप कब तक मुहैया कराएंगे जिससे वहां के लोगों को गैस कनेक्शन मिल सकें।

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय, प्रश्न पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। आप अपना हाथ क्यों उठा रहे हैं ?

श्री टी॰ आर॰ बालू : तथापि, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों से 15 कि॰ मी॰ की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत हैं और जहां कि जनसंख्या दस हजार से अधिक है, वहां भी गैस कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व साथी ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को जब तक गैस एजेंसी और गैस कनेक्शन नहीं मिलता तब तक उनका गुजारा हो पाना कठिन है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं कि उन्होंने यह डिसीजन दिया है। लेकिन जैसा कि अरुणाचल, मेघालय, हिमाचल या कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के बारे में कहा गया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक इन पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में गैस का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक वहां के लोग कौन सा ईंधन इस्तेमाल करेंगे ? क्या आप हिमाचल, कश्मीर, गढ़वाल, सिक्किम, मेघालय आदि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस बात पर विचार करेंगे कि पहले उनको गैस कनैक्शन दिए जाएं ताकि पेड़ कटने से बच सकें ?

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी, आपने सवाल कहां पूछा, आपने तो सजैशन दे दिया।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि यह एक सुझाव है। आप इसे लिख लीजिए।

श्री टी॰ आर॰ बालू : हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन क्षेत्रों पर हमें जोर देना होगा, वह है पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर सीमा। जहां तक पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का संबंध है, हम माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार सेवाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और सम्पूर्ण भारत में चालीस लाख नए गैस कनेक्शन देने जा रहे हैं। नौवीं योजना के दौरान मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में ही हम 50 लाख कनेक्शन देने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री पी॰ नामग्याल : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी रावत जी और सुल्तानपुरी जी ने महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिकशन की वजह से लकड़ी काटना मना है। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां जंगल ही नहीं हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दो हजार फीट की ऊंचाई पर रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वास्ट एरियाज में जैसे लद्दाख है, वहां गैस एजेंसी बढ़ा दी जाएंगी ? दूसरा, आपने वहां पर एक एल॰ पी॰ जी॰ बौटलिंग प्लांट का प्रोग्राम कई सालों से बनाया हुआ है लेकिन अभी तक उस पर काम चालू नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पर जल्दी से जल्दी काम चालू करवाएंगे ?

شری پی۔نامگیال : ادھیکش مہودے ٬میرے ساتھی راوت جی اور سلطانپوری جی نے مہتوپورن سوال اٹھایاہے۔ سپریم کورٹ کی رسٹرکشن کی وجہ سے لکڑی کاٹنا منع ہے۔ میں اس علاقے کی بات کر رہاہوں جہاں جنگل ہی نہیں ہیں۔ میں منتری جی کو دھنے واد دینا چاہتا ہوں کی انھوں نے دو ہزار فٹ کی اونچائی پر رسٹرکشن ہٹادی ہے۔ میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیاواسٹ ایریاز میں جیسے لداخ ہے وہاں گیس ایجنسی بڑھادی جائینگی؟دوسرا آپ نےوہاں پر ایف۔ایل۔پی.جی۔بوٹلنگ پلانٹ کاپروگرام کئی سالوں سے بنایا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پر کام چالو نہیں ہوا ہے۔میں جاننا چاہتاہوں کہ کیا آپ اس پر جلدی سے جلدی کام چالو کروائینگے ؟

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय, सुझाव वैध है। हम इस मामले को विचारार्थ लेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती चिखलिया की बात से सहमत हूं कि महिलाएं गैस का उपयोग करती हैं। मैं उनको एक अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने एक महिला को इसके बारे में बोलने का मौका दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बोलने का नहीं सवाल पूछने का मौका दिया है।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र या किसी पर्सनल क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पूरे देश में गैस कनेक्शन की इतनी कमी चल रही है जिसके कारण आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हमारा जो कोटा है, वह भी सबको देने के लिए कम पड़ता है।

मैं एक तो आग्रह करूंगी कि एम॰ पीज़॰ को जो कोटा मिलता है, वह बढ़ाया जाए और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या वह करना चाहेंगे ? दूसरी बात, चूंकि रसोई गैस नहीं होती है तो महिलाओं को लाइन में खड़ी रहकर इतने घंटे मिट्टी के तेल के लिए बर्बाद करने पड़ते हैं। अब मिट्टी का तेल भी

नहीं मिलता है और लकड़ी काटने को भी नहीं मिलती है तो सबसे ज्यादा महिलाएं सहन करती हैं। इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस विचार कर रही है कि सभी को एल॰ पी॰ जी॰ गैस कनेक्शन मिले ?

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, दूरभाष कनेक्शन के कोटे में भी वृद्धि की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : संसद सदस्यों को गैस और दूरभाष कनेक्शन देने की प्रथा बंद कर देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मंत्री जी की बात भी सुनें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह कोटा बन्द किया जाए, यह अपमान का विषय है। यह गैस कनेक्शन और टेलीफोन का कोटा खत्म किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : इसमें कश्मीरी रिफ्यूजीज़ के लिए भी आप कुछ देना चाहेंगे ? ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : इसमें बहुत तकलीफ मिलती है, यह कोटा नहीं देना चाहिए। इससे बहुत परेशानी होती है। टेलीफोन, गैस सब कुछ बन्द कर देना चाहए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया आप कोटे से संबंधित प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। आप दूसरे भाग का उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री टी॰ आर॰ बालू : उन्होंने केवल कोटे के बारे में पूछा

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या सरकार कश्मीरी रिफ्यूजीज़ के लिए बिना किसी शर्त के गैस कनेक्शन देने के लिए कुछ कोशिश कर रही है ?

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, आप कोटा खत्म करने की घोषणा आसन से कर दो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री टी॰ आर॰ बालू : महिला सदस्य के सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : अध्यक्ष जी, जवाब नहीं आया। रिफ्यूजीज़ के लिए कुछ नहीं आया कि सरकार क्या करना चाहती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे दो शब्द कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह कोटा जान का जंजाल है, आप इसमें कुछ अच्छा काम करिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि संसद सदस्यों को दिए जाने वाले दूरभाष और गैस कनेक्शनों के कोटे का प्रश्न उठा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मुझे इस मामले में स्वयं माननीय सदस्यों की ओर से अनेक राय मिल रही हैं। इस मामले के संबंध में दो राय हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि अधिकांश संसद सदस्य इस कोटा प्रणाली के खिलाफ है। मैंने सरकार को यह निर्देश देने का निर्णय किया है कि 1 अप्रैल से संसद सदस्यों को दिए जाने वाले दूरभाष और गैस कनेक्शन के कोटे को समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे पूरी तरह से आश्वस्त हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद कोई कोटा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : कृपया, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने एक सही निर्णय लिया है और मैं इस पर अटल हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय..: हम लोग वैसे ही बदनाम हो रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह सर्वसम्मत निर्णय नहीं है। हमें इस संबंध में कुछ कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पर सर्वसम्मत निर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, इस संबंध में सदन की सहमति ली जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है और इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आपको इसकी मांग करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : हम किसी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : इस सदन में 285 नए सदस्य हैं *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं ऐसा निर्णय लेने के लिए आपको बधाई देता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : यह गलत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी प्रकार की बहस की अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रो मेहता जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह आवश्यक है कि इस पर बहस हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार जी, हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं। हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम प्रश्नकाल पर हैं। हम दूसरे प्रश्न पर भी आ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : इस मामले पर बहस होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

इस मामले पर बहस होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर बहस क्यों होनी चाहिए ? *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : इस सदन में 285 नए संसद सदस्य हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया इस मामले को यहीं पर छोड़ दो।

[हिन्दी]

श्री एस॰ पी॰ जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय किया है, वह बहुत अच्छा किया है। यह तो बहुत पहले से बंद हो जाना चाहिए था। यह मेरी राय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह बहुत ही गलत बात है।

[अनुवाद]

विद्युत की कमी

\+
***64. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**
श्री चुन चुन प्रसाद यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य राज्यों में विद्युत का गंभीर संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति में उचित संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नवम्बर, 96 से जनवरी, 97 की अवधि के दौरान उत्तरी ग्रिड में कुछ ग्रिड संबंधी बाधाएं उत्पन्न हुईं जिनका प्रभाव उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली और अन्य राज्यों की विद्युत आपूर्ति पर पड़ा।

अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी थी। देश में इसी अवधि के लिए ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 11 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी। राज्य-वार स्थिति अनुबंध-I और II में दी गई है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की कमी के कारण निम्नवत् है :—

1. विद्युत की मांग और आपूर्ति के मध्य बढ़ता हुआ अंतर,

2. जल विद्युत उत्पादन में गिरावट, और

3. एच बी जे पाइपलाइन में गैस आपूर्ति में अवरोध जिसे 1.1.97 से 23.1.97 तक आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत का उत्पादन प्रभावित हुआ।

(ग) मांग और आपूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) के सुधार द्वारा विद्यमान संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना;
2. क्षमता-अभिवृद्धि;
3. विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण;
4. मांग पक्ष प्रबंधन उपाय;
5. पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना; और
6. विद्युत का अंत:राज्यीय/अंत:क्षेत्रीय अंतरण।

अनुबंध-I

अप्रैल 96 से जनवरी 97 की अवधि के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निबल मि॰ यू॰ में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 96-जनवरी, 97			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	755	754	1	0.1
दिल्ली	11980	11684	296	2.5
हरियाणा	11745	11189	556	4.7
हिमाचल प्रदेश	1931	1911	20	1.0
जम्मू और कश्मीर	3918	3207	711	18.1
पंजाब	18635	18299	336	1.8
राजस्थान	16135	15154	981	6.1
उत्तर प्रदेश	34155	29605	4550	13.3
उ॰ क्षे॰	99254	91792	7462	7.5
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	31460	28922	2538	8.1
मध्य प्रदेश	26460	23705	2755	10.4
महाराष्ट्र	49430	46847	2583	5.2
गोवा	1062	1062	0	0.0
प॰ क्षे॰	108412	100548	7864	7.3
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	32900	25571	7329	22.3
कर्नाटक	20230	14944	5286	26.1
केरल	9445	7256	2189	23.2
तमिलनाडु	29800	25633	4167	14.0
द॰ क्षे॰	92375	73404	18971	20.5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	8005	5799	2206	27.6
डीवीसी	6965	6759	206	3.0
उड़ीसा	8805	8529	276	2.9
प॰ बंगाल	12860	12493	367	2.9
पू॰ क्षे॰	36635	33580	3055	8.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	136.4	70.1	66.3	48.6
असम	2527.2	2302.0	225.2	8.9
मणिपुर	331.4	308.1	23.3	7.0
मेघालय	336.4	336.4	0.0	0.0
मिजोरम	151.3	130.5	20.8	13.7
नागालैण्ड	150.1	129.1	21.0	14.0
त्रिपुरा	400.0	306.8	93.4	23.3
उ॰ पू॰ क्षे॰	4033.0	3583.0	450.0	11.2
अखिल भारत	340709	302907	37802	11.1

अनुबंध-II

अप्रैल 96 से जनवरी 97 की अवधि के दौरान देश में राज्यवार वास्तविक व्यस्ततमकालीन मांग की तुलना में व्यस्ततमकालीन आपूर्ति

(आंकड़े निबल मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 96-जनवरी, 97			
	व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	कमी	%
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	166	166	0	0.0
दिल्ली	2230	2073	157	7.0
हरियाणा	2170	1826	344	15.9
हिमाचल प्रदेश	525	515	10	1.9
जम्मू और कश्मीर	900	746	154	17.1
पंजाब	4020	3695	325	8.1
राजस्थान	3010	2707	303	10.1
उत्तर प्रदेश	6680	5346	1334	20.0
उ॰ क्षे॰	18180	15116	3064	16.9
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	6000	4974	1026	17.1
मध्य प्रदेश	6200	4395	1805	29.1

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	9200	8332	868	9.4
गोवा	198	198	0	0.0
प॰ क्षे॰	21000	17402	3598	17.1
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	5940	4540	1400	23.6
कर्नाटक	4110	3205	905	22.0
केरल	2040	1551	489	24.0
तमिलनाडु	5410	4528	882	16.3
द॰ क्षे॰	16350	13066	3284	20.1
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1820	997	823	45.2
डीवीसी	1580	1253	327	20.7
उड़ीसा	1930	1677	253	13.1
प॰ बंगाल	2800	2488	312	11.1
पू॰ क्षे॰	8000	6365	1635	20.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	51	40	11	21.6
असम	511	511	0	0.0
मणिपुर	78	61	17	21.8
मेघालय	102	102	0	0.0
मिजोरम	49	49	0	0.0
नागालैण्ड	42	39	3	7.1
त्रिपुरा	88	68	20	22.7
उ॰ पू॰ क्षे॰	875	802	73	8.3
अखिल भारत	63222	52491	10731	17.0

[हिन्दी]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : जवाब में कहा गया है कि

[अनुवाद]

'(ख) अन्य बातों के साथ-साथ बिजली की कमी के कारण निम्न प्रकार हैं :

(i) बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता हुआ अन्तर ....समाधान के लिए कहा गया है कि

"(i) प्लाट लोड फैक्टर के सुधार द्वारा वर्तमान संयंत्रों से उत्पादन में वृद्धि करना;"

[हिन्दी]

आप ही सोचिए जब देश की आबादी बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी। क्या सरकार को पता नहीं था कि मांग जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगी इसलिए पहले से ही कार्यवाही करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा था कि जब हाइडल पावर जेनरेशन की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, बिहार में कोयला-कारो परियोजना के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के सामने तीन शर्तें रखी थी कि जितनी भी बिजली पैदा होगी राज्य सरकार को उचित मूल्य पर खरीदनी होगी, विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी और कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखना होगा। राज्य सरकार ने तीनों मामलों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी इतने वर्षों के बाद केन्द्र सरकार के पास ही यह योजना लम्बित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : उसका शुभारम्भ नहीं किया जा रहा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस पर केन्द्र सरकार क्या विचार कर रही है और कब तक इसको शुरू कराएगी ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस वेणुगोपालाचारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ठीक ही कहा गया है ताप विद्युत में 6.1 प्रतिशत और नाभकीय विद्युत में 12. 7 प्रतिशत वृद्धि होने से समग्र विद्युत उत्पादन में 3.8 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद जल विद्युत उत्पादन में 6.2 प्रतिशत की कमी हुई है। परन्तु जल विद्युत क्षेत्र में कम विद्युत उत्पादन के कारण देश में विद्युत की कमी हुई है। हम वास्तविक उत्पादन भी देख सकते हैं।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : महोदय, मैंने एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछा है जो कोयला-कारो परियोजना आरम्भ किए जाने के संबंध में है।

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : हां। मैं उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उसी पर आ रहे हैं।

(व्यवधान)

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : माननीय सदस्य ने पहले जल विद्युत उत्पादन में कमी का प्रश्न उठाया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मधुकर जी, यदि आपकी कोई शिकायत है या यदि आप कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो आप उचित नियम के अंतर्गत सूचना दे सकते हैं। आप सदन की कार्यवाही में इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते। कृपया बैठ जाइए।

श्री राम नाईक : महोदय, यह इस प्रकार हो सकता है। इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इस मामले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सदस्य को नियमों के अंतर्गत सूचना देने का अधिकार है। आपको भी ऐसा करने का अधिकार है और यह देखना मेरा काम है कि इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं। इसकी एक सीमा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी चिन्ता मत कीजिए। उन्हें नोटिस देने का अधिकार है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है।

(व्यवधान)

डॉ वेणुगोपालाचारी : महोदय, धन की कमी के कारण हम कोयला-कारो परियोजना शुरू करने में असमर्थ हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने इसके बारे में पहले ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दे दी है।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने के संबंध में आपका उत्तर क्या है ? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। बिहार सरकार द्वारा ये सभी शर्तें स्वीकार कर लेने पर केन्द्र सरकार इस परियोजना को शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर देगी। यह राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। उसका क्या हुआ।

डॉ॰ एस वेणुगोपालाचारी : केन्द्र सरकार द्वारा सभी शर्तें स्वीकार नहीं की जातीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपके और माननीय मंत्री जी के बीच काफी बहस हो चुकी है।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : जी नहीं, उस तरह से नहीं।

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : सभी शर्तों पर चर्चा करने के बाद, इस समय केन्द्र सरकार कोयला-कारो परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री ने यह सूचना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पहले ही भेज दी है। ऐसा एन॰ एच॰ पी॰ सी॰ से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चुन चुन प्रसाद जी।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : महोदय मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी से अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, कैपेसिटी बढ़ाने की बात हुई है, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है। बिहार में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद इतने वर्षों के बाद भी नया कैपेसिटी प्लांट बिहार में क्यों नहीं खोला गया ? इस पर केन्द्र सरकार का क्या रूख है ? वहां से कोयला ढोकर सैकड़ों, हजारों कि॰ मी॰ दूर ले जाकर पॉवर प्लांट स्थापित करके वहां पर कोयला जलाया जाए और बिहार में उस कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन न किया जाए, इसमें क्या तुक है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का बिहार में बिजली के उत्पादन के लिए नया कैपेसिटी प्लांट लगाने के बारे में क्या विचार है ? जो तालिका आपने दी है, उसमें 8000 मेगावाट हमारी मांग है और वह भी हम अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इस दुरावस्था से निकलने के लिए केन्द्र सरकार ने बिहार में नयी कैपेसिटी एड करने के लिए क्या सोचा है जिससे कि कोयले को भी अधिक दूर तक न ढोना पड़े और वहां बिजली का उत्पादन भी हो जाए।

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : महोदय, जहां तक बिहार राज्य का प्रश्न है। वास्तव में वे केन्द्रीय सेक्टर से अपनी आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं। और हम भी नबी नगर में 200 मेगावाट क्षमता वाली एक परियोजना शुरू कर रहे हैं। यह मेगा विद्युत परियोजना बिहार में आरम्भ हो रही है।

[हिन्दी]

श्री चुन चुन प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली राज्य के साथ-साथ बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों में भी बिजली की गड़बड़ी है। सभी जगह बिजली की कमी है। पिछली 11 तारीख को दिल्ली के संबंध में उप राज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना ने बताया कि राजधानी में आए दिन बिजली का संकट खड़ा हो जाता है। इसका प्रमुख कारण बिजली की चोरी है और इस चोरी को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को भी बिजली के कनैक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता कर ली गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या अनधिकृत कॉलोनियों को बिजली मुहैया कराने के लिए सीधे तार डालकर बिजली चोरी करने वालों को स्थायी बिजली के कनैक्शन देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और अगर चालू नहीं की गई है तो कब तक चालू की जाएगी ?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : महोदय, स्थायी कनैक्शन देने का प्रश्न 'डेसू' के अन्तर्गत आता है। केन्द्र सरकार ने पहले ही डेसू को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सौंप दिया है। उस सरकार ने हाल ही में नए विद्युत बोर्ड का गठन किया है। यह ट्रांसमिशन और वितरण में होने वाली हानि को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा। यह नये कनेक्शन देने का काम भी देखेगा।

श्री एस॰ के कारवींधन (पलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्री महोदय केन्द्र सरकार के प्रति बकायों के संबंध में बताएं।

डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी : 31 जनवरी, 1997 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को डेसू से मिलने वाली बकाया राशि 817.80 करोड़ रुपए है। इसमें 104.50 करोड़ रुपए का अधिभार शामिल है। कुल मिलाकर यह राशि 922.30 करोड़ रुपए है उन्होंने मासिक बिलिंग के लिए 83 करोड़ रुपए स्वीकार किए हैं। डेसू के लिए 60 करोड़ रुपए की एल॰ सी॰ खोली गई है। इसमें 23 करोड़ रुपए की कमी है।

उसी प्रकार, बी॰ टी॰ पी॰ एस॰ की बकाया देनदारियां 2,413.93 करोड़ रुपए है। अधिभार 2,769.16 करोड़ रुपए है। कुल 5,183.09 करोड़ रुपए बैठता है। इन बकायों में से मुख्यमंत्री ने मासिक बिलिंग के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकार किए हैं। डेसू से प्राप्त होने वाला

भुगतान केवल 45 करोड़ रुपए है। यह 10 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरे सवाल को समझ लेंगे। अभी मंत्री महोदय ने सदन में आंकड़े दिए हैं। इस समय मध्य प्रदेश में मांग और आपूर्ति के बीच में बड़ा अन्तर है। मध्य प्रदेश में उद्योगों का अभाव है, इस वजह से मध्य प्रदेश की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश में पिछले दो-तीन सालों में विद्युत की बड़ी भारी कमी आई है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बिजली के उत्पादन के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही कुछ रिश्वतखोरी की मांग के कारण वे योजनाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, मध्य प्रदेश में वे परियोजनाएं जो प्रारम्भिक अवस्था में पड़ी हुई हैं, उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा और उन योजनाओं के लिए कब तक पैसा दिया जाएगा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दिल्ली के संबंध में है।

डॉ. वेणुगोपालाचारी : महोदय, देश में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसा केवल मध्य प्रदेश या पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नहीं है।

यह मामला पश्चिम क्षेत्र का है। यदि माननीय सदस्य दो परियोजनाओं का नाम बताते हैं, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सभी कोई न कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं यहां सभी को समय नहीं दे सकता। इस विष्य पर हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर के लिए साथ एनैक्सचर-I में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यदि आप गौर से देखें, तो उन आंकड़ों में रिक्वायरमेंट, एवेलेबिलिटी और शॉर्टेज की स्थिति के बारे में पूरे देश का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपकी तवज्जह चाहूंगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार 3,40,709 मिलियन यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 3,02,907 मिलियन यूनिट की एवेलेबिलिटी है। मैं राज्यवार स्थिति के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं और खासकर बिहार के बारे में। बिहार में रिक्वायरमेंट 8,005 मिलियन यूनिट की है, जबकि पूरे देश की रिक्वायरमेंट 3,40,709 मिलियन यूनिट है। हर हिन्दुस्तानी जानता है कि हर दसवां आदमी इस देश में बिहार से है। दस प्रतिशत आबादी बिहार की है और दस प्रतिशत आबादी के लिए रिक्वायरमेंट 2.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार बिहार के लिए एवेलेबिलिटी 5,799 मिलियन यूनिट है, यानि दस प्रतिशत आबादी के लिए एवेलेबिलिटी 1.6 प्रतिशत है।

हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से पावर सैक्टर में, चूंकि बिजली बुनियादी चीज है चाहे कृषि का विकास हो या उद्योग का विकास हो उसके लिए बिजली आवश्यक चीज है। उस हालत में इस प्रकार का जो असंतुलन है उसमें हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ? दूसरा मेरा कहना यह है कि जो रिकवायरमेंट का असेसमेंट होता है उसका क्या क्राइटेरिया है ? अध्यक्ष महोदय, इसी में सबसे बड़ा घपला है। आज एक रोटी खाकर किसी तरह कोई गुजरा कर लेता है तो उसी को अगले दिन का आधार मान लिया जाता है कि इनकी जरूरत ही एक रोटी की है। चूंकि यहां उपलब्धता कम है तो उसका मतलब यह नहीं है कि हमारा वही रिकवायरमेंट है। इलैक्ट्रीसिटी आथोरिटी के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किया गया है, हम सरकार से जानना चाहते हैं यह पालिसी मेटर है इसलिए इस संबंध में प्रधान मंत्री जी जवाब दें तो बेहतर होगा। क्या इसमें यह कोई तरीका निकालेंगे कि जो रिकवायरमेंट का असेसमेंट किया जाता है उसके लिए जो क्राइटेरिया एडोप्ट करते हैं उसमें कोई तबदीली लाएंगे और सचमुच में इस प्रकार का जो रिजनल इमबैलेंस है उसको दूर करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लम्बा है।

डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय यह आवश्यकता औद्योगिकीकरण और अन्य क्षेत्रों के लिए होने वाली मांग के स्तर पर निर्भर करती है और अधिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने और मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। हमने राज्यों को न्यूनतम साझा कार्य योजना के संबंध में बताया है। हमने कई प्रोत्साहन भी दिए हैं। जैसे 1000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमने विद्युत बोर्डों की पुनर्संरचना का प्रस्ताव किया है और शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर भी जोर दे रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में परिदृश्य को देखते हुए सरकार जल-विद्युत आधारित परियोजनाओं पर अधिक बल दे रही है। क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि जल-विद्युत आधारित विद्युत क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। फिर भी विद्युत क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि ताप विद्युत क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि, नाभीकीय विद्युत में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद जल विद्युत उत्पादन में कमी आई है। यह सरकार जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति में सुधार करने वाली है।

श्री नीतीश कुमार : मानदण्ड क्या है ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। हम इस पर आधे घण्टे की चर्चा करेंगे। संभवत: मैं यहां सभी को मौका नहीं दे सकता। इस पर हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, मानदण्ड यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मानदण्ड अपनाया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आधे घण्टे की चर्चा होगी, उसमें आप भाग लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : यह नीतिगत मामला है और माननीय प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

प्रश्न संख्या 65 श्री सत्यजीतसिंह गायकवाड़।

[अनुवाद]

प्रोपेन का प्रयोग

\+

*65. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि स्वचालित वाहन क्षेत्र में प्रोपेन का प्रयोग किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करते हुए प्रोपेन का प्रयोग शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) एक जनहित याचिका पर 9.12.1996 को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इच्छा व्यक्त की कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या प्रोपेन का प्रयोग फिलहाल प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और तेल के स्थान पर वातावरण के अनुकूल स्थानापन्न और व्यवहार्य विकल्प के रूप में किया जा सकता है, 2 स्ट्रोक वाले इंजनों के 50-50 तिपहियों और दुपहियों की एक प्रायोगिक परियोजना का प्रयोग करने के लिए सरकार को किसी निजी कंपनी को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(ख) उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : महोदय, मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को इस शोध कार्य में संलग्न करना चाहती है अथवा नहीं। यदि हां, तो सम्पूर्ण अर्थतंत्र पर इस शोध के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, इस उद्देश्य हेतु कितना धन आबंटित किया गया है। आबंटित करने का प्रस्ताव है।

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय, हमें उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना है। उच्चतम न्यायालय ने 2 दिसम्बर 1996 के अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रोपेन के प्रयोग की संभाव्यता और निजी कम्पनी के द्वारा प्रस्तावित तकनीक के प्रयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

3 दिसम्बर 1996 को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। तत्पश्चात् उस समिति ने उच्चतम न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया कि वह अपने खर्च पर उस परियोजना को हाथ में लेने को तैयार है। इस अभ्यावेदन पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह निजी कम्पनी को प्रयोगात्मक पायलट परियोजना पर 50 दोपहिया और 50 तिपहिया वाहनों पर कार्य शुरू करना सुनिश्चित कराए। सरकार उस निजी कम्पनी को समस्त सुविधाएं जुटाने के लिए वचनबद्ध है।

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : मैंने जो पूछा है यह उसका उत्तर नहीं है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री अथवा पेट्रोल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए कोई धन आबंटित किया है अथवा केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को कोई निर्देश दिए हैं, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि इस शोध का सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव हो सकता है।

श्री टी॰ आर॰ बालू : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि सरकार ने प्रोपेन से चालित वाहनों की चालन क्षमता का मूल्यांकन किया है ? यदि हां तो यह सी. एन. जी. अथवा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कैसे भिन्न है ?

श्री टी॰ आर॰ बालू : तकनीकी पक्ष का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : महोदय दोनों ही उत्तर संतोषजनक नहीं हैं।

श्री टी॰ आर॰ बालू : यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है। उच्चतम न्यायालय जो भी आदेश दे, हमें उसका पालन करना होता है।

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : महोदय पेट्रोलियम मंत्रालय एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कैसे हो सकता है कि वह मंत्रालय तैयार नहीं है ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप संतुष्ट होते हैं अथवा नहीं यह एक व्यक्तिगत बात है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : भेल का मध्य प्रदेश के विजयपुर में जो प्लांट है उसने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है कि वह प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन प्रोपेन का निर्माण कर सकता है। इस तरह का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा है। क्या आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले हैं यदि नहीं तो क्यों नहीं।

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : वास्तव में विजयपुर प्लांट को निजी कम्पनियों की सहायता करने का निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, हमें निजी कम्पनियों की सहायता करनी है। भारतीय गैस प्राधिकरण विजयपुर प्लांट से प्रोपेन की आपूर्ति के लिए तैयार है। तकनीकी संभाव्यता अध्ययन का इन्तजार है।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना

***66. श्री चमन लाल गुप्त :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का कार्य निष्पादन राष्ट्रीय जल विद्युत नियम द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा परियोजना की मूल लागत क्या थी तथा इस पर अब तक, वर्षवार कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ग) फ्रांसीसी सहायता संघ (फ्रेंच कन्सोरटियम) को कितनी राशि अदा की गई, समझौते का क्या ब्यौरा है, समझौते के उल्लंघन के लिए क्या दंड लगाया गया है;

(घ) क्या किसी नई विदेशी एजेंसी की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी अथवा कार्य पूरी तरह से राष्ट्रीय जल विद्युत नियम द्वारा स्वयं ही किया जाएगा;

(ङ) वर्ष 1995-96 तथा चालू वर्ष के दौरान कितना कार्य किया गया है; और

(च) परियोजना को पूरा किए जाने की समय सारणी क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (च) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना को 1262.97 करोड़ रुपए की लागत पर (1988 के मूल्य स्तर पर टर्नकी आधार पर क्रियान्वयन किए जाने हेतु एक फ्रेंच कंसोर्टियम आफ फर्म के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसमें मै॰ कोयने इट विलियर (सीओबी), मै॰ डूमेज, सोजिया एंड वोरी (डीएसवी), मै॰ सीजीलेक, मै॰ काम्प्लैक्स तथा मै॰ एसईआईटीपी शामिल हैं।

परियोजना की संशोधित लागत 3559.77 करोड़ रुपए (नवम्बर, 1996 के मूल्य स्तर पर) है। परियोजना पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) कंसोर्टियम के साथ हुए मूल समझौते में परियोजना को आर्डर की तिथि अर्थात् अक्टूबर, 1989 से 57 माह के भीतर पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि परियोजना स्थल में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के कारण फ्रेंच कंसोर्टियम द्वारा अगस्त, 1992 में कार्य रोक दिया गया था। परियोजना पर कार्य पुनः आरम्भ करने की दृष्टि से विचार विमर्श किए गए थे और नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) तथा फ्रेंच कंसोर्टियम के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पन्न किया गया था। एमओयू के अनुसरण में जून, 1995 में एक मंसूखी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अनुसार सिविल ठेकेदार मै॰ डीएसबी ने पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में एनएचपीसी को 50 मिलियन फ्रेंच फ्रेक (लगभग 28 करोड़ रुपए) का भुगतान किया था। तथापि एमओयू में कंसोर्टियम के अन्य चार सदस्यों को परियोजना का क्रियान्वयन चालू रखने की अनुमति दी गई थी। जनवरी, 1997 तक फ्रेंच कंसोर्टियम को 968 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

(घ) मै॰ डीएसबी के निकल जाने के बाद एनएचपीसी ने मै॰ डीएसबी के संयंत्र और मशीनरी को अपने हाथ में लिया और विभागीय तौर पर वर्ष 1995 में निर्माण कार्य आरंभ किए गए। शेष निर्माण कार्य पूरा करने की दृष्टि से एनएचपीसी ने एक नए सिविल ठेकेदार (भारत और नार्वे की फर्मों वाली एक कंसोर्टियम) को एक आशय-पत्र जारी किया है। अधिनिर्णय पत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा। परियोजना पूरी करने के लिए अपेक्षित निधियां मुहैया करवाई जाएंगी।

(ङ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान हेड रेस टनल, विद्युतगृह, स्विचयार्ड तथा ट्रांसफार्म गुफा पर खुदाई के कार्य किए गए हैं।

(च) परियोजना को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा मार्च, 2001 है।

अनुबंध

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (जम्मू और कश्मीर) पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि निम्नवत् है :—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2
1980-81	0.03
1981-82	1.83
1982-83	1.06
1983-84	8.79
1984-85	14.34
1985-86	17.81
1986-87	2.20
1987-88	10.56

1	2
1988-89	14.34
1989-90	167.01
1990-91	180.46
1991-92	197.85
1992-93	176.17
1993-94	152.78
1994-95	112.90
1995-96	287.92
1996-97 (1/97 तक)	143.39
जनवरी, 97 तक कुल	1489.44

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : माननीय अध्यक्ष जी, यह दुलहस्ती प्रोजेक्ट के विषय में सवाल है। सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि 89 में यह प्रोजेक्ट चालू हुआ था। लेकिन जो ब्यौरा दिया गया है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 1980 से लेकर 1989 तक इस पर 71 करोड़ खर्च हुए हैं। 1989 से लेकर 1992 तक इस पर 545.32 करोड़ खर्च हुए हैं। उसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक इस पर 873.16 करोड़ खर्च हुए हैं। 1989 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 1989 में ही वहां पर इनसरजेंसी शुरू हो गयी। इस बीच में जिसने ठेका लिया हुआ था वह भाग गया। इस दौरान भी खर्चा हुआ दिखाया गया है। यहां उस फर्म को जिसने 1992 में काम बंद कर दिया था और काम बंद करने के बाद 1997 में उसको 968 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह पेमेंट किस बात के लिए हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब चाहिए तो आधा मिनट बाकी है।

श्री चमन लाल गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि यह पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों उस फर्म को पैसा दे रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस॰ वेणुगोपालाचारी : इस परियोजना को मंजूरी तो 1982 में ही मिल गई थी परन्तु परियोजना पर कार्य 1989 में शुरू हुआ। वर्ष 1989 में इसे पाँच कम्पनियों के फ्रेंच समूह को टर्नकी आधार पर पूरा करने की स्वीकृति मिली थी अनन्तिम तौर पर इसे 57 महीनों के अन्दर पूरा किया जाना था और इस कार्य के लिए 845.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। पांच कंसोर्टियम सदस्यों में से एक सिविल ठेकेदार ने कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य बन्द रखा। उनके दो सदस्यों का उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया, जिसके कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बदल गई।

कई बैठकों के बाद 1994 में एन॰ एच॰ पी॰ सी॰ और फ्रेंच कन्सोर्टियम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उस समझौते के आधार पर फ्रांस सरकार ने 28 करोड़ रुपए दिए।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर पाटीदार : भुगतान का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह है कि फर्म 1992 से वहां से भाग गई और उसने काम करना बन्द कर दिया। उसके बाद वहां पर बाकायदा मिलिटैंसी चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह पेमैन्ट किसलिए हो रही है ? पिछले साल दो करोड़ रुपए दिए गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गुप्ताजी, प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मैंने आपसे छोटा प्रश्न पूछने के लिए कहा था परन्तु आपने नहीं सुना।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गुजरात में पानी की कमी

***67. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पेयजल की कमी वाले शहरों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को धन देने का अनुरोध करते हुए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कोई योजना तथा अन्य योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत गुजरात सरकार से 6 स्कीमें मिली थीं और वे सभी सभा पटल पर रखे विवरण के अनुसार मंजूर कर दी गई थी। लेकिन पेय जल आपूर्ति के लिए "जल के अकाल से पीड़ित कस्बे" शीर्षक के अन्तर्गत कोई स्कीम नहीं मिली है।

विवरण

स्वीकृत परियोजनाएं

क्र॰ सं.	कस्बा	जिला	आबादी (जनगणना 1991)	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत	प्रति व्यक्ति लागत (रुपये)	केन्द्रीय अंश	प्रदत्त धन केन्द्र सरकार से	प्रदत्त धन राज्य सरकार से	दिसंबर, 1995 तक व्यय
1.	धरमपुर	वलसाड	16534	मार्च, 94	54.00	325.62	27.00	1-71.08 (1993-94)		27.53
2.	बंतवा	जूनागढ़	15394	—	38.50	250.10	19.25			17.47
3.	धरोल	जामनगर	17060	—	132.60	777.26	66.30	11-87.24 (1994-95)	146.00	0.00
4.	ओखा पोर्ट	जामनगर	13342	—	14.60	109.43	7.30			24.28
5.	बोड़िया	जामनगर	12085	—	110.25	912.44	55.12	111-27.30 (1995-96)		0.00
6.	मेंदर्दा	जूनागढ़	13142	—	49.00	372.85	24.50			20.97
7.	बरवाला	अहमदाबाद	13485	जनवरी, 96	90.94	674.38	45.47			0.00
8.	सूरजकरवदी	जामनगर	14325	—	18.20	127.05	9.10			0.00
	जोड़		115415		508.09		185.62			90.25

कृष्णा-गोदावरी बेसिन

***68. श्री सिद्दय्या कोटा :**

श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी बेसिन के जी एस-15 क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अधिकारियों ने उक्त बेसिन में प्लेटफार्म-ढांचे हेतु मामूली निवेश से कम लागत में गैस का उत्पादन करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को सहमति न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ग) ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली किराया अधिनियम

***69. श्री बी॰ एल॰ शर्मा "प्रेम" :**

श्री प्रमोद महाजन :

क्या **प्रधानमंत्री** 20 नवम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 की ओर इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यह अधिनियम कब से सरकार के विचाराधीन है और इसके कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम बनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलु) : (क) और (ख) सरकार को मकानमालिकों तथा किराएदारों दोनों से ही बड़ी संख्या में अभ्यावेदन मिल चुके हैं। एक ओर जहां किराएदार, विशेषत: व्यापारी किराएदार अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन का अनुरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मकानमालिक अधिनियम को शीघ्र अधिसूचित करने पर जोर दे रहे हैं। इन अभ्यावेदनों तथा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) द्वारा गठित सर्व दलीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों का सरकार अध्ययन कर रही है। उनमें उल्लिखित विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा अगस्त 1995 से ही जब इसे भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, की तारीख से ही विचार किया जा रहा है। आम सहमति पर पहुंचने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकें की गई हैं ताकि मकानमालिकों तथा किराएदारों, दोनों के हितों में सन्तुलन बनाया जा सके।

अब यह मामला इस बावत निर्णय लेने के अन्तिम चरण में है।

(ग) और (घ) सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसे लागू करने के लिए अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल में मिलावट

***70. श्री दादा बाबूराव परांजपे :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाईम्स", नई दिल्ली में "एन्ड दस पलोजमनी फ्राम बैरल आफ आयल सेल आफ अडल्टरेटेड पेट्रोल गोन ओन अनचेक्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में मिलावटी पेट्रोल की इस अबाध बिक्री को रोकने के लिए कौन से प्रभावकारी उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) से (ग). खुदरा बिक्री केन्द्रों में पेट्रोल/डीजल की मिलावट और कदाचारों को रोकने के लिए फिल्टर पेपर जांच घनत्व जांच, मिट्टी के तेल में गंध मिश्रण, मिट्टी के तेल की नीली रंगाई, चल प्रयोगशालाओं द्वारा औचक निरीक्षण और तेल कंपनियों व संयुक्त उद्योग टीमों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित/औचक निरीक्षणों जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियां भी निरीक्षण करती हैं।

मिलावट/कदाचारों के साबित हुए मामलों में बाजार अनुशासन दिशा-निर्देशों और एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश के तहत चेतावनी पत्र जारी करना, जुर्माना करना और डीलरशिप के निलंबन जैसी कार्रवाई की जाती है। बार-बार उल्लंघन किए जाने पर डीलरशिप समाप्त की जा सकती है।

खुदरा बिक्री केन्द्रों में कदाचारों/अनियमितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में 20.12.1996 से 19.1.1997 तक और देश के शेष भागों में 26.12.1996 से 25.1.1997 तक एक महीने की अवधि का विशेष अभियान आयोजित किया गया। बाजार अनुशासन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत चूककर्ता/डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

***71. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**

श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इन उद्योगों में कितने बेरोजगार युवकों और अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) इस उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में सूचना और उनका राज्यवार ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता। फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या, जिसमें चावल और रोलर फ्लोर मिलिंग, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मछली एवं मांस प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद, मिष्ठान्न, मीठा वातित जल आदि शामिल है, 1,45,004 है।

वर्ष 1993-94 के भारत के वार्षिक सर्वेक्षण (योजना मंत्रालय) के अनुसार फैक्टरी क्षेत्र में 27,255 यूनिट थे जिनमें खाद्य और पेयों का उत्पादन हो रहा था और 17,00,682 लोगों को रोजगार दिया गया था।

अगस्त, 1992 में मुद्रित लघु उद्योगों की दूसरी अखिल भारतीय गणना (उद्योग मंत्रालय) के अनुसार 1988 में 99,792 पंजीकृत यूनिट थे जिनमें खाद्य एवं पेयों का उत्पादन हो रहा था और 5,55,057 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया था।

अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंसमुक्त है और लाइसेंसमुक्त क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। उदारीकरण के अनुसरण में दिसम्बर, 96 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में 45,752 करोड़ रु॰ के निवेश वाले और 6.21 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले 3,885 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। इनमें से दिसम्बर, 1996 तक 6,604 करोड़ रु॰ के निवेश वाले और 0.67 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले 511 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों को कार्यान्वित किया गया है। इनमें से अधिकतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन गैर सरकारी क्षेत्रों में यूनिटें स्थापित करने के लिए हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, विदेशी सहयोग तथा औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता वाली यूनिटों के लिए (नवम्बर, 96 तक) 908 प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की है। इनमें 7,276 करोड़ रु॰ के विदेशी निवेश समेत 16,019 करोड़ रु॰ का निवेश शामिल है। इनमें से 0.79 लाख लोगों को रोजगार प्रदान 1,836 करोड़ रु॰ के विदेशी निवेश और 3,298 करोड़ वाली 155 परियोजनाओं को पहले ही कार्यान्वित किया

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में कार्य करने वाली देशी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कुछ स्कीमों में संयुक्त जनजातीय विकास परियोजना जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बौम्बे हाई

***72. श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री उधव बर्मन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम टर्नकी आधार पर बौम्बे हाई से तेल निकालने के लिए विश्व-स्तर पर निविदाएं आमंत्रित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस टर्नकी आधार के लाभ क्या होंगे;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार इन परियोजनाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भूमि सुधार

***73. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारगर भूमि सुधारों हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को प्रेरित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य सरकार इन्हें गंभीरता से लागू करें, एक निगरानी तंत्र की स्थापना करने की कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) इस संबंध में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) देश में प्रभावी भूमि सुधारों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को प्रेरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों का आयोजन करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट एकत्रित करता है।

(iii) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 5(क) के अंतर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार भूमि सुधारों, भूमि रिकार्डों और भूमि राजस्व प्रबंध के कार्यान्वयन से संबंधित विषय में पूर्ण विधायी और प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। अतः संबंधित विषय में केन्द्र सरकार की भूमिका सलाह देने और समन्वय करने की है।

तेल आयात पर व्यय

***74. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल आयात पर होने वाला व्यय अन्य सभी वर्षों की तुलना में सबसे अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के तेल आयात पर होने वाले व्यय की अद्यतन स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा तेल आयात व्यय में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष तेल आयात पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) और (ख) आयात पर होने वाला व्यय समग्र खपत, स्वदेशी उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल के मूल्य पर निर्भर करता है। तेल के आयात व्यय को सीमित रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार और संयुक्त क्षेत्र व निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना करके, शोधन क्षमता में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, नए क्षेत्रों के विकास, वर्तमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास और अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी और निजी पूंजी आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल के आयात पर हुए व्यय का विवरण आगे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपए में)
1992-93	15439.18
1993-94	16221.14
1994-95	16250.36
1995-96	22262.92 (अनंतिम)
1996-97	23310.09 (अनंतिम)
(अप्रैल से दिसम्बर, 1996)	

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए परिषदों की स्थापना

***75. श्री काशीराम राणा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेशनल काउंसिल फॉर साईस एण्ड टैक्नोलॉजी" की तर्ज पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक स्थापित की गई परिषदों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी संगठन के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) चालू योजनावधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए किए गए आवंटन का प्रतिशत क्या है; और

(च) वैज्ञानिकों को इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (च) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (एन सी एस टी सी) केन्द्रीय सरकार द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा वैज्ञानिक सोच को जागृत करने के उद्देश्य से बनाया गया एक शीर्षस्थ निकाय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एन सी एस टी सी अपनी गतिविधियां राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों तथा गैर सरकारी संगठनों के जरिए चलाता है। एन सी एस टी सी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तरीके से आवंटन नहीं करता है। यह गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य परिषदों को परियोजनाओं के आधार पर फंड देता है। ध्यानपूर्वक की गई मानीटरिंग, व्यक्तिगत दौरों, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखा रिपोर्टों के जरिए इस किस्म के निधियन पर नज़र रखी जाती है। एन सी एस टी सी की गतिविधियों के दायरे में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र आते हैं। अतएव केवल ग्रामीण क्षेत्र में इसकी गतिविधियों के लिए किए जाने वाले विशिष्ट आवंटनों को बता पाना संभव नहीं है।

एन सी एस टी सी की गतिविधियों, जिसमें विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिकों की सहभागिता होती है, की हाल ही में पुनरीक्षा की गई थी तथा यह महसूस किया गया कि समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वृहत्तर जागरूकता पैदा हुई है।

विश्व बैंक सहायता

***76. श्री येल्लैया नंदी :**

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विद्युत क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए सुधारों को बिना शर्त लागू करने का वचन दिया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को ऋण पैकेज उपलब्ध कराने हेतु क्या मुख्य शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को उपर्युक्त शर्तों पर विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की अनुमति दे दी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। विश्व बैंक इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) से (ङ). सभी प्रकार की शर्तों तथा प्रतिबंधों का ब्यौरा विचार-विमर्श, जो कि अभी प्राथमिक अवस्था में है, पूरा हो जाने के पश्चात् ही मालूम हो जाएगा। इसके पश्चात् ही केन्द्र सरकार भी उसके बारे में कोई राय प्रकट कर सकेगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

***77. श्री शिवराज सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन शर्तों पर पेट्रोलियम पदार्थों तथा प्राकृतिक गैस का आयात करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार इन पदार्थों का आयात करने हेतु कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों को किन शर्तों पर सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) सरकार ने किन मानदंडों के तहत इन कंपनियों को उक्त पदार्थ बेचने की अनुमति प्रदान की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) भारत में कच्चे तेल और पेट्रोलियम

उत्पादों का आयात सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निर्यात-आयात नीति द्वारा शासित होता है। वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कच्चे तेल और निम्नलिखित प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की नियंत्रक एजेंसी है।

— विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ)

— मोटर स्पिरिट

— बिटुमेन (आस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड।

— भट्टी तेल (निम्न सल्फर भारी स्टाक) निम्न सल्फर मोमी अवशेष के अतिरिक्त

— हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)

— ए टी एफ, बिटुमेन (आस्फाल्ट)

पेविंग ग्रेड और भट्टी तेल (निम्न सल्फर भारी स्टॉक/निम्न सल्फर मोमी अवशेष के अतिरिक्त) का भी विशेष आयात लाइसेंस के आधार पर आयात किया जा सकता है। विशेष आयात लाइसेंस पर उपभोक्ता पैकटों में 20 लीटर/20 कि॰ ग्रा॰ तक के स्नेहकों/ग्रीसों के आयात की भी अनुमति है।

हाल में नाफ्था का आयात, निर्यात आयात नीति में आयातों के लिए प्रतिबंधित मदों की सूची में शामिल है तथा इसके आयात की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन पेट्रो-रसायन क्षेत्र के लिए आयात लाइसेंस के बिना है कि नाफ्था का रिटर्न स्ट्रीम वाणिज्यिक शर्तों पर कच्चे तेल की रिफाइनरी को बेचा जाए अथवा इसका उपयोग आयातक द्वारा अपनी स्वयं की खपत के लिए औद्योगिक फीडस्टाक के रूप में किया जाए।

एसकेओ और एलपीजी का आयात नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एसकेओ का आयात और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा वितरण के लिए एलपीजी का आयात शक्ति प्रदत्त स्थाई समिति के अनुमोदन से आईओसी द्वारा प्रशासित मूल्य पद्धति के अन्तर्गत किया जाता रहेगा।

निर्यात-आयात नीति की नियंत्रित मदों/प्रतिबंधित मदों (विशेष आयात लाइसेंसों पर) की सूची में शामिल नहीं किए गए पेट्रोलियम उत्पादों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए तेल कंपनियों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

फिलहाल प्राकृतिक गैस का आयात नहीं किया जा रहा है।

(घ) पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी, मिट्टी तेल, बिटुमेन, भट्टी तेल, नाफ्था, एलएसएचएस की बिक्री सरकारी तेल कंपनियों द्वारा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति के अन्तर्गत की जाती है। आर पी सी, सी पी सी, सी बी एफ एस, स्नेहकों आदि जैसे मुक्त व्यापार उत्पादों की बिक्री कंपनियों द्वारा उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाती है।

[अनुवाद]

उत्तरी ग्रिड

***78. श्री तारीक अनवर :**

श्री के॰ प्रधानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तरी ग्रिड में हुई भारी गड़बड़ी के कारण दिल्ली सहित सात उत्तरी राज्यों में की गई लोड शेडिंग के संबंध में कोई उच्चस्तरीय जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत मंत्रालय ने ग्रिड में बार-बार होने वाली गड़बड़ी की जांच करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत ग्रिड, विद्युत बोर्ड, तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्षों तथा उत्तरी राज्यों के विद्युत सचिवों और अध्यक्षों की कोई उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई थी;

(च) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(छ) क्या गत तीन महीनों के दौरान देश भर में विद्युत की अत्यधिक कमी की स्थिति बनी रही; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) उत्तरी ग्रिड में बार-बार होने वाली गड़बड़ी के कारणों का विश्लेषण करने तथा ऐसी गड़बड़ियां बार-बार होने से रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु विद्युत मंत्रालय ने सदस्य (ग्रिड एवं प्रचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में 20 दिसम्बर, 1996 को एक समिति गठित की थी। दादरी काम्प्लेक्स में बार-बार होने वाली ट्रिपिंग के कारणों की जांच करने के लिए 4 जनवरी, 1997 को श्री कृष्ण स्वरूप, पूर्व अध्यक्ष के॰ वि॰ प्रा॰ की अध्यक्षता में एक दूसरी विशेष समिति गठित की गई थी।

(ङ) और (च) 20 दिसम्बर, 1996 को हुई ग्रिड संबंधी गड़बड़ी के पश्चात् सचिव (विद्युत) ने 22 दिसम्बर, 1996 को एक उच्चस्तरीय संवीक्षा संबंधी बैठक आयोजित की थी, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सके। इसमें लिए गए निर्णयों के आधार पर एक कार्ययोजना तैयार की गई थी जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल की गईं :—

1. बेहतर फ्रीकवैंसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बड़ी विद्युत उत्पादन यूनिटों पर प्रचालन की स्वतंत्र नियामक प्रणाली का सहारा लिया जाएगा।
2. सभी घटक राज्यों को अपनी हकदारी में बराबर विद्युत का आहरण सीमित करके ग्रिड संबंधी अनुशासन का अनुसरण करना होगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रणाली

के प्रचालन का फ्रीक्वेंसी स्तर 49.0 हर्ट्ज से कम न हो।

3. सभी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जून, 97 तक कम फ्रीक्वेंशी पर प्रचालन कार्य आरंभ करने होंगे।

4. संधारित्र अधिष्ठापन कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया जाना।

5. रा॰ बि॰ बो॰ द्वारा विद्यमान संधारित्रों के कार्यकरण की मानीटरिंग की जानी होगी।

6. अनुरक्षण संबंधी क्रियाकलापों को महत्त्व व प्राथमिकता दिया जाना।

7. उपस्करों के अनुसरण कार्यों के लिए एनटीपीसी तथा पावरग्रिड द्वारा प्राथमिकता प्रदान किया जाना।

8. ब्लैक स्टार्ट के मामले में स्टार्ट अप-पावर के लिए सुविधाएं तैयारी की अवस्था में रखी जानी होगी तथा आवधिक तौर पर इनकी मानीटरिंग की जाए।

9. ग्रिड के क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में पश्चिमी क्षेत्र से उत्तरी ग्रिड तथा विलोमत: विद्युत का आयात किया जाना आसान बनाने के लिए पावरग्रिड को विन्ध्याचल एचवीडीसी बैक-टू-बैक केन्द्र पर बाई पास व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।

(छ) और (ज). नवंबर व दिसंबर, 96 तथा जनवरी 97 के तीन महीनों की अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

नवंबर व दिसंबर, 1996 तथा जनवरी, 1997 में तीन महीने की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा की राज्यवार कमी

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	ऊर्जा की कमी (%)		
	नवंबर, 96	दिसंबर, 96	जनवरी, 97
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
चंडीगढ़	0.0	1.4	0.0
दिल्ली	1.7	4.0	6.6
हरियाणा	3.1	9.9	22.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	5.6	3.5
जम्मू और कश्मीर	14.6	22.8	22.4
पंजाब	0.5	3.2	1.2
राजस्थान	3.5	18.1	20.2
उत्तर प्रदेश	14.1	16.5	16.1
उ॰ क्षे॰	7.0	12.5	14.1
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	8.1	7.7	7.2
मध्य प्रदेश	8.7	11.3	15.3
महाराष्ट्र	6.0	6.5	7.0
गोवा	0.0	0.0	0.0
प॰ क्षे॰	7.2	8.0	9.3
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	15.3	16.0	17.1
कर्नाटक	24.3	24.1	25.6
केरल	19.4	21.9	20.2
तमिलनाडु	11.7	13.1	12.9
द॰ क्षे॰	16.6	17.5	18.0
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	24.1	23.6	29.0
डीवीसी	1.8	2.7	3.3
उड़ीसा	2.8	1.0	2.8
पश्चिम बंगाल	5.6	5.6	4.4
पू॰ क्षे॰	8.3	7.8	9.1
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	49.6	48.5	46.7
असम	6.7	12.7	6.5
मणिपुर	1.5	1.4	11.5
मेघालय	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	2.0	7.3	26.2
नागालैंड	7.0	3.2	20.6
त्रिपुरा	22.3	29.6	25.6
उ॰ पू॰ क्षे॰	8.5	12.8	11.0
अखिल भारत	9.8	11.8	13.0

विवरण-II

नवंबर व दिसंबर, 1996 तथा जनवरी, 1997 के तीन महीनों की अवधि के दौरान देश में व्यस्ततमकालीन कमी

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	व्यस्ततमकालीन कमी (%)		
	नवंबर, 96	दिसंबर, 96	जनवरी, 97
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	6.9	2.3	7.0
हरियाणा	10.1	11.6	15.9
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.4	1.9
जम्मू और कश्मीर	14.1	19.1	17.1
पंजाब	3.2	3.3	0.2
राजस्थान	6.6	13.1	10.1
उत्तर प्रदेश	14.5	25.0	20.0
उ॰ क्षे॰	11.3	17.3	16.9

1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	18.6	17.9	15.8
मध्य प्रदेश	17.2	29.1	27.6
महाराष्ट्र	9.4	9.0	8.7
गोवा	0.0	0.0	0.0
प॰ क्षे॰	15.4	17.1	15.7
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	13.0	13.1	14.9
कर्नाटक	21.0	21.7	26.3
केरल	21.4	18.6	24.0
तमिलनाडु	9.4	18.7	10.3
द॰ क्षे॰	14.7	15.1	17.4
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	42.3	45.2	46.5
डीवीसी	23.4	23.1	18.2
उड़ीसा	14.1	14.2	12.0
पश्चिम बंगाल	10.6	8.9	7.7
पू॰ क्षे॰	21.7	19.4	20.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	21.6	13.0	13.0
असम	0.0	8.0	5.5
मणिपुर	22.9	21.8	25.6
मेघालय	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.0	0.0	4.2
नागालैंड	0.0	0.0	7.1
त्रिपुरा	11.3	18.3	19.5
उ॰ पू॰ क्षे॰	6.0	8.7	8.3
अखिल भारत	14.8	16.9	17.0

आधारभूत सुविधाएं

***79. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी :**

श्री सनत मेहता :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों सैक्टरों के विद्युत क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के लिए निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में विद्युत क्षेत्र नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हों, ऐसे संसाधनों का उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार समझौता ज्ञापन/आशय पत्र आदि पर 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां समेत निजी प्रवर्तकों से विदेशी मुद्रा निवेश के 56 प्रस्ताव विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं की क्षमता, अंतरिम लागत तथा कंपनी का नाम दर्शाने वाले राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में यथा अपेक्षित तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्तावों की जांच करते समय परियोजना की अनिवार्यता टेरिफ की उपयुक्तता तथा संयंत्र में प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपस्कर की किस्म पर भी विचार करता है।

विवरण

निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा व्यक्त रुचि के अनंतिम ब्यौरे

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे॰ वा॰)	अनंतिम लागत (करोड़ रु॰ में)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	गोदावरी जीबीटीपी	विदेशी/भारतीय जेवी	208 मे॰ वा॰	778.000	स्पैक्ट्रम टैक्नालाजी/जया फूड्स एंड एनटीपीसी
2.	जेगुरूपाडु जीबीपीपी	विदेशी/भारतीय जेवी	216 मे॰ वा॰	816.000	जीवीके इंडस्ट्रीज लि॰, यू॰ एस॰ ए॰
3.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीएस	विदेशी	500 मे॰ वा॰	1720.000	बेसीकोर्प इंटरनेशनल पावर, यूएसए
4.	विशाखापट्टनम टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 520 मे॰ वा॰	4297.810	मै॰ हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड यू॰ के॰
			1964.00	7611.810	

1	2	3	4	5	6
बिहार					
5.	जोजोबेरा	विदेशी/भारतीयजेवी	3 × 67.5 मे॰ वा॰	981.000	टाटा स्टील/मिशन एनर्जी यूएसए
	जोड़	1			
			202.50	981.0001	
दिल्ली					
6.	बवाना जीबीपीपी	विदेशी	800 मे॰ वा॰	2000.000	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
7.	नई दिल्ली टीपीएस	विदेशी/भारतीय	300 मे॰ वा॰	1615.450	अपोलो एनर्जी क॰ लि॰
	जोड़	2	1100.00	3615.450	
गुजरात					
8.	हजीरा सीसीपीपी	विदेशी/भारतीय-जेवी	1 × 516 मे॰ वा॰	1745.000	मै॰ एस्सार पावर लि॰, मारीशस
9.	जाम नगर	विदेशी	2 × 250 मे॰ वा॰	2075.290	रिलायंस पावर लि॰
10.	पगुथन जीबीपीपी	विदेशी भारतीय-जेवी	655 मे॰ वा॰	2298.140	गुजरात टोरेंट एनर्जी कार्पोरेशन लि॰/सीमेंस, जर्मनी
	जोड़	3			
			1670	6118.430	
हिमाचल प्रदेश					
11.	धरमवड़ी एचईपी	विदेशी	70 मे॰ वा॰	385.000	मै॰ धरमवड़ी पावर कं॰ यूएसए
12.	हिबरा एचईपी	विदेशी	231 मे॰ वा॰	708.500	हजीरा इंजीनियरिंग कंपनी यू॰ एस॰ ए॰
	जोड़	2			
			301.00	1093.500	
कर्नाटक					
13.	अलमट्टी एन॰ धनमाकल	विदेशी	1107 मे॰ वा॰	3600.000	मै॰ चामुंडी पावर क॰ लि॰ यूएसए
14.	अंकोला कोमटा (होस्पेट)	विदेशी/भारतीय-जेवी	2 × 250 मे॰ वा॰	528.900	डेक्कन पावर कार्पो॰ लि॰, यू॰ एस॰ ए॰
15.	बंगलौर	विदेशी	500 मे॰ वा॰	1750.000*	एनआरआई कैपिटल कार्पोरेशन यू॰ एस॰ ए॰
16.	बंगलौर सीसीपीपी	विदेशी/भारतीय-जेवी	100 मे॰ वा॰	405.930	मै॰ पीन्या पावर कं॰ लि॰ यू॰ एस॰ ए॰
17.	धारवाड़ टीपीएस	विदेशी	300 मे॰ वा॰	1050.000*	चलाइस होल्डिंग यू॰ के॰
18.	मंगलौर टीपीएस	विदेशी	4 × 250 मे॰ वा॰	3654.000	मंगलौर पावर क॰ लि॰ (मै॰ कोजेंट्रिक्स इंक यूएसए द्वारा प्रवर्तित)
19.	नंजनगुडवा	विदेशी/भारतीय-जेवी	110 मे॰ वा॰	385.000*	इंडिपेंडेंट पावर सर्विस कंपनी यू॰ एस॰ ए॰
20.	तोरांगल्लु	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 130 मे॰ वा॰	839.000	जिन्दल/टैक्टेबल पावर कं॰ लिमिटेड, बैल्जियम
	जोड़	8			
			3877.00	12212.830	

1	2	3	4	5	6
केरल					
21.	कसरगोड	विदेशी/भारतीय-जेवी	500 मे॰ वा॰	1701.000	फिलोलेक्स एनर्जी का॰ लि॰ यू॰ के॰/यू॰ एस॰ ए॰
22.	कसरगोड टीपीसी	विदेशी/भारतीय-जेवी	2 × 389 मे॰ वा॰	2300.000	मै॰ कसरगोड पावर कार्पोरेशन लि॰
23.	पालाकाड़	विदेशी	344 मे॰ वा॰	1163.900	पालाकाड पावर जैनरेटिंग कं॰/इनसर्च इंट लिंक यू॰ एस॰ ए॰
24.	वाइपिन	विदेशी	650 मे॰ वा॰	1915.560	सियासिन एनर्जी प्र॰ लि॰ यू॰ एस॰ ए॰
	जोड़	4	2272.00	7080.460	
मध्य प्रदेश					
25.	बंदेर द्वि-ईंधन टीपीएस	विदेशी/भारतीय-जेवी	330 मे॰ वा॰	1163.530	एस॰ आर॰ इन॰ लि॰ बम्बई मै॰ सीआईपीएल, मारीशस
26.	भिलाई टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 250 मे॰ वा॰	2339.400	सेल, एन एंड टी सीईए (यू॰एस॰ए॰) का संयुक्त उद्यम
27.	बीना टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	4 × 250 मे॰ वा॰	2520.360	मै॰ बीना पावर सप्लाई कं॰ लि॰ (मै॰ ग्रैसिम इंड लि॰ यू॰ के॰)
28.	गुना द्वि-ईंधन टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	3 × 110 + 1 × 110 मे॰ वा॰	1160.000	मै॰ एस॰ टी॰ आई॰ इंदौर यू॰एस॰ए॰
29.	ग्वालियर-2 (डीजल) पीपी	विदेशी/भारतीय जेवी	8 × 15 मे॰ वा॰	464.990	मै॰ ग्वालियर पावर कं॰ लि॰ (वार्टसिला डीजल, फिनलैंड)
30.	झाबुआ	विदेशी/भारतीय जेवी	330 मे॰ वा॰	1193.000	मै॰ के॰ डी॰ आर॰ डोस्टेलेबर्स लिमिटेड
31.	पूर्वा ईस्ट टीपीएस	विदेशी	2 × 535मे॰ वा॰	4353.260	देवो कार्पोरेशन, साउथ कोरिया
32.	महेश्वर एचईपी	विदेशी	10 × 40 मे॰ वा॰	1500.000	मै॰ श्री महेश्वर हाइटल पावर कार्पोरेशन लि॰, यू॰ एस॰ ए॰
33.	नरसिंगपुर	विदेशी/भारतीय जेवी	150 मे॰ वा॰	538.400	मै॰ ग्लोबल बोइर्स लि॰ यू॰एस॰ए॰
34.	पेंच टीपीएस	विदेशी	2 × 262.5 मे॰ वा॰	2228.000	सोरोस फंड, मैनेज, यू॰एस॰ए॰
	जोड़	10	4755.00	17460.940	
महाराष्ट्र					
35.	भद्रावती टीपीएस चरण-I	विदेशी	2 × 536 मे॰ वा॰	5187.000	इस्पात एलॉय लि॰/इसीजीडी यू॰ के॰
36.	डाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	विदेशी	2015 मे॰ वा॰	9051.270	एनरॉन डेव॰ का॰, जीई॰ एंड बैकटेल, यू॰ एस॰ ए॰
37.	खापरखेड़ा यूनिट-3-4	विदेशी/भारतीय-जेवी	2 × 250 मे॰ वा॰	1750.000	मै॰ बल्लारपुर इंड लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
38.	पातालगंगा जीबीपीपी	विदेशी	410 मे. वा.	1435.000	रिलायंस इंड. लि.
	जोड़	4			
			3997.00	17423.270	
उड़ीसा					
39.	बोमलाई टीपीएस	विदेशी	500 मे. वा.	2361.800	गैलेक्सी पावर कं., यूएसए एंड इंडेक ऑफ शिकागो
40.	डुबुरी टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 250 मे. वा.	1548.000	कलिंग पावर कार्पोरेशन (एन. ई. पावर यू. एस. ए.)
41.	हिरमा टीपीएस चरण-I	विदेशी	6 × 660 मे. वा.	14033.000	मै. सीपा हांगकांग
42.	इब वैली टीपीएस यूनिट-3-4	विदेशी	420 मे. वा.	1993.630	इब वैली कार्पो., यू. एस. ए.
43.	लापांग टीपीएस	विदेशी	500 मे. वा.	1900.000	सामलाई पावर (लापांग) कंपनी लि., यू. एस. ए.
	जोड़	5			
			5880.00	21836.430	
तमिलनाडु					
44.	बेसिन ब्रिज चरण-2	विदेशी	4 ×50 मे. वा.	757.100	जीएमआर वासवी पावर कार्पोरेशन लि.
45.	कूडालोर टीपीएस	विदेशी	2 × 660 मे. वा.	6495.000	कुडालोर पावर कं. लि.
46.	जयामकोंडम लिग्नाइट पी टी	विदेशी	1500 मे. वा.	5250.000*	मै. जयमकोंडम लिग्नाइट पावर कार्पो. लि. जर्मनी
47.	उ. मद्रास-2	विदेशी/भारतीय	2 × 525 मे. वा.	4207.280	वीडियोकोन पावर लि./ एडीसन मिशन एनजी, यू.एस.ए.
48.	पेलाई पेरू मल्लेनुर	विदेशी/भारतीय जेवी	330.5 मे. वा.	1121.700	रेड्डी ग्रुप, डायना विजन/जे माकोस्की/पी. विजय कुमार रेड्डी
49.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	विदेशी	250 मे. वा.	1200.000	एचटी पावर सिस्टम इंक यूएसए
	जोड़	6	4650.50	19031.080	
उत्तर प्रदेश					
50.	अनपारा सी	विदेशी	1000 मे. वा.	3500.000	मै. हंडाई हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. कोरिया
51.	जवाहरपुर टीपीएस	विदेशी	800 मे. वा.	2896.000	पैसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेव. का. कनाडा
52.	प्रतापपुर	विदेशी	2000 मे. वा.	7000.000	मै. आईएसएन, इंटरनेशनल, यू.एस.ए.
53.	रोजा अटीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 283.5 मे. वा.	2587.470	इंडो-गल्फ फर्टीलाइजर एंड कैमिकल्स एंड पावर जेन, पीएलसी, यू. के.
	जोड़	4	4367.00	15983.470	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल					
54.	बालागढ़ टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 250 मे॰ वा॰	2234.690	बालागढ़ पावर कं॰ लि॰, (सीएसई/एडीबी/टीएफसी) यू॰ एस॰ ए॰
55.	गौरीपुर टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 75 मे॰ वा॰	680.620	गौरपुर पावर कंपनी लि॰, कलकत्ता
56.	सागरडिह टीपीएस	विदेशी/भारतीय जेवी	2 × 500 मे॰ वा॰	3677.000	डीसीएल कुल्जियम कार्पो॰ सीएमएस जेनरेशन यू॰ एस॰ ए॰
	जोड़	3	1650.00	6592.310	
	कुल जोड़	56	36686.00	137040.980	

*जहां पर राज्य/प्रवर्तक ने आंतरिक लागत अनुमान नहीं दिया वहां 3.5 करोड़ रुपए/मे॰ वा॰ को पूंजीगत लागत मान लिया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि

***80. श्री नन्द कुमार साय :**

श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उपरोक्त धनराशि का राज्यवार किन-किन परियोजनाओं में उपयोग किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं से लाभान्वित हुए पद दलित, जनजातीय और सर्वाधिक पिछड़े लोगों की राज्य-वार प्रतिशतता क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) से (ग) केवल पिछड़े क्षेत्रों/आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दस लाख कुंओं की योजना और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों को शामिल करने के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हाल ही में इन वर्गों के लिए ग्रामीण महिला और बाल विकास योजना (डवाकरा), उन्नत औजार किटों के कार्यक्रम और हाल में शुरू की गई गंगा कल्याण योजना में भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की गई थी। तभी से गहन जवाहर रोजगार योजना का सुनिश्चित रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है।

गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित/उपयोग की गई धनराशि विवरण-I में दी गई है। विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अंश विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित राशि और उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित राशि			उपयोग की गई राशि					
					1993-94		1994-95		1995-96	
		1993-94	1994-95	1995-96	(आई.जे. आर.वाई.)	(ई.ए.एस.)	(आई.जे. आर.वाई.)	(ई.ए.एस.)	(आई.जे. आर.वाई.)	(ई.ए.एस.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	62.44	62.44	31.14	42.47	25.66	78.97	137.87	28.51	122.50
2.	असम	—	—	—	—	9.63	—	41.15	—	98.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	बिहार	172.31	172.31	118.15	80.79	16.08	128.42	96.40	118.57	129.01
4.	गुजरात	38.88	38.88	19.39	11.82	1.46	34.80	18.10	14.86	57.52
5.	हरियाणा	—	—	—	—	9.94	—	29.02	—	38.15
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.02	—	1.15	—	4.56
7.	जम्मू व कश्मीर	8.54	8.54	4.26	1.48	1.34	9.81	23.39	2.40	67.15
8.	कर्नाटक	47.15	47.15	23.53	16.91	6.78	54.14	80.24	29.22	121.45
9.	केरल	—	—	—	—	1.71	—	19.01	—	22.42
10.	मध्य प्रदेश	152.44	152.44	75.95	39.18	25.03	192.69	179.59	75.88	229.52
11.	महाराष्ट्र	102.18	102.18	50.78	13.89	4.30	108.33	76.17	38.54	102.95
12.	मणिपुर	—	—	—	—	1.17	—	13.28	—	13.37
13.	मेघालय	—	—	—	—	0.00	—	0.66	—	4.99
14.	नागालैंड	—	—	—	—	9.75	—	11.25	—	18.01
15.	उड़ीसा	71.44	71.44	39.79	19.11	12.80	68.03	116.56	39.88	131.34
16.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	राजस्थान	45.69	45.69	22.71	16.29	9.27	59.57	108.76	17.73	147.70
18.	सिक्किम	—	—	—	—	0.20	—	2.43	—	7.78
19.	तमिलनाडु	32.55	32.55	23.59	7.94	3.19	43.40	44.09	30.51	75.81
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	6.59	—	23.76	—	20.86
21.	उत्तर प्रदेश	83.35	83.35	52.40	19.80	6.48	79.57	89.08	63.94	13732
22.	पश्चिम बंगाल	61.25	61.25	38.33	18.84	26.21	50.76	92.21	43.78	99.29
	संघ राज्य क्षेत्र									
23.	अंडमान व नि० द्वीप समूह	—	—	—	—	0.02	—	0.42	—	0.10
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	1.36	—	8.63	—	19.57
25.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	0.02	—	0.03	—	0.20
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दमन व दीव	—	—	—	—	0.00	—	0.03	—	0.13
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	0.00	—	0.1	—	0.44
30.	मिजोरम	—	—	—	—	4.71	—	22.06	—	20.24
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल									

विवरण-II

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत

		1993-94				1994-95				1996-97			
		आई जे आर वाई	ई ए एस	आई जे आर वाई	ई ए एस	आई जे आर वाई	ई ए एस	आई जे आर वाई	ई ए एस	आई जे आर वाई	ई ए एस	आई जे आर वाई	ई ए एस
		अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.
1.	आंध्र प्रदेश	23.36	32.16	असूचित	असूचित	13.94	20.90	30.29	29.32	17.15	21.78	21.94	35.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	असूचित	असूचित	—	—	36.58	20.48	—	—	33.59	17.95
3.	असम	20.14	40.42	असूचित	असूचित	25.15	37.47	42.49	26.13	18.36	41.04	33.95	31.09
4.	बिहार	67.18	12.45	72.00	5.78	62.70	12.96	47.50	17.33	70.58	6.99	44.71	15.38
5.	गोवा	—	—	0.00	72.63	—	—	0.00	67.98	—	—	0.00	68.72
6.	गुजरात	—	—	100.00	0.00	—	—	70.00	30.00	—	—	43.00	34.55
7.	हरियाणा	5.26	18.42	8.96	13.29	0.00	0.00	असूचित	असूचित	0.00	0.00	असूचित	असूचित
8.	हिमाचल प्रदेश	6.72	20.46	10.18	23.29	10.08	24.44	9.68	25.55	10.17	26.86	9.77	26.88
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	19.62	28.08	—	—	18.67	26.16	—	—	13.86	27.07
10.	कर्नाटक	43.32	21.12	54.45	18.10	44.59	19.15	53.68	16.04	44.72	19.65	48.29	22.17
11.	केरल	31.73	22.44	25.44	22.90	24.09	26.15	25.35	22.43	26.14	26.21	25.12	25.34
12.	मध्य प्रदेश	—	—	असूचित	असूचित	—	—	असूचित	असूचित	—	—	100.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	—	—	0.00	0.00	—	—	88.49	2.16	—	—	79.64	0.24
14.	मणिपुर	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00
15.	मेघालय	41.72	26.70	52.82	21.35	42.67	27.42	51.16	21.77	32.14	33.79	50.62	23.52
16.	मिजोरम												
17.	नागालैंड	57.83	12.83	34.30	27.04	46.71	16.95	8.00	31.01	40.28	19.47	24.30	33.14
18.	उड़ीसा	—	—	24.39	13.41	—	—	32.00	15.53	—	—	30.42	10.93
19.	पंजाब	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	21.05	42.77	15.17	37.74	2.26	48.99	10.17	44.99
20.	राजस्थान	—	—	44.49	21.56	—	—	43.24	20.56	—	—	459.95	17.87
21.	सिक्किम	0.88	47.48	असूचित	असूचित	1.14	44.67	3.30	40.02	0.80	55.09	1.67	49.74
22.	तमिलनाडु	20.63	45.30	असूचित	असूचित	16.88	52.22	23.41	37.45	16.26	41.35	20.29	36.31
23.	त्रिपुरा	—	—	असूचित	असूचित	—	—	89.47	0.00	—	—	81.82	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	91.18	0.00	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	अ. नि. द्वीप समूह	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दमन व द्वीव	—	—	0.00	0.00	—	—	83.33	8.33	—	—	2.78.	0.00
29.	लक्षद्वीप	—	—	0.00	0.00	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00
30.	पांडिचेरी	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00	—	—	100.00	0.00
	कुल :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

एन. आर. = असूचित

आई. जे. आर. वाई. = गहन जवाहर रोजगार योजना

ई. ए. एस. = सुनिश्चित रोजगार योजना

विवरण-III

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार में अनु॰ जाति/अनु॰ जन जाति तथा अन्य लोगों का प्रतिशत अंश

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		अनु॰ जाति	अनु॰ जन जाति	अन्य	अनु॰ जाति	अनु॰ जन जाति	अन्य	अनु॰ जाति	अनु॰ जन जाति	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	33.75	15.96	50.28	29.64	15.31	55.05	27.60	16.50	55.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3.	असम	14.98	38.87	46.15	18.34	28.12	53.53	18.32	30.81	50.87
4.	बिहार	40.81	23.30	35.89	38.35	24.95	36.70	40.27	22.16	37.57
5.	गोआ	1.99	0.00	98.01	1.55	0.00	98.45	2.63	0.00	97.37
6.	गुजरात	17.59	45.81	36.59	14.84	51.67	33.50	13.99	51.25	34.76
7.	हरियाणा	60.29	0.00	39.71	61.28	0.00	38.72	61.58	0.00	38.42
8.	हिमाचल प्रदेश	46.32	5.59	48.09	45.13	7.69	47.18	45.45	11.05	43.50
9.	जम्मू कश्मीर	22.90	20.54	56.56	18.35	21.00	60.65	21.67	19.98	58.21
10.	कर्नाटक	31.52	8.93	59.55	29.67	11.04	59.29	28.77	12.29	58.94
11.	केरल	34.59	6.10	59.25	33.92	4.59	61.49	33.71	5.00	61.29
12.	मध्य प्रदेश	27.07	38.42	34.51	26.22	40.46	33.32	24.14	41.43	34.43
13.	महाराष्ट्र	25.19	23.47	51.34	27.24	25.04	47.72	26.61	23.35	50.03
14.	मणिपुर	1.50	81.89	16.62	3.63	73.60	22.77	5.89	66.92	27.19
15.	मेघालय	0.73	98.32	0.94	4.24	94.71	1.06	0.00	100.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
18.	उड़ीसा	29.21	38.02	32.78	29.48	38.32	32.19	30.26	37.28	32.46
19.	पंजाब	76.30	0.00	23.70	81.12	0.00	18.88	25.78	0.00	74.22
20.	राजस्थान	39.67	29.41	30.92	37.49	27.21	35.30	38.19	25.80	36.01
21.	सिक्किम	19.13	37.38	43.49	16.07	42.39	41.54	14.99	44.98	40.02
22.	तमिलनाडु	50.12	1.63	48.26	47.57	3.08	49.35	52.24	3.18	44.58
23.	त्रिपुरा	21.19	45.19	33.62	20.92	45.35	33.74	17.25	48.24	34.51
24.	उत्तर प्रदेश	55.27	0.69	44.04	55.87	0.80	43.33	58.41	0.99	40.60
25.	पश्चिम बंगाल	34.22	15.40	50.38	35.36	13.78	50.87	35.91	14.18	49.91
26.	अंडमान निकोबार	0.00	32.04	67.96	0.00	32.82	67.18	0.00	32.82	67.18
27.	दादर व नगर हवेली	1.71	98.29	0.00	0.00	99.52	.048	0.00	100.00	0.00
28.	दमन व द्वीप	3.39	91.53	5.08	9.09	72.73	18.18	3.60	76.58	19.82
29.	लक्ष द्वीप	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
30.	पांडिचेरी	40.98	0.00	59.02	41.95	0.00	58.05	47.10	0.00	52.90
	कुल	37.62	18.37	44.01	36.61	18.97	44.42	37.90	18.39	43.72

विवरण-IV

1993-94 से 1995-96 के दौरान दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत निर्मित कुएं

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत 93-94	94-95	95-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	एन आर	एन आर
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	100.00	100.00
3.	असम	100.00	एन आर	40.6
4.	बिहार	एन आर	एन आर	83.7
5.	गोआ	एन ए	एन ए	एन ए
6.	गुजरात	100.00	93.2	87.0
7.	हरियाणा	84.9	68.4	85.0
8.	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00	63.7
9.	जम्मू कश्मीर	100.00	100.00	100.0
10.	कर्नाटक	100.00	100.00	86.4
11.	केरल	100.00	एन आर	88.8
12.	मध्य प्रदेश	100.00	एन आर	66.1
13.	महाराष्ट्र	100.00	एन आर	60.1
14.	मणिपुर	100.00	100.00	95.9
15.	मेघालय	100.00	100.00	100.00
16.	मिजोरम	100.00	100.00	100.00
17.	नागालैंड	100.00	100.00	एन ए
18.	उड़ीसा	100.00	91.6	88.9
19.	पंजाब	एन ए	एन ए	एन ए
20.	राजस्थान	100.00	100.00	100.00
21.	सिक्किम	100.00	100.00	100.00
22.	तमिलनाडु	100.00	66.2	एन आर
23.	त्रिपुरा	65.7	62.6	73.5
24.	उत्तर प्रदेश	100.00	100.00	81.5
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	100.00	66.3
26.	अंडमान निकोबार	100.00	100.00	100.00
27.	दादर व नगर हवेली	100.00	100.00	100.00
28.	दमन व द्वीप	एन ए	एन ए	एन ए
29.	लक्ष द्वीप	एन ए	एन ए	एन ए
30.	पांडिचेरी	100.00	100.00	100.00
	कुल	72.2	33.6	65.9

एन ए—कुएं का निर्माण नहीं किया गया

एन आर—सूचना प्राप्त नहीं।

विवरण-V

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96	
		अनु० जाति के परिवारों का प्रतिशत	अनु० जनजाति के परिवारों का प्रतिशत	अनु० जा० के परिवारों का प्रतिशत	अनु० जनजाति के परिवारों का प्रतिशत	अनु० जाति के परिवारों का प्रतिशत	अनु० जनजाति के परिवारों का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	41.22	20.34	37.23	18.15	35.48	10.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	100.00	8.88	188.88	0.00	100.00
3.	असम	13.88	25.50	15.18	24.44	15.07	24.06
4.	बिहार	32.18	20.89	32.58	21.68	30.90	17.74
5.	गोआ	0.93	0.00	1.88	8.88	1.21	ई आर आर
6.	गुजरात	16.60	35.10	15.89	34.94	17.76	27.27
7.	हरियाणा	48.46	0.00	48.62	8.88	48.91	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	42.24	9.14	38.72	12.66	40.95	8.86
9.	जम्मू व कश्मीर	16.05	30.12	15.18	12.86	13.41	10.32
10.	कर्नाटक	30.99	6.73	30.98	7.58	30.21	7.54

1	2	3	4	5	6	7
11. केरल	46.44	3.67	42.98	3.23	40.36	2.91
12. मध्य प्रदेश	27.61	37.94	22.44	34.30	24.69	33.13
13. महाराष्ट्र	25.43	16.71	25.18	17.16	24.11	15.53
14. मणिपुर	1.18	65.15	1.59	75.35	1.27	69.48
15. मेघालय	0.68	99.32	1.63	98.37	0.33	99.67
16. मिजोरम	0.00	100.00	2.22	122.88	0.00	100.00
17. नागालैंड	0.00	125.66	2.88	188.88	0.00	100.00
18. उड़ीसा	27.21	31.40	25.61	29.74	25.54	29.70
19. पंजाब	52.87	0.00	52.67	8.88	53.34	0.00
20. राजस्थान	35.62	19.14	35.33	19.56	32.67	20.20
21. सिक्किम	5.25	38.51	6.89	41.38	5.38	38.34
22. तमिलनाडु	46.24	2.47	45.31	1.87	45.02	2.07
23. त्रिपुरा	16.64	32.12	17.19	34.63	16.04	36.34
24. उत्तर प्रदेश	52.56	0.56	51.28	8.88	51.46	0.93
25. पश्चिम बंगाल	35.17	5.70	34.27	6.78	34.37	6.06
26. अ० नि० द्वीप समूह	0.00	19.61	28.69	28.69	0.00	6.85
27. दादर व नगर हवेली	5.11	91.67	6.29	88.41	1.32	96.72
28. दमन व द्वीव	6.51	26.23	18.31	45.36	18.71	32.90
29. लक्षद्वीप	0.00	100.00	2.22	122.88	0.00	100.00
30. पांडिचेरी	36.11	0.00	13.16	2.22	35.51	2.56
कुल :	35.97	17.05	34.22	15.82	33.73	14.77

विवरण-VI

वर्ष 1993-94, 94-95 और 95-96 के दौरान ट्राईसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित अनु० जा०/अनु० जनजाति के युवाओं का प्रतिशत		
		93-94	94-95	95-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	44.7	29.1	42.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	76.9	44.2
3.	असम	37.4	37.6	34.2
4.	बिहार	47.4	46.7	49.2
5.	गोआ	100.0	26.2	0.7
6.	गुजरात	56.1	52.8	61.5
7.	हरियाणा	43.8	48.9	48.6
8.	हिमाचल प्रदेश	60.1	58.0	57.2
9.	जम्मू व कश्मीर	15.5	19.2	13.1
10.	कर्नाटक	35.8	38.7	39.5
11.	केरल	43.0	42.3	45.0
12.	मध्य प्रदेश	57.8	56.5	49.3
13.	महाराष्ट्र	54.8	44.3	19.6
14.	मणिपुर	58.7	84.8	0.0
15.	मेघालय	100.0	416.0	100.0
16.	मिजोरम	100.0	100.0	100.0
17.	नागालैंड	100.0	100.0	100.0
18.	उड़ीसा	48.1	52.1	57.4
19.	पंजाब	50.4	52.0	51.0
20.	राजस्थान	52.7	56.0	53.0
21.	सिक्किम	41.3	41.7	48.5
22.	तमिलनाडु	47.8	44.4	44 4

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	59.1	56.5	28.6
24.	उत्तर प्रदेश	42.8	48.4	53.7
25.	पश्चिम बंगाल	31.5	34.9	31.3
26.	अ० नि० द्वीप समूह	15.8	48.0	73.1
27.	दादर व नगर हवेली	33.3	0.7	0.0
28.	दमन व द्वीव	100.0	100.0	100.0
29.	लक्षद्वीप	100.0	0.0	0.0
30.	पांडिचेरी	9.2	38.8	30.7
	कुल	47.8	45.0	46.3

[अनुवाद]

यातायात

628. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में व्यस्त समय के दौरान यातायात में अड़चन पैदा करने वाले स्थानों की पहचान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों पर यातायात के सहज प्रवाह को बनाये रखने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली की यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली में व्यस्त समय के दौरान यातायात में अड़चन पैदा करने वाले विभिन्न स्थानों की पहचान की गयी है। इस संबंध में ब्यौरा तथा दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उठाये गये उपचारात्मक कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(I) दिल्ली में यातायात पुलिस द्वारा, व्यस्त समय के दौरान यातायात में अड़चन पैदा करने वाले स्थानों की पहचान

1. "ए" पोइंट (आई.टी.ओ. क्रासिंग)
2. "डब्ल्यू" पोइंट (मथुरा रोड़-सिकंदर रोड़ क्रासिंग)
3. "क्यू" पोइंट
4. शकरपुर क्रासिंग
5. सीलमपुर क्रासिंग
6. श्यामलाल कालेज क्रासिंग
7. आई.एस.बी.टी. चौक
8. आजादपुर मंदिर क्रासिंग
9. पंजाबी बाग क्रासिंग
10. राजा गार्डन चौक
11. मायापुरी चौक
12. लाजवंती गार्डन चौक
13. तिलक नगर का गोल चक्र
14. जिला केन्द्र, विकास पुरी मोड़
15. उत्तम नगर टर्मिनल क्रासिंग
16. मोती नगर क्रासिंग
17. पूसा गोल चक्कर
18. धौला कुआं गोल चक्कर
19. ए.आई.आई.एम.एस. क्रासिंग
20. एन्ड्रयूजगंज चौक
21. मूलचंद क्रासिंग
22. पारस सिनेमा चौक
23. टी पोइंट सावित्री सिनेमा
24. नोयडा मोड़ (एनएस-24)
25. आश्रम चौक
26. लाल किला क्रासिंग
27. राजघाट क्रासिंग
28. इन्द्रप्रस्थ फ्लाई ओवर क्रासिंग के नीचे
29. अजमेरी गेट चौक
30. पहाड़ गंज चौक
31. बाराखम्बा चौक
32. चांदनी चौक
33. सदर बाजार
34. आई.टी.ओ. व निजामुद्दीन पुल
35. पुराना यमुना पुल
36. टी पोइंट मदरसा
37. चिराग दिल्ली चौक
38. छट्टा रेल
39. दिल्ली गेट क्रासिंग
40. भजनपुरा चौक
41. मुकरबा चौक

(II) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम

1. अतिरिक्त मानव शक्ति का फैलाव
2. हस्त-प्रचालन के द्वारा यातायात का नियंत्रण

3. लेन अनुशासन पर बल
4. इन स्थानों पर विशेषकर व्यस्त समय के दौरान भारी/मध्यम/हल्के/सामान वाले वाहन या धीरे चलने वाले वाहन चलाने पर व्यापक रोक।
5. यातायात प्रबंध उपायों से परिचय जैसे घुमाव प्रवृति पर रोक, उल्टी गति यातायात, एकतरफा यातायात आदि।
6. विपथगामी चालकों पर दबाव और अभियोग में प्रभावशाली वृद्धि।
7. विभिन्न सड़क पर चलने वालों को सड़क सुरक्षा साहित्य का वितरण।
8. यातायात नियंत्रण उपकरणों से परिचय जैसे बोलार्ड, चैनलाइजर, आदि।

जलापूर्ति योजनाएं

629. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ शहरी जलापूर्ति योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान इन योजनाओं को लागू करने के लिए राजस्थान और अन्य राज्यों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने नौवी योजना के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी हां, 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम मार्च, 1994 से आरंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 1:1 के अनुपात में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

आठवीं योजनावधि के दौरान योजना के तहत अब तक कुल 182.23 करोड़ रु. की लागत से 218 कस्बों के लिए 218 जल आपूर्ति योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. वी. आर) अनुमोदित की गई है। अनुमोदित योजनाओं की संख्या तथा उनकी कुल परियोजना लागत के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल 68.49 करोड़ रु० के नियतन में से 4.45 करोड़ रु० राजस्थान के लिए नियत किए गए हैं। अन्य राज्यों को नियत निधियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राज्य सरकारों से नवीं योजना के लिए प्रस्ताव अब तक आमंत्रित नहीं किए गए हैं क्योंकि योजना आयोग द्वारा नवीं योजना के लिए नियतनों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	आठवीं योजना नियतन (रुपये लाखों में)	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	अनुमानित परियोजना लागत (रुपये लाखों में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	23.29	-	-
2.	असम	154.11	2	4232.55
3.	बिहार	363.02	4	315.82
4.	गोवा	45.21	1	51.13
5.	गुजरात	387.68	8	508.09
6.	हरियाणा	150.69	6	778.70
7.	हिमाचल प्रदेश	56.85	4	326.10
8.	जम्मू और कश्मीर	34.93	2	155.10
9.	कर्नाटक	467.13	8	475.70
10.	केरल	167.13	2	370.82
11.	मध्य प्रदेश	1084.94	51	3604.70
12.	महाराष्ट्र	458.91	10	1371.10
13.	मणिपुर	48.63	5	186.39
14.	मेघालय	8.90	1	195.63
15.	मिजोरम	25.34	1	46.48
16.	नागालैण्ड	12.33	-	-
17.	उड़ीसा	289.73	7	844.82
18.	पंजाब	158.22	3	319.89
19.	राजस्थान	445.21	18	1607.38
20.	सिक्किम्म	3.42	-	-
21.	तमिलनाडु	442.47	12	448.55
22.	त्रिपुरा	32.19	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	1756.19	69	5858.67
24.	पश्चिम बंगाल	232.88	3	325.88
	योग	6849.40	218	18223.50

केरल राज्य बिजली बोर्ड

630. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत आपूर्ति के स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी स्रोत पर विद्युत उत्पादन कम कर दिया गया है अथवा बढ़ा दिया गया है; और

(ग) विद्युत उत्पादन में यदि कोई कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) केरल अपनी विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से तथा क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से आहरण करके करता है। अप्रैल, 1996-जनवरी, 1997 के दौरान केरल में ऊर्जा का उत्पादन 4552 मिलियन यूनिट था तथा केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से उसके द्वारा 2778 मिलियन यूनिट आहरित किया गया जबकि वह केवल 2626.7 मिलियन यूनिट का हकदार था।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1996-जनवरी, 1997 के दौरान ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य व उसके समतुल्य वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अप्रैल, 96-जनवरी, 97 के दौरान ऊर्जा उत्पादन

केन्द्र का नाम	लक्ष्य (मि॰यू॰)	वास्तविक (मि॰यू॰)	%
इड्डिकी	2325	1892	81.4
सबरागिरि	1360	982	72.2
कुट्टियाडी	396	263	66.4
शोलायार	214	184	86.4
सेंगुलम	145	148	102.1

केरल में विद्युत उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण उसके जल विद्युत केन्द्रों के प्रमुख जलाशयों में पानी का अत:प्रवाह कम होना रहा है।

सिक्किम में पन विद्युत परियोजना की स्थापना

631. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिक्किम में एक बड़ी पन विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत क्षमता और स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) सिक्किम में दो जल विद्युत परियोजनाएं यथा रोथांगचू (3 × 10 मेगावाट) तथा रंगीत चरण-3 (3 × 20 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। इनका ब्यौरा निम्नवत् है :

परियोजना का नाम (क्षमता)	क्रियान्वयन एजेंसी	जिला	अनुमोदित लागत एवं मूल्य-स्तर (करोड़ रुपए)	चालू करने की संभावना
1. रंगीत चरण-3 (3 × 20 मेगावाट)	एनएचपीसी	पश्चिमी सिक्किम	163.49 रु॰ (उत्पादन भाग) (अगस्त, 89)	1998-99
2. रोथांगचू (3 × 10 मेगावाट)	राज्य	पश्चिमी सिक्किम	71.91 रु॰ (उत्पादन भाग) (अगस्त, 89)	2001-02

उपरोक्त के अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दो जल-विद्युत परियोजनाओं यथा तीस्ता (चरण-3) और तीस्ता (चरण-5) को सिद्धांत रूप में स्वीकृत कर दिया गया है।

के. वि. प्रा. द्वारा उत्तरी सिक्किम जिले में तीस्ता चरण-3 (6 × 200 मेगावाट) जल-विद्युत परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के अनुसार परियोजना की लागत 1305.77 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस परियोजना को अभी तक पर्यावरणीय और वन संबंधी दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार का प्रस्ताव इस परियोजना को निजी/संयुक्त क्षेत्र में प्रस्तुत करने का है। इस परियोजना को पूरा किए जाने का कार्यक्रम कार्य के आरंभ होने से आठ वर्ष है।

उत्तरी सिक्किम जिले में तीस्ता चरण-5 (3 × 170 मेगावाट) के के. वि. प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के अनुसार इसकी लागत 1925.44 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। परियोजना को अभी पर्यावरणीय और वन दृष्टिकोणों से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने विद्युत मंत्रालय से इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किए जाने का अनुरोध किया है। इस परियोजना के पूरा किए जाने का कार्यक्रम कार्य के आरंभ होने से आठ वर्ष है।

भूमि सुधार योजना

632. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों से पत्र

633. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **प्रधानमंत्री** संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान के बारे में 24 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1622 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अब तक वित्त, रेल, पशुपालन, नागरिक आपूर्ति, रक्षा मंत्रियों द्वारा प्राप्त पत्रों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने पत्र उत्तर देने के लिए अभी भी लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या उन मामलों में कार्यालय प्रक्रिया संहिता पैरा 57 के उपबन्धों को लागू किया गया है और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर शीघ्रता से नहीं देते हैं कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती तथा उनका अन्तिम उत्तर भेजने के लिये कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों का सावधानी से पालन करें। भेजे गए उत्तरों अथवा विभिन्न सरकारी कार्यालयों और मंत्रियों के कार्यालयों में उत्तर के लिए अभी तक लम्बित पड़े मामलों की गणना करने की कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है और इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि कितने मामलों में, संबंधित मंत्रियों को प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर देने अभी तक लम्बित पड़े हैं तथा क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

634. श्री राम नाईक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) परमाणु संयोजन की स्थिति में जनसंख्या के लिए व्यापक विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित किसी परियोजना पर काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "बार्क" ने किसी देश से इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है/प्राप्त करने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) इस प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित विषय पर कोई विशिष्ट परियोजना नहीं है। तथापि, विकिरण से बचाव के अभिलक्षण पर कुछ रासायनिक और भौतिकी कर्मकों द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

निराश्रयता

635. श्री भक्त चरण दास : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अक्तूबर, 1996 के दौरान "सभी के लिए पर्याप्त आश्रय" के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय आवास संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के दौरान लोगों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने के सम्बन्ध में इस संगोष्ठी का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) विश्व पर्यावरण दिवस के साथ-साथ 7 से 9 अक्तूबर, 1996 के दौरान, नई दिल्ली में सभी के लिए पर्याप्त आश्रय पर एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय आवास संगोष्ठी का आयोजन हुआ।

(ख) और (ग). सेमिनार के मुख्य निष्कर्ष आवास विकास प्रक्रिया चाहे वह भूमि, आवास, वित्त, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी, अवस्थापना तक पहुंच, सुपुर्दगी की कानूनी तथा विनियंत्रक व्यवस्था तथा दबावों को हल करने के कदम बाबत मुख्य मुद्दों की स्पष्ट पहचान हैं, राष्ट्रीय आवास सेमिनार की सिफारिशें, जो आवास तथा मानव बसाव के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सी एम पी) की परिधि में सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों को नीतियां बनाते तथा विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करेंगी। आवास राज्य का विषय होने के नाते सिफारिशें राज्य कार्य योजना बनाने में तथा उसके स्तर पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भी अग्रेषित की गयी हैं।

[हिन्दी]

मुठभेड़

636. श्री विजय गोयल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद पुलिस और उग्रवादियों के बीच कितनी मुठभेड़ें हुई;

(ख) इन मुठभेड़ों में कितने उग्रवादी/निर्दोष व्यक्ति मारे गए; और

(ग) कितनी घटनाओं में पाकिस्तान की आसूचना ब्यूरो को शामिल पाया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर.

बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में 16 अक्तूबर, 1996 से 15 फरवरी, 1997 तक की अवधि के दौरान दोनों ओर से गोलियां चलने/मुठभेड़ों की करीब 228 घटनाएं हुई। आतंकवाद से संबंधित हिंसा, मुठभेड़ की घटनाओं में 64 सुरक्षा बल कार्मिक, 259 उग्रवादी और 383 सिविलियन मारे गए।

(ग) जम्मू और कश्मीर में आंतकवादी गतिविधियों को उकसाने, उनकी मदद करने और उन्हें भड़काने के लिए आई.एस.आई. लगातार संलिप्त रही है, इस संदर्भ में विशिष्ट घटनाओं की पहचान करना वास्तव में व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन

637. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए किसी संचालन समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास के साथ जोड़ा जाना संतोषजनक नहीं पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में किन्हीं सुधारात्मक उपायों पर विचार किया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की जांच करने के लिए नौवीं योजना में एक संचालन समूह का गठन किया गया है। इस समिति की संरचना और विचारार्थ विषय अनुबंध में संलग्न है। संचालन समूह की पिछली बैठक सदस्य, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में 19 नवम्बर, 1996 को हुई।

(ग) और (घ) समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण (1992-93) के चौथे दौर में ज्ञात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कमियों में से एक कमी है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ट्राइसेम और डवाकरा की संबद्ध योजनाओं के साथ ताल-मेल अच्छा नहीं होना। ट्राइसेम का तीव्र मूल्यांकन (जून-अगस्त, 1993) यह दर्शाता है कि उन लाभार्थियों, जिन्होंने ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया, की कुल संख्या में से मोटे तौर पर 54 प्रतिशत ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन नहीं किया और शेष युवाओं में से लगभग 50% को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समवर्ती मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि ट्राइसेम के उन प्रशिक्षित लाभार्थियों, जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई थी, के केवल 56% ने उस गतिविधि के लिए सहायता प्राप्त की, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के 2% से कुछ अधिक परिवार के सदस्यों को डवाकरा के अंतर्गत सहायता दी गई।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋणों के लिए आवेदन करने वाले ट्राइसेम लाभार्थियों की कम संख्या का कारण यह हो सकता है कि कुछ ट्राइसेम लाभार्थी संगठित क्षेत्र अथवा मजदूरी रोजगार में काम करने के इच्छुक होते हैं अथवा ऋण के लिए बैंकों से सम्पर्क करने में उनको समस्या होती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ट्राइसेम के बीच निकट संपर्क के लिए इस बात पर बल दिया गया है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही प्रशिक्षणार्थियों के ऋण आवेदन-पत्र बैंकों को भेज दिए जाएं। डवाकरा के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की कम कवरेज समूह गतिविधियों के लिए महिलाओं को संगठित करने की समस्या से संबंधित हो सकती है। मंत्रालय ने समूह गतिविधियों के लिए प्रेरणा के रूप में थ्रिफ्ट और क्रेडिट गतिविधियों पर बल दिया है। इससे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और डवाकरा के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करना ठीक होगा।

अनुबंध

संख्या-एम-12018/2/95-ग्रामीण विकास

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1996

आदेश

विषय : नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और क्षेत्र विकास संबंधी संचालन समूह का गठन।

योजना आयोग के परिपत्र संख्या-एन-11016/12/95-पी॰ सी॰ दिनांक 20.9.1995 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और क्षेत्र विकास संबंधी संचालन समूह को गठित करने का प्रस्ताव किया है।

2. संचालन समूह की संरचना निम्नलिखित होगी :—

1. डॉ॰ जयंत पाटिल सदस्य, योजना आयोग नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. डॉ॰ आर॰ के॰ नायक, सचिव, ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी उपशमन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
3. श्री विनय शंकर, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग निर्माण भवन, नई दिल्ली।	सदस्य

4. श्री ए॰ बी॰ गोकक, सदस्य
सचिव,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।

5. श्री अशोक जेतली, सदस्य
अपर सचिव,
बंजरभूमि विकास विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

6. श्री एन॰ सी॰ सक्सेना, सदस्य
निदेशक
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी।

7. श्री टी॰ मुनी बेंकटप्पा, सदस्य
महानिदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
राजेन्द्र नगर,
हैदराबाद।

8. श्री एम॰ के॰ रणजीत सिंह सदस्य
महानिदेशक,
लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी
विकास परिषद,
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय,
इंडिया हैबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली।

9. प्रो॰ सी॰ एच॰ हनुमंत राव, सदस्य
आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र,
240-बी, रोड-18 जुवली हिल्स,
हैदराबाद-500033.

10. प्रो॰ एस॰ आर॰ हाशिभ, सदस्य
निदेशक,
आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

11. प्रो॰ इंदिरा हिरवै, सदस्य
गांधी श्रम संस्थान,
मानव मन्दिर,
अपंग स्कूल, सैटेलाइट रोड,
अहमदाबाद-52.

12. प्रो॰ अभिजीत सेन, सदस्य
आर्थिक अध्ययन और योजना केन्द्र,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067.

13. श्री नटवर ठक्कर, सदस्य
सचिव,
नागालैंड गांधी आश्रम,
डाकघर : चूचूगुमलंगा,
जिला : मोककचुंग,
नागालैंड

14. श्री जी॰ एन॰ रेड्डी, सदस्य
अध्यक्ष,
दक्षिण एशिया ग्रामीण पुन: निर्माण संघ,
506, 9वीं मिन. तीसरा क्रास,
एच॰ ए॰ एल॰-दूसरी स्टेज, इंदिरा नगर,
बंगलोर-560008.

15. श्री दीप जोशी, सदस्य
विकास कार्यक्रम के लिए
व्यावसायिक सहायता,
शॉपिंग सेंटर,
नीती बाग,
नई दिल्ली-110049.

16. डा॰ रुक्मणी राव, सदस्य
दक्खन डेवलपमेंट सोसाइटी,
411 विजया टावर,
नागार्जुन नगर,
अमरदीप,
हैदराबाद-500873.

17. श्री एस॰ मीनाक्षीसुन्दरम, सदस्य
प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)
कर्नाटक सरकार,
बंगलोर।

18. श्री एम॰ के॰ खन्ना, सदस्य
सचिव (योजना),
राजस्थान सरकार,
जयपुर

19. श्री अशोक बसाक, सदस्य
सचिव (विद्युत),
महाराष्ट्र सरकार,
मुम्बई।

20. श्री आलोक सिन्हा, सदस्य
आयुक्त,
ग्रामीण विकास,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

21. श्री वी० कोटैया, सदस्य
अध्यक्ष,
नाबार्ड स्टर्लिंग सेन्टर,
बर्ली, डॉ० अम्बेडकर रोड,
बम्बई-400018.

22. श्री प्रणव सेन, सदस्य
सलाहकार
परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग,
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

23. संयुक्त सलाहकार, सदस्य
एल० ई० एम० प्रभाग,
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

24. डॉ० (श्रीमती) रोहिणी नैय्यर, सदस्य सचिव
सलाहकार (ग्रामीण विकास)
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

III. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और क्षेत्र विकास संबंधी संचालन समूह के विचारणीय मुद्दे निम्नानुसार होंगे :—

(1) अखिल भारतीय स्तर और राज्यवार दोनों स्तरों पर ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी/अल्प रोजगारी के रूखों का विश्लेषण करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, मजदूरी और बेरोजगारी संबंधी विकास प्रक्रिया और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों दोनों के प्रभाव का आकलन करना।

(3) चालू गरीबी उपशमन और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की जांच करना तथा प्रत्येक कार्यक्रम के बीच के अंतर/कमियों का पता लगाना। ढांचागत सहायता प्रणाली और पूर्वापरक सम्पर्कों को सुधारने के लिए उपाय सुझाना जो इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

(4) स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के क्षेत्र और विषय-वस्तु को परिभाषित करना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम की सम्भाव्यता पर विचार करना।

(5) "काम के अधिकार" के मुद्दे की जांच करना।

(6) जिला/उप-जिला योजना के ढांचे के अन्दर गरीबी उपशमन, क्षेत्र विकास और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के बीच अधिक एकीकरण की सम्भावना पर विचार करना।

(7) इस बात की जांच करना कि शक्तियों और कार्यों के उचित विकेन्द्रीकरण के प्रयासों में क्या पंचायती राज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित भूमिका को निभाने की स्थिति में हैं।

(8) विभिन्न स्तरों पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यन्वयन के लिए विद्यमान प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना और सुधार के लिए सुझाव देना।

(9) ग्रामीण गरीबी के उपशमन के लिए भूमि सुधार कार्यनीति का अभिन्न अंग है; वर्तमान सामाजिक-आर्थिक वातावरण में भूमि सुधार के कार्यक्षेत्र को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता होगी।

(10) ग्रामीण आवास की विद्यमान नीति की समीक्षा करना और नौवीं योजना के लिए उपयुक्त नीति का सुझाव देना।

(11) संरचनात्मक ताल-मेल और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में नौवीं योजना में ग्रामीण गरीबी उपशमन के लिए एक कार्य नीति का सुझाव देना और ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करना जिनसे गरीबी की समस्या का प्रभावी तरीके से समाधान हो सकेगा।

(12) विभिन्न कार्यक्रमों की विद्यमान निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उनको सुधारने के उपाय सुझाना।

(13) गरीबी उपशमन की कार्य नीति के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के महत्त्व की समीक्षा करना तथा ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों का मूल्यांकन करना। इसके अलावा सुपुर्दगी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव देना।

(14) गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों के योगदान का मूल्यांकन करना तथा नौवीं योजना में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को परिभाषित करना।

IV. अध्यक्ष विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है तथा विशिष्ट कार्यों के लिए उप-समूहों को गठित कर सकता है। संचालन समूह को योजना आयोग द्वारा सहायता दी जाएगी।

V. गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सरकारी नियमों के अनुसार योजना आयोग के बजट से दिया जाएगा जो भारत सरकार के समूह "क" अधिकारियों के बराबर होगा।

VI. संचालन समूह 31 मई, 1996 तक अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत करेगा।

हस्ता०
(गुरजीत कौर)
निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित :—
संचालन समूह के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को।
प्रति निम्न को भी भेजी जा रही है :
उपाध्यक्ष, योजना आयोग का विशेष कार्य अधिकारी
राज्यमंत्री (पी० और पी० आई०) का प्रधान निजी सचिव
सदस्य (जे० पी०) का निजी सचिव
सदस्य-सचिव का प्रधान निजी सचिव
विशेष सचिव का निजी सचिव
सभी प्रभागों के अध्यक्ष
ग्रामीण विकास प्रभाग के सभी अधिकारी
निदेशक (प्रशासन)/अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-I) का निजी सहायक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा की घोषणा

638. श्री छितूभाई गामीत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि उनका मुख्य काम प्रवासी कश्मीरियों को उनके घरों को वापिस भेजने का होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संबंध में प्रवासियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में उनकी सुरक्षा और आजीविका हेतु की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) कश्मीरी प्रवासियों की उनके घरों को वापसी और पुनर्वास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तथापि, उनकी वापसी के लिए कार्य योजना को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इस मामले को राजनैतिक-आर्थिक आधार पर सुलझाया जाना है। अपने घरों को वापस लौटने वाले प्रवासियों को संरक्षण और मदद/प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

पेयजल परियोजना हेतु आवंटन

639. श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में और विशेष रूप से मदुरै में शहरी पेयजल परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : तमिलनाडु के शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई सेक्टर बाबत सरकारी योजना में 8वीं योजना परिव्यय 1450 करोड़ रु॰ है। जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के नाते सरकारी योजना के तहत जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण, निष्पादन, अनुरक्षण और प्रचालन का दायित्व राज्य सरकार का है।

20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले शहरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत तमिलनाडु के लिए 4.42 करोड़ रु॰ का नियतन रखा गया है।

राज्य सरकार ने बताया है कि 48.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की मदुरै जल संवर्धन योजना को विश्व बैंक की ऋण सहायता से फरवरी, 1995 में पूरा कर लिया गया था। इस समय मदुरै के लिए 90 मिलियन प्रतिदिन जल की आपूर्ति हो रही है जो सामान्य तथा पर्याप्त है।

[हिन्दी]

डी॰ डी॰ ए॰ तकनीकी समिति

640. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी॰ डी॰ ए॰ की तकनीकी समिति में किसी जन प्रतिनिधि को शामिल नहीं करने का क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार ने डी॰ डी॰ ए॰ की तकनीकी समिति में किसी जन प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में तकनीकी समिति और किए गए कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) डी॰ डी॰ ए॰ की तकनीकी समिति एक आन्तरिक समिति है जिसका गठन दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 5 ए के तहत उनके दिनांक 23.2.1963 के संकल्प द्वारा किया गया था। डी॰ डी॰ ए॰ के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा दिल्ली में विभिन्न अभिकरणों/विभागों जैसे नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली नगर कला आयोग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा डी॰ डी॰ ए॰ के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित तकनीकी समिति की बैठकों तथा जिन मदों पर चर्चा की गई, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	बैठकों की संख्या	मदों की संख्या जिन पर चर्चा की गई
1994-95	14	130
1995-96	20	163
1996-97 (15.2.97 तक)	15	93
योग	49	386

[अनुवाद]

सरकारी रिपोर्टों का प्रकाशन तथा बिक्री

641. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी प्रकाशक सरकारी रिपोर्ट/अधिनियम प्रकाशित करके ऊंचे दामों पर बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्रकाशकों को "कापीराइट अधिनियम" के अन्तर्गत दण्डित करने और इस संबंध में एक समान दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रकाशकों को मूल्य-नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत भी दण्डित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू) : (क) कापीराइट अधिनियम, 1957 के उल्लंघन में निजी प्रकाशकों द्वारा सरकारी रिपोर्टों/जारी अधिनियमों के मुद्रण एवं बिक्री बाबत इस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में जो सरकारी प्रकाशनों का प्रकाशक है, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकारी प्रकाशनों के मूल्य केवल सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत

642. श्री अनंत गुढ़े : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पंद्रह वर्षीय व्यापक संदर्शी योजना तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत सन् 2007 तक उत्पादित की जाने वाली कुछ विद्युत का 10 प्रतिशत विद्युत पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना निवेश किया जाएगा तथा इस संबंध में तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों की संसाधन-वार और राज्य-वार अद्यतन स्थिति और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) देश में अक्षय ऊर्जा की बड़ी संभाव्यता के उपयोग के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने विस्तृत अक्षय ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अगले 15 वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कुछ प्रतिशत विद्युत का उत्पादन करने की परिकल्पना है।

(ग) वास्तविक उपलब्धियों की अक्षय ऊर्जा संसाधन/कार्यक्रमवार स्थिति विवरण-I में दी गई है। प्रमुख प्रचालनात्मक कार्यक्रमों की राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) चालू वर्ष 1996-97 में प्रमुख प्रचालनात्मक कार्यक्रमों के लिए राज्यवार वास्तविक लक्ष्य विवरण-III में दिए गए हैं। चालू वर्ष के लिए देश में विभिन्न कार्यक्रमों के वास्तविक लक्ष्य विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

अक्षय ऊर्जा संसाधन/कार्यक्रमवार उपलब्धियों की स्थिति, आरंभ से लेकर जनवरी, 1997 तक संचयी

क्रम सं॰	कार्यक्रम	यूनिटें	आरंभ से लेकर जनवरी, 1997 तक संचयी वास्तविक उपलब्धि*
1	2	3	4
1.	पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख सं॰	24.35***
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	1841***
3.	उन्नत चूल्हा	लाख संख्या	236.87***
4.	सौर तापीय प्रणालियां	लाख वर्गमीटर क्षेत्र में	3.80
5.	सौर कुकर	लाख सं॰	4.20
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय	मेवा॰	25
क.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिटें	केडब्ल्यूपी	998***
ख.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/ टी॰ वी॰ और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	875***
ग.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	48,071***
घ.	प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	1,12,348***
ङ.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	31,259***
च.	प्रकाशवोल्टीय पंप/सिंचाई पंप	संख्या	1,836
7.	पवन पंप (न्यू)	संख्या	226

1	2	3	4
8.	लघु एरो जनरेटर	के डब्ल्यू	11
9.	पवन विद्युत	मेवा०	833**
10.	मिनी-माइक्रो हाइड्रो	मेवा०	133
11.	ऊर्जा ग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	244
12.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	संख्या	660
13.	बायोमास आधारित सह-उत्पादन विद्युत	मेवा०	55
14.	बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत	मेवा०	14
15.	बायोमास स्टैंडलोन गैसीफायर	मेवा०	23.82***
16.	बैटरी चलित वाहन	संख्या	210
17.	एल्कोहल चालित वाहन	संख्या	578

*आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

**निजी क्षेत्र सहित

***दिसंबर, 1996 तक

विवरण-II

*बायोगैस, उन्नत चूल्हा और बायोमास गैसीफायरों पर प्रमुख प्रचालनात्मक कार्यों के लिए आरंभ से लेकर दिसम्बर, 1996 तक संचयी वास्तविक उपलब्धियों की राज्यवार स्थिति**

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	उन्नत चूल्हा (लाख सं०)	बायोमास गैसीफायर (किवा०)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2,07,268	19.59	6,004
2.	अरुणाचल प्रदेश	263	0.31	180
3.	असम	17,585	2.57	23
4.	बिहार	91,879	8.77	20
5.	गोवा	2,473	1.00	22
6.	गुजरात	2,85,957	9.23	3,596
7.	हरियाणा	31,362	8.17	964
8.	हिमाचल प्रदेश	38,401	5.80	7
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1,327	3.03	120
10.	कर्नाटक	1,95,992	10.80	2,329
11.	केरल	46,693	5.88	615
12.	मध्य प्रदेश	1,18,361	20.83	4,689
13.	महाराष्ट्र	5,83,892	15.88	2,312
14.	मणिपुर	1,106	0.55	
15.	मेघालय	429	0.12	
16.	मिजोरम	1,285	0.24	
17.	नागालैंड	551	0.12	

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	1,21,800	11.63	62
19.	पंजाब	35,829	8.58	660
20.	राजस्थान	60,354	21.22	218
21.	सिक्किम	1,750	0.44	
22.	तमिलनाडु	1,86,441	17.82	433
23.	त्रिपुरा	619	0.18	
24.	उत्तर प्रदेश	2,80,492	29.01	511
25.	पश्चिम बंगाल	1,04,325	9.15	500
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	122	0.27	167
27.	चंडीगढ़	97	0.17	
28.	दादर एवं नगर हवेली	162	0.11	
29.	दमन एवं दीव		0.006	
30.	दिल्ली	662	2.40	74
31.	लक्षद्वीप		0.05	
32.	पांडिचेरी	532	0.24	
33.	अन्य	18,162	22.70	318
	जोड़	24,35,371	236.87	23,824

*आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

*लघु पन बिजली (3 मेवा॰ तक) और पवन विद्युत परियोजनाओं पर प्रमुख प्रचालनात्मक कार्यक्रमों के लिए आरंभ से लेकर जनवरी, 1997 तक वास्तविक उपलब्धियों *** की वास्तविक स्थिति*

क्रम	राज्य	लघु जल विद्युत* (मेवा॰)	पवन विद्युत (मेवा॰)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7.01	52.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.15	
3.	असम	2.20	
4.	बिहार		
5.	गोवा		
6.	गुजरात	2.00	136.14
7.	हरियाणा	0.20	
8.	हिमाचल प्रदेश	9.47	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4.35	
10.	कर्नाटक	4.70	3.925
11.	केरल	0.52	2.025
12.	मध्य प्रदेश	3.25	8.015
13.	महाराष्ट्र	4.32	5.37
14.	मणिपुर	4.10	
15.	मेघालय	1.51	
16.	मिजोरम	5.36	
17.	नागालैंड	3.17	
18.	उड़ीसा	1.26	1.10
19.	पंजाब	3.90	
20.	राजस्थान	4.30	
21.	सिक्किम	9.25	623.38
22.	तमिलनाडु	4.75	
23.	त्रिपुरा	1.01	
24.	उत्तर प्रदेश	29.22	
25.	पश्चिम बंगाल	7.46	
26.	अन्य		0.465
	जोड़	133.46	832.82

***आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

*विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार।

31.12.1996 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एसपीवी प्रणालियों की राज्यवार संस्थापना

क्रम सं०	राज्य/एजेंसी	एसएलएस	डीएलएस	एसएल	सीएलएस	टीवीएस	पीपी/किवापी
1.	आंध्र प्रदेश	2932	730	5963	—	4	4/17.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	720	52	1518	10	4	3/7.90
3.	असम	98	764	175	28	15	2/2
4.	बिहार	619	6	13.159	25	8	—
5.	गोवा	30	31	—	2	2	2/1.70
6.	गुजरात	1564	370	4100	—	51	3/14
7.	हरियाणा	577	6	7693	—	68	5/24.30
8.	हिमाचल प्रदेश	304	934	6000	9	2	—
9.	जम्मू और कश्मीर	919	3544	2725	—	1	—
10.	कर्नाटक	441	—	300	11	3	—
11.	केरल	641	965	17210	7	36	4/4.74
12.	मध्य प्रदेश	5427	100	1348	30	16	2/9
13.	महाराष्ट्र	2941	72	3792	—	64	3/6.44
14.	मणिपुर	351	—	767	—	—	5/5
15.	मेघालय	588	230	2155	—	—	13/30.5
16.	मिजोरम	233	1901	560	1	3	—
17.	नागालैंड	271	8	—	3	—	1/6
18.	उड़ीसा	2068	252	1926	58	—	5/33.52
19.	पंजाब	60	—	682	—	4	2/2
20.	राजस्थान	5545	—	4000	—	115	24/162.15
21.	सिक्किम	93	31	196	—	6	—
22.	तमिलनाडु	1940	50	2086	38	3/26	
23.	त्रिपुरा	248	798	238	83	111	9/25
24.	उत्तर प्रदेश	470	35,585	28,250	—	50	63/419
25.	पश्चिम बंगाल	952	1.202	2.102	2	3	4/42.1
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	315	390	238	2	—	25/129.12
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	371	—	4508	—	—	1/5
31.	लक्षद्वीप	541	—	442	—	—	1/25
32.	पांडिचेरी	—	—	215	—	—	—
	कुल	31,259	48,071	1,12,348	270	685	184/998.07

एसएलएस—सड़क रोशनी प्रणाली

डीएलएस—घरेलू रोशनी प्रणाली

एसएल—सफरी और लालटेन

सीएलएस—सामुदायिक रोशनी प्रणाली

टीवीएस—सामुदायिक टीवी प्रणालियां

पीपी—विद्युत संयंत्र/पैकेज सं० (किवापी)

विवरण-III

बायोगैस और उन्नत चूल्हा पर प्रमुख प्रचलनात्मक कार्यक्रमों के लिए राज्यवार वास्तविक लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र सं.	उन्नत चूल्हा (लाख सं०)
1.	आंध्र प्रदेश	11,000	1.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	40	0.01
3.	असम	1,000	0.20
4.	बिहार	2,815	0.60
5.	गोवा	70	0.10
6.	गुजरात	19,000	0.43
7.	हरियाणा	1,700	0.35
8.	हिमाचल प्रदेश	1,200	0.31
9.	जम्मू और कश्मीर	50	0.30
10.	कर्नाटक	18,000	0.85
11.	केरल	1,200	0.87
12.	मध्य प्रदेश	18,000	2.35
13.	महाराष्ट्र	10,000	1.40
14.	मणिपुर	150	0.05
15.	मेघालय	75	0.0055
16.	मिजोरम	120	0.03
17.	नागालैंड	200	0.006
18.	उड़ीसा	7,000	1.00
19.	पंजाब	4,000	0.60
20.	राजस्थान	1,500	1.70
21.	सिक्किम	200	0.05
22.	तमिलनाडु	4,000	2.25
23.	त्रिपुरा	50	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	11,000	2.40
25.	पश्चिम बंगाल	8,000	1.60
26.	अं० नि० द्वीप समूह	5	0.02
27.	चंडीगढ़	10	0.02
28.	दादर और नगर हवेली	3	0.01
29.	दमन और दीव	—	—
30.	दिल्ली	7	0.12
31.	लक्षद्वीप	—	0.0035
32.	पांडिचेरी	5	0.045
33.	अन्य	44,600	5.47
	कुल	1,65,000	25.00

*आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम

वर्ष 1996-97 में एसपीवी कार्यक्रम के अंतर्गत रोशनी प्रणालियों (एसएल, एचएलएस व एसएलएस) के लिए लक्ष्यों का राज्यवार आवंटन

क्रम.	राज्य/संघ राज्य	लक्ष्य एसएल	एचएलएस	एसएलएस
1.	आंध्र प्रदेश	5,000	500	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,500	200	—
3.	असम	—	200	—
4.	बिहार	4,000	300	50
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	2,000	—	—
7.	हरियाणा	1,600	500	50
8.	हिमाचल प्रदेश	4,000	2,000	100
9.	जम्मू और कश्मीर	2,000	3,700	50
10.	कर्नाटक	1,000	200	100
11.	केरल	5,000	1,000	50
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	1,000	—	—
14.	मणिपुर	800	50	34
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	200	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	500	50	50
19.	पंजाब	500	200	50
20.	राजस्थान	2,000	2,500	100
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2,000	200	66
23.	त्रिपुरा	500	300	100
24.	उत्तर प्रदेश	12,000	8,000	14
25.	पश्चिम बंगाल	500	2,500	250
26.	अंडमान और निकोबार	—	—	—
27.	चंडीगढ़	200	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	1,000	100	—
31.	लक्षद्वीप	500	—	—
32.	पांडिचेरी	1,000	—	—
	अन्य संस्थाएं			
1.	नीमा मद्रास	1,000	200	—
2.	आरकेएच नरेन्द्रपुर पश्चिम बंगाल	200	300	—
	कुल	50,000	23,000	1,150

विवरण-IV

देश में वर्ष 1996-97 के लिए अक्षय ऊर्जा संसाधन/कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिटें	वास्तविक लक्ष्य* 1996-97
1.	पारिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख सं०	1.65
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	200
3.	उन्नत चूल्हा	लाख सं०	25.0
4.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्गमीटर क्षेत्र में	35,000
5.	सौर कुकर	संख्या	25,000
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय :—		
क.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिटें	के डब्लयूपी	50
ख.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	10,000
ग.	प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	35,000
घ.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	500
ङ.	प्रकाशवोल्टीय पंप/सिंचाई पंप	संख्या	1,000
7.	पवन पंप (न्यू)	स०	200
8.	लघु एरो-जनरेटर	किवा	35
9.	पवन विद्युत	मेवा०	4**
10.	लघु जल विद्युत	मेवा०	30
11.	बायोमास आधारित विद्युत के सह-उत्पादन	मेवा०	55
12.	बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत	मेवा०	10
13.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	मेवा०	1
14.	बायोमास स्टैंडएलोन गैसीफायर	मेवा०	6
15.	शहरी एवं औद्योगिक ऊर्जा विद्युत	मेवा०	10
16.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	200
17.	एल्कोहल चालित वाहन	संख्या	450

*आंकड़े सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

**निजी क्षेत्र को छोड़कर।

विश्व बैंक परियोजनाएं

643. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पानी का रिसाव, अवैध पानी के कनैक्शनों और उप-भोक्ताओं द्वारा पानी के मीटरों के साथ छेड़-छाड़ करने के मामलों को रोकने के लिए विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व के बैंक द्वारा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि देने का वायदा किया गया है;

(ग) वर्ष 1997 के दौरान किन प्रमुख योजनाओं को हाथ में लेने का विचार है; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने राज्य सरकार को अब तक किए गए कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है तथापि, इस प्रयोजन के लिए हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के तीन शहरों को विश्व बैंक 89.9 मिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली एक परियोजना को सहायता दे रहा है।

(घ) विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श करके समय-समय पर परियोजना का अध्ययन/समीक्षा की जा रही है।

धनराशि की वसूली

644. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवासों में पात्रता अवधि समाप्त होने के बाद भी उनमें रहने के लिए कैबिनेट समिति द्वारा माफ की गई धनराशि वसूल करने हेतु संपदा निदेशालय को नोटिस जारी करने का निर्देशन जारी करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उन अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनसे यह धनराशि वसूल की जानी है और यह धनराशि कितनी है; और

(घ) सरकारी आवासों में अभी भी कितने भूतपूर्व मंत्री और भूतपूर्व संसद सदस्य रह रहे हैं और इनमें से प्रत्येक की तरफ कितनी धनराशि बकाया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने सम्पदा निदेशालय को उन अतिविशिष्ट लोगों के 127 मामलों में नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जिनका सरकारी मकानों में निर्धारित से अधिक समय तक रहने वावत 1992 से 1995 तक के दौरान किराए की धन राशि को मंत्रिमंडलीय आवास समिति द्वारा माफ कर दिया गया था। दिनांक 23.12.96 को न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दिया कि माफी के यथापारित आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं हैं और वसूली करते समय इन्हें नकार दिया जाए। अधिनिर्णय के इस पहलू पर पुनरीक्षा याचिका दायर करने की सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से सरकार द्वारा न्यायालय के अधिनिर्णय का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) 16 अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों से 28.33 लाख रुपए की वसूली की जानी है।

(घ) अभी भी 10 पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों के कब्जे में साधारण पूल के मकान हैं तथा उनके ऊपर 13.3 लाख रुपए की धनराशि बकाया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एस॰ के॰ ओ॰/एल॰ डी॰ ओ॰ वितरक

645. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज तक एस के ओ/एल डी ओ के कितने डीलर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल/हल्का डीजल तेल आवंटित किया गया;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कम आवंटन के संबंध में हाल में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र का आधुनिकीकरण

646. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी उद्यमी नकदी के आगात-निर्गम तथा इससे होने वाले लाभ की अनिश्चितता के कारण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने में सशंकित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जब तक सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की स्थिति में सुधार नहीं लाया जाता है तब तक इसमें सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों से निवेश आकर्षित करना कठिन होगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) निजी विद्युत कार्यक्रम के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है जिसके लिए 70549 मे॰ वा॰ की विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु 128 अभिरुचियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इसमें 253405.29 करोड़ रुपए का प्रक्षेपित निवेश शामिल है। तथापि, इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए सरकार समय-समय पर कदम उठाती रही है, इसमें अल्प अवधि में वैकल्पिक सुविधा पैकेज प्रदान करना और दीर्घकाल में सुधार और पुनर्संरचना शामिल है।

नागरिक सुविधाओं हेतु सहायता

647. श्री वी॰ एम॰ सुधीरन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कतिपय नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). जन सेवाओं के प्रावधान का दायित्व संबंधित स्थानीय निकायों का है। ये निकाय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अपनी स्कीमें तैयार करते हैं। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत स्थानीय निकायों को अपनी ओर से और हडको, एल॰ आई॰ सी॰ आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उधार दिलवाने में सहायता देते हैं। भारत सरकार मात्र नोडल और उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।

तथापि, केन्द्र प्रवर्तित छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰) के तहत 1996-98 की अवधि के दौरान शामिल किए जाने वाले नियतित 1 कस्बे की तुलना में केरल ने 4 कस्बों नामत: पतनपितहा, मुक्टुपुजा, ओट्टापलम और कोठमंगलम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम तथा नगर नियोजन संगठन (टी॰ सी॰ पी॰ ओ॰) ने पहले ही मूल्य निर्धारण रिपोर्ट तैयार की है जिस राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा विचार होना अपेक्षित है। आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ स्कीम का उद्देश्य कस्बा समूहों को बुनियादी सुविधाओं का सुधार करना है।

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰) के तहत 1996-97 के दौरान केरल जल आपूर्ति प्राधिकरण (के॰ डब्ल्यू॰ ए॰) द्वारा पुडुक्काड, पेरालेस्सेरी और कोराटी कस्बों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं। 137.10 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत का पुडुक्काड बाबत प्रस्ताव अगस्त, 1996 में स्वीकृत कर दिया गया था। 1996-97 के दौरान ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰ के तहत केरल सरकार को अब तक 34 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश जारी किया जा चुका है। अन्य दो कस्बों बाबत प्रस्तावों की जांच की गई है और टिप्पणियां के॰ डब्ल्यू॰ ए॰ को भेज दी गई है। इस संबंध में आगे की कारवाई के॰ डब्ल्यू॰ ए॰ से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी।

शहरी रोजगार योजना

648. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी लोगों के लिए कोई नई रोजगार योजना शुरू की है और इस पर अब तक राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) वर्ष 1996 के दौरान कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया और कितने लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) छोटे कस्बों में शहरी गरीबी की समस्याओं पर पुन:

ध्यान देने के लिए नवम्बर, 1995 में आरम्भ किया गया था। स्वरोजगार के तहत (पीएमआईयूपीईपी के अनेक घटकों में से एक), बेरोजगार और अर्धबेरोजगार शहरी गरीबों को सर्विसिंग, छोटे-मोटे व्यापार और विनिर्माण से सम्बन्धित छोटे उद्यमों/कार्यों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें।

पीएमआईयूपीईपी देश में 50,000 से 1,00,000 की आबादी वाले सभी शहरी समूहों तथा 72 पर्वतीय जिला कस्बों में लागू है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों और समुदाय (समाज आधारित संगठनों के माध्यम से) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1995-96 के लिए राज्यों/संघ राज्यों को 105.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। वर्ष 1996-97 के लिए अब तक 6 राज्यों को 21.2228 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मुहैया कराई गई कुल निधियों के (केन्द्रीय + राज्य शेयर) में से 1995-96 के लिए अब तक 2622.7057 लाख रुपए उपयोग में लाए जा चुके हैं तथा 17832.385 लाख रुपए शेष राज्य/संघ राज्यों द्वारा खर्च किए जाने हैं। राज्यवार खर्च किया गया व्यय और खर्च न की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कार्यक्रम नवम्बर, 1995 में आरम्भ किया गया था। यह अभी भी अधिकांश प्रारम्भिक स्तर पर है जिसमें सर्वेक्षण कराना, कस्बावार परियोजना रिपोर्टों को तैयार करना आदि शामिल है। सब मिलाकर 1999-2000 में समाप्त हो रहे पांच वर्ष के दौरान 5 मिलियन शहरी गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआई यूपीईपी)

क्रम	राज्य का नाम	कुल निधियां (केन्द्रीय + राज्य) (1995-96 के लिए)	खर्च हुआ व्यय	खर्च न हुई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1901.24	1088.94	812.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	132.65	—	132.95
3.	असम	515.60	—	515.60
4.	बिहार	1588.66	387.88571	129.7743
5.	गोवा	174.49	7.42	167.87
6.	गुजरात	1131.74	—	1131.74
7.	हरियाणा	354.87	75.88	279.87
8.	हिमाचल प्रदेश	169.27	1.13	168.66
9.	जम्मू एवं कश्मीर	264.13	—	264.13
10.	कर्नाटक	1230.41	—	1230.41
11.	केरल	510.33	247.92	262.41
12.	मध्य प्रदेश	·1498.52	108.61	1389.91
13.	महाराष्ट्र	1839.24	—	1839.24
14.	मणिपुर	94.32	—	94.32
15.	मेघालय	75.46	24.33	51.13
16.	मिजोरम	37.74	—	37.74
17.	नागालैंड	210.65	—	210.65
18.	उड़ीसा	521.89	—	521.89
19.	पंजाब	593.88	13.00	580.88
20.	राजस्थान	961.61	12.00	969.61
21.	सिक्किम	75.46	—	75.46
22.	तमिलनाडु	2017.12	—	2017.12
23.	त्रिपुरा	37.73	—	37.73
24.	उत्तर प्रदेश	3872.65	453.76	2618.89
25.	पश्चिम बंगाल	1317.34	202.71	1114.63
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.00	—	50.00
27.	पाण्डिचेरी	58.17	—	58.18
	योग	28455.89	2622.7057	17832.385

[हिन्दी]

हडको की योजनाएं

649. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हडको द्वारा लागू की जा रही आवास योजनाओं से मध्य प्रदेश को कितना लाभ पहुंचा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को इस संबंध में कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त योजना किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) हडको ने अपने आरंभ से 31.1.97 तक मध्य प्रदेश में 663.10 करोड़ रु० की 645 आवासी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनके लिए हडको की ऋण बचनबद्धता 437.21 करोड़ रु० है। ये परियोजनाएं पूरी होने पर 130143 रिहायशी इकाइयां, 826 उन्नत इकाइयां तथा 84245 विकसित प्लाट उपलब्ध कराएंगी।

(ख) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास के लिए स्वीकृत/रिलीज किए गए ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

विवरण

वर्ष	स्वीकृत ऋण	रिलीज किया गया ऋण (रु० करोड़ में)	स्वीकृति रिहायशी एकक
1993-94	32.17	38.09	6598
1994-95	71.49	32.56	5945
1995-96	75.85	33.99	8195

(ग) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई आवासीय योजनाओं के नगर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्वीकृत योजनाओं के नगरवार ब्यौरे

(1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक)

क्रम सं०	नगर का नाम	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण राशि (रुपए लाखों में)	स्वीकृत रिहा० एकक	स्वीकृत प्लाट	अन्य स्वीकृत एकक	स्वीकृत स्वच्छता एकक
1.	भोपाल	6	767.95	500.22	816	460	0	0
2.	बीरसिंहपुर	1	345.64	199.69	108	0	0	0
3.	बुरहानपुर	1	207.56	148.73	121	301	0	0
4.	छत्तरपुर	1	91.12	60.89	32	128	0	0
5.	छिन्दवाड़ा	3	313.35	214.12	98	314	0	0
6.	दमोह	1	183.17	131.63	146	0	0	0
7.	तादैवाड़ा	1	85.83	51.50	80	0	0	0
8.	देलंद	1	95.22	56.89	57	0	0	0
9.	ग्वालियर	2	556.50	332.87	369	0	0	0
10.	इन्दौर	1	274.34	137.17	0	0	0	0
11.	झाबुआ	1	93.67	56.20	96	0	0	0
12.	खाण्डवा	1	80.92	65.37	130	0	0	0
13.	गोरबा	2	341.94	253.77	124	878	0	0
14.	रायपुर	2	277.85	200.87	108	0	0	0
15.	राजनन्द गांव	1	108.33	83.38	64	236	0	0
16.	रतलाम	2	208.95	134.71	269	0	0	0
17.	रीवा	1	79.89	63.91	0	0	0	0
18.	सांवरे	1	53.79	39.57	0	209	0	0
19.	सतना	1	136.92	102.31	83	319	0	0
20	सियोनी	1	72.35	43.40	72	0	0	0
21.	सहडोल	2	198.51	139.69	104	189	0	0
22.	सिधी	1	79.37	47.62	84	0	0	0
23.	उज्जैन	1	169.19	152.27	133	0	0	0
	योग	35	4822.36	3216.78	3094	3034	0	0

मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत योजनाओं के नगरवार ब्यौरे
(1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक)

क्रम सं०	नगर का नाम	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण राशि (रुपए लाखों में)	स्वीकृत रिहा० एकक	.स्वीकृत प्लाट	अन्य स्वीकृत एकक	स्वीकृत स्वच्छता एकक
1.	अयोध्या	1	19.59	16.65	72	0	0	0
2.	भिलाई	2	220.92	165.69	230	0	0	0
3.	भोपाल	7	3441.86	2434.53	1922	4878	0	0
4.	बिलासपुर	1	106.12	59.39	70	0	0	0
5.	बीरसिंहपुर	1	267.25	148.66	91	0	0	0
6.	छिन्दवाड़ा	1	116.54	59.43	0	0	0	5772
7.	दामोह	1	249.93	184.51	0	581	0	0
8.	देवास	3	872.85	614.66	300	0	396	0
9.	गुना	1	125.75	64.14	0	0	0	6228
10.	ग्वालियर	1	121.97	62.20	0	0	0	6041
11.	हनुमान	1	23.21	18.11	0	120	0	0
12.	इन्दौर	3	1555.25	1047.96	1146	0	0	18420
13.	इटारसी	1	268.96	196.89	80	448	0	0
14.	जगदलपुर	1	90.96	68.44	30	255	0	0
15.	झाबुआ	2	106.32	77.42	57	115	0	486
16.	कटनी	1	359.66	191.43	175	0	0	0
17.	खजुराहो	1	26.14	19.61	20	0	0	0
18.	खारगौन	1	30.38	23.87	0	156	0	0
19.	कोरबा	1	530.45	326.87	0	723	0	0
20.	बोसाबदी	1	41.60	31.20	29	0	0	0
21.	मण्डल	1	4.04	2.06	0	0	0	200
22.	मौगज	1	16.54	12.89	0	91	0	0
23.	पन्ना	1	83.67	42.67	0	0	0	4144
24.	रायपुर	3	665.23	421.17	414	0	0	1269
25.	रायसेन	2	224.31	139.23	21	318	0	6462
26.	सागर	2	424.18	261.52	195	0	435	0
27.	सैन्धवा	1	90.62	67.99	52	95	0	0
28.	शिवपुरी	1	142.97	107.59	74	79	0	0
29.	सिधी	2	149.71	104.93	77	351	0	1000
30.	उज्जैन	1	38.39	31.68	0	192	0	0
31.	शहरी क्षेत्र	1	284.96	145.33	0	0	0	14114
	योग	48	10700.33	7148.82	5055	8402	831	64136

मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत योजनाओं के नगरवार ब्यौरे

(1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक)

क्रम सं०	नगर का नाम	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण राशि (रुपए लाखों में)	स्वीकृत रिहा० एकक	स्वीकृत प्लाट	अन्य स्वीकृत एकक	स्वीकृत स्वच्छता एकक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बालघाट	3	226.26	163.55	212	0	0	0
2.	बस्तर	1	192.91	134.46	134	0	0	0
3.	बावड़िया	1	75.03	57.48	68	127	0	0
4.	भिलाई	4	356.42	243.96	320	0	20	0
5.	भिण्ड	2	274.54	192.15	192	0	0	0
6.	भोपाल	7	1908.56	1363.77	1302	3276	0	0
7.	बिलासपुर	2	105.39	72.02	100	0	0	0
8.	छत्तरपुर	1	78.68	55.09	56	0	0	0
9.	दामोह	2	234.62	171.53	193	0	0	0
10.	दातवेड़ा	1	85.28	59.60	64	0	0	0
11.	देवास	2	541.72	291.27	131	0	84	0
12.	धार	4	398.99	307.86	624	0	0	0
13.	दुर्ग	3	411.16	292.71	220	63	0	0
14.	गुना	1	34.35	24.02	26	0	0	0
15.	ग्वालियर	4	275.99	200.76	244	0	0	0
16.	इन्दौर	4	702.34	384.68	68	18	624	0
17.	इटारसी	1	58.28	40.80	44	0	0	0
18.	जबलपुर	11	1576.46	959.97	750	652	169	0
19.	जदलपुर	1	69.48	48.56	52	0	0	0
20.	खाण्डवा	1	69.63	48.74	52	0	0	0
21.	खारगौन	1	27.04	18.92	20	0	0	0
22.	कुम्हारी	1	24.37	20.70	50	0	0	0
23.	मनासा	1	32.60	25.90	41	20	0	0
24.	माण्डीदीप	1	42.27	31.70	50	0	0	0
25.	मऊ	1	49.42	35.84	47	0	0	0
26.	नगदा	1	88.62	66.86	56	48	0	0
27.	नरसिंहपुर	1	79.01	55.29	55	0	0	0
28.	पन्ना	1	91.51	64.04	64	0	0	0
29.	पीथमपुर	1	465.26	262.42	246	0	0	0
30.	रायगढ़	1	16.38	13.92	50	0	0	0
31.	रायपुर	4	242.65	194.16	438	0	0	0
32.	राजगढ़	2	144.01	92.22	196	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	राजनन्द गांव	1	99.99	69.99	72	0	0	0
34.	रतलाम	1	600.25	386.68	45	244	0	0
35.	रीवा	1	18.72	13.10	14	0	0	0
36.	सागर	2	214.78	157.67	75	642	0	0
37.	सतना	1	255.56	160.51	104	17	0	0
38.	सेहोर	1	19.67	13.77	14	0	0	0
39.	शाजापुर	1	32.25	22.56	24	0	0	0
40.	सीधी	1	36.50	32.65	50	180	0	0
41.	थानामण्डी	1	37.88	26.48	28	0	0	0
42.	टीकमगढ़	1	80.13	56.04	60	0	0	0
43.	उज्जैन	6	562.97	443.68	431	361	0	0
44.	शहरी क्षेत्र	3	296.08	207.06	216	0	0	0
	योग	93	11233.19	7585.14	7298	5648	897	0

[अनुवाद]

पत्रों के उत्तर

650. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक (निर्माण-कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, रेजीडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन से प्राप्त पत्रों के उत्तर न तो स्वयं देते हैं और न ही उनके कार्यालय द्वारा इनके उत्तर दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों द्वारा उन्हें लिखे पत्रों के उत्तर भी नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके उत्तर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) रेजीडेण्ट्स वेलफेयर एसोशियनों से प्राप्त पत्रों को आगामी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तत्काल सम्बन्धित मुख्य इंजीनियरों को भेज दिया जाता है। ऐसे मुद्दों पर सम्बन्धित अधिकारी इजीनियरों तथा अधीक्षक इंजीनियरों द्वारा वेलफेयर एसोशियनों के साथ समय-समय पर होने वाली बैठकों में भी विचार किया जाता है और अन्तिम कार्रवाई सामान्यत: उन्हीं के स्तर पर की जाती है। कुछ अवसरों पर हो सकता है कि ऐसे पत्रों की पावती निर्माण महानिदेशक द्वारा नहीं भेजी जाती है। तथापि, हाल ही में निर्माण महानिदेशक के कार्यालय ने सभी पत्रों की पावती भेजनी शुरू की है।

(ग) और (घ) माननीय सांसदों द्वारा निर्माण महानिदेशक के॰ लो॰ नि॰ वि॰ को लिखे पत्रों की पावती स्वयं निर्माण महानिदेशक द्वारा भेजी जा रही है। कुछेक मामलों में कुछ पत्रों की पावती मुख्य इंजीनियर तथा इससे ऊंची रैंक के अन्य अधिकारियों द्वारा भेजी गई थी जिन्हें ये पत्र भेजे गए थे। तथापि, अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि माननीय सांसदों से प्राप्त पत्रों की पावती और उत्तर उन्हीं अधिकारियों द्वारा भेजे जाएं, जिनको पत्र सम्बोधित किए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

651. श्री चिन्तामन बांगा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र में 500 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दो ईकाइयां लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। 500 मेगावाट के दो परमाणु विद्युत यूनिट महाराष्ट्र में तारापुर में स्थापित किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। इन दोनों यूनिटों के लिए परियोजना संबंधी वित्तीय मंजूरी सरकार ने जनवरी, 1991 में दी थी। तथापि, मुख्य संयंत्र का सिविल निर्माण-कार्य धन की कमी की वजह से अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। इस परियोजना के लिए बड़े उपस्कर पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं और अवसंरचनात्मक कार्य भी लगभग पूरा हो गया है।

(ग) मुख्य संयंत्र का निर्माण शुरू किए जाने की तारीख से प्रत्येक यूनिट को चालू करने और उनसे विद्युत उत्पादन शुरू करने में लगभग साढ़े आठ वर्ष लगेंगे।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन

652. श्री मुख़तार अनीस : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ख) अब तक राज्यों को राज्यवार कुल कितना धन दिया गया है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 तक राज्यवार कुल कितना धन प्रयुक्त कर लिया गया है;

(घ) राज्यवार स्थायी आस्तियों के सृजन पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1996 तक राज्यवार कुल कितने कार्य दिवसों का सृजन किया गया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित कुल निधियों, जारी की गई निधियों (अब तक), उपयोग की गई निधियों (31 दिसम्बर, 1996 तक) और सृजित रोजगार (31 दिसम्बर, 1996 तक) का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी उपयोग की गई निधियां और सृजित रोजगार

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य अंश सहित आबंटित कुल निधियां (रुपए लाख में)	सदृश राज्य अंश सहित जारी कुल निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां (31 दिसंबर 1996 तक)	सृजित श्रमदिनों की संख्या (31 दिसंबर 1996 तक) (लाख श्रमदिन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17372.39	17774.34	10147.94	184.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	178.30	89.15	87.32	1.15
3.	असम	5718.18	2592.79	2694.37	41.15
4.	बिहार	34075.58	18006.25	20427.82	310.60
5.	गोवा	192.65	106.38	213.95	4.85
6.	गुजरात	6376.25	5472.41	3737.11	57.25
7.	हरियाणा	1531.81	966.74	1014.34	10.32
8.	हिमाचल प्रदेश	612.16	306.09	408.60	7.38
9.	जम्मू व कश्मीर	1243.93	967.28	589.30	12.28
10.	कर्नाटक	11665.34	10276.18	6967.27	144.63
11.	केरल	4244.16	3158.65	2147.05	26.81
12.	मध्य प्रदेश	22014.51	17505.56	10943.23	197.51
13.	महाराष्ट्र	18937.55	10321.19	9985.45	211.27
14.	मणिपुर	228.53	114.26	134.57	3.00
15.	मेघालय	267.40	133.69	258.96	5.06
16.	मिजोरम	112.65	105.26	84.93	1.48
17.	नागालैंड	286.64	143.33	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	14093.11	12405.35	10164.03	200.04
19.	पंजाब	1089.39	610.69	0.00	0.00
20.	राजस्थान	9146.40	8509.53	3285.74	61.95

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	104.36	52.19	131.34	1.95
22.	तमिलनाडु	15704.96	13891.76	8943.79	217.76
23.	त्रिपुरा	296.83	287.39	662.00	14.85
24.	उत्तर प्रदेश	42334.91	36079.43	27568.07	458.81
25.	पश्चिम बंगाल	15569.34	7594.83	8714.16	125.83
26.	अंडमान व निको॰ द्वीप समूह	84.41	42.21	26.36	0.42
27.	दादरा व नगर हवेली	45.81	44.57	21.63	0.51
28.	दमन व दीव	26.99	13.50	15.11	0.27
29.	लक्षद्वीप	42.32	21.16	31.31	0.43
30.	पांडिचेरी	82.64	64.68	85.47	2.05
	कुल	223679.48	167656.80	129491.22	2304.46

00—असूचित

नैफ्था का आयात

653. श्री नारायण अठावले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1997 के "आब्जर्वर" में "गवर्नमेंट येट टू पुट नैफ्था इम्पोर्ट ऑन ओजीएल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर विशेषकर इस प्रकरण को सुलझाने में विलम्ब तथा विद्युत और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच अंत:मंत्रालयी समन्वय के अभाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन के लिए द्रव ईंधन आवंटित किए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को पहले ही अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है और इन्हें संबंधित राज्यों को जारी किया गया है।

[हिन्दी]

गरीब लोगों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं

654. श्री जयसिंह चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गरीब लोगों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत विकसित किए गए शहरों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इस प्रयोजन के लिए शहर-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में किए गए कार्य का शहरवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के दूसरे शहरों में इस योजना का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) इसमें प्रधान मंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के तहत शामिल 7 शहरी नहीं हैं।

(ख) और (ग) शहरवार ब्यौरों की निगरानी केन्द्रीय स्तर पर नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सरकार में परामर्शदाताओं की नियुक्ति

655. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों में कितने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे परामर्शदाताओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परामर्शदाताओं की संख्या की समीक्षा करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन) : (क) मंत्रालयों/विभागों में प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या 52 है।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग, कार्य की अपेक्षाओं/विशेष स्वरूप के विशिष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए 6 माह की अवधि के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए सक्षम है। उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन केन्द्रीकृत आधार पर किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मंत्रालयों विभागों द्वारा परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पद संख्या सामान्यत: निर्धारित सीमा के भीतर होती है। यदि निर्धारित सीमा से अधिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति परिकल्पित की जाती है तो वहां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है। अत: परामर्शदाताओं की पद संख्या पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कच्चे तेल पर उपकर

656. श्री केशव महन्त : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल पर उपकर के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) कच्चे तेल पर उपकर के रूप में प्रत्येक वर्ष असम का योगदान कितना रहा जिस पर तेल उद्योग विकास बोर्ड ने असम में तेल शोधक कारखानों के विकास के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई;

(ग) क्या सरकार का विचार असम में तेल शोधक कारखानों के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड के माध्यम से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता, ओ आई डी बी के पास उपलब्ध निधियों और साथ ही कंपनियों के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों जैसे अनेक कारकों के आधार पर ओ आई डी बी और अन्य स्रोतों से रिफाइनरियों के विकास के लिए धनराशियां उपलब्ध कराती है। तदनुसार असम की रिफाइनरियों को धनराशि उक्त कारकों के आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

विवरण-I

कच्चे तेल पर उपकरण की उगाही के संबंध में विवरण

(रुपए/करोड़)

वर्ष	धनराशि
1993-94	2160.89
1994-95	2548.97
1995-96	2800.63
कुल	7510.49

विवरण-II

क्रूड उपकर के लिए असम का अंशदान

(रुपए/करोड़)

वर्ष	धनराशि
1993-94	434.85
1994-95	431.62
1995-96	437.20
कुल	1303.67

असम की रिफाइनरियों को ओ आई डी बी की सहायता के संबंध में विवरण

(रुपए/करोड़)

वर्ष	धनराशि
1993-94	50.00
1994-95	102.44
1995-96	251.49
कुल	403.93

*उपकर की उगाही का विवरण केन्द्रीय उत्पाद कर और सीमाशुल्क आयुक्त, शिलांग के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विद्युत पैदा करना

657. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान योजना आयोग में विद्युत संबंधी कार्य दल ने 57,000 मेगावाट विद्युत पैदा करने का अनुमान लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य दल के अनुमानों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या योजना के दौरान आयोग केवल 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो इतनी बड़ी कटौती के क्या कारण हैं; और

(च) देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी हां।

(ख) से (च) नौवीं योजना हेतु योजना आयोग द्वारा, विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित विद्युत से संबंधित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में सौंपी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा आर्थिक स्तर की विचारणाओं के आधार पर कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करेगी।

डुपलेक्स अपार्टमेन्ट्स का निर्माण

658. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रतापूर्व निर्मित "लुटियन" के बंगलों को गिराने और उनके स्थान पर डुपलेक्स अपार्टमेन्ट बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके पीछे क्या उद्देश्य है; और

(घ) इसके गिराने/निर्माण कार्य संबंधी कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

पी. एफ. सी. तथा आई. डी. एफ. सी. का विलय

659. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) का इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी (आईडीएफसी) में विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन दो वित्तीय संस्थाओं के लिवय से क्या लाभ होंगे; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) का इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आई. डी. एफ. सी.) में विलय करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

पैकेज कार्यक्रम

660. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यन्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए पैकेज कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ख) इन राज्यों को दी गई सहायता का स्वरूप क्या है;

(ग) कश्मीर और पूर्वी राज्यों जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को दी गई सहायता की राशि क्या है जो इन राज्यों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए करोड़ों रुपए प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार दी गई है;

(घ) अभी तक कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है; और

(ङ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ङ) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के साथ पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषणाएं की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घोषित नई पहलों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का संबंध है, प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई, 1996 और 2 अगस्त, 1996 को संसद में घोषणाएं की थी। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू के दौरे के समय 14 फरवरी, 1997 को एक और वक्तव्य दिया गया था। 14 फरवरी, 1997 को दिए गए इस वक्तव्य की एक प्रतिलिपि विवरण-II में दी गई है। विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों आदि के लिए केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे उपर्युक्त घोषणाओं में निहित हैं। चूंकि आधारभूत परियोजनाओं की भी घोषणा की जा चुकी है, अतः ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे आसानी से अनुमानित किए जा सकते हैं।

विवरण-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहल

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों की मेरी पहली यात्रा समाप्त हो रही है। मेरे लिए यह एक हृदयस्पर्शी अनुभव रहा है। यहां के लोगों का स्नेह मुझे और यहां खींच लाएगा। इस क्षेत्र के लोगों को जानने, उनकी आकांक्षाओं और उनकी समस्याओं को समझने और यह जानने के लिए कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा वे सोचते हैं मैं यहां आया था। मैं खुले दिमाग से यहां आया था। मधुर स्मृतियां तथा इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक नई शुरुआत के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करने का एक निश्चय लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। जहां भी मैं गया, समाज के हर तबके के लोग भारी संख्या में आए और मुझसे मिले। उनका व्यवहार बड़ा ही सौहार्द्रपूर्ण था तथा उन्होंने अपने विचारों अपनी अपेक्षाओं, अपने संशयों और अपनी आकांक्षाओं को बड़े स्पष्ट रूप में मेरे सामने रखा। मेरी पूरी यात्रा में जो उन्होंने उत्साह दिखाया है, उससे मैं अभिभूत हूं।

प्रधानमंत्री श्री एच डी देव गौड़ा को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहल के बारे में गुवाहाटी में 27 अक्तूबर 1996 को संवाददाता सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य

इस बात में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि यदि हम सब मिलकर काम करें और बेहतर भविष्य के प्रति आश्वस्त हों, तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपनी यात्रा के दौरान लोगों ने इतना प्यार व स्नेह मुझे दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं।

प्रत्येक राज्य की राजधानी में मंत्रियों, राज्य सरकार के अधिकारियों और सुरक्षा बलों के पदाधिकारियों के अलावा मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं स्वायत्तशासी जिला परिषदों के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, छात्र संघों व महिला संस्थाओं के प्रतिनिधियों, चर्च नेताओं और समाचार जगत से जुड़े व्यक्तियों से मुलाकात की ताकि इन राज्यों की स्थिति का प्रत्यक्ष विवरण जान सकूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दरअसल, 100, 150 साल पहले असम देश में आर्थिक विकास की दृष्टि से एक प्रमुख राज्य था। यह एक अग्रणीय राज्य था और उत्साही उद्यमियों ने चाय बागानों, तेल और कोयला निकालने, वानिकी, रेलों और जलमार्गों के विकास में काफी निवेश किया था लेकिन हाल के कुछ वर्षों में निवेश कर्ताओं ने इन इलाकों की ओर से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि इनमें से कुछेक राज्य अपने आप में ही सिमट गए, जबकि कुछेक उग्रवाद तथा आतंकवाद से ग्रसित हो गए हैं। इसमें आतंकवाद, निवेश और आर्थिक विकास में गिरावट का दुष्चक्र शुरू हो गया है जिससे बेरोजगारी बढ़ी है और इसके कारण उग्रवाद को रंगरूट मिले हैं। आज राज्य में ऐसा कोई प्रमुख उद्योग या आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, जहां शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इन सभी राज्यों में रोजगार का एकमात्र जरिया सरकारी नौकरी है लेकिन सरकारी नौकरी में भी इतने सारे लोगों को नहीं खपाया जा सकता। और फिर, सरकारी नौकरी में जरूरत से ज्यादा लोगों के होने से अकुशलता फैलने लगती है। बेरोजगारी या उग्रवाद के दायरे से बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता व्यापक पैमाने पर चहुंमुखी विकास ही है जो समृद्धि की ओर ले जाएगा।

विदेशियों की समस्या

पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की अस्मिता को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारण विदेशियों का सवाल है। आल असम स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य कई लोगों से भी बातचीत के दौरान, मैंने इस मसले पर कुछ गहराई से गौर किया है। मुझे बताया गया कि विदेशियों का पता लगाने वाले संशोधित ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध रूप से आए विदेशियों का पता लगाने संबधी अधिनियम 1983 (आई० एम० डी० टी०) जैसे कानून प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं। हम अप्रभावी कानूनों को रद्द करने और विदेशियों के मामले से निपटने के लिए कानूनी व प्रशासनिक उपायों को मजबूत बनाने के वास्ते राज्यों के साथ मिलकर कदम उठाएंगे। इसके अलावा, उचित स्थानों पर कटिदार बाड़ लगाने के साथ-साथ सीमा पर पुलिस गश्त की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा।

जातीय समूहों की पहचान

उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला तथा कुछेक राज्यों के राज्य में अशांति को भड़काने वाला अन्य महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि विभिन्न जातीय समूहों में अपनी पहचान खोते जाने का अहसास है और वे समझते हैं कि केन्द्र इस क्षेत्र के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये भावनाएं पूर्णतया उचित हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। परंतु यह एहसास है जरूर ऐसा मेरा प्रयत्न होगा कि इस भावना को दूर किया जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इस क्षेत्र में बुनियादी आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा एक निश्चित समयावधि में ये सुविधाएं देश के शेष हिस्सों की सुविधाओं के स्तर तक पहुंच जाएं। मैं जानता हूं कि जब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों समेत प्रत्येक राज्य शेष भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, तब तक सम्पूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता।

निरर्थक हिंसा

काफी लम्बे समय से कुछेक पूर्वोत्तर राज्यों में निरर्थक हिंसा हावी रही है। काफी अरसे से दिग्भ्रमित तत्त्व अपने ही भाइयों और साथी नागरिकों की हत्याएं करते आ रहे हैं और जबरदस्ती धन ऐंठने, अपहरण तथा अन्य इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। हिंसा से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपना रखा है, कि वे विवेक का मार्ग अपनाएं। मेरा विश्वास है कि सभी समस्याओं को आपसी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। मैं उग्रवादियों सहित किसी भी गुट को खुला तथा बिना किसी पूर्वशर्त का निमंत्रण दे रहा हूं कि अपनी उचित शिकायतों पर मेरे साथ मिलकर विचार-विमर्श करें। मैं ईमानदारी से उनके दृष्टिकोण को समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि वे किस बात से परेशान हैं। लेकिन साथ ही, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हिंसा को बरदास्त नहीं किया जाएगा और उसे कड़ाई से दबाया जाएगा। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वे सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा या अनुमति नहीं देंगे या भारत में मौजूद उग्रवादी गुटों को समर्थन नहीं देंगे।

बेरोजगारी से निपटने के लिए इस क्षेत्र में उत्पादक निवेश करने होंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर, मेरी सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी :

बुनियादी सुविधाओं में कमियों तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के बकाया काम का पता लगाने के लिए आयोग

तीस दिनों के भीतर एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो विशेष रूप से ऊर्जा, संचार, रेलों, सड़कों, शिक्षा और कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों की समीक्षा करेगा। यह आयोग इन सात पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के बकाया कामों की भी समीक्षा करेगा। इन जरूरतों का अंदाजा लगाने के बाद आयोग बुनियादी सुविधा क्षेत्रों में कमियों को दूर करने और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के बकाया कामों को पूरा करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा आवश्यक धनराशि के बारे में सुझाव देगा। तीन महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा तथा आयोग की सिफारिशों पर योजना आयोग विचार करेगा और नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करेगा और धन संबंधी व्यवस्था करेगा। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजना आवंटनों के अलावा वार्षिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने को प्राथमिकता

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक महीने के भीतर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी, जो पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्काल विशिष्ट उपाय सुझाएगी। प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में राज्य की आवश्यकतानुसार संबद्ध बुनियादी सुविधाएं, गहन प्रशिक्षण और उत्पादक रोजगार अवसर पैदा करने वाली योजनाएं शुरू की जाएंगी। यह उच्च स्तरीय समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी तथा समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों का एक खाका सुझाएगी। इन सिफारिशों पर राज्य सरकार और सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर संस्थानों, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सीधे अमल किया जाएगा। हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्चत प्राथमिकता दी जाएगी।

आधारभूत सुविधाओं और रोजगार से संबंधित इन दोनों समितियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में पूर्वोत्तर उप-योजना

सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने-अपने बजट का कम से कम 10% हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए रखेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों पर तेजी से अमल किया जाए।

केन्द्रीय मंत्रियों/सचिवों के दौरे व उनके द्वारा निगरानी

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों, पेट्रोलियम, भूतल परिवहन, रेल, नागरिक उड्डयन, पर्यटन और जल संसाधनों के प्रभारी मंत्री तथा सचिव, तीन महीनों से कम से कम एक बार सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे तथा अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेंगे।

चालू परियोजनाओं के लिए पूरी वित्तीय सहायता

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पर्याप्त धन के अभाव में राजमार्गों, रेलों तथा ऊर्जा से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी समेत सभी चालू केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए पूरी वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। गृह मंत्रालय, योजना आयोग तथ मंत्रिमंडल सचिवालय त्रैमासिक आधार पर इन परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे ताकि इन्हें कार्यक्रमानुसार पूरा किया जा सके।

व्यापक जल प्रबंध और बाढ़ नियंत्रण उपाय

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबन्ध का महत्त्व है। मैंने हाल ही में देश में व्यापक जल प्रबंध के लिए अत्यावश्यक उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त किया है। यह आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी बाढ़ नियंत्रण और व्यापक जल प्रबंध के बारे में विचार करेगा और अपनी सिफारिश करेगा। ब्रह्मपुत्र बाढ़ का भी बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा तैयार करने और जल प्रबंध के लिए उचित परियोजनाओं की तत्काल सूची बनाने को कहा जाएगा। पानी की निकासी और परिवहन की दृष्टि से अन्तर्देशीय जलमार्गों को अधिक कुशल बनाने के लिए इनमें से गाद निकालने का काम शुरू किया जाएगा। अब से ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजना के सभी कार्यों के लिए केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

रोजगार आश्वासन योजना सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू

पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ब्लाकों में रोजगार आश्वासन योजना, 31 मार्च, 1998 तक लागू कर दी जाएगी।

सीमा सड़क/सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार

जैसे कि कुछ राज्यों ने मांग की है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा सड़क कार्यक्रम को भारत व्यापार सीमा के कुछ और इलाकों में पहुंचाया जाएगा।

दूर संचार और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में

दूर संचार/टेलीविजन/आकाशवाणी की पहुंच को व्यापक बनाया जाएगा। जिससे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। इस कार्य के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक ऋण प्रवाह

भारतीय रिज़र्व बैंक में एक डिप्टी गवर्नर के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उद्योग कृषि तथा अपने काम-धंधे की योजनाओं के लिए अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध हो।

नई औद्योगिक नीति

पूर्वोत्तर क्षेत्र और इसकी आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से एक नई औद्योगिक नीति पर विचार किया जाएगा तथा 31 मार्च, 1997 से पहले इसे घोषित कर दिया जाएगा। यह नई नीति घरेलू और विदेशी दोनों की तरह के निजी निवेश को बढ़ावा देगी।

विकेन्द्रीकरण

इस क्षेत्र में जिला तथा उप जिला स्तरों पर अधिक मात्रा में विकेन्द्रीकरण की जरूरत है, जिससे कि लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके। भारत सरकार ऐसे विकेन्द्रीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी।

पर्यटन विकास

समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक समन्वित पर्यटन विकास योजना तैयार की जा रही है। इससे कुछ ऐसे पर्यटक मार्ग विकसित होंगे जो कई राज्यों में फैले होंगे।

केन्द्रीय एजेंसियों को मजबूत बनाना

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नाबार्ड और विभिन्न वस्तु बोर्डों जैसे—कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने वाली कुछेक केन्द्रीय संस्थाओं को और मजबूत बनाया जाएगा।

निर्यात नीति

वाणिज्य मंत्रालय एक ऐसी निर्यात नीति तैयार करेगा, जिसमें दक्षिण

पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती व्यापार पर बल दिया जाएगा।

नशीले पदार्थों और एड्स की रोकथाम के उपाय

केन्द्र सरकार कुछेक पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स, नशीले पदार्थों की तस्करी और नशाखोरी के नियंत्रण के उद्देश्य से संस्थागत व्यवस्था और कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और इन सभी कामों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी।

रेल सेवाओं में सुधार

क्षेत्र में रेलों के परिचालन, सभयबद्धता और सेवा में सुधार किया जाएगा। नई रेल लाइनों, गेज परिवर्तन जैसी चालू रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। राज्यों द्वारा प्रस्तावित बिना रेल हैड या सीमित पहुंच वाली नई रेल लाइनों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाएगा।

यह देखने के लिए कि इन राज्यों के विकास के कार्यक्रम व योजनाएं सही ढंग से लागू की जा रही हैं, मैं साल में दो बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूं।

और अंत में, जैसा कि मैंने कहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि इन सभी वायदों पर और तत्काल आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं पर घोषित समयबद्ध कार्यक्रमानुसार अमल किया जाएगा तथा इनके क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती रहे।

मेरी यात्रा के दौरान कई और मामले भी उठाए गए। दिल्ली लौटने पर मैं योजना आयोग तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ बातचीत करूंगा और इन मामलों पर भी अगले एक महीने के भीतर फैसले दूंगा। इन मामलों पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व मुख्य मंत्रियों से और विचार-विमर्श किया जाएगा।

भरपूर सहयोग की आवश्यकता

इस प्रयास में, मैं इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों, राजनीतिक दलों, छात्र संघों, समाचार जगत और आम लोगों से भरपूर सहयोग की अपील करता हूं। हम सभी को इन अज्ञात राज्यों में शांति तथा सद्भाव के लिए अभियान चलाने में मिल-जुल कर काम करना होगा। इसके लिए विश्वास और आशा का एक अनुकूल वातावरण बनाना जरूरी है। मौजूदा टकराव की जगह स्थायी शक्ति स्थापित करनी ही होगी, घृणा की जगह सद्भाव का वातावरण बनाना ही होगा और संदेह को हटाकर परस्पर विश्वास का माहौल रचना ही होगा। हम एक ही देश की संतान हैं। हम सब एक ही परिवार हैं। हमारा भविष्य एक है। अपनी समृद्धि के हम सभी भागीदार हैं, हमें अपनी समस्याओं से मिलकर जूझना होगा।

मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रशासन में सुधार लाएं, भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएं और सरकारी तंत्र को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से चुस्त-दुरुस्त बनाएं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने लोगों में जो भारी उत्साह देखा है तथा उन्होंने जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित की है उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि मुझे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा।

बातचीत के दौरान राज्य सरकारों ने मुझ से कई ऐसी परियोजनाओं की चर्चा की, जिन पर अमल करना जरूरी होगा। हमने सभी प्रस्तावों पर विचार किया है। नीचे उन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की राज्य वार सूची दी जा रही है। जिन पर काम करने का फैसला सरकार ने लिया है।

मिजोरम

- 425 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली तुईरियाल पन बिजली परियोजना को इसी वर्ष मंजूरी दे दी जाएगी।
- विशेष सुविधाओं वाले एक राज्य अस्पताल के लिए शीघ्र मंजूरी दे दी जाएगी। 40 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अस्पताल में 200 बिस्तरे होंगे तथा इसके लिए राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। राज्य और केन्द्र सरकारें मिलकर 31 दिसम्बर, 1996 तक इसके लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिस पर 31 मार्च 1997 तक मंजूरी दे दी जाएगी।
- शीघ्र ही जल निकासी व्यवस्था सहित आइजल शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण को मंजूदी दे दी जाएगी। इस पर 130 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है जिसका 75% खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी तथा शेष 25% खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यह काम तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
- सीमा सड़कों/सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी जाएगी। इन कामों पर 1997-98 और इसके बाद अमल किया जाएगा।
- इसी वर्ष, 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दी जाएगी।

त्रिपुरा

- कुमारघाट-अगरतला रेल परियोजना शुरू की जाएगी जिस पर 525 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इस परियोजना को पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा जिसके लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हर वर्ष पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
- 31 मार्च 1997 से पूर्व 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्थापना की मंजूरी दे दी जाएगी।
- अगरतला हवाई अड्डे पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
- 15 करोड़ रुपए की लागत से रसोई गैस सिलेंडर भरने का एक संयंत्र लगाया जाएगा।
- एक औद्योगिक विकास केन्द्र खोला जाएगा, जिसके लिए केन्द्र 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगा।
- अगरतला से सब्रूम तक राज्य राजमार्ग को नौवीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जाएगा।

मणिपुर

- सीमा सड़क संगठन द्वारा 130 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत

से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 को विकसित/चौड़ा करने के काम को 31 मार्च 1997 से पहले मंजूरी दे दी जाएगी तथा इस पर 1997-98 से पूर्व काम शुरू हो जाएगा।

- इम्फाल में 1997 के राष्ट्रीय खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 17 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे।
- 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र खोला जाएगा।
- मणिपुर के लिए रसोई गैस के सिलिंडर भरने के लिए संयंत्र को मंजूरी दी जाएगी जिस पर 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
- इम्फाल स्थित आर० आई० एम० एस० को उन्नत बनाने की परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 31 मार्च 1997 तक 90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को मंजूरी दी जाएगी।
- इसी वर्ष 426 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली लोकतक अनुप्रवाह एच० ई० पी० को मंजूरी दी जाएगी।
- मारम (राष्ट्रीय राजमार्ग-39) को फाईबग से जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क (59 कि० मी०) के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को इसी वर्ष मंजूरी।

अरुणाचल प्रदेश

- राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही (36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली) ईटानगर और नहरलागुन जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी।
- अरुणाचल प्रदेश में 10 करोड़ रुपए की लागत से जैव विविधता अध्ययन संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ईटानगर में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी।
- भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी। जिसमें जल विद्युत, पर्यटन और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्रों पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा।
- लीलावाड़ी हवाई अड्डे में सुधार के काम को 31 मार्च, 1997 तक मंजूरी दे दी जाएगी। इस पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा इसमें हवाई पट्टी के विस्तार का काम भी शामिल होगा।
- नौवीं पंचवर्षीय योजना में मंजूरी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 ए का ईटानगर से मोहपुर तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
- अरुणाचल प्रदेश में (10 करोड़ रुपए की लागत से) दो इंडिया रिजर्व बटालियनों को मंजूरी 31 मार्च, 1997 तक दे दी जाएगी।
- केन्द्रीय सरकार ईटानगर में नए विधान सभा भवन के निर्माण के लिए 75% अनुदान प्रदान करेगी जिसकी नींव दस वर्ष पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी।

नागालैंड

- दोयांग एच० ई० पी० को पूरा करने के लिए जरूरी 127 करोड़ 80 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा दो वर्षों में यह पूरी राशि प्रदान की जाएगी।
- गुवाहाटी से दीमापुर और कोहिमा के बीच हेलीकाप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए (प्रतिवर्ष अनुमानित 15 करोड़ रुपए) 75% केन्द्रीय सब्सिडी दी जाएगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की 17 कि० मी० सड़क को चार लेनों का बनाने के लिए 38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की मंजूरी दी जाएगी।
- (15 करोड़ रुपए की लागत से) दीमापुर हवाई अड्डे का विकास (जिसमें हवाई पट्टी के विस्तार और आई० एल० एस० की स्थापना को) काम भी शामिल होगा।
- नागालैंड विश्वविद्यालय को अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
- कोहिमा के जिला अस्पताल में विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान करने के लिए (25 करोड़ रुपए से) अस्पताल को उन्नत बनाने का काम शुरू किया जाएगा।
- 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी से औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।
- डिब्रूगढ़-दीमापुर रेल खंड के गेज परिवर्तन के काम को मंजूरी दी जाएगी।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्राम विकास बोर्डों को मकान बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन।
- दीमापुर से गुवाहटी के रास्ते दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रैस चलाई जाएगी।
- इंडियन एयरलाइन्स सप्ताह में तीन बार दीमापुर से गुवाहटी के रास्ते दिल्ली तक उड़ान सेवाएं चलाएगी।

असम

- जामाधापा रेल व सड़क पुल को पूरा करने के लिए 1996-97 में 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1997-98 में 120 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- बोगाभील में सड़क रेल पुल का प्रस्ताव। इस वर्ष 10 अरब रुपए मंजूर किए जाएंगे तथा काम अगले वर्ष शुरू होगा तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाएगा।
- गुवाहाटी हवाई अड्डे को पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाभिकेन्द्र के रूप में उन्नत करना तथा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्तर पर विकसित करना। इस काम पर 128 करोड़ रुपए लागत आएगी।
- 10.10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी से तीन औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित किए जाएंगे (कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी)।

- ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ संबंधी निर्माण कार्य केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में शुरू किए जाएंगे तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए 500 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
- रसोई गैस के सिलिंडर भरने वाला 24 करोड़ रुपए की लागत का एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- भारत सरकार नवम्बर 1996 के अंत तक 1996-1999 की अवधि में तीन वर्षों के लिए 'आन अकाउंट' रायल्टी दरें तय करेगी तथा इन दरों पर भुगतान असम सरकार को 31 दिसम्बर, 1996 तक कर लिया जाएगा। अप्रैल 1996 से बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा।
- गुवाहाटी मेडिकल कालेज के उन्नयन पर विचार किया जाएगा।

मेघालय

- वर्ष 1986 में जिस इंदिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान की आधारशिला रखी गई थी, उसे समयबद्ध ढंग से पूरा करने का काम किया जाएगा।
- शिलांग उपमार्ग सड़क के लिए 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे तथा नौवीं योजना में इस काम को अमल करने में तेजी लाई जाएगी।
- गुवाहाटी से बनीघाट (मेघालय में ही) रेल हैड की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके निर्माण का काम राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराए जाने के तत्काल बाद शुरू कर दिया जाएगा।
- नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उमरोई हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा तथा इसे उन्नत बनाया जाएगा तथा भूमि मिलते ही इस का काम शुरू किया जाएगा।
- शिलांग के निकट मेघालय में एक नया उपनगर बनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने सिफारिश की थी। इस काम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत का अनुमान है।
- तुरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 51 को चौड़ा करने की मंजूरी दी जाएगी।
- 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र की मंजूरी दी जाएगी।
- शिलांग में होटल प्रबंध संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- मेघालय और बांग्लादेश को जोड़ने वाले दोबकी पुल का निर्माण तत्काल शुरू किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी।

काफी लम्बे समय से उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में निरर्थक हिंसा भड़की है। एक लम्बे अर्से से कतिपय बहकाए गए तत्त्व अपने भाइयों तथा सह-नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और लूट-खसोट तथा अपहरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंसा से किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा जिन्होंने विवेक सम्मत मार्ग अपनाने के बजाए हिंसा का रास्ता अपना लिया है। मेरा विश्वास है कि सभी समस्याएं पारस्परिक विचार-विमर्श से हल हो सकती हैं। मैं बिना किसी पूर्व शर्त के उग्रवादियों सहित किसी भी वैयक्तिक समूह को मिलने का खुला आमंत्रण देता हूं ताकि उनकी वैधानिक शिकायतों पर विचार विमर्श किया जा सके। मैं तहेदिल से उनके विचारों तथा उनकी परेशानियों को जानना चाहता हूं। साथ ही मैं स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहूंगा कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उससे कड़ाई से निबटा जाएगा।

श्री एच॰ डी॰ देवगोड़ा

प्रधानमंत्री

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यदि हम सब मिलकर काम करें और संयुक्त रूप से बेहतर भविष्य को ध्यान में रखें, तो सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दौरे के दौरान लोगों द्वारा प्रदर्शित स्नेह तथा प्यार के लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं।

श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा

प्रधानमंत्री

विवरण-II

14 फरवरी, 1997 को जम्मू में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

मित्रो,

लगभग एक दशक के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना की गई है। पड़ोसी देश और उनके एजेंटों द्वारा चलाए गए परोक्षी युद्ध (प्राक्सी-वार) के कारण इन वर्षों में राज्य एवं इसके नागरिकों को जिन संकटों और परेशानियों से गुजरना पड़ा था मैं उनका विस्तृत उल्लेख नहीं करना चाहता। लोगों ने चुनावों में भारी संख्या में भाग लिया जिन्हें बड़े शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चुनावों की यथार्थता एवं निष्पक्षता को स्वीकार किया है। लोगों द्वारा इस सरकार को जो एक बड़ा जनादेश दिया गया है उससे लोगों की आशाओं को पूरा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक महान दायित्व इस सरकार पर आता है। मैं अत्यधिक स्पष्ट रूप से एवं विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार एवं संपूर्ण राष्ट्र इस महान कार्य में जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा इसके लोगों के साथ है।

2. मैंने जम्मू एवं कश्मीर का पहले भी दो बार दौरा किया है और यह मेरा तीसरा दौरा है। मैंने कुछ अति महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों और परियोजनाओं को देखा है जो राज्य के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु निधियों की कमी के कारण इन में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है। 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ऊधमपुर-बारामुल्ला रेलवे लाइन जो बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर सकती है रेलवे द्वारा निधियों की कमी के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी। सारे मामले की पुनरीक्षा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि इसे "राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना" के रूप में चलाया जाएं और रेलवे योजना से बाहर इसे आवश्यक निधियां प्रदान की जाए। इस परियोजना पर दोनों तरफ से एक साथ कार्य आरम्भ किया जाएगा। उरी पन-बिजली परियोजना जिसे कल राष्ट्र को समर्पित किया गया है। घाटी में अशांत एवं विघ्न बाधाओं की हालतों के बावजूद भी उचित समय पर पूरी कर दी गई

है। उरी परियोजना के बकाया कार्य को पूरा करने के लिए हमने और 300 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। उरी यूनिट-1 से प्राप्त सारी बिजली राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी महत्त्वपूर्ण पन-बिजली परियोजना दुल-हस्ती है, जिसका कार्य 1992 से बंद पड़ा हुआ था उसे पुनः चालू किया जा रहा है। इस बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक बकाया 3000 करोड़ रुपए की संपूर्ण निधि प्रदान करने का भी हमने निर्णय लिया है।

3 इस बीच राज्य में बिजली की कमी को संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के लिए आवंटन बढ़ाकर 876 मे॰ वा॰ किया जा रहा है। बिजली के इस उपयोग के लिए राज्य को ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ करनी चाहिए। निवेश संवर्धन के जरिए अपनी पन बिजली क्षमता का दोहन करने हेतु हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे।

4. राज्य सरकार ने हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ परियोजनाओं एवं प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। जिन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाने की आवश्यकता है। मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों ने राज्य मंत्रिमंडल के साथ इन प्रस्तावों पर कल विस्तृत विचार-विमर्श किया है। सिद्धांत रूप से मैं इन प्राथमिकताओं से पूरी तरह सहमत हूं और राज्य तथा केन्द्र के बीच संयुक्त प्रयास की भावना के साथ इन्हें कार्यान्वित करने के लिए हमें इसके लिए उपाय तैयार करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको विदित है सरकार राज्य की नौवीं योजना को अंतिम रूप देने ही वाली है और राज्य तथा केन्द्र की नौवीं योजना में इन कुछ विकासात्मक परियोजनाओं को सम्मिलित करने की हमें आवश्यकता है।

5. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बाहरी सहायता सहित विशेष निधि पोषण कार्य प्रणाली हम तैयार करेंगे जैसे (क) डल और दूसरी महत्त्वपूर्ण झीलों की सुरक्षा एवं विकास (ख) घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान और (ग) गंगा कार्य योजना की तरह झेलम के नौ-संचालन एवं पर्यावरणिक पहलुओं को सुधारने के लिए कार्य योजना।

6. राज्य वार्षिक योजना इस वर्ष 1250 करोड़ रुपए की एक उच रिकार्ड सीमा पर पहुंच गई है। राज्य सरकार को एक अच्छी 1997-98 की वार्षिक योजना से शुरू करते हुए उचित नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे प्रत्येक वर्ष के लिए योजना परिव्यय का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा और संसाधनों में गैर-योजना अंतराल को पूरा करने के लिए निधियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

7. 1275 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋण को माफ करने के लिए राज्य सरकार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जल्दी ही एक निर्णय लिया जाएगा। निकट भविष्य में राज्य सरकार के साथ इसके बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक केन्द्रीय दल को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पुराने ओवर ड्राफ्ट की समस्या को धीरे-धीरे समाप्त करने में भी राज्य की सहायता की जाएगी।

8. राज्य में ग्रामीण विकास एवं बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय परिव्यय को काफी बढ़ा दिया गया है। नौवीं योजना में राज्य को लगभग 1500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आतंकवादियों (मिलिटैन्ट्स) द्वारा क्षतिग्रस्त अवसंरचना को बहाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए को उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन को 140 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा।

10. मुगल रोड़ को 150 करोड़ रुपए की लागत पर प्राथमिकता के आधार पर हाथ में हाथ लिया जाएगा और कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी होगी।

11. विशेष वितरण के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के और अधिक कस्बों को प्रधानमंत्री के एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।

12. जम्मू को बी-2 श्रेणी के शहर के रूप में घोषित करने के आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

13. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल पहले ही भेज दिया है और राज्य सरकार के परामर्श से अगले वर्ष से जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय आरम्भ करने का निर्णय लिया जाएगा।

14. राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुछ दूसरे ज्ञापन प्रस्तावों की भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ विस्तृत परामर्श करके जांच करने की आवश्यकता है और इन्हें परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। परन्तु मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि फंड की उपलब्धता मुख्य अड़चन या संवेदनशील मुद्दा नहीं है। आवश्यक यह है कि सावधानीपूर्वक कार्यक्रम एवं परियोजनाएं तैयार की जाएं और उनका प्रभावकारी कार्यान्वयन किया जाए। ताकि इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंच सकें। मैं कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग पर भी जोर देना चाहूंगा ताकि आवंटित निधियों का उपयोग उद्देश्य के अनुरूप हो सके।

15. कुछ दूसरे प्रस्ताव भी हैं जो विस्थापितों को वापस बसाने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं आदि से संबंधित हैं। मुझे आशा है कि विस्थापितों में विश्वास पैदा करने के लिए उचित उपाय आरम्भ करने और स्थानीय लोगों की सहायता लेने में लोकप्रिय सरकार समर्थ होगी ताकि विस्थापित जल्दी से जल्दी घाटी में अपने घरों को वापस आ सकें। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके कार्यान्वयन के रास्ते में वित्तीय अड़चनों को नहीं आने दिया जाएगा।

16. राज्य के युवकों के लिए रोजगार के अवसरों के प्रावधान के बारे में राज्य सरकार की चिंता को केन्द्र सरकार भली-भांति समझती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय प्रतिष्ठानों और प्राइवेट सेक्टर में भी अधिक से अधिक यथा सम्भव इस राज्य के युवकों को नौकरियां दी जाएं, इसके लिए विशेष भर्ती अभियान जारी रखा जाएगा। परन्तु स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके उपलब्ध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु अधिक जोर देना होगा। पारम्परिक कौशल, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में बढ़ावा देने एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिए नए कार्यक्रम तैयार करना भी आवश्यक होगा। राज्य के युवक

मार्केटिंग और बिक्री कार्यों के लिए अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के अंदर और उसके बाहर विशेष प्रकार की औद्योगिक संपदाओं और विपणन केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार कुछ भूमि निर्धारित करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाएगी।

17. परन्तु जैसे-जैसे कानून एवं व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार होता जाता है उपर्युक्त कार्यों में भी प्रगति होगी और उनमें गति आएगी। कुछ असामाजिक तत्त्व बंद और हड़तालों का सहारा लेकर राज्य की आर्थिक प्रगति में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार ऐसी गतिविधियों को चलने दे ऐसा नहीं हो सकता उसे इन पर रोक लगानी पड़ेगी। जब तक ऐसी गतिविधियों से सख्ती से न निबटा जाए आर्थिक प्रगति एवं लोगों का कल्याण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे तत्त्वों से निबटने के लिए कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनैतिक रूप से भी कार्यवाही करनी होगी।

18. मैं इस राज्य के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार अलग-अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। और जम्मू एवं कश्मीर की इन विशेष समस्याओं का वह एक साथ मिल कर निबटारा करेंगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि राज्य की क्षत-विक्षत अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं उसके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। इस राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वाह बिना भेदभाव के किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्र आपके साथ है।

पक्की सड़कें

661. श्री मुनव्वर हसन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से कैराना-मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी पक्की सड़क नहीं बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभागों को प्रदान की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महानगरों में पेयजल की आपूर्ति

662. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी महानगरों में पेयजल की कुल कितनी मांग है;

(ख) महानगरों को जल आपूर्ति में कुल कितनी कमी है;

(ग) महानगरों को जल आपूर्ति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विश्व बैंक ने जलापूर्ति में सुधार लाने हेतु कोई विशेष परियोजना ऋण दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग). जल आपूर्ति राज्य का विषय है। महानगरों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अलग-अलग तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा मांग, आपूर्ति, कमी इत्यादि की स्थिति की मानीटरिंग नहीं की जाती है। तथापि, उपलब्ध सूचना विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबंध परियोजनाओं की सूची विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

क्रम सं.	महानगर	मांग (एम.एल.डी.)	आपूर्ति (एम.एल.डी.)	कमी/बेशी (एम.एल.डी.)
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	736	455	281
2.	बंगलौर	679	680	–1
3.	भोपाल	288	288	0
4.	कलकत्ता	1172	990	182
5.	चेन्नई	800	440	360
6.	कोयम्बतूर	237.8	75	162.8
7.	दिल्ली	3405	2611	794
8.	हैदराबाद	1075	675	400
9.	इन्दौर	300	180	120
10.	जयपुर	340	260	80
11.	कानपुर	675	300	375
12.	कोची	263	170	93
13.	लखनऊ	540	415	125
14.	लुधियाना	—	—	—
15.	मदुरै	227.8	60	167.8
16.	मुम्बई	2142	2930	–788
17.	नागपुर	440	373	67
18.	पटना	135	139	–4
19.	पुणे	614	600	14
20.	सूरत	200	200	0
21.	बड़ौदरा	280	250	30
22.	वाराणसी	311	311	0
23.	विशाखापत्तनम	181.6	90.8	90.8
		15042.2	12492.8	2549.4

विवरण-II

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जल आपूर्ति तथा सीवरेज/सफाई प्रबंध परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना (परियोजना में शामिल महानगर)	लागत (रुपए करोड़ों में)	विश्व बैंक सहायता (अमेरिकी डालर मिलियन)	पूर्ति का वर्ष
1.	मुम्बई जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध	185.00	55.00	1979
2.	पंजाब जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध (लुधियाना)	67.00	38.00	1988
3.	उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध (कानपुर, वाराणसी और लखनऊ)	60.00	40.00	—
4.	मुम्बई जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध	640.00	196.00	1988
5.	राजस्थान जल आपूर्ति तथा सफाई	137.76	80.00	1988
6.	तमिलनाडु जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध (कोयम्बतूर और मदुरै)	321.86	73.00	1994
7.	मद्रास जल आपूर्ति और सफाई प्रबन्ध	255.95	69.00	1996
8.	मुम्बई जल आपूर्ति और सफाई प्रबन्ध	915.00	145.00	1996
9.	गुजरात शहरी विकास जिसमें जल आपूर्ति शामिल है (अहमदाबाद सूरत तथा बड़ोदरा)	208.00	62.00	1995
10.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास जिसमें जल आपूर्ति शामिल है (वाराणसी व लखनऊ)	463.86	150.00	1996
11.	हैदराबाद जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध	257.06	89.90	चालू परियोजना
12.	मद्रास जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध	336.50	86.47	चालू परियोजना

[हिन्दी]

केन्द्रीय विभाग की स्थापना

663. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु किसी केन्द्रीय विभाग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेष-रूप से महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में तीन विभाग हैं अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग और बंजर भूमि विकास विभाग। मंत्रालय में कोई और विभाग गठित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में सूखे का खतरा

664. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सूखे के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून, 1996 के दौरान वर्षा की अपर्याप्तता के कारण कच्छ, जामनगर, भावनगर तथा राजकोट जिलों के 1733 गांवों में सूखे की स्थिति घोषित की है।

(ग) राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत उपाय कर रही है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए

आपदा राहत कोष में अपने हिस्से को 104.70 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी है।

तूफानों का दुष्प्रभाव

665. डॉ॰ सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान चेतावनी केन्द्रों का एक नेटवर्क बनाने का है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तूफान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उचित उपायों और कार्यक्रमों के बारे में पूरी तरह से विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्रवर्ती राज्यों के सभी तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर छह चक्रवात चेतावनी केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न सरकारी तंत्रों, जनता तथा अन्य प्रयोक्ताओं के लिए चक्रवात चेतावनी तथा उसके प्रसारण के लिए एक सिद्ध एवं भरोसेमंद प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) के संबंधित चक्रवात चेतावनी केन्द्रों द्वारा आसन्न चक्रवात के खतरों के बारे में सरकार के संबंधित अधिकारियों तथा जनता को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है। प्रत्येक समुद्रवर्ती राज्य की चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए एक कार्य योजना होती है, यथा—लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, दूर संचार पुनः स्थापित करना, बिजली आपूर्ति, गुमशुदा मछुआरों की खोज तथा उनका बचाव एवं राहत पहुंचाना। चक्रवातों के बेहतर मानीटरिंग के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग आगे नई पीढ़ी के डॉप्लर राडारों को ला रहा है। यह चक्रवात के संबंध में हमारी तैयारियों को और बेहतर बनाएगा।

गंदी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना

666. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में अनेक गंदी बस्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बस्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को पानी, बिजली, शिक्षा, औषधालय आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन समस्त सुविधाओं को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

(ङ) इन समस्त सुविधाओं को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ङ) चण्डीगढ़ में निम्नलिखित श्रमिक कालोनियां हैं :—

1. कालोनी नं॰ 4 औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, चण्डीगढ़
2. जनता कालोनी, सेक्टर-25
3. कुम्हार कालोनी, सेक्टर-25
4. मद्रासी कालोनी, सेक्टर-26
5. रेलवे पुल के निकट ग्वाला कालोनी
6. रेलवे क्रासिंग के निकट रूंधावा कालोनी
7. श्रमिक कालोनी, सेक्टर-31 "सी"
8. गांव कहोरी में निकट श्रमिक कालोनी, सेक्टर-53
9. गांव करसन के निकट श्रमिक कालोनी, फेज-11
10. श्रमिक कालोनी, गांव पलसोरा
11. कुलदीप कालोनी, सेक्टर-52
12. आदर्श कालोनी, सेक्टर-54
13. सुखनगर कालोनी, सेक्टर-52
14. पंडित कालोनी, सेक्टर-52

विभिन्न कालोनियों में पीने का पानी नल से सप्लाई किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जाने हैं :—

(i) विभिन्न कालोनियों में ट्यूबवेल लगाए जाने हैं;

(ii) श्रमिगत जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(iii) विभिन्न कालोनियों में खुली नालियों के स्थान पर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है;

(iv) बापू धाम कालोनी तथा कालोनी नं॰ 5 में सुलभ शौचालय बनाने का प्रस्ताव है;

(v) विभिन्न कालोनियों में सड़कों को पक्का किया जा रहा है।

[हिन्दी]

फ्लैटों का घटिया रख-रखाव

667. श्री भेरुलाल मीणा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में चार मंजिले सरकारी फ्लैट खराब हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी फ्लैटों की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ फ्लैटों का मरम्मत कार्य आरम्भ किया गया है और शेष फ्लैटों का मरम्मत कार्य रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो बचे फ्लैटों का मरम्मत कार्य कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या यह मरम्मत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और अन्य उच्च अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो उन फ्लैटों की संख्या कितनी है जहां मरम्मत कार्य संतोषजनक तरीके से पूरा नहीं किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में चार मंजिले फ्लैटों की सामान्य हालत सन्तोषजनक है, केवल सैक्टर-IV में 9 टाइप-"सी" क्वार्टरों में अपवाद स्वरूप आर॰ सी॰ सी॰ के कुछ बीम और स्लैब क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा ब्लाक-"जे" व "एच" में टाइप-II क्वार्टरों में सीढ़ियों तथा खम्भों में कुछ खराबी आई है।

(ख) "जे" व "एच" ब्लाक में मरम्मत का कार्य जारी है तथा सेक्टर-IV में भी मरम्मत कार्य की जनवरी, 97 में मंजूरी दे दी गई है।

(ग) 17 कस्बों में मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 30 ब्लाकों में मरम्मत का काम जारी है।

(घ) यह काम करीब 6 माह में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रासायनिक हथियारों की तस्करी

668. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने एक हथगोला बरामद किया है, जिसके 'रासायनिक हथगोला' होने की संभावना और जिसे आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी में ले जाया जा सकता था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) 12 जनवरी, 1997 को नूरान गांव मे चलाए गए एक आपरेशन में सीमा सुरक्षा बल ने बेलन जैसे आकार का एक कंटेनर/हथगोला बरामद किया था, जिसका आरम्भ में एक रासायनिक हथगोला का संदेह था। बाद में विशेषज्ञों द्वारा जांच करने पर यह पाया गया था कि वह एक "देशी निर्मित हथगोला" था, न की रासायनिक हथगोला।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुएं

669. श्री विजय पटेल :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री दिलीप संघानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के चान्दखेड़ा तेल कुएं से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है और इसका वाणिज्यिक उपयोग हेतु भण्डारण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चान्दखेड़ा स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम कालोनी के आपूर्ति हेतु केवल अल्प मात्रा में गैस का भण्डारण किया जाता है; और

(ग) उक्त कुएं से उत्पादित गैस का पूर्णरूप से उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन वर्तमान में चांदखेड़ा के निकट मोतेरा क्षेत्र में संबद्ध गैस की 34,500 एस सी एम डी मात्रा का उत्पादन कर रहा है। इसमें से 33.000 एस सी एम डी मात्रा का उपयोग निम्नानुसार किया जा रहा है :—

	एस सी एम डी
1. उद्योगों को आपूर्ति	30,000
2. ओ एन जी सी कालोनी की आपूर्ति	2,000
3. आंतरिक उपयोग	1,000

जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता

670. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर को इस समय भारते के संविधान में दी गई स्वायत्तता से अधिक स्वायत्तता देने का कोई विशिष्ट वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कोई विशेष प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ) सरकार भारतीय संविधान के दायरे

के अन्दर जम्मू और कश्मीर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर में स्वायत्तता से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इस संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

असम में रोजगार योजना

671. **डॉ॰ अरुण कुमार शर्मा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के शहरी क्षेत्रों में कौन-कौन सी रोजगार योजनाएं चालू हैं;

(ख) राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में अब तक कुल कितने श्रम दिवस सृजित किए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कुल कितनी राशि दी गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) केन्द्र प्रवर्तित दो शहरी रोजगार योजनाएं नामतः नेहरू रोजगार योजना (एन॰ आर॰ वाई॰) और प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) आसाम में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) नेहरू रोजगार योजना की स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मानीटर की जाती है न कि जिला स्तर पर। 31.1.1997 तक इस स्कीम के तहत कुल 7.48 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए।

पी एम आई यू पी ई पी के तहत मजदूरी रोजगार का कोई घटक नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) के तहत राज्य सरकार को मुहैया कराई गई धनराशि इस प्रकार है :—

क्रम सं॰ स्कीम	धनराशि (लाख रु॰ में) वर्ष		
1. एन आर वाई	1993-94	1994-95	1995-96
	89.49	184.72	147.20
2. पी एम आई यू पी ई पी	—	—	285.94

(पी एम आई यू पी ई पी 1995-96 में आरंभ की गई है)

पानी की कमी

672. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के छोटे तथा मध्यम दर्जे के ऐसे कौन से कस्बे हैं जहां पानी की अत्यधिक किल्लत है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है तथा इन कस्बों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में 641 छोटे व मझोले कस्बे हैं और उनमें से अधिकांश में पेयजल की कमी है।

(ख) और (ग). जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत, 20 हजार से कम आबादी (जनगणना 1991) वाले 71 कस्बों की जल आपूर्ति स्कीमें भेजी हैं। इस कार्यक्रम में स्कीम के लागत खर्च की केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 अनुपात में भागीदारी की व्यवस्था है। इनमें से अब तक 69 स्कीमें मंजूर हो गई हैं जिनकी कुल परियोजना लागत 5858.67 लाख रु॰ है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 8वीं योजना में 1756. 19 लाख रुपए का नाममात्र का शेयर रखा गया है।

उपर्युक्त के अलावा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय कस्बों के लिए जल-आपूर्ति सुविधाएं बढ़ाने के लिए 4533 लाख रु॰ की परियोजना लागत का प्रस्ताव सहायता हेतु 10वें वित्त आयोग को प्राप्त हुआ था। इस मंत्रालय ने उसकी तकनीकी जांच करके उसकी, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश कर दी थी और वह अब मंजूर हो गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार योजना

673. **डॉ॰ रमेश चंद तोमर** :

श्री देवीबक्स सिंह :

श्री राधा मोहन सिंह :

श्री अनंत गुढ़े :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार युवकों और युवतियों के लिए रोजगार सृजित करने संबंधी कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चलाए गए रोजगार कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा स्व-रोजगार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 1996-97 और अगले तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजित करने के लिए कितनी धनराशि निवेश करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों और युवतियों के लिए कोई अलग कार्यक्रम

कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। किन्तु प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों के परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे जो आठवीं कक्षा (उत्तीर्ण या अनुतीर्ण) तक पढ़े हों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7500 रुपए अथवा परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक, दोनों में जो भी कम हो सरकारी सबसिडी पाने के हकदार हैं।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसके ट्राइसेम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजना (डवाकरा) दो उप-कार्यक्रम हैं। ट्राइसेम के अन्तर्गत ग्रामीण युवा जो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित हैं की कार्यकुशलता को उन्नत बनाने के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास योजना (डवाकरा) के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब महिलाओं का समूह जिसमें 10-15 सदस्य होते हैं को अपनी पसन्द के किसी लाभप्रद आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए 25,000 रुपए की आवर्ती निधि सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1997-98 के लिए स्व रोजगार कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों तथा वर्ष 1996-97 में प्रत्याशित निवेश को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चूंकि 1998-99 और इससे आगे की अवधि के आवंटन का निर्धारण नहीं किया गया है इसलिए इस समय अगले तीन वर्षों के लिए निवेश का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

	प्रत्याशित निवेश 1996-97 सब्सिडी (केन्द्र + राज्य)	ऋण	योग	लक्ष्य 1997-98 वास्तविक (संख्या लाख में)	लक्ष्य 1997-98 वित्तीय (केन्द्र + राज्य)
आई० आर० डी० पी०	1069.00	2142.20	3211.20	*	1135.36
ट्राइसेम					
(क) आवर्ती	70.50	—	—	*	90.00
(ख) ढांचागत	28.00	—	—	*	28.00
डवाकरा	75.00	—	—	0.30 (समूह)	102.80

*आई० आर० डी० पी० और ट्राइसेम के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत संशोधन अधिनियम

674. लैफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :
डॉ. टी. सुब्बा रामी रेड्डी
श्री भक्त चरण दास :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री अजय चक्रवर्ती :
डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री शरत पटनायक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत प्रेषण में निजी निवेश को सुगम बनाने हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले अन्य प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधान लाए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह विधान कब तक लाए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) बिजली कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1997, 24.1.97 को जारी किया गया। यह संशोधन "पारेषण" को उत्पादन और वितरण से भिन्न गतिविधि मानता है तथा विद्युत अंतःक्षेत्रीय तथा राज्याधीन पारेषण हेतु केन्द्र और राज्य सरकारें द्वारा पारेषण लाइसेंस जारी किए जाने हेतु प्रावधान करता है।

(ग) और (घ) बिजली के एक समवर्ती विषय होने के कारण संसद इस तरह के कानून को लागू कर सकती है। इन संशोधनों का उद्देश्य पारेषण को एक पृथक् गतिविधि के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु एक सक्षम कानूनी ढांचा प्रदान करना है ताकि पारेषण परियोजनाओं हेतु निजी निवेश को जुटाया जा सके। अतः यह संशोधन केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के हित में होगा जिनका यह उत्तरदायित्व है कि वे अंतः-क्षेत्रीय और राजधानी पारेषण को सुनिश्चित करें।

(ङ) अध्यादेश के प्रत्यावर्तन के लिए संसद के वर्तमान सत्र में एक बिल प्रस्तुत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

675. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि विशिष्ट मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छः महीनों के द्वारा ऐसी कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) एक विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए तैयार की गई समझौता ज्ञापन/आशय-पत्र के माध्यम वाली 100 करोड़ रुपए तक की लागत की तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम वाली 1000 करोड़ रुपए तक की लागत की चयनित स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार इन स्कीमों की स्वीकृति को अब नियमित आधार पर मानीटरिंग नहीं करती है क्योंकि वे राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

[अनुवाद]

क्षतिग्रस्त मकानों के लिए केन्द्रीय सहायता

676. श्री वी. प्रदीप देव :

श्री आर. साम्बसिवा राव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तथा उड़ीसा में वर्ष 1995-96 और 31 दिसम्बर, 1996 तक बाढ़/चक्रवात/तूफान से पूरी तरह नष्ट हुए मकानों के निर्माण के लिए कुल कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि विशेष सहायता राशि जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत की गई है उसका समुचित उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया जाए ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) आपदा राहत कोष से सामान्य धन आवंटन के अलावा, वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आए समुद्री तूफान तथा बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास उपायों के लिए (आवासीय क्षेत्र सहित) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन. एफ. सी. आर.) से निम्नलिखित अतिरिक्त राहत राशि प्रदान की गई है।

राज्य	1995-96 (करोड़ रु.)	1996-97
आन्ध्र प्रदेश	21.00	142.00
केरल	—	—
उड़ीसा	30.75	—
तमिलनाडु	—	—

(ख) प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत (क्षति ग्रस्त मकानों के लिए राहत सहित) हेतु आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए भारत सरकार ने सहायता सामग्री व मानकों का निर्धारण किया है। महालेखाकार यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल अनुमोदित सामग्री पर व्यय की ही अनुमति दी जाए।

रसोई गैस प्रयोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम

677. श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

कुमारी उमा भारती :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस प्रयोक्ताओं को सुरक्षात्मक पहलुओं के बारे में शिक्षित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सुरक्षा से संबंधित शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का एक सतत् तथा अति महत्त्वपूर्ण क्रिया-कलाप है। तेल कंपनियां एल पी जी की संभाल से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए एल पी जी ग्राहकों हेतु ग्राहक सुरक्षा क्लिनिक, सुरक्षा पर गोष्ठी, आमने-सामने सत्र, ग्राहकों की सेवार्थ हाजिर होने, इत्यादि जैसे एल पी जी ग्राहक शिक्षा कार्यक्रम चलाती हैं। तेल उद्योग ने दिसम्बर, 1996 से दूरदर्शन, प्रकाशन माध्यम इत्यादि जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए एल पी जी उपभोक्ताओं को संरक्षण एवं सुरक्षा विषयक शिक्षा देने के संबंध में उत्तरी क्षेत्र में पहले ही एक अभियान आरंभ कर दिया है। यह अभियान फरवरी, 1997 के अंत तक जारी रहेगा।

परमाणु ऊर्जा से विद्युत

678. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(ग) क्या लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या अनुमान लगाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) परमाणु ऊर्जा के जरिए विद्युत उत्पादन के लिए आठवीं योजना में बजटीय लक्ष्य 37070 मिलियन यूनिट रखा गया था।

(ख) फरवरी और मार्च, 1997 के दौरान लगभग 1800 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने की आशा के साथ परमाणु विद्युत संयंत्रों से आठवीं योजना अर्थात् 1992-97 के दौरान बिजली का कुल उत्पादन करीब 35000 मिलियन यूनिट होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। आठवीं योजना के दौरान लक्ष्य से करीब 2300 मिलियन यूनिट कम उत्पादन होने की आशा है जोकि मुख्यत: इन कारणों से है :

(i) पुन:ईंधन भरण और क्रोड-श्राऊड के निरीक्षण के लिए 1995-96 और 1996-97 के दौरान तारापुर परमाणु बिजलीघर की यूनिटों को लम्बे समय तक बंद रखे जाने,

(ii) शीतलक चैनलों का सेवाकालीन निरीक्षण करने के लिए 1995-96 और 1996-97 के दौरान मद्रास परमाणु बिजलीघर की यूनिटों की बंद रखने की अवधि को बढ़ा देने,

(iii) नरोरा परमाणु बिजलीघर की यूनिटों के स्थिरीकरण की अवधि के दौरान शुरू में आई समस्याओं और यूनिट-I के टरबाइन-जनित्र में लगी आग की घटना के बाद उन्हें लम्बे समय तक बंद रखने।

(ङ) वर्ष 1998-99 तक विद्युत उत्पादन की क्षमता 2720 मेगावाट तक पहुंच जाने की आशा के साथ नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्रों से लगभग 50,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

विश्व बैंक सहायता

679. श्री गोरधनभाई जावरिया : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विशेष रूप से गुजरात के लिए जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए कोई सहायता की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को सहायता प्रदान की है। गुजरात राज्य को दी गई सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

गुजरात जलापूर्ति तथा मलव्ययन परियोजना

परियोजना क्षेत्र	आनन्द, गोधरा, नडियाड, भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद, तथा क्षेत्रीय ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं
लागत	207.33 करोड़ रुपए
विश्व बैंक सहायता	72 मिलियन अमरीकी डालर
पूरा होने का वर्ष	1991

गुजरात शहरी विकास परियोजना

जल आपूर्ति के लिए परियोजना	अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, आनन्द तथा कुछ ग्रामीण क्षेत्र
जल आपूर्ति सहित लागत	208.00 करोड़ रुपए
विश्व बैंक सहायता	62 मिलियन अमरीकी डालर
पूरा होने का वर्ष	1995

मिट्टी तेल डिपो

680 श्री राम सागर :

श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, फूलपुर, बिजनौर तथा बाराबंकी जिलों में मिट्टी तेल के कुल कितने डिपो हैं;

(ख) क्या ये डिपो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी मात्रा में मिट्टी तेल उपलब्ध है या तेल की मात्रा तथा तेल के डिपो बढ़ाने की कोई आवश्यकता है; और

(ङ) ग्रामीणों को आवश्यकतानुसार पूरी मात्रा में मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उत्पादन

681. श्री बी० एल० शंकर : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सहित देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित ऐसे उद्योगों के लिए कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है तथा उनको कितनी सहायता दी गई है;

(ख) उपभोक्ता अवधि के दौरान इन उद्योगों द्वारा कितना उत्पादन किया गया;

(ग) राज्यों में ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) मार्च, 1997 के अंत तक कुल कितना उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है और उनकी संख्या, तैयार उत्पाद की मात्रा के संबंध

में ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते। 1991 में उदारीकरण से लेकर दिसम्बर, 96 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 3885 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से अब तक 511 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन कार्यान्वित किए जा चुके हैं। कर्नाटक के संबंध में 90 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए और 12 कार्यान्वित किए गए। इसी प्रकार नवम्बर 96 तक संयुक्त उद्यम हेतु 908 अनुमोदन, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंसों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से अब तक 155 प्रस्ताव कार्यान्वित किए जा चुके हैं। कर्नाटक के संबंध में 47 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई और 11 कार्यान्वित किए गए। मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु गैर सरकारी संगठनों समेत राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता

682. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी संस्थाओं के दबाव के चलते विद्युत क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मिट्टी के तेल में मिलावट

683. **डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल में मिलावट के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले देखे गए हैं;

(ग) मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मिट्टी के तेल में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान मिट्टी के तेल में मिलावट के किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल कंपनियों के क्षेत्र अधिकारियों और संयुक्त उद्योग/नियमित/अकस्मात/दलों द्वारा एस के ओ डीलरशिपों के निरीक्षण किए जाते हैं। दोषी डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

तेल कुएं

384. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी बेसिन और पूर्वोत्तर तट सहित आयल इंडिया लि॰ की खाड़ी अन्वेषण परियोजना के अंतर्गत खोदे गए अधिकांश कुओं की अपेक्षित खुदाई करने से पहले ही इन्हें छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो खाड़ी अन्वेषण परियोजना स्थापित करने के पश्चात् इस क्षेत्र में कितने कुएं खोदे गए हैं और इन कुओं की लक्षित खुदाई करने से पहले ही इन्हें छोड़ने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) और (ख) आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी अपतटीय क्षेत्र में 7 कूप, महानदी तटवर्ती क्षेत्र में 4 कूप तथा उत्तर-पूर्व तट अपतटीय क्षेत्रों में 4 कूप अर्थात कुल 15 कूप वेधित किए हैं। इनमें से 3 कूप अपेक्षित गहराई तक पहुंचे, 6 कूप तह अथवा स्फोटकीय चट्टानों से मिल गए, इसलिए आगे वेधन बन्द कर देना पड़ा। शेष 6 कूप डाउन होल समस्याओं के कारण अपेक्षित गहराई तक वेधित नहीं किए गए थे।

[हिन्दी]

नई रोजगार नीति

685. **कुमारी उमा भारती :**

श्री छीतूभाई गामीत :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार के और अवसर सृजित करने हेतु कोई नई नीतियां तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीतियों के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को शामिल किया गया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) नौवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अल्प रोजगार और श्रमिकों के नैमितिकरण के बढ़ते हुए मामलों की

पहचान करते हुए गरीबों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में नौवीं पंचवर्षीय योजना एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन स्कीम का कार्यान्वयन करेगी। उत्पादक रोजगार राज्य योजना का महत्त्वपूर्ण आयाम है जो निष्पक्षता से विकास की उपलब्धि का प्रयास करेगा। बेरोजगारी और अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों में श्रम गहन क्षेत्रकों/उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से स्वयं ही विकास की प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित होंगे। देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को कवर करते हुए रोजगार स्कीमों के लाभ सभी राज्यों को प्राप्त होंगे। नौवीं योजना में रोजगार नीति के विस्तृत ब्यौरे निहित होंगे।

[अनुवाद]

खनिजों के लिए बालू का खनन

686. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा स्रोतों से संबंधित खनिजों के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में बालू का खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कम्पनियां तथा सार्वजनिक उपक्रम ऐसे खनन कार्य में संलग्न हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे खनिजों की सप्लाई में अनुभव वाली घरेलू कंपनियों को इस संबंध में प्राथमिकता दिए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कन, ल्यूकॉक्सीन और मोनाजाइट, जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत अनुसूचित खनिज घोषित किया गया है, का केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है। पिछले वर्ष (1995-96) में इन खनिजों का कुल उत्पादन निम्नानुसार था :—

	मीटरी टन
इल्मेनाइट	3,98,183
रूटाइल	12,965
जर्कन	20,333
ल्यूकॉक्सीन	शून्य
मोनाजाइट	3,751

(ग) से (ङ) परमाणु खनिजों का खनन औद्योगिक नीति विवरण, 1991 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, जो कि केरल सरकार का उपक्रम है, ही मात्र ऐसी कम्पनियां हैं जो खनन कार्यों में लगी हुई हैं। इंडियन रेअर अर्थ्स के खनन और खनिज पृथक्करण हेतु अपने संयंत्र चवारा (केरल), मानवलाकुरूचि (तमिलनाडु) और छत्तरपुर (उड़ीसा) में हैं। केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड की खनन संबंधी गतिविधियां केवल चवारा (केरल) में ही हैं।

विद्युत शुल्क

687. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत शुल्क का ब्यौरा तथा पारेषण परियोजना को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) पारेषण को एक पृथक क्रियाकलाप के रूप में मान्यता प्रदान करने तथा पारेषण हेतु लाइसेंस जारी किए जाने का प्रावधान करने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के परिणामस्वरूप विद्युत मंत्रालय द्वारा 17.2.1997 को एक विशेषज्ञों की समिति गठित की गई जो पारेषण परियोजनाओं में निजी निवेश को सुसाम्य बनाए जाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय ढांचे की स्थापना करने के साथ-साथ सहायक कानूनी सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति को अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिए गए हैं कि वह पारेषण टैरिफ (टैरिफों) का निर्धारण करने, पारेषण सेवा संबंधी समझौतों पर विचार-विमर्श करने तथा बोली संबंधी अनुरोध व मूल्यांकन हेतु सिद्धांतों सहित पारेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के चयन हेतु दिशा-निर्देश सुझाएं। इस समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट, अपनी पहली बैठक की तिथि से दो माह के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय को सौंपी जानी है।

लघु शोधनशाला

688. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी नदी बेसिन में लघु-शोधनशाला स्थापित करने संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए एल ओ आई और पर्यावरण स्वीकृति जारी कर दी गई है; और

(घ) क्या सरकार के पास निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र अथवा विदेश स्थित कंपनी के अन्य प्रस्ताव भी शोधनशाला परियोजनाओं हेतु लंबित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) लघु शोधनशाला खोलने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न प्रक्रम चरणों में अन्य शोधनशाला परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

(1) आंध्र प्रदेश में 9.5 एम एम टी पी ए (निर्यातमूलक इकाई) की स्थापना करने के लिए मैसर्स पी आर ए पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का प्रस्ताव।

(2) तमिलनाडु में 3.00 एम एम टी पी ए की शोधनशाला खोलने के लिए मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० (निर्यात मूलक इकाई) का प्रस्ताव।

(3) पारादीप, उड़ीसा में स्थापित किए जाने के लिए 3 एम एम टी पी ए शोधनशाला (निर्यातमूलक इकाई) की स्थापना करने के लिए मैसर्स सैंड प्लास्ट इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव।

(4) डामोल, महाराष्ट्र में डी टी ए के अधीन 0.21 एम एम टी पी ए शोधनशाला खोलने के लिए मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का प्रस्ताव।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

689. श्री बाजू बन रियान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) उत्तरी राज्यों को अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 तक की अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति का राज्यवार विवरण निम्नवत है:—

राज्य	ऊर्जा (मि॰ यू॰ नेट) आवश्यकता	उपलब्धता	कमी %
अरुणाचल प्रदेश	136.4	70.1	48.6
असम	2527.2	2302.0	8.9
मणिपुर	331.4	308.1	7.0
मेघालय	336.4	336.4	0
मिजोरम	151.3	130.5	13.7
नागालैंड	150.1	129.1	14.0
त्रिपुरा	400.2	306.8	23.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	4033.0	3583.0	11.2

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए उपाय किए गए जिसमें विद्यमान क्षमता से अधिकतम उत्पाद करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, प्रभावी मांग प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपाय करना तथा पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को सहायता देना, आदि शामिल है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 1030 मे. वा॰ क्षमता अभिवृद्धि की स्वीकृत स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं से पूरा काम मिलने की प्रत्याशा है।

राजस्थान में बिजली की कमी

690. श्री परसराम मेघवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को पूर्व में बिजली आवंटित की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता देने हेतु सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं;

(घ) कोटा स्थित आरएपीपी (इकाई एक और दो) की इकाइयां कब से बंद पड़ी हैं और इन्हें कब तक पुनः चालू किया जाएगा;

(ङ) कोटा स्थित आरएपीपी की इकाई-दो और चार को चालू करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार आरएपीपी एक और दो की धीमी प्रगति और विद्युत की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को आरएपीपी की इकाई-तीन और इकाई-चार से पूरी बिजली आवंटित करने का विचार कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पादन के अनावंटित हिस्से में से राजस्थान के हिस्से को 1.10.96 से 35% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

क्षेत्र में विभिन्न संघटकों के मध्य मांग और विद्युत आपूर्ति की स्थिति के आधार पर केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से अपने अनावंटित हिस्से में से विद्युत का आवंटन करती है। केन्द्रीय हिस्से में से राजस्थान को किया गया आवंटन विवरण में दिया गया है।

(घ) आरएपीपी की दोनों यूनिटें नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पूंजीगत अनुरक्षण के अधीन हैं :—

आरएपीपी	अधिष्ठापित क्षमता (मे॰ वा॰)	ह्रासित क्षमता (मेगावाट)	बंद करने की तिथि	पुनः प्रचालन की प्रत्याशित तिथि
यूनिट सं॰-1	110	100	12.2.94	1997 की प्रथम छमाही
यूनिट सं॰-2	210	200	1.8.94	97-98

(ङ) आरएपीपी यूनिट 3 और 4 को क्रमशः मई,1998 और नवम्बर 1998 में चालू किए जाने की संभावना है।

(च) राजस्थान आण्विक विद्युत केन्द्र को एक क्षेत्रीय केन्द्र माना जाता है। अतः इससे उत्पादित होने वाली विद्युत का आवंटन केन्द्रीय क्षेत्र के ताप-विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों से राज्यों को किए जाने वाले विद्युत के आवंटन को शासित करने वाले निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा :—

(i) गृह राज्य को विद्युत का 10 प्रतिशत।

(ii) 75 प्रतिशत विद्युत पिछले पांच वर्षों के लिए क्षेत्र के राज्य में केन्द्रीय योजना सहायता तथा ऊर्जा खपत के अनुरूप क्षेत्र के राज्यों (गृह राज्य समेत) के मध्य वितरित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक घटक को समान महत्त्व दिया जाएगा। उपयुक्त आवंटन के जरिए संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता की भी पूर्ति की जाती है।

(iii) 15 प्रतिशत अनावंटित रखी जाती है तथा इसका निपटारा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

विवरण

राजस्थान

दिनांक	15% अनावंटित केन्द्रीय क्षेत्र के हिस्से में से अंश	
10.4.93 तक	17.5 प्रतिशत	
11.4.93-2.6.93	17.5 प्रतिशत	
3.6.93-6.9.93	10.0 प्रतिशत	
7.9.93-15.10.93	7.5 प्रतिशत	
16.10.93-31.3.94	16.0 प्रतिशत	
1.4.94-31.8.94	शून्य	
1.9.94-18.10.94	60.0 प्रतिशत	(केवल एनटीपीसी)
19.10.94-31.10.94	60.0 प्रतिशत	(केवल एनटीपीसी)
1.11.94-24.7.96	50.0 प्रतिशत	(केवल एनटीपीसी)
25.7.96-31.8.96	45.0 प्रतिशत	(केवल एनटीपीसी)
1.9.96-30.9.96	35.0 प्रतिशत	(केवल एनटीपीसी)
1.10.96-31.3.97	40.0 प्रतिशत	(केवल एनटीपीसी)

(1) इसके अलावा, 29.1.97 से एनएपीएस से उ० प्र० के हिस्से को 35.1 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा राजस्थान के हिस्से को बढ़ा दिया गया है।

(2) उ० प्र० के दादरी जीटी के 135 मेगावाट के हिस्से को 16.3.95 से राजस्थान को आवंटित कर दिया गया है।

(3) अंता जीटी के 1/3 हिस्से अर्थात् 137.7 मेगावाट को राजस्थान को आवंटित कर दिया है जो शेष 275.3 मेगावाट के हिस्से से 19.8 प्रतिशत अर्थात् अतिरिक्त 54.45 मेगावाट के अतिरिक्त है। यह आवंटित हिस्से में से कुल लगभग 192 मेगावाट है।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का उदारीकरण

691. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हुए भारी परिवर्तन की वजह से घरेलू तेल उत्पादन कम हो गया है और तेल आयात व्यय बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने निजी संघों को मध्यम स्तरीय क्षेत्र प्रदान करके हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का उदारीकरण किया है;

(घ) क्या किसी निजी संघ ने पहले ही कृष्णा-गोदावरी क्षेत्रों में कतिपय क्षेत्र प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नई तेल खोज नीति की भी लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नई तेल खोज नीति के कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस-दोनों का ही उत्पादन 1993-94 से 1995-96 तक के वर्षों के दौरान बढ़ा है। तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में निम्नांकित कारणों से कमी रही है :—

— अप्रत्याशित भण्डार स्थिति जो कि पहले के पूर्वानुमानों के अनुरूप नहीं थी, के कारण बी आर बी सी के प्रमुख क्षेत्रों विशेषतया बम्बई हाई तथा नीलम से प्रत्याशित उत्पादन में कमी।

— तेल क्षेत्रों का प्राकृतिक ह्रासोन्मुखी चरण में प्रवेश करना।

— संयुक्त उद्यम परियोजनाओं से अपेक्षाकृत कम उत्पादन।

— उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्याओं तथा विद्रोह के कारण प्रचालन दशाओं में कठिनाइयां।

— नागालैंड में काम का बंद होना।

— पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में बार-बार विद्युत बंदी से कृत्रिम उठान पंचालन प्रभावित हुए।

हाइड्रोकार्बनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं :

— नई परियोजनाओं/योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

— ई ओ आर आयोजनाओं का क्रियान्वयन तथा कतिपय ई ओ आर योजनाओं का प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तरीय क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए विस्तार करना।

— ईआरडी, साइड ट्रेक, क्षैतिज तथा नलिका छिद्र वेधन जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन।

— जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, वहां अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

— तेल क्षेत्रों का त्रिआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण।

— ऐसे रुग्ण कूपों जिनमें अभी भी संभाव्यता है, को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावी वर्कओवरों, लंबे/छोटे ड्रिफ्ट साइड ट्रेक,

नलिका छिद्र जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के प्रयोग जैसे सुधारात्मक उपायों की योजना बनाई गई है।

— नई योजनाओं को विकसित करके तथा विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास करके कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करना।

— तेल क्षेत्र के अन्तर्गत निजी/संयुक्त उद्यम प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करना।

— भूकंपीय सर्वेक्षणों, गहन जल अन्वेषण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करके हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण को बढ़ाना तथा तत्संबंधित भण्डारों में वृद्धि करना।

— उत्पादों के आयात को कम करने के लिए शोधन क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में भी कदम उठाए गए हैं।

— निजी प्रतिभागिता के प्रोन्नयन तथा उसे प्रोत्साहित करने और इस प्रकार देश में उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन को चरणबद्ध रूप में नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने मध्यमाकारीय क्षेत्र राव्वा के विकास के लिए मैसर्स कमाण्ड पेट्रोलियम आस्ट्रेलिया, वीडियोकोन, भारत तथा मेरुबेनी जापान के परिसंघ को संविदा दे दी है।

(च) और (छ) अन्वेषण लाइसेंस दिए जाने से संबंधित प्रचलित नीति को परिवर्तित करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामीण कारीगर

692. श्री दिनशा पटेल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितने ग्रामीण कारीगर लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या ग्रामीण कारीगर योजना के अंतर्गत उन्नत टूल किट की आपूर्ति आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्ति में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और योजना को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के मार्ग-निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल प्रदान करने की योजना के अंतर्गत 3,88,887 ग्रामीण कारीगर लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 1993-94, 94-95 एवं 1995-96 के लिए राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि उन्नत औजार किट प्रदान करने की योजना जुलाई 92 अर्थात् आठवीं योजना के पहले वर्ष के मध्य में शुरू की गई थी इसलिए योजना अवधि के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, वार्षिक योजनाओं के आधार पर 7.82 लाख ग्रामीण कारीगरों के लाभान्वित होने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1995-96 के अन्त तक 4.72 लाख कारीगरों को सहायता दी गई। आठवीं योजना अवधि के अन्त तक लक्षित कवरेज को पूरा करने की आशा है।

(घ) जी नहीं। तथापि, प्राप्त फीडबैक के आधार पर और योजना के कार्यान्वयन और उसके प्रभाव में और सुधार करने की दृष्टि से नौवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

1. गुणता नियंत्रण और औजार किटों की समय पर आपूर्ति।
2. विपणन संपर्क स्थापित करने के लिए संस्थागत प्रबंध।
3. कारीगरों की पसन्द पर उचित बल।
4. योजना का आवधिक मूल्यांकन।
5. अनुसंधान एवं विकास पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।
6. प्रौद्योगिकी-उन्नयन के माध्यम से कौशल में सुधार।

विवरण

ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट प्रदान करने की योजना के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित हुए ग्रामीण कारीगरों की संख्या 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8321	1393	11592
2.	अरुणाचल प्रदेश	585	1368	1024
3.	असम	5285	1118	5373
4.	बिहार	6493	5267	10195
5.	गोआ	501	100	असूचित
6.	गुजरात	6370	1078	5880
7.	हरियाणा	4535	1350	8985
8.	हिमाचल प्रदेश	1496	551	असूचित
9.	जम्मू व कश्मीर	1161	1346	1842
10.	कर्नाटक	5399	3627	4132
11.	केरल	6658	8247	6251
12.	मध्य प्रदेश	5105	14500	1374
13.	महाराष्ट्र	7496	7767	29032
14.	मणिपुर	1447	250	असूचित
15.	मेघालय	324	126	1188

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	3261	1722	1872
17.	नागालैंड	597	3002	1186
18.	उड़ीसा	1381	3443	8586
19.	पंजाब	2722	1644	9135
20.	राजस्थान	5396	2343	3814
21.	सिक्किम	500	802	395
22.	तमिलनाडु	8766	5169	1870
23.	त्रिपुरा	974	2021	2833
24.	उत्तर प्रदेश	19593	27917	28638
25.	पश्चिम बंगाल	3651	4705	9393
26.	अ० नि० द्वीप समूह	320	—	229
27.	दादर व नगर हवेली	57	—	—
28.	दमन व दीव	86	71	—
29.	लक्षद्वीप	77	96	—
30.	पांडिचेरी	590	1341	—
	कुल	109147	124619	155121

बिना बारी के आवंटित आवासों का खाली कराया जाना

693. **श्री ए. सी. जोस :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में बिना बारी के आबंटित किए गए टाईप तीन तथा इससे ऊपर के 2 हजार से अधिक सरकारी आवासों को खाली कराने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आवासों के आवंटियों को आवास खाली करने के संबंध में सूचना जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन व्यक्तियों की एक संशोधित सूची तैयार की जाए जिन्हें दो माह की अवधि के भीतर अर्थात् 23.2.97 तक मकान खाली करने होंगे तदोपरान्त 30 दिन की अवधि के भीतर नोटिस जारी किए जाएं। संशोधित सूची अब तैयार कर ली गई है तथा निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस जारी किए जाने हैं।

विवरण

सिविल रिट याचिका (संख्या 585/94) में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.12.96 के फैसले की मुख्य बातें :

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 23.12.96 के फैसले में निर्देश दिया है कि टाइप-III तथा ऊपरी श्रेणी आवास के सभी बिना बारी आवंटियों को, जिनमें गलती से शामिल किए गए व्यक्ति उसी श्रेणी में आवास परिवर्तन लेने वाले व्यक्ति तथा मौजूदा नीति के तहत चिकित्सा आधार पर आवंटन दिए गए व्यक्ति शामिल नहीं हैं मकानों में बेदखली का सामना करना होगा, बशर्ते कि उनकी प्राथमिकता तारीख गुप्ता समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की दो रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक बारी के आधार पर आवंटन के अन्तर्गत न आ गई हो। इसके अतिरिक्त उन सभी आवंटियों को मकान खाली करने होंगे जिनकी प्राथमिकता तारीखें 5.2.97 अर्थात् फैसले के छह सप्ताह तक कवर नहीं हो पाती न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि :—

(i) सरकार दो माह के भीतर उन चिकित्सा मामलों की उच्चाधिकार प्राप्त मेडिकल बोर्ड से जांच करवाएगी/जिनमें बिना बारी आवंटन मौजूदा नीति के दायरे से बाहर किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे आवंटन मेडिकल आधार पर उचित थे अथवा नहीं।

(ii) बिना बारी वाले आवंटियों को, टाइप-I/क्वार्टरों के प्रसंग में दो गुनी तथा टाइप-II/और ऊपर की श्रेणी के प्रसंग में तीन गुनी लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

(iii) बिना बारी वाले उन आवंटियों, जिनके 26.9.97 (30.9.97) तक सेवा निवृत्त होने की संभावना है, को बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के भुगतान की शर्त पर क्वाटर बनाए रखने की अनुमति होगी।

(iv) बिना बारी वाले आवंटियों को यदि बारी के आधार पर नीची आवास श्रेणी के हकदार हैं अथवा यदि उनके पास पहले निचली श्रेणी का आवास था वैकल्पिक आवास आवंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे बढ़ाई गई लाइसेंस फीस दो माह की अवधि में जमा करा देंगे।

(v) अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों जो भले ही सावधि पूल के पात्र हैं किन्तु जो उन्हें आवंटित नहीं हुआ हो, को सरकारी आवास खाली करना होगा।

2. न्यायालय के आदेश के अनुसार, दो माह के भीतर अर्थात् 23.2.97 तक एक नई सूची बनाई जाएगी तथा बेदखल किए जाने वाले आवंटियों को 30 दिन के अन्दर व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जाएंगे और तत्पश्चात उन्हें नोटिस की तारीख के 90 दिनों के भीतर मकान खाली करना होगा।

[हिन्दी]

एल पी जी की कमी

694. श्री डी॰ पी॰ यादव :
श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
प्रो॰ रीता वर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल पी जी सिलेन्डर की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए नई योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एल पी जी सिलेन्डरों की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ङ) योजनानुसार/बिना योजना के रिफाइनरियों के बंद होने के कारण घरेलू स्रोतों से एल पी जी की कम उपलब्धता के फलस्वरूप तथा कुछ भरण संयंत्रों में प्रचालनात्मक कठिनाइयों/आई आर समस्याओं के कारण सितम्बर, 1996 के मध्यकाल में एल पी जी के बैकलाग के कारण हाल ही में देश के विभिन्न भागों से एल पी जी की कमी की रिपोर्ट मिली है।

एल पी जी की आपूर्ति की स्थिति दिसम्बर, 1996 में सामान्य हो गई थी तथा हाल की स्थिति में महाराष्ट्र राज्य में थोड़े से बैकलाग के अलावा तेल कंपनियों द्वारा देश में एल पी जी के किसी बैकलाग की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। पहले की नीति के अनुसार, केवल 20000 और अधिक की शहरी जनसंख्या वाले और वाणिज्यिक व्यवहार्यता मुहैय्या कराने वाले कस्बों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने पर विचार किया जाता था। परन्तु सरकार की अद्यतन नीति के अनुसार एल पी जी विपणन का विस्तार शहरी क्षेत्रों से लगते वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए पर्याप्त संभाव्यता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।

ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण

695. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगाया गया है/लगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर निर्णय किया गया है/किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर भी निर्णय किया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) श्रम मंत्रालय की वर्तमान कार्यविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित नौकरी चाहने वालों का नाम भी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किया जाता है। नौकरी चाहने वाले कुल 374.3 लाख लोगों, जिनका 31.12.1996 तक रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों के अनुसार बेरोजगार होना जरूरी नहीं है, में से नौकरी चाहने वाले 207.9 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे/सुनिश्चित रोजगार योजना, जो कि मांग आधारित योजना है, के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति, जो रोजगार चाहते हैं, रोजगार के लिए अपना नाम स्थानीय ग्राम पंचायत में भी पंजीकृत करा सकते हैं।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में 31.12.1993 (नवीनतम उपलब्ध सूचना) तक नौकरी चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) और अशिक्षित (निरक्षर सहित मैट्रिक से नीचे) लोगों की संख्या दर्शाने वाली राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित लोगों की अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों और वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित संगत मार्गदर्शी—सिद्धान्तों के अनुसार शामिल किया जाता है।

विवरण

31.12.1993 तक रोजगार कार्यालय के विद्यमान रजिस्टर में आवेदकों की संख्या और दिसम्बर 1996 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

(हजार में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर)	अशिक्षित (निरक्षरों सहित मैट्रिक पूर्व)	सुनिश्चित रोजगार योजना की शुरुआत से दिसम्बर, 96 तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2035.7	960.9	672.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.3	7.5	127.05
3.	असम	799.3	577.7	295.86
4.	बिहार	2252.3	1087.0	3996.96

1	2	3	4	5
5.	गोआ	85.4	30.9	—
6.	गुजरात	633.1	340.5	582.00
7.	हरियाणा	436.9	239.4	268.51
8.	हिमाचल प्रदेश	341.7	141.1	33.99
9.	जम्मू व कश्मीर	60.9	76.9	919.80
10.	कर्नाटक	1004.0	571.5	2257.90
11.	केरल	2604.0	1567.0	224.00
12.	मध्य प्रदेश	1442.4	497.2	2158.39
13.	महाराष्ट्र	2300.0	1049.3	542.63
14.	मणिपुर	155.2	74.6	100.65
15.	मेघालय	12.6	15.0	42.29
16.	मिजोरम	16.9	23.0	106.57
17.	नागालैंड	12.1	8.5	417.19
18.	उड़ीसा	532.4	325.4	2716.00
19.	पंजाब	431.9	213.9	—
20.	राजस्थान	525.7	303.0	1063.68
21.	सिक्किम	*	*	43.30
22.	तमिलनाडु	2355.2	1504.8	556.60
23.	त्रिपुरा	58.3	130.9	334.70
24.	उत्तर प्रदेश	1679.5	700.1	1200.00
25.	पश्चिम बंगाल	2963.4	1851.7	4841.00
26.	अंडमान निकोबार	8.6	10.2	0.89
27.	चण्डीगढ़	90.7	71.0	—
28.	दादर व नगर हवेली	1.2	2.3	1.68
29.	दिल्ली	695.4	212.7	—
30.	दमन व द्वीव	1.3	1.7	0.18
31.	लक्षद्वीप	1.7	6.3	2.97
32.	पांडिचेरी	78.7	56.7	—

*1. इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

2. पूर्णांकित करने के कारण आंकड़े कुल योग नहीं बन सकते हैं।

3. रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टर में काम चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकते हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र को रियायती दरों पर विद्युत

696. श्री के. एस. रायुडू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 उद्योगों को रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति को बंद कर दिया गया था, जैसा कि 15 जनवरी, 1997 के "पायनियर" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति भूतलक्षी प्रभाव से बहाल करने के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(घ) इन उद्योगों को विद्युत आपूर्ति बहाल करने के कारण हुई हानि को कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी हां, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नीति के साथ समरूपता के लिए विद्युत मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि उन शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख फेरो एलॉय यूनिटों अथवा भट्टियों वाली वे यूनिटें जिन्हें पूर्णत: निर्यात के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया है, को बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी के टैरिफ जमा व्हीलिंग प्रभारों पर की जाएगी जिनके मामलों में बिजली के बिल की गणना उनके अधिकांश उत्पादन लागत के 35 प्रतिशत के बराबर की जाती है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हों। यह व्यवस्था छमाही समीक्षा किए जाने के अध्याधीन है। इन यूनिटों से कहा गया है कि वे प्रलेखी प्रमाणों के साथ जुलाई से दिसम्बर, 96 के दौरान अपने उत्पादन एवं निर्यातों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) चूंकि विद्युत की आपूर्ति अनावंटित केन्द्रीय हिस्से से वास्तविक लागत आधार पर की जाती है जिसमें व्हीलिंग प्रभार भी शामिल है। इसलिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कोई हानि नहीं उठाई जाती है।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

697. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की 2000 ई. तक राज्यवार कितनी अनुमानित मांग होगी;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत संयंत्र विद्युत की इस मांग को पूरा कर सकेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय विद्यमान विद्युत संयंत्रों की राज्यवार कुल उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश की आवश्यक मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999-2000 तक देश में प्रक्षेपित शीर्ष ऊर्जा भार तथा ऊर्जा की आवश्यकता 84466 मेगावाट और 502254 मि. यूनिट होगी। विद्युत संबंधी राज्य-वार

अनुमानित मांगें तथा अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त क्षमता, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना, बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा संवर्द्धन उपाय, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी तथा अंत:क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से आधिक्य वाले क्षेत्रों से, यदि कोई हो, कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण करके विद्युत उत्पादन का प्रभावी समुपयोजन करना शामिल है, जिसके लिए सरकार ने पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है।

विवरण

सार्वजनिक यूटिलिटियों के विद्युत केन्द्र पर अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन भार तथा अधिष्ठापित क्षमता

क्षेत्र/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता (एम के डब्ल्यू एच) 1999-2000	व्यस्ततमकालीन भार (मेगावाट) 1999-2000	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	18039	3037	653.60
हरियाणा	21112	3977	1780.32
हिमाचल प्रदेश	3240	698	299.20
जम्मू और कश्मीर	5912	1350	365.82
पंजाब	28551	5228	3508.94
राजस्थान	27543	4850	1981.08
उत्तर प्रदेश	52410	9712	6074.74
चण्डीगढ़	810	162	2.00
जोड़	157617	27632	24312.70
पश्चिमी क्षेत्र			
गोआ	1290	262	0.16
गुजरात	43467	7191	5473.47
मध्य प्रदेश	37856	6263	3863.36
महाराष्ट्र	73349	11629	10027.22
दादरा और नगर हवेली	817	130	0.0
दमन और दीव	521	86	0.0
जोड़	157300	25308	24876.21
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	40689	6732	5412.84
कर्नाटक	27879	4859	3377.47
केरल	13617	2763	1491.50
तमिलनाडु	36526	5957	5067.05
पांडिचेरी	1784	304	0.00
जोड़	120495	19633	19988.86
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	18605	3490	1983.40
उड़ीसा	16041	2616	1691.92
सिक्किम	116	40	33.59
पश्चिमी बंगाल	24876	4729	3575.39
जोड़	59638	10357	13645.80
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	273	74	39.36
असम	4427	884	597.19
मणिपुर	563	156	12.01
मेघालय	561	124	193.76
मिजोरम	396	119	24.44
नागालैण्ड	235	60	6.82
त्रिपुरा	579	153	69.36
जोड़	7034	1495	1448.95
द्वीप समूह			
अण्डमान और निकोबार	147	34	29.47
लक्षद्वीप	23.2	6.5	5.37
कुल अखिल भारत	502254	84466	84387.36

*क्षेत्रीय जोड़ में केंद्रीय स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता शामिल है।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

698. श्री एल॰ रमना :

श्री के॰ एस॰ रायुडू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1997 के "हिन्दू" में "गैस सप्लाई टू इंडस्ट्रीज हिट एज ओ एन जी सी स्ट्राइक कन्टीन्यूज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृष्णा गोदावरी परियोजना के विकास के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, हां।

(ख) राजामुन्द्री में सभी राजनैतिक दलों की संयुक्त कार्रवाई समिति के प्रतिनिधियों की बारी-बारी से भूख हड़ताल के बावजूद आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के वेधन एवं उत्पादन प्रचालन निर्बाध

रूप से जारी रहे तथा गैस आपूर्ति भी प्रभावित नहीं हुई थी।

(ग) 1 अप्रैल, 1996 को कृष्णा-गोदावरी (के जी) भूस्थित तथा अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं तेल समतुल्य गैस की क्रमशः 73.97 मि॰ मी॰ टन तथा 81.12 मि॰ मी॰ टन मात्रा के स्थानिक भंडारों का पता लगा है। वर्तमान में कृष्णा-गोदावरी भूस्थित क्षेत्र में 8 वेधन रिगें तथा कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में एक वेधन रिंग काम पर लगाई गई है। 4 भूकंपीय पार्टियां भूस्थित क्षेत्रों में द्विआयामी/त्रिआयामी आंकड़ा अर्जन भी कर रही हैं।

रसोई गैस बोटलिंग प्लांट

699. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की देश के विभिन्न भागों में 16 रसोई गैस बोटलिंग प्लांट, तीन नए माल डिपो, चार विपणन टर्मिनल तथा पांच टंकी संचयन स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात के विशेष स्थानों सहित जिन-जिन स्थानों में भारतीय तेल निगम द्वारा प्रत्येक श्रेणी में यह व्यवस्था करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी हां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आठवीं योजना के तहत देश में 31 एलपीजी भराई संयंत्र, 21 नए डिपो, 22 विपणन टर्मिनल तथा 13 लोकेशनों पर अतिरिक्त टैंकेज स्थापित करने की योजना है।

(ख) गुजरात में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत स्थापित की जा रही परियोजनाएं निम्नवत् हैं :—

लोकेशन भराई संयंत्र	क्षमता (ह॰ मी॰ ट॰ प्र॰ वर्ष)	लागत (रु॰ करोड़ में)	पूर्ण होने की संभावित तारीख
अहमदाबाद	66* (32+34)	37	यांत्रिक रूप से पूर्ण
भावनगर	44	37	जुलाई, 97 तक पूर्ण
गंधार	68*	36	जून, 98

*आई ओ सी की कोयाली रिफाइनरी की 102 ह॰ मी॰ ट॰ प्र॰ वर्ष की मौजूदा भराई क्षमता को अहमदाबाद में 34 ह॰ मी॰ ट॰ तथा गंधार में 68 ह॰ मी॰ ट॰ के रूप में बांटा जाएगा।

नए टर्मिनल

कोयाली

साबरमती

हज़ीरा

अतिरिक्त टैंकेज

कांडला

सिद्धपुर

पेड़ों का गिराया जाना

700. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग ने हाल ही में नई दिल्ली के हौज खास के रोज गार्डन में 78 पेड़ गिराने हेतु निजी ठेकेदार को प्राधिकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिनके फलस्वरूप ऐसी नगण्य राशि के लिए ठेका देना पड़ा और इस सौदे में कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं। फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 55 सूखी लकड़ी/रोगग्रस्त पेड़ों की नीलामी से संबंधित सूचना दी है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण पेड़ों के गिराने की परिस्थितियों और ठेके के अन्य पहलुओं को लेकर मामले की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

नवीनगर विद्युत परियोजना

701. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा मंत्रालय की सहायता से पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवीनगर में कोयले से चलने वाली 2000 मेगा॰ क्षमता वाली ताप विद्युत परियोजना के लिए विश्वस्तर पर निविदायें आमंत्रित की गई हैं;

(ख) क्या अब तक किसी ने भी कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना से संबंधित कार्य को हाथ में लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वव्यापी निविदा के प्रत्युत्तर में आठ पक्षों में बोली संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। विकासकों की पूर्व-अर्हता संबंधी निविदाएं 28 नवंबर, 1996 को प्रस्तुत की जानी/खोली जानी थी, तथापि, संदर्शी बोली कर्ताओं द्वारा सम्बद्ध खान ब्लॉकों से कोयले की उपलब्धता तथा उसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में चन्द स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण बोली प्रस्तुत करने/खोलने की प्रक्रिया को अस्थगित कर

दिया गया, कोई बोली प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) जी हां। परियोजना का कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किए जाने की प्रत्याशा है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता

702. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तीय सहायता कब तक मंजूर किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निधियों का आबंटन

703. श्री हरिन पाठक : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना आबंटन किया गया है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 के दौरान व्यय, प्रतिशत और उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमें अर्थात् (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना और (3) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत किए गए आबंटनों और निर्धारित लक्ष्यों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च, कुल आबंटन की तुलना में खर्च का प्रतिशत और वास्तविक उपलब्धि के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II (क से ग) में दिए गए हैं।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान वित्तीय आबंटन और निर्धारित लक्ष्य

(17.2.97 तक)

क्र॰ सं॰	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स॰ग्रा॰वि॰का॰ (रु॰ लाख में)		जवाहर रोजगार योजना		सु॰ रो॰ योजना	
		आबंटन	ऋण जुटाने का लक्ष्य	आबंटन (रु॰ लाख में)	वास्तविक लक्ष्य (लाख श्रम दिन में)	जारी की गई राशि (रु॰ लाख में)	वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रम दिन में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8,336.41	15,000	17372.39	373.67	16050.00	164.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.43	200	178.30	4.42	1537.50	16.17
3.	असम	2743.50	4500	5718.18	98.77	6925.00	48.18
4.	बिहार	10218.24	20000	34075.58	489.25	16200.00	170.57
5.	गोआ	141.87	600	192.65	4.39	—	—
6.	गुजरात	3059.22	7600	6376.25	109.14	5662.50	90.33
7.	हरियाणा	735.33	3800	1531.81	15.73	2450.00	15.91
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	1400	612.16	7.63	1125.00	6.35
9.	जम्मू व कश्मीर	999.09	1100	1243.93	47.27	2669.36	49.57
10.	कर्नाटक	5594.91	11500	11665.34	255.74	11037.50	173.83
11.	केरल	2036.15	6000	4244.16	59.73	3012.50	15.53
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	21000	22014.51	444.97	21502.38	163.71
13.	महाराष्ट्र	9087.73	20000	18937.55	469.32	5062.50	149.53

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	449.59	100	228.53	3.20	1012.50	9.96
15.	मेघालय	477.57	300	267.40	4.35	612.50	2.63
16.	मिजोरम	201.82	50	112.65	2.29	1000.00	17.18
17.	नागालैंड	335.69	200	286.64	6.54	2495.00	0.11
18.	उड़ीसा	6763.85	11500	14093.11	321.32	16237.50	235.86
19.	पंजाब	521.53	1800	1089.39	15.62	—	—
20.	राजस्थान	4388.01	12000	9146.40	162.92	9850.00	144.47
21.	सिक्किम	55.95	300	104.36	1.49	137.50	2.33
22.	तमिलनाडु	7537.14	16000	15704.96	447.59	14131.25	119.72
23.	त्रिपुरा	641.42	1500	296.83	6.35	1800.00	41.31
24.	उत्तर प्रदेश	20316.50	45000	42334.91	709.73	20975.00	176.85
25.	पश्चिम बंगाल	7472.20	12500	15569.34	221.86	9375.00	100.12
26.	अ॰ नि॰ द्वीप समूह	70.94	100	84.41	1.25	0.00	0.22
27.	दादर व नगर हवेली	14.99	50	45.81	0.65	0.00	0.22
28.	दमन व दीव	27.97	10	26.99	0.85	20.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	6.99	10	42.32	0.80	100.00	1.20
30.	पांडिचेरी	57.95	100	82.64	1.74	—	—
	अखिल भारत	109721.16	214220	223679.48	4288.58	170980.49	1915.93

*वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

सुनिश्चित रोज़गार योजना के लिए वित्तीय आबंटन और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण-II (क)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान खर्च कुल आबंटन की तुलना, खर्च का प्रतिशत और वास्तविक खर्च का विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/सं॰ शा॰ क्षे॰	1994-95			1995-96		
		खर्च (लाख रु॰ में)	कुल आबंटन की तुलना खर्च का प्रतिशत	वास्तविक उपलब्धि परिवारों की संख्या	खर्च (लाख रु॰ में)	कुल आबंटन की तुलना खर्च का प्रतिशत	वास्तविक उपलब्धि परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11287.12	135.27	159908	8624.01	103.45	122863
2.	अरुणाचल प्रदेश	562.92	90.36	18764	582.56	93.44	14381
3.	असम	3105.55	113.05	62584	3409.02	124.26	59030
4.	बिहार	8015.32	49.38	224736	10784.51	66.90	265525
5.	गोआ	96.74	68.13	2192	116.30	81.96	1486
6.	गुजरात	3265.37	106.61	72418	3017.68	100.60	55686
7.	हरियाणा	1351.32	183.60	28285	1663.74	226.26	29771
8.	हिमाचल प्रदेश	376.81	157.00	7355	412.28	171.94	6606
9.	जम्मू व कश्मीर	620.55	62.05	13545	701.26	70.19	13139

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	4354.35	77.71	125810	5574.60	99.64	119685
11.	केरल	2401.23	117.82	46294	2268.90	111.43	43357
12.	मध्य प्रदेश	10237.74	90.83	210629	11305.57	107.01	210692
13.	महाराष्ट्र	7577.07	83.30	196677	9837.30	108.25	181597
14.	मणिपुर	315.82	70.18	7658	312.64	69.54	6077
15.	मेघालय	352.05	73.65	6020	301.54	63.14	4534
16.	मिजोरम	199.12	99.06	3345	288.74	143.07	5085
17.	नागालैंड	215.52	63.95	2251	221.48	65.98	2531
18.	उड़ीसा	6034.80	89.15	139837	7266.29	107.43	120669
19.	पंजाब	1125.75	215.25	22701	731.71	140.30	11786
20.	राजस्थान	4626.81	105.32	107799	4730.24	107.80	9288
21.	सिक्किम	42.19	75.34	1281	129.25	231.01	2343
22.	तमिलनाडु	8418.21	111.60	201221	8515.03	112.97	183895
23.	त्रिपुरा	1049.70	163.25	21818	766.73	119.54	14657
24.	उत्तर प्रदेश	19335.12	95.08	369725	19266.93	94.83	355916
25.	पश्चिम बंगाल	5747.45	76.86	159722	6693.99	89.59	161724
26.	अ॰ नि॰ द्वीप समूह	48.03	67.65	1126	49.92	70.37	832
27.	दादर व नगर हवेली	14.70	98.00	302	13.68	91.26	274
28.	दमन व दीव	4.92	17.57	97	16.67	59.60	310
29.	लक्षद्वीप	9.35	133.57	100	4.38	62.66	18
30.	पांडिचेरी	310.03	69.02	1221	49.20	84.90	1563

विवरण-II (ख)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान खर्च, कुल आबंटन की तुलना, खर्च का प्रतिशत और वास्तविक खर्च का विवरण

		1994-95			1995-96		
क्र॰ सं॰	राज्य/सं॰ शा॰ क्षे॰	खर्च (लाख रु॰ में)	कुल आबंटन की तुलना खर्च का प्रतिशत	वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रम दिन में)	खर्च (लाख रु॰ में)	कुल आबंटन की तुलना खर्च का प्रतिशत	वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रम दिन में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	28367.54	86.57	639.27	34556.90	84.96	701.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.21	59.76	5.58	357.12	78.64	8.24
3.	असम	10386.94	79.10	263.29	9588.33	77.33	179.08
4.	बिहार	37889.63	68.34	740.28	62281.95	68.65	1197.03
5.	गोआ	372.24	68.97	6.45	363.47	69.42	8.38
6.	गुजरात	10636.33	88.64	195.68	12824.42	75.25	209.42
7.	हरियाणा	2533.42	80.69	33.96	3304.73	75.90	33.50
8.	हिमाचल प्रदेश	1150.10	70.26	28.87	1001.19	56.61	21.45
9.	जम्मू व कश्मीर	2832.17	77.63	65.38	2534.38	64.17	48.23

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	18332.34	83.41	385.44	24903.76	83.50	524.89
11.	केरल	7234.60	100.86	101.01	8888.24	91.33	127.75
12.	मध्य प्रदेश	31237.99	83.95	667.22	42377.25	74.81	759.46
13.	महाराष्ट्र	25927.08	77.41	751.84	39801.56	74.69	1014.47
14.	मणिपुर	370.54	48.10	7.16	506.22	65.86	9.34
15.	मेघालय	407.31	40.91	8.50	200.28	19.96	4.86
16.	मिजोरम	336.38	95.14	5.72	284.56	115.59	5.20
17.	नागालैंड	410.70	65.08	8.47	264.07	27.23	5.76
18.	उड़ीसा	18739.89	69.58	443.59	28671.48	74.43	673.31
19.	पंजाब	1673.48	47.31	24.36	403.38	14.33	6.44
20.	राजस्थान	13951.00	79.77	386.42	18204.39	76.12	361.72
21.	सिक्किम	189.21	67.19	7.03	618.83	95.36	9.27
22.	तमिलनाडु	29642.51	112.93	897.37	39415.70	104.28	106.75
23.	त्रिपुरा	1131.61	94.68	29.02	788.23	87.27	18.43
24.	उत्तर प्रदेश	66649.57	87.03	1250.47	83562.16	81.19	1532.46
25.	पश्चिम बंगाल	24780.70	83.92	489.37	30492.80	75.86	414.75
26.	अ० नि० द्वीप समूह	161.26	105.61	2.59	161.26	106.70	2.59
27.	दादर व नगर हवेली	91.41	97.93	2.07	33.18	34.62	0.64
28.	दमन व दीव	80.27	83.41	1.91	40.86	39.80	1.05
29.	लक्षद्वीप	27.36	42.11	0.55	55.02	54.09	1.11
30.	पांडिचेरी	121.21	34.32	4.72	199.85	64.66	3.10

विवरण-II (ग)

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान खर्च, कुल उपलब्धता की तुलना, खर्च का प्रतिशत और वास्तविक खर्च का विवरण

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० क्षे०	1994-95			1994-95		
		खर्च (लाख रु० में)	कुल उपलब्धता की तुलना खर्च का प्रतिशत	वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रम दिन में)	खर्च (लाख रु० में)	कुल उपलब्धता की तुलना खर्च का प्रतिशत	वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रम दिन में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13787.18	92.40	277.24	12249.54	63.40	252.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	862.81	63.26	20.84	1956.55	69.26	50.67
3.	असम	4115.31	55.50	95.50	9822.98	73.72	181.82
4.	बिहार	9639.54	55.83	193.72	12901.12	46.22	254.44
5.	गोआ	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1699.97	30.68	35.26	5751.65	48.59	92.45
7.	हरियाणा	2901.53	68.17	34.64	3814.72	69.30	52.11
8.	हिमाचल प्रदेश	115.02	17.26	3.20	485.55	40.90	6.86

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	2338.55	50.87	50.05	6715.49	62.86	129.96
10.	कर्नाटक	8024.38	72.21	177.45	12144.91	72.63	268.73
11.	केरल	1901.38	84.36	27.64	2241.90	84.13	32.47
12.	मध्य प्रदेश	17959.01	78.82	363.78	22951.66	68.51	388.02
13.	महाराष्ट्र	7617.01	63.99	233.89	10295.49	55.32	293.23
14.	मणिपुर	1327.52	68.23	28.60	1337.11	76.71	31.21
15.	मेघालय	65.88	6.59	1.39	499.80	40.09	8.30
16.	मिजोरम	2206.36	96.81	41.71	2023.87	128.69	40.91
17.	नागालैंड	1124.87	76.27	28.81	1470.39	49.84	34.16
18.	उड़ीसा	11655.94	88.80	281.24	13133.80	79.22	311.06
19.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
20.	राजस्थान	10876.32	67.88	273.11	14770.06	65.11	288.02
21.	सिक्किम	243.04	74.84	8.50	778.31	157.49	16.01
22.	तमिलनाडु	4409.34	74.40	141.29	7581.23	63.02	221.35
23.	त्रिपुरा	2375.65	100.00	60.35	2085.78	106.96	43.21
24.	उत्तर प्रदेश	8908.28	53.87	165.63	16731.98	61.65	318.23
25.	पश्चिम बंगाल	9220.72	76.39	184.79	9929.18	68.95	143.08
26.	अ० नि० द्वीप समूह	42.11	88.48	0.57	10.28	22.60	0.11
27.	दादर व नगर हवेली	33.16	13.45	0.10	20.17	40.08	0.23
28.	दमन व दीव	3.46	69.20	0.12	13.05	60.58	0.36
29.	लक्षद्वीप	10.94	8.75	0.34	44.33	20.71	1.02
30.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—

जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना के लिए धनराशि

704. डॉ० एम० जगन्नाथ : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई है और अभी जारी की जानी है; और

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए शेष धनराशि कब तक दी जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 13897.91 लाख रुपए के केन्द्रीय आबंटन की तुलना में 14219.47 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गई है तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अंश के रूप में अब तक 12840.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। तथापि, सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत और निधियां मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

लोक शिकायतें

705. श्री थावर चन्द गेहलोत :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास लोक शिकायतों और पेंशन सम्बन्धी कितने मामले विचाराधीन/निपटारे हेतु लम्बित हैं;

(ख) उपरोक्त मामलों में से कितने मामले पृथक्-पृथक् एक, दो और तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ग) उपरोक्त लम्बित मामलों में से 1 जनवरी, 1997 तक निपटाए गए मामलों की संख्या क्या है;

(घ) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं, दिल्ली से सम्बन्धित लोक शिकायतों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार का खण्ड/जिला स्तर पर लोक शिकायत निपटान तन्त्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विचाराधीन/निपटारे हेतु अवधि-वार लंबित पड़े मामलों से संबंधित सूचना इस मंत्रालय में न तो केन्द्रीय रूप से एकत्रित की जाती है और न रखी जाती है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों के स्वरूप के आधार पर शिकायतों का स्वरूप भी अलग-अलग होता है। लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों में नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने हेतु एक "नोडल" मंत्रालय की हैसियत से कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, इन दिशा-निर्देशों के बारे में मंत्रालयों/विभागों के समग्र कार्य निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करता है।

(घ) से (छ) राज्य, खण्ड तथा जिला स्तर पर शिकायतों की जांच-पड़ताल और उनका निवारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार से संबंधित ब्यौरे इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों को इस आशय के सुझावों के साथ पत्र जारी किए गए हैं कि वे राज्य, जिला, खण्ड और तालुका सभी स्तरों पर उपयुक्त लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। अलग-अलग राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर लिए हैं।

[*अनुवाद*]

तेल क्षेत्र का निजीकरण

706. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक तेल क्षेत्र निजीकरण के अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तेल क्षेत्र के सभी संयुक्त उद्यमों की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

707. श्री के० परसुरामन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं लोकसभा के कुछ संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं पर व्यय का पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं कर सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं लोकसभा के संसद सदस्यों को ग्यारहवीं लोकसभा के नए आबंटन के अतिरिक्त पूर्व वर्ष की खर्च न की गई राशि का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) राज्य चुनावों/आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने, सांसदों से अनुशंसाओं का समय पर न प्राप्त होने आदि के कारण दसवीं लोकसभा के कुछ सांसद इस योजना के अंतर्गत मंजूर की गई राशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाए थे।

(ग) और (घ) इस मामले में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी।

गैस अन्वेषण

708. श्री सुधीर गिरि : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान देश में तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिए देश में उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[*हिन्दी*]

मसौदा नौवीं पंचवर्षीय योजना

709. श्री दत्ता मेघे :

डॉ० असीम बाला :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र का राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक 16.01.1997 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदन कर दिया गया है। इस दृष्टिकोण पत्र के आधार पर नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य अभी

प्रक्रिया में है। योजना मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि दृष्टिकोण पत्र को संसद के पटल पर रखा जाए।

[अनुवाद]

बम्बई हाई

710. डॉ॰ असीम बाला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल और गैस के संबंध में "क्लीनवर्ड बेंनसन रिसर्च" द्वारा किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के कम भण्डारण और बम्बई अपतटीय क्षेत्रों के खराब निष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अनुसंधान निकाय की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (घ) क्लीनवर्ड बेंनसन रिपोर्ट, तेल व गैस क्षेत्र सहित देश में समग्र ऊर्जा क्षेत्र की एक निजी एजेंसी द्वारा की गई अध्ययन रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ऊर्जा नीति पर कुछ सिफारिशें दी गई हैं। आयल एण्ड नेचुरल गैस और कार्पोरेशन की विगत उपलब्धि का उल्लेख करते हुए, रिपोर्ट में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के रक्षित भंडारों में कम वृद्धि तथा बम्बई-हाई क्षेत्र में उसके अनुमानों से कम कार्य निष्पादन की ओर भी ध्यान इंगित किया गया है।

रक्षित भंडारों में वृद्धि के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोशन ने 3-डी सर्वेक्षण, उन्नत निकासी विधियां, गहन जल अन्वेषण आदि जैसे नए क्षेत्रों को खोलने के द्वारा कई उपाय किए हैं। बम्बई हाई अप-तट के मामले में वर्कओवर जाब, इनफिल ड्रिलिंग तथा देश का पुन: विकास जैसे कई उपचारी उपाय भी किए गए हैं। पश्चिम अपतटीय क्षेत्रों आदि के उचित दोहन हेतु प्रौद्योगिकीय अंतरों की पहचान करने के लिए सरकार ने पहले ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जो उत्पादन में कमी के कारणों को देखेगी और रिजर्वायर स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय सुझाएगी।

पावरग्रिड/सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना

711. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा :

श्री थामस हंसदा :

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक की तरह बिहार में भी विदेशी पूंजी निवेश वाली विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खंडवा में सुपर पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बिहार के जन-जातीय क्षेत्रों में पावर ग्रिड स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा बिहार के हजीरा बाग जिले में उत्तरी करणपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। तथापि, इस प्रस्ताव पर निवेश अनुमोदन हेतु कार्रवाई नहीं की जा सकी जिसका कारण इस कार्य स्थल को आरक्षित और सुरक्षित वनों के नजदीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया, इस परियोजना को डीवीसी क्षेत्र में होने पर दामोदर घाटी निगम द्वारा उठाई गई आपत्ति, परियोजना को समझौते संबंधी जल (मेक-आप वॉटर) की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा बांध के निर्माण के मामले पर संकल्प न करना, अपर्याप्त मांग तथा क्षेत्र में पारेषण और वितरण प्रणाली का न होना इत्यादि है।

(ङ) और (च) इस समय पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इडिया के पास दो 400 के॰ वी॰ की पारेषण लाइनें हैं, बिहार के झारखंड क्षेत्र में दुर्गापुर-जमशेदपुर तथा जमशेदपुर-राउरकेला। दो 400 के॰ वी॰ उप-केन्द्र भी हैं। एक जमशेदपुर में तथा दूसरा राउरकेला में। इस समय किसी भी और लाईन को स्थापित किए जाने का विचार नहीं है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण जनता

712. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान की लगभग 39.28 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेष रूप से गरीब ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कोई क्रैश कार्यक्रम बनाने का है;

(ग) क्या राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र के ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वे विकास का लाभ उठा सकें जो अभी तक केवल राजस्व ग्रामों तक ही सीमित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण गरीबी अनुपात 26% है। पश्चिमी राजस्थान के लिए अलग अनुमान तैयार नहीं किया गया है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी

रेखा से नीचे के लोगों के लक्षित समूह को रोजगार देना है। पश्चिमी राजस्थान सहित देश के सभी ब्लाक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए हैं। यह एक चालू कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) ग्रामीण जलापूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ढाणियों और गांवों की राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सुदूर क्षेत्रों को 'ढाणियों' और 'गांवों' को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि गरीब परिवारों को सूची खंड विकास अधिकारी द्वारा तैयार की जानी चाहिए जिसमें दूरवर्ती गांवों और घुमन्तु परिवारों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

पिछड़े जिलों का विकास

713. डा॰ बलिराम : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग). किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का है। फिर भी योजना आयोग राज्य सरकार की योजना के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता हेतु 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूला में पिछड़ेपन के लिए प्राथमिकता देने की अथवा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़ेपन की समस्याओं को दूर करने में उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार

714. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोशी नदी से प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) सांख्यिकीय विभाग ने बिहार सहित सारे देश में रोजगार एवं बेरोजगारी के बारे में विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा इस विषय में पिछली बार सर्वेक्षण जुलाई, 1993 से जून, 1994 के दौरान किया गया था।

(घ) से (ङ) इन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन क्षेत्रों सहित सारे देश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात् जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना आदि को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

घाटा पूरा करना

715. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपने नौवीं योजना प्रस्तावों में राज्य सरकारों से राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य परिवहन निगमों में घाटे को समाप्त करने के लिए कदम उठाने को कहा है तथा यह भी सुझाव दिया है कि वे अधिक संसाधन जुटाने हेतु अतिरिक्त कर लगाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में योजना आयोग ने राज्यों को सुझाव दिया है कि राज्य स्तरीय उद्यमों की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार किए जाएं ताकि उनसे सरकारों के बजटीय संसाधनों पर दबाव न पड़े और वह अपने से संबंधित राज्य योजनाओं के लिए योगदान कर सकें। आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि कर दरें बढ़ाकर, गैर योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित करके और गैर-कर राजस्वों में सुधार करके राज्यों को अपने संसाधन जुटाने चाहिए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तेल सम्पदा का अन्वेषण

716. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1997 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस में" "फाइव आयल पी एस यूज प्लान फोरे इनटू कजाकिस्तान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शक्ति प्रदत्त समिति ने इस समय बिना किसी वचनबद्धता

के कजाखस्तान प्राधिकारियों के साथ परियाजना से संबंधित निबंधनों और शर्तों के विषय में समझौता वार्ता के लिए ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तथापि, ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) के 20,000 वर्ग कि॰ मी॰ क्षेत्र को शामिल करने वाले 18 ब्लाकों के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के संबंध में कजाखस्तान प्राधिकारियों से अब तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड ने आयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि॰ तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ को परियोजना में प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन

717. श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राजीव गांधी पेयजल मिशन आरम्भ किया गया था;

(ख) इन राज्यों में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धि हुई है;

(ग) क्या आठवीं योजना के दौरान इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अन्य त्वरित जल योजना आरम्भ की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यवार अब तक क्या उपलब्धि रही; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) स्वच्छ पेयजल सुविधाओं युक्त ग्रामीण बसावटों की कवरेज के रूप में राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न हीं उठता।

(ङ) 2000 ईसवी तक सभी बसावटों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य है।

विवरण

(आंशिक/पूर्ण रूप से) कवर की गई बसावटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर की गई बसावटें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67684
2.	अरुणाचल प्रदेश	3388
3.	असम	59751
4.	बिहार	198620
5.	गोआ	365
6.	गुजरात	29833
7.	हरियाणा	6484
8.	हिमाचल प्रदेश	39486
9.	जम्मू व कश्मीर	7036
10.	कर्नाटक	52508
11.	केरल	9224
12.	मध्य पदेश	125036
13.	मेघालय	77102
14.	मणिपुर	2547
15.	मेघालय	7138
16.	मिजोरम	909
17.	नागालैंड	950
18.	उड़ीसा	69731
19.	पंजाब	7567
20.	राजस्थान	73439
21.	सिक्किम	1679
22.	तमिलनाडु	66501
23.	त्रिपुरा	7412
24.	उत्तर प्रदेश	271695
25.	पश्चिम बंगाल	80377
26.	अ॰ निकोबार द्वीप समूह	493
27.	दादर व नगर हवेली	388
28.	दमन व दीव	29
29.	दिल्ली	200
30.	लक्षद्वीप	11
31.	पांडिचेरी	276
32.	चण्डीगढ़	25
	कुल	1267884

[हिन्दी]

रसोई गैस

718. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर में किन-किन स्थानों पर कुकिंग गैस लाईन बिछाई गई है;

(ख) जयपुर शहर के निवासियों को उक्त गैस पाइप लाईन से

कब तक कनैक्शन दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इसके उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाए जाने की संभावना है और इसके लिए किस दर पर प्रभाव वसूल किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ग) सरकार को जयपुर शहर में पाइपलाइनों के द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति करने वाली किसी परियोजना की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थिति

719. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री बृज भूषण तिवारी :

श्री कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थिति, भूमिका तथा क्षमता के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित लोक पाल की अनुपस्थिति केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा न्यायालय की बढ़ती हुई भूमिका के लिए जिम्मेदार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में संशय दूर करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्दनेज़र प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार योजना

720. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1997-98 के दौरान सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत कुछ नए कार्यक्रम शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) (1) जवाहर रोजगार योजना, (2) सुनिश्चित रोजगार योजना और (3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे वर्तमान प्रमुख रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1996-97 के दौरान जारी हैं। इसके अलावा, "गंगा कल्याण योजना" नामक एक नया कार्यक्रम 1.2.97 से देश के सभी जिलों में शुरू किया गया। 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 90.00 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय अंश के रूप में आवंटित की गई। राज्यवार आबंटन अनुबंध में दिखाया गया है।

इस योजना का उद्देश्य भूजल (बोर बैल और ट्यूब वैल) का दोहन करके अलग-अलग व्यक्तियों एवं लक्षित समूह से संबंधित लाभार्थियों के समूह को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत हुए खर्च को केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है, गंगा कल्याण योजना, जो अन्य कार्यक्रमों के साथ 97-98 में जारी रहेगी, के अलावा वर्तमान में 1997-98 के दौरान कोई अन्य कार्यक्रम शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

योजना-वार लक्ष्य

721. श्री मंगत राम शर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान तथा जनवरी 1997 के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य का योजना-वार लक्ष्य क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में प्राप्त किए गए लक्ष्य की योजना-वार प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या कुछ योजनाओं के संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति की प्रतिशतता बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

722. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है;

(ख) गरीबी उन्मूलन में सरकार की उपलब्धि क्या है और क्या इसे इस गति से 2005 ईसवी तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है;

(ग) क्या कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि जितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाता है, उतने ही लोग उसमें और जुड़ जाते हैं; और

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या संबंधी अद्यतन राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र

देव प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा घरेलू उपभोक्ता खर्च के संबंध में कराए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का आकलन करता है। उपलब्ध अद्यतन आकलनों के अनुसार, वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के 28.37 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 16.82 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे बसर करते हैं।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर दिसम्बर, 96 तक 26623 करोड़ रुपए के निवेश (सबसिडी + ऋण) से लगभग 50 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है। वर्ष 1992-93 के समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार, 54.4% परिवार 6400/- रुपए की गरीबी की रेखा तथा 15.96 प्रतिशत परिवार 11,000/- रुपए की संशोधित गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ थे। आने वाले वर्षों में गरीबी उपशमन के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ग) दो अद्यतन सर्वेक्षण जिनके तुलनात्मक परिणाम उपलब्ध हैं, यह दर्शाते हैं कि गरीबों की संख्या वर्ष 1983-94 के 218.37 मिलियन से घटकर वर्ष 1987-88 में 201.41 मिलियन हो गई है जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे शामिल किए गए लोगों की तुलना में अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया।

(घ) वर्ष 1987-88 के लिए राज्यवार गरीबी के अद्यतन सरकारी आकलन उपलब्ध हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्यों में 1987-88 (संशोधित) तक गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत और संख्या

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण संख्या लाख	ग्रामीण प्रतिशत	शहरी संख्या लाख	शहरी प्रतिशत	संयुक्त संख्या लाख	संयुक्त प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	129.81	28.18	35.35	22.14	165.16	26.62
2.	असम	35.88	19.20	1.56	6.99	37.44	17.89
3.	बिहार	252.26	35.86	25.86	24.85	278.12	34.44
4.	गुजरात	42.68	16.51	13.44	10.38	56.12	14.46
5.	हरियाणा	10.79	9.28	3.46	9.56	14.24	9.34
6.	हिमाचल प्रदेश	3.44	7.71	0.05	1.21	3.49	7.17
7.	जम्मू व कश्मीर	6.78	12.35	1.02	6.29	7.81	10.96
8.	कर्नाटक	91.73	31.10	25.32	19.83	117.05	27.70
9.	केरल	27.83	13.14	10.80	16.23	38.63	13.88
10.	मध्य प्रदेश	171.95	36.04	23.75	17.40	195.71	31.89
11.	महाराष्ट्र	143.94	31.41	29.73	14.45	183.67	25.05
12.	उड़ीसा	111.60	42.89	8.00	20.89	119.61	40.07
13.	पंजाब	6.77	4.99	2.82	5.13	9.59	5.03
14.	राजस्थान	69.63	22.03	14.68	16.22	84.31	20.74
15.	तमिलनाडु	121.44	34.38	30.78	17.17	152.23	28.58
16.	उत्तर प्रदेश	332.41	31.79	56.94	22.90	389.35	30.08
17.	पश्चिम बंगाल	114.37	24.73	28.24	16.44	142.60	22.49
	अखिल भारत	1682.98	28.37	331.08	16.82	2014.06	25.49

विशेष ध्यान :—

(1) उपरोक्त आकलन वर्ष 1987-88 मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 132.0 रुपए की गरीबी की रेखा तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 152.3 रुपए की गरीबी की रेखा के आधार पर तैयार किए गए हैं। जो वर्ष 1973-74 के लिए क्रमशः 49.1 रुपए तथा 56.6 रुपए की गरीबी की रेखा के अनुरूप है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 1 अक्टूबर, 1987 तक की जनसंख्या से संबंधित है।

(3) परिणाम 43वें दौर (जुलाई 1987-जून 1988) से संबंधित उपभोक्ता सर्वेक्षण संबंधी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

(4) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित अखिल भारत निजी खपत व्यय तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त अखिल भारतीय निजी खपत व्यय के अंतर को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथानुपात समायोजित किया गया है।

[*अनुवाद*]

श्रीनगर तक गैस पाइप लाइन

723. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मथुरा से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक गैस पाइप लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जम्मू और कश्मीर में किसी भी परियोजना को गैस का आबंटन नहीं किया गया है।

प्रतिभूति जमा

724. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं/जनता को नए रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उनसे प्रतिभूति जमा के रूप में राशि लेने का उद्देश्य क्या है और सरकार द्वारा उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 तक सरकार के पास कुल प्रतिभूति जमा राशि कितनी थी;

(ग) क्या संचार मंत्रालय के अनुरूप ऐसे प्रतिभूति जमा पर ब्याज देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अथवा क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर कोई विचार करना चाहेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) और (ङ) तेल कंपनियों द्वारा जमा राशि ग्राहकों को उधार दिए गए एल पी जी उपस्करों के प्रति जमानत के रूप में ली जाती है तथा जैसे और जब भी उपस्कर लौटाए जाते हैं उक्त राशि का वापस भुगतान कर दिया जाता है।

इस जमा राशि का उपयोग एल पी जी उपस्करों का हमेशा इस्तेमाल के योग्य पर्याप्त भण्डार बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा औसतन प्रति ग्राहक 1.5 सिलेंडर रखा जाना अपेक्षित है।

(ख) 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार तेल कंपनियों द्वारा एकत्रित सुरक्षित जमा राशि लगभग 2386 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न हीं उठता।

[*हिन्दी*]

नए इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना

725. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने नए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने विदेशों के साथ समझौते किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए 1995 तथा 1996 के दौरान 12 इकाइयां अनुमोदित की गई हैं। इनमें से 7 इकाइयों ने विदेशी सहयोगियों से समझौते किए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई स्कीम वार इकाइयों की सूची

स्कीम	इकाई का नाम	विदेशी सहयोगी
ईएचटीपी		
1.	मैसर्स एलेन ब्रैडले इंडिया लिमिटेड	मैसर्स एलेन ब्रैडले, संयुक्त राज्य अमरीका
2.	मैसर्स एस॰ के॰ डायनामिक्स (प्रा) लिमिटेड	

3. मैसर्स अवध एक्सपोर्ट्स	
एसटीपीआई	
1. मैसर्स इन्फोगेन कॉर्पोरेशन (आई) लिमिटेड	
डीटीए	मैसर्स इन्फोसॉफ्ट इन्क, संयुक्त राज्य अमरीका
1. मैसर्स वेस्टाविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	
2. मैसर्स एचसीएल पीरॉट सिस्टम्स एनवी	मैसर्स एचसीएल पीरॉट सिस्टम, नीदरलैंड
3. मैसर्स पॉवरटैक सप्लाईज़ (आई)	मैसर्स लौरेल पार्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मारीशस
4. मैसर्स मोदी जेरॉक्स लिमिटेड	मैसर्स रैंक जेराक्स लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन
5. मैसर्स ओनिडा सवाक लिमिटेड	
6. मैसर्स सैमटेल क्लर लिमिटेड	
ईओयू	
1. मिस्टर राजीव ुली	मैसर्स वाइडकॉम ग्रुप इन्क कनाडा
2. मैसर्स एलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स	मैसर्स मुर्तजे सेन्टर, दुबई

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

726. श्री इलियास आजमी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-प्रदेश के लिए तैयार की गई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ऊर्जा नेटवर्क योजना बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या राज्य में विद्युतीकरण कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों, जिनमें हरिजन तथा आदिवासी परिवार भी शामिल हैं, के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने ऐसे परिवारों के घरों में एकल प्वाइंट विद्युत कनैक्शन उपलब्ध करने के लिए 1988-89 में एक कार्यक्रम आरंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक निश्चित सीमा (1996-97 के दौरान अमीटरीकृत कनेक्शनों के लिए 800 रुपए तथा मीटरीकृत कनेक्शनों के लिए 1,000 रुपए) तक एक समय में आने वाली आंतरिक वायरिंग लागत व सेवा कनेक्शन प्रभारों के बराबर राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 31.3.96 तक 200112 कनैक्शन उपलब्ध कराए जिसके लिए उसने 4.26 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया। वर्ष 1996-97 के दौरान 1500 कनेक्शनों व 12 लाख रुपए के अनुदान घटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

[हिन्दी]

पेयजल

727. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलावार उन गांवों की संख्या कितनी है जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.4.96 तक कवर न की गई बसावटों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाएं आदि के अंतर्गत सभी कवर न की गई/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को पेयजल मुहैया कराया जा रहा है।

विवरण

1.4.1996 तक राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अनुसार ग्रामीण जल की स्थिति (1991 की जनसंख्या के आधार पर)

नाम	कवर न की गई बसावटों की संख्या
1	2
सहारनपुर	27
हरिद्वार	45
मुजफ्फरनगर	8
मेरठ	20
गाजियाबाद	11
बुलन्दशहर	1
अलीगढ़	49
मथुरा	43
आगरा	213
फिरोजाबाद	18
इटा	165
मैनपुरी	8
बिजनौर	103
मुरादाबाद	154
रामपुर	33
बदांयू	109
बरेली	112
पीलीभीत	0
शाहजहांपुर	12
खेड़ी	6
सीतापुर	1533
हरदोई	670
उन्नाव	463
लखनऊ	78
राय बरेली	879
फरूखाबाद	135
इटावा	26
कानपुर देहात	502
कानपुर नगर	0
जालौन	8
झांसी	13
ललितपुर	9
हमीरपुर	8
महोबा	3
बांदा	617
बहरीच	327
गोंडा	2200
बाराबंकी	1193
फैजाबाद	7
अम्बेडकरनगर	25
सुल्तानपुर	0
सिद्धार्थनगर	326
महाराजगंज	707
बस्ती	436
गोरखपुर	536
दीना देवरिया	592
पदराऊना	513
मायू	29
आजमगढ़	234
जोनपुर	922
बलिया	112
फतेहपुर	268
प्रतापगढ़	3116
इलाहाबाद	925
गाजीपुर	1018
वाराणसी	71
मिर्जापुर	451
सोनभद्र	126
बदोही	126
उत्तरकाशी	26
चमोली	352
टीहरी गढ़वाल	1313
देहरादून	532
पौड़ी गढ़वाल	228
पिथौरागढ़	128
अल्मोड़ा	1343
नैनीताल	376
उधमसिंह नगर	29
महायोग	26600

[अनुवाद]

सुपर कम्प्यूटर

728. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सी॰ आर॰ ए॰ वाई॰" सुपर कम्प्यूटर "परम" और पैरालल प्रोसेसिंग के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) आई॰ एन॰ एस॰ सी॰ ओ॰ सी॰ पुणे में पैरालल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वर्तमान पैरालल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के नवीकरण हेतु कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) क्रे सुपरकम्प्यूटर विश्व में सर्वप्रथम विकसित सुपरकम्प्यूटरों की एक कड़ी है तथा उत्सर्जक युग्मक लॉजिक (ईसीएल) प्रौद्योगिकी तथा पाइप लाइन वेक्टर संसाधन का इस्तेमाल करते हुए ये अति उच्च गति विशिष्ट डिज़ाइन के संघटक-पुर्जों पर आधारित थे।

"परम" उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे द्वारा विकसित किया गया सुपर कम्प्यूटर है जो समानान्तर संसाधन पर आधारित है।

समानान्तर संसाधन प्रणालियां व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कम्प्यूटरों/उच्च गति के माइक्रोप्रोसेसरों का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती हैं तथा उच्च अभिकलन क्षमता हासिल करने के लिए इन्हें समाकृत किया जाता है तथा गति, स्मृति कोश एवं कार्य निष्पादन की दृष्टि से इनका दर्जा बढ़ाया जा सकता है। इस परिवेश में कार्यक्रमों को समानान्तर करके समस्याओं का समाधान किया जाता है।

(ख) सी-डैक, पुणे ने वर्ष 1991 में अपने पहले मिशन में समानान्तर संसाधन पर आधारित तथा 1000 मेगाफ्लॉप की उच्चतम अभिकलन क्षमता वाले सुपर कम्प्यूटर का विकास लिया था। दूसरे मिशन में सी-डैक 100 गीगाफ्लॉप की उच्चतम अभिकलन क्षमता वाले एक ऐसे सुपरकम्प्यूटर का विकास कर रहा है जिसकी वास्तुकला का दर्जा 1000 गीगाफ्लॉप तक बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने 10 गीगाफ्लॉप की उच्चतम अभिकलन क्षमता का स्तर पहले ही हासिल कर लिया है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने मिशन के महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए उच्च गति के कम्प्यूटरों की आवश्यकता महसूस करते हुए और चूंकि यह उपस्कर हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं है, समानान्तर संसाधन पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों के विकास के उपाय किए हैं। विभिन्न सरकारी संगठनों अर्थात् उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला (एनएएल) ने समानान्तर संसाधन पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों का विकास किया है जिनकी उच्चतम अभिकलन क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से 10 गीगाफ्लॉप तक है।

ग्रामीण सड़कें

729. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बिजनौर जनपद में ऐसे कितने गांवों को जिनकी संख्या 1000 से ऊपर है सड़क द्वारा शहरों से जोड़ा गया है;

(ख) ऐसे गांवों का प्रतिशत क्या है;

(ग) अभी तक शेष गांवों को सड़कों द्वारा शहरों से न जोड़े जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन गांवों को कब तक सड़क द्वारा शहरों से जोड़े जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रोटी बनाने का संयंत्र

730. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीएफटीआरआई, मैसूर ने रोटी बनाने के लिए एक फोटोटाइप संयंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की प्रतिघंटा क्षमता क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र का पेटेंट किया जा चुका है; और

(घ) क्या सरकार का विचार रक्षा और दूसरे बड़े संगठनों में उक्त मशीन का प्रयोग करने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी हां।

(ख) 500 चपाती प्रतिघंटा।

(ग) इस मशीन के डिजाइन सहित तीन पृथक् भारतीय पेटेंट फाइल किए गए हैं।

(घ) यह मशीन लघु रक्षा प्रतिष्ठानों सहित छोटी औद्योगिक तथा संस्थागत रसोइयों के लिए उपयोगी है।

कर्नाटक में जल आपूर्ति योजनाएं

731. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जापान के ओवरसीज इकनॉमिक कोपरेशन फंड की सहायता से जल आपूर्ति योजनाएं शुरू करने संबंधी प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इन योजनाओं के अंतर्गत किन स्थानों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने ओईसीएफ ऋण सहायता से 396.50 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर 19 शहरों में जल आपूर्ति हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिनके नाम हैं :—कुनिगल, सीरा, के॰ आर॰ नगर, हैन्सुर, हरिहर, चित्र दुर्ग, उदुपि, चिकमंगलूर, लक्ष्मेश्वर, बसावन, बागेवाड़ी, लिंगासुगुर, रायचूर, कारवार, बासवकल्याण, गुलबर्गा, हसन, शिमोगा, हुबली, धारवाड़ और बीजापुर।

(ग) और (घ) ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰, टोकियो से एक तथ्य अन्वेषण मिशन पूर्वोक्त परियोजनाओं की सहायता का अध्ययन और जांच करने के लिए 19 जनवरी से 21 फरवरी, 1997 तक भारत आया था।

सोलर फोटोवाल्टिक सिस्टम संबंधी प्रशिक्षण

732. **श्री जगमोहन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सोलर फोटोवाल्टिक सिस्टम में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एसपीवी बाजार विकास परियोजना के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन 1995-96 से 1997-98 के दौरान सीमेंस सोलर सिस्ट्म्स द्वारा आई आई टी मद्रास, बम्बई तथा दिल्ली में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सौर प्रकाशवोल्टीय क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति का निर्माण करना है।

अभी तक इंजिनियरों के लिए एस पी वी प्रणाली, डिजाइन तथा इंजीनियरिंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन विभिन्न बैचों में अक्टूबर, 1995 से जनवरी, 1996 तक आई आई टी, मद्रास में और दिसम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 तक आई आई टी, दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा अप्रैल, 1996 से जुलाई, 1996 तक आई आई टी, मद्रास में तकनिशियनों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग) इरेडा द्वारा कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त एस पी वी बाजार विकास परियोजना के तकनीकी सहायता संघटक के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए 358.84 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने कार्यान्वियन के स्तर में सुधार के उद्देश्य से अपने राज्यों में एस पी वी कार्यक्रम से संलग्न तकनीकी कर्मियों के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों से प्रशिक्षुओं के बीच प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की संस्थापना तथा रख-रखाव की कुशलता का विकास हुआ है।

[हिन्दी]

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

733. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश के पिछड़े जिलों के विकास का फायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इनके ऐसे पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं जिनके लिए कोई विकास योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के 100 अत्यधिक पिछड़े तथा निर्धनतम जिलों का पता लगाने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए सरकार एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। पिछड़े जिलों की वास्तविक पहचान तथा ढांचागत विकास योजना की तैयारी इस समिति की रिपोर्ट पर आधारित होगी।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए कार्य

734. **डॉ॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी कार्यभार ग्रहण करने, जिसमें व्यापार भी शामिल है से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान जिन अधिकारियों को अनुमति प्रदान की गई, उसके नाम क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) समूह "क" के अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व वाणिज्यिक रोजगार लेने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी होती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त सचिव एवं इससे ऊपर के स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 1995 तथा 1996 में सेवानिवृत्ति से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक रोज़गार अपनाने की अनुमति प्रदान की गई :

1. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता,
मुख्य इंजीनियर (डिजाइन),
शहरी विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली।
2. श्री के॰ के॰ त्रिखा,
ग्रुप महाप्रबन्धक,
महानगर टेलीफोन निगम लि॰,
नई दिल्ली।
3. श्री आर॰ श्रीनिवासन,
सलाहकार (उत्पादन),
दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।
4. श्री वाई॰ पी॰ गम्भीर,
अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
विद्युत मंत्रालय,
नई दिल्ली।
5. श्री वी॰ के॰ अरोड़ा,
मुख्य इंजीनियर (सड़क),
भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।
6. श्री मंजीत सिंह,
महाप्रबन्धक,
महानगर टेलीफोन निगम लि॰,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।
7. श्री एस॰ एम॰ गम्भीर,
मुख्य महाप्रबन्धक,
दूर-संचार परियोजनाएं,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।
8. डॉ॰ एम॰ एस॰ एस॰ प्रभु,
वैज्ञानिक/इंजीनियर,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन,
प्रक्षेपण केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग,
बंगलौर।
9. श्री एन॰ सी॰ एस॰ आर॰ आचर्ययुल्लू,
महाप्रबन्धक (विकास),
हैदराबाद दूर-संचार जिला,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।
10. श्री एस॰ एस॰ गोयल,
महाप्रबन्धक, महानगर टेलीफोन निगम लि॰,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।
11. श्री एच॰ एस॰ अग्रवाल,
सलाहकार, रेलवे बोर्ड,
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।
12. श्री एम॰ ए॰ रमणन,
सदस्य (थर्मल),
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. श्री एस॰ के॰ पाण्डे,
सलाहकार (ऑपरेशन),
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।
14. श्री एन॰ आर॰ शिवास्वामी,
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
राजस्व विभाग,
नई दिल्ली।
15. श्री डी॰ डी॰ गुलाटी,
महाप्रबन्धक (यांत्रिकी),
भारतीय रेल निर्माण कार्पोरेशन लि॰,
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।
16. श्री कृष्ण लाल,
कार्यकारी निदेशक (योजना),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।
17. श्री जे॰ के॰ कूरियन,
मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर
राजस्व विभाग,
नई दिल्ली।
18. श्री आर॰ के॰ शुक्ला,
महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे (मद्रास),
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।
19. श्री बी॰ एन॰ आयंगर,
मुख्य महाप्रबन्धक,
महानगर टेलीफोन निगम लि॰, बम्बई
दूर-संचार विभाग।
20. श्री एस॰ रवि,
सलाहकार (संकेत),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।

21. डॉ० सी० डी० थाटे,
सचिव, जल संसाधन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

22. श्री ए० के० चौधरी,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
महानगर टेलीफोन निगम लि०,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

23. श्री आर० एन० सिन्हा,
संयुक्त निदेशक तथा विशेष पुलिस महानिरीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,
नई दिल्ली।

24. श्री एस० एम० माथुर,
पुलिस महानिरीक्षक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

25. श्री कुलदीप सुदर्शन,
मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।

26. श्री एस० एस० स्वामी,
मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन महानिदेशालय,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
नई दिल्ली।

27. श्री के० के० पिल्लै,
महाप्रबन्धक (रख-रखाव),
दक्षिण दूर-संचार क्षेत्र, मद्रास,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।

28. श्री एस० सुखोपाध्याय,
सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
राजस्व विभाग, नई दिल्ली।

29. श्री पी० पी० जोशी,
मुख्य इंजीनियर,
मध्य रेलवे निर्माण संगठन, बम्बई,
रेल मंत्रालय।

30. श्री सी० एस० कानन,
अपर महाप्रबन्धक,
दक्षिण रेलवे,
रेल मंत्रालय।

31. श्री राजेन्द्र पाल,
सलाहकार (कार्य),
रेलवे बोर्ड इंजीनियरी विभाग,
रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।

32. श्री एन० के० प्रसाद,
मुख्य इंजीनियर,
महानिदेशक (सीमा शुल्क कार्यालय),
भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

33. श्री के० रंगराजन,
उपाध्यक्ष, आयकर निपटान आयोग, मद्रास
राजस्व विभाग।

34. श्री एम० जी० जयरामन,
सदस्य (प्रौद्योगिकी),
दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

35. श्री एम० जी० कुलकर्णी,
सदस्य (सेवाएं)/(उत्पादन),
दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

36. श्री डी० के० गुप्ता,
सदस्य, दूर-संचार,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।

37. श्री आर० सी० खेड़ा,
मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
विद्युत मंत्रालय,
नई दिल्ली।

38. श्री अशोक भटनागर,
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड,
रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।

39. डॉ० वी० एन० ललित कुमार राव,
आयकर आयुक्त, राजस्व विभाग,
नई दिल्ली।

40. श्री आर० सी० वर्मा,
सदस्य तथा उपाध्यक्ष,
आयकर निपटान आयोग,
कलकत्ता।

41. श्री रवि कठपालिया,
लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग,
नई दिल्ली।

42. श्री एल० सी० अग्रवाल,
मुख्य महाप्रबंधक,
महानगर टेलीफोन निगम लि०,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

43. श्री आर० डी० बुद्धिराजा,
महाप्रबन्धक, महानगर टेलीफोन निगम लि०,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

44. श्री एस० पी० मलिक,
महाप्रबन्धक, आयुध फैक्टरी,
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

45. श्री आर॰ सी॰ रस्तोगी,
सदस्य, वित्त,
दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

46. श्री अशोक कुमार,
मुख्य इंजीनियर,
मिलिट्री इंजीनियरी सेवा,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

47. श्री एस॰ ए॰ वी॰ शास्त्री,
मुख्य ऑपरेशन प्रबन्धक,
दक्षिण रेलवे, रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।

48. श्री डी॰ बी॰ सहगल,
सलाहकार (उत्पादन),
दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

49. श्री एन॰ बिस्वास,
अध्यक्ष, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो,
औद्योगिक नीति एवं उत्थान विभाग,
नई दिल्ली।

50. श्री एस॰ स्वामीनाथन,
महाप्रबन्धक, महानगर टेलीफोन निगम लि॰,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

51. श्री आर॰ नारायणन,
वैज्ञानिक/इंजीनियर "जी",
अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर।

52. श्री वी॰ पी॰ सक्सेना,
सदस्य (प्रौद्योगिकी),
दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग, नई दिल्ली।

53. डॉ॰ आर॰ कृष्णन,
निदेशक,
गैस टरबाइन रिसर्च एसटेबलिशमेंट,
बंगलौर,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग।

54. श्री बी॰ के॰ बसाक,
मुख्य महाप्रबन्धक,
पश्चिमी क्षेत्र परियोजना सर्कल,
बम्बई दूर-संचार विभाग।

55. श्री पी॰ एन॰ उप्पल,
मुख्य महाप्रबन्धक,
राजस्थान दूर-संचार सर्कल,
दूर-संचार विभाग।

56. डॉ॰ डी॰ एन॰ उपासनी,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रेल मंत्रालय।

57. श्री जी॰ के॰ कंचन,
सलाहकार (योजना)
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।

58. श्री ललित मोहन,
आयकर महानिदेशक,
राजस्व विभाग,
नई दिल्ली।

59. श्री जेम्स के॰ जोसेफ,
संयुक्त सचिव,
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,
नई दिल्ली।

60. श्री सी॰ बी॰ एल॰ श्रीवास्तव,
मुख्य महाप्रबन्धक,
बिहार दूर-संचार सर्कल,
दूर-संचार विभाग।

61. श्री के॰ गजेन्द्र सिंह,
भारतीय राजदूत, अंकारा,
विदेश मंत्रालय।

62. श्री राजकुमार,
सदस्य (इंजीनियरी),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय।

63. श्री वी॰ पी॰ बवेजा,
महाप्रबन्धक (ऑपरेशन),
पुणे दूर-संचार
दूर-संचार विभाग,

64. श्री अनिरूद्ध मिथाल,
महाप्रबन्धक,
रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला,
रेल मंत्रालय।

65. श्री टी॰ नारायण मूर्ति
सलाहकार, दूर-संचार आयोग,
दूर-संचार विभाग,
नई दिल्ली।

66. श्री जी॰ एम॰ राव,
निदेशक (ओ॰ डी॰), भारतीय खनन ब्यूरो,
खान मंत्रालय।

67. श्री सी॰ एस॰ जगन्नाथ,
मुख्य सलाहकार, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो,
औद्योगिक नीति एवं उत्थान विभाग, नई दिल्ली।

68. श्री एस॰ पी॰ दुग्गल,
मुख्य विद्युत इंजीनियर (निर्माण), मध्य रेलवे,
रेल मंत्रालय।

69. श्री पी॰ एस॰ नरूला,
सलाहकार (मा॰ सं॰ वि॰)
दूर संचार विभाग।

70. श्री अशोक कुमार सेठ
महा प्रबंधक,
कर्नाटक टेलीकॉम सर्कल,
दूर संचार विभाग।

71. डॉ॰ एस॰ के॰ सिन्हा
वैज्ञानिक/अभियंता "एस॰ जी॰"
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान,
अंतरिक्ष विभाग
बंगलौर।

72. श्री वी॰ आर॰ सुब्रमणियन,
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
इंट्रीगल कोचर फैक्टरी,
मद्रास
रेल मंत्रालय।

73. श्री पी॰ एन॰ महरोत्रा,
प्रधान अधिकारी,
मरकेंटाईल मेरीन डिपार्टमेंट,
मुम्बई
भूतल परिवहन मंत्रालय।

74. श्री डी॰ एन॰ घोष
मुख्य कार्यशाला अभियंता,
दक्षिण-पूर्वी रेलवे,
रेल मंत्रालय।

75. डॉ॰ श्रीमती सरोज सिंह पंवार,
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
केन्द्रीय रेलवे,
रेल मंत्रालय।

76. श्री मसीहुज़मान,
सदस्य (यांत्रिकी),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय।

77. श्री बी॰ बी॰ काराजागी,
मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय जल आयोग,
जल संसाधन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

78. श्री बी॰ एन॰ श्रीवास्तव,
मुख्य अभियंता,
सीमा सड़क विकास बोर्ड,
भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

79. श्री वाई॰ पी॰ कुमार
मुख्य अभियंता,
सीमा सड़क विकास बोर्ड
भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

80. श्री वी॰ पी॰ सक्सेना,
सदस्य (प्रौद्योगिकी),
दूर संचार आयोग,
दूर संचार विभाग,
नई दिल्ली।

81. श्री आर॰ असोका,
मुख्य परियोजना प्रबंधक,
व्हील एंड एक्सल प्लांट,
भारतीय रेलवे,
बंगलौर

82. श्री पी॰ एन॰ मित्तल,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
राजस्व विभाग,
नई दिल्ली।

83. श्री ए॰ के॰ बंद्योपाध्याय,
पुलिस महा-निरीक्षक,
स्पेशल सेक्टर,
केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल,
गृह मंत्रालय।

84. एम॰ बी॰ सक्सेना,
मुख्य वास्तुविद,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
शहरी कार्य तथा रोज़गार मंत्रालय,
नई दिल्ली।

85. श्री वी॰ एन॰ सहगल,
निदेशक,
केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
गृह मंत्रालय।

86. श्री वी॰ गोपाल,
महाप्रबंधक,
तमिलनाडु टैलीकॉम सर्कल,
दूर संचार विभाग।

87. श्री नारायण सिंह, भा॰ व॰ से॰, बिहार,
वन अपर महानिरीक्षक
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।

88. श्री ए॰ के॰ मुखर्जी, भा॰ वन सेवा, हिमाचल प्रदेश,
वन महानिरीक्षक,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।

89. श्री एस॰ परमेश्वरप्पा, भा॰ व॰ सेवा, कर्नाटक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कर्नाटक, पर्यावरण और वन मंत्रालय।

90. श्री जी॰ के॰ शेनवा, भा॰ वन सेवा कर्नाटक,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कर्नाटक,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।
91. श्री के॰ जे॰ रेड्डी, भा॰ प्र॰ सेवा (आंध्र प्रदेश)
92. श्री वी॰ कृष्णन, भा॰ प्र॰ सेवा (कर्नाटक)
93. श्री मूसा रज़ा, भा॰ प्र॰ सेवा (गुजरात)
94. श्री आर॰ राजमणि, भा॰ प्र॰ सेवा (आंध्र प्रदेश)
95. श्री टी॰ बालरमन, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
96. श्री एस॰ एस॰ रज़वी, भा॰ प्र॰ सेवा (जम्मू और कश्मीर)
97. श्री एस॰ के॰ लाल, भा॰ प्र॰ सेवा (उड़ीसा)
98. श्री आर॰ श्रीनिवासन, भा॰ प्र॰ सेवा (उड़ीसा)
99. श्री आर॰ बी॰ राजगोपालन, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
100. श्री वी॰ एस॰ गोपालाकृष्णन, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
101. श्री सुरेश कुमार, भा॰ प्र॰ सेवा (बिहार)
102. श्री के॰ आर॰ वेनुगोपाल, भा॰ प्र॰ सेवा (आंध्र प्रदेश)
103. श्री वी॰ पी॰ राणे, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
104. श्री एन॰ एम॰ बिजलानी, भा॰ प्र॰ सेवा (गुजरात)
105. श्री पी॰ के॰ थक्कर, भा॰ प्र॰ सेवा (गुजरात)
106. श्री सी॰ एस॰ राणा, भा॰ प्र॰ सेवा (हरियाणा)
107. श्री पी॰ वी॰ स्वामीनाथन, भा॰ प्र॰ सेवा (गुजरात)
108. श्री एस॰ के॰ बासु, भा॰ प्र॰ सेवा (उड़ीसा)
109. श्री सी॰ बी॰ भावे, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
110. श्री एस॰ वी॰ मुड्डप्पा, भा॰ प्र॰ सेवा (कर्नाटक)
111. श्री विनय झा, भा॰ प्र॰ सेवा (तमिलनाडु)
112. श्री एस॰ आई॰ जम्बुनाथन, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
113. श्री एस॰ एस॰ बुर्रा, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
114. श्री एम॰ जी॰ के पुरथी, भा॰ प्र॰ सेवा (केरल)
115. श्री एम॰ पी॰ तंकसले, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
116. श्री आर॰ एन॰ दास, भा॰ प्र॰ सेवा (उड़ीसा)
117. श्री महेश प्रसाद, भा॰ प्र॰ सेवा (उत्तर प्रदेश)
118. श्री पी॰ के॰ लहिरी, भा॰ प्र॰ सेवा (मध्य प्रदेश)
119. श्री आर॰ वसुदेवन, भा॰ प्र॰ सेवा (उत्तर प्रदेश)
120. श्री वी॰ एन॰ भगवत, भा॰ प्र॰ सेवा (महाराष्ट्र)
121. श्री सी॰ एन॰ रामदास, भा॰ प्र॰ सेवा (तमिलनाडु)
122. श्री पी॰ एस॰ वी॰ रॉव, भा॰ प्र॰ सेवा (कर्नाटक)
123. श्री ई॰ एन॰ मूर्ति, भा॰ प्र॰ सेवा (जम्मू और कश्मीर)
124. श्री जे॰ एस॰ बिंद्रा, भा॰ पु॰ सेवा (गुजरात)
125. श्री डी॰ वी॰ एस॰ रेड्डी, भा॰ पु॰ सेवा (आन्ध्र प्रदेश)
126. श्री ए॰ एच॰ रेड्डी, भा॰ पु॰ सेवा (आन्ध्र प्रदेश)
127. श्री के॰ लक्ष्मण, भा॰ पु॰ सेवा (केरल)
128. श्री बी॰ जी॰ वैद्य, भा॰ पु॰ सेवा (महाराष्ट्र)
129. श्री एस॰ सी॰ गोसाई, भा॰ पु॰ सेवा (पश्चिम बंगाल)
130. श्री ए॰ जे॰ आनन्दन, भा॰ पु॰ सेवा (कर्नाटक)
131. श्री के॰ वी॰ राजगोपालन नैय्यर, भा॰ पु॰ सेवा (केरल)

प्लांट लोड फैक्टर

***735. श्री शरत पटनायक :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सन् 2002 तक सभी ताप बिजली घरों के लिए विद्युत भार घटक को बढ़ाकर औसत 70 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) दिसम्बर, 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार सन् 2000 तक संयंत्र भार घटक का राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत और राज्य क्षेत्र में विद्युत का संयंत्र भार घटक में कम से कम 65 प्रतिशत स्तर तक सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

"फास्ट्रैक" विद्युत परियोजना

736. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "फास्ट्रैक" विद्युत परियोजनाओं के लिए लंबित काउंटर गारंटी जारी करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, 1996 निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इसे ध्यान में रखते हुए विशाखापट्टनम स्थित "हिंदुजा नेशनल पावर कम्पनी" के पूर्ण विद्युत परियोजना संबंधी करार पर पुन: विचार किया है और नए सिरे से बातचीत करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या विद्युत मंत्रालय को "फास्ट्रैक" परियोजनाओं के संबंध में विद्युत परियोजना संबंधी करारों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो विजाग विद्युत संयंत्र के बारे में पुन: बातचीत करने के लिए अंतिम करार पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना हेतु मानदण्ड

737. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत विकास हेतु शहरों को चुनने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) राज्यवार, अब तक कितने कस्बों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है;

(ग) क्या सरकार का नौवीं योजना में इस योजना को जारी रखने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान राजस्थान और अन्य राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत कितने कस्बों को लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) छोटे तथा मझौले शहरों के समन्वित विकास की योजना (आई.डी.एस.एम.टी), निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने वाले शहरों पर लागू है:—

(I) जिनकी आबादी 1991 की गणना के अनुसार 5 लाख तक हो;

(II) जिनमें आर्थिक उन्नति तथा रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में उभरने की क्षमता हो;

(III) जिनके निर्वाचित स्थानीय निकाय हों;

शहरों के चयन में जिला मुख्यालयों के बाद मण्डी नगरों तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों (औद्योगिक एस्टेट के अलावा) (क्रमश: कृषि और उद्योग मंत्रालयों द्वारा निर्धारित), पर्यटक स्थलों, तीर्थ स्थलों आदि को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकार को अपनी राज्य शहरी विकास कार्यनीति के अनुसार प्राथमिकता क्रम में शहरों का पता लगाना होगा।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) से (ङ) आई.डी.एस.एम.टी. में शामिल करने के लिए शहरों का निर्धारण और चयन करना राज्य सरकारों के हाथ में है इसलिए परियोजनाओं का अनुमोदन राज्य स्तरीय अनुमोदन समितियों द्वारा किया जाता है। अत: यह बताना संभव नहीं है कि इन शहरों को IX योजना अवधि के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. में कब शामिल किया जाएगा।

विवरण

ग्राम तथा नगर नियोजन संगठन शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के तहत शामिल शहरों की संख्या

(1979-80 से 24 फरवरी, 1997 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	शामिल शहरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	68
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	19
4.	बिहार	35
5.	गोवा	6
6.	गुजरात	48
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू व कश्मीर	8
10.	कर्नाटक	73
11.	केरल	30
12.	मध्य प्रदेश	65
13.	महाराष्ट्र	90
14.	मणिपुर	10
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	6
18.	उड़ीसा	39
19.	पंजाब	22
20.	राजस्थान	43
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	93
23.	त्रिपुरा	7
24.	उत्तर प्रदेश	76
25.	पश्चिम बंगाल	60
संघ प्रदेश		
1.	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2.	दादरा व नगर हवेली	2
3.	दमन व दीव	1
4.	लक्ष्य द्वीप	1
5.	पाण्डिचेरी	6
	योग	845

नेफ्था आधारित विद्युत परियोजना

738. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके नेफ्था आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए ईंधन उपलब्ध कराने संबंधी स्रोत निर्धारित के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी नेफ्था (ईंधन) की मांग की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा उन विद्युत परियोजनाओं के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए नेप्था ईंधन के स्रोत निर्धारित करने की मांग की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) केरल सहित अनेक राज्य, संबंधित राज्यों में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित विभिन्न तरल ईंधन पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए नापथा/तरल ईंधन का आबंटन किए जाने के लिए समय-समय पर अनुरोध करत रहे हैं। इन प्रस्तावों के नापथा/तरल ईंधनों की उपलब्धता से अधिक होने के कारण सभी तरल ईंधन संबंधी प्रस्तावों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गयी थी, तथा संबंधित राज्यों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि वे नापथा/तरल ईंधन लिंकेज के लिए परियोजनाओं की सिफारिशें संबंधित राज्यों को आबंटित क्षमता (मेगावाट में) के अंतर्गत ही करें। राज्य अनंतिम ईंधन लिंकेज के लिए परियोजनावार सिफारिशें कर रहे हैं।

बिना बारी के आबंटन

739. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **प्रधानमंत्री** बिना बारी के आबंटन के बारे में 4 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अब तक कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इन घरों को कब तक खाली करा लिया जाएगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) बिना बारी के उन आबंटियों जिनकी उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में बेदखली होगी, की सूची तैयार कर ली गई है और उनको बेदखली के नोटिस 23.3.97 तक जारी कर दिए जाएंगे। ये मकान 23.6.97 तक खाली करा लिये जाने की संभावना है।

विवरण

सिविल रिट याचिका (संख्या 585/94) में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.12.96 के फैसले की मुख्य बातें।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 23.12.96 के फैसले में निर्देश दिया है कि टाइप-III तथा ऊपरी श्रेणी आवास के सभी बिना बारी आबंटियों को, जिनमें गलती से शामिल किये गए व्यक्ति उसी श्रेणी में आवास परिवर्तन लेने वाले व्यक्ति तथा मौजूदा नीति के तहत चिकित्सा आधार पर आबंटन दिए गए व्यक्ति शामिल नहीं हैं मकानों से बेदखली का सामना करना होगा, बशर्ते कि उनकी प्राथमिकता तारीख गुप्ता समिति (उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित) की दो रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक बारी के आधार पर आबंटन के अन्तर्गत न आ गयी हों। इसके अतिरिक्त उन सभी आबंटियों को मकान खाली करने होंगे जिनकी प्राथमिकता तारीखें 5.2.97 अर्थात फैसले के छह सप्ताह तक कवर नहीं हो जाती। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि:—

(I) सरकार दो माह के भीतर उन चिकित्सा मामलों की उच्चाधिकार प्राप्त मेडिकल बोर्ड से जांच करवाएगी जिनमें बिना बारी आबंटन मौजूदा नीति के दायरे से बाहर किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे आबंटन मेडिकल आधार पर उचित थे अथवा नहीं।

(II) बिना बारी वाले आबंटियों को, टाइप-III क्वार्टरों के प्रसंग में दो गुनी तथा टाइप-IV और ऊपर की श्रेणी के प्रसंग में तीन गुनी लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

(III) बिना बारी वाले उन आबंटियों, जिनके 26.9.97 (30.9.97) तक सेवा निवृत्त होने की संभावना है, को बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के भुगतान की शर्त पर क्वार्टर बनाये रखने को अनुमति होगी।

(IV) बिना बारी वाले आबंटियों को यदि बारी के आधार पर नीची आवास श्रेणी के हकदार हैं अथवा यदि उनके पास पहले निचली श्रेणी का आवास था वैकल्पिक आवास आबंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे बढ़ाई गई लाइसेंस फीस दो माह की अवधि में जमा करा देंगे।

(V) अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों को जो सामान्य पूल के लिये पात्र हैं, किन्तु जो उन्हें आबंटित नहीं हुआ है, को सरकारीवास खाली करना होगा।

2. न्यायालय के आदेश के अनुसार, दो माह के भीतर अर्थात 23.2.97 तक एक नई सूची बनाई जाएगी तथा बेदखल किए जाने वाले आबंटियों को 30 दिन के अन्दर व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जायेंगे और तत्पश्चात उन्हें नोटिस की तारीख के 90 दिनों के भीतर मकान खाली करना होगा।

3. बिना बारी आबंटियों से प्राप्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस को एक पृथक कोष में रखा जाएगा तथा उसमें से उन सरकारी कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए सरकार को एक स्कीम बनानी होगी, जिन्हें बारी आधार पर आबंटन का पात्र होने के बावजूद मकान नहीं दिया गया है।

4. सरकार बिना बारी आबंटनों हेतु यथोचित नियम बनाएगी तथा उन्हें तीन माह की अवधि के भीतर विधिवत अधिसूचित करेगी। बिना बारी के आबंटन करते समय कारण सहित खुलासा आदेश (स्पीकिंग आर्डर) पारित किए जाएंगे और ऐसे आबंटियों की सूची अधिसूचित की जाएगी तथा वह सभी सरकारी कर्मचारियों को परिचालित की जाएगी। एक वार्षिक विवरण संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिना बारी के आबंटन की सीमा एक वर्ष में खाली होने वाले प्रत्येक श्रेणी के मकानों के प्रसंग में 5% तक होगी। 5% के इस कोटे में, स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं हेतु विवेकाधीन कोटे पर बिचार किया जा सकता है, बशर्ते कि बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों में इसका

प्रावधान हो। पत्रकारों को प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया की सिफारिशों के अनुसार बनाये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रेस पूल से आबंटन पर विचार किया जाएगा।

5. राजनीतिक दल, सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार आबंटन के पात्र होंगे। किसी राजनीतिक दल को कितने मकान आबंटित किए जाएंगे इस बारे में सरकार को लोक सभा अध्यक्ष तथा राज्य सभा के उपाध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह माननी होगी। अन्य संगठन साधारण पूल से आबंटन पाने के हकदार नहीं होंगे लेकिन उन्हें अधिकतम 5% की सीमा के भीतर आबंटन हेतु समायोजित किया जा सकता है बशर्ते कि इस बारे में बनाये गए नियमों में ऐसा प्रावधान हो।

6. उच्चतम न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है कि मंत्रिमण्डल की आवास समिति द्वारा 1992-95 के दौरान 127 मामलों में पारित माफी-आदेश कानून सम्मत नहीं है तथा वसूली करते समय उसको अनदेखा किया जा सकता है। न्यायालय ने सरकार को निर्धारित समय सीमा में उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया है तथा उसने चाहा है कि अनुपालन रिपोर्ट अप्रैल, 1997 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तुत कर दी जाए।

7. उच्चतम न्यायालय ने माना है कि सरकारी वास की उप किरायेदारी सरकारी कर्मचारी की ओर से एक गम्भीर कदाचार है, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए उसके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील) नियमावली, 1965 (असाधारण शक्ति) के नियम 14 के तहत अनुशासन की कार्यवाही करना नितांत आवश्यक होगा।

8. सावधि पूल को खत्म करने हेतु प्रस्तुत दलील को अस्वीकार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य संवैधानिक/सांविधिक पदाधिकारियों जैसे गणमान्य व्यक्तियों के लिए बंगले नियत करने की सिफारिश की है।

9. न्यायालय ने सरकारीवास की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए अधिक सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करने पर बल दिया है तथा सुझाव दिया है कि अधिक कस्बों का निर्माण करने की जरूरत पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई जाए जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

गैस अन्वेषण

740. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **प्रधानमंत्री** तारांकित प्रश्न संख्या 18, दिनांक 20.11.96 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गैस तथा तेल अन्वेषण के संबंध में किंगस्टन प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जॉन किंग्स्टन द्वारा प्रस्तुत "बंगाल बेसिन मूल्यांकन व अन्वेषण सिफारिशें" नामक रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

(क) ईओसीन कार्बोनेट प्रोस्पैक्ट

— गोल्फ ग्रीन (चरण I व II) के 3 डी आंकड़ा संसाधन पूरा हो गया है और आंकड़ों का निर्वचन कार्य प्रगति पर है।

— आमताला क्षेत्र (रूसियों द्वारा अधिगहीत) का 3 डी आंकड़ा का पुनर्संसाधन कार्य प्रगति पर है।

— दक्षिण आमताला क्षेत्र में 3 डी आंकड़ें के पुनःअर्जन का निर्णय, गोल्फग्रीन तथा आमताला में संसाधित आंकड़ों के निर्वचन से ईओसीन लाइमस्टोन के अंतर्गत बने कार्बोनेट की पुष्टि के बाद लिया जाएगा।

(ख) ऑलिगसीन प्रोस्पैक्ट

— आधारभूत ऑलिगसीन बालू के विस्तृत मानचित्रण के लिए दक्षिण-पश्चिम इच्छापुर-I में 3 डी भूकम्पीय आंकड़ों की प्राप्ति का कार्य चल रहा है। इन आंकड़ों के परिणामों के आधार पर, ऑलिगसीन बालू की जांच के लिए 3 डी भूकम्पीय आंकड़ों की भावी प्राप्ति की योजना बनाई जाएगी। वर्ष 1996-97 के फील्ड सीजन के दौरान कॉनटाई तथा इच्छापुर क्षेत्रों में दो चरणों में विस्तृत भू-रासायनिक सर्वेक्षण करने की योजना बनाई गई है।

— हुगली नदी के इर्द-गिर्द ऑलिगसीन ट्रन्ड के साथ 2500 कि॰मी॰ क्षेत्र के पश्चिम हिल जोन के भू-वैज्ञानिक आंकड़े की पुनः समीक्षा की जा रही है।

(ग) गोंडवाना प्रोस्पेक्ट

— कोनटाई खंड के गोंडवाना तलछटों में हाइड्रो कार्बन संभाव्यता तथा पूर्वेक्षण का पता लगाने के कार्य की पुनः समीक्षा की जा रही है।

— गोविन्दपुर संवरण की पुष्टि के लिए 2 डी भूकम्पीय आंकड़ों की ओर आगे प्राप्ति का निर्णय मौजूदा 2 डी आंकड़ों की समीक्षा तथा विशिष्ट क्षेत्र का पता लगाने के बाद ही किया जाएगा।

नौवीं योजना में रोजगार

741. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के लिए दृष्टिकोण-पत्र में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर सृजन करने की अभिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी अभी तक कम नहीं हुई है;

(घ) कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन के अवसर बिल्कुल सीमित होने के परिपेक्ष्य में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा कैसे दिया जाने का विचार है;

(ङ) क्या ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का किसी स्तर पर अभी तक कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) योजना आयोग के अनुसार नौवीं योजना की नीति में पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। उत्पादक रोजगार राज्य की नीति का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है जिसका उद्देश्य समानता के साथ-साथ विकास करना है। विकास की प्रक्रिया में ही ऐसे क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करके अधिक उत्पादक रोजगार का सृजन होगा, जो श्रम प्रधान है और जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुलता है। रोजगार की गुणवत्ता में सुधार तभी हो सकता है जब उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हो, जिसका लाभ मजदूरों को मिल सकता है। शिक्षा और कार्य-कुशलता विकास से लोग रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। परम्परागत व्यवसायों में लगे लोगों की कार्य-कुशलता का विकास करने, प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि करने और उनको विपणन के माध्यम उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

अल्प रोजगार की अधिकता और मजदूरों को अनियमित तौर पर काम पर लगाने में वृद्धि को देखते हुए गरीबों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस संबंध में नौवीं योजना में एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना कार्यान्वित की जाएगी।

(ङ) और (च) ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे विशेष रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों की क्षमताओं और दुर्बलताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है और समय-समय पर उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

आवंटन को रद्द करना

742. श्री विजय गोयल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो व्यक्ति अपनी किश्तें नहीं चुका सके, उनसे दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट खाली करवा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों पर पुनः विचार करने का है ताकि चूककर्ता वांछित किश्तें अदा कर सकें;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो नई किश्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में ज्ञापन पर यदि कोई हों, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि बकाया देय के भुगतान प्राप्त हो जाने पर फ्लैट का कब्जा आबंटी को पुनः सौंप दिया जाता है।

(ग) दि०वि०प्रा० ने पहले 1995 और 1996 में दो जुर्माना माफी स्कीमें घोषित की थी। किराया खरीद जुर्माना माफी वाली तीसरी स्कीम 1997 की शुरुआत 1.3.97 से की जा रही है। इस स्कीम की विशेषताओं का ब्राशर 1.3.97 से बिक्री हेतु उपलब्ध होगा। यह स्कीम 31.12.97 तक चालू रहेगी। स्कीम के तहत यदि बाकीदार आबंटी अद्यतन किस्तों और जुर्माने 30.9.97 को या इस से पूर्व भुगतान कर देता है तो उसे जुर्माने में 43% की माफी मिल जाएगी। तारीख 1.10.97 से 31.12.97 के बीच किए गए भुगतान के लिए जुर्माना में 37% तक की माफी मिलेगी।

(घ) किराया खरीद, जुर्माना-माफी स्कीम 1997 विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों/शिकायतों के फलस्वरूप शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

तेल कुएं

743. श्री ए. जी. एस. रामबाबू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने तेल कुएं हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे तेल कुओं से निकाले गए तेल की मात्रा और किस्म क्या है; और

(ग) और अधिक कुओं का पता लगाने और वर्तमान कुओं की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 1.2.1997 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में तेल कूपों की संख्या 67 है और उनके स्थान निम्नानुसार हैं:—

इलाका/क्षेत्र	कूपों की सं०
अडियक्कामंगलम	8
कमलापुरम	10
कोविलकलाप्पल	10
कुट्टन्नल्लूर	1
किजावालूर	1
पट्टूर	2
नन्नीलम	4
नारीमणम	26
पुण्डी	1
थिरुवरुर	4

(ख) पिछले तीन वर्षों (1.4.93 से 1.4.96 तक) के दौरान 14.69 एम एम टी के आरंभिक स्थानिक तेल की अभिवृद्धि हुई है। उत्पादित तेल का औसत विशिष्ट गुरुत्व 0.74 से 0.90 के बीच घटता-बढ़ता रहता है।

(ग) चूंकि इनमें से अधिकांश क्षेत्रों का विस्तार सीमित होता है, इसलिए इन क्षेत्रों से और इनके तेल कूपों से उत्पादन में वृद्धि परिकल्पित नहीं है। तथापि नए पूर्वेक्षणस्थलों/क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अन्वेषी प्रयास और तद्द्वार उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने/वृद्धि करने के प्रयास ओ एन जी सी द्वारा जारी रखे जा रहे हैं।

वर्तमान में कावेरी के भूस्थित क्षेत्र में 3 भूकंपीय सर्वेक्षण दलों और 7 वेधन रिगों को लगाया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान वेधन कार्य चलाने के लिए संभाव्यतापूर्ण स्थलों की पहचान की जाती है।

स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति

744. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान ग्रेटर (बृहद्) मुंबई को स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई नयी योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार (ग्रेटर मुंबई नगर निगम) ने मुम्बई शहर के लिए पीने के साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दो प्रस्ताव तैयार किए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(i) II बम्बई जल आपूर्ति परियोजना, (मध्य वैतरणा) जिसकी अनुमानित लागत 570 करोड़ रुपये है, का लक्ष्य वैतरणा नदी पर बांध बनाकर मुम्बई के लिए पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है। मंत्रालय द्वारा परियोजना की जांच की गई है तथा इसे तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है और राज्य सरकार से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग का अनुमोदन लेने के लिए कहा गया है।

(ii) III-ए बम्बई जल आपूर्ति परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 662.62 करोड़ रुपये है, का लक्ष्य भत्सा बांध से 155 एम एल डी पानी निकालकर पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का हटाया जाना

745. श्री आई.डी॰ स्वामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 नवम्बर, 1996 के "दैनिक जागरण" में "49 झुग्गियां थीं, अब 300 उग आए" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां सरकारी भूमि से कब तक हटा दिए जाने की संभावना है और उस सरकारी भूमि जो कि अधिसूचित उद्देश्य के लिए उपलब्ध करायी गई थी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शहरी मानचित्रण

746. श्री सुशील चन्द्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन शहरों में शहरी मानचित्रण कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा किया गया है;

(ख) क्या शहरी मानचित्रण कार्य के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्तावत आमंत्रित किये गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश के किसी शहर में कोई विकास कार्य किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस शहर का क्या नाम है तथा परियोजना की लागत और परिव्यय कितना है तथा यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शहरी मानचित्रण परियोजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश का कोई कस्बा नहीं चुना गया था। अतः

इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

747. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **प्रधानमंत्री** अनधिकृत निर्माण के बारे में 11 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2786 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी फ्लैट संख्या डी-815, डी-845, डी-857, डी-859, डी-863, डी-875 और डी-897 में अनधिकृत निर्माण और बागवानी पार्क भूमि डी-845, डी-847, डी-849, डी-857 और डी-897 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग डी-ब्लाक, टाइप-दो नेताजी नगर में अतिक्रमण के संबंध में सरकारी आदेश होने के बावजूद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यह हटाया नहीं गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक हटाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलु) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि उन्होंने इन क्वार्टरों के अवैध अतिक्रमण के बारे में सम्पदा निदेशालय को पहले ही सूचित कर दिया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इन अतिक्रमणों को नहीं हटाया जाता। सम्पदा निदेशालय ने इन क्वार्टरों के आवंटितियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस पहले ही जारी कर दिए हैं। सम्पदा निदेशालय द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए अनुपूरक नियम 317-बी-21 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

उद्यान कृषि पार्क में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल का आयात

748. श्री मुखतार अनीस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान खाड़ी देशों के खनिज पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कितना अंतर रहा;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1996 को इसका मूल्य क्या था और इसके बाद से इसके अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कब-कब दर्ज किए गए;

(ग) क्रयादेशाधीन डिलीवरी की जाने वाली खनिज तेल खेपों सहित कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) उक्त वर्ष के दौरान इसका औसत मूल्य क्या था;

(ङ) 1996-97 के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर कुल कितनी-कितनी राशि के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है; और

(च) 1996-97 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर कुल कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) आयातित उत्पादों की मात्रा व मूल्य, वर्ष के दौरान कुल खपत कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के देशी उत्पादन तथा अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर निर्भर करता है।

विवरण

दिनांक 1.4.96 से 20.2.97 की अवधि में दुबई और ओमान क्रूड (अरेबियन गल्फ के मार्कर क्रूड) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक प्रतिशत परिवर्तन तथा मासिक औसत मूल्य (प्लैट्स क्रूड ऑयल मार्केटवायर में यथा प्रकाशित) निम्नलिखित है :—

माह	दुबई	मूल्यों में % परिवर्तन (मासिक)	ओमान	मूल्यों में परिवर्तन (मासिक)
1	2	3	4	5
अप्रैल, 96	17.641	—	18.295	—
मई, 96	16.893	(—) 4.24%	17.665	(—) 3.44%
जून, 96	17.254	2.14%	17.648	(—) 0.10%
जुलाई, 96	17.793	3.12%	18.486	4.75%
अगस्त, 96	18.643	4.78%	19.278	4.28%
सित., 96	20.421	9.54%	20.947	8.66%

1	2	3	4	5
अक्तू., 96	21.761	6.56%	22.117	5.59%
नवम्बर, 96	20.943 (–)	3.76%	21.390	(–) 3.29%
दिस., 96	21.779	3.99%	22.307	4.29%
जन. 97	21.356	(–) 1.94%	22.116	(–) 0.86%
फर. 97 (*)	19.151	(–) 10.32%	20.087	(–) 9.17%

(*) अवधि 1.2.97 से 20.2.97

1.4.96 को दुबई और ओमान क्रूड का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा अधिकतम व न्यूनतम मूल्य निम्नवत् है :—

	मूल्य दुबई	डालर बीबीएल ओमान	दिनांक
1.4.96 को औसत मूल्य	17.740	18.245	
1.4.96 से 20.2.97 के दौरान अधिकतम मूल्य	22.960	23.660	6.1.97
1.4.96 से 20.2.97 के दौरान न्यूनतम मूल्य	16.060	16.770	17.5.96

राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि की वसूली

749. श्री नारायण अठावले : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21.1.97 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "रिकवरी ऑफ एसइबी ड्यूस फ्राम सेंट्रल एसिस्टेंस—प्लान पैनल गवर्मेंट स्पिलिट ऑन डिडक्शनस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक की गई ऐसी वसूली का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों से विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बकायों की वसूली हेतु क्या प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) जी, हां बकाया देय धनराशियों की वसूली में कितने वर्ष लगेंगे इस बात को न देखते हुए सरकार ने संबंधित राज्यों के लिए केन्द्रीय योजना सहायता की अधिकतम 15 प्रतिशत तक की वार्षिक केन्द्रीय योजना सहायता से विद्युत/रेलवे/कोयला/परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित नवम्बर/दिसंबर, 1996 तक की बकाया देय धनराशियों की वसूली के विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक की गई वसूलियों को प्रदर्शित करने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में से समायोजित राज्य विद्युत बोर्डों की अतिदेय धनराशियां।

(रु. करोड़ों में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	19.15	7.26	7.20
2. अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.70	0.43
3. असम	35.15	53.51	53.52
4. बिहार	255.51	238.15	238.22
5. गोवा	0.10	0.00	0.00
6. गुजरात	71.40	30.33	30.32
7. हरियाणा	89.71	120.46	120.57
8. हिमाचल प्रदेश	1.59	5.01	5.01
9. जम्मू व कश्मीर	0.00	66.94	66.94
10. कर्नाटक	9.80	4.71	4.70
11. केरल	15.49	14.33	14.35
12. मध्य प्रदेश	95.78	30.84	30.83
13. महाराष्ट्र	50.03	3.02	3.01
14. मणिपुर	5.07	10.01	10.03
15. मेघालय	0.17	0.27	0.28
16. मिजोरम	0.00	0.79	0.79
17. नागालैंड	0.28	2.01	2.01
18. उड़ीसा	15.98	10.68	10.68
19. पंजाब	39.93	11.53	8.19
20. राजस्थान	82.55	50.78	50.77

1	2	3	4
21. सिक्किम	0.27	0.04	0.04
22. तमिलनाडु	49.20	16.33	16.32
23. त्रिपुरा	0.16	2.33	2.32
24. उत्तर प्रदेश	326.63	160.00	160.00
25. पश्चिम बंगाल	82.34	63.24	63.32
जोड़	1246.40	903.27	899.85

[हिन्दी]

गुजरात को धनराशि का आवंटन

750. श्री जयसिंह चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान गुजरात की शहरी रोजगार योजनाओं के लिए धन आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) शहरी रोजगार की केन्द्र प्रवर्तित स्कीमें, अर्थात् नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गुजरात में चल रहा है। नेहरू रोजगार योजना के विभिन्न घटकों के तहत वर्ष 1994-95 व 1995-96 के लिए गुजरात को जारी केन्द्रीय धन का विवरण इस प्रकार है:—

योजना का नाम	जारी राशि (लाख रुपये)
सूमे (शहरी लघु उद्यम स्कीम)	148.60
सूवे (शहरी मजूरी रोजगार स्कीम)	126.00

नवम्बर, 1995 में आरंभ प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में स्व-रोजगार भी इसका एक घटक है। इस स्कीम के तहत वर्ष 1995-96 के लिए 164.82 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय अंश के रूप में दी गयी है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान गुजरात के लिए उपलब्ध कुल धन (केन्द्रीय + राज्य) में से राज्य द्वारा बताया गया खर्च इस प्रकार है:—

स्कीम	कुल उपलब्ध धन (लाख रुपये) (केन्द्रीय + राज्य)	खर्च
सूमे	247.68	95.64
सूवे	210.00	145.28

सूमे के अन्तर्गत राज्य के असंतोषप्रद प्रदर्शन का कारण राज्य में बैंकों द्वारा परियोजना पर कम धन लगाने का है। सूवे के अन्तर्गत, मजदूरी दर के बढ़ते हुए निर्वाह-व्यय के अनुरूप न होने के कारण, शहरी गरीब, सूवे के मजदूरी-रोजगार को सामान्यत: पसंद नहीं करते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात है, यह अभी भी व्यापक रूप से प्रारंभिक अवस्था में है, जिसमें सर्वेक्षण करना, कस्बेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति

751. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के जल से कुल कितनी मात्रा में जल की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने दिल्ली को यमुना नदी से वर्ष-वार कुल कितने पेय-जल की आपूर्ति की है;

(ग) क्या यह आपूर्ति मांग के अनुरूप की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विगत वर्षों में पेयजल की मांग में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो दिल्ली की मांग के अनुसार उसे यमुना नदी से पेयजल की आपूर्ति करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल-व्ययन संस्थान (डी डब्लु एस एण्ड एस डी यू) ने सूचना दी है कि पड़ौसी राज्यों (उ॰प्र॰, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली) के मध्य 12.5.94 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार दिल्ली को, इसकी पेय जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 0.724 बी सी एम (पेय) जल का नियतन किया गया है। मौसमी नियतन इस प्रकार है :—

मार्च-जून	0.076 बी सी एम
जुलाई-अक्तूबर	0.580 बी सी एम
नवम्बर-फरवरी	0.0680 बी सी एम

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् 1994-95 से उपर्युक्त नियतन के अनुसार जल प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन के अनुसार यमुना नदी से जल प्राप्त किया जा रहा है। बरसाती कुओं और नलकूपों से भी जल आपूर्ति को पूरा किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) जी, हां। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा दिल्ली की आवश्यकता के अनुसार यमुना नदी से पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कदम उठाने का काम हाथ में लिया है/प्रस्तावित किया है।

छोटी अवधि के लिए उपाय :

1. नांगलोई में 40 एम जी डी क्षमता का जल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है।
2. बवाना में 20 एम जी डी जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।
3. अलीपुर ब्लाक में दो बरसाती कुएं चालू कर दिये गये हैं और तीसरा शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

मध्यावधि उपाय :

1. पश्चिमी यमुना नहर के मुनक शीर्ष से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक विद्यमान दिल्ली लाइन (जो गाद भर जाने के कारण बहाव क्षमता खो चुकी है) के साथ-साथ एक स्वतंत्र पानी की लाइन का निर्माण करना प्रस्तावित है।
2. इरादत नगर और बकरवाला गांव के समीप 100 एम जी डी के दो जल शोधन संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित है।
3. जल आपूर्ति में पड़ने वाली बाधा से जल आपूर्ति को सुचारु करने के लिए 9 स्थलों में पहले से ही निर्मित और 7 स्थलों पर निर्माणाधीन बूस्टर पंपों के अलावा जमुना पार क्षेत्र में 16 भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंप स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे

752. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने व्यक्तियों के आवासों पर छापे मारे गए हैं तथा इनसे बरामद अवैध बहुमूल्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना है; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) वर्ष 1996 के दौरान 234 मामलों में 778 व्यक्तियों के 975 आवासीय/सरकारी परिसरों की तलाशी ली गई ताकि अभिशंसी दस्तावेज और वस्तुएं बरामद करके जांच कार्य आसान हो सके।

उपर्युक्त तलाशियों के दौरान निम्नलिखित अभिशंसी दस्तावेज तथा वस्तुएं बरामद/जब्त की गई जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1.	नकद	13,47,21,723/- रुपये (अनुमानतः)
2.	आंका गया घरेलू वस्तुओं का मूल्य	1,81,85,216/- रुपये (अनुमानतः)
3.	आंका गया स्वर्ण मूल्य	41,47,834/- रुपये (अनुमानतः)
4.	स्वर्ण बांड	5,984.00 ग्राम (अनुमानतः)
5.	अचल सम्पत्ति की कीमत	12,29,79,136/- रुपये (अनुमानतः)
6.	अभिशंसी दस्तावेजों की संख्या	10,271

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या — 173

अभी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति : जिन व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया जाना है उनके संबंध में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सामान्यतः गिरफ्तारी तब करता है जब साक्ष्यों के स्वरूप और अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले के हित में ऐसा करना अनिवार्य होता है और जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना भी अनिवार्य होता है।

(ग) उपरोक्त 234 मामलों में से, कुल 81 मामले या तो न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करके, या विभागीय कार्यवाही की सिफारिश करके, या मामला समाप्त करके, निपटाए गए हैं।

शेष मामलों में जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा नियत करना कठिन है, चूंकि जांच-कार्य पूरा होने में विलम्ब के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि, मामलों का जटिल स्वरूप का होना, उन्हें राय के लिए विशेषज्ञों के पास भेजना, उनसे संबंधित अनुरोध-पत्रों को भिन्न देशों में भेजना जिनमें अलग-अलग तरह की न्याय व्यवस्था है और देशभर के विभिन्न राज्यों में जांच-कार्य फैला होना आदि। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामलों की प्रगति पर निकटता से निगरानी रखी जाती है। इन सभी मामलों में जांच कार्य पूरा होने के पश्चात् कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाएं

753. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1997 के "इकोनामिक टाइम्स" में 100 लिक्विड फ्यूल पावर प्रोजेक्ट्स फेल टू साइन पीपीए में फेस एक्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समयावधि में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विद्युत खरीद संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर करने में विफल रही है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) से (च) भारत सरकार ने तरल ईंधन लिंकेज के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी संस्तुतियां भेजें। राज्य, परियोजना की तैयारी की स्थिति तथा विनिर्धारित समय-सीमा के भीतर वित्तीय संवृति की उनकी संभाव्यता पर विचार करते हुए तरल ईंधन के अंतरिम लिंकेज के लिए विद्युत परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं। यह संबंधित राज्य सरकारों को निर्णय लेना होता है कि उन कंपनियों के संबंध में जो समय-सीमा का अनुपालन करने में विफल होते हैं जहां पर आवश्यक हो, विद्युत विक्रय समझौता हस्ताक्षर करने तथा आगे की कार्रवाई हेतु समय-सीमा विनिर्धारित करें।

[हिन्दी]

एमपीएलएडीएस का कार्यान्वयन

754. श्री रामटहल चौधरी :

श्री पवन दीवान :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्य के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिलों में इस योजना का कार्य निष्पादन विलम्ब से हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसदों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत, सभी अनुशंसित निर्माण कार्यों को यथासंभव संबंधित सांसद से अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित निर्माण कार्यों के निष्पादन में हुई देरी के कुछ मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस प्रकार के मामलों में संबंधित जिला अधिकारियों/राज्यसरकारों के साथ मामलों को उठाया गया है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किये जाते रहे हैं कि वे सांसदों के साथ जिलास्तर के अफसरों द्वारा आवधिक बैठकें आयोजित करने के लिए सामान्य अनुदेश जारी करें एवं राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करें।

[अनुवाद]

तेल भण्डार

755. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

श्री दिनशा पटेल :

श्री एन. एस. वी. चित्थन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल भंडारों के लिए कितनी नदी बेसिनों का अन्वेषण किया गया है;

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान कितने भंडारों का अन्वेषण किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) तलछटी बेसिन तथा नदी बेसिन के अलग-अलग गुणधर्म होते हैं। कुछ तलछटी बेसिनों का नामकरण, नदियों का अपने में तलछट अपचय करने के बाद किया जाता है। 26 तलछटी बेसिनों में से 19 तलछटी बेसिन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के अधीन हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा वसूली योग्य भंडार जिनको सिद्ध किए जाने की संभावना है, 161 से 232 मि. मी. ट. तेल तथा तेल समतुल्य गैस के बीच है।

(ग) और (घ) मुख्यतः देशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में हत्याएं

756. श्री चमन लाल गुप्त :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1996 से आज तक जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक माह में आतंकवादियों द्वारा मारे गए, अपहरण किए गए और घायल किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) हताहत हुए पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक माह में मारे गए तथा पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या क्या है और उनमें से कितने आतंकवादी विदेशी भाड़े सैनिक थे;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के कितने हथियार और विस्फोटक इत्यादि बरामद किए गए;

(ङ) जून, 1996 से अब तक के डोडा तथा अन्य क्षेत्रों में कितने सिविलियन और सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों द्वारा मारे गए, घायल किए गए तथा अपहरण किए गए;

(च) राज्य में आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) डोडा, उधमपुर, राजौरी तथा पुंछ जिलों में आतंकवादियों के डर से कितने परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं और उनमें से कितने परिवार अभी तक वापस नहीं लौटे हैं; और

(ज) इनके प्रवजन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.6.1996 से 15.2.1997 तक जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी संबंधी हिंसा में मारे गए, अपहृत किए गए और घायल हुए सिविलियनों की संख्या तथा मारे गए एवं घायल हुए सुरक्षाकर्मियों की संख्या इस प्रकार है :

	सिविलियन			सुरक्षा बलों के कार्मिक	
	मारे गए	अपहृत	घायल	मारे गए	घायल
जून, 96	114	50	137	5	65
जुलाई	185	66	252	18	41
अगस्त	141	62	168	22	36
सितम्बर	103	41	213	15	76
अक्तूबर	88	55	90	26	48
नवम्बर	89	37	82	15	70
दिसम्बर	116	53	100	23	46
जनवरी, 97	90	56	123	4	23
15.2.97 तक	49	17	39	8	8

(ग) इस अवधि में भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित मारे गए और पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या इस प्रकार है :—

	आतंकवादियों की संख्या	
	मारे गए	पकड़े गए
जून, 96	70	171
जुलाई	127	205
अगस्त	170	189
सितम्बर	95	171
अक्तूबर	85	134
नवम्बर	94	87
दिसम्बर	34	93
जनवरी, 97	75	119
15.2.97 तक	23	41

मारे गए भाड़े के 87 विदेशी सैनिक और पकड़े गए 12 विदेशी सैनिक भी इनमें शामिल हैं।

(घ) इस अवधि के दौरान उग्रवादियों के पास से ए.के. श्रेणी की 1254 राइफलें, 662 पिस्तौलें/रिवाल्वरें, 52 यू एम जी, 30 स्नाइपर राइफलें, 39 आर पी जी, 137 रॉकेट लांचर/बूस्टर, 24 ग्रेनेड लांचर और भारी मात्रा में विस्फोटक और विभिन्न किस्मों का गोली बारूद तथा सहायक सामग्री बरामद की गई।

(ङ) 1.6.1996 से 15.2.1997 तक जम्मू क्षेत्र के डोडा में और अन्य क्षेत्रों में 122 व्यक्ति मारे गए, 95 घायल हुए और 50 अपहृत कर लिए गए।

(च) से (ज) इस अवधि के दौरान कुछ अवसरों पर डोडा, ऊधमपुर और राजौरी जिलों के इलाकों से कुछ परिवारों के अस्थाई प्रवास की कुछ घटनाएं होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने और विभिन्न विश्वासोत्पादक उपाय किए जाने के बाद ऐसे अधिकांश परिवारों के अपने मूल स्थानों पर लौट आने की सूचना है। आतंकवादियों की गतिविधियों और प्रवास की संभावनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं—ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना, सीमा/नियंत्रण रेखा और पृष्ठ प्रदेश में चौकसी/गश्त में बढ़ोत्तरी, उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए लगातार अभियान चलाना, नाजुक क्षेत्रों में पिकेट बनाना, स्थानीय पुलिस को और मजबूत बनाने तथा पुनः सक्रिय करने के लिए प्रयास करना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए प्रबन्धों को सुचारु बनाना आदि।

सुरक्षा बलों के अभियानों और सुरक्षा संबंधी स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर राज्य और केन्द्र सरकार दोनों स्तरों पर कड़ी एवं लगातार समीक्षा की जाती रहती है।

कच्चे तेल का उत्पादन

757. **श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम"** :

श्री येल्लैया नंदी :

श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री राम नाईक :

श्री ए. सम्पथ :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ तथा इसकी मांग कितनी रही;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की वर्षवार मांग और उत्पादन कितना-कितना था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त आयात पर वर्षवार कितना व्यय किया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके आयात को कम करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और उनकी खपत, इनके आयात और उन पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :—

(मिलियन टन)

	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
कच्चा तेल			
उत्पादन	27,026	32.239	35.145
खपत	54.296	56.534	58.741
आयात	30.822	27.349	27.342
मूल्य (करोड़ रुपए)	10689	10316	11517
पेट्रोलियम उत्पाद			
उत्पादन	51.084	52.927	55.081
*खपत	60.812	65.487	72.569
आयात	12.076	13.951	20.335
मूल्य (करोड़ रुपए)	7041	7522	12578

*इसमें निजी क्षेत्र द्वारा आयात किए गए उत्पादों की खपत शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और उसके फलस्वरूप आयात कम करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) नई योजनाएं विकसित करके कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना और वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास करना।

(ii) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने परिशोधन क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए खोल दिया है। जारी किए गए सभी आशय पत्रों के आधार पर परिशोधन क्षमता जारी किए गए आशय पत्रों के कार्यान्वयन पर वर्तमान में 60.55 एम एम टी पी ए से बढ़कर 2001-02 तक लगभग 131 एम एम टी पी ए होने की आशा है।

(iii) तेल क्षेत्र में निजी/संयुक्त उद्यम की भागीदारी को बढ़ावा देना।

(iv) हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण में वृद्धि करना और भूकंपीय सवेक्षणों, गहरे समुद्र में अन्वेषण, विदेश में रकबों/भंडारों के अर्जन और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण के माध्यम से भण्डारों में वृद्धि करना।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

758. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री संदीपन थोरात :

श्री ए. जी. एस. रामबाबू :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं संबंधी योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंद गति से कार्य कर रही परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में लागू की गई/स्थापित की गयी संवर्धित निगरानी व्यवस्था तथा नये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी हां, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं (जिनकी लागत 100 करोड़ रु. और उससे अधिक है) की प्रगति की समीक्षा हर महीने कर रहा है। अप्रैल-जून, 1996 की तिमाही का परियोजनावार विवरण परियोजना कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा की जा रही/करने को प्रस्तावित कार्रवाई परियोजना दर-परियोजना तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है। तथापि, सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए आम तौर पर किए जाने वाले उपायों का स्वरूप संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए नए कदम निम्नलिखित हैं :

1. तत्पर प्रबोधन प्रणाली को शुरू करने का प्रस्ताव।
2. उपलब्ध संसाधनों के अनुसार परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण करना।
3. धीमी गति वाली परियोजनाओं की छंटनी करना, निजीकरण करना तथा सरकार और परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के मुख्य अधिकारियों के बीच करारनामा प्रणाली के जरिए परियोजना के कार्यान्वयन में जवाबदेही पर अधिक बल देना। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पत्रक में इन नीतियों पर जोर दिया गया है और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

विवरण

वास्तविक लागत का अनुमान तैयार करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लागत वृद्धि कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :

1. परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।
2. तत्पर कंप्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली लागू की जा रही है।
3. कठिनाइयों का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन।
4. पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।
5. अवरोधग्रसित विशिष्ट परियोजनाओं की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा।
6. परियोजना प्रबोधन दल का सृजन जिसका कार्यकाल परियोजना की निर्माण अवधि के समानांतर हो।
7. अनुबंध प्रबंध प्रणाली को सुधारना।
8. क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को और अधिक शक्ति प्रदान करना।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

759. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पिछले दो वर्षों के दौरान श्रेणी एक के अधिकारियों के विरुद्ध कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार उन अधिकारियों के नाम क्या है; और

(ग) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) दिनांक 1.1.1995 से 31.12.1996 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा 44,335 मामले निपटाए गए। इनमें समूह-क अधिकारियों के मामलों सहित सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के मामले शामिल हैं। अधिकरण द्वारा समूह-क अधिकारियों के पक्ष अथवा विपक्ष में निर्णीत मामलों संबंधी सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

समानान्तर सरकार चलाना

760. श्री तारीक अनवर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में मजलिस-ए-शोवरा-ए-जेहाद नामक संगठन के अन्तर्गत उग्रवादी समानान्तर सरकार चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है;

(ग) क्या शोवरा संगठन ने व्यापारियों को सरकार को कर देने से मना किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को उग्रवादियों द्वारा किए जाने वाले कथित आह्वानों की जानकारी है जिसमें लोगों को कर आदि का भुगतान करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है।

तेल की खोज

761. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के लोक पत्र ताल्लुक में सिरक्रीक क्षेत्र में संभाव्य तेल भंडारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कोई अन्वेषण कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में तेल अन्वेषण की और आगे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्वेषी वेधन किए गए हैं और अब तक 31420 वर्ग किलो मीटर (एस डी एम) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जी एम सर्वेक्षों के संबंध में 8567 स्टेशन, 2061 जी एल के तथा 4,429 एस एल के भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए हैं और 5 अन्वेषी कूपों का वेधन भी किया गया है। तथापि कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं हुई है।

(घ) अन्वेषण बोली के विभिन्न दौरों में भारत सरकार ने कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ब्लाकों को निजी/बहुर्राष्ट्रीय पक्षकारों द्वारा अन्वेषण हेतु प्रस्तावित किया है। दो ब्लाकों के संबंध में एवार्ड अनुमोदित किए गए हैं तथा संविदा को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताएं जारी हैं।

राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के बीच संबंध

762. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाही के बीच संबंध का सीमांकन करने के लिए आचार नियम तथा सिविल सेवा संहिता तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर.

बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) सरकार, लोक सेवाओं के आचार नियम तैयार करने पर विचार कर रही है जिनमें नौकरशाही के प्रभावी तथा कुशल कार्यकरण के लिए आवश्यक सारभूत मूल्यों को समाविष्ट किया जाए।

आरक्षण संबंधी समिति

763. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री किशन लाल दिलेर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले की छानबीन करने के लिए मंत्रिमंडल की कोई उपसमिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में पेयजल सुविधा

764. डॉ॰ अरुण कुमार शर्मा :

डॉ॰ प्रबीन चंद्र शर्मा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार ने अब तक किन शहरों के लिए पेयजल सुविधा प्रदान करने की योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी है; और

(ख) प्रत्येक शहर के संबंध में राज्य द्वारा प्रस्तावित अनुमानित लागत क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले शहरों पर लागू त्वरित शहरी जल आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के तहत असम सरकार से 9 शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिली है। शहरों के नाम तथा प्रत्येक जल आपूर्ति योजनाओं की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

त्वरित शहरी जल आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के तहत भेजी गई योजनाएं

क्र. सं.	शहर का नाम	परियोजना	लागत (रु॰ लाखों में)
1	2	3	4
1.	नामरूप	135.31	स्वीकृत
2.	सोनारी	297.24	स्वीकृत
3.	पालसवारी	110.84	
4.	बिलासीपाड़ा	354.84	
5.	सारथीबाड़ी	133.17	
6.	नजीरा	238.24	
7.	गोसाईगांव	309.98	
8.	लखीपुर	213.88	
9.	बिहूपुरिया	218.00	

8वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में असम राज्य के 1.54 करोड़ रु॰ के सिद्धान्तिक अंश में से इनमें से 1.35 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर नामरूप शहर की योजना और 2.97 करोड़ रु॰ अनुमानित लागत पर सोनारी शहरों की योजना को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। कार्यक्रम के अधीन अन्य स्कीमों का अनुमोदन 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के तहत धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित परियोजनाएं तकनीकी जांच हेतु प्राप्त हुई हैं :—

(क) गोहाटी नगर निगम क्षेत्र (सी एम सी ए) की 401.72 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत की जल आपूर्ति योजना राज्य सरकार से प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है। इस योजना की तकनीकी दृष्टि से जांच करके टिप्पणियां राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई हैं कि ऋण सहायता लेने हेतु एल आई सी/हडको से सम्पर्क करें क्योंकि 20,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए फिलहाल कोई केन्द्र प्रवर्तित योजना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गोहाटी नगर निगम क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति की प्रोजेक्ट प्रोफाइल और 270.20 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर ग्रेटर गोहाटी शहर में जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन नामक दो अन्य परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

उक्त परियोजनाओं की तकनीकी जांच मंत्रालय के सीपीएचईईओ में की गई है तथा राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इन परियोजनाओं में परिशोधन करें।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र हेतु पेयजल योजना

765. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन शहरों की संख्या और नाम, जिनके लिए राज्य सरकार ने पेयजल योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु शहर-वार, कितनी लागत का अनुमान लगाया गया है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) (1991 की गणना के अनुसार) 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए उपयुक्त केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार से 28 शहरों के विषय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। शहरों के नाम और प्रत्येक जल-आपूर्ति योजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से 8वीं पंचवर्षीय अवधि में महाराष्ट्र राज्य के लिए 458.91 लाख रू॰ के राष्ट्रीय हिस्से की तुलना में अब तक 1371 लाख रू॰ की कुल अनुमानित लागत वाली 10 जल आपूर्ति स्कीमों को स्वीकृति दी गयी है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अन्य स्कीमों का अनुमोदन निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त स्कीमें इस प्रकार हैं:—

एल.आई.सी. प्राप्त परियोजनाएं :

(i) अकोला जल आपूर्ति स्कीम वितरण प्रणाली 4.1.97 को 34.56 करोड़ रू॰ की परियोजना लागत पर प्राप्त हुई है।

(ii) लाटूर जल आपूर्ति स्कीम, स्टेज-I 83 करोड़ रू॰ की परियोजना लागत के सुधार की इस मंत्रालय द्वारा तकनीकी रूप से जांच कर ली गई है और राज्य सरकार को टिप्पणियां दी गई हैं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुई त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत योजनाएं

(रू॰ लाखों में)

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजना लागत	
1	2	3	
1.	पाटूर	51.03	(मार्च, 94)
2.	दयोलगाँवराज	160.22	(मार्च, 94)
3.	लोनार	98.18	(मार्च, 94)
4.	मइनदरगी	42.21	(मार्च, 94)
5.	तिल्हारा	18.37	(मार्च, 94)
6.	कुण्डलवाडी	145.10	(दिसम्बर, 95)
7.	सेन्दूरजनघाट	117.78	(अगस्त, 96)
8.	सासवाड	213.55	(अक्तूबर, 96)
9.	इन्दापुर	324.47	(अक्तूबर, 96)
10.	डुढ़ानी	200.19	(नवम्बर, 96)
		1371.10	
11.	रहातापिम्पलास	396.76	
12.	सोनीपत	169.57	
13.	हडुगांव	332.77	
14.	परन्डा	286.28	
15.	बिलौली	272.65	
16.	सावड़ा	470.79	
17.	सिन्धी	366.57	
18.	मुल	462.81	
19.	कमलेश्वर	177.53	
20.	वाडगांव	284.96	
21.	दयोलगांवराजासिन्दखेडराजा	1648.05	
22.	भूम	357.49	
23.	नालदुर्ग	206.84	
24.	सौनेर	467.88	
25.	मुखेड़	714.18	
26.	कालम	808.85	
27.	देवली	190.42	
28.	खापा	65.85	
		7682.25	
	कुल योग	9053.35	

पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को सौंपना

766. श्री बुद्धसेन पटेल :

श्री वी. एम. सुधीरन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री अनंत गुढ़े :

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

श्री दत्ता मेघे :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री विजय गोयल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य की जानकारी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार का रुख यह है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्र सहित पूरा जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के गैर-कानूनी ढंग से सत्तान्तरित हिस्से, भारत के अभिन्न अंग हैं।

[अनुवाद]

तेल पूल खाता

767. श्री मोहन रावले :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री सुब्रह्मण्यन नेलावाला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने तेल पूल खाते से 4000 करोड रु. से भी अधिक की राशि निकाली थी और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर लगाये गये उपकर की वसूली से 26000 करोड़ रु॰ की राशि भारतीय संचित निधि में जमा भी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने तेल उद्योग बचाने हेतु वित्त मंत्रालय से 30000 करोड़ रु॰ से भी अधिक की इस राशि को वापस करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नेहरू रोजगार योजना

768. श्री वी. प्रदीप देव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारों तथा अर्ध-बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 31 दिसम्बर, 1996 तक इस संबंध में उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या इस लक्ष्य को पूरा किये जाने की आशा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और क्या उसका चालू वर्ष के दौरान पूरा उपयोग किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई.) के अंतर्गत *बेरोजगार और अर्धबेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और 31 दिसम्बर, 1996 तक सूचित उपलब्धि नीचे दी गई है।*

स्कीम	लक्ष्य	उपलब्धियां
स्वरोजगार एकक चलाने में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं॰	0.87 लाख	0.99 लाख
जुटाए गये श्रमदिवसों की सं॰	33.74 लाख	32.89 लाख

(ख) और (ग) स्वरोजगार एकक चलाने के लिए लक्ष्य की उपलब्धि पहले ही हो गई है, जबकि श्रमदिवस सृजित करने के लिए लक्ष्य शेष अवधि के दौरान प्राप्त कर लिये जाने की आशा है।

(घ) चालू वर्ष के लिए 50.15 करोड़ रु॰ की राशि निर्दिष्ट की गई है और व्यय का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाने की आशा है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियां

769. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और केन्द्र सरकार को ऐसी अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमियां आई हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं;

(ग) सा. ग्रा. वि. का. के अन्तर्गत चुने गए परिवारों की संख्या क्या है और उनके चयन हेतु प्रयुक्त मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या चुने गए परिवार निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत नहीं आते हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में और गरीबी कम करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधारने के हेतु सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 में कराए गए समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि 54.48% परिवार 6400 रुपए की गरीबी की रेखा को पार कर सके तथा मात्र 15.96% परिवार 11,000 रुपए की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर सके। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का इसकी ट्राइसेम और डवाकरा जैसी संबद्ध योजनाओं से तालमेल में कमी पाई गई।

समवर्ती मूल्यांकन के परिणामों को सभी राज्य सरकारों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परियोजनाओं को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए मंत्रालय, परिवार ऋण योजना और समूह गतिविधियों के जरिए निवेश के उच्च स्तरों को प्रोत्साहित करता रहा है, जिससे अधिकांश लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार कर सकें। उचित परियोजना निर्माण और ढांचागत विकास पर

अधिक बल दिया जा रहा है। ट्राइसेम और डवाकरा योजनाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम के साथ और अधिक निकटता से जोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की कुल संख्या 20.89 लाख थी। वर्तमान वर्ष 1996-97 के दौरान दिसम्बर, 1996 तक 9.9 लाख परिवारों को सहायता दी गई। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का चयन प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करके किया जाता है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों का पता लगाया जा सके। किसी वर्ष में सहायता के लिए चुने जाने वाले परिवारों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा पहले से प्रचारित आम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। गरीबी की रेखा को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के सर्वेक्षण के वास्ते 11,000 रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय के रूप में परिभाषित किया गया था।

(घ) वर्ष 1992-93 के समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थी परिवारों में से केवल 4% की वार्षिक आय 11,000 रुपए से अधिक थी। इसी प्रकार, लगभग 48 प्रतिशत परिवारों का ग्राम सभा की बैठकों में चयन नहीं किया गया।

(ङ) लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को और अधिक भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का पता लगाने और चयन करने में ग्राम सभाओं और ग्रामीण समुदायों की भूमिका पर पुनः बल देने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के बाद सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए थे।

एन॰टी॰पी॰सी॰/एस॰ई॰बी॰

770. श्री राम नाईक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कुल कितना भुगतान किया जाना है;

(ख) सरकार तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा इस बकाया राशि को वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कृषि क्षेत्र से न्यूनतम शुल्क वसूलने की सलाह दी है ताकि कम से कम परिचालनात्मक लागत को वसूल किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी राज्य उपरोक्त सलाह का अनुसरण करें, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बकाया राशियों को वसूलने से संबंधित मामले पर एनटीपीसी द्वारा चूककर्ता राज्यों/रा. बि. बो. के साथ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अधिक मात्रा में चूक की दशा में कभी-कभी विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित कर दिया जाता है। रा.बि.बो. द्वारा शीघ्र भुगतान किए जाने हेतु एनटीपीसी ने एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की है। सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि आगे से अग्रिम भुगतान करने अथवा अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के विरुद्ध ही विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए। राज्यों के लिए केन्द्र से अंतरण समायोजना करने के माध्यम से एनटीपीसी को राज्यों से अपनी बकाया राशि वसूलने में भारत सरकार भी सुविधा प्रदान करती रही है।

(ग) रा.बि.बोर्डों द्वारा बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के कारणों में रा.बि.बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति, विद्युत आपूर्ति के लिए अधिकतर रा.बि.बो. द्वारा अपनाई जाने वाली कम उपयोगी मूल्य निर्धारण नीति, बिजली की चोरी समेत उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां तथा रा.बि. बोर्डों की असंतोषजनक प्राप्त स्थिति शामिल है।

(घ) इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस प्रकार की कोई सलाह प्रदान नहीं की है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

31 जनवरी, 97 की स्थितिनुसार एनटीपीसी की बकाया राशियां

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ रा. क्षेत्र के.रा.वि.बो.	अद्यतन तिथि के अनुसार बकाया राशि	बिल में दर्शाया गया अधिभार	कुल बकाया राशि
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	69,787	26,825	96,612
राजस्थान	4,048	15,714	19,762
दिल्ली	77,689	10,450	88,139
पंजाब	1,395	322	1,717
हरियाणा	11,065	12,739	23,804
हिमाचल प्रदेश	2,022	941	2,963
जम्मू और कश्मीर	27,532	6,386	33,918
चण्डीगढ़ (यूटी)	1,201	0	1,201
पावरग्रिड	267	23	290
मध्य प्रदेश	21,725	17,741	39,466
महाराष्ट्र	11,281	7,975	19,256
गुजरात	10,389	6,450	16,839
गोवा	120	35	155
दादर नगर हवेली	59	00	59
दमन और दीव	296	2	298
पावरग्रिड	157	27	184

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	*7,877*	*5,210*	*13,087*
कर्नाटक	*3,770*	*3,384*	*7,154*
तमिलनाडु	2,104	5,661	7,765
केरल	615	2,206	2,821
गोवा	27	66	93
पांडिचेरी	6	2	8
पश्चिम बंगाल	17,149	5,786	22,935
बिहार	32,807	24,849	57,656
ग्रिडको (उड़ीसा)	9,403	0	9,403
डीवीसी	9,191	9,034	18,225
सिक्किम	307	55	362
जोड़	322,289	161,883	484,172

केन्द्रीय भण्डार

771. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय भण्डार की राज्य-वार कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय भण्डार की कोई शाखा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से उड़ीसा में केन्द्रीय भण्डार की कुछ शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) इस समय विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय भण्डार के निम्नलिखित 102 शाखा भण्डार हैं :—

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शाखा भण्डारों की संख्या
1.	दिल्ली	72
2.	तमिलनाडु	11
3.	उत्तर प्रदेश	5
4.	आन्ध्र प्रदेश	3
5.	हरियाणा	3
6.	चण्डीगढ	2
7.	कर्नाटक	2
8.	महाराष्ट्र	1
9.	पंजाब	1
10.	केरल	1
11.	दमन व दीव	1
		102

(ख) से (ङ) उड़ीसा में केन्द्रीय भण्डार की कोई शाखा नहीं है तथा अभी उस राज्य में इसकी शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं उन क्षेत्रों में खोली जाती है जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का बाहुल्य होता है तथा जब नए स्टोरों की वित्तीय क्षमता एवं नाम मात्र के किराए पर भवन उपलब्ध होने जैसी शर्तें भी पूरी हो जाती हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

772. **श्री मुनव्वर हसन :**

श्री वी.एम. सुधीरन :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एनटीपीसी कैरिज आउट इट्स थ्रेट, लांग पावर कट्स इन कैपिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया राशि का भुगतान करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राजधानी में विद्युत आपूर्ति कम किए जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) अक्तूबर, 1996 में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र यूटिलिटीज द्वारा भविष्य में विद्युत आपूर्ति केवल अग्रिम अदायगी अथवा अपरिवर्तनीय आशय-पत्र पर ही की जाएगी। तथापि, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामले में इस निर्णय को 31.12.1996 तक स्थगित कर दिया गया था। चूंकि, डेसू ने बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र बीटीपीएस तथा नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) को चालू देयता का पूरा भुगतान नहीं किया है अत: 1.2.1997 को विद्युत नियमन लागू कर दिया गया है। 10.2.97 को हुई बैठक में इस स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया कि विद्युत के इस विनियम को वापिस ले लिया जाए तथा डेसू द्वारा बीटीपीएस तथा एनटीपीसी 1 जनवरी, 1997 से 30 अप्रैल, 1997 तक जो भुगतान किया है उसमें जो कमी है उसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा देय राशियों के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने समायोजन करने के लिए तथा 1 मई, 1997 से बीटीपीएस तथा एनटीपीसी को चालू देयता की पूर्ण अदायगी करने का वचन दिया है।

[अनुवाद]

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

773. श्री प्रमोद महाजन :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर तथा खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन) : (क) से (ग) सरकार ने सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर तथा खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने के संबंध में एक कार्य-दल गठित किया है। उक्त कार्यदल का गठन एवं इसके विचारार्थ विषय दर्शाने वाले कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 2 जनवरी, 1997 के का.ज्ञा. संख्या 34011/(एस)/97-स्थापना (ख) की एक प्रति अनुबंध रूप में संलग्न है।

अनुबंध

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी, 1997

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : सूचना प्राप्त करने के अधिकार तथा खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने के संबंध में कार्यदल का गठन।

जवाबदेही, खुलेपन, विकेन्द्रीकरण तथा नागरिक-उन्मुखीकरण के सिद्धांतों पर आधारित ईमानदार एवं संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता पर व्यापक सहमति है। भारत सरकार द्वारा प्रभावी तथा संवेदनशील प्रशासन पर प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बहस के प्रसंग में, सरकार तथा लोक-निकायों के कार्यकरण में, उनके अपने कर्मचारियों और जनता के बीच पारस्परिक क्रिया-कलापों के संदर्भ में पहले की अपेक्षा और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विशेष उपाय करना तय किया गया है। इस क्रम में सरकार तथा लोक अभिकरणों के संचालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के प्रति विशिष्टि अपवादों के अधीन नागरिकों की व्यापक तथा सुगम पहुंच सुनिश्चित करना भी आवश्यक समझा जाता है। इस प्रयोजन से केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्तरों पर सूचना प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में एक विधान लाने की संभावना समुचित परामर्शों के पश्चात जांची जा सकती है। इस दृष्टि से विभिन्न संगत विधानों, जिनमें सरकारी गोपनीय अधिनियम भी शामिल हैं, में यथा-आवश्यक संशोधन करने पर विचार करना भी अपेक्षित है।

2. उपर्युक्त के मद्देनजर, मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन से, सूचना प्राप्त करने के अधिकार तथा पारदर्शिता के संबंध में श्री एच. डी. शौरी, अध्यक्ष, कॉमन कॉज़, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित करने का निर्णय किया गया है। उक्त कार्य-दल का गठन निम्नलिखित है :—

1.	श्री एच. डी. शौरी	अध्यक्ष
2.	श्री सोली सोराबजी	सदस्य
3.	प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण-मंत्रालय	सदस्य
4.	गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	विधि कार्य विभाग के अपर/संयुक्त सचिव	सदस्य
6.	रेल मंत्रालय के एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	डाक विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	दूर-संचार विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
9.	श्री हरिन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य

3. कार्य-दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(क) खुली तथा अनुक्रियाशील सरकार की आवश्यकता पूरी करने के लिए सूचना प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित एक पूर्ण अधिनियम के पुरःस्थापन अथवा इसके चरण-बद्ध ढंग से पुरःस्थापन की व्यवहार्यता तथा आवश्यकता की जांच करना।

(ख) ऐसे विशिष्टि क्षेत्रों को पहचानना, जहां कार्यकरण की प्रक्रियाओं और कार्य-प्रणालियों में विशेष रूप से केन्द्र सरकार के स्तर पर रेलवे, दूर संचार, डाक सेवाओं, पार-पत्र और बैंकिंग सहित बड़े विभागीय उपक्रमों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विकसित किया जा सके।

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों पर सुनवाई करने तथा आन्तरिक परामर्श में पहले की अपेक्षा और अधिक खुलापन और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से आन्तरिक कार्यकरण-प्रक्रियाओं की जांच करना।

(घ) कर्मचारियों के साथ संबंधों सहित सरकार के कार्यकरण में पहले की अपेक्षा और अधिक खुलापन तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से विद्यमान आचरण-नियमों तथा कार्यालय पद्धति के मैनुअल के विशेष संदर्भ में नियमों के ढांचे की जांच करना।

(ङ) पहले की अपेक्षा और अधिक खुलापन तथा ग्राहक के प्रति पहले की अपेक्षा और अधिक अनुक्रियाशील लोक व्यवहार प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण के स्वरूप तथा विषय-वस्तु की जांच करना।

4. उक्त कार्य-दल अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत कर देगा।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के स्थानीय परिवहन तथा अन्य भत्तों पर होने वाले व्यय का निर्वहन, भारत सरकार के समूह "क" अधिकारियों पर

लागू नियमों के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के बजट-प्रावधान में से किया जाएगा।

ह०/-

(वाई. जी. पराडे)

निदेशक

दूरभाष : 3015589

सेवा में,

श्री एच.डी. शौरी, ए-31, वैस्टैंड, नई दिल्ली-110 021

श्री सोली सोराब जी, सीनियर एडवोकेट, 134, सुन्दर नगर, नई दिल्ली-110 003

सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

सचिव, डाक-विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।

सचिव, दूर-संचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।

प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

संयुक्त सचिव (स्थापना) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचना के लिए प्रेषित :

1. मंत्रिमंडल सचिव के स्टाफ के अधिकारी
2. प्रधानमंत्री के निजी सचिव
3. सचिव (कार्मिक) के प्रधान निजी सचिव।
4. स्थापना अधिकारी, अपर सचिव (पेंशन), अपर सचिव (सेवाएं तथा सर्तकता), संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), संयुक्त सचिव (प्र.अ. तथा प्रशासन) के निजी सचिव।

पेंशन प्रक्रिया

774. श्री वी. एन. सुधीरन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अविलंब अपना भुगतान प्राप्त कर लें, पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने भुगतान की अविलंब प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु 23.1.1987, 2.5.1994 और 24.8.1994 (अनुबंध I, II और III) को आवश्यक अनुदेश *जारी किए हैं। इन अनुदेशों में यह दिया गया है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष* को सेवानिवृत्त की तारीख तक पेंशन का प्राधिकार अनंतिम या अंतिम सुनिश्चित करने वाले सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इन अनुदेशों में यह भी दिया गया है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सामयिक भुगतान सुनिश्चित करने और किसी विलंब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई किए जाने और भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेवारी नियत करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अनुबंध — 1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1987

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : अनंतिम पेंशन/उपदान का भुगतान।

केन्द्रीय सिविलि सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले तद्नुरूपी नियमों में यह व्यवस्था विद्यमान है कि कार्यालय अध्यक्षों और लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारियों द्वारा यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन और उपदान की राशि का समय पर मूल्यांकन कर लिया गया है और पेंशन के भुगतान का आदेश सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीना पहले ही जारी कर दियां गया है। ऐसे मामलों में जहां पेंशन और उपदान का उपरोक्त यथापेक्षित निपटान न किया जा सके, तो उस स्थिति में इन नियमों में (उदाहरणत: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 का नियम 64) अनन्तिम पेंशन और उपदान का भुगतान करने की व्यवस्था विद्यमान है। यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह मत है कि संगत नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान अथवा दोनों ही का अन्तिम निर्धारण और निपटान किए जाने से पहले ही सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की संभावना है तो उसे, नियमों के अनुसार अनन्तिम पेंशन के रूप में 100 प्रतिशत तक पेंशन और अनन्तिम उपदान के रूप में 100 प्रतिशत तक उपदान मंजूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी।

2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को इस आशय के अभ्यावेदन भेजे गए हैं कि कार्यालय के अध्यक्षों द्वारा नियमों में यथानिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ऐसी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं जिन्हें टाला जा सकता है।

3. सरकार ने इस आशय की शिकायतों को बड़ी गम्भीरता से लिया है कि सांविधिक नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालय अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भविष्य में कोई ऐसी शिकायतें करने का मौका न दिया जाए और निर्धारित कार्याविधि अक्षर का अनुपालन

किया जाए। इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष पर होगी।

4. यदि किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को, उसकी सेवानिवृत्ति पर, उसकी पेंशन का निर्धारण किए जाने तथा पेंशन भुगतान आदेश के जारी होने तक, उसकी अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया जाता है तो ऐसा कर्मचारी अपनी शिकायत तत्काल कार्रवाई करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भेज सकता है। सरकार यह बात सुनिश्चित चाहेगी कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सामान्यत: अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की अंतिम मंजूरी प्राप्त हो जाए, यदि अंतिम पेंशन भुगतान आदेश जारी करने में विलम्ब अपरिहार्य ही हो जाता है, तो ऐसे कर्मचारी की नियमों में यथा-निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कम से कम अनंतिम पेंशन तथा अनंतिम उपदान की मंजूरी तो दे ही दी जानी चाहिए।

5. ये अनुदेश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जो कि केन्द्रीय सिविलि सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अधीन आते हैं तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सशस्त्र सेना कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों आदि के मामलों में लागू नियमों के अनुरूपी उपबंधों के अधीन आते हैं।

6. वित्त मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु की, इसका दृढ़ता से पालन करने के लिए, सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाएं।

(हस्ताक्षर)

अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

(मानक सूची के अनुसार)

अनुबंध — II

भारत सरकार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2-5-1994

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : पेंशनभोगी प्रसुविधाओं के अदायगी भुगतान में विलम्ब न होने देना।

भारत सरकार के कार्यालयों में पेंशन अदायगी भुगतान में होने वाली देरी का पता लगाने के लिए पेंशन अदायगी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन मुख्यत: निम्नलिखित दो मुद्दों पर केन्द्रित था :

(क) प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए क्षेत्र की पहचान।

(ख) पेंशन अदायगी के विभिन्न स्तरों पर होने वाली देरी के कारणों का पता लगाना तथा उपचारी कदमों का सुझाव देना।

2. रिपोर्ट में देरी का मुख्य कारण साविधिक उपबन्धों का अनुपालन न करना बताया गया है। सरकार ने इस बात को गम्भीरता से लिया है कि साविधिक नियमों के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालयाध्यक्षों को अदायगी पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के अदायगी के लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूर्णत: सही अनुपालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे मामलों में देरी का उत्तरदायित्व कार्यालयाध्यक्षों पर होगा।

3. रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर टिप्पणी की गई है, जिनका मार्गदर्शन और कड़ाई से अनुपालन हेतु विशेष वर्णन किया जाता है :—

अर्हक सेवा का सत्यापन

अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सेवा-पुस्तिका में उपयुक्त प्रविष्टियां न होने और सेवा रिकार्डों का सत्यापन न होने के कारण अर्हक सेवा का सत्यापन करने में बहुत समय लग जाता है। अत: अध्ययन दल ने अर्हक सेवा का सत्यापन साविधिक नियमों के अनुसार करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में विशेष रूप से निम्नलिखित उपबंधों को कार्यालयाध्यक्ष की जानकारी में दोबारा लाया जाता है:—

(क) अनुपूरक नियमावली का नियम 202

प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों को प्रतिवर्ष सेवा-पुस्तिकाओं को दिखाने की कार्यवाही करें और उनके द्वारा सेवा-पुस्तिकाएं देखी जाने के प्रमाण के रूप में उनमें उनके हस्ताक्षर लें। वह अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को प्रत्येक सितम्बर मास के अंत तक इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भेजेगा कि उसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में ऐसा कर लिया है। सरकारी सेवक अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व, अन्य बातों के साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाएं सम्यक रूप से सत्यापित हैं, और इस रूप में प्रमाणित की गई है। अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक की दशा में, संपरीक्षा अधिकारी द्वारा उसकी सेवा-पुस्तिका में उसकी अन्यत्र सेवा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् उसमें उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 का नियम 32

(1) "किसी सरकारी सेवक द्वारा सेवा के पच्चीस वर्ष पूरे करने पर या उसकी सेवा-पुनर्वृत्ति की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित अर्हक सेवा की अवधि को प्रारूप 24 में उसे संसूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकारी सेवक को अस्थायी विभाग से किसी अन्य विभाग में अंतरित कर दिया जाता है, अथवा जिस विभाग में वह पहले सेवा कर रहा था उसके बंद हो जाने की दशा में, अथवा उस पद जिसे वह धारण किया हुआ

था अधिशेष घोषित कर दिए जाने की दशा में उसकी सेवा का सत्यापन तभी किया जाएगा जब कभी ऐसी घटना घटती है।

(3) उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अन्तिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी शर्तों को जिनके अधीन सेवा, पेंशन के लिए अर्हित होती है, शासित करने वाले नियमों या आदेशों में तदन्तर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

(4) उपदान के विलंबित अदायगी पर ब्याज

4.1 अध्ययन दल ने अनुशंसा की है कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पर्याप्त पूर्वोपाय किया जाय ताकि उपदान के विलंबित अदायगी पर ब्याज से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त संबंधित कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया जाए और इस संबंध में वह समय पर कार्रवाई न करने का दोषी पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी नियत की जाये।

4.2 नियमों में सांविधिक उपबंधों के बावजूद मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में ऐसे मामले अवश्य होंगे यहां पर न्यायालय द्वारा पेंशन/उपदान के विलंबित अदायगी के कारण भारी ब्याज लगाया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 68(4) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें ब्याज के अदायगी की मंजूरी प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा दी गई है, ऐसा मंत्रालय या विभाग उस सरकारी सेवक या उन सेवकों की जिम्मेदारी नियत करेगा और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेगा जो उपदान की अदायगी के विलंब के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं। मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक अध्यक्षों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व नियत करते समय और समय पर कार्रवाई न करने के दोषी कर्मचारियों पर उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई करते समय इन प्राक्कलनों को ध्यान में रखें।

(5) सरकारी सेवा में रहते हुए मरने वाले सरकारी सेवकों की बाबत कुटुम्ब पेंशन और मृत्यु उपदान की राशि का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना :

अध्ययन दल ने अनुशंसा की है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार के दावे संबंधी कागजातों को भेजने में लगने वाले विलम्ब से बचना चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के अध्याय 1 में पहले से विद्यमान विस्तृत अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपबंध है कि कार्यालयाध्यक्ष को सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर कुटुम्ब पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाओं की मंजूरी के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इन अनुदेशों का सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के मामले पर अनुमत्य पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं की अदायगी में विलम्ब से बचने के लिए इन अनुदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ऐसे मामलों में औपचारिक मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना केवल मृत्यु की सूचना मिलने पर ही कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

(6) पेंशन मामलें निपटाने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण :

अध्ययन दल ने बताया कि पेंशन मामलों पर कठिनाई करने वाले कर्मचारी पेंशन कागजातों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई के लिए समय अनुसूची तैयार करने के महत्त्व से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। यह भी पाया गया है कि पेंशन संबंधित स्टाफ को इस विषय पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे पेंशन मामलों से संबंधित स्टाफ को पेंशन कार्रवाई का उपयुक्त प्रशिक्षण दें और उन्हें समय-समय पर सेवाकालीन के लिए भेजते रहें।

(7) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के उपबंधों का प्रचार :

अध्ययन दल ने देखा कि अधिकतर मामलों में सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमों के संगत उपबंधों अर्थात् अनंतिम पेंशन की मंजूरी, सेवा सत्यापन, प्रमाण-पत्र इत्यादि संबंधी जानकारी से अवगत नहीं हैं। परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी इस जानकारी से अनभिज्ञ रहते कार्यालय को विभिन्न स्तरों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्मचारियों को पेंशन नियमावली के विभिन्न उपबंधों की जानकारी देने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी विभाग द्वारा सन् 1988 में "सुखद सेवानिवृत्ति की ओर" शीर्षक विवरणिका का प्रकाशन किया था। इस विवरणिका की एक प्रति संलग्न है। इसे सरकारी कर्मचारियों, विशेषतः निकट भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित कर दिया जाए।

(8) प्रशासनिक अध्यक्ष एवं लेखा कार्यालय के बीच आवधिक समन्वय बैठक :

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड में किसी भी कमी का पता लगाने के लिए, अध्ययन दल ने प्रशासनिक अध्यक्ष और लेखा कार्यालय के बीच समन्वय और आवधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर महत्त्व दिया है। इन बैठकों का सर्वोच्च स्तर पर निगरानी होना चाहिए।

(9) अनन्तिम पेंशन तथा उपदान की मंजूरी :

नियम 64 के उपबंधों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को छह मास की अवधि के लिए यह अनन्तिम पेंशन और उपदान मंजूर कर सकता है, यदि उसकी यह राय हो कि सरकारी कर्मचारी के पेंशन और उपदान अथवा दोनों के अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाने से पूर्व ही वह उसके सेवानिवृत्त होने की सम्भावना है। अध्ययन दल ने यह पाया है कि बहुत से मामलों में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी किसी न किसी आपत्तियों के कारण समय पर अपनी पेंशन नहीं ले पाता है। इस सम्बन्ध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण के दिनांक 23 जनवरी, 1987 के का. ज्ञा. सं. 38/9/87 पी॰ एंड पी॰ डब्ल्यू॰ की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसके द्वारा विभागों/कार्यालयों के अध्यक्षों को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख को अनन्तिम अथवा अन्तिम पेंशन और उपदान का प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए सरकारी आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

इन अनुदेशों की एक प्रति पूर्ण अनुपालन हेतु संलग्न है।

(10) रक्षा मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी सम्बन्धितों की जानकारी में जाएं।

(दिनेश चन्द्र)

अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

अनुबंध — III

भारत सरकार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24-8-1994

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : पेंशनभोगी प्रसुविधाओं में विलम्ब न होने देना।

भारत सरकार के कार्यालयों में "पेंशन की भुगतान-प्रक्रिया पर एक अध्ययन" पर की गई कार्रवाई के अनुसरण में, पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण के दिनांक 2 मई, 1994 के का॰ज्ञा॰सं॰ 38 (116) 93-पी. एंड पी. डब्ल्यू. (एक) के तहत पेंशन भोगी प्रसुविधाओं की अदायगी में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

2. सरकार ने अध्ययन दल की रिपोर्ट की कुछ और सिफारिशों पर विचार किया है, और उनका सख्ती से अनुपालनार्थ निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जा रहे हैं :—

अशक्त पेंशन—अध्ययन दल ने अनुशंसा की है कि अशक्त पेंशन के मामले में अशक्ता के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की वास्तविक तारीख से पूर्व या उसके साथ चिकित्सक बोर्ड की रिपोर्ट देनी चाहिए। के॰सि॰से॰ (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 38 में निहित उपबन्धों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह अशक्ता के आधार पर सेवानिवृत्ति लेने की जानकारी अपने कार्यालयाध्यक्ष को दे, जो सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा बोर्ड अथवा सिविल सर्जन इत्यादि जैसा भी मामला हो के पास भेज देगा। ऐसे मामलों में अशक्तता पेंशन समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से असमर्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद ही मंजूर की जाएगी। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, कि जिनमें अशक्तता पेंशन की बहुत विलम्ब के बाद मंजूरी दी गई। अत: सभी कार्यालयाध्यक्षों को परामर्श दिया जाता है कि जब कभी सरकारी कर्मचारी असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करे तो मामले को सम्बन्धित चिकित्सा प्राधिकारियों के पास तत्काल भेज दिया जाए ताकि बिना विलम्ब उसकी जांच की जा सके।

पेंशन कागजातों से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यालय और पेंशन कागजातों का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार लेखा कार्यालय एक ही स्थान पर स्थित हों—अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि पेंशन कागजातों से सम्बन्धित कार्यालय और पेंशन कागजातों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार लेखा कार्यालय जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर हों। अध्ययन दल की इस सिफारिश को सैद्धान्तिक रूप से मान लिया गया है। यह सराहनीय है कि इस सिफारिश के कार्यान्वयन की प्रशासनिक व्यवहार्यता एक विभाग से दूसरे विभाग तक भिन्न होगी। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

3. इस विभाग के दिनांक 2 मई, 1994 के का॰ज्ञा॰सं॰ 38 (116) 93-पी॰ एंड पी॰ डब्ल्यु॰ (एफ) के पैरा 7 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार मंत्रालयों/विभागों के द्वारा पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण वि॰ के द्वारा जारी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को के॰सि॰से॰ (पेंशन) नियमावली 1972 के उपबन्धों की जानकारी देने के लिए "सुखद सेवानिवृत्ति की ओर" विवरणिका का व्यापक प्रचार किया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ जांच बिन्दु सुझाए गए हैं जिससे इस बात की जानकारी मिल सके कि सेवानिवृत्त के समय पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए क्या करना चाहिए ? जिसकी प्रति संलग्न है। इसको सरकारी कर्मचारियों विशेषकर जो निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाए।

4. रक्षा मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस का॰ज्ञा॰ की विषय-वस्तु की कड़ाई से अनुपालनार्थ सभी सम्बन्धिओं की जानकारी में पाया जाए।

(कश्मीरी लाल)

उप सचिव (पेंशन)

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

775. श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री ललित उरांव :

श्री महावीर विश्वकर्मा :

श्री सुखलाल कुशवाहा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) देश में, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सभी गांवों को कब तक विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): *(क) देश में 26 राज्यों में से 13 राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम तथा तमिलनाडु ने सम्भाव्य आवासीय ग्रामों* का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है।

(ख) भारत सरकार देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण में पीछे चल रहे क्षेत्रों/राज्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आरईसी पिछड़े क्षेत्रों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सरल शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर ऋण प्रदान करती है।

(ग) और (घ) चूंकि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अलाभकर प्रकृति का है इसलिए कुछ राज्य बिजली बोर्ड अपने ऋणों की वसूली में आस्थगन और ऋणों का पुनः कार्यक्रम बनाने तथा ऋण की शर्तों और निबन्धन में भी रियायत प्रदान करने के लिए आरईसी से अनुरोध करते रहे हैं। रा.बि.बो. द्वारा आरईसी को देय बकाया राशियों की वसूली में भारी चूक होने के कारण आरईसी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को और सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत कार्यक्रम है। योजना आयोग निधियों और निवेशों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य/सरकार/राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके सम्पूर्ण रूप से राज्य के लिए वार्षिक आधार पर कार्यक्रम हेतु वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करता है।

विदेशी निवेश

776. कुमारी उमा भारती :

श्री हरिन पाठक :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने 1995-96 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश किया है तथा इसमें देशवार कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्यवार और परियोजनावार अभी तक मंजूर किए गए विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) 1995-96 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की स्वीकृति के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उदारीकरण के बाद नवम्बर, 1996 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृत विदेशी निवेश के क्षेत्रवार एवं राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की स्वीकृति के देशवार ब्यौरे

क्रम सं॰	देश	विदेशी निवेश (रुपए लाख में)
1.	आस्ट्रेलिया	291
2.	आस्ट्रिया	268
3.	बेल्जियम	68
4.	बरमुडा	53
5.	कनाडा	13922
6.	फ्रांस	2354
7.	जर्मनी	2994
8.	आयरलैंड	2430
9.	इस्रायल	182
10.	इटली	1279
11.	जापान	22
12.	दक्षिण कोरिया	60
13.	लक्जमबर्ग	25
14.	मारिशियस	1840
15.	नीदरलैंड	2584
16	सिंगापुर	200
17	यू॰ के॰	2142
18	यू॰ एस॰ ए॰	14739
19.	अन्य	6260

विवरण-II

उदारीकरण से नवम्बर, 1996 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विदेशी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे।

क्षेत्र	(राशि करोड़ रुपए में)
1. अनाज मिलिंग तथा अनाज आधारित	408
2. फल तथा सब्जी उत्पाद	761
3. मांस तथा पॉल्ट्री	396
4. गहन समुद्री मत्स्यन, मछली प्रसंस्करण एवं एक्वाकल्चर	549
5. फरमन्टेशन उद्योग	337
6. साफ्ट ड्रिंक्स/जल/मिष्ठान्न आदि सहित उपभोक्ता उद्योग	4299
7. दूध एवं दूध उत्पाद	297
8. खाद्य योगज, सुगंध आदि समेत अन्य	229
योग	7276

विवरण-III

नवम्बर, 1996 तक अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे।

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	विदेशी निवेश
1.	आंध्र प्रदेश	207
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	113
5.	हरियाणा	136
6.	हिमाचल प्रदेश	92
7.	जम्मू एवं कश्मीर	5
8.	कर्नाटक	74
9.	केरल	32
10.	मध्य प्रदेश	89
11.	महाराष्ट्र	3435
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	1
16.	पंजाब	491
17.	राजस्थान	27
18.	तमिलनाडु	479
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	404
21.	पश्चिम बंगाल	24
22.	सिक्किम	—
23.	अंडमान व निकोबार	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादर एवं नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	1
28.	दमन व दीव	—
29.	एल. एम. एंड ए. आइलैंड्स	—
30.	मिजोरम	—
31.	पाण्डिचेरी	5
32.	गोवा	27
33.	स्थानों का उल्लेख नहीं/यूनिटें एक से अधिक स्थानों पर स्थित हैं।	1629
		7276

[अनुवाद]

एल पी जी कनेक्शन

777. श्री पी. सी. थामस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में संसद सदस्यों को जारी किए गए नकली एल पी जी कूपनों की बड़ी मात्रा में बिक्री किए जाने का पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल से कई सदस्यों ने सी. बी. आई. द्वारा मामले की जांच किए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) तथाकथित रूप से अधिमूल्य पर बाजार में संसद सदस्यों के कूपनों की उपलब्धता के संबंध में दिनांक 25 जनवरी, 1997 को केरल राज्य के एक अग्रणी दैनिक मलयाला मनोरमा में एक समाचार छपा था।

(ग) और (घ) मामले के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की की मांग करते हुए केवल एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर तेल कंपनियों के सतर्कता विभागों से आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अवैध निर्माण

778. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1997 के "स्टेट्समैन" में "पोलिटिकल-बिल्डर नेक्सस ब्लेम्ड फार इलिगल कन्सट्रक्शन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या राजधानी में अनाधिकृत निर्माण में वृद्धि के कारण का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजधानी में अवैध निर्माण रोकने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण एक अनवरत समस्या है और उनका निवारण भी सतत् प्रक्रिया है। अनाधिकृत निर्माण के बारे

में पता चलते/सूचना मिलते ही दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा क्रमशः दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, तथा नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन के 385 मामले दिल्ली विकास विनियम के अन्तर्गत कार्रवाई के लिए दर्ज किए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली के 9 जिलों में से प्रत्येक में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण की रोकथाम के लिए एक विशेष कार्यदल का गठन किया है।

हैदराबाद का विकास

779. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले कई वर्षों से हैदराबाद के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस शहर का विकास करने के लिए अधिक धनराशि देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई और की जाने वाली कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम 1993-94 के दौरान हैदराबाद सहित पांच मेगा शहरों में आरम्भ की गई थी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा 16.3.95 को यथा अनुमोदित इस स्कीम की विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) स्कीम के लागत खर्च की केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी 25:25 के अनुपात में होगी और शेष 50% लागत संस्थागत वित्त से जुटाई जाएगी।

(ii) स्कीम में शामिल की जाने वाली परियोजनाएं तीन प्रकार की होंगी :

(क) बुनियादी सेवाएं परियोजनाएं, (ख) प्रयोक्ता-प्रभार आधारित परियोजनाएं (ग) प्रति लाभ कर परियोजनाएं।

(iii) धन की अदायगी राज्य स्तर पर विशेषज्ञता संस्था/नोडल एजेंसी के माध्यम से दी जाएगी। जो शहरी बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं जिनमें जल-आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, सफाई, शहरी परिवहन, भूमि विकास, स्लम सुधार, कचरा प्रबंध आदि शामिल हैं, के लिए परियोजना-जन्य वित्त मुहैया कराया जाएगा। मेगासिटी स्कीम के तहत, 31.1.1997 तक, हैदराबाद की नोडल एजेंसी अर्थात् हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के मार्फत केन्द्रीय अंश के रूप में 53.41 करोड़ रु॰ की राशि मंजूर की जा चुकी है तथा राज्य स्तरीय परियोजना मंजूरी समिति ने इस स्कीम के तहत आरम्भ की जाने वाली 14 परियोजनाएं 251.17 करोड़ रु॰ लागत से मंजूर की हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, हैदराबाद से संबंधित परियोजनाओं पर 30.11.96 तक किया गया व्यय 55.88 करोड़ रु॰ है और अधिक धन की मंजूरी नोडल एजेंसी के कार्य निष्पादन तथा स्कीम के तहत उपलब्ध धन पर निर्भर होगी।

ट्राइसेम

780. **श्री दिनशा पटेल :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार (ट्राइसेम) के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और गुजरात के विशेष संदर्भ सहित गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (ट्राइसेम) लाभार्थियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों से संबंधित युवाओं और महिलाओं को शामिल करने से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना की निगरानी हेतु सरकारी तंत्र संतोषजनक कार्य कर रहा है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात में ट्राइसेम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जनवरी, 97 तक) के दौरान उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता और प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ट्राइसेम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कुल प्रशिक्षित युवाओं का कम से कम 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ससमुदायों से होना चाहिए। सहायता का 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 97 तक) के दौरान प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी हां।

विवरण

वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान वित्तीय और वास्तविक प्रगति

वर्ष	वित्तीय (रुपए लाख में)				वास्तविक					
	केन्द्रीय आवंटन		केन्द्रीय रिलीज		प्रशिक्षित युवाओं की संख्या		प्रशिक्षित युवाओ में अनु॰ जाति/ जनजाति की संख्या		प्रशिक्षित युवाओं में महिलाओं की संख्या	
	अखिल भारत	गुजरात	अखिल भारत	गुजरात	अखिल भारत	गुजरात	अखिल भारत	गुजरात	अखिल गुजरात	गुजरात
1993-94	5573.00	157.24	5017.11	157.24	303821	12037	145298	6749	153981	4336
1994-95	4470.75	125.67	4612.27	195.67	281874	11794	126978	6227	137822	5904
1995-96	4525.00	125.67	4524.998	122.28	301651	10958	139767	6738	129911	4655
1996-97 (जनवरी, 97 तक)	4525.00	125.67	2512.742	121.98	199668	4749	94043	2103	106607	2391

[हिन्दी]

समान विद्युत शुल्क

781. **श्री डी॰ पी॰ यादव :**

डॉ॰ कृपासिंधु भोई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देशभर में विद्युत शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की वार्षिक योजना निधि में कटौती करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) विद्युत हेतु समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना जिसे 16 अक्टूबर 1996 तथा 3 दिसम्बर, 1996 को विद्युत के बारे में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया था। उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिशें की गई थीं कि फुटकर टैरिफों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य बिजली विनियामक आयोग (एस॰ ई॰ आर॰ सी॰) की स्थापना की जाए, उपभोक्ताओं की श्रेणियों के मध्य पारस्परिक परिदान बशर्ते कि कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की औसत लागत के 50% से कम का भुगतान न करे, कृषिगत टैरिफ 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर से कम न हो तथा इसे तीन वर्ष से कम अवधि में औसत लागत के 50% से कम रखा जाए, एस॰ ई॰ आर॰ सी॰ की सिफारिशें अनिवार्य होंगी तथा इसके द्वारा अनुसंसित टैरिफ में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के लिए वित्तीय विवक्षा उपलब्ध करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बजट में प्रावधान किया जाना और राज्यों द्वारा टैरिफ का यौक्तीकरण संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन आसान करने व इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन पैकेज तैयार किया जाना। इसके अलावा, कार्ययोजना में राज्य बिजली बोर्डों की स्वायत्तता, वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने के लिए रा॰ वि॰ बोर्डों का पुनर्गठन व समष्टिकरण राज्य बिजली बोर्डों की प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार तथा राज्य बिजली बोर्डों की बिगड़ती हुई वित्तीय अवस्था में सुधार लाने के लिए वास्तविक पैरामीटरों इत्यादि में सुधार लाने की भी सिफारिश की गई है।

(घ) जी; नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

शोध तथा विकास हेतु निवेश

782. **श्री शिवराज सिंह :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा देश में शोध तथा विकास पर अलग-अलग कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) शोध तथा विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत राशि का निवेश हुआ है तथा कुल निवेश की गई राशि में कितनी बढ़ोतरी हुई तथा अन्य विकासशील देशों के मुकाबले इसकी तुलना कितनी है; और

(ग) औद्योगिकी क्षेत्र में शोध तथा विकास पर राशि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सरकारी मान्यता प्राप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास इकाइयों द्वारा देश में अनुसंधान एवं विकास पर निवेशित कुल राशि लगभग 1575 करोड़ रुपए है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा वहन किया गया खर्च लगभग 550 करोड़ रुपए है तथा शेष खर्च निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया गया है।

(ख) देश में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेशित कुल राशि में से औद्योगिक क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास में निवेशित कुल राशि की प्रतिशतता अन्य विकासशील देशों की 5 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत है।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते राजकोषीय प्रोत्साहन एवं सहायक उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।

भारतीय तेल निगम में निवेश

783. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री विजय पटेल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की देश में पत्तन आधारभूत ढांचे में लगभग 500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उन पत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए भारतीय तेल निगम द्वारा आधारभूत ढांचा बनाए जाने और सरकार द्वारा स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि॰ ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना बनाई है, ताकि नौवीं योजना में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी की जा सके। इस क्रियाकलाप में 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जमीनी स्थानों और पत्तन के स्थानों पर टर्मिनलों/डिपुओं, पाइपलाइनों का विकास शामिल है।

गैस का जलना

784. श्री एल॰ रमना : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक मात्रा में गैस अभी भी व्यर्थ जल रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार कितनी मात्रा में गैस व्यर्थ जली; और

(ग) इस गैस का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क). गैस के दहन की वर्तमान दर लगभग 3.6 एम एम एस सी एमं डी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दहन निम्नानुसार था :

	एम एम एस सी एम डी
1993-94	5.27
1994-95	5.53
1995-96	3.81

(ग) क्षेत्र प्रचालन की तकनीकी आवश्यकताओं, बुनियादी सुविधाओं की कमी, उपभोक्ताओं द्वारा खरीद में उतार-चढ़ाव और अलग-अलग संरचनाओं में गैस की उपलब्धता आदि की वजह से गैस का दहन करना पड़ता है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की मांग

785. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रसोई गैस, मिट्टी के तेल, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग क्या है और इस मांग को पूरा करने वाले सरकारी उपक्रमों का ब्यौरां क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए नए डीलरशिप के चयन को अंतिम रूप देने हेतु बिहार में तेल चयन बोर्ड का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के मांग अनुमान अखिल भारतीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं। इसलिए बिहार राज्य के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार मांग के अनुमान नहीं रखे जाते।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के पास नामांकित ग्राहकों की एलपीजी की मांग कुल मिलाकर पूरी की जाती है।

मिट्टी का तेल एक आवंटित उत्पाद है और वर्ष 1996-97 के लिए बिहार राज्य हेतु इसका आवंटन 647512 मी॰ टन रहा।

एम एस/एचएसडी की बाजार मांग पूर्णतया पूरी की जा रही है।

(ख) बिहार राज्य के लिए तेल चयन बोर्ड गठित नहीं किया गया है।

(ग) उक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

786. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा सरकारी तेल की विभिन्न तेल कंपनियों को कंपनी-वार और कार्य-वार कितनी ऋण राशि वितरित की गई और कितना अनुदान दिया गया;

(ख) यह सुनिश्चित करने कि वितरित धनराशि वांछित कार्य में ही लगाई जाए क्या तंत्र बनाया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन और अन्वेषण के लिए विभिन्न तेल कंपनियों को कुल कितना ऋण और अनुदान दिया गया;

(घ) क्या तेल उद्योग विकास बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को पूंजीगत व्यय और कार्यपूंजी के लिए ऋण प्रदान किए;

(ङ) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और कंपनी-वार कितना ऋण दिया गया है; और

(च) इस समय प्रत्येक कंपनी पर कुल कितना ऋण बकाया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) तेल उद्योग विकास बोर्ड वार्षिक उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त करके निधियों का उपयोग सुनिश्चित करता है। इसके अलावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणी से निधियों के उपयोग के संबंध में एक ब्यौरा भी मांगा जाता है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 31 जनवरी, 97 तक जारी किए गए ऋण/अनुदानों के संबंध में ब्यौरे।

(1996-97)

क्रम. सं.	कम्पनी का नाम	जारी की गई धन राशि (रुपए/करोड़)	क्रियाकलाप
1	2	3	4
1.	बॉमर लॉरी	25.00	अभियांत्रिकी
2.	एन. आर. एल.	171.78	शोधन/विपणन
3.	एच. पी. सी. एल.	250.00	शोधन/विपणन
4.	आई. बी. पी. कं.	50.00	शोधन/विपणन
5.	बी. पी. सी. एल.	130.00	शोधन/विपणन
6.	एम. आर. एल.	85.33	शोधन/विपणन
7.	बी. आर. पी. एल.	2.53	शोधन/विपणन
		714.64	
गैर-योजनागत/अन्य सहायता			
1.	ओएनजीसी-वीएल	49.00	अन्वेषण
2.	आईओसी	462.03	डब्ल्यू/सी ऋण
		511.03	
अनुदान			
1.	पी. सी. आर. ए.	4.02	अनु. एवं विकास
2.	सी. एच. टी.	9.30	अनु. एवं विकास
3.	डी. जी. एच.	5.36	अनु. एवं विकास
4.	ओ. आई. एस. डी.	1.80	अनु. एवं विकास
5.	आई. आई. पी.	1.54	अनु. एवं विकास
6.	टी. ई. आर. आई.	0.05	अनु. एवं विकास
7.	एन. पी. एम. पी.	0.10	अनु. एवं विकास
8.	आई. पी. सी. एल.	0.09	अनु. एवं विकास
9.	ओ. एन. जी. सी.	—	अनु. एवं विकास
		22.26	
	कुल योग	1247.93	

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए विभिन्न तेल कम्पनियों को दिए गए ऋणों/अनुदान के संबंध में ब्यौरे :

क्रम सं.	वर्ष	धनराशि (रुपए/करोड़) ऋण	अनुदान
1.	1993-94	255.00	—
2.	1994-95	—	—
3.	1995-96	161.57	—
	योग :	416.57	—

विवरण-III

1993-94, 94-95 तथा 95-96 के दौरान तेल कम्पनियों/अनुदानग्राही संस्थाओं के लिए अनुमानित/बांटे गए ऋण/अनुदान।

पूंजीगत व्यय के संबंध में ऋण — रुपए/करोड़

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	बांटी गई धन राशि 1993-94	बांटी गई धन राशि 1994-95	बांटी गई धन राशि 1995-96
1	2	3	4	5
1.	एम. आर. एल.	256.00	—	80.80
2.	सी. आर. एल.	115.40	73.97	—
3.	एच. पी. सी. एल.	64.21	—	—
4.	एन. आर. एल.	50.00	96.00	102.00
5.	बी. आर. पी. एल.	—	20.00	15.62

1	2	3	4	5
6.	बॉमर लॉरी	18.00	25.10	26.75
7.	एल॰ आई॰ एल॰	—	15.00	—
8.	आई॰ बी॰ पी॰ कं॰	18.00	40.00	132.39
9.	बीको लॉरी	—	1.00	3.25
10.	ओ॰ आई॰ एल॰	—	—	133.87
11.	ओ॰ एम॰ जी॰ सी॰-वी॰ एल॰	105.00	—	27.70
12.	बॉमर लॉरी	4.66	—	—
13.	बीको लॉरी	3.29	5.04	—
14.	आई॰ ओ॰ सी॰	—	0.16	—
15.	बी॰ पी॰ सी॰ एल॰	0.07	—	—
	योग :	634.63	276.27	522.38
	कार्यशील पूंजी ऋण			
1.	बी॰ पी॰ सी॰ एल॰	31.19	—	—
2.	ओ॰ ई॰ ओ॰ सी॰ लि॰	—	—	300.00
		31.19	—	300.00

विवरण-IV

वर्ष 1996-97 के दौरान तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देने के लिए बकाया ऋणों के संबंध में ब्यौरे।

रु॰/करोड़

क्रम सं॰	कम्पनी का नाम	प्रत्येक कम्पनी को बकाया शेष
योजनागत परियोजना		
1.	बॉमरी लॉरी	10.00
2.	एन आर एल	205.22
3.	एच पी सी एल	100.00
4.	आई बी पी कं॰	62.32
5.	बी पी सी एल	172.00
6.	सी आर एल	35.00
7.	ओ एन जी सी लि॰	153.00
8.	ओ आई एल	118.00
9.	गेल	400.00
		1256.54
गैर-योजनागत/अन्य सहायता		
1.	आई ओ सी	7.97
		7.97

दिल्ली में बिजली की कमी

787\. **श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन :**

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली म बिजली की कुल मांग और आपूर्ति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली के लिए अतिरिक्त बिजली पैदा करने/उधार लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली में नियमित रूप से लोड शेडिंग होती है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में बिजली की चोरी और अवैध कनेक्शनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या दिल्ली में बिजली के वितरण और पारेषण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दिल्ली में बिजली शुल्क में वृद्धि किए जाने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो इसके कब से प्रभावी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जनवरी, 1997 माह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत की आवश्यकता तथा उपलब्धता क्रमशः 1225 मि॰ यू॰ और 1144 मि॰ यू॰ थी तथा कमी 81 मि॰ यू॰ अर्थात् लगभग 7% थी। दिल्ली में विद्युत आवश्यकता की कमी, अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों के आबंटित/अनाबंटित हिस्से से पूरी की जाती है।

विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से अतिरिक्त आबंटन, नई क्षमता अभिवृद्धि, विद्यमान यूनिटों से उत्पादन को अधिकतम करना, चोरियों की जांच करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना बेहतर मांग/भार प्रबंधन करना, ऊर्जा संरक्षण उपाय इत्यादि शामिल हैं।

(ग) इस समय दिल्ली में कोई नियमित लोड शेडिंग नहीं है। तथापि, कभी-कभी विशेषतः व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान, उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की सलाह पर उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड की सुरक्षा के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है।

(घ) डेसू विद्युत की चोरी तथा अन्य उल्लंघनों के मामलों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच कर रहा है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के अनुसार, डेसू ने उसके समक्ष दिल्ली में विद्युत के वितरण के निजीकरण के लिए सामान्य प्रकार के कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव रखे हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा जांच की प्रारंभिक अवस्था में हैं।

(छ) और (ज) डेसू द्वारा विद्युत टैरिफ को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव

अप्रैल, 1996 में दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किया गया था जो इसकी जांच कर रही है।

प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

788. श्री के॰ प्रधानी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा में सम्मिलित की गई अवधि क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) छोटे शहरों में रहने वाले गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए नवम्बर, 1995 में प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें शहरी गरीबों की आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए बहु-आदायी समन्वित अवधारणा का प्रावधान है। शुरू से लेकर योजना के कार्यान्वियन की समय-समय पर समीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) यह स्कीम हाल ही में शुरू किए जाने के कारण अधिकतर राज्य कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में ही है यथा घर-घर सर्वेक्षण, कार्य योजना तैयार करना तथा सामुदायिक ढांचों का निर्माण आदि।

राज्यों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित भौतिक प्रगति हासिल हुई है :—

(i) 213 शहरों में घर-घर सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

(ii) 217 शहरों में नगर-वार परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई है।

(iii) स्वरोजगार घटक के तहत 20775 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं जिनमें से 3080 मामले मंजूर किए गए हैं।

(iv) आश्रय सुधार घटक के तहत 10386 आवेदन बैंकों/हडको को भेजे गए हैं जिनमें से करीब 281 मामले स्वीकृत किए गए हैं।

(v) 8382 परिवेश दल 1200 परिवेश समितियां तथा 444 थ्रीफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटियां बताई गई हैं।

विद्युत

789. श्री अनंत गुढ़े : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1997 को तीन प्रेस पत्रिकाओं में "डब्ल्यू॰ बी॰ होल्ड्स अप रूपीज 1,100 करोड़ लोन टू एम॰ एस॰ ई॰ बी॰ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) सरकार का एम॰ एस॰ ई॰ बी॰ को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) विश्व बैंक ने 22.10.1996 से द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत परियोजना के लिए 3498-आईएल ऋण में लगभग 870 करोड़ रुपए को रोक लिया है जिसका मुख्य कारण यह है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अपने प्रचालन में निर्धारित परिसंपत्तियों के औसत निवल मूल्य का 4.5% वार्षिक लाभ प्राप्त करने तथा राजस्व के 2.5 महीनों से कम अपने वाणिज्यिक लेखे की प्राप्तियों को कम करने की असमर्थता है।

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत टैरिफ बढ़ाकर तथा आर्थिक सहायता मुहैया करवाकर 1995-96 में 4.5 का लाभ अर्जित करने में समर्थ बना दिया है। इसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के लिए ऋण निधि भी पारित की है, कुछ सीमा तक वसूली न की जा सकने वाली देयता को बट्टे खाते में डाल दिया है तथा ऋण-कर्त्ताओं को विद्युत आपूर्ति काटने, उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के मामले में ऐसा न करने के पूर्ववर्ती निर्देशों को वापिस लेकर तथा बकाया राशियों की वसूली जैसे अनेक उपाय किए हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्व बैंक को नकदी एकत्रण में सुधार के संबंध में शेष डूबे ऋणों को बट्टे खाते में डालने के दस्तावेजी प्रमाण अभी प्रस्तुत किए जाते हैं।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर ऋण प्रसंविदाएं पूरा करने के लिए जोर डाला है। ऋण निलंबन के प्रतिसंहरण के लिए विश्व बैंक के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

जम्मू तथा कश्मीर में विद्युत का उत्पादन

790. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जम्मू तथा कश्मीर राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) राज्य में विद्युत की कुल आपूर्ति तथा मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में विद्युत की आपूर्ति तथा मांग के अंतर को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जम्मू और कश्मीर की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 353 मेगावाट है।

(ख) अप्रैल-जनवरी, 97 के दौरान जम्मू और कश्मीर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :—

	ऊर्जा (मि॰ यू॰) निबल		व्यस्ततमकालीन (मे॰ वा॰ निबल)
आवश्यकता	3918	व्यस्ततमकालीन मांग	900
उपलब्धता	3207	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	746
कमी	711	कमी	154
प्रतिशत	18.1	प्रतिशत	17

(ग) जम्मू और कश्मीर में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में चालू/नई परियोजनाओं से सामान्य तौर पर उत्तरी क्षेत्र में और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में क्षमता अभिवृद्धि करने, विद्यमान क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी मांग प्रबंधन, ऊर्जा संवर्द्धन उपाय करना तथा पड़ोसी राज्यों/क्षेत्र से सहायता का प्रबंध किया जाना शामिल है।

एशियाई विकास बैंक सहायता

791. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी-चार जल आपूर्ति योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु एशियाई विकास बैंक से ऐसी सहायता के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त 85 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास परियोजना, जो 14.12.95 को एशियाई विकास बैंक द्वारा 14.2.95 को अनुमोदित की गई थी में मैसूर और अन्य दो शहरों के लिए जल-आपूर्ति का एक घटक है। इस घटक की लागत 15.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 54 करोड़ रु॰) आंकी गई है, जिसमें 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि भूमि में कमी

792. श्री सुशील चन्द्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि पर नए मकान बनाने के कारण प्रतिवर्ष इसमें कमी हुई है; और

(ख) अगले पांच वर्षों में कृषि भूमि की परिधि से बाहर किए जाने वाली भूमि का क्षेत्र क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) नए मकानों के निर्माण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी होने के कोई वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

1988 का सिंगल प्वाइंट आर्डर

793. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री तरित बरण तोपदार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 के "सिंगल प्वाइंट आर्डर" में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के चेयरमैन, निदेशक तथा अन्य उच्च अधिकारी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस आदेश को वापस लेना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन) : (क) और (ख) समय-समय पर यथासंशोधित एकल निदेश में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार में निर्णय लेने के स्तर के अधिकारियों (संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष या इससे ऊंचे स्तर के) अथवा ऐसे अधिकारी को किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा रहे हों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के अधिकारी; केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव अथवा ऊपर के स्तर के समकक्ष के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय-बोर्ड के कार्यपालक निदेशक तथा इससे ऊपर तथा अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक तथा बैंक अधिकारियों में से ऐसे अधिकारी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के स्तर के अधिकारियों से एक स्तर नीचे हैं, के विषय में विशेष पुलिस स्थापना/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच (प्रारंभिक जांच अथवा दर्ज मामला) हाथ में लिए जाने से पहले संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव की पूर्व स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है, जिसमें जांच के अधीन मामले के संबंध में अपेक्षित तलाशी का आदेश दिया जाना भी शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना

794. श्री रामटहल चौधरी

श्री काशीराम राणा

श्री के. प्रधानी

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति के बारे में संसद सदस्यों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो एम॰ पी॰ एल॰ ए॰ डी॰ एस॰ के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है और इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी गति के बारे में कुछ सांसदों ने शिकायतें की हैं। पिछले वर्षों के दरम्यान कार्यान्वयन की इस धीमी गति के मुख्य कारण निम्नलिखित रहे हैं।

1. प्रारंभिक वर्षों में निधि जारी करने में समय लगा।

2. कुछ राज्यों में (जैसे दिसंबर, 1994 में बिहार में) निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता का लागू होना एवं वर्ष 1996 के दरम्यान लोकसभा का आम चुनाव।

3. संबंधित सांसदों से अनुशंसाओं का देरी से प्राप्त होना/अनुशंसाओं का न प्राप्त होना।

4. सांसदों द्वारा अपनी अनुशंसाओं में परिवर्तन किया जाना।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किए जाते रहे हैं कि वे सांसदों के साथ जिला स्तर के अफसरों द्वारा आवधिक बैठकें आयोजित करने के लिए सामान्य अनुदेश जारी करें एवं राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करें। इस योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। देरी के किसी भी विशिष्ट मामले को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के ध्यान में लाया जाता है एवं मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण

795. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या जनजातीय लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रावधान किए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मंगाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन विभिन्न राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो उक्त कार्यनिष्पादन में अग्रणी हैं/पिछड़े हुए पाए गए ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण नामक एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की तकनीकी और व्यावसायिक कार्य-कुशलता में वृद्धि करके उन्हें स्वरोजगार उद्यम शुरू करने अथवा मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाना है। कार्यक्रम के लिए बजट सहायता को केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को 3525.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें से वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में अभी तक 2512.74 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। केन्द्र द्वारा जारी राज्यवार धनराशि को संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) ट्राइसेम के अंतर्गत 50 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए अलग से निगरानी नहीं की जाती। वर्ष 1996-97 के दौरान प्रशिक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या अनुबंध में देखी जा सकती है। हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की मंजूरी के लिए सभी औपचारिकताओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही पूरा करना, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार वास्तविक और वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

21 फरवरी, 1997 तक समेकित सूचना

वर्ष 1996-97 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक प्रगति

		आवंटन					(रुपए लाख में)		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल राशि	केन्द्र द्वारा जारी राशि	खर्च	कुल आवंटन तुलना में % उपयोग	प्रशिक्षित युवा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	342.46	342.46	684.92	217.781	1146.790	167.434	47086	16439
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.61	25.61	51.22	8.000	14.500	28.309	410	410
3.	असम	112.70	112.70	225.40	53.350	50.880	22.573	201	36
4.	बिहार	637.24	637.24	1274.48	148.665	529.960	41.582	24147	11627
5.	गोवा	5.83	5.83	11.66	2.915	31.550	270.583	2815	18
6.	गुजरात	125.67	125.67	251.34	121.980	183.700	71.083	4749	2103
7.	हरियाणा	30.20	30.20	60.40	24.730	87.420	144.735	2122	1084
8.	हिमाचल प्रदेश	9.90	9.90	19.80	5.140	8.219	41.510	336	194
9.	जम्मू व कश्मीर	70.00	70.00	140.00	25.110	65.864	47.046	1931	324
10.	कर्नाटक	229.92	229.92	459.84	134.240	291.212	63.329	10400	1234
11.	केरल	83.64	83.64	167.28	47.810	100.000	59.780	4160	1757
12.	मध्य प्रदेश	433.98	433.98	867.96	286.620	695.500	80.141	24052	11054
13.	महाराष्ट्र	373.32	373.32	746.64	143.080	417.410	55.905	19927	4349
14.	मणिपुर	18.47	18.47	36.94	9.240	4.264	11.543	220	119
15.	मेघालय	19.62	19.62	39.24	5.340	18.180	46.330	220	220
16.	मिजोरम	8.29	8.29	16.58	4.740	7.892	47.600	—	—
17.	नागालैंड	13.79	13.79	27.58	6.890	—	0.000	—	—
18.	उड़ीसा	277.86	277.86	555.72	172.755	136.800	24.633	8462	4356
19.	पंजाब	21.50	21.50	43.00	11.250	31.515	73.291	1125	649
20.	राजस्थान	180.26	180.26	360.52	59.300	115.640	32.076	1965	1107
21.	सिक्किम	2.30	2.30	4.60	2.300	—	0.000	0	—
22.	तमिलनाडु	309.62	309.62	619.24	166.413	187.900	30.344	4178	2068
23.	त्रिपुरा	26.34	26.34	52.68	13.180	6.057	11.498	921	459
24.	उत्तर प्रदेश	834.56	834.56	1669.12	685.580	1126.100	67.467	38629	31152
25.	पश्चिम बंगाल	306.92	306.92	613.84	130.443	321.903	52.767	10474	3247
26.	अ० नि० द्वीप समूह	11.74	0.00	11.74	7.760	4.930	42.504	39	—
27.	दादर व नगर हवेली	2.48	0.00	2.48	1.240	1.997	80.524	75	13
28.	दमन व दीव	4.62	0.00	4.62	2.310	1.070	23.160	12	12
29.	लक्षद्वीप	1.16	0.00	1.16	0.580	0.010	0.862	12	12
30.	पांडिचेरी	5.00	0.00	5.00	5.000	5.160	103.200	—	—
	अखिल भारत	4525.00	4500.00	9025.00	2512.742	5594.66	617991	199668	94043

[अनुवाद]

मास्टर प्लान का उल्लंघन

796. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "पेट्रोल पम्प वायलेट्स मास्टर प्लान" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उपर्युक्त समाचार में उल्लिखित सराय काले खां के सामने स्थित दोनों आशीष सर्विस स्टेशन तथा आशीष सर्विस स्टेशन के उत्तर में स्थित सविता फिलिंग स्टेशन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित प्राइवेट भूमि पर चल रहे हैं। वर्तमान में मामला न्यायाधीन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन पार्टियों को पेट्रोल पम्प चलाने के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है।

[हिन्दी]

आवास को किराए पर देना

797. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और 1997 में जनरल पूल और अन्य पूल में आवंटियों द्वारा टाइप-वार कितने क्वार्टर किराए पर चढ़े पाए गए;

(ख) इसमें अवैध कब्जाधारियों को हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इनकी संख्या कितनी है;

(ग) बचे मामलों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आवंटियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सम्पदा निदेशालय और उनके मंत्रालय ने उन अधिकारियों जो इस मामले में कदाचार में संलिप्त पाए गए हैं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन क्वार्टरों की आकस्मिक जांच के दौरान गत तीन वर्षों में उप किराएदारी के संदेह वाले क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

1994	—	44
1995	—	372
1996	—	4488
1997	—	0176 (20.2.97 तक)

(ख) से (घ) उप किराएदारी के संदेह वाले क्वार्टरों के आवंटियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। पेशी के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है कि क्या उस पर उप किराएदारी का मामला बनता है कि नहीं। यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि उप किराएदारी का मामला है तो आवंटन रद्द कर दिया जाता है। आवंटी को सम्पदा निदेशक से अपील करने का अधिकार है। यदि अपील खारिज हो जाती है तो आवंटी को क्वार्टर खाली करना अपेक्षित है। यदि आवंटी द्वारा क्वार्टर खाली नहीं किया जाता है तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्रवाई हेतु मामला सम्पदा अधिकारी को भेज दिया जाता है।

क्वार्टर रद्द होने के अतिरिक्त ऐसे आवंटियों के विरुद्ध सम्बंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी जाती है।

सितम्बर, 1996 तक 1085 क्वार्टरों के आवंटन रद्द कर दिए गए थे और यथाआवश्यक कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 634 मकान खाली करवाए गए।

(ङ) सम्पदा निदेशालय अथवा इस मंत्रालय का कोई भी अधिकारी इस अपराध में शामिल नहीं पाया गया है। तथापि, जिन अधिकारियों के विरुद्ध उपकिराएदारी के मामलों की पुष्टि हो जाती है तो नियमानुसार दी गई व्यवस्था के अनुरूप भी कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के तहत सम्पदा निदेशालय में कार्मिक तथा के॰ लो॰ नि॰ वि॰ के 5 कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के अप्रवासी

798. श्री तारिक अनवर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर के अप्रवासियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अधिकतर जम्मू और कश्मीर प्रवासी हिन्दू समुदाय के हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक समुदाय है। इन लोगों का प्रवास केवल एक अस्थायी अवस्था है और उनकी वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने पर उनकी अपने मूल स्थानों को लौट जाने की उम्मीद है। चुनी गई सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है जो उनकी कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है।

गुजरात में प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

799. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले दो वर्षों में गुजरात के कौन-कौन से शहर शामिल किए जाएंगे तथा प्रत्येक शहर के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलु) : (क) और (ख) निम्नलिखित 27 शहरी समूहों को (जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 के मध्य जनसंख्या है) गुजरात में प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

पटन, दोहाड़, जेतपुर, कलोल, पालनपुर, खम्भाल, गोन्डल, धोरजी अंकलेश्वर, अमरेली, सावरकुन्डला, बोताड़, महुवा, छीसा, विसनगर, घरन्गधर, घोलका, अपलेटा, सिद्धपुर, हिम्मतनगर, अंजर, बिलीमोरा, अंजा, कड़ी, विरंगल, डाबोर्ड, तथा केशोड़।

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवम्बर, 1995 में शुरू किया गया था। वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में गुजरात को 583.59 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है और वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 515.47 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है अगले दो वर्षों के लिए योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

तेलशोधन क्षमता

800. डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल शोधन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ग) वर्तमान परिशोधन क्षमता 60.55 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) है। लगभग 70 हजार करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से पेट्रोरसायनों, विद्युत आदि में विविधीकरण सहित इस क्षमता को जारी किए गए सभी आशय पत्रों के कार्यान्वयन के उपरान्त नौवीं योजना के अन्त तक लगभग 131 एम एम टी पी ए के स्तर तक बढ़ाने की योजना है।

यूरेनियम भण्डार

801. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ :

श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में यूरेनियम भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भण्डारों में कितना यूरेनियम है; और

(घ) इन भण्डारों का उपयोग किस तरह किए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूरेनियम के दो भंडार आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में लम्बापुर-येल्लापुर में और कुडप्पा जिले के तुम्मलापल्ली में पाए गए हैं। लगभग 1700 मीटरी टन यूरेनियम ऑक्साइड के भंडार प्रमाणित कर दिए गए हैं और 2300 मीटरी टन के अतिरिक्त भण्डारों के लम्बापुर-येल्लापुर में मौजूद होने का अनुमान लगाया गया है जहां औसतन ग्रेड 0.07% U_3O_8 होता है। तुम्मलापल्ली क्षेत्र में 0.05% U_3O_8 के करीबन 15000 मीटरी टन भंडारों की मौजूदगी प्रमाणित की गई है। इन निक्षेपों का अनुमानित मूल्य विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगा।

(घ) इन निक्षेपों के उपयोग के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

कमजोर वर्गों का उत्थान

802. श्री चित्त बसु : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता स्वयं करने हेतु कुछ लाभ प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन के विभिन्न कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में सामाजिक

रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य गरीब लोग शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन॰ एस॰ ए॰ पी॰) का उद्देश्य भी दीन-हीन परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इसके तीन घटक हैं अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।

विज्ञान अधिवेशन

803. श्री सुधीर गिरि : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल ही में हुए विज्ञान कांग्रेस का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्र सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 84वां वार्षिक सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 से 8 जनवरी, 1997 को आयोजित किया गया तथा उसका उद्‌घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया था। इस सत्र का केन्द्रीय मुद्दा "विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी अर्थवत्ता" था।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर इस सत्र में करीब चार हजार वैज्ञानिकों ने भाग लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मौजूदा अभिरुचियों पर कई पूर्णाधिवेशनों का आयोजन किया गया तथा उन्हें प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा संबोधित किया गया। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे विभिन्न विकासों पर विचार-विमर्श करने के लिए बड़ी संख्या में विशेष व्याख्यानों एवं सिम्पोजिया का आयोजन किया गया। स्कूली विद्यार्थियों, विज्ञान से जुड़ी महिलाओं तथा युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया गया।

(ख) कांग्रेस में जो सुझाव आए उसमें निम्नलिखित शामिल थे—विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक शीर्ष सलाहकार समिति की स्थापना की आवश्यकता, विज्ञान शिक्षा की बजटीय सहायता से बढ़ोत्तरी, अनुसंधान एवं विकास में निवेश के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन, उच्च मात्रा में राख वाले कोयले का अपेक्षाकृत साफ-सुथरे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर परिवर्तन इत्यादि।

(ग) सरकार, दिए गए सुझावों की प्रशंसा करती है।

[हिन्दी]

अनाधिकृत कब्जाधारी

804. डॉ॰ बलिराम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 से पहले जी प्वाइंट, गोल डाकखाना, नई दिल्ली में, डाक-तार विभाग की कालोनी में 235 क्वार्टर थे;

(ख) क्या वर्ष 1984 के बाद उक्त कालोनी की आधी भूमि पर राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए गए थे और अब इनमें इसके कर्मचारी रह रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने इस भूमि के एक प्लाट पर एक विद्यालय भवन का निर्माण किया था और क्वार्टर नं॰ 16 से 157 तक की शेष भूमि को मंत्रालय ने अपने अधीन ले लिया था;

(घ) क्या मंत्रालय की लापरवाही के कारण, वर्ष 1985 से शेष क्वार्टरों में अनाधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्वार्टरों को खाली कराने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विद्युत उत्पादन नीति

805. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आरोप लगाया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए विद्युत उत्पादन में पारदर्शिता न होना और राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति, इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश करने में मुख्य बाधाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट में भारतीय विद्युत उद्योग में निजी निवेश में राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति, प्रारंभिक चरणों में प्रतिस्पर्धात्मक बोली न लगाना, आदि जैसी अनेक बाधाओं का वर्णन किया है। निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को देने के लिए 18.2.1995 से प्रतिस्पर्धात्मक बोली को अनिवार्य कर दिया गया है। निजी निवेश के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की आवश्यकता को पहचाना गया है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार की कार्य-सूची पर समयबद्ध सुधार तथा राज्य विद्युत बोर्डों की पुनर्संरचना को उच्च वरीयता दी गई है। जिसे विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कर्ज योजना में देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

राकेश मोहन समिति

806. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेश मोहन समिति ने किसी कार्य-योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक स्वतंत्र विद्युत नियामक आयोग की स्थापना में क्या प्रगति की गई है, तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा विद्युत क्षेत्र हेतु साझा न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना के उचित क्रियान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए गए हैं और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) राकेश मोहन समिति ने भारतीय अवसंरचनात्मक रिपोर्ट-वृद्धि एवं कल्याण हेतु नीतिगत अनियमितताएं—को 22.6.96 को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। यह रिपोर्ट नीतिगत सुधारों की सिफारिश करती है जो आधारभूत ढांचे जैसे शहरी विकास, विद्युत, दूर-संचार, मार्ग, औद्योगिक पार्क और बंदरगाहों में घरेलू बचत दर में वृद्धि करके पूंजी बाजारों को जुटाकर नियामक ढांचे तथा आधारभूत वित्त विकास निगम (आई. एफ. डी. सी) की स्थापना करके, सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पी. पी. ए.) इत्यादि के अधिकाधिक वाणिज्यिकीकरण में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(ग) और (घ) 16 अक्टूबर और 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप विद्युत हेतु एक सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना को निर्धारित किया गया है। यह कार्य-योजना सभी राज्य सरकारों को परिपत्रित कर दी गई है ताकि इस पर कार्रवाई आरंभ की जा सके। उड़ीसा ने पहले ही राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कर ली है तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी है।

गृह निर्माण अग्रिम

807. श्री के. पी. सिंह देव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित नियमों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी पहले ऋण का भुगतान करने पर कार्यालय से दूसरी बार ऋण ले सकते हैं;

(ग) सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी गृह निर्माण के लिए अन्य कौन सी सुविधाएं बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार ब्याज की दर कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न हीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीसेलम लेफ्ट बैंक नहर विद्युत परियोजना

808. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीसेलम लेफ्ट बैंक नहर विद्युत परियोजना बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना ओवरसीज इकनॉमिक कॉपरेशन फण्ड, जापान से 26,101 मिलियन ऋण सहायता लेकर शुरू की गई थी;

(घ) इस परियोजना की वास्तविक अनुमानित लागत कितनी थी और इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है; और

(ङ) इस परियोजना को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा न करने के क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम बाया किनारा बिजली घर बोर्ड द्वारा ओवरसीज इकोनोमिक ओवरसीज फण्ड, जापान के 48,668 मिलियन येन की सहायता से किया जा रहा है। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत (1996 से मूल्य स्तर पर) 2324.55 करोड़ रुपए है जिसमें से दिसम्बर, 1996 तक परियोजना पर 1123.63 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

पहले इस परियोजना को दिसम्बर 1994 तक पूरा करने का कार्यक्रम था परंतु विद्युत सुरंग में भारी रिसाव होने चट्टानों संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों एवं सिविल ठेकेदार, मै. पटेली इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारियों एवं कामगारों द्वारा फरवरी, 1995 से अगस्त, 1995 तक हड़ताल पर चले जाने के कारण टेलरेस सुरंग तथा अन्य पहुंच सुरंगों के कार्यों की धीमी प्रगति के कारण इसमें विलम्ब हुआ। कार्यों की वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना की पहली यूनिट जुलाई, 1999 तक चालू की जा सकेगी तथा शेष यूनिटों को प्रत्येक छः माह के अंतराल के पश्चात चालू किया जाएगा।

[हिन्दी]

रसोई गैस के कनेक्शन

809. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान कोटे के अंतर्गत रसोई गैस के कितने कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जनवरी-दिसम्बर, 1996 की अवधि के दौरान

विवेकाधीन कोटे के तहत जारी किए गए एल पी जी कनेक्शन निम्नानुसार हैं :

विवेकाधीन कोटे के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन = 77,142

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न हीं उठता।

[अनुवाद]

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा स्रोत

810. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और चल रही परियोजनाओं के संबंध में की गई प्रगति तथा पूरी की गई परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य-वार स्थापित/कार्यान्वयनाधीन पवन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कूड़ा करकट/अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु पूरी/कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राकृतिक स्रोत/अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु निजी/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में की गई प्रमुख नीतिगत पहल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यक्रमवार और राज्यवार विशेषकर, कश्मीर के लिए, चालू वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत वर्ष के दौरान वास्तव में प्रयुक्त धनराशि से इसकी क्या तुलना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी हां। देश में 1254 किवा० से अधिक समग्र क्षमता वाली सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजना संस्थापित की गई हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अब तक इन परियोजनाओं का कार्यप्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

(ख) देश में स्थापित पवन विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) कूड़े/अपशिष्ट से ऊर्जा के उत्पादन की पूर्ण तथा कार्याधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सीधे/विदेशी निवेश के प्रोत्साहन हेतु उठाए गए मुख्य नीतिगत कदमों में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे वृहत पैमाने के कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन उपबंध तथा अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं में सीधे विदेशी निवेश सहित निजी निवेश की प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है। इस उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए राजकोषीय प्रोत्साहनों में परियोजना की संस्थापना के पहले वर्ष में 100% मूल्यह्रास, उत्पाद शुल्क तथा विक्रय कर से विमुक्त और अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त संघटकों तथा उपकरणों, सामग्रियों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क शामिल है। इसके अलावा, सरकार वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से ब्याज-आर्थिक राज सहायता तथा पूंजीगत आर्थिक राज सहायता और मंत्रालय की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण।

मंत्रालय ने अपारंपरिक स्रोतों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा की निकासी तथा खरीद/व्हीलिंग बैंकिंग के लिए आकर्षक सुविधाओं की सर्जना हेतु सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सभी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा की खरीद/व्हीलिंग/बैंकिंग हेतु राज्यों को सामान्य नीतियों की घोषणा करनी चाहिए। नाम-मात्र मूल्य पर उदार व्हीलिंग/बैंकिंग सुविधाओं सहित पहले दस वर्षों के लिए 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ 2.25 रु॰/यूनिट के न्यूनतम खरीद मूल्य की सिफारिश की गई है। अभी तक 12 राज्य सरकारों ने विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में ऐसी नीतियों की घोषणा की है।

सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों जैसे सौर सेल, कूकर, वायु एवं जल तापन प्रणालियां तथा अन्य संबंधित उपकरणों, पवन विद्युत जेनरेटरों, लघु जल विद्युत उपस्करों और अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन तथा संवितरण के उत्पादन हेतु विदेशी इक्विटी के 74% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव स्वतः अनुमोदन के पात्र हैं।

(ङ) 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधियों तथा 1995-96 के दौरान किए गए खर्च एवं 1996-97 के दौरान 31 मार्च, 1997 तक संभावित खर्च का कार्यक्रमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उनके पिछले कार्यप्रदर्शन तथा उनसे प्राप्त प्रस्तावों के गुणों के आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण-I

देश के विभिन्न भागों में स्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं का परियोजनावार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सं॰	केडब्लयूपी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	17.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	7.90
3.	असम	2	2.00
4.	गोवा	2	1.70
5.	गुजरात	3	14.00
6.	हरियाणा	5	24.30
7.	केरल	4	4.74
8.	मध्य प्रदेश	2	9.00

1	2	3	4
9.	महाराष्ट्र	4	116.44
10.	मणिपुर	5	5.00
11.	मेघालय	13	30.50
12.	नागालैंड	1	6.00
13.	उड़ीसा	5	33.52
14.	पंजाब	2	2.00
15.	राजस्थान	24	162.15
16.	तमिलनाडु	5	172.00
17.	त्रिपुरा	9	25.00
18.	उत्तर प्रदेश	63	419.00
19.	पश्चिम बंगाल	4	42.10
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	25	129.12
21.	दिल्ली	1	5.00
22.	लक्षद्वीप	1	25.00
	जोड़	187	1254.07

विवरण-II

देश में स्थापित राज्यवार पवन विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं॰	राज्य के नाम	स्थापित क्षमता (मेवा॰ में)
1.	तमिलनाडु	623.380
2.	गुजरात	136.140
3.	आंध्र प्रदेश	52.400
4.	मध्य प्रदेश	8.015
5.	कर्नाटक	3.925
6.	महाराष्ट्र	5.370
7.	केरल	2.025
8.	उड़ीसा	1.100
9.	अन्य	0.465
	कुल	832.820

विवरण-III

कूड़ा कचरा/अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पूरी हुई और निर्माणाधीन परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं॰	कूड़ा कचरा/अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं — निर्माणाधीन परियोजनाएं		परियोजनाएं पूरी हुईं
1.	मद्रास शहर के अपशिष्ट के उपयोग द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए एक 5 मेवा॰ परियोजना	1.	4000 घन मी॰/दिन क्षमता का एक बायोगैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना मैसर्स अल-कबीर एक्सपोर्ट लि॰ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में की गई है।
2.	के॰ एम॰ शुगर मिल डिस्टिलियरी यूनिट, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में स्पेंटवाश से उत्पादित बायोगैस के उपयोग द्वारा 1 मेवा॰ विद्युत उत्पादन संयंत्र	2.	चावल पुआल के उपयोग द्वारा 2.75 मेवा॰ विद्युत उत्पादन-संयंत्र गौतमी साल्वेंट ऑयल्स लि॰, थानुकू, आंध्र प्रदेश।

विवरण-IV

1995-96 के लिए कार्यक्रमवार लागत और 31 मार्च, 1996-97 तक के लिए संशोधित अनुमानित और अपेक्षित लागत

क्रम सं॰	कार्यक्रम	1995-96	1996-97	
		व्यय	संशोधित अनुमानित	31.3.97 तक अपेक्षित लागत
1	2	3	4	5
1.	बायोमास कार्यक्रम	50.71	53.70	53.70
2.	उन्नत चूल्हा	15.20	14.75	14.75
3.	बायोमास/स्टैंडलोन गैसीफायर	2.75	2.00	2.00

1	2	3	4	5
4.	आईआरईपी	11.68	4.00	4.00
5.	ऊर्जा ग्राम	0.60	0.25	0.25
6.	विशेष प्रदर्शन	1.49	1.00	1.00
7.	पशु ऊर्जा	0.90	0.05	0.05
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय	17.31	13.50	13.50
9.	सौर तापीय	4.22	3.50	3.50
10.	एसपीवी सिंचाई पंप	12.99	10.25	10.25
11.	सौर ऊर्जा केन्द्र	1.29	0.70	0.70
12.	पवन पंप और बैटरी चार्जर	0.53	0.67	0.67
13.	पवन विद्युत	6.94	36.81	36.81
14.	लघु हाइड्रो	25.86	10.00	10.00
15.	बायोमास सहउत्पादन/कम्बस्टर	2.36	4.10	4.10
16.	सौर तापीय विद्युत	0.15	0.00	0.00
17.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	0.00	1.05	1.05
18.	शहरी एवं औद्योगिक ऊर्जा परियोजना	1.68	1.50	1.50
19.	नई प्रौद्योगिकी	2.54	2.00	2.00
20.	ऊर्जा संरक्षण	0.00	0.05	0.05
21.	योजना	0.10	0.20	0.20
22.	आई एंड पी/सेमीनार	1.12(*)	3.20	3.20
23.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.04(**)	0.45	0.45
24.	इरेडा			
	(क) इक्विटी	24.00	28.00	28.00
	(ख) ऋण एवं अग्रिम	51.49	87.24	87.24
25.	क्षेत्रीय कार्यालय	0.56	0.60	0.60
26.	सचिवालय व्यय	—	2.55	2.55
	कुल	236.51	282.12	282.12

(*) इसमें डी ए वी पी एवं दूरदर्शन के लिए दी गई 3.28 करोड़ रू० की राशि जिसके लिए दावों का निपटान किया जाना है, शामिल नहीं है।

(**) इसमें विदेश यात्रा शामिल नहीं है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों को आवास

811. श्री बृजभूषण तिवारी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी व्यक्तियों को श्रेणी-चार और उससे ऊपर के सरकारी आवासों के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विशेष सुरक्षा दस्ता सुविधा स्तर प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी मकान आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या ऐसे आवंटी विवाह के पश्चात् सरकारी आवास के पात्र नहीं रह जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० यू० वेंकटस्वरलु) : (क) निम्नलिखित श्रेणियों के गैर-सरकारी कर्मचारियों पर संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी आवास के आवंटन हेतु विचार किया जाता है :—

(i) प्रख्यात कलाकार

(ii) स्वतंत्रता सेनानी

(iii) प्रेस संवाददाता और समाचारों से संबंधित कैमरा मैन।

(iv) सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित विविध श्रेणियां।

(v) सुरक्षा आधारों पर आवंटन।

इन दिशा-निर्देशों की उच्चतम न्यायालय के 23.12.96 के फैसले के अनुसार समीक्षा की जा रही है।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त वे व्यक्ति, जो सुरक्षा व्यवस्था की जेड प्लस श्रेणी में हैं, निर्धारित शर्तें पूरी करने पर सरकारी आवास के आवंटन/कब्जे के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त व्यक्ति को किए आवंटनों की उस व्यक्ति की शादी के बाद समीक्षा की जाए।

प्रख्यात कलाकारों को सामान्य पूल के वास के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा बाबत दिनांक 24.10.1985 के का. ज्ञा. सं. 12016/2/89-नीति-II खण्ड-III (II) की प्रतिलिपि :

मंत्रिमंडल की आवास-समिति की 12 सितम्बर, 1985 को बैठक के प्रख्यात कलाकारों को साधारण पूल आवास के आवंटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत की समीक्षा की गई थी और निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनुमोदित किया गया है :—

2. 15 प्रख्यात कलाकारों को साधारण पूल आवास आवंटित किया जा सकता है बशर्ते कि :—

(क) उसका परिवार के किसी सदस्य या आश्रित का भारत में कहीं भी भूखंड या आवास नहीं हो।

(ख) प्रत्येक मामले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से संस्कृति विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेष तौर पर सिफारिश हो।

(ग) कलाकार ने समाज में उपयोगी योगदान किया हो और उसकी आय सभी स्रोतों से 3000/- रू. प्रतिमाह से अधिक न हो।

(घ) आवास का टाइप टाइप-डी या उससे नीचे का होना चाहिए।

(ङ) उच्च टाइप के किए गए वर्तमान आवंटनों की समीक्षा की जानी चाहिए।

(च) विभागीय प्रभारों सहित मूल नियम 45-ख के अंतर्गत लाइसेंस फीस प्रभारित की जानी चाहिए।

(छ) आवंटन की अवधि तीन वर्ष की होगी और आवंटन के मामलों की 3 वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए।

अतः अनुरोध है कि सभी वर्तमान आवंटनों की समीक्षा की जाय और मंत्रिमंडल की आवास समिति के उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भविष्य में आवंटन किए जाएं।

विविध श्रेणियों (राष्ट्रीय स्तर पर लाभप्रद कार्यों में लगे व्यक्तियों) को साधारण पूल वास के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा बाबत दिनांक 24.10.85 के का. ज्ञा. सं. 12016 (2)/89-नीति-II खण्ड-III (VII) की प्रतिलिपि :

राष्ट्रीय स्तर के काम में लगे व्यक्तियों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मंत्रिमंडल की आवास समिति की दिनांक 12 सितंबर, 1985 को हुई बैठक के समक्ष रखा गया और निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया।

(ए) विद्यमान निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी काम में लगे व्यक्तियों के वर्ग के लिए केवल 15 मकान आवंटित किए जाएं बशर्ते कि :—

(i) उसके पास या उसके परिवार के सदस्य के पास या उसके आश्रित किसी सदस्य के पास दिल्ली में मकान या भू-खंड न हो,

(ii) संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से मामले की विशेष रूप से सिफारिश की गई हो,

(iii) सभी स्रोतों को मिलाकर व्यक्ति की आय 3000/- रू. प्रति माह से अधिक न हो,

(iv) आवास की किस्म टाइप-डी तक सीमित रहेगी।

(v) लाइसेंस फीस विभागीय प्रभारों सहित वित्तीय नियम-45-बी के अनुसार ली जाएगी।

(vi) संबंधित कर्मचारी सरकार में या अन्य किसी अर्धसरकारी निजी संगठनों में नियमित रूप से न लगाया गया हो,

(vii) आवास आवंटन की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी और यह बढ़ाई नहीं जाएगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों के अनुसार विद्यमान सभी मामलों की समीक्षा की जाए और अगली कार्रवाई की जाए और भविष्य में मंत्रिमंडल की आवास समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही आवास आवंटित किया जाए।

स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल में रिहायशी वास के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा बाबत दिनांक 19.4.94 के का. ज्ञा. सं. 12016 (2)/89 नीति-II (खण्ड-I) की प्रतिलिपि :

स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी आवास के आवंटन के मार्गदर्शनों को सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया गया और मार्गदर्शनों को निम्नानुसार परिभाषित करने. का निर्णय लिया गया है :—

2. अखिल भारतीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी आवास की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि :—

(क) उनका स्वयं का अथवा उनके परिवार के सदस्य अथवा आश्रित का दिल्ली में मकान अथवा फ्लैट न हो।

(ख) आवास की आवश्यकता स्वतंत्रता-सेनानी अथवा उनके पति-पत्नी की वास्तविक मेडिकल चिकित्सा के लिए हो।

(ग) मामले की गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से सिफारिश की गई हो जो आवास के आवंटन की आवश्यकता का औचित्य देंगे तथा जो स्वतंत्रता सेनानी 70 वर्ष से कम आयु के हों, उनके मामले में आवंटन की अवधि भी निर्दिष्ट करेंगे। 70 वर्ष से अधिक वायु वालों के लिए आबंटन "जीवन-पर्यान्त" के लिए होगा तथा अनिवार्यतः चिकित्सा आधार पर होगा।

(घ) आवास का टाइप, टाइप-डी अथवा निम्नतर तक प्रतिबंधित होगा।

(ङ) सामान्य लाइसेंस फीस प्रभारित की जाएगी।

(च) स्वतंत्रता सेनानी को आबंटित सरकारी आवास में रहने वाली पत्नी/पति स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात् भी आवंटन की निर्धारित अवधि तक उनको रखे रहने के पात्र होंगे।

(क) परिशोधित मार्गदर्शन 10.2.94 अर्थात् सी॰ सी॰ ए॰ द्वारा निर्णय लिए जाने की तारीख से लागू होंगे।

प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं तथा पत्रकारों को सामान्य पूल वास के आबंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा बावत दिनांक 19.12.91 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 12016)(1)/89 नीति-II की प्रतिलिपि:

प्रैस संवादाताओं और पत्रकारों को साधारण पूल आवास के आबंटन से संबंधित दिनांक 11.7.90 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उप पैरा (घ) और (ङ) पर दी गई शर्तों के निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

(घ) संबंधित व्यक्ति 8920/- रु॰ तक वेतन प्राप्त कर रहे हों,

(ङ) ऐसे आबंटिती जो 8920/- रु॰ तक परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, से मूल नियम 45-क के अंतर्गत लाइसेंस फीस अथवा मूल नियम 45-क के अन्तर्गत लाइसेंस फीस की फ्लैट दर, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रभारित की जाएगी।

प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं और पत्रकारों को सामान्य पूल वास के आबंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा बावत दिनांक 11.7.90 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 12016 (1)/89 नीति-II की प्रतिलिपि:

9.5.90 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्यायित प्रैस संवाददाताओं और पत्रकारों को प्रैस पूल से आवास के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पुनुरीक्षा की गई थी। मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया था कि निम्नलिखित शर्तों पर प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं और न्यूज कैमरामैन को आवास उपलब्ध कराने के लिए 110 रिहायशी एककों के वर्तमान पूल को जिसे पहले घटा कर 103 एकक का कर दिया गया था अब बढ़ाकर 120 एकक का कर दिया जाए :—

(क) आबंटन के समय अथवा बाद में उसके अपने नाम में अथवा परिवार के सदस्य के नाम में अथवा आश्रित के नाम में अपना कोई मकान न हो।

(ख) सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित जांच समिति जिसके अध्यक्ष प्रिंसीपल इनफोरमेशन अधिकारी होंगे और संयुक्त सचिव/अपर सचिव (इस्टेट) और संपदा निदेशक पदेन सदस्य होंगे और चार पत्रकार इसके सदस्य होंगे जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा, की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् मामले को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) वह किसी विदेशी प्रैस/मीडिया का नहीं, बल्कि भारतीय प्रैस का प्रतिनिधित्व करने वाला संवाददाता हो।

(घ) संबंधित व्यक्ति 3000/- रु॰ तक वेतन प्राप्त कर रहा हो जिसमें सवारी भत्ता शामिल नहीं है; और

(ङ) ऐसे आवंटितियों से जो 3000/- रु॰ प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, मूल नियम 45-क के अन्तर्गत लाइसेंस फीस अथवा नियम 45-क के अंतर्गत लायसेंस फीस की फ्लैट दर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, प्रभारित की जाएगी। वे जो 3000/- रु॰ प्रतिमाह से ऊपर प्राप्त कर रहे हैं, से विशेष लायसेंस फीस प्रभारित की जाएगी। जहां पहले आवंटित आवास उनके कब्जे में है।

(च) आवास के टाइप का कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, किन्तु उसे टाइप-V-ए अथवा निचले टाइप पर परिसीमित किया जाएगा, टाइप-V-ए से उच्चतर टाइप के आवास के आवंटितियों को टाइप-V-ए आवास आवंटित किया जाएगा, यदि वे अन्यथा तत्काल पात्र हैं।

(छ) आवंटन की अवधि 3 वर्ष तक होगी, स्थिति की तत्पश्चात पुनरीक्षा की जाएगी।

(ज) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रैस संवाददाताओं/न्यूज कैमरामैन के प्रत्ययन की अवधि पुनरीक्षा की जाएगी और संपदा निदेशालय को आवंटन की मंसूखी के लिए बदली की सूचना दी जाएगी, यदि कोई हो।

(झ) न्यूज पेपर का कोई भी संपादक प्रैस पूल/साधारण पूल से आवंटन का पात्र नहीं होगा।

(ञ) प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा रखी जा रही वरिष्ठता सूची को मद्देनजर रखते हुए आवंटन किए जाएंगे।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यथा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा आधारों पर अपात्र व्यक्तियों को साधारण पूल वास के आवंटन संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों के बाबत 10 अक्तूबर, 96 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 12035/8/93-नीति-II की प्रतिलिपि :

अपात्र व्यक्तियों को सुरक्षा आधार पर साधारण पूल आवास के आवंटन के मार्गदर्शन मंत्रिमंडल की आवास समिति के समक्ष रखे गए थे, जिसने 12.9.96 को हुई बैठक में निम्नलिखित मार्ग दर्शन अनुमोदित किए :—

(i) साधारण पूल आवास केवल उन व्यक्तियों को आबंटित किया जाए जो जेड + सुरक्षा श्रेणी में हैं;

(ii) ऐसे व्यक्तियों को साधरण पूल आवास के आवंटन का औचित्य स्पष्ट करने के लिए आवंटन का जनहित के साथ स्पष्ट संबंध होना चाहिए। प्रत्येक मामलों में गृह मंत्रालय जांच करेगा कि जेड + श्रेणी के व्यक्ति को सरकारी आवास का आवंटन जनहित में है तथा उनकी सुरक्षा का खतरा सरकारी कार्यालय में उनके द्वारा की गई पिछली सेवा से उत्पन्न हुआ है। गृह मंत्रालय यह भी बताएगा कि क्या संबंधित व्यक्ति को दिल्ली में आवास उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है ?

(iii) सुरक्षा आधार पर सरकारी आवास के आवंटन हेतु संबंधित

व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय यह पता लगाएगा कि क्या जेड + सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति के नाम अथवा उसके पति/पत्नी के नाम पर दिल्ली में कोई मकान है और क्या उसी मकान में सुरक्षा प्रबंध उपलब्ध कराए जा सकते हैं ?

(iv) गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर संरक्षितों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की आगे की कार्रवाई संपदा निदेशालय द्वारा की जाएगी।

(v) ऐसे संरक्षितों को टाइप-VI तक का आवास आवंटित किया जाए तथा पृथक मामले में खतरे की आशंका के आधार पर निचले टाइप का आवास भी आवंटित किया जा सकता है,

(vi) आवेदक अग्रिम रूप से बाजार दर विशेष लाइसेंस का भुगतान करने की इच्छा/क्षमता की पुष्टि करेगा तथा निरंतर तीन माह अथवा अधिक समय तक निर्धारित किराए का भुगतान न करने पर उन्हें बेदखल किया जा सकेगा।

(vii) किसी संरक्षित को इस प्रकार आवंटित सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की बाजार दर प्रभारित की जाएगी। यदि संरक्षित व्यक्ति का दिल्ली में मकान है तो वह उसे उस अवधि तक के लिए सरकार को दे देगा जब तक उसके दखल में सरकारी आवास है। ऐसे मामलों में सरकारी आवास के दखल की अवधि के लिए बाजार दर के स्थान पर विशेष लाइसेंस फीस प्रभारित की जाए।

(viii) आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पुनरीक्षित खतरे की आशंका के आधार पर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर मंत्रिमंडल की आवास समिति के संतुष्ट होने पर इसे एक समय पर अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. संरक्षितों द्वारा सरकारी आवास के दखल के मौजूदा मामलों की पुनरीक्षा करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि क्या वह अन्यथा ऐसे सरकारी आवास के पात्र हैं।

3. अनुरोध किया जाता है कि सुरक्षा आधार पर किए गए आवंटन के सभी मौजूदा मामलों की उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षा की जाए तथा आगे कार्रवाई की जाए।

ऊर्जा की कम खपत करने वाले लैंप

812. श्री अनंत गुढ़े : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा की कम खपत करने वाले लैंप के उपयोग के संबंध में दिशा-निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी ऊर्जा का संरक्षण हुआ है; और

(घ) इस दिशा परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसमें अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में तापदीप्त बल्बों का उपयोग पूर्णतः समाप्त करने तथा ऊर्जा की कम खपत करने वाले लैम्पों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं।

(ग) ऊर्जा की कम खपत करने वाले लैम्पों के उपयोग से ऊर्जा की पर्याप्त बचत होगी। तथापि, ऊर्जा की कम खपत करने वाले कई प्रकार के लैम्प उपलब्ध होने के कारण इस प्रकार के लैम्पों के उपयोग के माध्यम से बचाई गई ऊर्जा की मात्रा प्रयुक्त लैम्पों के प्रकार पर निर्भर होगी।

(घ) राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

[हिन्दी]

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन

813. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य को आवंटित की गई राशि का राज्य सरकार ने पूरी तरह से और जिस प्रयोजनार्थ वह राशि मंजूर की गई थी उसके लिए इस राशि का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत जारी (रिलीज) की गई कुल केन्द्रीय राशि क्रमशः 1323.84 लाख और 1104.24 लाख रुपए है।

(ख) वर्ष 1996-97 को 1025.45 लाख रुपए जारी (रिलीज) की गई।

(ग) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए 5755.88 लाख रुपए (केन्द्र और राज्य) की कुल निधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4756.29 लाख रुपए के व्यय की सूचना दी है।

(घ) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत किए जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकलाप संतोषजनक हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

814. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कर्नाटक में विद्युत के उत्पादन

और वितरण हेतु ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को गठित करने के लिए मदद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम इस समय ऐसी कितनी समितियों की सहायता कर रहा है;

(ग) कर्नाटक में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के गठन के लिए सहायता देने हेतु कितने नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य में इन समितियों को कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से सहायता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को कौन-कौन सी औपचारिकताएं निभानी होती हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विद्युत वितरण हेतु कर्नाटक में हुकेरी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति की स्थापना करने में सहायता की है।

(ग) वर्ष 1996-97 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जून, 1984 तक हुकेरी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति को संवितरित किया गया कुल ऋण 284.40 लाख रुपए है। तथापि, वर्ष 1995-96 और 1996-97 समेत इसके पश्चात् कोई और सहायता संवितरित नहीं की गई है।

(ङ) ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षित औपचारिकताएं निम्नवत हैं।

(i) राज्य में रा॰ बि॰ बो॰ द्वारा विद्युत की बिक्री/वितरण के लिए मूल ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजना तैयार की जानी अपेक्षित है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक क्षेत्र उद्दिष्ट किया गया है।

(ii) आर॰ ई॰ सी॰ के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित दरों पर समिति क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने के लिए संबंधित रा॰ बि॰ बो॰ को सहमति प्रदान करनी होगी।

(iii) आर॰ ई॰ सी॰ द्वारा परियोजना पर स्वीकृति हेतु विचार करने से पूर्व समिति का पंजीकरण करने, उपनियम बनाने जैसा कि आर॰ ई॰ सी॰ द्वारा निर्धारित किया गया है, वैद्युत लाइसेंस प्राप्त करने, निदेशकों की नियुक्ति करने, समिति को क्षेत्र का हस्तांतरण करने आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी अपेक्षित हैं।

(iv) समिति को राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध ऋण मुहैया किया जाता है जिसके पंजीकृत ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा प्राप्त किया जाता है।

पावरग्रिड कारपोरेशन

815. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी नवीनतम विशेष लेखा रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया" द्वारा विवादित "एमरजेंसी" रेस्टोरेशन सिस्टम" उपकरण के आयात में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) "एमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम की खरीद" के बारे में प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक द्वारा एक मसौदा लेखा परीक्षा संबंधी पैरा इस मंत्रालय को भेजा गया है। जिसके बारे में इस मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी गई हैं। इस मंत्रालय की टिप्पणियां तैयार की जा रही हैं तथा इन्हें शीघ्र ही प्रधान वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा निदेशक को संसूचित कर दी जाएगी। इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों/टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

816. डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विश्व संगठनों में अलग-अलग प्रतिनियुक्ति पर नए अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन अधिकारियों के चयन के लिए मानदंड क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क). सरकार की विद्यमान नीति के तहत विदेश नियुक्ति के लिए संवर्ग अनापत्ति प्रदान करने की शक्तियां संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। अत: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विभिन्न संगठित सेवाओं के ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जो विदेश नियुक्ति पर भेजे जाते हैं, सूचना केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं करता है।

(ख) सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारी निम्नलिखित तरीकों से संयुक्त राष्ट्र/अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर जा सकते हैं :—

(i) सरकार द्वारा नामित किए जाने पर;

(ii) किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन/विदेशी सरकार से विगत कार्य के कारण सीधे प्रस्ताव प्राप्त होने पर;

(iii) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए खुले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने पर; और

(iv) किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रोस्टर में से चुने जाने पर।

उपर्युक्त श्रेणी (i) के अंतर्गत "कैपटिव" पदों के लिए अधिकारियों का नामांकन करते समय चयन, भारत सरकार की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना

के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। चयन करते समय जिन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है उनमें कार्य से संबंधित ड्यूटियों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं, सेवा अनुभव और विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य पदों के लिए नामांकन, सरकार द्वारा पद के स्वरूप और महत्त्व, उपलब्ध विशेषज्ञता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। नामांकन के लिए सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारियों की पहचान करने के लिए व्यापक चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है।

कृषि तथा ग्रामीण सुधारों पर सम्मेलन

817. **श्री शरत पटनायक :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता में हुए कृषि तथा ग्रामीण सुधार संबंधी सम्मेलन में की गई सिफारिशों की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

जब तक कोई सम्मेलन सरकार को वित्तीय सहायता से अथवा सहयोग से आयोजित नहीं किया जाता है तब तक किसी सम्मेलन अथवा उसकी सिफारिश पर सरकार साधारणतया निगरानी, समीक्षा अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। उल्लिखित सम्मेलन को न तो सरकार के सहयोग से, सहभागिता से और न सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किया गया था और न ही आयोजकों द्वारा सिफारिशें ही भेजी गई हैं, इसलिए इस सारे मामले में सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विश्व बैंक से ऋण

818. **डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में फ्लोराइड प्रभावित तथा खारे जल क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विश्व बैंक से 2,500/- करोड़ रुपए का एक ऋण स्वीकार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है तथा इस संबंध में विश्व बैंक को अग्रेषित करने हेतु कोई रिपोर्ट केन्द्र को भेजी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है तथा इसे विश्व बैंक को अग्रेषित कर दिया है;

(घ) विश्व बैंक का कब तक ऋण प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार को जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण विकास योजना इत्यादि जैसी योजनाओं हेतु दूसरी किश्त की धनराशि प्रदान कर दी गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। परियोजना रिपोर्ट 25.2.97 को प्राप्त हुई। इसकी जांच की जानी है और विचार करने के लिए विश्व बैंक को दी जानी है। इसका अनुमोदन बैंक द्वारा परियोजना को मूल्यांकन करने पर निर्भर करेगा।

(ङ) जी, हां। राज्य सरकार ने जवाहर रोजगार योजना सहित ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए दूसरी किश्त प्रदान की है।

निर्धनतम व्यक्ति

819. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या रोजगार और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ सामुदायिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को नियोजित करके घर-घर जाकर निर्धनतम व्यक्तियों का पता लगाने के बारे में सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय तेल निगम

820. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय तेल निगम की गतिविधियां बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जमीन संबंधी मुकदमे

821. **श्री विजय गोयल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमीन संबंधी इन मुकदमों की संख्या कितनी है, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण शामिल है;

(ख) इन मुकदमों में शामिल जमीन का मूल्य कितना है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अब तक हुए अवैध कब्जों के लिए दोषी ठहराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उनके रिकार्ड के अनुसार भूमि अधिग्रहण और उनकी भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ करीब 2284 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(ख) इन मुकदमों में अपनी जमीन का रकबा विस्तार का उल्लेख न करके केवल नम्बर का ही उल्लेख करते हैं।

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध गत पांच वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं॰	कार्रवाई का स्वरूप	कर्मचारी संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई
(i)	शास्ति लगाई गई	11
(ii)	बड़ी शास्ति के कार्यवाही हेतु आरोप पत्र	13
(iii)	निलंबनाधीन	4

[अनुवाद]

अवैध निर्माण

822. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा राम समिति नामक समिति ने अवैध निर्माण के कारणों की जांच की थी तथा क्या समिति ने सरकारी और ग्राम सभा भूमि की बिक्री में स्थानीय राजनीतियों को दोषी पाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट को जनता के समक्ष लाया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) उप-राज्यपाल, दिल्ली ने समिति नियुक्ति की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष पेश कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि शर्तों और निर्देशन के अनुसार इस समिति को उन परिस्थितियों की जांच करनी थी जिनके तहत् ऐसे कथित् अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण और ऐसी कालोनियां बनी हैं एवं इन कार्यों के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक तथा दण्डात्मक कार्यवाही और कथित अतिक्रमणों में कालोनाइजरों एवं अन्य व्यक्तियों पर जिम्मेदारी तय करने की सिफारिशें करनी थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, रिपोर्टों की प्रतियां दिल्ली विधान सभा के पुस्तकालय में रखी हैं और ये प्रतियां दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि विधान सभा ने कालोनाइजरों, बिल्डरों, प्रोमोटर्स, राजनायिकों और ऐसे अधिकारियों, आदि की पहचान के लिए एक न्यायिक जांच आयोग के गठन हेतु एक संकल्प पारित किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु और मध्यम शहर का एकीकृत विकास योजना

823. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एकीकृत लघु और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत लाए गए शहरों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे शहरों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक शहर के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई; और

(ग) 31 मार्च, 1996 तक स्वीकृत राशि में से कितनी राशि वास्तव में खर्च की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) मार्च, 1996 तक, आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 65 शहरों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग). जारी की गई 1932.82 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता में, संलग्न विरण में शहरवार ब्यौरे के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 2710.25 लाख रुपए का खर्चा बताया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार को जारी की गई आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता (1979-80 से 1995-96 तक) और 31 मार्च, 1996 तक बताया गया खर्चा :

(रुपए लाखों में)

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	बताया गया खर्चा
1	2	3	4	5
1.	बिलासपुर	110.750	48.750	122.630
2.	खजुराहो	79.470	39.730	33.030
3.	देवास	84.780	40.000	92.950
4.	इटारसी	106.260	47.300	92.430
5.	रीवा	97.510	46.400	181.940
6.	कटनी	115.540	42.400	64.230
7.	बुरहानपुर	154.000	47.300	136.920

1	2	3	4	5
8.	मुरैना	85.110	39.000	105.280
9.	डुंगरपुर	81.380	40.000	70.290
10.	राजनन्द गांव	93.660	40.000	63.620
11.	बालाघाट	116.650	45.100	79.420
12.	छिन्दवाड़ा	151.820	39.090	82.860
13.	हरड़ा	111.060	40.000	100.610
14.	वैधान	81.650	40.000	197.990
15.	गुना	84.120	39.000	79.420
16.	सिधी	86.350	39.000	82.860
17.	होशंगाबाद	120.990	50.160	51.830
18.	गदरवाड़ा	98.730	46.870	70.100
19.	पंचमढ़ी	119.490	23.760	12.480
20.	अमरकंटक	92.020	45.000	73.020
21.	कोटा	118.200	15.400	15.240
22.	शहडोल	110.450	47.700	112.220
23.	भण्डेर	31.610	10.000	17.350
24.	मोहब्बा	103.760	13.540	—
25.	जगदलपुर	92.470	40.820	50.870
26.	रतलाम	102.390	42.000	42.280
27.	भिलाई-दुर्ग	154.740	29.750	135.450
28.	सतना	145.410	29.750	48.700
29.	छत्तरपुर	98.130	24.000	53.340
30.	बेतुल	96.000	35.000	36.960
31.	अबदुलागंज	63.800	25.000	—
32.	नीमच	114.070	46.000	85.910
33.	भिण्ड	87.960	27.500	84.980
34.	दमोह	124.150	27.500	—
35.	सिहोदी	85.790	40.000	44.160
36.	बिदिसा	90.080	10.000	—
37.	पन्ना	101.330	27.500	—
38.	दातला	32.950	10.000	—
39.	खरगौन	138.180	40.000	66.360
40.	शिवपुरी	131.130	25.000	—
41.	रायगढ़	102.880	20.000	—
42.	सागर	496.340	25.000	49.520
43.	मन्दसौर	76.430	15.000	34.240
44.	टीकमगढ़	229.600	60.000	38.750
45.	माण्डला	206.400	24.000	—
46.	मुलतैई	89.860	11.000	—
47.	पंधुरना	191.690	23.000	—
48.	सौंसर	90.780	11.000	—
49.	खण्डवा	502.440	30.000	—
50.	जौरा	414.320	33.000	—
51.	दल्लीराजहरा	237.770	28.500	—
52.	बनमोरी	112.050	18.000	—
53.	चित्रकूट	100.090	8.000	—
54.	पीथमपुर	228.090	14.000	—
55.	वर्धा	125.260	10.000	—
56.	नरसिंह पुर	170.680	12.000	—
57.	अजयगढ़	124.190	8.000	—
58.	गरोट	100.340	8.000	—
59.	राजगढ़	100.630	16.000	—
60.	देवरा	200.180	30.000	—
61.	बिरस्टा	101.760	16.000	—
62.	नरसिंह गढ़	182.180	27.000	—
63.	अशोक नगर	163.950	25.000	—
64.	कंकेर	180.250	27.000	
65.	गंग बोसाड़ा	204.350	30.000	—
	कुल योग	8826.45	1932.820	2710.250

[अनुवाद]

विद्युत रिएक्टर

824. श्री मुख्तार अनीस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू विद्युत रिएक्टरों की इकाईवार डिजाइन तथा क्षमता उपयोग क्या है;

(ख) कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये रिएक्टर प्लूटोनियम का उत्पादन एक उप-उत्पादन के रूप में करते हैं;

(घ) क्या इन रिएक्टरों में पूर्णत: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय मौजूद हैं;

(ङ) क्या रूस ने भारत को 'टर्न-की' आधार पर परमाणु रिएक्टर निर्यात करने की पेशकश की है; और

(च) क्या ये रिएक्टर भी प्लूटोनियम का उत्पादन करेंगे तथा उसी प्रकार के सुरक्षा उपायों से लैस होंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क). वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान जनवरी,

1997 तक परमाणु विद्युत संयंत्रों के क्षमता उपयोग का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

क्रमांक	बिजलीघर/यूनिट	मूल डिजाइन क्षमता मेगावाट	वर्तमान निर्धारित क्षमता मेगावाट	क्षमतागुणक (%)	
				1995-96	1996-97 में 31.1.97 तक
1.	तारापुर परमाणु बिजलीघर- यूनिट-1	210	160	79%	18%
	यूनिट-2	210	160	32%	42%
2.	मद्रास परमाणु बिजलीघर- यूनिट-1	235	170	76%	46%
	यूनिट-2	235	170	18%	85%
3.	नरोरा परमाणु बिजलीघर- यूनिट-1	235	220	67%	65%
	यूनिट-2	220	220	75%	71%
4.	ककरापार परमाणु बिजलीघर-यूनिट-1	220	220	58%	85%
	यूनिट-2	220	220	70%	82%

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान तारापुर परमाण बिजलीघर-1 का क्षमता गुणक कम रहने का कारण ईंधन पुनर्भरण को क्रोड-श्राऊड के निरीक्षण के लिए उसे लम्बे समय तक बंद रखा जाना है। तारापुर परमाणु बिजलीघर-2 के क्षमता गुणक के कम होने का कारण ईंधन पुनर्भरण और क्रोड-श्राऊड के निरीक्षण हेतु उसे लम्बे समय तक बंद रखा जाना और जनित्र के रोटर में बुनियादी खराबी आ जाने के बाद लम्बे समय तक बंद रखना और एक ही पुनः संचरण लूप के काम करने के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1996 से अधिकतम विद्युत स्तर को कम कर देना भी है। वर्ष 1996-97 के दौरान मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 के और 1995-96 के दौरान मद्रास परमाणु बिजलीघर-2 के क्षमता-गुणक के कम होने का कारण इन यूनिटों के शीतलक चैनलों का व्यापक सेवा-कालीन निरीक्षण किया जाना है। जिन निरीक्षणों का जिक्र किया गया है वे सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबद्ध हैं। काम कर रहे उपर्युक्त परमाणु विद्युत संयंत्रों ने 1995-96 के दौरान कुल मिलाकर 60% का अच्छा वार्षिक क्षमता गुणक हासिल किया और 1996-97 के दौरान 31.1.97 तक कुल मिलाकर 64% क्षमता गुणक जिसके मार्च, 1997 तक 66% तक पहुंच जाने की आशा है, हासिल करके अपने कार्य-निष्पादन में और अधिक सुधार किया। विशेषकर, नए उत्पादन यूनिटों, नामतः नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 और 2 तथा ककरापार परमाणु बिजलीघर-1 और 2, ने इन दो वर्षों में बहुत अच्छी तरह से काम किया।

(ग) इन रिएक्टरों से निकले भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधित करने पर प्लूटोनियम पैदा होगा।

(घ) स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु विद्युत संयंत्रों, नामतः मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 और 2, नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 और 2 तथा ककरापार परमाणु बिजलीघर-1 और 2, पर अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षोपाय लागू होते हैं। तथापि, तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 और 2 तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 और 2 जिन्हें क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के सहकार से निर्मित किया गया था, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सुरक्षोपायों के तहत आते हैं। किन्तु ये पूर्णव्याप्त सुरक्षोपाय नहीं हैं बल्कि इन सुविधाओं तक ही केवल सीमित हैं।

(ङ) रूसी परिसंघ ने आसान शर्तों पर ऋण के साथ तकनीकी सहकार के आधार पर 2 × 1000 मेगावाट के वी वी ई आर किस्म के परमाणु बिजलीघर की आपूर्ति करने हेतु पेशकश की है।

(च) इस रिएक्टर से निकले भुक्तशेष ईंधन जो पुनर्संसाधन के बाद प्लूटोनियम उत्पादित करेगा, पर ऊपर वर्णित अनुसार सुरक्षोपाय लागू होंगे।

डब्ल्यू. बी. एस. ई. बी. द्वारा ए. पी. एस. ई. बी. को विद्युत की बिक्री

825. **श्री नारायण अठावले** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1997 के "बिजनेस एज" में "एन. टी. पी. सी." एम्यूजेज डब्ल्यू. बी. एस. ई. बी. ऑफ सेलिंग/पावर टू आंध्रा एट हायर रेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के इस मामले में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ग) मामले को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार के अनुमोदन से, एन. टी. पी. सी. ने 20 फरवरी, 1997 से ए. पी. एस. ई. बी. को 150 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति आरंभ कर दी है। इस आपूर्ति के लिए निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण करने के लिए एन. टी. पी. सी. तथा एपीएसईबी के बीच 20 फरवरी, 1997 को एक विद्युत क्रय करार पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

लम्बित शिकायतें

826. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विज्ञान के नार्थ एवेन्यू और एम॰ एस॰ फ्लैट सेवा केन्द्र के पास लम्बित शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसद सदस्यों ने उक्त केन्द्रों के कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें की हैं कि वे क्वार्टरों का उचित रख-रखाव नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इसके परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया गया है;

(ङ) क्या गहां तैनात अधिकारी यहां काफी लंबे समय से कार्यरत हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका स्थानांतरण करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के कार्य एवेन्यु तथा एम॰ एस॰ सेवा केन्द्रों में कोई शिकायत 72 घंटों से अधिक लम्बित नहीं है। 17.2.97 की स्थिति के अनुसार लम्बित शिकायतें इस प्रकार हैं :—

(i) 72 घण्टे से अधिक लम्बित शिकायतें —शून्य

(ii) 48 घण्टे से अधिक लम्बित शिकायतें —4

(iii) 24 घण्टे से अधिक लम्बित शिकायतें —9

(ख) संसद सदस्यों से उक्त सेवा केन्द्रों के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सेवा केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी जिन तारीखों से इसमें कार्य कर रहे हैं, उनका विवरण इसके साथ संलग्न है।

(च) तथा (छ) कार्य की आवश्यकता को देखते हुए तैनाती स्थानांतरण मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर तथा बारी-बारी से स्थानांतरण किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं॰	अधिकारी का नाम	पदनाम	जिस तारीख से कार्यरत हैं
	सिविल		
सर्व/श्री			
1.	एस॰ एस॰ वी॰ पी॰ राय	कार्यपालक इंजीनियर	22.12.93
2.	एस॰ के॰ जैन	सहायक इंजीनियर	13.03.91
3.	सबल मित्रा	—वही—	17.9.93
4.	एस॰ के॰ जॉली	—वही—	16.12.96
5.	सुरेश कुमार	कनिष्ठ इंजीनियर	1.11.93
6.	एस॰ के॰ जिन्दल	—वही—	7.11.93
7.	जे॰ बन्द्योपाध्याय	—वही—	27.11.93
8.	मुन्ने लाल	—वही—	12.07.93
9.	के॰ पी॰ यादव	—वही—	17.09.96
10.	एस॰ के॰ रोहिल्ला	—वही—	17.06.96
11.	राज पाल	—वही—	16.04.94
12.	विपिन कुमार	—वही—	09.11.93
	विद्युत		
1.	पी॰ के॰ शर्मा	कनिष्ठ इंजीनियर (ई)	03.06.96
2.	वी॰ पी॰ गुप्ता	—वही—	10.03.89
3.	कुलभूषण गेरा	—वही—	20.07.93
4.	एस॰ के॰ साहनी	सहायक इंजीनियर	27.11.93
5.	एस॰ एम॰ नरसिम्हा	कार्यपालक इंजीनियर	09.10.95

[अनुवाद]

शहरों के विकास हेतु विश्व बैंक सहायता

827. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री शिवराज सिंह :

श्री विजय कुमार खण्डेवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विश्व बैंक की सहायता से कुछ शहरों का विकास करने हेतु पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शहरों के विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से विकास करने के लिए देश में किसी कस्बे का पता नहीं लगाया गया है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई शहरी अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ गठित करने का प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आई डी ए) ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महाराष्ट्र भूकंप पुनर्वास आपातकालीन कार्यक्रम (एम ई ई आर पी) के अंतर्गत लातूर तथा उस्मानाबाद जिलों में पुनर्निर्माण कार्य के लिए एस डी आर 177 मिलियन का ऋण (27.6.94 से प्रभावी) दिया है।

[हिन्दी]

बॉम्बे हाई

828. श्री काशी राम राणा :

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान बॉम्बे हाई के अंतर्गत तेल क्षेत्रों में कितने तेल के कुएं खोदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितने तेल कुओं को खोदा नहीं जा सका;

(ख) लक्ष्य के अनुसार कुएं न खोदे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के लिए सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा अधिकारियों को दंड देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) और (ख) 148911 मीटरेज और 84 कूपों के वेधन लक्ष्य की तुलना में 1995-96 के दौरान 154480 मीटरेज और 76 कूपों का वेधन किया गया। कूपों के वेधन लक्ष्य की उपलब्धि में कमी वेधित कूपों गहराई औसत से अधिक होने के कारण हुई।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत का उत्पादन

829. श्री तारीक अनवर :

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है और अनेक दक्षिणी तथा उत्तरी राज्य अंधेरे में डूबे हुए हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर कितनी थी;

(ग) विद्युत उत्पादन में भारी कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान विद्युत उत्पादन के विकास की लक्षित दर तथा उपलब्धि क्या थी; और

(ङ) देश के विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 11.2% तथा 17% थी। इसी अवधि के दौरान उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र से राज्यों में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमियां निम्नवत हैं :—

क्षेत्र/राज्य	ऊर्जा की कमी (%)	व्यस्ततमकालीन कमी (%)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	11.1	17.0
चण्डीगढ़	0.1	0.0
दिल्ली	2.5	7.0
हरियाणा	4.7	15.9
मध्य प्रदेश	1.0	1.9
जम्मू और कश्मीर	18.1	17.1
पंजाब	1.8	8.1
राजस्थान	6.1	10.1
उत्तर प्रदेश	13.3	20.1
दक्षिणी क्षेत्र	20.5	20.1
आंध्र प्रदेश	22.1	23.6
कर्नाटक	26.1	22.0
केरल	23.2	24.0
तमिलनाडु	14.1	16.3

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 और अप्रैल-दिसंबर, 96 के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि गत वर्षों की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 8.3% और 3.5% थी। वर्तमान वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट का प्रमुख कारण जल-विद्युत उत्पादन में कमी का होना है।

(घ) अप्रैल-दिसंबर, 96 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन अप्रैल दिसंबर, 1995 में 281.6 बिलियन यूनिट के विद्युत उत्पादन की तुलना में 291.5 बिलियन यूनिट था जो 1996-97 हेतु निर्धारित 5% की वृद्धि दर की तुलना में 3.6% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

(ङ) विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अधिष्ठापित क्षमता का अधिक समुपयोजन करना, आनुषांगिक विद्युत खपत को कम करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों का अधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए स्कीमें

आरंभ करना शामिल है।

नागालैंड में तेल के कुएं

830. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में भारतीय तेल कंपनियां अपना कार्य फिर से शुरू नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों द्वारा निकट भविष्य में अपना कार्य फिर से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) ओ एन जी सी नागालैंड में अपना कार्य दोबारा आरम्भ नहीं कर सका है।

(ख) ओ एन जी सी के वेधन क्रियाकलाप नागालैंड में समय-समय पर विभिन्न स्थानों में विद्रोह से संबंधित समस्याओं और तत्पश्चात राज्य सरकार के निदेश पर रोक देने पड़े। यह स्थिति अभी बदली नहीं है।

(ग) और (घ) ओ एन जी सी अपने क्रियाकलाप तभी दोबारा आरम्भ कर सकेगा, जब नागालैंड की सरकार ऐसा परामर्श दे और जब राज्य सरकार ओ एन जी सी के कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने पर भी सहमत हो जाए।

मैके दतली में पन-बिजली परियोजना स्थापित करना

831. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "मैके दतली" के निकट कावेरी बेसिन में एक पन-बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने 360 मे. वा. संभावित क्षमता वाली मेकेदातू जल विद्युत परियोजना को मैसूर जिले में स्थापित करने का एक प्रस्ताव भेजा है। परियोजना की स्वीकृति कावेरी जल की भागेदारी संबंधी अंतर्राज्यीय विवाद जो कावेरी जल विवाद न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है, के समाधान हो जाने पर निर्भर करती है।

असम में बुनियादी सुविधाएं

832. डॉ. अरुण कुमार शर्मा :

श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख शहरों में बुनियादी और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार के पास कोई परियोजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु धन प्राप्त करने के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति देने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) बड़े शहरों में अवस्थापना तथा जन सुविधाओं के समन्वित विस्तार के बाबत कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, पांच मेगा शहरों-मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद में अवस्थापना विकास की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना 1993-94 के दौरान शुरू की गई है। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डल समिति द्वारा अनुमोदित योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—(i) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच साझेदारी 25:25 के अनुपात में होगी तथा शेष 5% राशि संस्थागत वित्त से जुटाई जाएगी; (ii) स्कीम में शामिल परियोजनाएं तीन श्रेणियों की होंगी—(क) बुनियादी सेवा परियोजनाएं (ख) उपभोक्ता प्रभार आधारित परियोजनाएं और (ग) लाभग्राही परियाजनाएं; (iii) धनराशि राज्य स्तर की विशेष संस्था/नोडल एजेंसी के मार्फत दी जाएगी जो शहरी जल, मल-जल व्ययन, जलनिकास, सफाई, नगर परिवहन नेटवर्क, भूमि विकास, स्लम सुधार, कूड़ा-कचरा प्रबंध सहित शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए परियोजना संबंधी धन उपलब्ध कराएगी।

(ग) जी, नहीं। उपर्युक्त योजना के लिए धन प्राप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कोई बात नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति आवंटन

833. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार ने कितनी राशि की मांग की थी और योजना आयोग ने उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि मंजूर की है; और

(ग) अल्प राशि आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) राज्य योजना में महाराष्ट्र हेतु कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आवंटन निम्नानुसार है :—

अवधि	कृषि (रु०)	ग्रामीण विकास (रु०)
1994-95	47.23	48.08
1995-96	55.19	61.89
1996-97	67.84	127.05

(ख) राज्य योजना में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के संबंध में मांगी गई राशि और स्वीकृत धनराशि उक्त अवधि के दौरान लगभग उतनी ही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परियोजनाओं को मंजूरी

834. श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी :

श्री भक्त चरण दास :

श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों से लेकर आज की तारीख तक उड़ीसा, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग की मंजूरी के लिए सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना-वार कितनी धनराशि मांगी गई तथा कितनी आवंटित की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा विस्तृत क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय आवंटनों के साथ-साथ किया जाता है। अनुमोदित क्षेत्रीय-उपक्षेत्रीय परिव्यय के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के ब्यौरे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन, विद्युत और सिंचाई क्षेत्रकों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा की जाती है। योजना आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित योजनाएं विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई हैं।

राज्य का नाम	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1. उड़ीसा	(i) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	977.00
	(ii) बाघ बराज परियोजना	44.72
	(iii) स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना	790.32
	(iv) बागलाटी मध्यम सिंचाई परियोजना	45.44
2. तमिलनाडु	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	807.49
3. हिमाचल प्रदेश	शाह नगर सिंचाई परियोजना	143.32

[अनुवाद]

ज्ञापन समझौता

835. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991 से विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु राज्यवार कितने ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितनी परियोजनाएं स्थापित कर दी गई है;

(ग) विद्युत की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए शेष परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) अभी तक विद्युत मंत्रालय 100 करोड़ रु॰ से अधिक की लागत वाली समझौता ज्ञापन/आशय-पत्र इत्यादि माध्यम पर निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए 96 प्रस्तावों को मानिटरिंग कर रहा है। इन प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उपरोक्त माध्यम पर जिन परियोजनाओं ने आंशिक रूप से प्रबंधन आरंभ कर दिया है वे निम्नवत् हैं :

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई क्षमता (मेगावाट)
1.	हाजिरा कंबाइंड साईकल गैस टरबाइन	515	3 × 110
2.	जेगरुपाडु कंबाइंड गैस टरबाइन	216	3 × 45.8
3.	गोदावरी कंबाइंड गैस टरबाइन	216	45.8

(ग) से (ङ) भारत सरकार 100 करोड़ रुपए से अधिक की प्रक्षेपित लागत तथा समझौता ज्ञापन/आशय-पत्र इत्यादि के माध्यम से प्रदान की गई सभी निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की गहन रूप से मानिटरिंग कर रही है तथा इसने तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को भरे जाने हेतु

31 मार्च, 1997 की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी है।

विवरण

एमओयू/एलओआई इत्यादि माध्यम पर निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	समझौता ज्ञापनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	5
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	कर्नाटक	18
8.	केरल	9
9.	मध्य प्रदेश	19
10.	महाराष्ट्र	2
11.	उड़ीसा	7
12.	राजस्थान	1
13.	तमिलनाडु	13
14.	उत्तर प्रदेश	4
15.	पश्चिम बंगाल	4

पेयजल

836. श्री मोहन रावले : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक ग्रामीण जनता को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने हेतु कुछ ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) मुख्य मंत्रियों के 4-5 जुलाई, 1996 को हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उन सभी बस्तियों, जिनको पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई हैं, को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत धनराशियों का उपयोग करके सन् 2000 ई० तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाएं और विशेष योजनाएं तैयार करें।

आवास के आवंटन संबंधी समिति

837. श्री वी० प्रदीप देव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी आवास के आवंटन तथा, और मकानों के निर्माण के लिए नियम बनाने हेतु कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) इस समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में मकानों की कमी का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) उक्त समिति द्वारा नियम कब तक बना दिए जाने की संभावना है और क्या इसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें बारी आने पर सरकारी आवास के लिए वंचित रखा गया, को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० यू० वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां। सरकारी वास के बिना बारी आवंटन के लिए नियम बनाने तथा अधिक मकान बनाने की आवश्यकता के अध्ययन के लिए दो समितियां बनाई गई हैं।

(ख) दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिक मकान बनाने की आवश्यकता के अध्ययन हेतु गठित समिति के साथ कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि सर्वश्री जी० एल० धर और के० के० एन० कुट्टी रखे गए हैं।

(ग) सरकारी वासों की मांग और कमी का आंकलन, आवंटन-वर्ष 1994-95 के लिए सीमित आधार पर आमंत्रित आवेदनों के आधार पर किया गया है।

(घ) बिना-बारी वास आवंटन हेतु नियम बनाने के लिए गठित समिति ने रिपोर्ट दे दी है। इस बावत बने नियम अधिसूचित किए जाएंगे तथा उन्हें संसद के दोनों सभापटलों पर रख दिया जाएगा।

(ङ) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों को बारी होने पर भी सरकारी वास नहीं दिया गया है, उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए और इस प्रयोजन हेतु इस राशि का इस्तेमाल किया जाए जो बिना-बारी आवंटन प्राप्त कार्मिकों के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रूप में बढ़त की जाए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में इस बावत स्कीम तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो सभी संगत पहलुओं पर विचार करेगी। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

श्रमिकों के लिए रोजगार

838. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाना/रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के ठेके दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे मामलों की जांच कराए जाने तथा इसकी रिपोर्ट प्रकाशित कराए जाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना एक मजदूरी रोजगार योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को ऐसे विभिन्न कार्यों में मजदूरी रोजगार प्रदान किए जाते हैं जिसमें स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन हो। संसाधनों का कम से कम 60% मजदूरी घटकों पर खर्च किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसमें सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में उत्पादक परिसम्पत्तियां एवं साधन प्रदान कर स्वरोजगार गतिविधि शुरू करने योग्य बनाया जाता है।

(ग) से (ङ) इन योजनाओं अर्थात् जवाहर रोजगार योजना एवं समन्वित गामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ठेकेदारों को काम सौंपने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, जब केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाए जाते हैं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले राज्य सरकार (रों) को भेज दिए जाते हैं।

विद्युत का पारेषण और वितरण

839. श्री भक्त चरण दास : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल ने विद्युत पारेषण के निजीकरण संबंधी सरकार के निर्णय का स्वागत किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल ने इस संबंध में क्या मुद्दे उठाए हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल में बिजली कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के माध्यम से भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा भारतीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में संशोधन करके विद्युत के पारेषण कार्यों का निजीकरण करने संबंधी सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।

(ख) इस संबंध में फिक्की ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :—

(1) पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की गति, विगत वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि की गति के बराबर नहीं रह पाई।

(2) पारेषण क्षेत्रों से एक पृथक क्रियाकलाप के रूप में मामला प्रदान किए जाने एवं पारेषण का क्षेत्र निजी संचालकों के लिए खोल दिए जाने से पारेषण, एवं वितरण हानियों में कमी आने की प्रत्याशा की गई है।

(ग) यह एक तथ्य है कि विगत के वर्षों में पारेषण नेटवर्क में किया गया निवेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में किए गए निवेशों के बराबर गति बनाए नहीं रख पाया। इस तथ्य में यह पाया गया था कि बिजली कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1997 पारित किया गया जो कि पारेषण को एक पृथक क्रियाकलाप के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करना और सुसाध्य बनाए जाने का प्रावधान करता है। पारेषण के क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश किए जाने से पारेषण हानियां कम करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

मकान गिराना

840. श्री मुनव्वर हसन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना पार क्षेत्र में बिना सूचना दिए अनेक घरों को गिरा दिया है जो पिछले 50 वर्ष से वहां बने हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्रभावित लोगों को आवास अथवा मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डी डी ए ने बताया है कि उन्होंने 28.12.96 को यमुना विहार में 34 ढांचे गिराए हैं।

(ख) भूमि डी डी ए की है तथा रिहायशी योजना के कार्यान्वियन के लिए इस पर सड़क बनाई जानी थी। इस पर किया गया निर्माण अवैध था, अतः उसे गिरा दिया गया।

(ग) डी डी ए का पात्र निष्कासित व्यक्तियों को अपनी पुनर्वास नीति के अंतर्गत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कम्प्यूटरीकरण

841. श्री पी. सी. थामस : क्या **योजना** और **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कंप्यूटरीकरण इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए है;

(ख) क्या वे राज्य सरकारें जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कार्यान्वयन अभिकरण के नियंत्रण में है इसके कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त स्टाफ तथा ढांचा प्रदान कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या संरचना संबंधी कार्यों में बिलंब हो रहा है क्योंकि अभिकरणों अथवा राज्य सरकारों द्वारा सामग्री, श्रम तथा कार्य हेतु स्थानीय दरें प्रदान नहीं की जा रही हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) *: (क) कंप्यूटरीकरण से कार्यान्वयन के प्रबोधन में सुविधा होने की आशा है।*

(ख) और (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने कोई स्टाफ या आधारी संरचना उपलब्ध नहीं करवाई है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन जिलाधिकारियों एवं नगर पालिकाओं द्वारा होता है।

(घ) ऐसा कोई मामला इस विभाग के समक्ष नहीं आया है।

धनराशि का उपयोग न किया जाना

842. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए नियत धनराशि लाल फीताशाही के कारण व्यपगत न हो, कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही निगरानी का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) राज्यों से खर्च न की गई राशि का उपयोग करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है, ताकि निधियां व्यपगत न हो जाएं।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार के निगरानी तंत्र से अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्टें/विवरणियां, वित्तीय विवरणियां/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना, क्षेत्र का गहन निरीक्षण करना तथा समितियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों के सचिवों, आयुक्तों आदि के साथ मिलकर समीक्षा और निगरानी करना शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत

843. **श्री डी॰ पी॰ यादव :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को आपूर्ति की जा रही विद्युत देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): *(क) जी, नहीं।*

(ख) उत्तर प्रदेश उत्तरी ग्रिड का एक संघटक है। अप्रैल 96 से जनवरी, 97 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से अपनी हकदारी की अपेक्षा में उत्तरी ग्रिड के संघटकों द्वारा आहरणों से संबंधित ब्यौरा निम्नवत है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 96 से जनवरी, 97	
	हकदारी	आहरण
	(मि. यू. में)	
हरियाणा	4526.4	5040.4
हिमाचल प्रदेश	939.9	787.3
जम्मू और कश्मीर	2612.9	2419.7
पंजाब	4452.5	4501.4
राजस्थान	6306.9	6666.1
उत्तर प्रदेश	11769.8	11782.2
चण्डीगढ़	192.0	187.6
दिल्ली	7687.0	7105.8

(ग) उत्तरी क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में विद्युत की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत निम्नवत है :—

विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत	कि॰ वा॰ घं॰ में (1994-95)
हरियाणा	477.83
हिमाचल प्रदेश	251.03
जम्मू और कश्मीर	210.88
पंजाब	785.55
राजस्थान	265.88
उत्तर प्रदेश	197.32
चण्डीगढ़	676.27
दिल्ली	745.61

(घ) राज्य सरकारों की विद्यमान यूनिटों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उ. प्र. रा. बि. बो. के विद्युत केन्द्रों के पीएलएफ में सुधार करने तथा केन्द्रीय स्टेशनों में और अधिक विद्युत के आहरण के लिए साख-पत्रों की राशि में वृद्धि करने हेतु भी कदम उठाने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश सहित देश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपायों में क्षमता अभिवृद्धियां, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अनुषांगिक विद्युत खपत तथा

पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना शामिल है।

[अनुवाद]

ट्राइसेम

844. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्व रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं में से कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करके कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं निकल पाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध अपर्याप्त प्रशिक्षण ढांचे को देखते हुए भारत सरकार ने विशेष ट्राइसेम प्रशिक्षण केन्द्रों (जिन्हें औपचारिक तौर पर लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है) कि स्थापना की एक योजना प्रारम्भ की है। इन लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ऐसे विकास खंडों में की जाएगी जहां कोई प्रशिक्षण ढांचा विद्यमान नहीं है। इस कार्यक्रम को पिछले वर्ष से ही प्रारम्भ किया गया है। अभी तक 223 लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 22.42 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। कार्यक्रम के प्रभाव का अभी मूल्यांकन कराना जल्दबाजी होगी।

विवरण

ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण युवा

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	94-95	95-96	96-97 (जन॰ 97 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18047	20330	18047	47086
2.	अरुणाचल प्रदेश	886	672	886	410
3.	असम	9970	9249	9970	201
4.	बिहार	28566	24504	28566	24147
5.	गोवा	275	2591	275	2815
6.	गुजरात	12037	11794	12037	4749
7.	हरियाणा	6536	3733	6536	2122
8.	हिमाचल प्रदेश	810	1121	810	336
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1469	2647	1469	1931
10.	कर्नाटक	15171	17542	15171	10400
11.	केरल	5549	5854	5549	4160
12.	मध्य प्रदेश	54111	30415	54111	24052
13.	महाराष्ट्र	23063	11405	23063	10927
14.	मणिपुर	617	1397	617	220
15.	मेघालय	358	50	358	220
16.	मिजोरम	1348	847	1348	
17.	नागालैंड	596	977	596	
18.	उड़ीसा	9985	15656	9985	8462
19.	पंजाब	3870	3324	3870	1125
20.	राजस्थान	10813	9830	10813	1965
21.	सिक्किम	184	156	184	0
22.	तमिलनाडु	16082	20940	16082	4178
23.	त्रिपुरा	1689	2680	1689	921
24.	उत्तर प्रदेश	63649	62394	63649	38629
25.	प॰ बंगाल	17421	20711	17421	10474
26.	अं॰ नि॰ द्वीपसमूह	476	448	476	39
27.	दमन एवं दीव	30	145	30	75
28.	दा॰ न॰ हवेली	25	95	25	12
29.	लक्षद्वीप	4	11	4	12
30.	पांडिचेरी	184	356	184	—
		303821	281874	303821	199660

अपतटीय गोताखारों की हड़ताल

845. श्री एल॰ रमना : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के लिए कार्यरत अपतटीय गोताखोरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) ओ एन जी सी लिमिटेड द्वारा नियुक्त एक ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए गोताखारों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय गोताखोर संघ नामक एक संघ ने कार्पोरेशन के साथ कतिपय

मुद्दे उठाए हैं और उसने यह कहा है कि अगर इन्हें सुलझाने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तो संघ हड़ताल का आह्वान करने पर विवश हो जाएगा।

(ख) (1) गोताखारों और तकनीशियनों की सीधी भर्ती;

(2) ठेकेदार द्वारा लगाए गए जहाजों से ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए विदेशी गोताखोरों को हटाना और ऐसे विदेशी गोताखोरों को देश से बाहर निकालना;

(3) गोताखोरी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को कड़ाई से अपनाना; और

(4) ठेकेदार द्वारा गोताखोरों की बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना।

(ग) ओ एन जी सी लिमिटेड विशुद्ध रूप से आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार के माध्यम से गोताखोरों की सेवाएं ठेके पर प्राप्त करता है। कार्पोरेशन यह सुनिश्चित करता है कि ठेकेदार के साथ किए गए ठेके के करार के विभिन्न निबंधनों का ठेकेदार द्वारा पालन किया जाए। इन निबंधनों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना और मजदूरी का भुगतान भी सम्मिलित है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां

846. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा अन्वेषणात्मक खुदाई और विकास खुदाई के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां रही;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान किन स्थानों पर दोनों तरह की खुदाई की गई है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अन्वेषी व विकास वेधन मीटरेज के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के लक्ष्य व उपलब्धियों संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) और (घ) ओ एन जी सी के मामले में विकास वेधन लक्ष्य दोनों वर्षों में लक्ष्य से अधिक प्राप्त किए गए जबकि अन्वेषी वेधन में कुछ कमी रही थी। दोनों वर्षों में वेधन उपलब्धियां, उत्तर-पूर्व में माहौल संबंधी समस्याओं, गहरे कूप वेधन तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषी वेधन कार्य शुरू करने के कारण सीमांत रूप से कम रही थी।

जहां तक आयल इंडिया लिमिटेड का संबंध है, वेधन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी मुख्यतः निम्न कारणों से हुई;

असम व अरुणाचल प्रदेश

(1) पारिस्थितिक समस्याएं जैसे बंद तथा शरारती क्रियाकलाप।

(2) अत्यधिक वर्षा/जल लॉगिंग/बाढ़ के कारण वेधन स्थलों की तैयारी में विलम्ब।

(3) पुराने रिगों से उत्पन्न होने वाले कई वेधन कूपों से विभिन्न सतही तथा उप सतही समस्याएं।

(4) योजना के अनुसार वेधन रिगों के लिए मैन-मैनेजमेंट संविदा सेवा की अनुपलब्धता।

(5) वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू से अंत तक चार्टर भाड़े पर ली गई रिगों की अनुपलब्धता।

(6) कई सतही और उप सतही बाधाओं के कारण अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक गहन (6100 मी॰) अन्वेषी कूप में असाधारण धीमी प्रगति।

(7) संविदा को अंतिम रूप देने/क्रियाशील करने से जुड़े कारणों से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी छोर पर वेधन कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

सौराष्ट्र अन्वेषण परियोजना

प्रथम कूप वेधन के समय पेश आई गंभीर उप सतही समस्याएं।

उत्तर पूर्व तट

कार्यक्रम आस्थगित।

विवरण

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अन्वेषी व विकास वेधन के संबंध में ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के लक्ष्य व उपलब्धियां

ओ एन जी सी

	(1995-96) लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	(हजार मी॰) वास्तविक उपलब्धि
अन्वेषी वेधन	629.015	472.861
विकास वेधन	377.681	418.012
कुल	1006.696	890.873

(1996-97)

(अप्रैल, 96-जनवरी, 97)

	लक्ष्य (मसौदा समझौता ज्ञापन 1996-97 के अनुसार)	(हजार मी॰) वास्तविक उपलब्धि
अन्वेषी वेधन	506.130	363.530
विकास वेधन	269.105	282.162
कुल	775.235	645.692

नोट : वर्ष 1996-97 के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

आयल इंडिया लिमिटेड

(1995-96)

		(हजार मी०)
	लक्ष्य	उपलब्धि
अन्वेषी वेधन	73.50	31.530
विकास वेधन	49.00	51.452
कुल	122.50	82.982

(1996-97)

		(हजार मी०)
	लक्ष्य	उपलब्धि
अन्वेषी वेधन	70.70	46.37
विकास वेधन	69.30	59.00
कुल	140.00	105.37

गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान

847. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र** और **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में गैर सरकारी संगठनों को कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ख) इन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस राशि के उपयोग की सरकार द्वारा निगरानी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग किए जाने का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धनराशि का इस तरह से दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), जोकि इस मंत्रालय के तत्वावधान में पंजीकृत सोसाइटी है, ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा इस प्रकार के राज्य अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकरण अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में पंजीकरण से उपरांत कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता तथा स्वैच्छिक संगठनों की प्रशासनिक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

कपार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को 31.3.1996 तक लगभग 278 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जारी की गई है।

स्वीकृत परियोजनाओं की कपार्ट द्वारा अपने अधिकारियों अथवा नामिक में शामिल परियोजना मूल्यांकों के जरिए समय-समय पर निगरानी की जाती है।

(घ) निधियों के दुरुपयोग सहित विभिन्न कृत्याकृत कार्यों के लिए कपार्ट ने 31.3.1996 तक 226 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाला है। इसके अलावा, कपार्ट ने ऐसे 152 स्वैच्छिक संगठनों को भी काली सूची में डाला है जिनको अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाला गया था। कपार्ट ने सूचित किया है कि उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार उसने काली सूची वाले स्वैच्छिक संगठनों को 31.3.1996 तक लगभग 5.88 करोड़ रुपए दिए हैं। कपार्ट ने यह भी सूचना दी है कि ऐसे कई स्वैच्छिक संगठनों ने स्वीकृत परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया था लेकिन बाद की कुछ परियोजनाओं में उनके कृत्याकृत कार्यों के कारण काली सूची में डाल दिया गया। अतः दुरुपयोग की गई धनराशि की कमी हो सकती है।

कपार्ट ने सूचित किया है कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किए जाने को रोकने के लिए उसने स्वीकृत, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाया है। इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :—

(i) इन्हें निचले स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को और निकट लाने के उद्देश्य से कपार्ट की कार्य-प्रणाली को छह क्षेत्रीय समितियां स्थापित करके विकेन्द्रीकृत किया गया है। क्षेत्रीय समितियों को 5 लाख रुपए तक के परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने और मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ii) स्वैच्छिक संगठनों को उनकी ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय स्थायी समितियों और कपार्ट की क्षेत्रीय समितियों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है।

(iv) कपार्ट अब विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन/निगरानी कर रहा है जैसे वित्त पोषण से पूर्व (वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन), कार्यनिष्पादन के दौरान (मध्यावधि मूल्यांकन) और परियोजना के पूरा होने के बाद (परियोजना उपरांत मूल्यांकन)।

(v) कपार्ट ने उसके द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय स्थायी सीमित गठित करने का भी निर्णय लिया है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

848. श्री के॰ प्रधानी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने संसाधन जुटाने पर बल देने तथा परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के लिए कोई सुझाव दिया है;

(ख) क्या अनेक परियोजनाएं ऐसी हैं, जिसके उद्देश्य प्रशंसनीय हैं लेकिन कार्यान्वित न होने के कारण फलीभूत नहीं हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो खामियों का पता लगाने तथा नौवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं के समय पर कारगर कार्यान्वियन हेतु उपचारात्मक उपाय करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) जी हां, दिनांक 16.11.97 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अनेक सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में संसाधनों की निकासी एवं परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के पक्ष पर दबाव डाला। यह सत्य है कि कई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों वाली परियोजनाओं में क्रियान्वयन की धीमी गति के कारण विलंब हुआ है।

(ग) सरकार द्वारा की जा रही/करने को प्रस्तावित कार्रवाई परियोजना-दर परियोजना तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है। तथापि सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए आम तौर पर किए जाने वाले उपायों का स्वरूप संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

1. तत्पर प्रबोधन प्रणाली को शुरू करने का प्रस्ताव।

2. उपलब्ध संसाधनों के अनुसार परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना।

3. धीमी गति वाली परियोजनाओं की छंटनी करना/निजीकरण करना तथा सरकार और परियोजनाओं कार्यान्वयन अभिकरणों के मुख्य अधिकारियों के बीच करारनामा प्रणाली के जरिए परियोजना के कार्यान्वयन में जबाबदेही पर अधिक बल देना;

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पत्रक में इन नीतियों पर जोर दिया गया है और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

विवरण

वास्तविक लागत का अनुमान तैयार करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लागत वृद्धि कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :—

1. परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

2. तत्पर कंम्प्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली लागू की जा रही है।

3. कठिनाइयों का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन।

4. पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

5. अवरोधग्रसित विशिष्ट परियोजनाओं की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा।

6. परियोजना प्रबोधन दल का सृजन जिसका कार्यकाल परियोजना की निर्माण अवधि के समानांतर हो।

7. अनुबंध प्रबंध प्रणाली को सुधारना।

8. क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को और अधिक शक्ति प्रदान करना।

ताप तथा जल विद्युत संयंत्र

849. श्री कृपा सिंधु भोई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ ताप विद्युत केन्द्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से पन-विद्युत संयंत्रों का विस्तार किया जाएगा; और

(ग) इन विद्युत संयंत्रों के पूरा होने के पश्चात् क्षमता में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों एवं जल विद्युत संयंत्रों के विस्तार सहित क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रस्तावों की इस समय जांच की जा रही है और इन्हें सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। प्रत्याशित क्षमता अभिवृद्धि विभिन्न घटकों, यथा परियोजना सम्बन्धी तैयारियां, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, ईंधन लिंकेज इत्यादि पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

गन्दी बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं

850. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री के॰ पी॰ सिंह देव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शहरों की पुरानी कालोनियों की गन्दी बस्तियों और कटरों में विशेषकर दिल्ली के समग्र विकास और उनमें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाने और उसके लिए धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार दिल्ली सहित कौन-कौन से नगरों की गन्दी बस्तियों और पुरानी बस्तियों के कटरों के विकास और उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि आवंटित करने का है और इन नगरों के लिए पृथक-पृथक रूप से कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलु) : (क) और (ख) राज्यों को 1996-97 में स्लम विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है। जहां तक नौवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है, इसे अभी अंतिम् रूप दिया जाना है।

आयल इंडिया लिमिटेड

(1995-96)

		(हजार मी०)
	लक्ष्य	उपलब्धि
अन्वेषी वेधन	73.50	31.530
विकास वेधन	49.00	51.452
कुल	122.50	82.982

(1996-97)

		(हजार मी०)
	लक्ष्य	उपलब्धि
अन्वेषी वेधन	70.70	46.37
विकास वेधन	69.30	59.00
कुल	140.00	105.37

गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान

847. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र** और **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में गैर सरकारी संगठनों को कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ख) इन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस राशि के उपयोग की सरकार द्वारा निगरानी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग किए जाने का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धनराशि का इस तरह से दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), जोकि इस मंत्रालय के तत्वावधान में पंजीकृत सोसाइटी है, ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा इस प्रकार के राज्य अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकरण अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में पंजीकरण से उपरांत कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता तथा स्वैच्छिक संगठनों की प्रशासनिक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

कपार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को 31.3.1996 तक लगभग 278 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जारी की गई है।

स्वीकृत परियोजनाओं की कपार्ट द्वारा अपने अधिकारियों अथवा नामिक में शामिल परियोजना मूल्यांकों के जरिए समय-समय पर निगरानी की जाती है।

(घ) निधियों के दुरुपयोग सहित विभिन्न कृत्याकृत कार्यों के लिए कपार्ट ने 31.3.1996 तक 226 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाला है। इसके अलावा, कपार्ट ने ऐसे 152 स्वैच्छिक संगठनों को भी काली सूची में डाला है जिनको अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाला गया था। कपार्ट ने सूचित किया है कि उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार उसने काली सूची वाले स्वैच्छिक संगठनों को 31.3.1996 तक लगभग 5.88 करोड़ रुपए दिए हैं। कपार्ट ने यह भी सूचना दी है कि ऐसे कई स्वैच्छिक संगठनों ने स्वीकृत परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया था लेकिन बाद की कुछ परियोजनाओं में उनके कृत्याकृत कार्यों के कारण काली सूची में डाल दिया गया। अत: दुरुपयोग की गई धनराशि की कमी हो सकती है।

कपार्ट ने सूचित किया है कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किए जाने को रोकने के लिए उसने स्वीकृत, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाया है। इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :—

(i) इन्हें निचले स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को और निकट लाने के उद्देश्य से कपार्ट की कार्य-प्रणाली को छह क्षेत्रीय समितियां स्थापित करके विकेन्द्रीकृत किया गया है। क्षेत्रीय समितियों को 5 लाख रुपए तक के परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने और मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ii) स्वैच्छिक संगठनों को उनकी ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय स्थायी समितियों और कपार्ट की क्षेत्रीय समितियों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है।

(iv) कपार्ट अब विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन/निगरानी कर रहा है जैसे वित्त पोषण से पूर्व (वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन), कार्यनिष्पादन के दौरान (मध्यावधि मूल्यांकन) और परियोजना के पूरा होने के बाद (परियोजना उपरांत मूल्यांकन)।

(v) कपार्ट ने उसके द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय स्थायी सीमित गठित करने का भी निर्णय लिया है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

848. श्री के॰ प्रधानी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने संसाधन जुटाने पर बल देने तथा परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के लिए कोई सुझाव दिया है;

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं/संयंत्रों की स्थापना

851. डॉ. बलिराम :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना खर्च आएगा;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और वाराणसी जिलों में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय

852. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार "द जजेस डू नाट वांट देहली टू स्लम इट, रिमूव फोर लैख झुग्गीज, एस. सी." की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं.-286/1994 पर अपने 20 नवंबर, 1996 के आदेश में इस तथ्य की न्यायिक विवेचना करते हुए कहा है कि भारत में जहां 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, वहां शहरी क्षेत्र के स्लमों की समस्या एक सहज घटनाक्रम है, न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया है कि इस समस्या का समाधान करना बुनियादी तौर पर मौजूदा सरकार का है, क्योंकि लोगों को आश्रय मुहैया कराना सरकार का सांवैधानिक दायित्व है। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन स्लमों की समस्या को समझने के लिए तथा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली में संबंधित विभागों/संगठनों की एक बैठक बुलाने के बावत सचिव भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है। तदनुसार एक रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पहले ही फाईल की जा चुकी है। सरकार से अब स्लम पुनर्वास और शहरी गरीबी के बसाव हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का हवाला देते हुए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने की मांग की है। मामला अब तक न्यायाधीन है।

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

853. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी. ई. एल.) बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निष्पादन में सुधार लाने तथा इसे अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कंपनी की पूंजीगत पुनःसंरचना के लिए एक व्यापक प्रस्ताव को दिनांक 15 जनवरी, 1997 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। इस प्रस्ताव का लक्ष्य निश्चित तौर पर सीईएल के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार लाना तथा नए नीति विषयक पर्यावरण में इसके प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है।

कंपनी ने अपने प्रचालनों के कुछेक क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक रणनीति तैयार की है। इसमें नए उत्पादों को शामिल करना तथा उन्हें अभिज्ञात करना, घरेलू अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से अथवा अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के सहयोग से मौजूदा प्रौद्योगिकियों तथा प्रक्रमों का उन्नयन शामिल है। इस रणनीति में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने अथवा देशी या विदेशी अन्य संस्थाओं के साथ विपणन/प्रौद्योगिकी संबंध स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

अब्राहम विद्युत संबंधी समिति

854. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मानदंड और शुल्क दरें विकसित करने के लिए गठित की गई अब्राहम समिति ने अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशें पूरी तरह से स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान लागत दृष्टिकोण के स्थान पर वृहत् विद्युत टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया तथा उपलब्धता आधारित टैरिफ आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ). सिफारिशों की जांच की जा रही है।

एल पी जी कनेक्शन

855. **श्री के. एच. मुनियप्पा :**

श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री सुख लाल कुशवाहा :

श्री बृज भूषण तिवारी :

श्री कुंवर सर्वराज सिंह :

श्री ए. जी. एस. राम बाबू :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 की समाप्ति तक राज्यवार एल पी जी कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची में प्रतीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार मार्च 1997 तक इन सभी लोगों को एल पी जी कनेक्शन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में 1995 और 1996 के दौरान कितने लोगों को एल पी जी कनेक्शन दिए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (घ) 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या और जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या को दशनि वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए नए कनेक्शनों का जारी किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद की उपलब्धता, वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक, हाल ही में स्थापित डिस्ट्रीब्यूटरों/अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरों को न्यूनतम/वहनीय आवंटन आदि पर निर्भर करता है। इसलिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने के लिए निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है। तथापि, आयात के माध्यम से एल पी जी की अधिक अनुमानित उपलब्धता से और अधिक कनेक्शन जारी किए जाने की योजना है और यह अनुमान है कि वर्ष 2000-1 तक पूरी प्रतीक्षा सूची निपटा दी जाएगी।

विवरण

राज्य	1.1.97 को प्रतीक्षा सूची (आंकड़े लाख में)	एल. पी. जी. नामांकन (आंकड़े हजार में) 1994-95	1995-96
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	10.74	176.1	131.3
अरुणाचल प्रदेश	0.19	7.1	5.2
असम	1.93	45.3	32.2
बिहार	4.18	105.0	46.1
गोवा	0.89	8.4	8.0
गुजरात	8.43	109.8	77.1
हरियाणा	5.14	65.1	47.2
हिमाचल प्रदेश	1.08	48.2	116.3
जम्मू व कश्मीर	1.63	37.4	79.8
कर्नाटक	7.19	119.8	102.5
केरल	6.79	104.2	75.8
मध्य प्रदेश	7.17	104.5	72.6
महाराष्ट्र	19.05	350.9	261.6
मणिपुर	0.07	6.1	6.5
मेघालय	0.08	5.7	7.2
मिजोरम	0.08	6.5	8.8
नागालैंड	0.07	3.7	4.2
उड़ीसा	2.15	60.4	29.6
पंजाब	7.56	100.0	79.1
राजस्थान	7.62	73.0	78.2
सिक्किम	0.03	3.3	8.8
तमिलनाडु	14.73	173.0	129.0
त्रिपुरा	0.36	55.4	2.2
उत्तर प्रदेश	15.19	281.0	430.4
पश्चिम बंगाल	10.25	140.8	106.7
संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान और निकोबार	0.11	4.3	0.2
चण्डीगढ़	0.88	13.8	6.5
दादर और नगर हवेली	0.02	0.6	0.2
दिल्ली	7.91	229.0	96.0
दमन एवं दीव	0.04	0.8	0.2
लक्षद्वीप	0.00	0.3	0.5
पांडिचेरी	0.47	3.9	3.0

तेल भण्डार निधि

856. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गैर-योजना परिव्यय को पूरा करने के लिए तेल भण्डार निधि से एक बड़ी धनराशि अन्तरित की गई है;

(ख) यदि हां, तो लेखा शीर्षों सहित विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय "तेल भंडार निधि" नामक किसी निधि को प्रशासित नहीं करता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्लाट का आवंटन

857. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चिल्ला गांव के नजदीक मयूर विहार फेज-I एक्सटेंशन में रिवरसाइड स्पोर्ट्स एण्ड रिक्रिएसन क्लब के नजदीक इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन के लिए 340 वर्गमीटर का प्लाट आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को जमीन का टुकड़ा नहीं सौंपने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इलैक्ट्रिक सब स्टेशन को चालू करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डी॰ डी॰ ए॰ ने मयूर विहार फेज-I एक्सटेंशन के निकट चिल्ला ग्राम में रिवर साइड स्पोर्टस एण्ड रिक्रियशनल क्लब के पास डेसू के छोटे बिजली घर के लिए अभी कोई जमीन आवंटित नहीं की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अपराह्न 12.01 बजे

अन्तर्राज्य परिषद् (संशोधन) आदेश, 1996

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की ओर से संविधान के अनुच्छेद 263 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी अन्तर-राज्य परिषद् (संशोधन) आदेश 1996 जो 26 दिसम्बर 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 902(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1372/97]

वर्ष 1995-96 के लिए कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सैंटर, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1373/97]

(2) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1374/97]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1375/97]

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1376/97]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए हुए समझौता ज्ञापन इत्यादि।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० यू० वेंकटस्वरलू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1377/97]

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1378/97]

(3) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1379/97]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1996 जो 14 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 554 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1996 जो 14 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 555 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 587 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1996 जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 590(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1380/97]

जम्मू-कश्मीर उद्यान-कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित खाते तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जम्मू-कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1381/97]

पैराफिन वैक्स (आपूर्ति, वितरण और मूल्य नियतन) आदेश 1997

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफिन वैक्स (आपूर्ति, वितरण और कीमत नियतन) आदेश, 1997 जो 9 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 26 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1382/97]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

पाँचवा प्रतिवेदन

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 $\frac{1}{4}$ बजे

कृषि सम्बन्धी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना के बारे में अड़तीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 $\frac{1}{2}$ बजे

गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं "पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की स्थिति" के बारे में गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.02 $\frac{3}{4}$ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 25 फरवरी, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि यह सभा 25 फरवरी, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आपने महिला विधेयक को कार्य सूची में क्यों नहीं शामिल किया ?

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महिला विधेयक कहां है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाएं समझता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद, लेकिन सरकार को भी उन्हें समझना चाहिए।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या आप अपनी समझ उन तक पहुंचा सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा।

इससे पहले कि मैं रेल मंत्री जी से बजट प्रस्तुत करने को कहूं हमें ऐसे दो प्रस्तावों के नोटिस निपटाने हैं जिन पर हमने पिछले दिनों चर्चा की थी। मैं उन पर केवल अपनी विनिर्णय दूंगा।

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04 बजे

(एक) बोफोर्स तोप सौदे के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए संसदीय समिति के गठन हेतु नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचना की ग्राहयता के मुद्दे के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : 24 फरवरी, 1997 को श्री जसवन्त सिंह संसद सदस्य ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 184 के अन्तर्गत स्विस अधिकारियों से प्राप्त दस्तावेजों के सभी पहलुओं की जांच करने और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक समिति गठित करने के लिए प्रस्ताव की सूचना दी। श्री जसवन्त सिंह द्वारा दिए गए प्रस्ताव की ग्राहयता के प्रश्न तथा एक और संसदीय समिति के गठन की व्याप्ति पर कल (25-2-1997) शून्यकाल में चर्चा की गई थी। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त बहुमूल्य विचारों और सरकार की ओर से विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री रमाकान्त डी॰ खलप द्वारा व्यक्त सरकार के मत को सुना।

भारत सरकार द्वारा स्विस अधिकारियों को दिए गए परिवचनों का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने निम्नलिखित कहा—

"कई अन्य जांच भी चल रही हैं और दो प्रभुत्व संपन्न देशों के बीच सत्यनिष्ठ परिवचन हैं। यदि आज हम स्विस अधिकारियों को किए गए परिवचनों का उल्लंघन करते हैं तो हम किस मुंह से पुनः उनके पास जाएंगे तथा और दस्तावेज मांगेंगे ?"

इस सम्बन्ध में लगाई गई शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री महोदय ने कहा—

"प्रेषित दस्तावेज और इसमें अन्तर्विष्ट सूचना का उपयोग अन्वेषण के प्रयोजनों अथवा साक्ष्य के रूप में सामान्य आपराधिक कृत्य के संबंध

[अध्यक्ष महोदय]

में मात्र अभियोजन के हित में किया जाए। इस दस्तावेज तथा इसमें दी गई सूचना का कोई अन्य उपयोग पुलिस मामलों के संघीय कार्यालय के स्पष्ट तथा पूर्व प्राधिकार में अध्यधीन होगा।

मंत्री जी ने आगे कहा—

"इसलिए इस बात का पूर्वाभास करते हुए कि ऐसा प्रश्न यहां उठाया जाएगा, हमने स्विस अधिकारियों से पूछा कि क्या वे इन पत्रों को सार्वजनिक करने की अनुमति देंगे। कल रात हमें उनसे एक फैक्स संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि वे इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं।"

यह पूछे जाने पर कि क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इन नामों को प्रकट किया था, विधि मंत्री ने कहा—

"इस बारे में बहुत अटकलें लाई जा रही थीं। समाचार पत्रों में कई बातें प्रकाशित हो रही थीं . . . . अत: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने देश को यह बताना उचित समझा कि उन्हें यही सब नाम प्राप्त हुए हैं।"

उन नामों को प्रकट करने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा—

"वे सब के सामने हैं।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का सम्मान करने और मंत्री द्वारा उल्लिखित प्रतिबंधिता का पालन करने में जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही संसद की भी है। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने असंगत रवैया क्यों अपनाया और नामों को बताना उचित समझा जिससे अब लगता है कि संसद जानने की हकदार नहीं है। इसलिए सरकार को इस मामलों को गम्भीरता से देखना चाहिए और सभा को इस संबंध में की जाने वाली उचित कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

आपको याद होगा कि 1987 में बोफोर्स सौदे की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। समिति की पचास बैठकें हुईं और विचार-विमर्श में 140.25 घंटे लगे थे। समिति का प्रतिवेदन 26 अप्रैल, 1988 को प्रस्तुत किया गया था। सभा में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर 4 और 5 मई 1988 को विचार हुआ था। इसके अलावा, बोफोर्स मामले पर आठवीं और नौवीं लोकसभा में लगभग 60 घंटे तक किसी न किसी रूप में चर्चा हुई थी।

मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् मेरा मत है कि एक अन्य संसदीय समिति गठित करने से प्रयोजन हल नहीं होगा। इसलिए मैं यह सूचना स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

(दो) उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के संबंध में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचना की ग्राहयता के मुद्दे के बारे में :—

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 184 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए वापस बुलाने हेतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जसवन्त सिंह और श्रीमती सुषमा स्वराज, संसद सदस्यों से प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मुझे नियम 184 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने में उनकी विफलता के कारण वापस बुलाने हेतु भी सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, जसवन्त सिंह, राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्रीमती सुषमा स्वराज के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

राज्यपाल को वापस बुलाने के संबंध में सूचनाओं के पहले सेट का आशय यह है कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सरकार गठित करने के लिए समुचित कदम उठाने में विफल रहे हैं जिसके कारण उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले सत्र के दौरान भी कई सदस्यों ने इस मामले के सभा में उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी थीं। मैंने 27 नवम्बर, 1996 को सूचनाओं पर अपनी स्वीकृति इस आधार पर रोक दी थी कि मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित है।

वर्तमान में यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि मामला देश के सबसे बड़े न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में कई जटिल कानूनी मुद्दों की व्याख्या की जानी है जिनपर न्यायालय को अभी अपना अंतिम निर्णय देना है।

इसके मद्देनजर, नियम 184 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के आधार पर दिए गए प्रस्ताव की सूचनाओं को स्वीकृत करने का अनिच्छुक हूं।

सूचनाओं का दूसरा सेट मुख्यत: इस तर्क पर आधारित है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति राज्यपाल को वापस बुलाने हेतु पर्याप्त है।

गृह मंत्रालय ने जिसे तथ्यात्मक नोट भेजने के लिए नोटिस की प्रतिमां भेजी गई थीं उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी भेजी है। टिप्पणी में राज्य में पिछले पांच वर्षों के विभिन्न अपराधों का ब्यौरा देते हुए कहा गया है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। हालांकि, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि "यह सच है कि हाल ही में अपहरण और हत्या के कुछ सनसनीखेज मामले हुए हैं।"

यह मामला 24 फरवरी, 1997 को भी सभा में उठाया गया था। लगभग सभी सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था, का विचार था कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। गृह मंत्री ने सभा में यह स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश "अराजकता, अव्यवस्था और विनाश की ओर बढ़ रहा है"। यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में देश के गृह मंत्री का यह विचार है तो मेरा विचार है कि सदस्यों द्वारा इस बारे में चर्चा की मांग न्यायोचित है।

प्रश्न यह है कि क्या चर्चा आवश्यक रूप से नियम 184 के अधीन की जानी चाहिए। इस संदर्भ में माननीय सदस्यों को याद होगा कि दि० 25 फरवरी, 1997 को तारांकित प्रश्न सं० 43 के पूरक प्रश्नों का

उत्तर देते समय गृह मंत्री ने कहा था कि "जहां कहीं भी कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान कार्य करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति गठित की जाती है। दुर्भाग्यवश, उत्तर प्रदेश के मामले में इस तरह की समिति अभी तक गठित नहीं की गई है क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी और कानूनी बाधा है। हम उसे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सलाहकार समिति का गठन किया जा सके।"

मामले के समूचे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिसमें माननीय गृह मंत्री द्वारा दिया गया उपरोक्त आश्वासन और उनकी राज्य के लिए स्वाभाविक और स्पष्ट चिन्ता भी सम्मिलित है और उत्तर प्रदेश का बजट पारित करते समय सदस्यों को जो अवसर उपलब्ध होंगे, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि नियम 193 के अन्तर्गत विस्तृत चर्चा पर्याप्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि नियम 193 के अंतर्गत एक अल्पकालिक चर्चा को स्वीकार किया जाए और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत उत्तर प्रदेश के सांसदों की एक सलाहकार समिति गठित की जाए जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों के असली प्रतिनिधि हैं ताकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा समझी गई वास्तविक यथार्थता से पूरी तरह से सूचित किया जा सके।

अपराह्न 12.14 बजे

बजट रेल, 1997-98

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 15-रेल बजट

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, रेल बजट पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने एक नोटिस भी दिया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यादव जी आज शून्य काल नहीं है। आज रेल बजट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, क्या आप अपने सदस्यों को समझा सकते हैं कि आज कोई शून्य काल नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी से मुझे यह आशा नहीं थी।

श्री राम नाईक : महोदय, रेल बजट 24 फरवरी को प्रस्तुत किया जाना था। अब इसे आज प्रस्तुत किया जा रहा है। गाड़ियों की तरह, रेल बजट प्रस्तुत करने के दो दिन का विलम्ब किया गया है और मंत्री महोदय ने कहा है कि मुद्रण में विलम्ब हुआ है।

मेरी आपत्ति यह है—हमने कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पारित कर दिया है—हमने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया था कि हम 1996-97 की अनुदानों की पूरक मांगों पर चर्चा करेंगे। आज दी गई कार्य-सूची में रेल बजट को प्रस्तुत करना और 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें शामिल हैं। लेकिन कार्य-सूची में 1996-97 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में उल्लेख नहीं है।

महोदय, आपको मालूम है कि यदि हमने रेल बजट या अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में कोई कटौती प्रस्ताव दिया है तो हमें कटौती प्रस्तावों की सूचना देने के लिए दो दिनों की आवश्यकता होती है और यदि अनुपूरक मांगें प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं तो हमारे पास दो दिनों का पर्याप्त समय नहीं होगा क्योंकि यह पहले ही तय हो चुका है कि रेल बजट पर चर्चा 3 मार्च से शुरू होगी। अब इस सप्ताह में दो दिन शेष हैं और यदि आज अनुपूरक मांगें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो हम अनुपूरक मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव कैसे भेज सकते हैं। उस दृष्टि से ये अनुपूरक मांगें आज ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्योंकि ये मांगें आज प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं। इसलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मुझे आशा है कि आप इस दृष्टिकोण को समझेंगे और फिर निर्णय लेंगे। लेकिन इसे इस तरह किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की बात ठीक है क्योंकि कार्य-सूची में यह उल्लेख है कि इन सब पर चर्चा 3, 4 और 5 मार्च को की जाएगी। मेरे पास प्राप्त सूचना के अनुसार, पूरक रेल बजट 4 मार्च को ही प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए यह तकनीकी कठिनाई सामने आएगी। मेरा विचार है कि अगली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक इसका समाधान ढूंढ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का क्या होगा ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी आप मत बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेल मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ें।

अपराह्न 12.18 बजे

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमान और 1997-98 के बजट अनुमान पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इसके पहले कि मैं चालू वर्ष के दौरान किए गए कामों की समीक्षा करूं, मैं सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि 1996-97 का रेज बजट

[श्री राम विलास पासवान]

पेश करते समय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम रेलवे को न सिर्फ व्यावसायिक संगठन के रूप में देखना चाहते हैं बल्कि रेलवे को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक कारगर, लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में भी देखना चाहते हैं।

आज़ादी के पचास वर्षों के बाद भी चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्य त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम, पूरी तरह रेलवे लाइन से अछूता है। उसी तरह भारत के नग कश्मीर में भी रेलवे लाइन नहीं है। नेपाल से सटा बिहार का इलाका और उत्तराखंड रेलवे के मामले में बिलकुल पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि जब तक हम रेल लाइन का मापदंड आर्थिक लाभ रखें, मेरी राय से, पिछड़े क्षेत्रों में कभी रेलवे लाइन का विकास संभव नहीं होगा और रेलवे लाइन का विकास नहीं होगा तो वह इलाका हमेशा के लिए पिछड़ा रहेगा।

इस दृष्टि को ध्यान में रखकर हमने पिछले करीब 9 माह के शासन में जहां जम्मू कश्मीर राज्य में उधमपुर से बारामूला तक रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुमारघाट से अगरतला, लमडिंग से सिलचर, हरमुटी से ईटानगर और ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील के निकट पुल बनाने का भी निर्णय लिया। हम इन योजनाओं को पूरा करने हेतु यथोचित राशि भी नहीं रख रहे हैं। पहली बार नई लाइन के मद पर 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 220 करोड़ रुपए रखा था और जो आज तक सबसे ज्यादा रुपया है। अकेले उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल के विकास एवं रेल विस्तार हेतु 300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है। जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन के विस्तार हेतु इस वर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है। इसी प्रकार हमने विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए इलाकों के लिए अधिक से अधिक धनराशि रखी है जिसका विस्तार से ब्यौरा पिंक बुक में प्रदर्शित किया गया है।

जहां हमने पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तरफ इस बजट में जोर दिया है, वहीं पर हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि रेलों की माल ढोने और यात्री यातायात की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और आवश्यकता के अनुरूप हम इसका उत्पादन कर सकें। इसी उद्देश्य को देखते हुए जहां 1995-96 में रोलिंग स्टाक के लिए 2900 करोड़ रुपए रखे थे, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हमने इस मद में इस साल 4100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। 1997-98 में हमने 26000 वैगन, 2000 से अधिक सवारी डिब्बे और 300 से अधिक इंजनों के खरीदने के लिए आवश्यक राशि आवंटित कर दी है और इससे हमें पूरी आशा है कि यातायात की क्षमता के संबंध में रेल राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अपना पूरा दायित्व निभाएगी।

मैं सदन की अनुमति से यह बताना चाहूंगा कि रेल मंत्री की हैसियत से मुझे किन विषम परिस्थितियों में रेल बजट पेश करना पड़ रहा है। रेलवे में 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जो केन्द्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत है। एक तरफ जहां पांचवें वेतन आयोग के कारण करीब 3500 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व राजस्व खर्चे में वृद्धि होने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर, माननीय संसद सदस्यों द्वारा लगातार रेलवे लाइन की विकास एवं विस्तार की मांग हो रही है। यदि रेलवे पर 385 करोड़ का अतिरिक्त भार एकाएक नहीं आता तो मैं दावे के साथ कठिनाइयों के बावजूद माननीय सदस्यों की इच्छा एवं विकास की गति तीव्र गति से आगे ले जाता। रेल मंत्री की हैसियत से मैंने वित्त मंत्री, योजना आयोग एवं प्रधानमंत्री जी से बजटीय समर्थन बढ़ाने की पुरजोर मांग करी थी। मैं प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया, बल्कि वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद बजटीय समर्थन में वृद्धि भी करी। मैं वित्त मंत्री की मजबूरी को भी महसूस करता हूं कि इसके बावजूद भी उन्होंने 1831 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन दिया है, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भविष्य में रेल मंत्रालय को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेंगे जिससे विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

सदन को बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आज भारतीय रेल विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहा है। जहां दूसरे विकसित मुल्कों में माल ढोने एवं सवारी यात्रियों के लिए अलग-अलग रेलवे लाइन हैं वहीं भारत में, अपवाद को छोड़कर, एक ही लाइन पर माल, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट सभी तरह की गाड़ियां चलती हैं। करीब 62000 रूट किलोमीटर और एक लाख 7 हजार ट्रैक किलोमीटर में रेलवे लाइन फैली है। 10 प्रतिशत रेलपथ के नवीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 20,000 वैगन, 2000 यात्री डिब्बे और बहुत से इंजनों को पुराने होने के कारण बदलना पड़ता है। 24,554 रेलवे समपार बिना चौकीदार के हैं। यदि हम इन सबको ठीक करना चाहें तो वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए यह रेलवे की क्षमता से बाहर है। लेकिन, सीमित साधनों में जितना संभव है हम कर रहे हैं और मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि विश्व के रेल जगत में केवल भारतीय रेल है जो घाटे में नहीं चल रही है और सारे खर्च के बावजूद प्रतिवर्ष रेलवे मुनाफा कमाती है और अपने संसाधनों का इस्तेमाल रेलवे के विकास के लिए करती है।

यातायात निष्पादन-1996-97

1995-1996 में भारतीय रेल ने 29 करोड़ टन राजस्व उपार्जक माल लादा था और 1996-97 के लिए लक्ष्य 41 करोड़ टन का रखा था। व्यस्त काल में माल भाड़े की मांग की कमी के बावजूद पूरी आशा है कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे।

वित्तीय परिणाम 1996-97

चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलों का वित्तीय निष्पादन संतोषजनक रहा है। बजट अनुमानों में दर्शाए गए 1916 करोड़ रुपए के "आधिक्य" को अब बढ़ा करके 2241 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वार्षिक योजना जो पहले 8130 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, सामान्य कोष से 170 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता का अनुदान मिलने पर संशोधित करके 8300 करोड़ रुपए कर दी गई थी। पिछले वर्ष प्रारंभ की गई 'बोल्ट' और 'ओन योर वैगन' योजनाओं द्वारा निजी क्षेत्र

से निवेश का आह्वान किया गया था। पिछले साल में जहां बोल्ट योजना निराशाजनक रही, वहीं 'ओन योर वैगन' स्कीम में निजी क्षेत्र का पूंजीनिवेश काफी उत्साहजनक रहा है। इस वर्ष 'बोल्ट' और 'ओन योर वैगन' स्कीम से लगभग 530 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इस वर्ष अब तक भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और पूरे वर्ष में 1850 करोड़ रुपए के लक्ष्य से भी अधिक रुपए दिए जाने की संभावना है।

यातायात संभावनाएं 1997-98

1997-98 में, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है, रेलों के लिए 43 करोड़ टन राजस्व उपार्जक माल यातायात के लदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 1996-97 के लदान के लक्ष्य से 2 करोड़ टन अधिक है। हमें आशा है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में उछाल का दौर तेज होगा और हम इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब होंगे।

1996-97 में यात्री यातायात में अच्छी वृद्धि हुई है और आशा की जाती है कि 1997-98 के 3% अधिक के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

यात्री सुविधाएं

मैं माननीय सदस्यों को रेल उपभोक्ताओं के हित में रेल द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यात्री टिकटों के आरक्षण के कंप्यूटरीकरण का प्रोग्राम रेलों पर कई वर्षों से जारी है। यात्री टिकटों के कंप्यूटरीकरण की सराहना जन साधारण और इस माननीय सदन द्वारा की गई है। 1995-96 तक यह सेवा 271 स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई थी। मार्च 1997 तक यह सेवा 300 से अधिक स्थानों पर उपलब्ध हो जाएगी। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे कई जगहों पर भी, जो रेल से नहीं जुड़े हैं जैसे कि श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर, पणजी, शिलांग, अगरतला, इम्फाल और गंगटोक में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। आइजोल, ईटानगर और कोहिमा में भी यह सुविधा उपलब्ध कर दी गई है जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। इन स्थानों के लोगों ने इस सुविधा को बहुत ही सराहा है।

विभिन्न स्थानों से अब यह मांग होने लगी है कि सभी स्थानों पर वापसी के आरक्षण की भी सुविधा होनी चाहिए। ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए रेलों पर एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह का सॉफ्टवेयर नई दिल्ली और सिंकदराबाद पर चालू किया जा चुका है और इन दोनों स्थानों को मिलाने के प्रयास जारी हैं। इस प्रणाली को मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई तक ले जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछली बार मैंने सदन में आश्वासन दिया था कि जन सुविधा को देखते हुए लंबी दूरी की गाड़ियों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यह सुविधा सफलता से लागू की जा चुकी है और मैंने निश्चय किया है कि समस्त राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में यह सुविधा अगले वर्ष तक प्रदान कर दी जाएगी।

यात्री सुविधाएं एवं स्वच्छता, खानपान तथा समयपालन पर निगरानी रखने के लिए मंत्रालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी कक्ष स्थापित किए गए हैं।

अपने पिछले बजट भाषण में मैंने घोषणा की थी कि उन सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनमें रात्रिकालीन यात्रा होती है, वातानुकूल 2 टियर/वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बों की चरणबद्ध रूप से व्यवस्था की जाएगी। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अक्तूबर 1996 तक ऐसी 15 जोड़ी गाड़ियों में वातानुकूल 2 टियर सेवा की व्यवस्था कर दी गई है और आगे वातानुकूल यात्री डिब्बों की प्राप्ति के पश्चात यह सेवा और गाड़ियों में भी बढ़ाई जाएगी। इस समय सभी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों और 51 जोड़ी अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बे चलाए जा रहे हैं।

मैंने पिछले बजट में यह आश्वासन दिया था कि मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के अनारक्षित डिब्बे अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष अनेक गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बे लगाए गए और आगे यह प्रयास और भी तेज़ किया जाएगा।

जन शिकायतें

भारत में प्रतिदिन 7500 रेलगाड़ियां चलती हैं जिसमें एक करोड़ 10 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। इन यात्रियों की सेवा हेतु रेलवे के 16 लाख कर्मचारी दिन-रात कार्यरत रहते हैं। स्वाभाविक है कि सारे प्रयासों के बावजूद शिकायतें आती रहती हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए जहां जोनल स्तर पर जन शिकायत सैल-कार्य कर रहे हैं वहीं बोर्ड स्तर पर भी पूरी निगरानी की जाती है। मैंने रेल मंत्री बनने के साथ ही अपने अधीन भी एक शिकायत-सैल का गठन किया है जो लगातार जांच कर उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। जहां-जहां शिकायतें आई हैं, उस संबंध में अविलंब और ठोस कार्रवाई की गई है।

खानपान सेवाएं

यात्रियों के लिए खानपान में सारे प्रयासों के बावजूद शिकायतें आती रहती हैं। इस संबंध में, काफी जगहों पर रेल कर्मचारियों एवं प्राइवेट ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है लेकिन फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। खानपान सुधारने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। खानपान सेवाओं में सुधार लाने के लिए न सिर्फ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि डिग्री/डिप्लोमा होल्डर कर्मचारियों की भर्ती भी की जा रही है।

चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित 6 नई गाड़ियों में पैन्ट्री कार सेवाएं शुरू की गई हैं :—

(i) 2309/2310 नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस।

(ii) 8001/8002 हवड़ा-मुंबई मेल

(iii) 2633/2634 हज़रत निज़ामुद्दीन-चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस।

(iv) 9767/9768 जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस।

[श्री राम विलास पासवान]

(v) 8561/8562 काज़ीपेट-विशाखापट्टनम-काज़ीपेट लिंक एक्सप्रेस

(vi) 9769/9770 जयपुर-पूर्णा-जयपुर एक्सप्रेस

छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से फिरोज़पुर जाने वाले पंजाब मेल, निज़ामुद्दीन से विशाखापट्टनम जाने वाली समता एक्सप्रेस और बोकारो-एलेप्पी एक्सप्रेस जैसी कुछ अन्य गाड़ियों में भी पैन्ट्री कार सेवाएं शुरू करने का निश्चय किया गया है।

संरक्षा

रेलवे की दुर्घटना रेल मंत्री के लिए सबसे कष्टदायक होती है। कुछेक दुर्घटनाएं रेलवे के बलबूते के बाहर हैं जिसमें तोड़-फोड़, बम विस्फोट एवं उग्रवादी कार्रवाइयां शामिल हैं। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए रेल सुरक्षा बल चाह कर के भी कानून और व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस संबंध में हमने सितम्बर माह में विभिन्न राज्यों के पुलिस महा निदेशकों, रेल सुरक्षा बल के महा निदेशक एवं रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ 2 दिन तक गहन रूप से विचार विमर्श किया है। हमने संबंधित राज्य सरकारों को पत्र लिखकर भी अपेक्षित सहयोग की मांग की है और हमें पूरा विश्वास है कि विभिन्न राज्य सरकारें इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगी।

जहां तक दुर्घटनाओं में रेल यात्री मृतकों का सवाल है, जून 95 से जनवरी 96 की तुलना में 360 की संख्या के खिलाफ जून 96 से अब तक 3 की संख्या है डिरेलमेंट्स की संख्या में तुलनात्मक कमी आई है पर यह कोई संतोष की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, गाड़ी परिचालन में संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इस दिशा में सुधार करने की एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष के दौरान जनवरी तक 306 दुर्घटनाएं हुईं जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 313 दुर्घटनाएं हुई थीं।

तोड़-फोड़ कई गंभीर दुर्घटनाओं का कारण रही है। 30.12.96 को असम में कोकराझार और फकीराग्राम के बीच हुए बम विस्फोट के परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र मेल पटरी से उतर गई और 33 लोगों की जानें चली गई। 2 दिसंबर, 1996 को अम्बाला कैंट पर झेलम एक्सप्रेस में बम विस्फोट के कारण 10 यात्रियों की मृत्यु हुई। वर्ष के दौरान जनवरी, 1997 तक तोड़-फोड़ की 12 घटनाएं हुई। हमने ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए राज्य सरकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने तथा सुरक्षा प्रबंध और कड़े करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्थन (डिंडीगुल) : डिंडीगुल की क्या स्थिति है ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : वहां सब ठीक है। कृपया इंतजार करें। ...*(व्यवधान)* मैं पूर्व की दुर्घटनाओं के बारे में कह रहा हूं। पीछे उग्रवादी कार्यवाहियों के कारण जो दुर्घटनाएं हुई हैं, बम-ब्लास्ट हुए हैं, जैसे अम्बाला में हुआ, कोकराझार में हुआ, उन दुर्घटनाओं के बारे में मैंने कहा है। ऐसी 12 दुर्घटनाएं हुई हैं।

चिंता का अन्य क्षेत्र, सड़क वाहनो की अंधा-धुंध और लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग के कारण समपारों पर दुर्घटनाएं, रहा है। जनवरी, 1997 तक ऐसी 43 दुर्घटनाएं हुई। सड़क वाहन ड्राइवरों को लाइसेंस देते समय राज्य सरकारों द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 1997-98

1997-98 के लिए 8300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना निर्धारित की गई है। 1997-98 के लिए बजटीय सहायता 1831 करोड़ रुपए होगी जो 1996-97 की बजटीय सहायता से लगभग 400 करोड़ रुपए अधिक होगी। इस राशि को बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा है कि भविष्य में यह राशि और बढ़ाई जाएगी। रेलों द्वारा आंतरिक संसाधनों के रूप में 3419 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और शेष 3050 करोड़ रुपए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बांड जारी करके तथा बोल्ड एवं ओन योर वैगन स्कीम के तहत निजी निवेश द्वारा जुटाए जाएंगे।

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष चल स्टाक की संख्या में वृद्धि करने, दोहरीकरण रेलपथ नवीकरण, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण और नई रेल लाइनों की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नई लाइनें, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन आदि की परियोजनाओं की प्रगति

नई लाइनें

चालू वर्ष के दौरान हमने ब्यास-गोइंदवाल नई लाइन, छितौनी-बगहा और करंजली-निश्चिंतपुर लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

देश के सभी भागों के माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों द्वारा नई लाइन परियोजनाएं शुरू करने के लिए पुरजोर मांगें की जाती रही हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारी सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता देने का नीतिगत निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसरण में, हमने पूरक बजट 96-97 में कुछ नई लाइनों के निर्माण को इस शर्त के साथ शामिल किया था कि आवश्यक मंजूरी मिल जाने पर इन कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से अधिकांश निर्माण कार्यों को शुरू किए जाने की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त हो गई है जिनमें हरमूटी-ईटानगर, श्रवणबेलगोला के रास्ते हसन से बैंगलूर तक, खगड़िया से कुशेश्वरधाम तक और हुबली से अंकोला तक तथा लोहारडांगा से टोरी तक नई लाइन के निर्माण की परियोजना शामिल हैं। करूर-सेलम नई लाइन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसके मिल जाने के बाद इस परियोजना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

पिछला बजट पेश करते समय, मैंने यह संकेत दिया था कि सरकार ने डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल तथा पटना में 'गंगा पुल' के निर्माण का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी ने इन निर्माण कार्यों की आधार शिलाएं रख दी हैं और भूमि अधिग्रहण का

कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त परिव्यय रखकर अब इन कार्यों को बजट में शामिल किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बोगीबील पुल की लागत में अन्य सरकारों की हिस्सेदारी भी शामिल है क्योंकि यह पुल रेल-एवं-सड़क पुल होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल लाइन से जोड़ने की हमारी नीति के अनुसरण में, हमने कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन के निर्माण कार्य को 96-97 के बजट में और हरमूटी-ईटानगर तक नई लाइन के निर्माण कार्य को पूरक बजट में शामिल किया था। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि मैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल तक बड़ी लाइन के पहले चरण में दीफू-करोंग नई रेल लाइन के कार्य को इस बजट में शामिल कर रहा हूं। आवश्यक मंजूरी मिल जाने पर इस लाइन के कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। मैंने भैराबी से साइरांग तक के सर्वेक्षण को अद्यतन करने के भी आदेश दिए हैं ताकि आने वाले वर्षों में मिजोरम की राजधानी को रेल लाइन से जोड़ने के लिए साइरांग/आइजोल तक नई लाइन का काम शुरू किया जा सके।

दोसा-गंगापुर सिटी और अहमदनगर-बीड-परली बैजनाथ नई लाइन परियोजनाओं के लिए जो पहले ही बजट में शामिल थीं, आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं। हम आगामी वित्त वर्ष में इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर देंगे।

मैंने माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त नई लाइन की परियोजनाओं की सभी मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और पिछड़े क्षेत्रों में रेल अवसंरचना का विकास करने की हमारी सरकार की नीति के अनुसरण में, खजुराहो के रास्ते ललितपुर से सतना और रीवां से सिंगरौली. बारामती से लौनाद और कोपरगांव से शिर्डी, तरनतारन से गोइंदवाल और चंडीगढ़ से लुधियाना, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और आरा से सासाराम, गिरिडीह-बरकाकाना-रांची लाइन के पहले चरण के रूप में गिरिडीह से कोडरमा तक, मुनीराबाद से महबूबनगर और बेंगलूरु से सत्यमंगलम तक, पुत्तपार्ति के रास्ते धर्मावरम से पेनुकोंडा तक और अंगामाली से सबरीमाला तक नई लाइनों के निर्माण को 1997-98 के बजट में नए कार्यों के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। अपेक्षित मंजूरियां प्राप्त हो जाने के बाद इन कामों को शुरू कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. सैल्वारासु (नागापट्टीनम) : तिरुचि-नागोर के लिए आप क्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : खजुराहो को रेल से जोड़ने के प्रस्ताव के लिए मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूं।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, आप धन्यवाद दे रही हैं, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

विश्रामपुर से अम्बिकापुर तक नई लाइन के निर्माण के लिए निरंतर मांग की जाती रही है। इस परियोजना को योजना आयोग के पास भेजा गया था, जिसने इस लाइन का काम शुरू करने के लिए अपनी सहमति नहीं जताई है। बहरहाल, इस क्षेत्र के माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर सर्वेक्षणों को अद्यतन कराया जा रहा है और सर्वेक्षण के नतीजे तय करने के बाद इसे पुनः योजना आयोग के पास भेजा जाएगा।

तालचेर-सुखिंदा रोड, बीदर-गुलबर्गा और गडवाल से रायचूर नई लाइनों के लिए भी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त की जा रही हैं जिनके मिल जाने के बाद मैं इन कार्यों को शुरू करने के लिए सदन की स्वीकृति के लिए उपस्थित होऊंगा।

मैं उत्तराखंड क्षेत्र में रेल अवसंरचना का विकास करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सचेत हूं। इसे ध्यान में रखते हुए सहारनपुर-देहरादून और ऋषिकेष-कर्णप्रयाग नई लाइनों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने के बाद मैं आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करूंगा और सदन के सामने उपस्थित होऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अभी तो काफी लम्बा भाषण है।

[हिन्दी]

अब मैं पहले से चल रही परियोजनाओं की प्रगति की तरफ आता हूं, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तालचेर-संबलपुर, दैतारी-बांसपानी, जम्मू-ऊधमपुर और गुना-इटावा परियोजनाओं के काम में अच्छी प्रगति हो रही है। तालचेर-संबलपुर का काम 97-98 में पूरा करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। अन्य तीन परियोजनाएं दिसंबर, 1999 तक पूरी हो जाएंगी।

सरकार ने ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला लाइन के कार्य के पहले चरण के रूप में ऊधमपुर और कटरा के लिए चालू वर्ष में 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और 1997-98 में इस लाइन के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हम इस परियोजना के काम में तेजी लाने के सभी प्रयास करेंगे।

आमान परिवर्तन

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक आमान परियोजना में उत्कृष्ट प्रगति हो रही है और रेल विकास योजना में आमान परिवर्तन का काम एक प्राथमिकता वाला काम बना हुआ है। हमने इस वर्ष वडसा-नागबीर, अर्सीकेरे-हासन, होसूर-सेलम, मऊ-शाहगंज और मेहसाणा-मारवाड़-अजमेर के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया है। हमें आशा है कि मार्च के अंत तक हासन-होलेनरसीरपुर, गुंतकल-नांदयाल, सगौली-नरकटियागंज, कैसल रॉक-वास्को और दीमापुर से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से लेखापानी तक की लाइनें खोल दी जाएंगी।

[श्री राम विलास पासवान]

हम बंगारपेट-कोलार लाइन का काम भी पूरा कर लेंगे। आठवीं योजना में हम कुल 6900 कि॰ मी॰ का आमान परिवर्तन करेंगे जो 6000 कि॰ मी॰ के लक्ष्य से काफी अधिक होगा।

आमान परिवर्तन की चल रही परियोजनाओं के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है और हमें आशा है कि 1997-98 में निम्नलिखित खंडों का कार्य पूरा हो जाएगा। :—

(i) जोधपुर-मारवाड़

(ii) होतगी-बीजापुर

(iii) नागबीर-चांदाफोर्ट

(iv) महबूब नगर-द्रोणाचलम

(v) मैसूर-होलेनरसीपुर

(vi) चेन्नई-त्रिची

(vii) नरकटियागंज-बाल्मीकिनगर ...*(व्यवधान)*

(viii) मरियानी-फरकेटिंग लूप

(ix) हाजीपुर-बछवाड़ा

(x) त्रिची-तंजाउर

(xi) हासन-सकलेशपुर

(xii) सिमलगुड़ी-मोरनहाट ...*(व्यवधान)*

इनकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर से अधिक होगी।

कुछ अन्य परियोजनाओं पर भी काम में अच्छी प्रगति हो रही है और हमें आशा है कि अगले वित्त वर्ष के मध्य तक काटपडी-तिरुपति और गोरखपुर-छितौनी का काम पूरा हो जाएगा। मानसी-फारबिसगंज आमान परिवर्तन परियोजना का क्षेत्र कटिहार तक बढ़ाया जाएगा।

नई आमान परिवर्तन परियोजनाओं का काम शुरू करने के लिए निरंतर मांग की जाती रही है। पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता देने की इस सरकार की नीति तथा बड़े आमान के रेल संपर्कों की व्यवस्था करने और वैकल्पिक मार्गों का विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने 1996-97 की पूरक मांगों में बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया, अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ व रांची-लोहारडांगा और सुरेन्द्रनगर-भावनगर-धोला-ढासा-पीपावाव तक विस्तार सहित महुआ के आमान परिवर्तन के काम को शामिल किया गया था। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से तीन परियोजनाओं, अर्थात् बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया, रांची-लोहारडांगा और अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ के संबंध में कार्य शुरू करने के वास्ते अपेक्षित मंजूरियां प्राप्त हो गई हैं।

डॉ॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : मंत्री जी, उदयपुर के बारे में भी तो बताइए ?

श्री राम विलास पासवान : आप इम्पेशेंट मत होइए, पहले नए प्रोजैक्ट्स के बारे में सुनिए तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया सुनिए। इन परियोजनाओं पर पहले से काम चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

आप के लिए बेहतर होगा कि आप अनुवाद सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मेरी बात धैर्य से सुनें। इन परियोजनाओं पर पहले से ही कार्य चल रहा है। ये नई परियोजनाएं नहीं हैं। इन परियोजनाओं पर पहले से ही कार्य चल रहा है। आप मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते ? ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय को अपना भाषण समाप्त करने दें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते ? पहले आप मेरी बात सुनें। मुझे मेरा भाषण समाप्त करने दें। तत्पश्चात् यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)* श्री बालू, आप अपने सहयोगियों से मेरी बात सुनने को क्यों नहीं कहते ? ...*(व्यवधान)*

हमने 1997-98 के बजट में कुछ नई आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शामिल करने का निर्णय भी लिया है। इनमें मुदखेड़-सिकंदराबाद, जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज, समस्तीपुर-खगड़िया, रेवाड़ी-सादुलपुर, मेट्टूपालयम तक विस्तार सहित मैसूर-चामराज नगर, कोल्लम-तिरुनेलवेल्लि-त्रिचंदुर, तेनकासी-विरूदनगर, नौपाड़ा-गुनुपुर, विलुपुरम-पांडिचेरी, कैनाल लूप के आमान परिवर्तन के पहले चरण के रूप में श्रीगंगानगर से सरूपसर, लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव, कानपुर-कासगंज-मथुरा, कासगंज-बरेली और न्यू जलपाइगुड़ी-सिलिगुड़ी-बोंगाईगांव के आमान परिवर्तनों का कार्य शामिल है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मंत्री जी, बांदीकुई आगरा लाईन के बारे में भी कुछ बताइए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : मंत्री जी, इस बजट में हरियाणा का नाम कहीं नहीं है, हरियाणा को आप कैसे भूल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*.

श्री राम विलास पासवान : यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं आगे अपनी बात कहता हूं।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मंत्री जी, सुरेन्द्रनगर और भावनगर लाइन के बारे में लास्ट ईयर भी डिसीजन लिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : इनमें से कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली आमान परिवर्तन परियोजना के लिए अपेक्षित मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं और बजट पास हो जाने के बाद इन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बाकी परियोजनाओं के लिए अद्यतन परियोजना रिपोर्टें

और मंजूरियां प्राप्त करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और इन औपचारिकताओं के पूरा होते ही हम इन पर काब शुरू कर देंगे।

बीकानेर-हिसार के आमान परिवर्तन पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद मैं आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करूंगा।

दोहरीकरण

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बजट में केंगेरी-रामनगरम, रेणिगुंटा-गुडूर, पटना-गया, यशवंतनगर-तुमकुर और गोरखपुर-सहजनवां के दोहरीकरण के काम को बजट में शामिल किया गया है।

चांपा-सरगबुंदिया, रहामा-पारादीप, बिलासपुर-उरकुरा तीसरी लाइन, सरोना-भिलाई तीसरी लाइन, टिटलागढ़-लांजीगढ़ और गोयलकेरा, मनोहरपुर तीसरी लाइन के काम को भी बजट में शामिल कर लिया गया है। इन लाइनों के दोहरीकरण से यातायात का प्रवाह सुगम हो जाएगा और रेलों के कुछ अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले खंडों पर अतिरिक्त ढुलाई क्षमता का सृजन हो जाएगा।

हॉस्पेट-गुंतकल खंड के दोहरीकरण के लिए आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त कर ली गई है और शीघ्र ही इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

शोरनूर-मंगलौर के दोहरीकरण के लिए पिछले बजट भाषण के दौरान कई माननीय सदस्यों ने पुरजोर मांग की थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जून, 1997 तक शोरनूर-मंगलौर के चार ब्लॉक्स के सेक्शन खोल दिए जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

पिछले बजट भाषण में आपने मांग की थी। इस वर्ष शोरनूर-मंगलौर सेक्शन के दोहरीकरण का कार्य जोरों से चल रहा है। हम इसे पूरा करेंगे और जून, 1997 तक चार ब्लॉक सेक्शन खोल जाएंगे। हमने चार ब्लॉक्स के सेक्शन तो खोल दिए हैं।

कार्यशाला का निर्माण

पूर्वोत्तर रेल पर एयर ब्रेक माल डिब्बों के लिए रूटीन ओवरहालिंग के लिए कोई डिपो नहीं है। अतः अनुरक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बरौनी में 25 करोड़ रुपए की लागत पर '250 एयर ब्रेक माल डिब्बे प्रति माह के लिए रूटीन ओवरहालिंग सुविधाओं का सृजन करना प्रस्तावित है।

सर्वेक्षण

माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि 1997-98 के बजट में निम्नलिखित नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएं :—

(क) बडवेल और आत्माकुर और बछरेदीपलेम के रास्ते कडप्पा से नेल्लोर तक

(ख) नागार्जुन सागर के रास्ते नालगोंडा से मछेरला तक

(ग) कुर्नूल से कमलापुरम तक

(घ) कर्मपुडी, वेणुकोंडा, कानीगिरि के रास्ते नाडिकुडि और श्रीकालाहस्ती

(ङ) भद्राचलम रोड से विशाखापत्तनम

(च) काकीनाडा से पीठापुरम

(छ) पत्तनचेरू से आदिलाबाद

(ज) काचेगुडा और चितयाल

(झ) फतुआ-इस्लामपुर-राजगीर-मानपुर-गया

(ट) रेवाड़ी से रोहतक

(ठ) बीजापुर-अथानी-शेदबल

(ड) बेंगलूरु सिटी-मुदीगेरे-शृंगेरी

(ढ) बेलहोंगल और क्ट्टिूर के रास्ते बेलगाम-धारवाड़

(ण) होलेनरसीपुर, अराकालगुड, मरसेरा के रास्ते मेदीकेरे-चन्नारायापतना

(त) कुन्नानूर के रास्ते कुशलनगर-चन्नारायापतना

(थ) चिनेरी के रास्ते दावणगेरे से भद्रावती तक

(द) गदग-वाडी

(ध) बीदर-गुलबर्गा-होसपेट

(न) न्यू मोइनागुड़ी-माथाबंगा-न्यू कूचबिहार से जोगीगोपा बॉक्सीरहाट के रास्ते

(प) भैराबी-साइरांग/आइजोल नई लाइन के लिए सर्वेक्षण अद्यतन करना

(फ) सिवोक से गंगतोक

(ब) बारपेटा रोड से टीहू

(भ) होशियारपुर से ऊना बी जी

(म) बेदासर और सुजानगढ़ के रास्ते नोखा-सीकर

(य) चुरू से तारानगर

(र) कोलायत-पोखरण-बाड़मेर

(ल) टिंडीवानुम से पांडिचेरी

(व) चोला से बुलंदशहर

(श) बजबज से फाल्टा

(ष) बजबज-नामखाना-फरजेरगंज

(स) कुरसेला-रुपोली-सहरसा

(ह) कोपरिया/सीमरी-बख्तियारपुर-आलमनगर-बिहारीगंज

(क्ष) खलीलाबाद से नौगढ़

(त्र) हसनपुर-बरौनी

(ज्ञ) वइत्री-पूजीथोड के रास्ते नंजनगोड-बडागरा

(कक) त्रिवेणीगंज और रानीगंज के रास्ते सुपौल से अररिया

[श्री राम विलास पासवान]

माननीय सदस्यों ने मोहम्मदी और शाहजहांपुर के रास्ते गोला गोकरननाथ और फर्रुखाबाद के बीच नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण कराने की मांग की है। और उसकी स्वीकृति हमने पहले ही दे दी है। ये वे लाइनें हैं जिनके लिए हम सर्वेक्षण करवाएंगे।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : चतरा-हजारीबाग लाइन का सर्वे भी तो करवा दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं मानीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक सर्वे का सवाल है, जब आप रेल बजट पर अपने विचार रखेंगे, सर्वे का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर है, हम सर्वे करा लेंगे। आप अपने विचार रखें और उसमें चतरा-हजारीबाग लाइन को भी शामिल कर लेंगे।

निम्नलिखित लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं :

(क) बदरपुर-कुमारघाट, कटखल-भैराबी, सिलचर-जीरीबाम, बरायग्राम-दुलाबचेरा

(ख) गोंडा-बहराइच-मैलानी

(ग) काटपाडि-विलुपुरम

(घ) कप्तानगंज-सिवान, थावे-छपरा

(ङ) बरेली-लालकुंआ

निम्नलिखित लाइनों के दोहरीकरण के लिए भी सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं :—

(क) शाहदरा-शामली

(ख) झारसुगुड़ा-टिटलागढ़

(ग) बंजारी के रास्ते देहरी-ओन-ओन से जदुनाथपुर

माननीय सदस्यों के अनुरोध पर जो सर्वेक्षण पिछले दिनों में लिए गए हैं यानि निर्मली-भपतियाई, सिरसा-फतेहाबाद-अग्रोहा-हिसार, पटियाला-समाना-निरवाना, अबोहर-फाज़िल्का, गलगलिया-अरारिया, पानीपत-मेरठ, जम्मू-राजौरी-पुंछ, कायनकुलम-कोटाराकारा-त्रिवेंद्रम, सरदार शहर-हनुमानगढ़, डूंगरपुर-रतलाम बरास्ता बांसवाड़ा, नई लाइनें एवं रेवाड़ी-फुलेरा-लोहारू-झुंझुनू-सीकर, गुनामा-इटावा की बन रही नई लाईन मैनपुरी तक बढ़ाना; पीलीभीत-लखीमपुर-सीतामढ़ी-लखनऊ, गोंडा-गोरखपुर-लूप, सेलम-कुड्डालूर, रतनगढ़-डेगाना, रतलाम-अकोला, खंडवा-पूर्णा आमान परिवर्तन कार्यों के सर्वेक्षण जारी हैं और इनको जल्दी पूरा करने का आदेश मैंने दे दिया है। सर्वेक्षण पूरे हो जाने पर इन कार्यों पर आगे विचार किया जाएगा।

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता और पटना क्षेत्र की मैंटेनेंस सुविधाओं को अनुकूलतम और युक्तिसंगत बनाने और रेल अवसंरचना के एकीकृत विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन

कोंकण रेल परियोजना का 90% कार्य पूरा किया जा चुका है। 760 किमी० लंबी लाइन में से रोहा से सावंतवाड़ी (364 कि० मी०) और मंगलौर से कुंदापुरा (100 कि० मी०) तक की लाइन शुरू की जा चुकी है। बाकी बची लंबाई में मिट्टी और पुलों से संबंधित सारा कार्य समाप्त कर लिया गया है। अप्रत्याशित भू-गर्भीय समस्याओं के कारण गोवा क्षेत्र में पड़ने वाली 2 सुरंगों के बीच केवल 500 मीटर का कार्य किया जाना शेष है और इस समस्या को हल करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों का परामर्श लिया जा रहा है।

मैंने इन सुरंगों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है। हम इस काम को पूरा करने के सभी प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि यह लाइन जून 1997 तक पूरी हो जाएगी और एक छोर से दूसरे छोर तक गाड़ी सेवाएं भी चालू कर दी जाएंगी। इस बीच, महाराष्ट्र में पड़ने वाली लाइन पर पहले से ही गाड़ियां चल रही हैं और कर्नाटक के शेष भाग में जल्द शुरू होने वाली हैं।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि कलकत्ता मेट्रो रेल पहले से ही चल रही है। लगभग 2 लाख यात्री प्रति-दिन इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इस समय बाकी बचे कुछ कार्य ही चल रहे हैं। आशा है कि कार्य 1997-98 के अंत तक पूरे हो जाएंगे।

मेट्रो रेल को टालीगंज से न्यू गरिया तक बढ़ाने के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पूरे हो गए हैं। दमदम से बैरकपुर तक विस्तार के लिए एक और तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, दमदम से प्रिंसेपघाट तक सर्कुलर रेल चल रही है। कलकत्ता क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सर्कुलर रेल को प्रिंसेपघाट को मजेरहाट तक बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, दैनिक यात्री दमदम रेलवे स्टेशन पर मैट्रो गाड़ी से उपनगरीय गाड़ी बदलने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करते हैं। इस बजट में ताला से दमदम तक के एक खंड के विद्युतीकरण सहित ताला स्टेशन पर यातायात सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि व्यस्त अवधियों में उत्तरी उपनगरीय क्षेत्रों के लिए ताला से दैनिक यात्रा सेवाएं शुरू की जा सकें।

कलकत्ता के उत्तरी भागों में उपनगरीय सेवाओं में सुधार लाने तथा कृष्णानगर औद्योगिक क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की समस्याओं में कमी लाने के उद्देश्य से मैं राणाघाट-गेडे और राणाघाट-बोंगांव खंडों के विद्युतीकरण की योजना को इस बजट में शामिल कर रहा हूं।

एमआरटीएस प्रोजेक्ट/चेन्नई पूरी होने वाली है। चेपक से इज तक का शेष खंड मार्च, 1997 एक खोल दिया जाएगा। एमआरटीएस प्रोजेक्ट का लज से वेल्लाचेरी तक विस्तार करने का कार्य भी चल रहा है। इसका निर्माण तमिलनाडु राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन 1997-98 में प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोय, सदन को मालूम है कि मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय

सेवा में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। सेवाओं में सुधार करने के लिए कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत करने हेतु पहचान कर ली गई है। रेल इंडिया टेक्नो-इकॉनॉमिक सर्विसेज़ को पश्चिम रेलवे पर मुंबई से बोरीवली तक पांचवीं तथा छठी लाइन तथा मध्य रेवले पर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कुर्ला तक पांचवीं तथा छठी लाइन बिछाने के लिए विस्तृत अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। मुंबई नगर परिवहन परियोजना-2 में शामिल करने के लिए कुछ और कार्यों की भी पहचान की गई है। उपनगरीय यात्रियों को पेश आ रही समस्याओं का हल खोजने के लिए चार विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किए जा रहे हैं।

नवीन मुंबई क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है ताकि मुख्य द्वीपीय नगर में भीड़-भाड़ कम की जा सके। इसके लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार के सहयोग से नए विद्युतीकृत रेलपथ का निर्माण किया जा रहा है।

सांताक्रुज से बोरीवली तक पांचवीं लाइन के विस्तार तथा कुर्ला से भांडुप तक कुर्ला-थाणे का चरण-1 पांचवीं और छठी लाइन के निर्माण कार्य चल रहे हैं।

मुंबई क्षेत्र में मौजूदा 1500 वोल्ट डी सी प्रणाली अपनी परिचालनिक सीमाओं तक पहुंच चुकी है और अतिरिक्त यातायात संभालने में इससे गंभीर गठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तदनुसार, मध्य तथा पश्चिम दोनों रेलों पर मौजूदा 1500 वोल्ट डी सी कर्षण प्रणाली को 25 के वी ए सी सिंगल फेज़ 50 हट्र्ज़ प्रणाली में बदला जा रहा है।

वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद 1997-98 में महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए बजट 170 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

अपराह्न 1.00 बजे

विद्युतीकरण

अध्यक्ष महोदय, 1996-97 में 634 मार्ग किमी॰ विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। इससे संपूर्ण विद्युतीकृत मार्ग कुल 13509 मार्ग किमी॰ हो जाएगा। इससे आठवीं योजना का लक्ष्य 2,700 कि.मी. विद्युतीकरण भी पूरा हो जाएगा। सघन गलियारों, ईस्ट कोस्ट लाइन और कुछ मिसिंग लिंक के मार्ग पर विद्युतीकरण का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए 1997-98 के बजट में 350 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

रेल पथ नवीकरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलपथ नवीकरण का लक्ष्य 9600 कि.मी. था। 1996-97 वर्ष का लक्ष्य 2564 कि.मी. रखा गया है जो पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ, आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। रेलपथ नवीकरण का बकाया कार्य बहुत हद तक पूरा किया जा चुका है। परंतु अभी भी लगभग 9000 कि.मी. का काम बाकी है। इसी कारण इस मद में 1997-98 में 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है जो अभी तक की सर्वाधिक राशि है।

महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं पैरा 65 से पैरा 80 पर आता हूं। क्योंकि मैं आपका समय बेकार करना नहीं चाहता।

रेल उत्पादन कारखाने

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि रेल की सभी उत्पादन इकाइयों ने अर्थात्, डीज़ल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन, सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई, पहिया एवं धुरा कारखाना, बेंगलूरू, डीज़ल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला ने अपने उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया है। केवल रेल कोच फैक्टरी कपूरथला में औद्योगिक संबंध अनुकूल न होने के कारण लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। 1996-97 में भी हड़ताल के कारण कपूरथला के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, परंतु अब समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और आशा है कि यह प्रतिष्ठान भविष्य में अपनी उत्पादन क्षमता को पूरा कर लेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का कार्य-निष्पादन 1995-96 के दौरान सराहनीय रहा है।

इरकॉन इंटरनेशनल

1995-96 में इरकॉन ने 626 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और 189 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। 1994-95 की तुलना में यह कार्य निष्पादन अत्यधिक सराहनीय है।

इरकॉन ने 163 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया और 1.98 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया था। उसने बांग्लादेश, सऊदी अरब, मलेशिया, नेपाल तथा इंडोनेशिया में विभिन्न परियोजनाएं पूरी की हैं और बांग्लादेश, नेपाल, बोत्सवाना, तंजानिया, अंगोला और मलेशिया से नए ठेके प्राप्त किए हैं।

रेल इंडिया टेकनिकल एंड इकनामिक सर्विसेज़ (राइट्स)

राइट्स ने 1995-96 में 109.9 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और 42.5 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। इसने ट्यूनीशिया, बोत्सवाना, कम्बोडिया, घाना, मोजाम्बीक, नेपाल, सऊदी अरब, तंजानिया, वियतनाम और जाम्बिया से नए कार्य प्राप्त किए। राइट्स ने 60 लाख रुपए के लाभांश का भुगतान किया है।

कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर)

1995-96 के दौरान मिलाविट्टन (तूतीकोरिन) में पोर्ट साइड कंटेनर डिपो तथा इन्लैंड कंटेनर डिपो (आई सी डी) के दो नए टर्मिनल शुरू किए गए। ग्वालियर तथा नागपुर में भी दो घरेलू कंटेनर डिपो खोले जाने के लिए तैयार हैं। निगम का कुल कारोबार 1994-95 के 217 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 में 389 करोड़ रुपए हो गया। आगामी वर्षों में कनकोर का विचार औरंगाबाद, बालासोर में नए इन्लैंड कंटेनर डिपो तथा दिल्ली के निकट ग्रेटर नौएडा में दादरी में नए प्रमुख टर्मिनल का निर्माण करने का है।

भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.ग्फ.सी.)

भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 1996-97 के दौरान घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 1850 करोड़ जुटाए जाने थे। इसने जनवरी, 1997 के अंत तक लगभग 1500 करोड़ रुपए दे दिए हैं। निगम ने 1995-96

[श्री राम विलास पासवान]

में 205.76 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है और प्रदत्त हिस्सा पूंजी पर 20 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया है जो 46.40 करोड़ रुपए है।

1997-98 के दौरान भा॰ रे॰ वि॰ नि॰ को घरेलू एवं विदेशी बाजार से 2150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया गया है।

अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन

लखनऊ में स्थापित आरडीएसओ भारतीय रेल के अनुसंधान करने एवं डिज़ाइन के विकास में एक विशेष स्थान रखता है। यह भारतीय रेलों को तकनीकी मामलों में सलाह भी देती है।

खेलकूद के लिए प्रोत्साहन

1995-96 में खेलकूद के क्षेत्र में रेलों का निष्पादन सराहनीय रहा। राष्ट्रीय स्तर की 16 विभिन्न प्रतियोगिताएं उसने जीतीं। चालू वर्ष में भी यही रुख चला आ रहा है। जनवरी, 97 तक रेलें 13 प्रतियोगीताएं अब तक जीत चुकी हैं। रेलकर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व सराहनीय रूप से किया। 2 रेल खिलाड़ियों को वर्ष के दौरान 'अर्जुन पुरस्कार' प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रेलों पर खेलों के स्तर में और सुधार लाने के लिए मैंने रेलों पर कार्यरत उन प्रमुख खिलाड़ियों के साथ उनके सुझाव प्राप्त करने के विचार से एक बैठक दिल्ली में आयोजित की थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था। उनके सुझावों के आधार पर उत्कृष्टता प्राप्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

मेडीकेयर

रेल डॉक्टरों और पैरा-मैडिकल के कर्मचारियों द्वारा रेल कर्मचारियों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भारतीय रेलवे का पेरम्बूर अस्पताल हृदय 'ओपन हार्ट सर्जरी' में विशेष स्थान रखता है और अब उसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका की "नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन" से स्थापित हो चुका है जिससे उसका ज्ञान लाभ हो सके।

रेल सुरक्षा बल

रेल यात्रियों और इनके सामग्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की पुलिस पर जाता है और इसको और अधिक प्रभावी रूप देने के लिए राज्य सरकारों से चर्चा करी जा रही है। फिर भी रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति की सुरक्षा में अपना कार्य भली-भांति पूरा कर रहा है और आंकड़ों के हिसाब से रेलवे के माल की चोरी के मामलों में कमी आई है।

रेल सुरक्षा बल की भर्ती का एक विशेष अभियान चलाया गया है जिससे कि उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से भी भर्ती का काम किया जा रहा है। इससे सुरक्षा बल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग को भी प्रतिनिधित्व पूरे रूप से मिलेगा। 750 महिला कांस्टेबलों की भर्ती भी करी जा रही है। 2 माह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी

औद्योगिक संबंध लगातार सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के मामले में महाप्रबंधकों तथा मुख्य कार्मिक अधिकारियों के सम्मेलनों में मान्यताप्राप्त श्रमिक फेडरेशनों के नेताओं ने भाग लिया था। उपर्युक्त के अलावा, संयुक्त परामर्श तंत्र (जे सी एम) तथा स्थायी वार्ता तंत्र (पी एन एम) प्रणाली के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड स्तर पर नियमित रूप से औपचारिक बैठकें की गई हैं। संबद्ध यूनियनों के नेता क्षेत्रीय रेल स्तर पर प्रमुख अधिकारियों की बैठकों तथा मंडल स्तर पर मंडल अधिकारियों की बैठकों में भाग लेते हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. की कमी को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान

जैसा कि पिछले वर्ष मेरे बजट भाषण में घोषणा की गई थी, रेलों पर 23% से अधिक कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं और आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को हासिल करना हमारा भरसक प्रयास है। तथापि, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जुलाई, 1996 से भर्ती कोटियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि तब से लगभग 1700 अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों की भर्ती की जा चुकी है और यह अभियान अभी भी जारी है।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : हम इस बजट को संतुलित नहीं मानते। इसमें हिमाचल प्रदेश की एक लाइन को भी नहीं लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में रेलों के लिए कुछ नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : हमारे इलाके को इग्नोर किया गया है। यह बजट ठीक नहीं है। हम इसे नहीं मानते...*(व्यवधान)*.

अपराह्न 1.00 बजे

इस समय श्री सत महाजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार बात नहीं कर सकते। आप मंत्री महोदय के निकट नहीं जा सकते। आप जाइए। कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाइए। यह क्या हो रहा है ?

इस समय श्री सत महाजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, मंत्री महोदय। महाजन जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राणाजी, यह ठीक नही है। कृपया सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। कृप्या बैठ जाइए। मैं आपको बैठने के लिए कह रहा हूं। मामले को जटिल नहीं बनाइए। मैं सभी वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। कृप्या मेरी बात सुनिए। मैं अपने राज्यों तथा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों की भावनाओं को भली भांति समझता हूं। निश्चित रूप से वह चाहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। मैं यह समझता हूं। मैं आपकी भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। अब आप खड़े नहीं होंगे। अब कोई सदस्य खड़ा नहीं होगा। जो भी सदस्य खड़ा होगा उसे अपने घर जाना होगा। मैं अब नाम पुकारूंगा। कृपया मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ?

श्री राम नाईक (मुम्बई, उत्तर) : महोदय, रेल मंत्री खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। बैठ जाइए। अपनी बात कहने का यह तरीका नहीं है। आप भाषण को ध्यान से सुनिए। आपको सभा में चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उस समय आप जो चाहें अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन अपनी बात कहने का यह तरीका नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार आपकी मांग पूरी हो जाएगी। मैं यह सब सहन नहीं करूंगा। यदि आप इस सभा में रहना चाहते हैं तो सही ढंग से बर्ताव करें। मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता। सम्पूर्ण देश कार्यवाही देख रहा है। क्या मुझे प्रतिदिन यह बताना पड़ेगा कि सम्पूर्ण देश आपको देख रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को तो इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। कृपया व्यवधान न डालिए।

श्री राम विलास पासवान :

सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति

विगत सत्र में घोषणा के अनुसार, रेल में सफाई ठेकेदारी की प्रथा समाप्त कर दी गई है और यह कार्य रेल द्वारा संपन्न किया जाएगा जिसके लिए भर्ती जारी है।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

रेलों पर बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए पिछले बजट भाषण में उपायों की चर्चा की गई थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि तब से 16,000 से अधिक नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जा चुका है और मार्च 1997 के अंत तक यह संख्या 30,000 तक पहुंच जाने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष के अंत तक अर्थात 31 मार्च, 1998 तक सभी 56,000 नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित कर दिया जाएगा।

प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस

सरकारी विभागों में भारतीय रेल ने प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को प्रारंभ करने में पहल करी थी। इसमें मजदूर संगठनों से विशेष विचार विमर्श किया गया था। अभी भी मजदूर संगठनों से राय लेकर यह पद्धति क्रियान्वित की जाती है और 1995-96 के लिए 52 दिनों का बोनस ग्रुप 'सी' और 'डी' को दिया गया तथा कोई आमदनी की सीमा नहीं रखी गयी। आशा है कि रेलवे की उत्पादकता बढ़ाने में कर्मचारियों का योगदान बना रहेगा और वे बोनस पाने के भागीदार बने रहेंगे।

वस्तु-सूची नियंत्रण

सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिए जाने के फलस्वरूप टर्नओवर अनुपात में कमी आई है और 1995-96 में यह 14% रहा जो कि 1990-91 के 33% से बहुत बेहतर है और अपने में एक कीर्तिमान है। स्क्रैप की बिक्री के मामले में भी विशेष प्रयास जारी रहा और 1995-96 में 1018 करोड़ रुपयों का स्क्रैप बेचा गया जो कि किसी भी वर्ष की मात्रा से अधिक है। हमने यह भी निश्चय लिया है कि रेल भंडार में कम से कम सामान रहे और ईश्यू करके उसको उपभोक्ता विभाग में तुरंत भेजा जाए।

भारतीय रेलों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपयों के मूल्य के सामानों की खरीदारी की जाती है जिसमें रेल इंजन से लेकर कर्मचारियों की वर्दी का कपड़ा तक शामिल है। इतनी बड़ी खरीददारी का प्रभाव देश के उद्योगों पर और खासकर लघु उद्योगों पर पड़ना स्वाभाविक है। खरीद में अधिक पारदर्शिता और प्रतियोगिता लाने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मैंने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(i) रेलों द्वारा की गई मुख्य खरीददारी का संपूर्ण विवरण नियमित रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) सभी क्षेत्रीय रेलें (जोनल रेलें) अपने-अपने क्षेत्रों में एक स्थायी प्रदर्शनी की व्यवस्था करेंगी जहां रेलों द्वारा खरीदी जा रही तथा भविष्य में खरीदी जाने वाली वस्तुओं को रखा जाएगा तथा उन पर आवश्यक जानकारी जैसे पुराने क्रय मूल्य, क्रय के स्रोत और विशिष्टियां आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केन्द्रीय स्तर पर रेलवे बोर्ड भी एक स्थायी प्रदर्शनी की व्यवस्था दिल्ली क्षेत्र में करेगा।

(iii) भारतीय रेलों द्वारा खरीदी जा रही वस्तुओं के सही-सही मूल्य और गुणवत्ता को आंकने के लिए तथा सप्लाई में सही स्रोतों का पता रखने के लिए रेलवे बोर्ड में तथा हर क्षेत्रीय रेलों में एक अन्वेषण कक्ष की स्थापना की जाएगी।

कंप्यूटरीकरण

रेलों पर कंप्यूटरीकरण का अभियान बहुत सफल रहा है और इस क्षेत्र में और अधिक कार्रवाई की जा रही है। आज कोई यात्री कंप्यूटर की सहायता से बिना आरक्षण की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटरीकृत 'सेल्फ प्रिंटिंग टिकेटिंग मशीन' से भी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सीजन टिकट भी जारी किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मुख्यालयों के कंप्यूटरों को बदल दिया गया है। उत्पादन इकाइयों और मंडलों के कंप्यूटर भी बदले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मंडलों पर, वर्कशाप में, स्टोर डिपुओं में, प्रशिक्षण संस्थानों में और आरडीएसओ में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। रेलवे की बहुचर्चित आपरेशन इन्फर्मेशन सिस्टम में भी तेजी लाई जा रही है।

[श्री राम विलास पासवान]

घोषित की गई रेल यात्री सेवाएं

रेल यात्रियों के लिए नई सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए रोलिंग स्टाक, नई रेल लाइन और गेज कन्वर्जन तीनों को बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि तीनों आपस में पूरक हैं। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सारी मांगों को रखा गया है। इन सभी को पूरा करना तो संभव नहीं है परंतु, संसाधनों की कमी के बावजूद निम्नलिखित नई गाड़ियां पिछले वर्ष में चलाई गई :—

सरकार बनने के तत्काल बाद मैंने अमृतसर-जम्मू तवी एक्सप्रेस और जयपुर-अजमेर लिंक एक्सप्रेस शुरू कीं जिससे लोगों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई।

1996-97 (जनवरी, 97 तक) 82 नई गाड़ियां चलाई गई थीं। इसके अलावा 22 गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए थे और 62 गाड़ियों के चालन क्षेत्र में विस्तार किया गया था। इनमें वे गाड़िया भी शामिल हैं जो मेरे बजट भाषण में घोषित गाड़ियों के अलावा थीं। इनमें से मुख्य गाड़ियां निम्नानुसार हैं :—

(i) जोधुपर-जैसलमेर एक्सप्रेस

(ii) कुर्ला-रत्नागिरी-सावंतवाड़ी एक्सप्रेस

(iii) पटना-दरभंगा इंटरसिटी

(iv) सिंगरौली-गढ़वा रोड लिंक एक्सप्रेस

ग्रीष्मकालीन छुट्टियों और वैवाहिक मौसमों के दौरान यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को संभालने के लिए रेलों ने 30 मार्गों पर 1214 विशेष गाड़ियां चलाई। इस वर्ष भी हमारा प्रस्ताव उसी स्तर पर विशेष गाड़ियां चलाने का है। पिछले भाषण में जिन नई यात्री-सेवाओं की घोषणा की गई थी उनमें से जो कुछ रेल-सेवाएं आमान परिवर्तन आदि के कारण बाकी रह गई हैं, वे भी शीघ्र चालू कर दी जाएंगी।

उपरोक्त के अलावा, हिन्दू, जैन, सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई और अन्य विभिन्न धर्मों के समुदायों की मांग को पूरा करने के लिए देश भर में विशेष तीर्थ यात्री गाड़िया भी चलाई गई थीं।

सदस्यों को याद होगा कि मैंने सदन में, गया को नागपुर से जोड़ने वाली दीक्षाभूमि एक्सप्रेस शुरू करने के संबंध में उल्लेख किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोधगया एक पवित्र स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था और नागपुर वह शहर है जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैंने रेलों को, गया में टर्मिनल सुविधाओं के विकास करने के लिए कहा है और इनके विकसित हो जाने के बाद यह गाड़ी 1997-98 में शुरू कर दी जाएगी।

नई रेल यात्री सेवाएं

1997-98 में जो कि भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का वर्ष है, मैंने इस अवसर पर निम्नलिखित स्वर्ण जयंती गाड़ियां चलाने का निश्चय किया है :—

(i) अहमदाबाद-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(ii) सिकंदराबाद-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(iii) हुबली के रास्ते बेंगलूरु-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(iv) रांची-दिल्ली एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

(v) विशाखापट्टनम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस विजयवाड़ा के रास्ते (सप्ताह में दो बार)

अतिरिक्त निम्नलिखित गाड़ियां और चलाई जाएंगी :

(i) मद्रास-तिरुपति इंटरसिटी

(ii) वास्को-बेंगलूरु एक्सप्रेस

(iii) सूरत-पटना एक्सप्रेस

(iv) गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

(v) कोरापुट-रायगड़ा लिंक एक्सप्रेस भुवनेश्वर तक

(vi) कटिहार-बरौनी लिंक एक्सप्रेस टाटा नगर तक

बेंगलूरु और कोयम्बटूर के बीच दिन में चलने वाली तीव्र गाड़ी सेवा की पुरजोर मांगी की जाती रही है। जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, दक्षिण भारत के इन दो महत्त्वपूर्ण नगरों के बीच एक शताब्दी सेवा शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : आपने सभा में आश्वासन दिया था। आपके आश्वासन का क्या हुआ ? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : कृपया मेरी बात सुनें। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ? मैं स्पष्ट करूंगा ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया इन्हें मेरी बात सुनने के लिए कहें। मैं स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करने जा रहे हैं। कृपया उनके स्पष्टीकरण को सुनें। कृपया बैठ जाएं वह स्पष्ट करने जा रहे हैं। यदि आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह सच है कि मैंने केरल के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि एक गाड़ी शुरू की जाएगी। कृपया मेरी बात सुनिए। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं ? मैंने केरल के उन माननीय सदस्य को आश्वासन दिया था कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए एक गाड़ी शुरू की जाएगी।

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि हम कुछ नहीं कह रहे हैं इसलिए मंत्री महोदय कुछ माननीय सदस्यों की इच्छानुसार स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : जी हां, आप ठीक कह रहे हैं।

श्री राम नाईक : अब कोई सदस्य चिल्ला रहे हैं और मंत्री महोदय उनकी बातों का उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं इसे ठीक नहीं समझता कि मंत्री महोदय को उनकी बात का उत्तर देना चाहिए। उनकी बात का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं।

निम्नलिखित गाड़ियों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी :—

(i) 9767/9768 जयपुर-मद्रास को 1 से बढ़ाकर 3

(ii) 7611/7612 नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस को 1 से बढ़ाकर 3

(iii) 4245/4246 सूरत-वाराणसी को 4 से बढ़ाकर 5

(iv) 3301/3302 धनबाद-टाटानगर सुवर्णरेखा एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

निम्नलिखित गाड़ियों का चलना आगे बढ़ाया जाएगा :

(i) 4609/4610 जम्मूतवी-फिरोजपुर एक्सप्रेस को जोधपुर तक (भटिंडा/बीकानेर के रास्ते)

(ii) 3307/3308 धनबाद-लुधियाना एक्सप्रेस को फिरोजपुर तक

(iii) 6315/6316 कोचीन-हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक

(iv) 3327/3328 हावड़ा-सिंगरौली शक्तिपुंज एक्सप्रेस को जबलपुर तक

(v) 4047/4048 दिल्ली-गोंडा एक्सप्रेस को गोरखपुर तक

(vi) 5217/5218 कुर्ला-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को दरभंगा तक और एक दिन के लिए बढ़ाना।

(vii) 6311/6312 बेंगलूरु-हवड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस को गुवाहाटी तक

(viii) 7663/7664 काचेगुडा-औरंगाबाद एक्सप्रेस को मनमाड़ तक

(ix) 8005/8006 हावड़ा-रायगड़ा एक्सप्रेस को कोरापुट तक

(x) 5323/5324 गोरखपुर-दरभंगा एक्सप्रेस को जयनगर तक

7029/7030 हैदराबाद-कोचीन एक्सप्रेस को कन्याकुमारी तक बढ़ाए जाने की मांग की जाती रही है। एर्णाकुलम-त्रिवेंद्रम खंड पर लाइन क्षमता की तंगियों और नागरकोइल और त्रिवेंद्रम दोनों स्टेशनों पर टर्मिनल क्षमता का अभाव होने के कारण इसे लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। इन सुविधाओं के विकसित हो जाने पर, इस गाड़ी को कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाएगा।

विशाखापट्टनम-मद्रास के बीच एक अतिरिक्त सेवा की मांग की जाती रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए विशाखापट्टनम तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा करके 6003/6004 मद्रास-हावड़ा मेल और 2841/2842 मद्रास-हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रत्येक में 3 अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना निश्चित किया गया है।

राजधानी सेवाएं

मौजूदा राजधानी सेवाओं के फेरे बढ़ाने के लिए लगातार मांग उठती रही है। पिछले बजट सत्र के दौरान मैंने निजामुद्दीन-बेंगलूरु राजधानी और नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की घोषणा की थी तथा इन सेवाओं की शुरुआत के लिए सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए भी कहा था। अब चूंकि ये सवारी डिब्बे उपलब्ध हो जाएंगे, मैं इन सेवाओं को चालू वित्त वर्ष के भीतर शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं।

(i) आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि मेरा प्रस्ताव निजामुद्दीन-मद्रास राजधानी एक्सप्रेस के फेरे साप्ताहिक से बढ़ाकर सप्ताह में दो बार करने का है।

(ii) मैंने, गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को दीमापुर तब बढ़ाने का वचन दिया था। चूंकि डिब्रूगढ़ तक आमान परिवर्तन का कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और वहां सुविधाओं का विकास हो रहा है इसलिए मेरा प्रस्ताव गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को साप्ताहिक सेवा के रूप में दीमापुर के रास्ते डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने का है।

(iii) आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि कोंकण रेल के चालू हो जाने से मौजूदा निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस का गोवा के रास्ते मार्ग परिवर्तन कर दिया जाएगा जिससे गोवा और केरल के लिए एक अलग राजधानी एक्सप्रेस की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उस समय सदस्यों को आश्वासन दिया था कि इस बीच मैं ...*(व्यवधान)*. यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो मत सुनिए।...*(व्यवधान)*.

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : आपके किए हुए वचन का क्या हुआ ? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपकी मांगों को मानूंगा लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं क्या कर सकता हूं ? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : एक्स एमपीज को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने पर रोक क्यों लगा दी है ?

श्री राम विलास पासवान : इसे पुनः शुरू कर दिया गया है। यह जारी है।

कोंकण रेल के चालू हो जाने से उत्तर और पश्चिम भारत से, गोवा, मंगलौर और केरल की दूरी घट जाएगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव मंगला एक्सप्रेस का कोंकण रेल के रास्ते मार्ग परिवर्तन करके इसे एर्णाकुलम् तक बढ़ाने का है जिससे एर्णाकुलम् से दिल्ली तक एक नई सेवा की व्यवस्था हो जाएगी जिसके लिए केरल के संसद सदस्य मांग करते रहे हैं। वास्तव में इस मार्ग परिवर्तन के कारण दिल्ली से मंगलौर तक के यात्रा समय में 12 घंटे से अधिक की कमी होगी।

मेरा प्रस्ताव कुर्ला-मंगलौर/कोचीन नेत्रावती एक्सप्रेस का कोंकण रेल के रास्ते मार्ग परिवर्तन करने का है जिससे मंगलौर के लिए यात्रा समय में 20 घंटे से अधिक और कोचीन के लिए लगभग 10 घंटे की कमी होगी।

कुछ समय पहले एमईएमयू, डीएमयू और रेल बसों को चलाना प्रारंभ किया गया था जो कि जन साधारण ने विशेष रूप से सराहा है पिछले बजट भाषण में मैंने जितनी ई.एम.यू., डी.एम.यू. और पुश-पुल यात्री गाड़ियों की घोषणा की थी, उनमें से अधिकांश रेल-सेवाएं चालू कर दी गई हैं और शेष बची रेल-सेवाएं 31 मार्च, 1997 तक शुरु कर दी जाएंगी। आगे आने वाले वर्ष 1997-98 में जो रेल सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

[श्री राम विलास पासवान]

निम्नलिखित खंडों पर मेन लाइन की ईएमयू सेवाएं चलाई जाएंगी :—

(i) पुरुलिया-आसनसोल-वर्धमान

(ii) आसनसोल-चित्तरंजन-झाझा

(iii) धनबाद-गोमोह-गया

(iv) गया-देहरी-ऑन-सोन-मुगलसराय

(v) कानपुर-आगरा

निम्नलिखित खंडों पर डीज़ल मल्टिपल यूनिट सेवाएं चलाई जाएंगी :—

(i) अमृतसर-डेराबाबा नानक

(ii) अमृतसर-अटारी

(iii) सतना-मैहर

(iv) निडाडवोलू-भीमावरम-नरसापुर

निम्नलिखित खंडों पर रेल बस सेवाएं चलाने का प्रस्ताव है :—

बड़ी लाइन

(i) जालम्ब-खामगांव

(ii) एटा-बरहन

(iii) तीनपहाड़-राजमहल

मीटर लाइन

(i) कलोल-बीजापुर-अम्बलीयासन

(ii) गढ़ी हरसरु-फर्रूखनगर

निर्म्नलिखित खंडों को बहाल किए जाने के पश्चात् उन पर रेल बस चलाने का निर्णय लिया गया है :

(i) बांकुडा-दामोदर

(ii) बोदेली-छोटा उदयपुर

(iii) महाराजगंज-दुरौंधा

(iv) अंकलेश्वर-राज पीपला।

समय-पालन

भारतीय रेलें यात्री गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने के लिए गहन चेजिंग, चौबीसों घंटे निगरानी, आवधिक समय-पालन अभियान आदि सहित सभी प्रयास कर रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गाड़ियों के समय-पालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि रेलें, समय-पालन में और सुधार करने के प्रयास जारी रखेंगी। मैं चाहता था कि कुछ रियायतों और सहूलियतों की घोषणा करूं लेकिन आर्थिक व्यवस्था के कारण सिर्फ निम्नलिखित विशेष घोषणाएं करता हूं :—

विशेष घोषणाएं

हमने ठंडे क्षेत्रों में काम करने वाले लाईसेंसशुदा भारिकों के रहन-सहन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, हमने ठंडे क्षेत्रों में काम करने वाले लाईसेंसशुदा भारिकों को गर्मी में पहने जाने वाली वर्दी के स्थान पर प्रत्येक दूसरे वर्ष में सर्दियों में पहनी जा सकने वाली वर्दी मुहैया कराने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन्हें पूर्व में दी गई रियायती यात्रा और चिकित्सा सुविधा जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के अलावा है।

यद्यपि रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत पोर्टर (कुली) रेल कर्मचारी नहीं हैं फिर भी इस समय उन्हें वर्ष में एक बार शयनयान श्रेणी में 75 प्रतिशत की यात्रा रियायत दी जा रही है। मैं वर्ष में एक बार उनके लिए इस यात्रा को निःशुल्क करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यालयों से मान्यताप्राप्त प्रेस संवाददाताओं को अपने प्रेस संबंधी वास्तविक कार्य के सिलसिले में अब वर्तमान रियायतों के अंतर्गत उन्हें पहले से मिली हुई धन की पात्रता के भीतर ही ऊंचे दर्जों में भी यात्रा करने की अनुमति होगी।

इस समय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं सेवारत कर्मचारियों के समान नहीं हैं। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने की हमारी नीति के अनुसरण में मेरा प्रस्ताव है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी वही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो सेवारत रेल कर्मचारियों को मिलती हैं।

वीरता पुरस्कार के विजेताओं एवं बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वालों को रेल पास देने की सुविधाएं पहले ही प्रदान कर दी गई हैं।

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्कर्ष निधि के तत्वावधान में उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उस समारोह में प्रधानमंत्री के समक्ष मैंने यह घोषणा की थी कि पुरस्कार पाने वाले सभी बच्चों को उनके माता या पिता में से किसी एक के साथ, एक वर्ष की अवधि के दौरान शयनयान श्रेणी में एक बार यात्रा के लिए एक निःशुल्क पास दिया जाएगा।

मौजूदा रेल कर्मचारियों की वर्दी काफी समय से चली आ रही है तथा इन्हें पिछली बार वर्ष 1980 में संशोधित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में 15 अगस्त, 1997 से रेल कर्मचारियों की कतिपय कोटियों के लिए पोशाक में परिवर्तन किए जाएंगे।

स्टेशनों पर जहां से टिकट जारी किए जाते हैं, स्टेशन मास्टर/प्रबंधक तत्काल धन की वापसी करेगा।

लगभग 30 स्टेशनों पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा को और अधिक व्यापक बनाया गया है।

बजट अनुमान 1997-98

430 मिलियन टन के यातायात अनुमानों और 1996-97 की तुलना में यात्री यातायात में 3 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर, चालू किरायों

और माल भाड़ा दरों पर यातायात से 26,055 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियां होने का अनुमान है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1605 करोड़ रुपए अधिक है। इस अतिरिक्त राजस्व के 1997-98 के दौरान संभावित अतिरिक्त यातायात आउटपुट के कारण मिलने की आशा है।

1997-98 में साधारण संचालन व्ययों के 20,935 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 4785 करोड़ रुपए अधिक है। इस वृद्धि से बढ़े हुए यातायात के लिए, निवेशों की लागत, कीमतों में संभावित वृद्धि, महंगाई भत्ते का अतिरिक्त भुगतान, भारतीय रेल वित्त निगम को देय उच्चतर पट्टा प्रभारों का भुगतान तथा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पड़ने वाले प्रभावों से निपटा जा सकेगा।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डी पी एफ) में विनियोग 1996-97 के संशोधित अनुमानों में मुहैया कराए गए 2115 करोड़ रुपए की तुलना में 1997-98 में 2000 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव है।

राजस्व से पेंशन निधि में अंशदान 2200 करोड़ रुपए किए जाने तथा पेंशन निधि के शेष से 300 करोड़ रुपए निकाले जाने प्रस्तावित हैं। इस प्रकार, 1997-98 के दौरान पेंशन निधि से निकासी के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

सामान्य राजस्वों को देय लाभांश की दर के संबंध में रेल अभिसमय समिति को एक ज्ञापन दिया गया है। 1997-98 के लिए लाभांश की दर 1996-97 की दर जितनी ही रखी गई है बशर्ते कि रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर उपयुक्त समायोजन हो जाए। इस आधार पर, 1997-98 के लिए लाभांश की दायिता 1630 करोड़ रुपए बनती है।

साधारण संचालन व्यय, मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि के अंशदान को मिलाकर कुल संचालन व्यय 25135 करोड़ रुपए बनता है तथा सकल यातायात प्राप्तियों का 26055 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार, शुद्ध यातायात प्राप्तियां 920 करोड़ रुपए बनती हैं। शुद्ध विविध प्राप्तियों के 284 करोड़ रुपए को जोड़कर, शुद्ध रेल राजस्व का 1204 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। यह राजस्व 1630 करोड़ रुपए की लाभांश दायिता को पूरा करने तथा विकास निधि एवं पूंजी निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों का वित्त पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें 426 करोड़ रुपए की मामूली कमी है। हमें इस घाटे को पूरा करना है तथा विकास निधि एवं पूंजी निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करनी है।

अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष रेल निधियों पर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों, निवेशों की बढ़ी हुई लागत और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा आदिवासियों के पिछड़े हुए/उपेक्षित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए धन की आवश्यकता की दायिता को पूरा करने के कारण अत्यधिक दबाव पड़ा है। मौजूदा किराए और मालभाड़ा दरों के आधार पर 1619 करोड़ रुपए के आन्तरिक संसाधन उपलब्ध होंगे। भारतीय रेल वित्त निगम के जरिए 2150 करोड़ रुपए के ऋण मिलने का अनुमान लगाया गया है तथा बोल्ट/ओन योर वैगन योजनाओं के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए का निवेश होने की आशा है। सामान्य राजस्व से 1831 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को हिसाब में लेते हुए, 8300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का निष्पादन करने के लिए उपलब्ध होने वाले कुल संसाधन केवल 6500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस प्रकार 1800 करोड़ रुपए का अन्तर है। मेरे सामने रेलों की वार्षिक योजना को और घटाने का विकल्प मौजूद है, किन्तु इससे न केवल रेल नेटवर्क का विकास ही, अपितु अर्थव्यवस्था भी समग्र रूप से प्रभावित होगी। इसलिए, इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः सरकार ने 8300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, किरायों और माल भाड़ा की दरों में 1800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं इन प्रस्तावों की चर्चा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन को विदित है कि रेल परिवहन का उपयोग करने वाले अधिकांश यात्री समाज के निर्धन वर्ग से होते हैं। वे प्रायः दूसरा दर्जा साधारण और दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करते हैं। मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में सीजन टिकटधारक भी अधिकांशतः समाज के निर्धन वर्ग से ही आते हैं। रेल परिवहन का उपयोग करने वाले कुल 400 करोड़ से अधिक यात्रियों में से 93 प्रतिशत यात्री दूसरे दर्जे में और उपनगरीय रेल गाड़ियों में यात्रा करते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछला बजट पेश करते समय मैंने दूसरा दर्जा साधारण, दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस, दूसरे और पहले दर्जे के सीजन टिकटों के साथ-साथ 200 किलोमीटर तक शयनयान दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) के किराए नहीं बढ़ाए थे। मेरा फिर यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1997-98 के लिए भी दूसरा दर्जा साधारण, दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस और दूसरे और पहले दर्जे के मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में किसी भी दूरी के लिए वृद्धि न की जाए। मैं प्लेटफार्म टिकटों के प्रभार में भी कोई वृद्धि नहीं कर रहा हूं।

मैं नहीं चाहता था कि आम लोगों पर बोझ डालूं, लेकिन एक ओर अतिरिक्त आर्थिक बोझ और दूसरी ओर विकास का कार्य मुझे बाध्य कर रहा है कि मैं थोड़ा आर्थिक बोझ उठाने के लिए आप लोगों से निवेदन करूं। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए मैं बड़ी अनिच्छा से शयनयान दर्जे (मेल/एक्सप्रेस और साधारण) के सभी दूरियों के किरायों में 5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। अब आप कहेंगे कि डेवलपमेंट भी चाहिए, मैंने सिर्फ 5 प्रतिशत ही बढ़ाया है, कम से कम आप ताली भी तो बजाइए।

वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल 2-टियर शयनयान, वातानुकूल 3 टियर शयनयान, वातानुकूल कुर्सीयान और पहला दर्जा (मेल/एक्सप्रेस और साधारण) के किरायों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस सहित सभी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। सभी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में खान-पान सेवा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाती रही है। इसलिए, अन्य राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों

[श्री राम विलास पासवान]

की ही तरह हज़रत निजामुद्दीन-त्रिवेंद्रम, हज़रत निजामुद्दीन-बेंगलूरु और हज़रत निजामुद्दीन-जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणियों में भी 01.04.1997 से किरायों में खान-पान प्रभारों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

मौजूदा पार्सल और सामान दरों में वृद्धि किए जाने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मालभाड़ा दरों के संबंध में प्रस्ताव इस प्रकार है :—

दूरियों के लिए सभी वस्तुओं की मौजूदा मालभाड़ा दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। चूंकि मैं आम जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहता, यह वृद्धि आम आदमी के उपभोग वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। इसलिए मैंने इन वस्तुओं को इस वृद्धि से मुक्त रखने का निर्णय किया है। अगर इसमें एग्जम्पशन नहीं करते, तो इनके दाम बढ़ जाते। इसलिए एग्जम्पशन करना जरूरी है।

(i) खाद्यान्न और दालें,

(ii) खाने का नमक,

(iii) खाने का तेल,

(iv) रासायनिक उर्वरक के रूप में यूरिया,

(v) मिट्टी का तेल,

(vi) चीनी,

(vii) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी),

(viii) (केले सहित) ताजे फल और सब्जियां और पान के पत्ते

(ix) चारा (खली से इतर),

(x) पशुधन,

(xi) तिलहन,

(xii) आर्गेनिक खाद,

(xiii) गुड़, शक्कर और जागरी,

(xiv) हाइड्रोजनीकृत तेल, और

(xv) वनस्पति तेल (रिफाइंड)

किरायों और माल भाड़ा दरों में प्रस्तावित परिवर्तन 1.4.1997 से प्रभावी होंगे।

इन परिवर्तनों से वित्त वर्ष, 1997-98 के दौरान लगभग 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। मैं सम्मानित सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इन उपायों से सृजित होने वाले संसाधनों को रेल नेटवर्क और इन्फरास्ट्रकचर के विकास में तथा इसे सुदृढ़ करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि हमारी सरकार रेल नेटवर्क को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य पिछड़े उपेक्षित क्षेत्रों में ले जाने के लिए वचनबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के हमारे सभी प्रयासों में समर्थन और प्रोत्साहन का प्रमुख प्रेरणास्रोत रहे हैं। मैं उनके समर्थन के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन रेल कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सौंपे गए कार्यों को समर्पण और निष्ठा की भावना से पूरा किया।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 1997-98 का रेल बजट सदन को संस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.39 $\frac{1}{2}$ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल), 1994-95

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	1,57,81,798
14.	निधियों में विनियोग	366,39,46,659
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	23,53,27,736
	जोड़	391,50,56,193

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.40 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर चालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.47 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.47 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) नीमच और रतलाम के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर खंड पर कोटा से नीमच तक मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित किया जा चुका है और नीमच और रतलाम के मध्य इसको परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति के साथ ही लगातार बजट में राशि का आबंटन किया जाता है। किन्तु प्रतिवर्ष अत्यधिक कम राशि होने के कारण ब्रॉड गेज में परिवर्तन का कार्य जो नीमच रतलाम के मध्य वर्ष 1995-96 में पूरा होना था, वह नहीं हो पा रहा है तथा कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। यद्यपि इस भाग पर कुछ पुलों का तथा मार्गों का विस्तारीकरण तथा कुछ पुलों का नवीनीकरण का कार्य हुआ है तथापि कार्य का बड़ा भाग शेष है। इस मार्ग के ब्रॉड गेज में परिवर्तित होने से सीमेंट, शक्कर तथा तेल के लदान में काफी सहूलियत होगी तथा यात्रियों को भी रतलाम-कोटा के मध्य एक परिवर्तित ब्रॉड गेज का मार्ग उपलब्ध होगा। गेज परिवर्तन के बारे में क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों, स्वायत्त संस्थाओं, उद्योगपतियों तथा जन-साधारण द्वारा बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया है तथा मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मार्ग के ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने पर न केवल रतलाम कोटा के मध्य के भारी यातायात में सुधार होगा अपितु रेलवे को अत्यधिक राजस्व की आय भी होगी।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस हेतु उपयुक्त राशि का प्रावधान करने का कष्ट करें।

(दो) खैर तहसील (उत्तर प्रदेश) और पलवल तहसील (हरियाणा) के बीच यमुना नदी द्वारा हो रहे भूमि के कटाव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता:

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ उत्तर प्रदेश तहसील खैर, ब्लाक-टप्पल तथा हरियाणा राज्य की तहसील पलवल के बीच बह रही यमुना नदी की ओर दिलाना चाहती हूं।

यहां प्रतिवर्ष बाढ़ आने से जो भूमि का कटाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की भूमि हरियाणा में जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यमुना नदी के दायें किनारे पर हरियाणा राज्य ने यमुना जल समिति के मापदण्डों के विरुद्ध कार्य कराया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के राज्य की तरफ तट का कटाव होना स्वाभाविक है इससे राज्य मार्ग भी एक कि॰मी॰ ध्वस्त हो गया है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि यमुना जल समिति की बैठक अतिशीघ्र बुलाकर इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र कराया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) लंदन स्थित "आर्ट आक्सन हाऊस" द्वारा भारतीय पुरातन वस्तुओं के अवैध व्यापार की शीघ्र जांच कराए जाने की आवश्यकता।

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : महोदय, हाल ही में किया गया यह रहस्योद्‌घाटन कि लंदन स्थित विश्व प्रसिद्ध आर्ट आक्सन हाऊस सदबेज भारत की पुरातन वस्तुओं के अवैध व्यापार में लिप्त है, वास्तव में चौंका देने वाला है और यह दर्शाता है कि संस्कृति का किस हद तक वाणिज्यीकरण हो गया है।

यह भी दुःखद है कि श्री पीटर वाटसन ने अपनी पुस्तक 'सदबेज इनसाइड स्टोरी' में रहस्योद्‌घाटन न किया होता और इसके साथ ही टाइम्स समाचार पत्र का धारावाही प्रकाशन और बी.बी.सी. चैनल 4 में तस्करी की कृतियों की बिक्री पर वृतचित्र न प्रदर्शित होता जिसमें मुम्बई के कला-व्यापारियों के नाम दिए हुए थे और यहां तक कि उनकी आवाज भी रिकार्ड की गई थी कि गुप्त रूप से इन कला कृतियों को कैसे बेचा गया जिसमें सोदेबाज के आन्तरिक दस्तावेजों का सहारा लिया गया था, तो इस सांस्कृतिक लूटपाट से विश्व के लोगों की अन्तरात्मा को ठेस नहीं पहुंची होती और यह भारतीय पुरात्व विभाग (ए.एस.आई.) द्वारा अक्सर अभिव्यक्त प्रभावहीन शिकायत की तरह निष्क्रिय नहीं हुई होती। क्योंकि इस तरह की शिकायतें यदि पहले नहीं तो 1986 से बिना ठोस सबूत के की जा रहीं हैं। 1986 में यदि इससे पहले न की हो। क्योंकि इस नियम कि एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुएं भारत से निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं के तहत कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई, भारतीय कलाकृतियां संग्रह के लिए लोलुप संग्रहालय-अध्यक्षों, लोभी संग्राहकों और कला-कृतियों के चोर व्यापारियों के हाथें में चली गई। यह शर्म की बात है कि ऐसी धोखाधड़ी करने वाले अपने ही लोग हैं। यही नहीं यह भी आरोप है कि राजनयिक बैग का राजनयिक भी इन पुरातन कलाकृतियों की तस्करी के माध्यम थे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस धोखाधड़ी की उतनी ही तत्परता से जांच कराये जितनी तत्परता से ब्रिटेन की सरकार के व्यापार एवं वाणिज्य विभाग ने इसका ब्रिटेन में रहस्योद्‌घाटन होने पर कराई थी।

(चार) उड़ीसा में भीषण सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : महोदय, उड़ीसा में भीषण सूखे की स्थिति है। तीसरे सत्र के दौरान संसद में इस मामले पर चर्चा हुई थी। माननीय कृषि मंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रभावित लोगों की स्थिति सुधारने के लिए 220 करोड़ रुपये देने का वचन दिया था। दुर्भाग्यवश केवल 13 करोड़ रुपये की राशि दी गई और वह भी राहतकोष से।

इसके साथ ही पैदावार का समय खत्म हो चुका है और उड़ीसा

[श्री अनादि चरण साहू]

के 30 जिलों में से 28 जिलों में 50 से 74 प्रतिशत पैदावार नहीं हुई है। सूखे से 28,953 ग्राम प्रभावित हुए हैं। वहां पेयजल आपूर्ति, प्रभावित लोगों के लिए नौकरी और कृषि क्षेत्र के लिए अल्पकालिक ऋण दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है। केन्द्र सरकार प्रभावित गांवों में ई.ए.एस. योजना के अंतर्गत 187 करोड़ रुपये की राशि और अल्पकालिक सहायता देने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सुन्दरबन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में दूरभाष सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, यह अत्यंत चिन्ता की बात है कि सरकार ने बड़े उत्साह से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जहां ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, वहां जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु 'मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम (एम ए आर आर) आरम्भ किया पर दुर्भाग्यवश दूरसंचार विभाग तथा राज्यों में स्थित इसके कार्यालय इस संचार लाइन के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित नहीं कर पाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में, जो कि अपनी अद्भुत वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं तथा जैव वैषम्यता के लिए विख्यात है वहां समूची व्यवस्था चरमरा गई है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कैनिंग तथा 'गोसाबा' दूरभाष केन्द्र के अन्तर्गत आता है तथा मैं एक चौंका देने वाली बात बता रहा हूं कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में जून, 1995 से टेलीफोन खराब पड़े हैं। यह दु:ख की बात है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

माननीय संचार मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस चिन्ताजनक स्थिति पर ध्यान दें तथा यह सुनिशित करें कि न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि समूचे देश में ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सही ढंग से कार्य करें तथा उनमें आई खराबी को तत्काल ठीक किया जाये और बहाल किया जाये ताकि इस विरोधाभासी स्थिति का हमेशा के लिए समाधान हो जाये।

[हिन्दी]

(छह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर को अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों से सीधी रेल सेवा द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता:

डा. बलिराम (लालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। इस जनपद के लोग देश-विदेश, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, आसाम सभी जगह रहते हैं, लेकिन आवागमन व रेल के साधन सीधे आजमगढ़ के लिए नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही कारण भी है कि यह जनपद बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, लम्बे समय से स्थानीय नागरिकों व जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि आजमगढ़ को रेलवे विभाग द्वारा शाहगंज-आजमगढ़-मऊ रेलवे की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए। यह परविर्तन का कार्य भी पूर्ण हो गया, लेकिन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता व लखनऊ से आज तक कोई रेलगाड़ी इस लाइन पर नहीं चलाई गई।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली, बम्बई, लखनऊ आदि शहरों से उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के लिए लम्बी दूरी की मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़िया तत्काल चलाई जाएं जिससे जनता को आवागमन में परेशानी न उठानी पड़े।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु के नागापट्टीनम पत्तन का अधिग्रहण कर उसे प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता:

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठा रहा हूं।

नागापट्टीनम पत्तन डच द्वारा निर्मित एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक पत्तन है। इस पत्तन से चमड़े, नमक, सूखी मछलियों का निर्यात तथा प्याज, सीमेंट आदि का आयात होता रहा है। सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा के लाखों अनिवासी भारतीय निकटस्थ जिलों में रह रहे अपने परिवार से मिलने जाते थे। वे समुद्र के रास्ते भारत आते थे जो कि उनके लिए परिवहन का सस्ता साधन था।

1988 में, यहां से जहाज का आना जाना बंद कर दिया गया तथा इस पत्तन की गतिविधियां बंद कर दी गईं जिससे हजारों लोगों से उनका रोजगार छिन गया और लाखों लोग प्रत्यक्षत: और परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इस पत्तन में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें लाइट हाऊस, वेचर हाऊस, कस्टम कार्यालय, और रेल नेटवर्क मौजूद हैं। पत्तन को पुन: चालू करने संबंधी प्रस्ताव का राज्य सरकार ने पहले ही समर्थन कर दिया है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पत्तन का अधिग्रहण कर इसे एक प्रमुख पत्तन के रूप में घोषित किया जाए।

इस पत्तन पर मालवाहक एवं यात्री जहाजों की सेवाए आरम्भ कर देनी चाहिए और ड्रेजिंग कार्पोरेशन की स्थापना की जानी चाहिए।

अपराह्न 2.59 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थीं। मैं संक्षेप में अधिक समय न लेते हुए कुछ और बातें रखना चाहता हूं। यह जो सरकार बनी है इसके प्रधानमंत्री जी की छवि यह बन गई है कि वे वादों के प्रधानमंत्री हैं। इतने वादे करते हैं कि शायद वे पूरा कर पाएंगे या नहीं, कुछ पता नहीं है। वादे करने में कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन वादों को पूरा करने में अभी तक कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई जिससे लगे

कि वे इन वादों के प्रति गम्भीर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड का वादा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया और यही बात उत्तर प्रदेश में चुनावों के समय भी कही। लेकिन उसके बारे में कोई बिल लाने का या अन्य कोई संकेत उनकी तरफ से नहीं किया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

एक पेपर में आया है कि पिछले आठ महीनों में उन्होंने 8000 से अधिक वादे किए हैं। अब पता नहीं कितने किए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते मेरा उनको यह सुझाव होगा कि या तो वह वादे करें नहीं और यदि करें तो उनको निभाएं, उनको पूरा करके दिखाएं। इसी में उनकी सरकार की साख है।

मैं एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह दिल्ली के बारे में है। दिल्ली में सरकार बनी जहां उसको विधानसभा का अधिकार दिया गया। लेकिन दिल्ली की सरकार एक ऐसी विचित्र सरकार है क्योंकि अब न तो यह केन्द्र शासित प्रदेश है और न इसको पूरे राज्य के अधिकार हैं। शायद सारे देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं होगा लेकिन यह राज्य है जिसके पास जमीन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कोई भी सरकार जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं है तो वह कैसे चलेगी ? हमने लैंड-लैस लेबर की बात सुनी थी लेकिन लैंड-लैस सरकार भी हो सकती है, ऐसा हमने अब देखा है। सरकार है लेकिन उसके पास लैंड का अधिकार नहीं है। इस देश में छोटे-छोटे प्रदेश हैं और ऐसे भी प्रदेश हैं जहां 5-5 लाख या 7-7 लाख की आबादी है लेकिन उनको पूरा राज्य का दर्जा दिया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली के बारे में सरकार को एक नया एक्ट लाना चाहिए और दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जांना बहुत जरूरी है। जब तक लैंड और लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास नहीं होते तब तक सरकार को पूरे नियंत्रण की दृष्टि से काम करना कठिन हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बातें ऐसी कही गई हैं तथा हमारे ऊपर साम्प्रदायिकता के आरोप लगे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर संविधान की अवहेलना करके कोई सरकार चलती है तो उस सरकार के बारे में क्या कहा जाए ? अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 में पशुपालन, गोरक्षा तथा भार वाहक पशुओं के वध को निषेध करने के लिए नीति-निदेशक सिद्धांतों में सरकार को कहा गया है कि इसके लिए वह कानून बनाए और इन पशुओं को वध करने की जो अनुमति है, उसे बंद करे। यह प्रतिबंध जब तक प्रदेशों में चलता रहेगा, किसी न किसी प्रदेश में गोत्रवध होता रहेगा। इसलिए मेरी मांग है कि इसके बारे में कानून बने और केन्द्रीय कानून बनाकर गो-वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब इस देश में गो-वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना अगर साम्प्रदायिकता है तो मुझे इस सरकार पर दया आती है। किसान, गाय तथा बैल इन चीजों को छोड़कर हम नहीं चल सकते। एक संविधान की धारा 48 है तथा दूसरी धारा 44 है जिसमें समान नागरिक कानून की बात है। लेकिन सरकार धारा 44 के खिलाफ भी बोल रही है। अब धारा 48 हो या धारा 44 हो। यदि उसके खिलाफ सरकार बोले, सरकार के लोग बोलें तो उनको क्या कहा जाए ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1976 में बयालीसवां अमेंडमेंट हुआ है। इस अमेंडमेंट में और संविधान के प्रीएम्बल में यह कहा गया है कि यह देश सैक्यूलर और सोशलिस्ट देश होगा। इसमें यूनिटी तथा इंटीग्रिटी को भी एड किया गया था। सोशलिज्म और सैकुलरिज्म जितनी बातें संविधान की प्रीएम्बल में कही गई थी, 1976 से लेकर आज तक जम्मू-कश्मीर में ये लागू नहीं हैं। क्या जम्मू-कश्मीर कोई अलग प्रदेश है ? क्या वह हमारे देश का एक हिस्सा नहीं है ? क्या वहां हमें सैकुलरिज्म नहीं चाहिए ? इस तरह की परिस्थितियां बनती है। संविधान की जो बातें हैं, उनका पालन करना और करवाना सरकार का काम है। संविधान के खिलाफ बोलना, उसकी धज्जिया उड़ाना, उसका अपमान या उसकी अवहेलना करना सरकार को शोभा नहीं देता।

संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 51 (क) में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। साथ ही संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्र-गान का आदर करे। हमारे संविधान ने आदर्शों और संस्थाओं को मैंडेट्री माना है कि हर नागरिक उसका पालन करे और उसका आदर करे, लेकिन सरकार उसका निरादर करे और पालन ही न करे, तो मैं पूछता हूं कि हमें उसके बारे में क्या कहना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार के प्रमुख लोगों के द्वारा संविधान की अवहेलना हो, तो उसके बारे में कोई दलील नहीं हो सकती है। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।

मैं कुछ बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस अभिभाषण में गरीबों के बारे में बड़ी चर्चा है। जैसा मैंने पहले कहा, लगता है कि 1971 की स्थिति को दोहराया जा रहा है। गरीबों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। इस बारे में गरीब के द्वारा जो भावना व्यक्त की गई है, गरीब जो कहता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। वह कहता है, आपने आंसू बहुत बहाए, लेकिन अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ने की कृपा करें। मैं इस बारे में एक उर्दू के शेर के द्वारा गरीब की भावना को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। वह कहता है :

मुझे तजुर्बा है खलूस का,
मुझे बख़्शा दो मेरे हाकिमो,
मुझे मेरे हाल पर छोड़ कर,
न दुआ करो, न दया करो।

मुझ को मेरे हाल पर छोड़ देंगे, तो मैं बच जाऊंगा। नहीं तो आप जो मेरा इलाज कर रहे हैं, उससे तो मैं मर जाऊंगा।

आखिर में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कहा गया है कि साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। हो जाइए इकट्ठे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए। इस सरकार को न जनादेश प्राप्त है और न जन-समर्थन प्राप्त है। जब इस स्थिति में कोई सरकार बनती है, तो उस सरकार को थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं। यह सरकार कितने दिन चलेगी, इसका मुझे भरोसा नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब आपके पास जन-समर्थन नहीं है, जब आपके पास जनादेश नहीं है, तो इस सरकार को आप ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकते हैं। इसका सबूत आपको एक के बाद एक मिलता जा रहा है। यह सरकार जो जोड़-तोड़ द्वारा बनाई गई है, उसको इस साल जनवरी

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

और फरवरी, 1997 के विभिन्न चुनावों में जनता द्वारा उत्तर दिए जा रहे हैं। प्रदेशों में जो अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, यह उसका उत्तर है। छिंदवाड़ा का उप-चुनाव उसका उत्तर है। नगर-निगम के चुनाव इसके उत्तर है दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड के चुनाव इसका उत्तर है। मुम्बई के नगर-निगम के चुनाव इसका उत्तर है और दिल्ली के नगर-निगम के चुनाव इसका उत्तर है। ये उत्तर इस बात को दर्शाते हैं कि जनता इस गठजोड़ को जोड़-तोड़ की सरकार को रिजेक्ट कर रही है। एक भी ऐसी जगह नहीं है, जहां पर इनको समर्थन मिल रहा हो या कोई सीट बढ़ रही हो या सम्मान मिल रहा हो। ये सारी पार्टियां ऐसी हैं, जो नेता अपनी पार्टियां तोड़ कर, लड़ाई-झगड़ा करके आ गये हैं और अब कह रही हैं कि हम देश की रहनुमाई करेंगे और हम देश का नेतृत्व करेंगे। मैं कहता हूं कि आप अपनी पार्टियों की ताकत तो देख लें, आप देश को क्या बचायेंगे।

मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूं। आप दिल से यह ख्वाब निकाल दें कि आप देश को कोई नेतृत्व दे सकते हैं। आपका किसी चीज पर कोई नियन्त्रण नहीं है और न आप देश को कोई दिशा दे सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार में विभिन्न दल मिले हैं—करेंगे किसी की वे क्या रहनुमाई, जो लुटता हुआ कारवां छोड़कर आए। अपने-अपने कारावां लुट गए और उनको छोड़ कर आए हैं तथा मिल कर कह रहे हैं कि रहनुमाई करेंगे। जब आप लुटता हुआ कारवां छोड़ कर आए हैं, तो आप क्या रहनुमाई करेंगे। यह मुझे कठिन लगता है।

आखिर में, मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी श्री चव्हाण और राव साहब का मतभेद आपके सामने आ गया है।

चव्हाण साहब कहते हैं कि हम अयोध्या की घटना रोकना चाहते थे राव साहब ने रोकने नहीं दिया। इसमें रहस्य क्या है ? यह भी चाव्हाण साहब को, राव साहब को स्टेटमेंट देना चाहिए कि अयोध्या के बारे में उनको जो जानकारी है वे बताएं। वे क्यों नहीं बताते हैं? वे क्यों नहीं पार्लियामेंट को विश्वास में लेते ? वे बाहर क्यों बोल रहे हैं, वे यहां आकर बोलें और हाउस में बताएं। राव साहब बोलें तथा और लोग बोले। कांग्रेस के लोग बताएं कि अयोध्या की उनको और क्या जानकारी है। मैं तो यह चाहूंगा कि जो भी कानूनी कार्यवाही चल रही है उसके अंदर इन दोनों का भी समावेश होना चाहिए। लेकिन सब बातों के बावजूद मैं इन तथाकथित सेक्यूलरवादी ताकतों को एक और बात कहना चाहता हूं। ये इस बात का ध्यान रखें कि इस देश में 1984 जैसे साम्प्रदायिक दंगे इतिहास में कहीं नहीं हुए। उस दंगे को लेकर एंटी सिख, एंटी पंजाब, भावना खड़ी करके उस समय की सरकार ने चुनाव लड़ा। अगर यही सेक्यूलरिज्म है तो यह आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए।

महोदय, यहां शरद पवार साहब नहीं बैठे हैं। 1993 में मुम्बई में दंगे हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था वहां नहीं हुए। यह सब को पता है कि दाउद कौन थे, किन लोगों ने दंगे करवाए। ..*(व्यवधान)* वहां मुम्बई जैसे दंगे नहीं हुए हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : वह आप ही के लोगों का रिएक्शन था।...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा : ठीक है, वह हमारा ही रिएक्शन होगा लेकिन वह रिएक्शन ऐसे स्टेट में क्यों हुआ जहां पर कांग्रेस की हुकूमत थी। ऐसी स्टेट्स में क्यों नहीं हुई जहां हमारी हुकूमत थी, वहां पर भी रिएक्शन होना चाहिए था। अगर हमारी गलती थी तो वहां रिएक्शन होता, वहां नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने प्लानिंग से वहां सब काम कराया और बाद की घटनाएं बता रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का आरोप नहीं सहा जाएगा। उनके जैसे एक वरिष्ठ सदस्य ऐसा कैसे बोल सकते हैं ? उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस एक धर्मनिर्पेक्ष दल है और इस प्रकार के कार्यों में यह दल शामिल नहीं हो सकता।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैंने 1984 के दंगों का उदाहरण दिया है।

[हिन्दी]

1984 के बाद कांग्रेस का सैक्यूलर रूप खत्म हो गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : वे इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

डॉ. मल्लिकार्जुन : यह आपका भ्रम है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

डॉ. मल्लिकार्जुन : हम सदा एक धर्मनिर्पेक्ष एवं समाजवादी दल बने रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 1980 से दस साल तक पंजाब में आतंकवाद रहा। उस आतंकवाद के लिए वहां पर कौन जिम्मेदार है ? कश्मीर में आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस लेने को क्यों नहीं तैयार होती। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए ? ...*(व्यवधान)* आप किसी पर इल्जाम लगाइए और फिर बताइए। इसलिए मुझे कहना है कि आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया तो आपके चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह सत्ता में थे।...*(व्यवधान)*.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश को जितनी शांति दी थी, जितना लॉ एंड आर्डर उन्होंने मेनटेन किया था, उसको आज तक उत्तर प्रदेश याद रखता है।...*(व्यवधान)* इसके बारे में सारी दुनिया जानती है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

महोदय, मुझे कनक्लूड करते हुए ये शब्द कहने हैं कि यह सरकार न रोजगार बढ़ा पाई, न आय बढ़ा पाई, न गरीबों की किस्मत को ठीक

कर पाई, इसने अगर बढ़ाया है तो सिर्फ कर्जा बढ़ाया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, मंहगाई बढ़ाई है। इसलिए किसी भी ऐसी सरकार का यह अधिकार नहीं बनता कि इस तरह का अभिभाषण वे हाउस में लाए और समर्थन की उम्मीद करे। सही बात यह है कि सेक्यूलरिज्म का नाम लेने का इनको कोई भी अधिकार नहीं रह जाता।

मैं तो एक बात कहकर खत्म कर रहा हूं। सब पार्टियां इकट्ठी हो गयी हैं लेकिन सरकार लंगड़ी-लूली है चल नहीं रही है। इसलिए इस सरकार को खत्म करिये। मेरी चुनौती है कि सब पार्टियां एक हो जाओ...*(व्यवधान)*हमारी आपको चुनौती यह है कि एक चुनाव सेक्यूलरिज्म के नाम पर हमारे खिलाफ लड़कर बताइये। हम इसका जवाब देंगे कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आज अगर छवि है तो वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी की है, अगर छवि है तो भारतीय जनता पार्टी की है। हम इस चुनौती को आपके सामने रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें और एक चुनाव सारी पार्टियां एक होकर लड़े तो अच्छा हो। फिर किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हम आपस में लड़े इसलिए गड़बड़ हो गई।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रस्ताव का समर्थन मांगे या उसको पास करने में सहायता की अपेक्षा करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधुकर सरपोतदार जी बोलेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस आशय की सूचना पहले ही दे दी है कि मैं अपना भाषण मराठी में दूंगा। अतः मुझे आशा है कि तदनुसार भाषान्तरण की व्यवस्था की गई होगी।

अध्यक्ष महोदय : हां, भाषान्तरण की व्यवस्था की गई होगी।

श्री मधुकर सरपोतदार : अतः मैं मराठी में अपना भाषण आरम्भ करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं बंगाली में बोलना चाहूंगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप बंगाली मे बोल सकते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : आप हिन्दी में बोलो।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : वह अपनी मदर-टंग में बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए। आपको जब अवसर मिलेगा आप तब बोलिए।

अपराह्न 3.24 बजे

[श्री पी. सी. चाको *पीठासीन हुए]*

***श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पूर्व)** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री शरद यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और माननीय सदस्य श्री एन.एस.वी. चित्तन ने इसका समर्थन किया। मैं इस प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी एक बड़े विद्वान और सम्माननीय व्यक्ति हैं। जैसे कि एक कहावत है कि "विद्वान व्यक्ति सर्वत्र सम्मान का पात्र होता है"। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करता हूं। उनको प्रशासन का बहुत अनुभव है। तथापि, मैं, अपने दल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक ऐसा दस्तावेज है जो पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों की समीक्षा करता है और भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा इस सदन को और सम्पूर्ण राष्ट्र को उपलब्ध करवाता है। यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह दस्तावेज सरकार के लिए दिशा-निर्देश का कार्य करेगा ताकि सरकार भविष्य में अपना प्रशासन अच्छी तरह से चला सके।

तथापि, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मेरे मन में जो विचार उभरे, वो कुछ अलग प्रकार के थे।

सरकार ने आठ महीनों का कार्यकाल पूरा किया है। यह देखना आवश्यक है कि इस सरकार ने किस दिशा में प्रगति की है। यदि हम इस अभिभाषण के पृष्ठ 2 को देखें तो, माननीय राष्ट्रपति जी ने जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया है। जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है ? वहां चुनाव करवाए गए हैं। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां शासन कर रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें। जब आपकी बारी आए, तब बोलें।

श्री मधुकर सरपोतदार : सम्पूर्ण देश और विश्व कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानता है। मैं भी इस बात से प्रसन्न हूं कि एक चुनी हुई सरकार उस राज्य में शासन कर रही है। चुनाव हुए और एक लोकप्रिय सरकार उस राज्य में गठित हुई। किन्तु चुनाव के पश्चात् जो घटनाएं घटीं, वे वास्तव में दुःखदायी हैं। जम्मु-कश्मीर के मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि वे आधा कश्मीर चाहते हैं उन्हें यह दिया जा सकता है। लेकिन हमें कश्मीर समस्या का समाधान करना है। मेरे समक्ष प्रश्न यह है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को यह वक्तव्य देने का अधिकार किसने दिया। यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कुछ मुद्दों पर समझौता करने को तैयार हैं। मैं नहीं जानता कि इस समझौते का क़्या स्वरूप है। किन्तु उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि हम कश्मीर समस्या को कुछ समझौते करके सुलझा सकते हैं। किन्तु बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया। यदि उन्होंने ऐसा वक्तव्य

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मधुकर सरपोतदार]

नहीं दिया तो यह अच्छी बात है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरे विचार से, जब देश की संप्रभुता का प्रश्न आता है, तो यह जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को इस सम्मानित सदन को विश्वास में लिए बिना इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस वक्तव्य का कोई सन्दर्भ नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृष्ठ 2 पर हमारी आर्थिक नीति की ओर इशारा किया गया है। हमारे देश की आर्थिक नीति क्या है ? इसमें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी कहा गया है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यक्त इस कथन से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह वास्तविक स्थिति को भली भांति प्रतिबिम्बित नहीं करता।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह वास्तविक स्थिति को समझे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक बात कहनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक स्थिति का वास्तविक उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदय राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृष्ठ 4 पर हमारे देश में विद्युत उत्पादन का उल्लेख किया गया है। विद्युत उत्पादन को निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है ताकि विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो और देश की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बिना विद्युत उत्पादन के हम देश की उन्नति नहीं कर सकते। मेरे विचार से, विद्युत के पर्याप्त उत्पादन के बिना, उद्योग स्थापित नहीं हो सकते। उद्योगों की प्रगति के बिना, हम आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते। किन्तु जब हम देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए बाह्य ऋण लेते हैं, तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार इन विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण नियन्त्रण रखें। अन्यथा धीरे-धीरे हम अपने देश की बागडोर विदेशी हाथों में सौंप देंगे। हमें इस बात की भी आशंका है कि हमारी आर्थिक नीति पर उन देशों का नियन्त्रण हो जाएगा। हमारी आशंका निराधार नहीं है। अत: सरकार को इस संबंध में सतर्क रहना चाहिए।

पृष्ठ 4 पर एक अन्य वक्तव्य है जिसे मैं पूर्णतया समझ नहीं सका। इसमें कहा गया है कि हम दीर्घकालिक पैंशन और बीमा के लिए विदेशी बीमा निधि को आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में एक प्रश्न उठता है कि यदि आप इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, तो क्या आप बीमा क्षेत्र को भी विदेशी हाथों में सौंपने जा रहे हैं। यह संदेह मेरे मन में उठ रहा है। बीमा हमारे देश का एक बड़ा उद्योग है हमने इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है। ऐसी स्थिति में, इस क्षेत्र में हमारे लिए विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देना उचित नहीं होगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो हमारे देश में बीमा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा क्रमांक 16 में राष्ट्रीय राजमार्गों का उल्लेख किया गया है। एक अध्यादेश के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजमार्गों का उचित तरीके से रख-रखाव किया जाना चाहिए। जब तक राजमार्गों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं होगा, तब तक संचार व्यवस्था संतोषजनक नहीं होगी। मानव शरीर में जो महत्त्व नाड़ियों का होता है, वही महत्त्व देश में सड़कों का होता है। यदि राजमार्गों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं होगा, तो देश की उन्नति भी संभव नहीं होगी। यदि हम देश के विगत 50 वर्षों के इतिहास को देखें तो हम यह पाएंगे कि केवल कुछ राजमार्गों का ही रख-रखाव भली-भांति किया गया है। शेष सड़कें खस्ता हाल में हैं। कोई नहीं जानता कि सड़क में गड्ढे हैं अथवा गड्ढों में सड़क है। यदि गरीबों की जमीनों का राजमार्ग हेतु अधिग्रहण किया जाता है, तो उनको वर्तमान बाजार दर पर मुआवजा राशि दी जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे सम्बन्धित राष्ट्रपति के अध्यादेश के विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान बाजार दर पर किया जाए।

अभिभाषण के पृष्ठ 15 पर यह कहा गया है कि तेल घाटा 15500 करोड़ रुपये का है। चाहे सरकार मना करती रहे, मुझे विश्वास है कि चालू वर्ष के बजट में पेट्रोल उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी। यदि पैट्रोल उत्पादों के मूल्य में 6 माह में और वृद्धि होगी तो देश में सभी वस्तुओं के मूल्य में भी काफी वृद्धि हो जाएगी और देश के लोगों का जीवन दयनीय बन जाएगा। यदि आप पेट्रोल उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करेंगे तो आप को लोगों, विशेषकर देश के गरीब लोगों की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें पेट्रोल क्षेत्र के संकट के जिम्मेदार तथ्यों को खोजना होगा। यदि केवल एक ही क्षेत्र में 15,500 करोड़ रूपए का घाटा होगा, तो इसका अभिप्राय यह है कि तेल क्षेत्र के बारे में जो आवश्यक निर्णय लेने थे वह समय पर नहीं लिए गए। प्रत्येक बार निर्णय टाला गया। यह सोचा गया कि अगली सरकार निर्णय लेगी। यही दृष्टीकोण ही अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप आज हमें पेट्रोल पदार्थों के दामों में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह लगभग नीति बन गई है कि प्रत्येक वर्ष के बजट में पेट्रोल पदार्थों के मूल्य में वृद्धि की जाए।

मैं इस प्रवृति से प्रसन्न नहीं हूं और हमें इस परिस्थिति का हल अवश्य ढूंढना चाहिए। कहा जाता है कि ईंधन बचाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ? मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई की सभी सड़कों पर सदैव ट्रैफिक जाम लगा रहता है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में ईंधन बर्बाद होता है। ईंधन बचाने के लिए अभियान चलाने और बड़ी संख्या में हर जगह बैनर लगाने के बावजूद हम ईंधन नहीं बचा पाते हैं। हमारे देश में ट्रैफिक जाम के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पैट्रोल/डीजल बर्बाद होता है जिसके कारण प्रदूषण होता है और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एक तरफ तो प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है दूसरी तरफ लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्यवृद्धि को झेलना पड़ता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में और वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

पैराग्राफ संख्या 19 कृषि क्षेत्र से संबधित है। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमें अपने देश में कृषि की स्थिति में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। जल प्रबन्धन एक बुनियादी समस्या है। हमारे देश में जल प्रबंधन ठीक नहीं है इसलिए इससे हमारी कृषि पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ा है। गत 50 वर्षों में हम जल प्रबन्धन का उचित नियोजन करने में असफल रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप हमें इस वर्ष 20 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ा। हमारे देश में बड़ी मात्रा में पैदा होने वाले गेहूं का निर्यात करने के बजाय हमें आयात करना पड़ रहा है। जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है आयतित गेहूं उत्तम गुणवत्ता वाला नहीं है। यदि हमें गेहूं आयात करना है और इससे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। यद्यपि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का उल्लेख किया गया है लेकिन कहना भर ही काफी नहीं है। हमें इस प्रयोजनार्थ कारगर योजना तैयार करनी पड़ेगी। यूरिया के मामले में 33000 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है जोकि गम्भीर चिन्ता का कारण है। हमारे चारों ओर भ्रष्टाचार का बोल-बाला है यह सरकार पर निर्भर करता है कि योजनाओं को हाथ में लेकर उन्हें पूरा करेगी। सरकार को हमारी व्यवस्था में घुस आए भ्रष्टाचार के बारे में सचेत रहना चाहिए और हमारे देश में कृषि में सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि हम कृषि क्षेत्र पर उचित ध्यान दें तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में दीर्घावधि असर पड़ेगा। मेरा पक्का विश्वास है कि उचित जल प्रबंधन, यथेष्ट मात्रा में यूरिया और किसानों के लिए जरूरी आदानों की उपलब्धता से खेती-बाड़ी फायदे का सौदा हो सकती है।

हमें कृषि उत्पाद और विपणन के बीच उचित समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। इस समय विपणन के क्षेत्र में समूचे फायदे को बिचौलिए खा जाते हैं और किसान खाली हाथ रह जाते हैं। किसान कड़ी मेहनत से अनाज उगाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लाभ का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। वे वहीं के वहीं रहते हैं। समूचे देश में यही भावना पनप रही है और किसान समुदाय में इस मुद्दे को लेकर काफी असंतोष व्याप्त है। इसलिए सरकार को कृषि क्षेत्र को विशेष तरजीह देनी चाहिए और किसानों की हालत में सुधार करना चाहिए।

हमारे देश में जल संसाधनों का प्रबन्धन उचित नहीं है। सरकार द्वारा हाल ही में 'गंगा कल्याण योजना' लागू की जा रही है। इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जानी चाहिए। यह बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 22वें पैराग्राफ में सम्मिलित है। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 'नए कार्यक्रम 'गंगा कल्याण योजना' के जरिए बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न योजनाओं को अति सुन्दर नाम दिए गए हैं जिनसे पवित्र भावनाएं पैदा होती हैं। जब गंगा का नाम लेते है तो हमारे मस्तिष्क में गंगा नदी का शुद्ध जल आता है। लेकिन क्या आप पवित्र नदी के नाम के उपयुक्त लाभकारी योजना लागू करने जा रहे हैं ? अनेक योजनाओं की घोषणा की जाती है, योजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन की भी घोषणा की जाती है लेकिन ये योजनाएं लागू नहीं की जाती हैं। यह सरकार की प्रवृत्ति बन गई है। अतएव यह आवश्यक है कि जो भी योजनाएं घोषित की जाती हैं उन्हें देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और निर्धन लोगों के हित में पूरी तरह से लागू किया जाए। सरकार द्वारा निर्धन लोगों के हित में किए गए किसी भी निर्णय को संसद के सभी सदस्यों द्वारा समर्थन दिया जाएगा और सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागज पर ही नहीं रहनी चाहिए उन्हें वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए। हम जो भी योजना बनाएं उसे लागू करना चाहिए। आबंटित धनराशि को उन योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। लोगों के बीच विश्वास पैदा करना अति आवश्यक है और यह वक्त की जरूरत भी है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रश्न में जरूरी कदम उठाएगी।

गरीबी उन्मूलन एक बड़ी समस्या है। इसका अभिभाषण के 24वें पैरा में उल्लेख किया गया है। मैंने देश के तीन-चार राज्यों का दौरा किया। मैंने गरीबी उन्मूलन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों से कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उनके राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की सही संख्या के बारे में पूछा लेकिन मुझे किसी भी राज्य से सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिला। हमने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आधी कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कहा जाता है कि 33 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। लेकिन मुझे सन्देह है कि 33 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं क्योंकि इस संबंध में सूचना एकत्र करने की प्रणाली-दोषपूर्ण है। यदि गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं गरीबी को दूर करने में सहायक होती हैं तो मुझे खुशी होगी। लेकिन एक योजना की घोषणा की जाती है तो कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं का कड़ाई से कार्यान्वयन होना चाहिए और इनके निमत लोगों को इसका लाभ मिले।

अभिभाषण में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी का उल्लेख है। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक परस्पर भटक रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे कोई व्यवसाय भी शुरू नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अभिभाषण के 27वें पैरा में एक समाधान सुझाया गया है। इससे मेरे दिमाग में एक संदेह पैदा होता है। इस देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं।

जहां तक नियोजन का संबंध है, अभिभाषण में यह कहा गया है कि प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को अर्थक्षम उद्यम और व्यापार शुरू करने के लिए बेहतर राज सहायता, प्रशिक्षण और ऋण सुविधायें प्रदान की जाएंगी। ये सब लिखने और पढ़ने में अच्छा लगता है इससे ऐसा लगता है कि इससे 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह लोगों के लिए अलादीन के चिराग जैसा है। इससे ऐसी धारणा बनती है कल को ही करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसी घोषणाएं करते समय सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। यदि सरकार आगामी चार वर्षों के दौरान लोगों को मिलने वाली रोजगार की वास्तविक संख्या दर्शाती तो बेहतर होता। कम से कम हम यह सोचते कि सरकार इन लोगों के लिए ठोस रूप में कुछ करना चाहती है। यह एक आम घोषणा है जिससे लोग मात्र आशान्वित होंगे वस्तुत: उन्हें कुछ भी नहीं मिल पायेगा। यदि इस

[श्री मधुकर सरपोतदार]

योजना को उचित योजना बनाकर ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाता है और यदि हम शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं तो इस योजना का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस योजना के सही रूप में क्रियान्वित होने का मुझे संदेह है क्योंकि विगत 45 वर्षों का हमारा अनुभव यही दर्शाता है कि हम मात्र 'गरीबी हटाओ' का नारा देते हैं। लेकिन वस्तुतः गरीबी का उन्मूलन नहीं होता और गरीब-गरीब ही बने रहते हैं। लुभावने नारे लगाना और लोगों के मन में आशा जगाना एक बात है और इन योजनाओं को कार्यरूप देना और बात है। अतः सरकार को योजनाओं की घोषणाएं मात्र ही नहीं करनी चाहिए अपितु इस दिशा में कार्यवाही कर इसे क्रियान्वित करना चाहिए।

एक सात सूत्री नियोजन कार्यक्रम का भी उल्लेख है जिसे मुख्य मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया था कि बेरोजगार लोगों के सहायतार्थ इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए। यह सब ठीक है। हमारे देश में, जो दल केन्द्र में होता है उस दल का ही राज्यों में भी शासन हो, जरूरी नहीं है। एक समय था जब किसी एक दल को 400-450 सीटें मिला करती थीं और देश में उनका शासन होता था। लेकिन आज दस दल आपस में मिलकर एक मिली-जुली सरकार बनाते हैं। राज्यों में भी विभिन्न दलों की सरकार है और वे स्थानीय मुद्दों से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि केन्द्र में और राज्यों में आज किसी एक दल की सरकार नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने और उनके समक्ष सात सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी है कि इसमें पेय जल कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। हमारे देश में लाखों ऐसे गांव हैं जहां आजादी के 50 वर्ष बाद भी पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें पेय जल लेने और अपनी प्यास बुझाने के लिए 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः पेय जल उपलब्ध कराने हेतु एक निर्णय लिया गया है। इसी तरह प्रत्येक 5000 लोगों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए एक समान और अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जा रहा है। इस संदर्भ में, मेरा यही मानना है कि हमारे देश में केवल 40 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और 60 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। स्वतंत्रता के पचास वर्ष बीत चुके हैं। हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे गांव के लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। उन्हें स्वतंत्रता का कभी एहसास नहीं हुआ और वे यह नहीं जानते कि स्वतंत्रता क्या है ? देश के लाखों गांव ऐसे हैं जहां कभी किसी प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री या किसी अन्य मंत्री ने दौरा किया हो। इस पृष्ठभूमि में रोजगार संवर्धन हेतु सात सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करना अच्छा है। मेरा यही अनुरोध है कि इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चूंकि इन मुद्दों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है इसलिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना सरकार का दायित्व है। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी।

पैराग्राफ संख्या 27 में इस बात का उल्लेख है कि 32 करोड़ परिवार अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस प्रयोजनार्थ 2216 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्यों को 2216 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यह राशि राज्यों के उपभोग हेतु सुरक्षित रखी गयी है। इसमें एक मुद्दा है जिसे 'विशेष घटक' के नाम से जाना जाता है। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि 'विशेष घटक' शीर्ष के अंतर्गत कितने राज्य धन व्यय कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ राज्यों में विशेष घटक योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन को बैंकों में रख रखा है और उस धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। उस धन का उपयोग उन लोगों के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए वह दिया गया है। अतः योजना की घोषणा, और यह धारणा बनाने कि उनके लिए कुछ महान कार्य किया जा रहा है, करने के बदले इस योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना ही उचित होगा।

इसमें बेघर लोगों के लिए आवास हेतु सहायता दिए जाने का भी उल्लेख है। यह बहुत अच्छी बात है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास रहने का कोई घर नहीं है। यह आवश्यक है कि उनके लिए घर का प्रबंध किया जाए। जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह मनाने के लिए दिल्ली में एक बैठक की गई थी तब अनेक कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया था। इस कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्रस्ताव था। विभिन्न राज्यों में ये कार्यक्रम किए जाने थे। अनेक कार्यक्रमों का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण भी किया जाना था लेकिन स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमने गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराये हैं। यह सत्ताधारी पक्ष की जिम्मेदारी है कि हम लोगों की आम जरूरतों को पूरा करें। और वे जरूरी आवश्यकतायें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं अपने दल की ओर से बोलने वाला एक मात्र सदस्य हूं।

सभापति महोदय : आपके दल को मात्र 14 मिनट का समय दिया गया था। और आप 28 मिनट बोल चुके। अब, आप समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : लेकिन यहां कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने करीब डेढ़ घंटा बोला है।

सभापति महोदय : यह कोई मुद्दा नहीं है। आपने, अपने दल को आबंटित समय से, दुगुना समय लिया है। आप और ज्यादा समय नहीं ले सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको अध्यक्षपीठ से उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कुल आबंटित समय 9 घंटे का था। आप प्रत्येक दल के मुख्य सचेतक से आबंटित समय के बारे में पता करें। श्री सरपोतदार, आप अब समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं समाप्त करूंगा लेकिन कृपया मुझे कुछ समय और दीजिए।

गरीबी उन्मूलन के लिए जो धन आबंटित किया गया है उसे उन 32 करोड़ परिवारों पर व्यय किया जाना चाहिए जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि वास्तव में ऐसा कुछ होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि एक तंत्र बनाया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस बारे में राज्यों को आबंटित की गई धनराशि गरीब लोगों पर ही व्यय की जाए। यह एक अच्छा कार्यक्रम है किंतु मेरा अनुरोध है कि इसे उचित तरह से क्रियान्वित किया जाए। मुझे आशा है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी।

[अनुवाद]

महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का एक प्रस्ताव है। हर दिन इस मुद्दे पर चर्चा होती है। मैंने शुरू में इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किये थे। परन्तु उन विचारों का विरोध हुआ था। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सभी देशों की महिला प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इस सम्मेलन में उनका अभिमत जाना गया था। इस सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया गया था कि राजनीतिक दलों से महिलाओं को अधिकतम प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा जाय। यह प्रतिनिधित्व 50% भी हो सकता है। परन्तु महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में यह मत प्रकट किया गया था। परन्तु मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र विधान सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद ने इन निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्प पारित किया है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ने दूसरा ही मत प्रकट किया है और मैं अनुभव करता हूं कि सम्मेलन द्वारा प्रकट किए गए मत की इस प्रकार से उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

इस अभिभाषण में मजदूरों की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, असंगठित मजदूरों, कृषि मजदूरों को सुनिश्चित मजदूरी का उल्लेख और ऐसा अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया गया था। मैं यह बताना चाहूंगा कि कई उद्योग रुग्ण हो गए हैं, कई उद्योग बी.आई.एफ.आर. को सौंपे गये हैं, अनेक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार मजदूरों की स्थिति वास्तव में अत्यंत दयनीय है। मुम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में कई पुराने कारखाने बन्द हो चुके हैं। कई मजदूरों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत उनके बकायों का भुगतान कर दिया गया है और वे घर पर खाली बैठे हैं। इससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और वे भी, जो रोजगार से लगे थे, बेरोजगार हो रहे हैं। यदि इस स्थिति में सुधार लाना है, तो वर्तमान सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। हमें सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की अभिधारणा को कार्यान्वित करना होगा। सरकार को असंगठित क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि मजदूरों को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में यथा उल्लेखित सुनिश्चित मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। जैसाकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित है।

हमारे वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। हमारे वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। वास्तव में, दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों से बेहतर हैं। मैं हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ायी है। वैज्ञानिकों को सभी आवश्यक सहायता और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया में हमारा देश प्रगति करे। हमारी सेना, नौसेना, और वायु सेना प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। उन्हें वह हर प्रकार की सहायता, उपकरण, अत्याधुनिक हथियार दिये जाने चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकती हैं। वे अपनी शूरवीरता को अब तक एक बार नहीं बल्कि चार बार सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए सरकार को, हमारी सशस्त्र सेनाओं की सहायता हेतु, सम्पूर्ण शक्ति लगानी चाहिए। हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसीलिए पूरे देश को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनमें सामर्थ्य और इच्छा शक्ति है। परन्तु उनके पास शस्त्रों की कमी है। उन्हें शस्त्रों की आपूर्ति की जानी चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों पर एक बात कही गयी थी। यह कहा गया था कि हम बातचीत और चर्चा के द्वारा सभी समस्याओं को हल करेंगे। मैं पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के पक्ष में हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस देश में पाकिस्तान को तबाही फैलाने दिया जाएगा। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में दो बम फटे थे। इस देश को अस्थिर करने वाले लोग कौन हैं। सरकार ने कई बार यह कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। यदि पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमारी सशस्त्र सेनाओं के पास कड़ाई से निपटने की सामर्थ्य है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही कोई हम पर हावी हो। यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी इस देश को अस्थिर न करे। मैं सरकार से इस उत्तरदायित्व को उठाने का अनुरोध करता हूं।

मुझे अत्यधिक हर्ष है कि पश्चिम बंगाल और बंगला देश के बीच जल बंटवारे की समस्या को हल कर लिया गया। मुझे खुशी है कि कम से कम एक समस्या तो हल हुई। परन्तु करोड़ों बंगलादेशी घुसपैठियों की समस्या का समाधान ढूंढ़ा जाना शेष है। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस समस्या का कोई उल्लेख नहीं है। हम हमारे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। हम कैसे इन बंगलादेशियों की सहायता करेंगे जो बड़े शहरों में बड़ी संख्या में हैं। यदि बाहरी लोग आते हैं वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे।

मैं इजरायल के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। हमने इजरायल के साथ यह सोचकर सम्बन्ध नहीं सुधारे कि इस कारण अरब देश नाराज हो जाएंगें। इसलिए, हमारे इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं थे। कृषि और प्रौद्योगिकी में इजरायल की विशेषज्ञता हमारे लिए सहायक होगी। हमें इजरायल के साथ विचारों और अभिधारणाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए और दूसरे देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करना चाहिए। हमें इन कदमों को उठाकर अपने देश को समृद्ध बनाना चाहिए। प्रभुतासम्पन्न लोकसभा को एक उत्तरदायित्व निभाना है। हमने पहले संकल्प किया था कि हम

[श्री मधुकर सरपोतदार]

चीन से अपनी भूमि वापस लेंगे और आजाद कश्मीर भी वापस लेंगे। हमें इन संकल्पों को क्रियान्वित करना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। सरकार को इस सम्बन्ध में भी कदम उठाने चाहिए और मात्र नारेबाजी नहीं करनी चाहिए।

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी हमेशा डॉ दत्त सामंत का उल्लेख करते हैं। इसी कारण, मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। डॉ. सामंत की हत्या मुम्बई में हुई थी। मैं कभी इस हत्या का समर्थन नहीं करूंगा। उन कारणों और परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है जिनकी परिणति उनकी हत्या में हुई। इस मामले की जांच हो रही है। लोगों में ऐसी भावना है कि इस हत्या के पीछे एक दल है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सच नहीं है। डॉ सामन्त विश्वसनीय नेता थे। वे मेरे करीबी दोस्त थे। उनके ट्रेड यूनियन गतिविधियों में आने से पहले से ही मेरे उनसे बहुत ही अच्छे सम्बन्ध थे। परन्तु यह मालूम करना आवश्यक है कि उनकी ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण कितने लोग मारे गए थे। ट्रेड यूनियन गतिविधियों में लोगों को रास्ते से हटा देना आवश्यक नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मगरमच्छ के आंसू जो इस संदर्भ में बहाए जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ और इस प्रस्ताव पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और मैंने गम्भीरतापूर्वक और ध्यानपूर्वक भाषण सुना है, शरद यादव जी का, कांग्रेस पार्टी के सदन में नेता श्री शरद पवार जी का और दूसरे कतिपय माननीय सदस्यों का भी भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुना।

एक विचित्र स्थिति से देश गुजर रहा है, लोगों का जब भाषण हम लोग सुनते हैं और जो राजनैतिक परिस्थिति है, उसमें कोई ताल-मेल नहीं दिख रहा है। शरद पवार जी जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जितनी बातें कही हैं, उसमें एक बार भी उन्होंने सरकार के इस तथाकथित लिब्रलाइजेशन की नीति का समर्थन नहीं किया और उसकी कोई तारीफ नहीं की। सरकार ने जो राष्ट्रपति जी से अपना अभिभाषण दिलवाया है, उसमें अगर सबसे अधिक पीठ इसी बात को लेकर थपथपाई गई है।

अब एक विचित्र स्थिति है, 13 पार्टियों का यह संयुक्त मोर्चा है। अब पता नहीं, आजकल लोग 14 बोल रहे हैं, लेकिन दो पार्टियां तो विलीन हो गई हैं, एक तो तिवारी कांग्रेस चली गई, एक मध्य प्रदेश विकास पार्टी चली गई, फिर भी 13 पार्टियां कायम हैं और पता नहीं 14 भी हो गई, किसान कामगार पार्टी आ गई।...*(व्यवधान)* वह ठीक है। लेकिन यह हिसाब आपका विचित्र है। यह 13 का 13 समझ में नहीं आता कि कैसे चला रहता है। पार्टियां मर्ज भी कर जाती हैं और पार्टियां कायम भी रहती हैं। इस सरकार की एक विचित्र स्थिति है। ..*(व्यवधान)* सरकार में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल है। इस मोर्चे में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल है और जनता दल के लोग पिछली लोक सभा में इधर बैठे हुए थे और यहां से उन आर्थिक नीतियों पर उनके क्या विचार थे, हम सिर्फ उनको वही याद कराना चाहते हैं। आज वे सरकारी बैंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं और कहते हुए अघाते नहीं हैं कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, उनको हम जारी रखेंगे। कांग्रेस की क्या नीति है, जिसको ये जारी रखना चाहते हैं ? आर्थिक उदारीकरण के नाम पर जो आप देश में स्थिति पैदा करने जा रहे हैं, वह क्या करने जा रहे हैं। पूरे देश का दरवाजा विदेशी कम्पनियों के लिए खोल दिया गया है, जो चाहे यहां उत्पादन करे, जितना चाहे उतना मुनाफा कमाये और अपने देश में लेकर चला जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : "चारे के अलावा"।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : लेकिन चारा खाने के लिए तो यही बहुत लोग हैं, वह एक्सपर्टीज़ इसी देश में है। उसमें तो दूसरे लोग यहां से आकर सीखेंगे। बहुत कुछ तो यहां के लोग वहां से सीख रहे हैं, लेकिन उनको यहां से कुछ सीखना पड़ेगा। चारा खाने वाली बात उनको आकर यहां से सीखनी पड़ेगी। इसके लिए तो यहां से इस टेलेंट को एक्सपोर्ट करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया श्री नीतिश कुमार को टोकें नहीं। समय बहुत ही कम है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : मैं इनकी राय से सहमत हूं। कांग्रेस की इस बात को मान लिया जाए, चारा खाने का जो टेलेंट है, उसको एक्सपोर्ट किया जाए, इस टैक्नोलोजी को एक्सपोर्ट किया जाए। इसमें काफी आमदनी हो सकती है, बहुत अर्निंग हो सकती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया सभापति को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : वह सब चीजें। इसी तरह की जितनी चीजें हैं, जो खाद्य हैं, जिनको खाया जाता है, ऐसी हर चीज की टैक्नोलोजी को।

अपराह्न 4.00 बजे

इनकी घोषणा है कि हम पिछली सरकार की नीति को जारी रखेंगे, जितना मुनाफा चाहें, विदेशी कम्पनीज कमा सकती हैं। मुझे जिन लोगों का भाषण सुनने का मौका मिला, उससे लगा कि कांग्रेस पार्टी एक विचित्र पार्टी है। देवगौड़ा जी कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जारी रखेंगे, नरसिंह राव जी और मनमोहन सिंह जी की नीतियों को जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी रातों-रात अपना रूप बदल लेती है। नरसिंह

राव जी का जिस ढंग से पत्ता साफ किया, उसके बाद कांग्रेस का नया दौर चला। उनके प्रवक्ता वी.एन. गाडगिल का बयान सुनकर आश्चर्य हुआ। अब उनके उदारीकरण के पक्षधर देवगौड़ा जी और उनके लोग हो गए हैं और उनकी दृष्टि फिर पुरानी दिशा की ओर जाने लगी है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विचित्र पार्टी है। इस पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और बहुत कुछ किया। उसके बाद उदारीकरण का भूत इन पर सवार हुआ। हमें पिछली लोक सभा का अनुभव है, इन्होंने तब कहा था कि लगता है देश में सचमुच में सब-कुछ बिगड़ गया था। यह किसने बिगाड़ा, आप लोग ही तो पहले सरकार चला रहे थे, देश में आपकी ही नीतियां थीं, फिर कैसे सब-कुछ बिगड़ गया। जब नेतृत्व बदल जाता है तो इनकी नीतियां भी बदलने लगती हैं। मैं नहीं जानता कि नीतियों के मामले में कांग्रेस के लोग कहां खड़े हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें। वे आपका ध्यान बंटा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : महोदय, एक तरफ से वे मेरी मदद कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुझे शरद पवार जी का भाषण सुनने का मौका मिला। मुझे यह नहीं लगा की कांग्रेस पार्टी के नेता की बात सुन रहा हूं। उनके पूरे का पूरा भाषण लाल किले से देने लायक भाषण था। वह ठीक था। वे लोक सभा के अंदर बोल रहे थे, तो संयुक्त मोर्चा के लोगों को समझ लेना चाहिए था कि जब शरद पवार जिस ढंग से यहां बोल रहे हैं तो पूरी तैयारी लाल किले की है, वे तो यहां रिहर्सल कर रहे थे। इसलिए वे समझें कि स्थिति क्या है। वे कहते हैं कि हम कांग्रेस की नीतियों को जारी रखेंगे। एक विचित्र स्थिति है कांग्रेस की, क्या नीतियां जारी रखने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में गौरव के साथ कहा है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोश : अब आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा हो रही है। यह भी एक विचित्र चीज है। सरकार जो भाषण तैयार करके उन्हें देती है, वही उन्हें पढ़ना होता है। इस बार तो सरकार ने हद कर दी। राष्ट्रपति भवन से वे जब चले तो दूसरा भाषण लेकर चले, लेकिन जब संसद में प्रविष्ट हुए तो एक लाइन काट दी गई। कई अखबारों में तस्वीर छपी कि राष्ट्रपति महोदय यह जान पाएं कि लाइन यहां काटी गई। पता नहीं सचाई क्या है, यह तो राष्ट्रपति महोदय जानें या सरकार के लोगों को मालूम होगा। यह लाइन अप्रत्यक्ष रूप से धीमा हस्तक्षेप था कांग्रेस पर, उसको भी डर के मारे निकाल दिया। इन्होंने अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति से जो कहलाया है, उसमें पाइंट 16 है।

[अनुवाद]

पत्तनों के संबंध में, निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करने और 74 प्रतिशत विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

अब पोर्ट के लिए 74 प्रतिशत की स्वतः स्वीकृति दे देंगे, यानि शत-प्रतिशत रुपया वह लगा दें और पोर्ट बना लें। पिछली कांग्रेस सरकार कांडला में कारगिल कम्पनी से पोर्ट बनाने जा रही थी। उसके खिलाफ जार्ज फर्नांडीज जी के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन हुआ, देश भर से लोग सत्याग्रह करने आए, उसके चलते उस सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ा। कांडला में पोर्ट बना था, बाद में करांची, पाकिस्तान में चला गया। सामरिक दृष्टि से उस पोर्ट का निर्माण हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण था। उस पोर्ट से बहुत आमदनी होती है। लेकिन उसकी बगल में कारगिल के हाथ में जगह दी जा रही थी। पूरे देश में विदेशी कम्पनीज अब पोर्ट बना सकेंगी। ...*(व्यवधान)* नमक बनाने के लिए अलग से दिया था, पोर्ट बनाने के लिए भी दिया था। कारगिल कम्पनी को नमक बनाने के लिए दिया था। जिसके खिलाफ सारे देश के लोग इकट्ठा हुए और उसको खदेड़ दिया गया। खदेड़ा तो कोका कोला को भी गया था, लेकिन शरद पवार साहब को कोका कोला से इतना प्यार है कि जब ये दुबारा सत्ता में आए तो पहले पेप्सी कोला को लाए और फिर कोका कोला को बुलाकर लाए। विदेशी कम्पनीज यहां पोर्ट बनाने के लिए आएंगी तो क्या करेंगी? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या जरूरत है विदेशी कम्पनीज पोर्ट में लाने की ?

हमारे जो पोर्ट हैं, उनकी आमदनी क्या कम है ? क्या वे घाटे में चल रहे हैं ? अगर घाटे में नहीं चल रहे हैं तो वे अपने आंतरिक संसाधन इकट्ठा करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं तो फिर वे अपने मुनाफे के जरिए पोर्ट का मौडर्नाइजेशन कर सकते हैं।

आज रेल बजट पेश हुआ। रेलवे अपने आंतरिक संसाधनों से रेल सेवाओं का विस्तार करता है तो पोर्ट अपने आंतरिक संसाधनों से पोर्ट का विकास कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर बोल रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि दुनिया में ऑटोमेशन हो रहा है और हमारे पोर्ट्स आउट-मोडेड हो रहे हैं और ऑटोमेशन के लिए विदेशी पूंजी ला रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब सुरक्षा की बात उठाई गई तो उन्होंने कहा कि अब तो सैटेलाइट इमेजरी है। सैटेलाइट से सब कुछ देखा जा सकता है। तो फिर अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो उसमें कहा जाता है कि यहां से फोटो लेना वर्जित है। आप पोर्ट में प्रवेश करते हैं तो आप वहां फोटो नहीं ले सकते हैं। आप पोर्ट के लिए कौन सी नीति चलाना चाहते हैं ? ऐसा करना सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, उसमें पैसा लगाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। वे यहां आएंगी, मुनाफा कमाएंगी और अपने देश को चली जाएंगी। वे आएं या नहीं आएं। लेकिन आपका इरादा तो प्रकट होता है। आप तो अपनी सुरक्षा के बारे में कल कोई चिन्ता प्रकट नहीं कर रहे थे। शरद पवार जी ने देश की सुरक्षा के बारे में इतना कुछ कहा। वे डिफेंस मिनिस्टर

[श्री नीतिश कुमार]

भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज में कोई कमी आती चली जा रही है। हमारी फौज को कई तरह के आधुनिक हथियारों की जरूरत है, वह इसकी चर्चा कर रहे थे। यहां इस देश में सुरक्षा की जब भी चर्चा होती है तो एक बार सीधे हम फौज में चले जाते हैं और इधर-उधर छिट-पुट हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो अलगाववादी तत्व हैं, वे देश को तोड़ने के लिए आमादा हैं और देश की सुरक्षा को वहीं से खतरा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि क्या देश की सुरक्षा को खतरा इन्हीं लोगों से है जो यहां उग्रवाद का सहारा लेकर देश को तोड़ना चाहते हैं ? देश की सुरक्षा को खतरा सीमाओं पर से जो विदेशी टुकड़ियां तैनात हैं, जो हमारे दोस्ताना मुल्क नहीं हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, क्या उनकी तरफ से ही देश की सुरक्षा को खतरा है ? उनसे खतरा जरूर है लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। एक का इशारा अभी हमने किया कि जिस प्रकार से विदेशी पूंजी के अंधाधुंध निवेश को इज़ाजत यहां दी जा रही है, उससे इस देश की सुरक्षा को खतरा है।

दूसरी बात, जिसकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अब पता नहीं कि सरकार ने इस खबर की तरफ ध्यान दिया है या नहीं दिया है, सरकार को इन सब बातों की जानकारी है या नहीं, लेकिन यह खबर दिनांक 23 दिसंबर के "टाइम मैगजीन" के अंक में छपी थी। इसमें यह बताया गया है कि तीन हिन्दुस्तानी लोग हैं जिन्होंने वहां जाकर मुसीबतें झेलकर ये समाचार संकलित किए हैं। यह मोरे है, इंडो-बर्मा बाउंडरी है, मोरे की तस्वीर छपी हुई है। मोरे में आज जिस प्रकार का हेरॉइन का आयात पड़ौसी मुल्क से बर्मा में हो रहा है। वहां फौजी हुकूमत है। वहां लोकतंत्र को कुचल दिया गया है और वहां फौजी हुकूमतें जिस ढंग से शासन चला रही हैं, सब जानते हैं। वहां की फौजी हुकूमतों को जिस ढंग से भारत विरोधी शक्तियों से मदद मिल रही है, सब लोग जानते हैं। सरकार की विदेश नीति क्या है, हम लोगों की समझ से परे है। अपने पड़ौसी मुल्कों में कहां-कहां से खतरा है, इसका कोई एहसास नहीं है और बर्मा जो हमारा मित्र है, बर्मा के लोग हमारे मित्र हो सकते हैं। लेकिन आज बर्मा में जिनकी हुकूमतें हैं, उनके हिन्दुस्तान के साथ दोस्ताना सुलूक नहीं है। अब वहा क्या हो रहा है ? बर्मा से उस पूरे इलाके में यहां पर जो गोल्डन ट्रैंगल है बर्मा, थाईलैंड, लाओस का हिस्सा है जहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है और हेरॉइन के लिए अफीम रॉ मैटीरियल है और उस अफीम की तस्करी की जाती है, वहां मोरे के माध्यम से हेरॉइन बनाकर भेजी जाती है। इसके अलावा हमारी सीमाओं पर वहां से अफीम चलकर आती है और हेरॉइन बनती है और सरकार सोई हुई है। मणिपुर की क्या स्थिति है ? सब लोग जानते हैं। एड्स वहां पर कितना बढ़ता चला जा रहा है। कारण यह है कि ड्रग्स को उसी सुई से ले लेते हैं और उसके कारण मणिपुर में एड्स बढ़ता चला जा रहा है। मोरे तो वहीं का हिस्सा है, यहीं से सब कुछ हो रहा है और यहां से काठमांडु, वहां से दिल्ली और पूरे हिन्दुस्तान में यह जा रहा है और जो कुछ भी यहां पर स्मगल होकर आ रहा है, उसमें से साठ प्रतिशत हेरॉइन की खपत देश में हो रही है और बर्मा में तीन हजार टन हेरॉइन का उत्पादन हो रहा है।

वहां पर उत्पादन हो रहा है और एक किलो हेरॉइन की कीमत मोरे में दस हजार डालर है, यानि तीन लाख 70 हजार रुपए। यह वहां से निकलकर विदेशों में जाएगी और इसकी कीमत चार गुना या पांच गुना हो जाएगी। एक टन की कीमत 36 करोड़ रुपए और मामला तीन हजार टन का है। इतने पर भी सरकार सोई हुई है। क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है ? पूरे नार्थ-ईस्ट में एड्स का प्रकोप बढ़ रहा है। ड्रग-एडिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मगलिंग में बहुत लोग इन्वालव्ड हैं। जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, उन्होंने एक बात कही है, इतना बड़ा कारोबार क्या बगैर मदद के चल रहा है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। देश की तरफ से जो वहां पर लोग तैनात हैं, मैं उनके बारे में भी ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इस बात को मैं देश और सरकार पर छोड़ देना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

इस देश का दौरा करने वाले एक पश्चिमी औषध नियंत्रक विशेषज्ञ ने एक बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछा कि उसके बल में भ्रष्टाचार का स्तर क्या है तो जवाब मिला "लगभग 100 प्रतिशत।

[हिन्दी]

जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि भ्रष्टाचार में कितने लोग हैं, तो उसने कहा कि सौ प्रतिशत वहां पर इतने लोग तैनात हैं और यह स्थिति है, तो वहां पर बिना मिली-भगत के इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता है। इस देश में ड्रग-माफिया की भी बहुत चर्चा होती है। आजकल हम लोग जो फिल्में देखते हैं, उनमें शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो, जिसमें इस चीज को न दिखाया जाता हो। नार्थ-ईस्ट में यह जगह है मोरे और वहां से समूचे देश में यह जाल फैल रहा है तथा इस पर भी सरकार सोई हुई है। क्या राष्ट्र की सुरक्षा को इन बातों से खतरा नहीं है ? भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है और जन-जन में व्याप्त हो गया है। समाज में ऊंचे स्तर के लोगों में व्यापत हो गया है। क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है ? अगर देश की सुरक्षा की चिन्ता की बात आती है, तो इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण में इन बातों की भी कोई चर्चा नहीं है। सरकार का कोई संकल्प नहीं है और जो जब संकल्प नहीं है, तो चिन्ता नहीं है।

अभी तीन दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधे दामों पर सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन दिलवाएंगे। मैं पूछता हूं, यह गरीबी की रेखा से नीचे क्या चीज है ? अब गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की परिभाषा के बारे में बात हो जाए। सदन में अलघ साहब बैठे हुए हैं। मुझे पता नहीं है, इसके बारे में और लोगों की क्या राय है, लेकिन अलघ साहब से तो हमें इस बारे में उम्मीद है और वे बताएंगे कि गरीबी की रेखा

से नीचे कितने लोग हैं। वास्तविकता यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जितने लोगों को दिखाना है, उसी हिसाब से गरीबी की रेखा तय हो जाएगी। इस सरकार ने तय कर दिया है कि 15000 रुपए प्रति साल प्रति परिवार गरीबी की रेखा से नीचे मानेंगे। यानि, जिसकी आमदनी 15000 रुपए प्रति साल प्रति परिवार होगी, उसके हिसाब से लोगों को जोड़ लिया जाएगा। यदि हम इसको मानते हैं, तो लगभग आठ रुपए प्रतिदिन की आमदनी होती है। मैं पूछता हूं, आठ रुपए में आज क्या मिलता है ? मुझे कोई भी बता दीजिए कि आठ रुपए में कौन खाना खा सकता है या कहीं पर कुछ मिल जाए, तो वह बता दीजिए। प्लानिंग कमीशन के एप्रोच-पेपर में तरह-तरह की चीजें निकलती हैं। उसमें यह बात आ रही थी कि बीस हजार रुपए प्रति साल प्रति परिवार जिसकी आमदनी होगी, उसको गरीबी की रेखा से नीचे मान लिया जाए। अगर 15000 रुपए की आमदनी मानते हैं, तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 35 प्रतिशत लोग हैं और यदि 20000 रुपए की आमदनी मानते हैं, तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग 58 प्रतिशत हैं। इस प्रकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ चलता रहता है और लोगों को बता दिया जाता है कि इतने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यदि हम 15000 रुपए आमदनी को मानते हैं, तो 8 रुपए प्रतिदिन आमदनी आती है और यदि 20000 रुपए मानते हैं, तो 11 रुपए प्रतिदिन आमदनी आती है। ऐसी स्थिति में जब सरकार घोषणा करती है, तो उस घोषणा का कोई मतलब नहीं है। सरकार के पास जितना स्टाक है, जितना खाद्यान्न है, जितना वे दे सकते हैं, उसके हिसाब से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का निर्धारण कर दिया। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ चल रहा है और सारा मैनिपुलेशन हो रहा है। सरकार के पास कोई दिशा नहीं है, कोई सोच नहीं है, लेकिन सरकार मस्ती में है। चाहे सोच हो या न हो, कोई दिशा हो या न हो, लेकिन सरकार मस्ती में जरूर है और मस्ती में रहने लायक इनकी स्थिति है।

अभी कल हम राजेश पायलट जी का भाषण सुन रहे थे। शरद पवार जी का भाषण तो दूसरे ढंग का था, क्योंकि इनको एहसास है कि अगर लाल किले पर जाना है, तो लोगों की मदद लेनी होगी। उसी हिसाब से ये बातों को दाएं-बाएं कर रहे थे। लेकिन कई कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे थे . . .

एक माननीय सदस्य : सीताराम केसरी जी बैठे हैं।

श्री नीतिश कुमार : केसरी जी बैठे हैं, तो लोगों को स्थिति को समझ लेना चाहिए। हम लोगों के यहां एक कहावत है—खाता न बही, सीताराम केसरी जो कही, वही सही।

वह समझना चाहिए, जो गणित जोड़ कर, बना करके बैठते हैं उनका हिसाब यही है। बिहार में केसरी जी के बारे में किस्सा मशहूर है। खैर वह अलग चीज है, वह तो पवार साहब और उनके बीच का मामला है या चव्हाण साहब और उनके बीच का मामला है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनकी पार्टी का तो कोई ठिकाना है नहीं, अब यह उनकी विचित्र पार्टी है।

महोदय, अभी हम लोगों ने चव्हाण साहब का इंटरव्यू देखा। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतिश कुमार ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं पर इन्हें पूरा करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री नीतिश कुमार : हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे।

अपराह्न 4.16 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुई]*

[हिन्दी]

सभापति महोदया, इनके जो भाषण होते हैं चाहे कांग्रेस के हों या दूसरी पार्टी के हों, अब आप मार्क्सवादी पार्टी की स्थिति देखिए, कल पवार साहब ने अपने भाषण में चटर्जी साहब के बारे में कहा कि यह सिंगापुर गए। हम सीपीएम के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग कर कुछ बात कहना चाहते हैं। ये जब इधर बैठे हुए थे तो उस समय जो आपके तेवर थे, वे आज नहीं हैं। विदेशी पूंजी निवेश पर वे तेवर नहीं हैं। एल. आई. सी. में जिस तरह से विदेशी कम्पनियों को लाया जा रहा है उस पर उनके वे तेवर नहीं हैं। क्षमा कीजिएगा। पता नहीं आप लोग भी कहां समझौता करते चले जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इंट्रोडक्शन के दिन आप लोगों ने इस पार्लियामेंट में वोट नहीं कराया। उस मामले में जो बिल है उस पर जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो उस पर जब डिवीजन के लिए कहा गया तो उस समय आपने उसमें साथ नहीं दिया। उस समय आपका रूख पता चल गया था कि आपका एक माइल्ड एप्रोच हो रहा है, नहीं तो इंट्रोड्यूशन ही नहीं होता। उस समय सदन की जो स्थिति थी उस समय बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होता, वह आपकी मेहरबानी से इंट्रोड्यूस हो गया। खैर, यूनियन के लोगों की कंजम्पशन के लिए, बाहर के लोगों की कंजम्पशन के लिए आप जो भी यहां करें लेकिन सिंगापुर सोमनाथ चटर्जी साहब गए। अब यह प्रवृत्ति चल गई कि जो सरकार में जाता है वह जरा इधर-उधर घूम आता है। कहां से पूंजी लाने के लिए चले गए। अभी कुछ दिन पहले मुंबई जाने का मौका मिला तो वहां पर पता चला कि पवार साहब और ठाकरे साहब सब मिल कर मुंबई को सिंगापुर बनाना चाह रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी साहब सिंगापुर जा रहे हैं। जॉन मेजर साहब कलकत्ता में आते हैं तो जितने खोमचे वाले, ठेले वाले और फुटपाथ वाले हैं उन सब को खदेड़ करके कलकत्ता के फुटपाथ पर भेज दिया जाता है कि जॉन मेजर आ रहे हैं। आखिर हम लोग गुलाम मानसिकता के हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे मन में तो आक्रोष आना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जॉन मेजर आ रहे हैं, आप उनका स्वागत करिए, कोई एतराज नहीं है, आप जरूर स्वागत करिए। लेकिन उनका स्वागत इस दृष्टि से होगा कि जितने दुनिया के मजदूर हैं वे कहां चले गए। बिहार में जितने रिक्शा चलाते हैं आप सब को खदेड़ दीजिए। दुनिया के मजदूरो एक हो जाओ। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपने रिक्शा वालों को खदेड़ दिया, यह बोलिए। बिहार के रिक्शा वालों को खदेड़ दिया, यह मत बोलिए। आप बिहार के होते हुए, ऐसा मत बोलिए। ...*(व्यवधान)*

[श्री नीतिश कुमार]

श्री नीतिश कुमार : ठीक है। आप भी जानते होंगे कि वहां रिक्शा चलाने वाले 99.99 प्रतिशत बिहार के होते हैं। हम तो बिहार के दर्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वहां जो लोग इतने दिनों से गए हुए हैं। ...*(व्यवधान)* आपने जो कुछ भी किया वह तो किया, कि रिक्शा वाले, खोमचा वाले, ठेले वाले चले जाओ। दुनिया के मजदूरो एक हो। जॉन मेजर साहब की अगवानी में जिस ढंग से कलकत्ता को सजाया जा रहा है कि कहीं भी कुछ जरा-सा दाग न दिखाई दे ताकि कही जॉन मेजर साहब को उसके चलते कोई शिकायत हो जाए तो फिर कही पूंजी निवेश न हो। यह इस देश में पूंजी निवेश के लिए कम्पीटिशन हो रहा है। पवार साहब और ठाकरे साहब मिल कर तथा और भी कुछ लोग मिल कर मुंबई को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। आप लोग बताइए आप लोग कलकत्ता को सिंगापुर बनाना चाहते हैं और सिंगापुर का क्या मतलब है यह थोड़ा सा हम लोगों को भी बता दीजिए। सिंगापुर का मतलब क्या होता है ? सिंगापुर के कई अर्थ हम लोगों ने सुन रखे हैं।

पता नहीं किस अर्थ में आप इस देश को सिंगापुर बनाना चाहते हैं और इस देश की संस्कृति को कहां ले जाना चाहते हैं। यहां सदन में कितनी ही आलोचना आप सरकार की कर लीजिए, अंत में सरकार का साथ ही देंगे।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : (हावड़ा) : पटना भी सिंगापुर बन रहा है।

श्री नीतिश कुमार : पटना तो जो बन गया वह आप सब को मालूम है। उसकी चर्चा यहां क्या करना। हां विधान सभा चल रही है वहां लोग चर्चा कर रहे होंगे। उसकी तो चर्चा से परे की स्थिति हो गई है। उसमें कोई बात नहीं है कि जैसा संस्कार होता है वैसा ही व्यवहार भी होता है। ...*(व्यवधान)* पता नहीं आपके गुरु कौन हैं ? आपके गुरु कलकत्ता को सिंगापुर बनाने वाले हैं या आपके गुरु जॉन-मेजर साहब हैं। हम तो समझते थे कि आपके गुरु "दुनिया के मजदूरो एक हो" नारा लगाने वाले मजदूर हैं। आजकल आपके गुरु कोई दूसरे हो गए हों तो बात दूसरी है। आप कामरेड या साथी कहते हैं तो हम तो साथी वाली परम्परा के हैं, गुरु-शिष्य वाली परम्परा के नहीं हैं। आप यहां जितना चाहे चिल्ला लें लेकिन अंत में सरकार की ही मदद करेंगे। इसलिए सरकार मजे में है और इसीलिए सरकार सोई रहती है। आप दिन भर में देख लीजिए और दिन भर की फोटो निकालकर देख लीजिए तो आप पाएंगे कि सरकार आधे से ज्यादा समय सोई रहती है। डिबेट में सोई रहती है, बजट में सोई रहती है, प्रश्नकाल में सोई रहती है। उसके बड़े-बड़े नेता सोए रहते हैं। क्यों सोए रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि वासुदेव आचार्य या और इनके साथी कितना ही चिल्लाएं, अंत में सरकार का ही साथ देंगे। अब इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि देश में सेक्युलर और नॉन सेक्युलर का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन कल आप भाषण देते वक्त कह रहे थे कि देश में कुछ विषयों पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। लेकिन इस सेक्युलर और नॉन सेक्युलर के बंटवारे के बाद क्या राष्ट्रीय सहमति संभव है। हम तो सामाजिक न्याय वाले हैं। लेकिन इस तरह की राजनीतिक छूआछूत के हम खिलाफ हैं। इस तरह से होगा तो कैसे राष्ट्रीय सहमति बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दों पर आधारित राजनीति इस देश में नहीं हो रही है और उसका परिणाम भी आप देखते चले जा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि आप बाहर भी इस बात का परिचय दीजिए। बाहर भी मिलकर लड़ते तो नतीजा आपको मिल सकता था। आचार्य साहब, आपकी स्थिति बहुत विचित्र है। आप संयुक्त मोर्चे के सदस्य भी हैं, नेता चुनने में आप भागीदार थे लेकिन सरकार में नहीं जाएंगे। हमारे यहां एक कहावत है कि गुड़ खाए लेकिन गुलगुल्ला से परहेज। आपने तो एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। ज्योति बाबू ने ठीक कहा है कि ऐतिहासिक भूल हुई है। आपने तो उस ऐतिहासिक अवसर को गंवाया है और यह पीछे-पीछे चल रहे हैं। सरकार की कुछ इस विषय पर या कुछ उस विषय पर आलोचना करने से कौन-सी स्थिति में आप पहुंच गए हैं। आप बाहर जितना मर्जी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए लेकिन आपको इस सरकार को चलाए रखना है। अगर आप सरकार को चलाना चाहते हैं तो बेसिक जरूरतों की बात कीजिए जिसकी चर्चा लोहिया जी किया करते थे। यहां लोहिया जी को मानने वाले बैठे हैं जो कभी-कभी लोहिया जी का नाम ले लिया करते हैं। आज तो लोहिया जी को एक ही आदमी ने रिप्लेस कर दिया है, जयप्रकाश जी को एक ही आदमी ने रिप्लेस कर दिया है। अब तो एक ही आदमी का नाम लो। इसमें बेसिक नीड्स की बात आई है। सात बेसिक नीड्स हैं। इन पर किसी का क्या विरोध हो सकता है। इस पर तो सब लोग साथ हैं। जो सबसे बुरी स्थिति है वह शौचालयों के निर्माण की है। शौचालयों का निर्माण हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज भी हमारे खेतीहर मजदूरों के पास शौच के लिए जगह नहीं है। पीने के पानी के साथ-साथ सबसे बड़ी जरूरत आज शौचालयों की है। इसकी प्राथमिकता नम्बर वन या टू पर होनी चाहिए। हमारी महिलाएं हर सुबह अपमानित और बेइज्जत होने की स्थिति में रहती हैं तो इस बेसिक नीड को कैसे आप लोग भूल गए। जब हम सड़क से गुजरते हैं तो किस ढंग से सड़कों के बगल में शौच के लिए महिलाएं बैठी नजर आती हैं।

हर गाड़ी की रोशनी के साथ उनकी अपनी इज्जत बचाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। वह चीज कहां गई। यह हम्बल और पुअर फार्मर के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि सबसे अधिक इसकी जरूरत है। कोई अच्छी चीज होगी तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। आपने कहा कि सिंगल विंडो के माध्यम से वाटर शैड प्रोग्राम एप्रोच किए जाएंगे। 19 नम्बर पर कहा कि

[अनुवाद]

सरकार इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान दिए जाने, बेहतर सिंचाई और निम्नतम स्तर पर सक्षम आयोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वाटरशेड आधारित विकास की सभी उप-प्रणालियों को एक साथ लाने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

यह प्रशंसनीय चीज है। हम शुरु से इसकी मांग कर रहे हैं। इसके

बारे में पिछली संसद की स्टैंडिंग कमेटी की भी रिकमंडेशन है। इसको शीघ्रातिशीघ्र कीजिए। सिंगल विंडो कौन होगा, इसका इसमें उल्लेख नहीं है। सिर्फ इरादा है। वाटर शैड प्रोग्राम के अन्तर्गत एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन और वाटर रिसोर्सिज भी आते हैं।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : दरवाजा नहीं है तो विंडो कहां से होगा ?

श्री नीतिश कुमार : आप ठीक कह रहे हैं। इसके बारे में दृष्टि साफ होनी चाहिए। दोपहर के भोजन देने की चर्चा की गई। इस बारे में कुछ समय पहले सवाल भी आया था। वहां कहां है ? कहां बच्चों को दोपहर का भोजन मिल रहा है। कम से कम बिहार में तो नहीं मिल रहा है। 15 दिन या एक महीने में बच्चों को कंधे पर लाद कर ब्लाक के हैड क्वार्टर पर लाया जाता है और कहा जाता है कि तुम अनाज ले जाओ। जिन इलाकों में दोपहर का भोजन देने वाली स्कीम की स्थिति खराब है, वहां के बारे में कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन लोगों न नहीं किया है। मिल-जुलकर राजनीतिक छुआछूत के चलते एक विचित्र स्थिति इस देश में है। यह गजब की सरकार चल रही है। यह स्वार्थों का मोर्चा है। कांग्रेस और सी.पी.एम. के लोग इनके साथ हैं। इनका आपस में कितना अन्तर्विरोध है ? इनके एक मुख्यमंत्री ने अपनी राजधानी में भाषण देते हुए कहा कि अगर कोई मेरा घर जलाएगा तो मैं उनकी लंका जला दूंगा। वह उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। *...(व्यवधान)* लंका कहां है ? लंका दक्षिण में है। लंका बी. जे. पी. या समता पार्टी के पास नहीं है। उनका मतलब देवेगौड़ा से था। एक विचित्र स्थिति है। उनका कहना था कि अगर चार्टशीट दाखिल की जाएगी और कोई कार्यवाही की जाएगी तो मैं उनकी सरकार को जला दूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उनके कहने का मतलब यह था कि अगर कोई गरीबों पर अत्याचार करेगा तो अमीरों को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी कीमत पर संयुक्त मोर्चा की सरकार गरीबों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री नीतिश कुमार : यादव जी, लंका राज प्रासाद का प्रतीक था। आप इसे समझिए। लंका दक्षिण में थी।

श्री राम कृपाल यादव : यह आपके मन में हो सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री नीतिश कुमार : आज दक्षिण का आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है। आपके मुख्यमंत्री ने इनके ऊपर इशारा किया है और कहा कि मैं तुम को जला दूंगा। सीधी सी बात है कि उनका इशारा प्रधानमंत्री जी की तरफ था। यह अभिभाषण कौन सी सरकार का है ?

श्री राम कृपाल यादव : आप अपनी नीति भूल जाइए। आपकी यह भावना हो सकती है। हमारे यह भावना नहीं है कि तोड़ो और राज करो।

श्री नीतिश कुमार : यह कौन सी सरकार का अभिभाषण है? यह गवर्नमेंट कहां दिखाई दे रही है। यह नॉन गवर्नमेंट है। उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो यह सरकार कौन सी दिशा में जाएगी ?

अभी इन लोगों ने 14 पार्टियों का जिक्र किया तो मुझे गणित समझ आ गया। एक पार्टी मध्य प्रदेश विकास पार्टी इनके यहां से चली गई तो आधी पार्टी गांधी मैदान पटना में उदित हो गई और कहने लगी कि अगर हमारा घर जलाओगे तो लंका जला दूंगा। वहां से आधी पार्टी का उदय हो चुका है। जो बाहर के लोग हैं, क्या उनकी सरकार के बारे में दृष्टि साफ है ? यह नॉन फंक्शिनिंग गवर्नमेंट है और यह नॉन गवर्नमेंट है। जिन लोगों को एक होना चाहिए था, वे आज अलग-अलग हैं। वे सरकार मान कर उसे चला रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच में देश के हितों के साथ एक नहीं अनेक समझौते होते चले जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं हर पक्ष के सदस्यों से अपील करूंगा कि यदि आप राष्ट्रीय सहमति की बात करते हैं तो राजनैतिक छुआछूत की बात छोड़ दीजिए। चूंकि जितना ही छुआछूत बढ़ाते जा रहे हैं, उतने ही आप लोग साफ होते जा रहे हैं। जिसको जितना कमजोर करना चाहते हैं, वह उतना ही मजबूत होता जा रहा है।

सभापति महोदया, अभी चव्हाण साहब का एक इंटरव्यू आया था। इसी सदन में 1992 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। मेरे समेत अनेक सदस्यों ने यह आरोप लगाया था कि उस समय प्रधानमंत्री सो रहे थे जब मस्जिद गिराई गई। फिर उसके बाद यह संशोधन आया कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो प्रधानमंत्री जी टी. वी. देख रहे थे। वे टी. वी. पर क्या देख रहे थे, वे जानें। टी. वी. पर कौन सी चीज दिखाई जा रही थी, वे जानें। अब अगर चव्हाण साहब खुलासा नहीं करेंगे तो पवार साहब, जो रक्षा मंत्री थे, वे खुलासा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी उस समय क्या टी. वी. पर देख रहे थे।

एक बात तो साफ हो गई कि बाबरी मस्जिद गिराने में नं. एक अपराधी वे लोग हैं जिन्होंने गिराया तो दूसरे नं. पर वे लोग हैं जिन्होंने यह वातावरण बनाया और वे दोषी हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। और आज आप इस सरकार का साथ दे रहे हैं। आज की परिस्थिति को देखिए और सोचिए कि यदि इस देश को एक नए सिरे से सामाजिक रास्ते पर मजबूत करना है और हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना घर बना रही हैं, विश्व व्यापार संगठन की पहले ही भागीदारी बन चुकी है और जिसके चलते यह संसद बेमानी होकर रह गई है तो इस देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए इस देश के लोगों की ताकत को पहचानिए और उस ताकत को देश का भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ाएं न कि ताकत को कम आंक कर और यह मानकर कि विदेशों से पैसा मिल जाएगा और विकास कार्य हो जाएंगे इस बात के भ्रम में न रहें और अपनी भावी पीढ़ी के साथ न्याय करते हुए उस देश को मजबूत बनाने में पूरा योगदान करें तभी इस देश का हित होगा और हम आने वाली पीढ़ी के साथ सामाजिक न्याय कर सकेंगे।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अपराह्न 4.33 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच त्रि-पक्षीय समझौता

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : महोदया, आपकी अनुमति से मुझे इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तेहरान में 22 फरवरी, 1997 को भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच माल के अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ।

यह अप्रैल, 1995 में शुरू की गई उस प्रक्रिया में सफलता मिली है जब इस विषय पर तीनों देशों द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन सम्पन्न किया गया था। तीनों पक्षों ने इस करार को अन्तिम रूप देने के लिए मैत्री, परस्पर समझ-बूझ और रचनात्मक सहयोग की भावना से मिलकर कार्य किया। इस करार का सम्पन्न होना इस बात का द्योतक है कि भारत के ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ परम्परागत रूप से घनिष्ठ संबंध हैं। एक-दूसरे के बीच परस्पर और भविष्य में इससे सहमत होने वाले सी. आई. एस. देशों के साथ आर्थिक सहयोग संवर्धित करने से संबंधित इन देशों की सरकारों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया है।

इस करार का मुख्य उद्देश्य भारत से ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान और अन्य देशों जो भविष्य में इस व्यवस्था से जुड़ते हैं एवं इन देशों से भारत के साथ माल के बहु-रूपात्मक आवागमन के लिए उचित न्यायायिक और वैधानिक रूपरेखा प्रदान करना है। इस करार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

> यह माल के पारगमन के लिए प्रलेखन और निरीक्षण आवश्यकताओं को यथासंभव कम करने के साथ सीमा शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं को सुगम और सरल बनाता है तथा इसे गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इसमें यह उपबंध है कि जब तक अनियमितताओं का संदेह न हो तब तक इस करार के तहत भेजा जाने वाला माल पारगमन के समय मार्ग में सीमाशुल्क क्षेत्राधिकार की जांच के अध्यधीन नहीं होगा।
>
> यह पारगमन में मार्गस्थ मालों के लिए निर्यात और आयात शुल्कों या अन्य करों में छूट की व्यवस्था करता है। केवल विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार लगाए जाएंगे जैसा कि आंतरिक विधान द्वारा अनुबद्ध किया गया है और जैसा कि अन्य सभी देशों में लागू है।
>
> हस्ताक्षरकर्ता इस करार के अंतर्गत जहाजी माल के पारगमन में लगे कर्मचारियों के लिए एक सरलीकृत वीज़ा व्यवस्था की स्थापना करने की संभावना की जांच करने पर भी सहमत हुए हैं।
>
> इस करार के अनुपालन का पर्यवेक्षण करने, इसमें किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने तथा इससे संबद्ध अन्य किसी मामले पर विचार करने के लिए नियमित संयुक्त तंत्र होगा।

यह करार भारत ईरान और तुर्कमेनिस्तान और सी. आई. एस. क्षेत्र में हमारे अन्य आर्थिक साझीदारों के बीच व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय, भरोसेमंद और लागत-प्रभावी मार्ग विकसित करने संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। मैंने और तुर्कमेनिसतान और ईरान के मेरे समकक्षों ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हमारे तीनों देशों के बीच साझे प्रयास संवर्धित करने और उन्हें विकसित करने की महत्ता पर जोर दिया। मुझे विश्वास है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माल के पारगमन से संबंधित यह त्रिपक्षीय करार एक मुख्य तत्व होगा।

माननीय सदस्यों को यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामान्य श्री सपर्मुराद ए० नियाजोव इस समय भारत की राजकीय सद्भावना यात्रा पर आए हुए हैं। विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्ष महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे के विचारों से अवगत हुए हैं। दोनों पक्षों ने भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच माल के पारगमन से सम्बद्ध त्रिपक्षीय संधि के सम्पन्न होने का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तीनों देश इस बात से भी सहमत हुए हैं कि इस ऐतिहासिक करार के सम्पन्न हो जाने से इन तीनों देशों तथा उन सी. आई. एस. देशों के बीच जो भविष्य में इससे सहमत होंगे, से व्यापार और अन्य प्रकार का आर्थिक सहयोग और संवर्धित होगा। इस करार से बहुआयामी आर्थिक सहयोग के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण विकसित होगा और इस क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व तथा विकास सुदृढ़ होगा।

अंत में, मैं इस करार को सम्पन्न कराने में ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान की सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग तथा उस रचनात्मक भावना के लिए जिसमें हमारे तीनों देशों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के अधिकारियों ने एकजुट होकर काम किया है, की सराहना करना चाहूंगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

अपराह्न 4.38 बजे

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इससे पहले कि मैं मुख्य बात पर आऊं, अभी हमारे नीतिश जी जो कह रहे थे, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब लोग दूसरी तरफ होते हैं, सत्ता पक्ष से विपक्ष में बैठ जाते हैं तो जिस प्रकार वह अपने दल को तोड़कर हमारे बीच से अलग हो गए हैं, उसी तरह हमारे दल को तोड़ने के लिए बात करते हैं। इन्होंने जो बात कही वह शकुनि की तरह कही। लालू जी ने पटना के गांधी मैदान में कहा था कि जो गरीबों की झोपड़ी जलाएगा, मैं उसकी लंका जला दूंगा।

इसके मायने क्या हैं, इसके मायने यह हैं कि देश में जो सामन्तवादी ताकतें हैं, जो दस प्रतिशत लोग हैं, जिन्होंने आजादी के पचास वर्षों

के बाद भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों को राज नहीं करने दिया और अपना राज चलाया; लेकिन जब उनको राज दिलाने का, उनको हक दिलाने का और उनकी झोंपड़ियों में आग लगाने का काम लोगों ने किया, जब उस पर श्री लालू यादव ने आवाज उठाई तो कहा जाता है कि लोगों की देह में जुलपुत्ती हो रही है ...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने शुरू ही किया है, अभी तो मैं बोल रहा हूं। आप कांग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चे की सरकार और कांग्रेस पर बार-बार चोट कर रहे हैं, लेकिन एक समय आप भी हमारे साथ थे और उस समय हम अच्छे थे, उस समय हम कैसे अच्छे थे, क्या आपने कभी इस पर भी गौर किया है। आप हमें समर्थन दे रहे थे या नहीं और आपने जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, तब हमने आपको नहीं छोड़ा और अभी हम जो कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं तो कांग्रेस भी देख रही है कि अभी देश में धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को कौन मजबूत कर सकता है, कौन गरीबों और दलितों का उद्धार कर सकता है, क्या आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ? इसलिए इन्होंने हमें समर्थन दिया है।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : दिल्ली में चुनाव अलग-अलग क्यों लड़ा, दिल्ली से भी साथ-साथ लड़ते। अगर साम्प्रदायिक ताकतों को रोक रहे हो तो चुनाव में अलग-अलग क्यों लड़े, इकट्ठे लड़ते।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहिम) : सारी म्युनिसिपेलिटी आप चलाइए, देश-विदेश हम चलाएंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : आप भी बोल लीजिएगा, आपके बोलने की भी बारी आएगी। लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि हमारी सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना को अपनाया जो कभी कांग्रेस की देन थी। लेकिन यह कांग्रेस का अच्छा काम है, उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते हैं। आप एल. पी. जी. गैस की वकालत करते हैं। आप शहरी लोग हैं, आप दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। आप म्युनिसिपेलिटी में रहते हैं। लेकिन गांवों में देश की 80 प्रतिशत से अधिक जनता रहती है। गांव में खेत और खलिहान में 80 प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं। उन गरीब लोगों के लिए हमारी सरकार देश भर में सुनिश्चित रोज़गार योजना को लागू करने का काम कर रही है। यह योजना कांग्रेस की थी, लेकिन हमने उसे अपनाया है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसकी आपको भी प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री सोहन बीर (मुजफ्फरनगर) : सुनिश्चित रोजगार योजना जो सरकार ने चलाई है यह सुनिश्चित भ्रष्टाचार योजना है। ...*(व्यवधान)*.

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : वह तो आपको पता होगा और सबसे मुख्य बात यह है कि जो असंगठित मजदूर थे।

जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उसके लिए हमारी सरकार ने विधेयक लाने का काम किया है। 90 लाख लोगों के लिए विधेयक लाने का काम किया। उनको सुव्यवस्थित करने व उनकी सुख-सुविधा के लिए बुनियादी समस्याओं पर जब हम सब एक मीनिमम साझा कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं तो आपको खराब लग रहा है। कभी आप श्री लालू यादव पर चोट करते हैं, कभी आप चारा पर चोट करते हैं, कभी आप श्री शरद पवार पर चोट करते हैं, कभी आप कांग्रेस पर चोट करते हैं तो कभी आप श्री केसरी जी पर चले जाते हैं। हम 40-45 लोगों के 13-14 दलों की सरकार चल रही है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप बर्दाश्त कीजिए और जान लीजिए कि आप लोग बाहर में कुछ और रहते हैं और अंदर कुछ और रहते हैं। मुख में राम बगल में छुरी है। आप कभी गांव में घूमे हैं। गांव की गरीब जनता को आपने कभी देखा है। आप गांव की गरीब जनता को भी देखने का काम करिए। ...*(व्यवधान)* यह सरकार राष्ट्रपति अभिभाषण के द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। आज तक किसी ने यह काम नहीं किया। जो मजदूर खेत में काम करता है, उस मजदूर के बारे में क्या आपने कभी सोचा है ? ...*(व्यवधान)* आपकी बारी भी आएगी तब आप बोल लीजिएगा।

सबसे अच्छी बात जो है, वह यह है कि इस देश में किसानों की सिंचाई के लिए यह सरकार चिन्तित है। गंगा कल्याण योजना के तहत हम सिंचाई की सुविधा को तेजी से बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह सरकार पांच वर्ष तक चलेगी और आप कलेजे पर पत्थर रखकर देखिए। हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, 90 लाख लोगों के लिए कृतसंकल्प हैं। हम उनके लिए नए-नए विधेयक लाएंगे और उसमें नए परिवर्तन करेंगे। मैं सरकार से भी कह रहा हूं कि यह जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी बदलने का काम आपको करना पड़ेगा। सिस्टम को बदलने का काम आप करिए। ऊपर से लेकर नीचे तक जो सिस्टम है, उसको बदलना पड़ेगा। जो कलक्टर बनता है, कलक्टर अंग्रजों की देन है तो इस कलक्टरी व्यवस्था को आप समाप्त करिए। आज कलेक्टरी करने का काम नहीं है। आज देश के सारे विभागों में आई. ए. एस. अधिकारी हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कौन हैं ? वे भी आई. ए. एस. अधिकारी हैं। उनको डॉक्टरी के संबंध में क्या नॉलेज है ? भारत सरकार के सारे विभागों के जितने भी सैक्रेट्रीज हैं, वे सब भी आई. ए. एस. अधिकारी हैं। ..*(व्यवधान)* मैं आपको भी इंगित कर रहा हूं कि आप भी इस चीज को बताइए और इस सिस्टम को समाप्त करने में सहयोग कीजिए। हमें यह सिस्टम बदलना पड़ेगा।

इसको बदलने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को बदलने की जरूरत है और इस सिस्टम को भी बदलिए।

इस देश में यह भी सिस्टम है। कल हमको एक सरदार जी मिले। वे सेना में अधिकारी थे। कुछ साल पहले रिटायर हो गए। वे पांच साल के बाद पेंशन लेने गए। जब पेंशन लेने गए तो उनको कहा गया कि आप जिन्दा हैं, इसका प्रमाण-पत्र लाइए। वहां जिन्दा होने का प्रमाण-पत्र भी देना पड़ता है। सरदार जी ने एक साल का प्रमाण-पत्र लाकर दे दिया। उनसे कहा गया कि यह प्रमाण-पत्र तो इस साल का है, आप पिछले वर्ष जिन्दा थे या नहीं, इसका प्रमाण-पत्र कहां है। आप पांच साल का प्रमाण-पत्र लाइए। बताइए, यदि हम इस साल जिन्दा हैं तो पिछले साल क्या मुर्दा थे। इस तरह का सिस्टम इस देश में है। इस

[श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह]

पर भी बड़े लोगों, वरिष्ठ नेताओं को सोचने की जरूरत है। उनको आगे आने की जरूरत है।

मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार के पास विल पावर है। 1989 में भी जब जनता दल की सरकार बनी थी तो देश में मंडल कमीशन को लागू किया गया था। पिछड़े, दलित लोगों को आरक्षण दिया। देशभर में बवाल हुआ। लेकिन आपको सच्चाई से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। बहुत से कमीशन जैसे काका कालेलकर आयोग, यह आयोग, वह आयोग बैठे थे। यदि श्री वी. पी. सिंह की नीयत में बेईमानी होती तो वे उसी समय एक आयोग और बैठा देते। 1977 और 1989 में बड़ा फर्क हो गया था।

इसी तरह से महिला विधेयक आया है। मैं सारे बड़े नेताओं से आग्रह करूंगा कि इसे भी आप आयोग बैठाकर धराशायी मत कीजिए। अपनी विल पावर मजबूत कीजिए और इस विधेयक को, इसमें चाहे जो भी कमी हो, उसे तत्काल दूर करके लागू करिए। इसमें ओ. बी. सी. या अल्पसंख्यक की जो भी बात हो, उन सारी बातों को जोड़ने का काम कीजिए और इसे तुरन्त लागू कीजिए। यह इच्छाशक्ति है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मैं थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। ..*(व्यवधान)* मैं पानी पीकर नहीं ऐसे ही घंटों बोल सकता हूं। मैं उस गांव से आता हूं जहां आप कभी नहीं गए। उस गांव की स्थिति को आपने कभी देखा ही नहीं। आप बिहार की ओर देखिए। आप हमारी इच्छाशक्ति को देख लीजिए। हम सारे पैसों को इंदिरा आवास में डायरैक्ट देते हैं। हम गरीबों का इंदिरा आवास देखने लायक है।

मैं सरकार की सारी नीतियों का समर्थन करते हुए एक बात और कहकर समाप्त करूंगा।

कि सांसद को जो एक करोड़ रुपए आप देते हैं, जो सुनिश्चित रोजगार योजना लागू कर रहे हैं और केन्द्र से विभिन्न तरह की योजनाएं आप भेजते हैं, इन सारी योजनाओं में पहले यह केन्द्र से जाता है। केन्द्र की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं के लिए सांसदों की अनुशंसा को आप कम्पलसरी कीजिए, एकदम निश्चित रूप से सांसद की अनुशंसा उसमें होनी चाहिए, यह आप निर्धारित कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : सभापति महोदया, आपने हमें बोलने का वक्त दिया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चल रही है, इसपर हम भी कुछ कहना चाहेंगे।

अभिभाषण में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बहुत जोर दिया गया है। इसी पर सारा बेस किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की वजह से बहुत तरक्की होने वाली है। इसमें प्रोस्पैरिटी का जिक्र किया गया है, ग्रेटर प्रोस्पैरिटी एंड वैल बीग, खुशहाली बहुत बढ़ने वाली है, ऐसा बताया गया है। खुशहाली बढ़ रही है, इसके बारे में तो कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ पता लगा नहीं, लेकिन और बातें बहुत बढ़ रही हैं। देश में भाव बहुत बढ़ गए हैं, हर चीज का भाव बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, यह चीजें तो दिखाई दे रही हैं, इसलिए कह रहा हूं। खुशहाली बढ़ी है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकेगा। भाव बढ़े हैं, आटे का भाव बढ़ा है, चावल का बढ़ा है, कपड़े का बढ़ा है, दाल का बढ़ा है, कोई भी चीज हो, आप किसी चीज का नाम ले लीजिए, उसी का भाव बढ़ा है, इसलिए ये बातें बढ़ रही हैं।

इस दौरान गरीबी बढ़ी है, सभी को मालूम है, इस बात का जिक्र भी आया कि अब 32 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। देश को आजाद हुए पचास साल हो गए हैं, लेकिन 32 करोड़ लोग हैं, जिनको अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए से कुछ अनाज सस्ते भाव पर मुहैया करना पड़ेगा, यह कोशिश की जा रही है। करप्शन बढ़ा है, करप्शन हर जगह पर आ गया है कई दफा तो हैरानी होती है कि कहां-कहां पहुंच गया है। परसों मुझे मेरे कई दोस्त मिल गए। यहां से वे चंडीगढ़ जा रहे थे। एक शताब्दी ट्रेन जाती है, उसपर उनको टिकट नहीं मिला। वे तीन आदमी थे, उनका आगे एपाइंटमेंट सैक्रेट्रिएट में फिक्स था, इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी था। जब वे बुकिंग आफिस में पहुंचे तो उनको विंडो पर लिखा हुआ था कि सब सीटें रुक चुकी हैं, कोई सीट खाली नहीं है। पास ही एक आदमी खड़ा था, उसने बताया कि आपको सीट तो अभी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अन्दर जाकर थोड़ी कोशिश करिए, शायद टिकट चैकर आपको कोई सीट दे देगा। उन्होंने कोशिश की, हमारे चंडीगढ़ पहुंचने के लिए ए.सी. चेयर कार का किराया 300 रुपए लगता है, उनको वे टिकटें 12-12 सौ रुपए में मिली। तीन टिकट मिलीं तो गए, लेकिन 12-12 सौ रुपए में मिलीं। मुझे उन्होंने बताया, मैंने कहा, इसकी शिकायत तो जरूर करनी चाहिए और उसकी शिकायत कर भी रहे हैं, शिकायत होगी भी, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसी जगह पर हो रहा है, जहां ख्याल नहीं था कि यहां भी करप्शन होगा।

अपराह्न 5.00 बजे

वहां करप्शन पहुंचा हुआ है। इसलिए करप्शन बढ़ा है और बहुत बढ़ा है। इसी तरह से आबादी भी बढ़ी है, उसका भी कुछ जिक्र किया गया है। हमारे देश की आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसका हल करने की कोई बात नहीं कही गई कि कैसे इसे हल करना है और क्या साधन जुटाने हैं, केवल मामूली-सा जिक्र भर कर दिया गया। हमारे देश में यह सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। जिस रफ्तार से अपनी आबादी बढ़ रही है इसका थोड़ी देर के बाद कोई इलाज नहीं रहेगा। हमारे रेस लगी हुई है कि चीन जो सबसे बड़ा मुल्क है, कब हम उससे आगे निकलते हैं। आबादी बढ़ाने के लिए कोशिश हर वक्त जारी है, रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे जो कि अत्यंत जरूरी है।

इसी तरह से प्रदूषण का कहीं इसमें जिक्र नहीं है। आप दिल्ली

को देखें, संसार में यह चौथा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। प्रदूषण से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं और नई किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। यह एक ज्वलंत मामला है। हमारा कर्जा भी बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि उसका ब्याज देने की क्षमता भी हमारे देश की नहीं रही। अभी-अभी यूरिया के दाम बढ़ाए गए। ये चीजें हैं जो बढ़ रही हैं, इनका मैं जिक्र कर रहा हूं। उधर अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं। कहां जाकर यह बात खत्म होगी, समझ में नहीं आ रहा।

देखा जाए तो सारी चीजें बढ़ ही नहीं रही, कुछ घट भी रही हैं। फूड प्रोडक्शन घट गया है और घट रहा है। जिसकी वजह से हमें आयात करना पड़ रहा है। कल जिक्र चल रहा था कि दो मिलियन टन गेहूं आयात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर जो फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, वह भी घट रहा है। रुपए की कीमत घट रही है। किसी से मुकाबला करें, डालर से करें, येन से करें, ड्यूश मार्क से करें, सबमें रुपए की कीमत घट रही है। कई चीजें बढ़ रही हैं, यह बुरी बात है। कई चीजें घट रही हैं, यह भी बुरी बात है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जिक्र किया गया है :

[अनुवाद]

इसमें हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशिष्ट नीतियां और दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

फैडरेल स्ट्रक्चर का बार-बार जिक्र किया गया है कि इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, यह नहीं बताया गया। हमें खुशी हुई थी इस बात की कि फैडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि फैडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, देश का ढांचा, फैडरल होना चाहिए। मैं यहां माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि :–

[अनुवाद]

संविधान के संघात्मक ढांचे को वास्तविक रूप देने के लिए संविधान की पुनर्संरचना।

[हिन्दी]

इसीके साथ आर्टिकल 356 का जिक्र भी राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में आया। इसका दुरुपयोग होता रहा है। इसको कैसे रोकेंगे, इस बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही गई। लेकिन यह जरूर कहा गया कि इसको रोकना है। हम इस बात को मानते हैं कि आर्टिकल 356 का बहुत दुरुपयोग किया गया है। हमारे खिलाफ पंजाब में तो काफी दुरुपयोग हुआ है। जब भी वहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी उसको तोड़ा गया। सात बार वहां अकाली दल और समर्थित पार्टियों की सरकार बनी तो दो या ढाई साल के बाद उनको तोड़ डाला।

कभी कुछ बहाना किया। लेकिन दरअसल बात कोई और होती थी। हमारी सरकार तो तोड़ी गई, बहाना तो यह किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उसके बार लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर राज्य में बहुत ही बिगड़ गया। लेकिन दरअसल बात यह थी कि हरियाणा में इलेक्शन होने जा रहे थे। हरियाणा के इलेक्शन के लिए किसी ने सुझाव दिया कि अकालियों की सरकार पंजाब में यदि तोड़ दी जाए तो शायद हरियाणा में ज्यादा वोट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा उसका दूसरा निकला। पंजाब में भी लोग खिलाफ हुए क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार तोड़ दी गई थी। अनुच्छेद 356 का असंवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया गया और हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ पांच सीटें मिली। इस प्रोवीजन का दुरुपयोग किया गया। इसमें कोई ड्रॉस्टिक परिवर्तन होने चाहिए। या तो इसको डिलीट किया जाए जिससे कहीं कोई इसका दुरुपयोग न कर सके कि जब जी चाहे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाए। इसलिए आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन का यहां पर जिक्र आया था। लेकिन उसको भी कांग्रस के लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बी. जे. पी. को कहा कि अकाली दल में शामिल होकर उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसा वे लोग कहते हैं जिन्होंने आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन को कभी भी नहीं पढ़ा और कभी नहीं देखा। आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन देश को बांटने के लिए नहीं। देश के टुकड़े करने के लिए नहीं था बल्कि वह देश को मजबूत करने के लिए था, देश को इकट्ठा रखने के लिए था। इस प्रस्ताव पर इसमें बहुत बार बहस होती रही है और अंत में इसको मुद्दा बनाया गया। राजीव-लौंगोवाल एकॉर्ड को मुद्दा बनाकर सरकारिया कमीशन को सौंप दिया गया। दोनों हाउस ने इसको एप्रूव किया और अब इतने समय के बाद यह कहना कि यह प्रस्ताव देश के लिए खतरनाक है। देश के लिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। इसमें राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात लिखी गई थी। अब सभी चाहते हैं कि राज्य को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उसके अधिकर बढ़ने चाहिए। उसमें फैडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है। यहां पर सभी दल इस बात से सहमत हैं कि यहां पर फैडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ढांचा बदलना चाहिए। कॉंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट होने चाहिए। स्टेट ऑटोनोमी की बात की जा रही है जिससे वे कुछ कर सकें। अभी उनके अधिकार कम किए हुए हैं। ये सारी बातें इस प्रस्ताव में आती हैं और उस पर बहस हुई। इस प्रस्ताव को सरकारिया कमीशन को रैफर किया गया। सरकारिया कमीशन ने उस पर गौर करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है और सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बारे में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कह रही है कि इसको लागू करना चाहिए। बहुत सी बातें हमने लागू कर दी हैं और बाकी बातों को लागू करना चाहिए। इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय परिषद् ने दिनांक 15 अक्टूबर 1996 को हुई अपनी बैठक में सरकारिया आयोग की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु स्वीकार कर ली हैं।

[हिन्दी]

यह कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों पर चर्चा हुई। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की तरफ से कोशिश यह होती रही कि लोगों को किसी न किसी ढंग से फाड़कर रखा जाए। "फाड़ो और राज करो" की बात चलती रही। दो कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश होती

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

रही। सिखों को हिन्दुओं से अलग करने की कोशिश की गई। बड़ी घिनौनी साजिश थी जो चलती रही। आपको याद होगा कि 1984 के इलेक्शन हुए जिसमें राजीव गांधी जी बहुमत के साथ पार्लियामेंट में जीतकर आए थे, उसमें सारे देश में गलत प्रचार किया गया था।

यहां के सिक्खों को सारे देश में आतंकवादी दिखाया गया है। इस चुनाव के लिए सारे देश में इश्तिहार निकल रहे थे और सिक्खों को आतंकवादी जाहिर करके इश्तिहार निकल रहे थे। ऐसे इश्तिहार निकले, शायद आपको याद होगा, एक टैक्सी जा रही है और उसमें एक ड्राइवर पगड़ी बांधे बैठा हुआ है, जो सिक्ख दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी सकल नहीं दिखाई दे रही है। फिर आगे लिखा हुआ था—क्या आप इस आदमी के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ सफर करके सुरक्षित महसूस करेंगे ? ऐसी बातें डैलीब्रेटली होती रहीं और सिक्खों को सारे देश में बदनाम किया जाता रहा। सारे मीडिया का इस्तेमाल करके इनको आतंकवादी दिखाया जाता रहा। इसका नतीजा 1984 में दिल्ली में कत्लेआम हुआ। यह स्थिति उस समय परिवर्तित हो गई। मेरे विचार से इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती है। इतना बड़ा वाक्या यहां दिल्ली में हुआ और संसद के रिकार्ड के मुताबिक तीन हजार लोग ब्रूटली कत्ल कर दिए गए। उस वक्त जो यहां पर सरकार थी, उसने फौज को भी बुलाना मुनासिब नहीं समझा, कर्फ्यु को भी लगाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं गोली चलाना भी मुनासिब नहीं समझा और तीन हजार आदमी कत्ल कर दिए गए। नादिरशाह के बाद दिल्ली में यह सबसे बड़ा कत्ले आम हुआ। मुझे अफसोस है कि यहां संसद में उस घटना के लिए दो मिनट के लिए सायलेंस भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। बहुत गहरी चोटें हमारे मन पर लगी हुई हैं। इतनी बड़ी घटना यहां दिल्ली के शहरों में हो जाएं और किसी को भी अफसोस न हो, कोई एक शब्द भी न कहे कि यह बहुत बुरी बात हो गई है। इस बात को 10-12 साल हो गए हैं। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसी कि रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं और किन-किन लोगों ने कत्लेआम करवाया है। इसके बावजूद भी एक सियासी पार्टी के उस घटना से संबंधित बड़े-बड़े लोगों को संसद में लाया गया है उनको मिनिस्टर बनाया गया। ऐसे लोगों पर केस नहीं चलाए गए। दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को इन्साफ नहीं मिला। दुनियां की यह सबसे बड़ी डैमोक्रेसी है, लेकिन यहां बारह साल से लोग भटकते फिर रहे हैं और उनको इन्साफ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ इन्साफ नहीं हुआ है, उन लोगों को इन्साफ दिलाया जाए। आज भी वे लोग भटक रहे हैं। यह अच्छी बात है कि अब जुडिशियरी ने कुछ कदम उठाने शुरू किए हैं। जुडिशियरी अब कुछ सही दिशा में चलने लगी है। इमरजेंसी के बाद जुडिशियरी दम तोड़ गई थी और जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट भी ढीली-ढाली आया करती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत अपनी जिम्मेदारी को समझ कर कुछ करने लगी है। जिन लोगों का कत्लेआम हुआ है, उनके परिवार के लोगों को कम्पैंसेशन के रूप में तीन लाख रुपए देने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो लोग मारे गए हैं, उनमें किसी का पति मारा गया है और किसी का बाप, लेकिन इन लोगों को कम्पैंसेशन देने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके लिए कहा गया था कि कमेटी मुकर्रर करेंगे, लेकिन ऐसी कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई है, जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब ऐसी बातें हुई हैं और उन लोगों के साथ हुई हैं, जो देश के स्वोर्ड-आर्म कहलाए जाते थे, देश की रक्षा के लिए अपना खून-पसीना बहाने के लिए तैयार रहते थे। जब ऐसे लोगों को इन्साफ न मिले, तो इस बात को बार-बार कहा जाता है कि इन्साफ नहीं मिला, जो इन्साफ मिलना चाहिए था। मैं इस सरकार से अर्ज करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, उस जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट को लागू करवाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

पावर जनरेशन के बारे में काफी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पावर की बहुत जरूरत है। जहां तक पंजाब की बात है, हम पंजाब में कोयले की खानों में बहुत दूर बैठे हैं और इस सवाल को हमने पिछले सत्र में बार-बार उठाया था और सरकार का ध्यान दिलाया था कि पंजाब में इसके कारण दो थर्मल पावर प्रोजैक्ट्स बंद होने जा रहे हैं।

क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है, बहुत दूर से आता है। कहीं रास्ते में रुक जाता है, कोई और ले जाता है, डायवर्शन हो जाता है, कहीं और चला जाता है। हमारे यहां नहीं पहुंच रहा था, हम बड़ी कोशिश से कोयला ले जाने लगे। हमारे पास हाइडल पावर है लेकिन थोड़ा है। एक थीन डेम बन रहा है जिसको बनते हुए काफी साल हो गए हैं, क्योंकि उसको पैसा नहीं मुहैया किया था। राजीव जी उसकी नींव रख कर आए थे। अपनी सरकार के समय हमने नींव रखवायी थी लेकिन उसके बाद बहुत धीमी चाल रही। उसका नतीजा क्या हुआ? रावी का पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता है क्योंकि हम उस पर बांध नहीं लगा सके। बांध जो लग रहा है वह बहुत हद तक मुकम्मल हो गया है। किसी समय 84 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था, आज वह चार हजार करोड़ रुपए का हो गया है। उस पर आधे से ज्यादा काम हुआ पड़ा है। उसमें थोड़े पैसे की जरूरत है जिससे हमें बिजली भी मिल सकेगी और पानी भी मिल सकेगा। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं।

महोदय, जहां पावर की बात आती है वहां मैं थीन डेम की बात करना चाहूंगा, सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि यह जल्दी से जल्दी बने और हमारे देश का पानी अपने देश में इस्तेमाल हो सके, यह बहुत जरूरी है। हम एटोमिक एनर्जी की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें एटोमिक प्लांट दे दीजिए, क्योंकि कोयला बहुत दूर से आता है। हम कई बार कह चुके हैं कि आप हमें एटोमिक एनर्जी का प्लांट दीजिए, उसके लिए भी हमें तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं मांगते, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। यह पोजिशन पावर की है।

महोदय, एग्रीकल्चर का भी थोड़ा-सा जिक्र आया। पंजाब, जो महज एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। वहां कोई खान-खनिज नहीं है, कहीं तेल नहीं निकलता और किसी किस्म का पदार्थ कोई धरती से नहीं

निकलता। सिर्फ खेतों से पैदावार होती है इसलिए हम इस पर ज्यादा एम्फेसाइस करते हैं। उसके लिए इनपुट्स जरूरी है। अब ये सारी महंगी होती जा रही हैं। यूरिया की कीमत तो अब भी बढ़ाई है, बाकी खादों की कीमतें पहले ही बढ़ गई थी। पेस्टीसाइड्स की कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए एग्रीकल्चर कोई लाभदायक धंधा नहीं रहा है। लोग बहुत कर्जायी हो गए हैं। अब जो व्हीट प्राइस फिक्स किए हैं। ...*(व्यवधान)* ये जो इनपुट्स हैं इनको सस्ता करना चाहिए तब खेती थोड़ी-बहुत चल सकेगी, नहीं तो जितना हम चाहते हैं उतनी नहीं चल सकेगी। फूडग्रेन प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। यह इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि हमें जो किसानों को इनसेंटिव देना चाहिए वह नहीं दे रहे हैं। कोई समय था, मैं भी इस मिनिस्ट्री में रहा हूं जब किसानों को इनसेंटिव दिया गया तो किसान बड़े जोश से लगा था। हरित क्रांति इसी का नतीजा था। किसान ने जब जोर लगाया, सरकार ने कुछ मदद की तब देश में हरित क्रांति आई। हम आत्मनिर्भर हुए। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि पालिसीस गलत हो जाती हैं। अब पिछले साल हमने देखा कि 22 लाख टन बिना किसी हिसाब लगाए अनाज बाहर भेज दिया, यह नहीं देखा कि हमारे पास कितना है। कितना पैदा होने वाला है, क्या अंदाजा लग रहा है। हमारे पास कितने भंडार हैं, बिना हिसाब लगाए हुए 22 लाख टन गेहूं बाहर भेज दिया। दो महीने के बाद मालूम हुआ कि गेहूं तो कम पड़ गया है और फिर यह हुआ कि अब बाहर से मंगाने की जरूरत है। 20 लाख टन बाहर से मंगाने की बात हुई और अब बाहर से आ रहा है। परसों हमारे मिनिस्टर बता रहे थे कि इतना आ गया है तथा इतना और आ रहा है। आप ध्यान दें कि अब किस भाव से आ रहा है। उसकी शायद 622 रुपए 7 पैसे लैंडिड कास्ट पड़ रही है, जो मैं उनके बयान से समझ रहा था। अगर गलत हो तो सही कर दें। आप यहां अपने देश के किसान को क्या दे रहे हैं ? आपने प्रक्योरमेंट प्राइस 415 रुपए रखी है। आप एक तरफ 415 रुपए में यहां के किसान से खरीदना चाहते हैं और एक तरफ आप आस्ट्रेलिया या कनाडा के किसान को 622 रुपए देना चाहते हैं, तो किसान दुखी तो होगा।

किसान परेशान हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। मैं आपके जरिए से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार इस बार प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकेगी। प्रोक्योरमेंट जितना होना चाहिए, या जितना होता रहा है जिससे हमारा सारा ढांचा चलता है उतना प्रोक्योरमेंट आप इस बार नहीं कर सकेंगे। इस बार किसान अपना मन बना चुका है कि वह झटपट अपना अनाज सरकार को नहीं देगा क्योंकि वह समझता है कि दाम बढ़ेंगे। बाहर से तो आप 622 रुपए मंगा रहे हो तो जो आप किसान से 415 रुपए में चाहते हो वह प्रोक्योरमेंट आप नहीं कर सकेंगे। 622 के ऊपर भी 40 रुपया या 45 रुपया और खर्च हो जाता है। इसलिए इस बार आपको कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा।

पंजाब काफी मात्रा में कॉटन भी प्रोड्यूस करता है। इस बार पंजाब के किसानों का कॉटन के दाम गिरने से काफी नुकसान हुआ है लेकिन कपड़े में उसका कोई असर नजर नहीं आता है। वह सस्ता होने के बजाए और महंगा हो गया है। किसान ने जो कॉटन पैदा की है वह बहुत सस्ती हो गई है जिससे किसान महसूस कर रहा है कि वह लुट गया है। अकेले कॉटन की बात भी नहीं है। दूसरे जितनी खेती की उपज हैं वह भी कम होती जा रही हैं। देश में दालों का उत्पादन जितना मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, तिलहन भी नहीं मिलता है और हम बाहर से आयात करते आ रहे हैं। ऐसा ही चलता आ रहा है।

ऐसा ही हाल चीनी का है। पंजाब में चीनी मिलों की बहुत आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि अभी सरकार ने अपनी पॉलिसी रिलेक्स की है। हमें पांच चीनी मिलें और मिलनी चाहिए। हमने उनके लिए एप्लीकेशन भी दी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आनंदपुर साहब का प्रस्ताव भी यही है कि थोड़ी-बहुत स्टेट को एटोनोमी होनी चाहिए। जो गन्ना हमारा क्रेशर पर जाता है वो थ्रो-अवे प्राइसिस पर बिक जाता है। इसलिए हमें चीनी मिलों की जरूरत है।

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं। चीनी मिलों के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले शुगर लाइसैंसिंग की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव आया है। अब एल. ओ. आई. की प्रक्रिया एक महीने के अंदर जारी कर दिया जाएगा। 25 किलोमीटर की सीमा को घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। शुगर मिल जिस जगह के लिए चाहते हो अगर गन्ना वहां तत्काल नहीं होता है तब भी उस जिले में गन्ने का उत्पादन अगर कहीं भी होगा तो उसी आधार पर चीनी मिल उन्हें दे दिया जाएगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे पता चला है कि यह सरकार कुछ रिलेक्सेशन दे रही है। हमारे पांच साल इसी दौड़-भाग में गुजर गए लेकिन एक भी शुगर मिल नहीं मिल सकी। इस कारण शुगर का उत्पादन भी कम हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बरनाला साहब, अब तो मंत्री जी को बधाई दे दीजिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने इसीलिए इनका धन्यवाद किया है। अब हो क्या रहा है। लोग पूछते हैं कि यह सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। हम तो उनसे कहते हैं कि इस सरकार को कुछ तो चलने देना चाहिए।

इनको थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए लेकिन जैसे हालत हाउस में और बाहर हैं उससे ऐसा लगता है कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कभी-कभी धमकी भी देने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम सिलैक्टिव सपोर्ट करेंगे। यह सिलैक्टिव सपोर्ट क्या होती है ? यह कितने दिन की सपोर्ट है और किस बात की सपोर्ट है ? यह सारी बात इनके हाथ में रह गई है। हम देख रहे हैं कि यह कितनी देर चलती है और कितनी देर नहीं चलती।

महोदया, कल यहां कांग्रेस का बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड था। सी. पी. एम. वालों का भी एग्रेसिव एटीट्यूड था। दोनों का एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। यह पता नहीं चला कि आगे क्या होगा, आगे कैसे

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

चलेगा, कितनी देर चलेगा। हम चाहते हैं कि यह सरकार चले और अच्छा काम करती रहे। यह सरकार फैडरलिज्म की बात करे और कोई अच्छी-भली बात करे। इतनी जल्दी सरकार नहीं गिरनी चाहिए। हमारी ऐसी सोच है। इलैक्शन अभी कोई नहीं चाहता। ये लोग कहते हैं कि हम आउट कास्ट हैं और हमें सत्ता में आने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि कांगेस और सी. पी. एम. वालों को थोड़ी सी पालिसी स्पष्ट करनी चाहिए ताकि ये सरकार काम कर सके। ये कुर्सी को पकड़ कर बैठे रहते हैं। इनका ज्यादा ध्यान कुर्सी पर रहता है और सोचते रहते हैं कि हम चले जाएंगे या रहेंगे ? पार्टी का प्रधान बदल जाता है तो पालिसी भी बदल जाती है और नई पालिसी आ जाती है। रोज पालिसी बदलती है। एक मीटिंग होती है तो फिर पालिसी बदल जाती है। इनका ज्यादा ध्यान सरकार चलाने में नहीं रहता। उनका ध्यान इसी में लगा रहता है कि किस तरह से हम सरकार में जमे रहें। इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी पालिसी किसी न किसी ढंग से स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने एक दफा सुझाव दिया था कि सभी पार्टियां इकट्ठी होकर कोई ऐसी सोच निकालें जिससे नेशनल गवर्नमेंट बन सके जिससे कोई झगड़ा ही न रहे। ऐसी सोच का मौका अभी भी है। अगर हाथ से बात निकल जाती है तो मौका जाता रहता है। ऐसी बात सोची जा सकती है। नेशनल गवर्नमेंट का सुझाव अभी भी वैलिड है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदया, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद संसद में उनका यह पहला अभिभाषण है। इसलिए इस सरकार की नीतियों के बारे में जानने का हमारा यह पहला मौका है।

पहली बार क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय दलों को भारत के लोगों ने केन्द्र स्तर पर भूमिका अदा करने का मौका दिया है।

अपराह्न 5.28 बजे

[**श्री नीतिश कुमार** *पीठासीन हुए।*]

इस प्रकार, हमारे समक्ष यह चौदह अलग-अलग सदस्यों का समूह है जिन्होंने जल्दी में एक कार्य सूची तैयार की है जिसे उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम नाम दिया है। यद्यपि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लेख एक से अधिक बार नहीं किया गया है फिर भी इसमें ऐसी किसी समय सीमा या किसी कार्यक्रम पर जोर नहीं दिया गया है परन्तु इसमें आशा की गई है कि गठबंधन सरकार स्थाई होगी और यह स्थाई सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

हमने पहले भी ऐसी साझा सरकार देखी है। 1977 में सात दलों की सरकार थी। उस समय वरिष्ठ सदस्य माननीय गृह मंत्री अब हमारे बीच बैठे हैं। वे पहली बार संसद में चुनकर नहीं आ सके थे। और दो वर्षों में ही भारत के लोग उनके खिलाफ हो गए और श्रीमती इंदिरा गांधी को दो-तिहाई बहुमत से वापस सत्ता में ले आए।

एक बार फिर भारत के लोगों ने जो इस देश के वास्तविक मालिक हैं, नवम्बर 1989 में गैर-कांग्रेसी दलों को सरकार बनाने का मौका दिया था। उस समय दक्षिणपंथी मेरे मित्र, तथाकथित रामपंथी और बाईं तरफ बैठे मेरे मित्र-वामपंथी-वामपंथियों और दक्षिणपंथियों ने मिलकर सरकार बनाई। सभापति महोदय, उस समय आप उस सरकार में थे। वह सरकार बहुत कम समय केवल साढ़े ग्यारह महीने तक चली। उसके बाद वह टूट गई। उस समय बड़े-बड़े संवैधानिक आर्थिक और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ा था।

एक बार फिर भारत के लोगों ने अस्पष्ट निर्णय द्वारा इन क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय दलों को अवसर दिया है। दाईं ओर बैठे हमारे मित्र जो राष्ट्रीय दल से संबंध रखते हैं, विपक्ष में हैं और अन्य राष्ट्रीय दल अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध सदस्य केन्द्र सरकार में हैं। अत: यदि आप मई, 1996 के चुनावों के परिणाम देखें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने 31 राज्यों में से 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व किया है और भा.जा.पा. ने 17 राज्यों का प्रतिनिधित्व किया है और शेष दलों ने केवल तीन अथवा चार राज्यों का ही प्रतिनिधित्व किया है। इनमें से कुछ मंत्रिमंडलीय पदों पर आसीन हैं।

मेरा विचार है कि संविधान सभा के वाद-विवाद भी यह संकेत देते हैं। अथवा यदि मेरी बात सही है तो उसका अर्थ यह है कि यह राज्यों की परिषद् अथवा राज्यों का सकल रूप होगा। लेकिन यह एक संघीय प्रकार की संरचना बन गई थी।

कुछ भी हो इस संयुक्त मोर्चा की सरकार को देश की सेवा करने का शानदार मौका मिला है चूंकि वे विभिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ राज्य जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों महाराष्ट्र के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों को इस सरकार से न्याय मिलेगा क्योंकि हम इस सभा में चिल्लाते रहे हैं कि योजनागत प्रक्रिया में इस संघीय अथवा इस पवित्र अथवा इस मानवीय दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया गया है।

अभी हमने पंजाब के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बरनाला जो कि कृषि तथा खाद्य मंत्री भी रहे थे का भाषण सुना। वह मुझसे पहले उस विभाग में रहे थे। वे हरित क्रांति की बात कर रहे थे। मेरे राज्य तथा आपके राज्य की क्या स्थिति है ? हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष के बाद भी हरित क्रांति नहीं देखी राष्ट्रपति के अभिभाषण में लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों, वर्षा सिंचित क्षेत्रों, असिंचित क्षेत्रों, सिंचित क्षेत्रों तथा वाटर शेड विकास के बारे में उल्लेख है जिसका आपने स्पष्ट वर्णन किया है।

मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखता हूं जिसमें अब तीन जिले हैं। मैं अपने अंकल श्री बीजू पटनायक जी को धन्यवाद देता हूं। एक अप्रैल, 1994 को उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र को तीन जिलों में बांट दिया—ढेंकानाल, आंगुल और सुबर्णपुर। एक जिले में सिंचाई क्षमता केवल 7 प्रतिशत है, दूसरे जिले में 13 प्रतिशत और तीसरे जिले में केवल 2 प्रतिशत है। पूरे भारत में यह औसत 36 प्रतिशत है जबकि उड़ीसा में यह औसत 19 प्रतिशत है। प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के

नाते हमें आपके राज्य में गंडक तथा कोसी नदी देखने का अवसर मिला। यह परियोजनाएं प्रथम योजना से सम्बन्धित हैं। बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वहां कोई नहर नहीं है। यही स्थिति रंगाली बहुउद्देशीय परियोजना की भी है जो कि बिहार तथा उड़ीसा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। ब्राह्मणी नदी पर परियोजना का कार्य वर्ष 1973 में आरम्भ हुआ था। 273 करोड़ रु॰ आवंटित किए गए थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी और डॉ॰ के॰ एल॰ राव ने आधारशिला रखी थी। मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 1400 करोड़ रु॰ खर्च हो चुके हैं। इस वर्ष उड़ीसा में 30 में से 26 जिले सूखाग्रस्त हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र तथा माननीय प्रधानमंत्री एक निर्धन कृषक जैसा कि आपने कहा है, बोलंगीर, कालाहंडी और कोरापुट जिलों का दौरा किया। अप्रैल, 1994 को पहले सात प्रधान मंत्रियों ने वहां का दौरा किया था। लोग वहां से जा रहे हैं।

धनराशि आवंटित करने का वचन दिया गया था जैसा कि यहां दिया गया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र को धनराशि आवंटित करने का वचन दिया गया है; जम्मू-कश्मीर को धनराशि देने का वचन दिया गया है और कई अन्य राज्यों को भी धनराशि आवंटित करने का वचन दिया गया है। लोग यहां से क्यों जा रहे हैं ? आप संसाधनों के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हैं—क्या इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, क्या इसे अनुदान के रूप दिया जाएगा अथवा ऋण के रूप में दिया जाएगा। इसमें पारदर्शिता नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो हम सभी यहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा, "धन की चिन्ता नहीं करिए धनराशि आ जाएगी; हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि क्या यह धनराशि ऋण के रूप में दी जाएगी अथवा अनुदान के रूप में दी जाएगी।"

आजकल पानी की कमी है। आजकल संसद में हमारे समक्ष गुजरात की स्थिति संबंधी मामला है। गुजरात में अन्य भागों की तुलना में कम वर्षा होती है। मार्च से मई तक अथवा 15 जून तक जब पहली मानसून की वर्षा होती है, लोग प्यास से मर जाएंगे और पानी की कमी की समस्या के साथ-साथ दस्त, पेचिश और आंत्रशोध जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी जैसा कि पहले हुआ था। उड़ीसा में यह पहली बार नहीं हो रहा है। केवल समय पर कार्यवाही करने और समय पर निगरानी करने से ही मदद मिलेगी। जैसाकि श्री राजेश पायलट ने कहा है। उड़ीसा के लिए केन्द्र सरकार की कितनी ही परियोजनाएं होंगी लेकिन उड़ीसा के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। जैसाकि पहाड़ी क्षेत्रों अथवा अनुसूची छः में आने वाले क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं। अब यह कहा गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को नगर-पालिका तथा पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। लेकिन न तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, न ही हम विशेष राज्यों के अन्तर्गत आते हैं और न ही हम उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं उड़ीसा में आतंकवाद नहीं है। हम दिल्ली से बहुत दूर हैं।

पहली बार, कुछ क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय दल सामने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका राज्य, हमारा राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के और उत्तर पूर्व के कुछ भागों को पिछले पचास वर्ष के मुकाबले अधिक धनराशि का आवंटन होगा। अन्यथा हमारी उम्मीदें झूठी साबित हो जाएंगी।

हम आन्तरिक सुरक्षा की बात करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है। 'आन्तरिक सुरक्षा' बहुत बड़ा शब्द है। आन्तरिक खतरे भी हो सकते हैं और बाह्य खतरे भी हो सकते हैं। कल हमारे एक वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार, पूर्व रक्षा मंत्री और श्री राजेश पायलट, पूर्व आन्तरिक सुरक्षा मंत्री, एक रक्षा कार्मिक, एक एयर फोर्स कार्मिक और जिन्होंने वर्ष 1971 में बंगला देश की लड़ाई में भाग लिया था, ने थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना के लिए दी जाने वाली अपर्याप्त धनराशि का उल्लेख किया। उन्होंने और भी कई बातें कही : मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा।

एस॰ यू॰-30 मार्क II को शामिल कर लेने के बाद एयर फोर्स को कुछ हद तक राहत मिली है। मेरे मित्र श्री मल्लिकार्जुन को इस कार्य में पांच वर्ष लग गए। हम इस मामले को निपटाने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव को बधाई देते हैं। नौ सेना में यह चर्चा अभी भी हो रही है कि क्या हमें एयर क्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है अथवा नहीं। कुछ लोगों ने कहा है कि इलेक्ट्रानिकी नियंत्रित मिसाइल ने एयर क्राफ्ट कैरियर की आक्रामक क्षमता को सुरक्षात्मक दायित्व में बदल दिया है। इधर चर्चा जारी है और हमारे पड़ोसी मित्र देश उपकरणों से सुसज्जित हो रहे हैं और आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण पुराने उपकरण बदलना और मितव्यथिता एक ही बार में पूरी नहीं होती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

अंग्रेजों ने भारतीय सेना जिसका उद्भव ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भाड़े की सेना से हुआ था। अब अफगानिस्तान में है—की स्थापना पहली बार युद्ध के लिए वर्ष 1947 में राष्ट्रीय सेना के रूप में की गई थी जब हमारी नवोद्भव स्वतंत्रता खतरे में थी। आज हमारी मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट स्तर पर प्रो॰ सोज़ जैसे मंत्री हैं। आज वे इस सभा में नहीं होते यदि मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जधुनाथ सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, सुबेदार कर्म सिंह और सैकन्ड लैफ्टिनेंट राणे जैसे लोगों ने महान त्याग न किया होता। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही दिन बाद पूरा कश्मीर अलग हो गया होता। आज भी, हमने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को नहीं सुलझाया है। उन्होंने अनेक विदेशी प्रतिनिधि मंडलों, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का उल्लेख किया है जो यहां आए थे। मैं श्री इन्द्र कुमार गुजराल की अच्छे कार्य करने और नए कदम उठाने के लिए सराहना करना चाहूंगा। वास्तव में ईरान के साथ समझौता एक अच्छा उदाहरण था। आज, हम ईरान मध्य एशिया गणतंत्रों को अपने औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोगी के रूप में मान सकते हैं। लेकिन जो मैं यह कह रहा था कि अंग्रेजों ने 10,000 से 15,000 मील दूर भाड़े की सेना के रूप में सेना की स्थापना की थी। हमने उसे नहीं बदला। आज केवल मुख्य अभियंता के अंतर्गत ही 99,000 विभिन्न मदें आती हैं। कुछ बेकार हो गई हैं। आज हम उन्हें बदल नहीं सकते क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है। हमें पिछले 200 वर्षों में जो सुपुर्द किया गया है, उसी के साथ कार्य करना है।

[श्री के॰ पी॰ सिंह देव]

आज हमें मानव शक्ति की चिन्ता नहीं है। ऐसा क्यों है कि 87,000 लोग कम हैं ? आज एक चौंका देने वाली खबर प्रकाशित हुई है कि जे॰ सी॰ ओ॰ को कर्नल के पद पर पदोन्नति दे दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि संसद सदस्य नर्सरी या के॰ जी॰ के बच्चे नहीं हैं जो कि इस खबर को यूं ही सुन लेंगे। जे॰ सी॰ ओ॰ कनिष्ठ कमीशन प्राप्ति अधिकारी होता है। वह यहां तक कि अधिकारी भी नहीं होता है। ऐसे अधिकारी को कर्नल के पद पर पदोन्नत करने का अर्थ है कि वह 845 व्यक्तियों और करोड़ों के मूल्य के उपकरणों का इंचार्ज होगा। आज के समाचार पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था। हम कमियों को पूरा करने के लिए आत्म निरीक्षण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं ? ऐसा क्यों था कि इसे इतना समर्थन दिया गया ?

आज कोई युवा सामने नहीं आ रहे हैं, यहां तक कि जनरल, एडमिरल और एयर मार्शलों के बच्चे भी आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें प्रतिष्ठा नहीं दी है। वह केवल पैसे के लिए आगे नहीं आ रहे थे। वे आदर्श तथा चुनौती के लिए सेना में शामिल हुए थे। युवाओं को चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी कार्यों में आनन्द आता है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि आज समाज में सशस्त्र सेनाओं का उतना सम्मान नहीं होता है जितना पहले होता था। हमने उनका सम्मान कम कर दिया है। मेरे विचार में सर्वोच्च कमांडर के रूप में यह चौथा या पांचवां राष्ट्रपति का अभिभाषण है। मुझे उनका ए॰ डी॰ सी॰ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह उनकी गलती नहीं है। वे उसी चीज को प्रतिबिम्बित करते हैं जो कि उस समय विद्यमान सरकार प्रतिबिम्बित करती है। यह उल्लेख उन्होंने तैयार किया है। निश्चय ही उन्होंने तैयार किया है। जिस समय वे सेना में भर्ती होते हैं, उस समय वे अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि उनका प्रश्न 'कैसे' और 'क्यों' का नहीं है और उनका लक्ष्य है 'लड़ो' और 'मरो'।

पिछली अनुपूरक मांगों से सम्बन्धित चर्चा के दौरान मैं उल्लेख कर रहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में मैं लद्दाख गया था और लद्दाख के क्षेत्रों के बारे में मेरे समक्ष एक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई थी। मुझे रिजंग-ला नामक स्थान पर जाने का अवसर मिला जहां मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। 1962 में अपने हाथ के आखिरी ग्रेनेड से उन्होंने सम्पूर्ण कम्पनी को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऐसे ही होते हैं भारतीय जवान और अफसर। अब्दुल हमीद भी ऐसी ही मिट्टी से बने थे। ऐसी ही मिट्टी से बनी थीं एलबर्ट एकता निर्मल सौधी। उन्होंने देश के लिए अपने आपको बलिदान कर दिया। आज जब विजय चौक पर हम तिरंगा झंडा फहराते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी देश की सीमाओं का भी पता नहीं है और वे यह भी नहीं जानते हैं कि सियाचिन में हमारे जवान बलिदान हो रहे हैं। आज हम सभी सुरक्षित हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे प्रहरी सजग हैं, चाहे वह सीमा सुरक्षा बल के जवान हों या केन्द्रीय सुरक्षित बल संगठन के लोग हों आई॰ टी॰ बी॰ पी॰ के हों अथवा सशस्त्र सैन्य बलों के हों अथवा नौसेना या वायु सेना के।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग इनकी बात पर अमल तो करते नहीं लेकिन कम से कम इनकी बात तो सुनिए।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : अभी कुछ ही दिन हुए हमने 1971 के युद्ध की 'विजय दिवस' 25वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई है। विगत 25 सालों में कोई युद्ध नहीं हुआ यह तथ्य इस सत्य की ओर संकेत करता है कि हमारे राजनयिक सम्बन्ध और प्रयास कितने सफल रहे हैं। परन्तु सैन्य बलों की इस कारण उपेक्षा की जाए यह ठीक नहीं है आज हम सब क्या अपने हृदय पर हाथ रखकर यह बात कह सकते हैं कि हमारे सुरक्षा बल विश्वसनीय हैं, विश्वसनीयता के तात्पर्य यह है कि हमारे विरोधी देश हमसे डरते हैं। क्या यह कोई प्रतिरोधक है? हम ऐसा नहीं कह सकते।

अब हमारी नौसेना ब्राऊन वाटर नौसेना बनकर रह गई है जो तट रक्षक बल से कुछ ही बेहतर है। मैं किसी पर भी दोष नहीं लगा रहा। अतीत में रहने से कोई लाभ नहीं। हमें हमेशा भविष्य की ओर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अतीत को कुरेदना अथवा विगत प्रशस्ति में डूबे रहने या पिछले प्रशासकों या पिछली सरकारों को दोषी ठहराने का कोई फायदा नहीं। मैं आपकी पिछली सरकारों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि हम इक्कीसवीं सदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे सुरक्षा प्रबन्ध विश्वसनीय होने चाहिए। हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व हो सके। आन्तरिक खतरे का प्रश्न हो या दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने का कार्य स्मलिंग हो या अफवाहें फैलाना, आतंकवाद, उग्रवाद से प्रत्येक भारतवासी को अपने देश की सुरक्षा के कार्य से अपने आपको जोड़ना होगा। यह सब हमारे देश की आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरे हैं। राजनयिक प्रयास कितनी देर तक युद्ध को रोके रखने में सफल हो सकते हैं ? विगत सात-आठ वर्षों में पंजाब में चल रहे परोक्ष युद्ध को क्या यह कूटनीति बन्द कर सकी है ? हम इसे बन्द नहीं कर पाए। अत: हमें सभी प्रकार के खतरों और परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए अकस्मात् उत्पन्न स्थिति से होने वाले संभावित खतरों से बचने के लिए हमें लगातार मूल्यांकन करते रहने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। लेकिन यह लगातार मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए ? यह कार्य केवल उन संसद-सदस्यों का होना चाहिए जिन्हें रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की जानकारी नहीं दी जाती। वहां कोई पारदर्शिता नहीं है। यह कार्य केवल ब्यूरोक्रेट्स को करना चाहिए अथवा केवल सैनिक अफसरों अथवा जनरलों को। किसी ने कहा है "युद्ध एक ऐसा गम्भीर विषय है जिसे केवल जनरलों की जिम्मेदारी में ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"

आजकल प्रत्येक वस्तु का एक आर्थिक पक्ष है। श्री सद्दाम हुसैन में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। परन्तु मात्र आर्थिक कारणों से उन्हें कुचल कर नष्ट करने की कोशिश की गई। परन्तु इस बात का पूरा श्रेय उन्हें जाता है कि वे इस स्थिति से भी उबर कर अपने आपको फिर से स्थापित कर सके।

आधुनिकीकरण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए और बदलाव के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

सरकार विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय वित्त विकास निगम की स्थापना करने जा रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए, लघु उद्योगों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और बहुत से अन्य लोगों के हित में कार्य किए हैं। परन्तु 50 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने क्या किया ? उनके लिए तो सरकार पिछले पांच वर्षों के दौरान 180 करोड़ की धनराशि केन्द्र से और 170 करोड़ की धनराशि 29 राज्यों से नहीं जुटा सकी। मात्र 350 करोड़ की धनराशि ही तो जुटानी थी सरकार को जिसमें आधा हिस्सा केंद्र को और आधा 29 राज्यों को वहन करना था और यह सब पांच वर्ष की अवधि में करना था। दिसम्बर में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चिदम्बरम ने कहा था "मैं 28 फरवरी 1997 को बजट पेश करते समय इस बारे में प्रबन्ध करूंगा।" यह आश्वासन नहीं, यह तो मात्र एक इच्छा है। मुझे नहीं पता यह कैसे होगा। 28 फरवरी बहुत दूर नहीं है हम देखेंगे कि वह क्या करते हैं ?

दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध एक पद, एक पेंशन के सिद्धान्त के बारे में है। सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में इसे लागू किया है। अब सेवा-निवृत होने की तिथि का विचार किए बिना, संसद सदस्यों के लिए भी एक पद एक पेंशन की नीति लागू की जा रही है। बेचारे भूतपूर्व सैनिकों ने क्या गलत किया है ? वह देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन्होंने इस स्वतंत्रता को कायम रखा; उन्होंने देश की सुरक्षा की और अब भी कर रहे हैं, इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति जो 1950 में सेवा में निवृत हुआ, तो उस समय वेतन बहुत कम होता था उनके मामले में पेंशन की गणना इस तरह से की जाती है—पिछले दस महीने से लगातार जो वेतन मिल रहा हो, उसे 1/33 से गुणा कर दिया जाता है प्रायः एक नागरिक 25 वर्ष की उम्र में सरकारी सेवा में कदम रखता है और 58 वर्ष की उम्र में सेवा निवृत हो जाता है तो इस प्रकार वह 33 वर्ष तक सेवा करता है। सेना का जवान या वायु सेवा का कर्मचारी 18 वर्ष की उम्र में सेवा में आता है और तेंतीस साल की उम्र में पद निवृत्त हो जाता है। 33 वर्ष की उम्र में वह कहां जाए, न तो केन्द्रीय सरकार को, न राज्य सरकार को और न ही सैनिक बलों को उसकी कोई चिंता होती है। अतः उसे भगवान् के सहारे छोड़ दिया जाता है, वह रामभरोसे ही रह जाता है। राष्ट्र उसे प्रशिक्षण देने में एक बड़ी धनराशि व्यय करता है। वह अनुशासित, समर्पित, उद्देश्यनिष्ठ, राष्ट्रवादी और देशप्रेमी होता है। सरकार उसे गलियों में धक्के खाने के लिए छोड़ देती है। इसलिए क्योंकि वह आन्दोलन नहीं करता, वह सामूहिक रूप से मोल-भाव करने की नीति नहीं जानता, उसकी कोई यूनियन नहीं होती, इसीलिए सरकार उसे घिसटने के लिए छोड़ देती है।

इस सन्दर्भ में पहली बार मैं श्री वी० पी० सिंह का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैं कार्मिक मंत्रालय में था, मैंने इस सन्दर्भ में उनसे निवेदन किया तो उन्होंने विचारार्थ विषय में परिवर्तन किया और पेंशन का विषय चतुर्थ वेतन आयोग की सूची में जोड़ दिया गया। पांचवें वेतन आयोग ने जैसा कि कुछ समाचार-पत्रों में छपा है चूंकि रिपोर्ट तो हमने देखी नहीं है, अग्रदर्शी तिथि से एक पद एक पेंशन की नीति का समर्थन किया है। महावीर-चक्र-विजेता मेजर जनरल स्पैरो जिन्होंने पहली बार महावीर-चक्र 1947 में श्रीनगर की रक्षा करने के लिए जीता, फिर दोबारा उन्हें यह जोजिला में मिला, तत्पश्चात् 1965 में जब उन्होंने हासालुटर और खेमकरन में पाकिस्तान टैंक मार गिराए इसके लिए भी उन्हें महावीर-चक्र प्रदान किया गया, उन्होंने भी यही उदाहरण दिया। 1966 में वह सेना से सेवा-निवृत्त हो गए। वह या तो श्री बरनाला के मंत्रिमंडल में या श्री गुरनाम सिंह गिल के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। जब वह संसद सदस्य थे तो उन्होंने एक बार बताया कि जब वह पेंशन लेने जाते थे तो उन्हें पता चला कि उनकी पेंशन में और 1984 या 85 में सेवा-निवृत्त हुए एक मेजर जनरल की पेंशन में तिगुना या चौगुना अन्तर था।

अतः महावीर चक्र विजेता, 1966 में सेवा निवृत्त होने वाले एक मेजर जनरल को मान लीजिए यदि 'क' राशि मिली तो सरकार 1 अप्रैल 1979 से कुछ सुधार लागू करते हुए महंगाई भत्ते की कुछ राशि मूल वेतन में मिला दी। जिसके कारण 1985 अथवा 1996 में सेवा-निवृत्त होने वाले मेजर जनरल को 'ख' राशि मिली। और हर बार सरकार अथवा वेतन आयोग द्वारा किए जाने वाले सुधारों के कारण यह सुधार करता है। अन्तर बढ़ता ही जाता है।

महोदय, इसका यह मतलब हुआ कि जब पेंशन प्राप्तकर्ता व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी सामर्थ्य शक्ति घट जाती है, जब उसके सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं, जब कीमतें बढ़ती है, जब मुद्रा-स्फीति बढ़ती है, जब रुपए का अवमूल्यन होने से कठिनाइयां बढ़ती हैं जब अर्थात् उसे पैसे की वस्तुतः आवश्यकता पड़ती है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता। जबकि उसकी अपेक्षा उससे कम आयु वाले व्यक्तियों को अधिक धन मिलता है क्योंकि सरकार का रवैया उनके प्रति सहृदयपूर्वक रहा है। वित्त आयोग भी विचारशील रहा है। महोदय, इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, चूंकि चर्चा का उत्तर तो कल ही दिया जाना है अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : बहुत सारे मैम्बर्स अपनी बात कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : नहीं आज नहीं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : हम बोलना चाहते हैं परन्तु आज नहीं। यह तो बहुत पहले निर्णय ले लिया गया था ...*(व्यवधान)* आज 6.00 बजे एक बैठक है।

[श्री के॰ पी॰ सिंह देव]

सभापति महोदय : पहले मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दें। फिर मैं सदन की राय लूंगा।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : मैं अपने पुराने मित्र श्री इब्राहिम का बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

इब्राहिम साहब, आपकी तारीफ कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं अपने पुराने और प्रिय मित्र श्री इब्राहिम का बहुत आभारी हूं। मुझे नहीं पता कि वह अब भी मेरे मित्र हैं या नहीं परन्तु सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आने से पूर्व वह मेरे मित्र थे। जब मैं उस मंत्रालय में था, तो हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था। उस प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट फील्ड इन्टर पर्सनल एक्सपेरीमेंट का नाम दिया गया जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सभी इकाइयों दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्र प्रचार इकाई, गीत और नाटक प्रकाश, भारतीय जन सम्पर्क संस्थान, फोटो प्रभाग और फिल्म प्रभाग सभी को इस प्रयोग कार्य में शामिल किया गया। हमने क्या किया ? हम कृषि विशेषज्ञ तो नहीं थे। मेरे मित्र श्री राम कृपाल यादव जिसके सदस्य हैं, उस आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ और सी॰ आर॰ आर॰ आई॰ ने भी कुछ उत्तम कार्य किया। वह परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। उन्होंने 30 वर्षों तक बहुत अच्छा कार्य किया है लेकिन प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से आम आदमी तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य वही रह गया है जो हिटलर के समय **डॉ. गिब्बल** का था। चार महीने तक इसका प्रसारण काफी कम इलाके में किया गया। तथा एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगा दिया गया और वर्षा सिंचित पर्वतीय तथा उच्च भूमि में धान तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि के बारे में 6 बजे से 7 बजे तक केवल एक कार्यक्रम किया गया। क्योंकि उड़ीसा में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। चार महीनों के बाद कार्मिकों के इस आपसी विचार विमर्श के कारण ...*(व्यवधान)*.

सभापति महोदय : क्या आप कल भी अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं या आज ही समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : मैं समाप्त करने वाला हूं। मैं 6 बजे तक समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

नहीं, कल हम नहीं बोलेंगे। कल हमारी रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें केबिनेट सैक्रेटरी आने वाले हैं।

[अनुवाद]

अत: मुझे वहां जाना है नहीं तो हमारे सभापति श्री आचार्य नाराज हो जाएंगे।

यह सम्प्रेषण कार्य था जिसमें सेन्ट्रल राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के किसान उड़ीसा युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के प्रोफेसर तथा टेंकनाल के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के दायरे में आने वाले 15 गांवों के किसान शामिल थे। कृषि विभाग द्वारा लगभग 237 किसानों को मिनी-किट दी गई लेकिन यह निशुल्क नहीं दी गई थी। बल्कि इसका मूल्य लिया गया था। उन्होंने गानों और ड्रामा के माध्यम से स्थानीय भाषा में बातचीत की। हर शाम वे वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछते थे तथा वे उनकी भाषा में जवाब देते थे। इन चार महीनों में हमने पाया कि जहां हमें प्रति हेक्टेयर केवल आधा टन चावल मिल रहा था। वहां हमें लगभग साढ़े नौ टन चावल प्राप्त हुआ अर्थात् इन 15 गांवों में 19 गुना अधिक चावल का उत्पादन हुआ। इस बारे में श्री इब्राहिम, प्रो॰ दण्डवते तथा श्री चतुरानन मिश्र को भी लिखता रहा हूं। मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हम उस अनुभव का लाभ उठा सकें। जिस हरित क्रांति का श्री बरनाला जी जिक्र कर रहे थे, वह भारत के शेष भागों में नहीं पहुंची है। अत: कम से कम कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, अंगुल, टेंकनाल तथा फूलबनी के वर्षा सिंचित सूखे और जनजातीय क्षेत्रों को भी इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ के वे भी इकदार हैं।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि उड़ीसा

अपराह्न 6 बजे

सूखा प्रभावित क्षेत्र है इस वर्ष उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा है। सभी जगह पेयजल की कमी है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : बिहार में भी ऐसा ही है।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : हां, बिहार में भी ऐसा ही है।

हमें इन समस्याओं का समाधान केवल राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग होना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : महोदय मेरा अंतिम मुद्दा रेलवे के बारे में है।

सभापति महोदय : ऐसे में आपको अपना भाषण कल जारी करना होगा।

[हिन्दी]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : मैं एक मिनट में अपना भाषण खत्म करूंगा।

सभापति महोदय : आपने कहा था कि छ: बजे खत्म करूंगा। आप दो मिनट में समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान तलचेर, बिमलगढ़, तलचेर, सुखीन्दा रेल लाईन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो हरिदासपुर और पारादीप को जोड़ेगी। सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस लाईन पर आंतरिक राजस्व प्राप्ति 29.83 प्रतिशत होगी। छह महीने पहले श्री राम विलास पासवान ने वादा किया था कि वे इसे योजना आयोग को भेजेंगे तथा तकनीकी मूल्यांकन के बाद इसे लेंगे इसका तकनीकी मूल्यांकन हो चुका है बल्कि इसमें देरी की जा रही और वह

विलंब ऐसी परियोजना में हो रही है जिसे दो वर्ष में 577 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। यह राजस्व इसलिए प्राप्त होगा। क्योंकि छह इस्पात मंयंत्र तथा एक सीमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। उस लाईन तथा बोलांगीर खुर्दा लाईन जिसका पिछले वर्ष इस सभा में वादा किया गया था। तो उड़ीसा को अन्य राज्यों के बराबर लाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 55 प्रतिशत लोग हमारे मुख्य मंत्री का कहना है कि 38 प्रतिशत है, श्री बीजू पटनायक कहते हैं कि यह 55 प्रतिशत है, योजना आयोग का कहना है कि यह 48 प्रतिशत है, आंकड़े कुछ भी कहते हों—को लाभ मिले।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): सभापति महोदय, कल इस चर्चा का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री कल चार बजे चर्चा का उत्तर देंगे। यदि आज सभा स्थगित करते हैं तो कल सदस्यों के लिए चर्चा हेतु मुश्किल से एक घंटे का समय मिलेगा। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि श्री संतोष मोहन देव द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें आज बैठक का समय एक घंटे और बढ़ा देना चाहिए ताकि अधिक सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब आप उस समय जब सभा की यह बैठक समाप्त होने को है, यह कह रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा यह विचार था चूंकि सदस्य कुछ अधिक समय ले रहे हैं यदि आप कृपया बैठक का समय बढ़ा दें ...*(व्यवधान)*.

सभापति महोदय : यदि सदस्य अधिक समय लेते हैं तो सभापति क्या कर सकता है ?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : श्री जेना इस बारे में काफी देरी से सोचना शुरू किया है।

सभापति महोदय : आपको यहां जल्दी आना चाहिए था तथा दूसरों से भी अनुरोध करना चाहिए था।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरे विचार से हर सदस्य इस बात को स्वीकार करेगा।

सभापति महोदय : सभा की क्या राय है ?

कई माननीय सदस्य : बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : नहीं, महोदय आज नहीं।

सभापति महोदय : ठीक है, हम एक घंटे के लिए बैठक का समय बढ़ा देंगे।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : हमें इस पर कड़ी आपत्ति है। कारण यह है कि मंत्री जी आए हैं और आते ही समय बढ़ाने के लिए कहने लगे हैं।

सभापति महोदय : अधिकांश सदस्य कह रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : सात बजे हम सभी सदस्यों की बैठक है। अधिक से अधिक आप 6.30 बज तक समय बढ़ा सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मंत्रीं महोदय को इसके बारे में सुबह सोच लेना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सिघानिया सदस्य आ-जा सकते हैं। जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे यहां बैठे हैं। बहुत कम सदस्य सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : कोई पाबंदी नहीं है लेकिन सुनने के लिए यहां लोग भी होने चाहिए। यदि वे खाली सभा को सम्बोधित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।

श्री मधुकर सरपोतदार : माननीय मंत्री ने बैठक के अंतिम क्षणों में यह बात कही है और यह मूलतः गलत है। उन्हें यह बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी न कि छह बजे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने पहले कहा था संसदीय कार्य मंत्री को कि आप अंतिम समय में प्रविष्ट हुए पहले आकर कहते।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : सभा की कार्यवाही संचालन करने का यह तरीका नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री को सभा में पहले से उपस्थित होना चाहिए था।

श्री संतोष मोहन देव : आप अपनी बारी में एक घंटे से भी अधिक बोले थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : कुछ लोगों ने डेढ़ घंटा लिया।

श्री संतोष मोहन देव : यह ठीक नहीं है कि हर बार आप अपनी बात मनवाएं। यह क्या है ? छोटे दलों के कुछ सदस्य बिलकुल नहीं बोले हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : बात थोपने का प्रश्न कहां है ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप लोग बैठ जाइए। सदन के समय को एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : लेकिन अन्य सभी लोगों ने उससे पहले उदाहरण स्थापित किए हैं कि। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : इसी कारणवश हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* हमें उनकी, बातों को सुनना नहीं चाहिए। . *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : हमें कठोरता से सिद्धांत का पालन करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो दिलीप संघानी जी बोल रहे हैं, वही रिकार्ड में जाएगा। अब आपने समय भी बढ़वाया है, इसलिए समय बढ़वाने के बाद समय को जाया क्यों कर रहे हैं ?

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस नई सरकार को किस नाम से नवाजा जाए, मुझे नाम नहीं मिल रहा है। श्री मोरार जी देसाई की सरकार जिस ढंग से गरीब लोगों के लिए काम कर रही थी तब वही कांग्रेस वाले उनकी सरकार को खिचड़ी सरकार कह रहे थे क्योंकि उनके साथ और पार्टी मिली-जुली हुई थी। इस समय 14 पार्टीज की सरकार बनी हुई है और यह सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है।...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : इस खिचड़ी का क्या मतलब होता है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वैसे खिचड़ी बहुत सुपाच्य खाद्य पदार्थ है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : भेलपूड़ी भी खाने में अच्छी लगती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघानी : ऐसी मिली-जुली सरकार का एक विचार नहीं है। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले पार्टीज जन समर्थन लेने के लिए पब्लिक के सामने एक चुनाव चिन्ह और एक विचार के साथ जाती है। तेरह-चौदह पार्टीज के विचार एक नहीं होते। जार्ज फर्नाडीज जी ने अटल जी की सरकार के लिए समर्थन के टाइम पर जो बोला था, बहुत बढ़िया बात कही थी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो पार्लियामेंट का अंतिम चुनाव हुआ और चाहे पंजाब के चुनाव हो, सबके नतीजे आपके सामने हैं। आज भी अलग-अलग पार्टी के नाम पर चुनाव लड़कर सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के लिए सब जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 356 का पंजाब और दूसरे जगह पर दुरुपयोग किया।

चाहे यू. पी. हो या गुजरात हो। मेरे विचार से इन बातों पर विचार करने का समय आ गया है। आप जानते हैं कि पूरे देश में...

सभापति महोदय : समय इसलिए बढ़ाया गया है, ताकि थोड़ा-थोड़ा सब सदस्य बोल लें और ज्यादा सदस्य बोल लें तथा हर दल के सदस्य बोल लें। अभी आपकी पार्टी के लोगों को भी बोलना है। सदन में एक निर्णय लिया गया है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको बताया है कि थोड़ा बोलेंगे, तो ज्यादा सदस्य बोल लेंगे।

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : यदि समय पर राशन पहले से लागू होता, तो ठीक रहता।

सभापति महोदय : मैंने इनको बता दिया है, जिससे ज्यादा सदस्य बोल लेंगे।

श्री दिलीप संघानी : मैं यह कह रहा था कि धारा 356 के प्रयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इसका कारण यह रहा कि 25-30 सालों तक केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी का राज्य था और मतभेद का कोई कारण नहीं रहा। उस वक्त पार्टी लाइन पर यह प्रश्न सुलझ जाया करता था, लेकिन वह स्थिति आज नहीं है। आज स्थिति यह है कि केन्द्र में एक अलग दल की सरकार है और राज्यों में एक अलग दल की सरकार है। इसलिए वहां की सरकारों को ठीक तरह से न चलने देने के लिए इस धारा का उपयोग गर्वनर के द्वारा करवाया जा रहा है। इस सारी स्थिति को देश की जनता देख रही है और पसन्द नहीं कर रही है। गुजरात में जो कुछ हुआ है, उससे सब परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गवर्नर महोदय के घर पर गए, लेकिन गवर्नर महोदय ने कहा कि मैं घर पर बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता हूं। मैं यहां गिनती करने वाला नहीं हूं। वे लोग दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय के पास आए और यहां भी मना कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री, श्री देवेगौड़ा और पार्टी के लीडर तथा कांगेस, सब ने मिलकर बैठक की। जिस तरह से माहौल बन रहा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़कर गवर्नर महोदय के सामने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। गवर्नर का यह रोल ठीक नहीं था। मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। इस धारा के जब-तब प्रयोग पर रोक होनी चाहिए।

राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कश्मीर में हुए चुनावों के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं पूछता हूं, क्या आप समझते हैं कि वहां पर माहौल अच्छा हो गया है। आप उस समय को याद कीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था और उस समय भी जब हम आजाद नहीं हुए थे, तब भी भारतवर्ष के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति एक टूरिस्ट के रूप में कश्मीर में आ जा सकता था। आज जबकि वहां चुनाव हो गए हैं, तब भी वहां कोई नहीं जा सकता है। जब हम छोटे थे, कल्पना करते थे कि कश्मीर स्वर्ग है। वैसे नहीं तो कम से कम हनीमून के लिए देश के नवयुवक कश्मीर जाते थे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अभी भी जाइए।

श्री दिलीप संघानी : जा सकते हैं। आपकी और कांग्रेस की राजनीति के कारण आप भी खुद और प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यदि वहां पर राष्ट्र-ध्वज फहराने के लिए जाएं, तो सही तरीके से ध्वज भी नहीं फहरा सकते हैं।

कैसे जा सकोगे। मैने एम॰ पी॰ होने के नाते कोशिश की। मुझे दुख है मैंने आपकी ब्यूरोक्रेसी से चार डिपार्टमेंट में फोन किया, मुझे पता चला आप नहीं जा सकते। आप विदेश जा सकते हैं, कश्मीर नहीं जा सकते। आप विदेश से सही सलामत आ सकते हैं लेकिन कश्मीर से सही सलामत नहीं आ सकते हैं। आज वह स्थिति कांग्रेस ने रखी हुई है और आप उस तरह से आगे चल रहे हैं। इसलिए देश का माहौल संविधान की तरह से नहीं चल रहा है।

महोदय, धारा 377 को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक देश में अराजकता नेस्ताबूद नहीं होगी, शांति नहीं होगी। मुझे इससे भी आगे बढ़ करके कहना है पाकिस्तान में टेरेरिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां लालू प्रसाद जी और सब बोल रहे थे, पाकिस्तान यहां आए तो हमें दिक्कत नहीं है। हमें भी दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे आप सारे संसार में पाकिस्तान को नेस्ताबूद करके अखंड हिन्दुस्तान बना दो, जैसे पहले पूरी शांति थी वैसे कर दो। आजादी से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति ला दो। यह स्थिति लाने के बाद कोई भी वहां जा सकता है। लेकिन वह स्थिति लाने में आप असमर्थ हैं। आपको लोगों का समर्थन नहीं है। अभी-अभी पगारपंच का जिक्र हो रहा था। इतने बड़े पगारपंच का उल्लेख राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं किया है। उनके बारे में कुछ न कुछ बोलना चाहिए था।

महोदय, मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए दुख है सारे देश से विभिन्न सम्प्रदायों की बातें करके जातिवाद भड़काया जा रहा है। जब तक जातिवाद नेस्ताबूद नहीं करेंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा और जातिवाद को ताबूत करने के लिए किसी जाति को प्रधानता नहीं बल्कि नीति को प्रधानता देनी होगी। बिहार और कई स्टेट्स हैं, जहां अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो बर्ताव आजादी के पहले है आज भी कई लोग कर रहे थे, छुआछूत का भाव रखते थे उनकी वजह से एट्रोसिटी का कानून लाया गया। जब यह कानून लाया गया तो संविधान में व्यवस्था की, तब संविधानकारों की यह भावना नहीं होगी कि उनका दुरुपयोग भविष्य में होगा। गुजरात में उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है। इसके कारण अनटचेबिल्टी की वजह से कई लोगों पर झूठे पुलिस केस करा कर उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए उनके बारे में स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि किस को एट्रोसिटी का कानून लगेगा, किस को नहीं लगेगा। उनका दुरुपयोग कैसे रोका जाए। उनके बारे में भी विचार करने का समय आ गया है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी कृषि के बारे में बोल रहे थे। उसके आज भी दाम नहीं मिल रहे हैं। कृषि उत्पादन जो चीजें हैं, जैसे कॉटन तथा और जो चीजें हैं उनका भी दाम नहीं मिल रहा है। एल. पी. जी. के बारे में सुबह जो चर्चा हुई है कि एम. पी. कोटे को रद्द किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जब एम. पी. कोटे से एल. पी. जी. मिलता था तो हम गरीब गांव के लोगों को 20-25 किलोमीटर की रेंज में दे सकते थे, इसको आप समाप्त कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कम से कम 25 किलोमीटर तक जहां गैस एजेंसी हैं वहां गाव के लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। इस सरकार की काफी समय से ऐसी नीति चल रही है, जो राष्ट्रीय आर्थिक नीति के खिलाफ है, बिहार में कोयला होता है उसको गुजरात भेजते हैं, गुजरात में गैस होती है उसको मथुरा भेजते हैं। मेरी मांग है कि गुजरात में जो गैस है उसके आधार पर गुजरात के जो विद्युत और गैस उद्योग हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए।

महोदय, गुजरात की नर्मदा योजना महत्त्वाकांक्षी योजना है। पिछले कुछ वर्षों में वर्ल्ड बैंक की ओर से उनको सहायता मिलती थी। केन्द्र सरकार ने आश्वासन किया कि आप वर्ल्ड बैंक से सहायता मत लो, हम केन्द्र सरकार की ओर से जो सहायता चाहिए वह देंगे और नर्मदा योजना को आगे बढ़ाएंगे। इस योजना को राष्ट्रीय योजना मान कर वर्ल्ड बैंक जो सहायता देती थी उसी टर्म्स एंड कंडीशंस से केन्द्र सरकार को सहायता देनी चाहिए।

केन्द्र सरकार की ओर से जो मध्य प्रदेश और राजस्थान हिस्सेदार राज्य हैं उनको जो सहायता देते हैं वही सहायता गुजरात को नहीं देते हैं, तो गुजरात को उसके हिस्से की सहायता मिलनी चाहिए।

मान्यवर, गुजरात में साल्ट सबसे ज्यादा होता है। जयपुर में साल्ट आफिस है। मेरे क्षेत्र जाफराबाद में साल्ट आफिस शुरू होना चाहिए। बैंकों से सुविधा देने की बात यहां कही गई है।

सभापति महोदय : कुछ बजट डिस्कशन के लिए छोड़ दीजिए।

श्री दिलीप संघानी : कोऑपरेटिव बैंकों को आयकर 80(सी) के मुताबिक एग्जम्पशन दिया हुआ है। मैं अमरेली जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूं और सांसद भी हूं। तो भी जब तक आप आयकर अधिकारियों को घूस नहीं देते हैं तब तक वे कोऑपरेटिव सेक्टर को, बैंक को परेशान करते हैं। मैंने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है कि तत्काल इस बारे में जांच की जाए। पेज नम्बर 7 में बेसिक जरूरतों की योजना दी हुई है। नम्बर चार पर बेघर और गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने के बारे में दिया हुआ है। मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अमल भी शुरू कर दिया है। प्रियंका को शादी के बाद 35, लोदी कॉलोनी में आवास की सुविधा देकर सरकार ने यह शुरुआत की है। यह सुविधा कहां तक गरीब लोग पाएंगे यह अगले दिनों में देखना है। मेरा अब लास्ट पाइंट है।

सभापति महोदय : पाइंट से ज्यादा हमें मिनट्स में रुचि है।

श्री दिलीप संघानी : गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था तब विधान सभा में मीटिंग करके हल्ला मचाने की सूचना खुद प्राइम-मिनिस्टर ने दी। यह भी कहा गया कि हम गुजराज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देंगे, धारा 356 लगा देंगे। उससे भी खराब दृश्य कल विधान सभा में हुआ है जब एक पूर्व मंत्री और सौराष्ट्र के एम. एल. ए. के परिवार के लोगों ने जिन पर खून का आरोप है, विधान सभा में आकर एक मिनिस्टर को पीटा। लेकिन यहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुजरात में कानून और व्यवस्था है ही नहीं।

सभापति महोदय : जो भी हो रहा है लेकिन वॉक-आउट नहीं हो रहा है।

श्री दिलीप संघानी : गुजरात के लोगों को गैस देने की बात से सरकार पीछे हट रही है।

सभापति महोदय : अभी तक आपको 25 मिनट का समय दे चुके हैं।

श्री दिलीप संघानी : पांच मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय : 25 मिनट हो गए हैं। दूसरी पार्टी के लोग भी हैं जो बिल्कुल नहीं बोले हैं। पहले भी आप लास्ट पाइंट पर थे

[श्री दिलीप संघानी]

अब भी आप लास्ट पाइंट पर हैं।

श्री दिलीप संघानी : इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपका धन्यवाद ग्रहण करता हूं।

श्री दिलीप संघानी : गवर्नमेंट अपना रोल सही ढंग से चलाने के लिए सभी पार्टियों के साथ तालमेल रखे और संविधान के मुताबिक काम करे। जो मुद्दे मैंने यहां उठाए, उनका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं था, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता।

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने यहां कम संख्या वाली पार्टी को बोलने का अवसर दिया। आजादी के बाद जब पहली किरण इस धरती पर पड़ी तो इस देश में सदियों से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, नीच, अछूत और निकम्मे कह कर धिक्कारने और तिरस्कृत किए जाने वाले समाज के मन में जितनी अपेक्षाएं थी, आशाएं थीं कि मुझे भी क्षमता के मुताबिक विकास का समान अवसर मिलेगा, उस समय बड़े जोर-शोर के साथ "बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय" का उच्च आदर्श देश के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे पूरी शक्ति और संकल्प के साथ पूरा करने का वायदा किया गया। मैं बड़े खेद के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के बावजूद सारे वायदे कागजों में सिमट कर रह गया।

सभापति जी, माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें रखी। मैं इस सदन में पहली बार निर्वाचित होकर आया हूं। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे भी कुछ समय बोलने का मिले क्योंकि मैं दो मिनट में अपनी भावना को अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी जो बात इस अभिभाषण का अध्ययन के बाद मेरी समझ में आई है वह यह है कि विश्व के इतिहास में सबसे कम संख्या वाली और बेबस, लाचार, मजबूर एक अनोखी सरकार पहली बार भारत में बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कमजोर और कम संख्या वाली यह मजबूर सरकार है तो निश्चित रूप से अपनी दशा को देखकर इस देश के मजबूर, गरीब लोगों के हित के लिए सार्थक कदम उठाएगी लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। थोथे वायदे और काल्पनिक बातें इस अभिभाषण में समाहित हैं। वास्तविकता के धरातल पर कोई भी बात खरी नहीं उतरती।

मानव के विकास की बातें चाहे वे आर्थिक हों, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, वे मानव के चहुंमुखी विकास की एक सशक्त आधारशिला हैं। जिस तबके से हम ऊपर उठ कर आए हैं, उसमें हमारे बुजुर्गों को इस देश में पढ़ने-लिखने की वजह से सजा मिलती थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उसके पहले मनु का काला कानून चलता था। "स्त्री शूद्रो मद्यि तामती श्रुति" का काला कानून था। हमारे बुजर्गों से पढ़ने-लिखने का अवसर छीना जिसका उदाहरण है शम्भुक की गर्दन कटना, एकलव्य का अंगूठा काटा जाना। इसके चलते आज इस देश में मजबूर और बेबस दलितों को लेकर लम्बी बहस होती है। बड़े ऊंचे-ऊंचे आदर्श पेश किए जाते है जो कि खोखले होते हैं क्योंकि आजादी के बाद से जिस शिक्षा के द्वार हमारे लिए बंद थे, हमारे बुजुर्गों के लिए बंद थे।

पढ़ने-लिखने के कारण सजा मिलती थी तो उस द्वार को 1848 में महाराष्ट्र में पुणे में इस धरती पर महात्मा ज्योति फुले ने जन्म लेकर खोला। हजारों साल का कठोर कानून था जिस पर ताला पड़ा हुआ था, उस ताले को तोड़ा। इसलिए 1848 से लेकर 1997 तक आ गए हैं तो उस समाज से मेरा भी ताल्लुक है। क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू धर्म के मुताबिक चतुर्वणीय व्यवस्था है और मैं शूद्र वर्ण से आता हूं। इस समाज के उन लोगों ने संघर्ष किया और महात्मा फुले के पवित्र प्रयास और कुरबानी से इस देश में 150 साल के बाद करोड़ों लोग पढ़-लिखकर तैयार हुए हैं। आजादी के 50 साल बाद भी औपनिवेशिक शिक्षा के स्वरूप से मूलभूत परिवर्तन के लिए कई बार समितियां बनी और कई बार आयोग बनाए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ और उनकी रिपोर्ट को कचरे की पेटी में डाल दिया गया। उस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ। हम सोचते थे कि यह युनाइटेड फ्रंट की सरकार शिक्षा के औपनिवेशिक स्वरूप में परिवर्तन करेगी लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। 50 वर्ष की आजादी के बाद भी दलित और मजबूर, बेबस और अछूत को पंचायत करने का मौका मिल रहा है लेकिन वह बात खत्म नहीं हो रही है, उसका पटापेक्ष नहीं हो रहा है। उसका कारण शिक्षा का विकृत स्वरूप है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि पहले जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो मालूम होता था कि हमारे देश ने विज्ञान में कोई प्रगति नहीं की है। इस बात को नि:संकोच या बिना पूर्वाग्रह के प्रतिद्वंद्विता से हटकर कहेंगे कि इस देश में हम वैज्ञानिक पैदा नहीं कर रहे हैं। जब एक आदमी विदेश जाता है तो वह वैज्ञानिक हो जाता है लेकिन वह भारत में नहीं होता है। उसका कारण शिक्षा का औपनिवेशिक स्वरूप है। जब एक मास्टर स्कूल में पढ़ाता है कि पानी 100 सेंटीग्रेट तापमान पर उबलता है और सूर्य से धरती की दूरी करोड़ों किलोमीटर है और वह धरती से 13 लाख गुना बड़ा है और जब वह मास्टर निकलकर जाता है और हिन्दी का मास्टर आता है तो वह कहता है प्रात: समय रवि भक्ष लिपो, तब तीन ही लोक भयो अंधियारो। लेकिन एक विज्ञान का मास्टर एक बात कहता है और हिन्दी का मास्टर दूसरी बात कहता है और जब एक पिता से पुत्र पूछता है कि कौन सी बात सही है तो उसे बताता है कि यदि विज्ञान पढ़ना है तो सूर्य धरती से 13 लाख गुना बड़ा है और हिन्दी में पढ़ें तो समझे कि हनुमान ने सूर्य को लील लिया। यह कैसी विडम्बना है ? इसलिए कहता हूं कि यदि जीवन में चलें तो 10 किलोमीटर पश्चिम में चलें और 10 किलोमीटर पूर्व में चलें तो उसका निर्णय निकलेगा कि शून्य चला है। इसलिए इसके औपनिवेशिक स्वरूप को बदलने की जरूरत है जिसका इस अभिभाषण में अभाव है।

सभापति महोदय, चूंकि समय निर्धारित किया गया है और मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन एक और बिन्दु पर जरूर कहना चाहूंगा कि यहां बार-बार यह कहा जाता है कि दलितों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बड़ी और काल्पनिक तथा थोथी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक काम कर लिया जाए तो इस देश के अंदर वह अपने हक

को हासिल कर सकेगा, उसके अंदर पुरुषार्थ पैदा होगा।

जो भारत का संविधान है बाबा अंबेडकर का बनाया हुआ, उसके स्वरूप समाज का वास्तविक ढांचा बनाया जाना चाहिए। जो मनुवादी ढांचा चल रहा है, उसके आवरण को उतारकर फेंक देना चाहिए क्योंकि मनुवादी संस्कृति का शिकार होकर दलित, पिछड़े आज भी हीन भावना से ग्रस्त हैं।

हिन्दू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में मैं देश के इस सर्वोच्च सदन में इतना कहूंगा कि इस देश के अंदर एक साजिश के तहत मिली-जुली राजीनीति पिछड़ों को दबाकर रखने के लिए की जा रही है। हम भी हिन्दू धर्म से जुड़े हैं। हिन्दू धर्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण माने जाते हैं जिसके तहत ही हम शूद्र, आदिवासी और पिछड़े माने जाते हैं। इस देश में चाहे धार्मिक तरीके से या आध्यात्मिक तरीके से, वेद और शास्त्रों के माध्यम से भी वर्ण और जातियों में अंतर है। वर्ण और जातियां एक नहीं हैं। ब्राह्मणों में भी पाण्डे, तिवारी, शुक्ला, शर्मा आते हैं, लेकिन इस देश में जब उनको प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो इनको ब्राह्मण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। वह एक हो जाते हैं और जब एक हो जाते हैं तो एकता में शक्ति होती है—"संघे शक्ति युगे-युगे", यह बात सच है।

अब दूसरे वर्ण पर आइए। क्षत्रिय वर्ण दूसरे नंबर पर है। ऊंच-नीच की व्यवस्था तो हिन्दू धर्म में बहुत है। विश्व में करीब 367 देश हैं लेकिन भारत के अलावा कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्षत्रियों में भी अनेक जातियां हैं—बघेल, परोहा, कंडेल, चौहान, राठौर, राजपूत। लेकिन उन सबको भी क्षत्रिय का प्रमाण-पत्र देकर एक कर दिया जाता है और जब वह एक हो जाते हैं तो चैन से रहते हैं। तीसरा नंबर वैश्य वर्ण का आता है। उसमें भी कोतवानी, हेसवानी, गुप्ता, अग्रवाल, लालवानी, आडवानी, पटवा, जैन सबको वैश्य का प्रमाण-पत्र देकर एक कर दिया जाता है और पूरे देश में वे व्यापार पर कब्जा करके चैन से रहते हैं, लेकिन जब चौथे वर्ण का नंबर आता है तब हिन्दू के नाम पर अयोध्या में ले जाकर उनका कत्ल करवाया जाता है। धार्मिक उन्माद फैलाकर सड़कों पर उनको कत्ल करवाने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन सुखलाल कुशवाहा का नाम आता तो प्रमाणित किया जाता है कि वह काछी हैं। बुद्धदेव पटेल को प्रमाणित किया जाता है कि कुर्मी है। राम विलास पासवान चमार है, फलाने यादव अहीर हैं। इन सबको शूद्र वर्ण कहा जाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर हमको किसी पनाह की जरूरत नहीं है, किसी सुनिश्चित रोज़गार योजना की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी की दया और रहमोकरम की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि समाज में जातियों के 6743 टुकड़े हैं। इस देश में जैसे पाण्डे को ब्राह्मण का, बघेल को क्षत्रिय का और पटवा को वैश्य का प्रमाण-पत्र दिया जाता है, इसी प्रकार सुखलाल कुशवाहा को शूद्र का प्रमाण-पत्र मिल जाए तो मैं ज्यादा नहीं जानता कि यह धर्म होगा या अधर्म लेकिन जो बेबस और मजबूर सरकार है। जिस दिन 6743 जातियों के लोगों को शूद्र का प्रमाण-पत्र मिलेगा, उस दिन सदन के अंदर जो कोई भी सरकार बैठेगी, अल्पमत में नहीं होगी, वह बहुमत में होगी और उसको किसी के सहारे और रहमोकरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो समाज में राजा होता है, वह समाज में ताजा होता है। इस शूद्र समाज का उस दिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, पटना, भोपाल, बंगलौर चारों तरफ राज होगा और राज होगा तो फिर उनको समाज में किसी प्रकार के आरक्षण की, सुनिश्चित रोज़गार की, मध्याह्न भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लड़कों को जो कटोरा लेकर भिखारी बना दिया जाता है, यह उनका अपमान है। यह उनके सेवा का पुरस्कार नहीं है। जिसने खून-पसीने से इस देश को सींचा है, 80 फीसदी लोग जो इस देश में दलित और मज़दूर हैं, उन्होंने देश के लिए निष्ठा और लगन से काम करके इसमें चार चांद लगाए हैं, चमक लाई है, लेकिन उनके बदले उनके लड़कों के हाथ में कटोरे में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अगर सरकार की मंशा सही है तो इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। प्रकृति ने हमें भरपूर खनिज संपदा दी है, प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार दिया है।

हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। भारत में लोहा निकले, भारत से निर्यात होकर जापान जाए। जापान हमसे आगे है, लेकिन हमारे यहां भिखारियों की लाइन लगी हुई है, यह हमारे यहां कमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो साधन है, उनकी कमी नहीं है। हमारे समाज के अंदर दलितों, पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। अगर आप मुल्क में अमन-चैन देखना चाहते है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो अरबों रुपए का इस देश ने विश्व बैंक से कर्जा लिया है और आज देश उस कर्ज में डूबा है उसका कारण यहां पर भूमि सुधार और पर्यावरण सुधार था। वह कर्ज इसके लिए आया। लेकिन यहां 40 लाख हैक्टेयर जमीन है जो कृषि योग्य बनाकर गरीबों को दी जा सकती है और अगर एक मजदूर जो भूमिहीन, मकानविहीन है, उसको यहां दो हैक्टेयर खेती योग्य भूमि मिल जाए तो फिर उसके लड़के को कटोरे और मध्याह्न भोजन की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छाशक्ति व्यक्त करनी पड़ेगी।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कई बार माननीय महामहिम, माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को लिखा है। क्योंकि जो इस सदन में बैठे हुए नेता हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के दौर में कहीं न कहीं उन्होंने भी जेल की यात्रा जरूर की होगी, कोई अपवादस्वरूप बच गए हो तो वह अलग बात है। मैं भी जेल गया था। यहां से पटवा जी उठकर चले गए हैं, जब वह मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो आपने इनाम बतौर मुझे जेल दी थी। मैंने तीन साल जेल में रहकर अध्ययन किया है, इसलिए मैं जेल के बंदियों के दर्द, उनके दुख, उनकी वास्तविक कहानी को जानता हूं। मैं नेता बनकर जेल नहीं गया था कि बी. क्लास मुझे जेल में मिली हो। मैं एक साधारण बंदी की हैसियत से जेल में तीन साल रहा तो मैंने उनके दर्द, रग-रग की टीस को देखा और उनकी मुश्किलों और मुसीबतों को नजदीक से समझा। इसलिए मैंने लिखा था। इस सदन से मुझे आशा थी कि माननीय देवेगौड़ा जी की सरकार इन लाखों निरीह बंदियों, जो 20-25 साल से बंद हैं,

[श्री सुखलाल कुशवाहा]

के बारे में कुछ सोचेगी। इस देश के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। लेकिन उसका कोई सार्थक प्रतिफल नहीं आता है। उससे मैंने महामहिम को लिखा था कि 18.12.78 से जो धारा 433 संविधान में लागू कर दी गई है, तब से सुपरिन्टेंडेंट, जेलर द्वारा जो परिहार 15 अगस्त या 26 जनवरी को मिलता है, वह सब खत्म हो गया है। आजीवन बंदियों के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं है, जिनको बीस वर्ष सजा हो जाए, उनको इस छूट से कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सुपरिन्टेंडेंट या जेलर की नजर में चाहे वे कितने ही चरित्रवान हों, चाहे कितने ही संयमित तथा अनुशासित तरीके से जेल में रहे, उसका पुरस्कार उनको नहीं मिलता है। वरना इस साल की सजा वाले को जेलर या सुपरिन्टेंडेंट छोड़ देते हैं। लेकिन बीस साल वाले राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं और राज्य सरकार को इनका ध्यान कहां रहते है। आप देखते हैं राज्य सरकारों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो वर्तमान परिस्थिति है उनके मुकाबले उनको जेल की तरफ देखने की फुरसत नहीं है। इसलिए मैंने इस सदन में चाहा था और माननीय महामहिम जी से अनुरोध किया था कि जो लाखों लोग बीसों सालों से बंद हैं, उन लोगों को अगर इस सदन के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि बीस साल से 28 साल तक जो सजा काटते हैं उनके लिए दंड प्रक्रिया 433 की धारा को तोड़कर पुनः जेल सुपरिन्टेंडेंट, जेलर और जो वहां के भार साधक अधिकारी हैं, उनको इन बंदियों को छोड़ने का अवसर प्रदान कराया जाए। ताकि इनको भी जो आने वाला 15 अगस्त और 26 जनवरी है, इस परिहार, पुरस्कार का लाभ मिल सके और जो आने वाली 15 अगस्त है, उसकी पचासवीं वर्षगांठ में वे लोग भी इस गुलामी की भयावही जिन्दगी से मुक्त होकर अपने घर जाएं, ताकि जो उनके बेबस बच्चे, बीवी और माता-पिता हैं, वे आखिरी समय में अपने घर में खुशी के चिराग जला सकें। इसी अपेक्षा के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैंने पढ़ा है, इसमें 52 बिंदु दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि आज 52 प्रतिशत वाले लोगों की सरकार है। लेकिन इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं क्योंकि मैं 52 फीसदी से उठकर 85 फीसदी की बात करता हूं।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। इस सभा को यह जानकारी है कि अभी पीछे लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में किसी भी पार्टी को, चाहे वे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी को भी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। इसलिए यहां पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना, अकाली दल आदि का एक मोर्चा बनाकर सत्ता में आने की कोशिश की। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर 14 पार्टियों के मोर्चे की सरकार शासन कर रही है, उस पर बहुत क्रिटिसाइज किया गया जबकि मोर्चाबंदी दोनों तरफ से हुई। यह अच्छी बात है कि तीन-चार दलों के अतिरिक्त दूसरे जो दल हैं, वे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सके। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि इसलिए यह 14 दलों की सरकार बनी। मैं समझता हूं कि यह जो दल है वे विभिन्न भागों के हैं, विभिन्न भाषाओं के हैं और एक तरीके से इस देश में अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। जिस समय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी उससे पहले भारतीय जनता, जो कि विघटनकारी शक्ति है, ने अपने कारनामों से जन-जन में नफरत की भावना पैदा की थी। भाई-भाई को खून का प्यासा बनाया जिससे पूरे देश में अशांति फैल गई आज संयुक्त मोर्चा की सरकार ने देश में जो भाईचारे का एक वातावरण बनाया है, नफरत की भावना खत्म की है, एक शांति का माहौल बनाया है, उसे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह हमारी उपलब्धि है। हमेशा यह होता रहा है कि जब कभी सूबे में चुनाव की बारी आती थी तो केन्द्रीय नेतृत्व यह सोचता था कि हमारी पार्टी वहां पर वोट पाएगी या नहीं पाएगी। अगर वोट पाने की गुंजाइश होती तो वह चुनाव कराता था। नहीं तो किसी न किसी चीज का बहाना लेकर चुनाव टाल दिया जाता था लेकिन हमारी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की ऐसी मंशा नहीं रही। चाहे पंजाब का सवाल हो या जम्मू कश्मीर का हो। ...*(व्यवधान)*.

सभापति महोदय : राष्ट्रीय मोर्चा या संयुक्त मोर्चा।

श्री रामसागर : राष्ट्रीय मोर्चा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस भावना से देश नहीं चल सकता। भले ही वहां हमारे दल को सीटें न मिली हों लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारी इस भावना के कारण जहां कहीं हम नहीं हैं जैसे कल महाराष्ट्र का जो चुनाव नतीजा आया है। उसको देखकर आपको खुशी होगी कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है। नगर परिषद के चुनाव में उसे 21 सीटों पर कामयाबी मिली है। यह एक बहुत भारी कामयाबी है।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों, खास तौर से श्री मुरली मनोहर जोशी को मैंने परसों राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर यह कहते हुए सुना कि इस किताब में तो कुछ है ही नहीं। समता पार्टी के आदरणीय नेता श्री नीतिश कुमार, जो इस समय चेयरमैन हैं, के भाषण को हमने गौर से सुना। यह बात सही है कि हमारी सरकार ने कामकाज की प्राथमिकता में पानी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। इन्होंने यह बात अच्छी कही थी कि ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। वह समस्या भी जोड़ी जानी चाहिए। हमारे देश में प्राथमिक स्तर पर जो अशिक्षा है, उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देना और ऐसे बच्चे जिनके लिए खाने का इंतजाम नहीं है, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है, उनके लिए इस तरह का काम करना बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्राथमिकता की जो बातें कही गई हैं, ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। जनता इसे ठीक से समझती है। कुछ लोग जो गरीबों के काम में विश्वास नहीं रखते, उनको भले ही इसका महत्त्व मालूम न हो। हमारे खेत मजदूर जिन्होंने उपज बढ़ाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

यहां कांग्रेस के श्री संतोष मोहन देव जी बैठे हुए हैं। पिछली सरकार ने यह कहा था कि गांव के उन क्षेत्रों के विकास के लिए जहां विकास नहीं हुआ है, सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत धनराशि दी जाएगी जिससे वहां पर मजदूरों के माध्यम से परिसम्पत्तियां अर्जित की जाएंगी। जो मजदूर उसमें लगाए जाएंगे, उनको सरकारी मानक से मजदूरी देनी होगी और सौ दिन कार्य की गारंटी होगी। जहां इस तरह से गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पिछड़े गांव का विकास होगा। हम इसे अच्छा कार्यक्रम मानते हैं। इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने धनराशि और बढ़ाई है। पिछली बार जिन जनपदों में 3-3, 4-4 ब्लॉक लिए गए थे, इस बार उनमें 2-3 गुना ज्यादा ब्लॉकों का चयन किया गया है। यही नहीं, जो गरीब लोग आवासहीन हैं, उनको आवास देने की भी इस योजना में व्यवस्था है। वृक्षारोपण का काम, बांध बनाने का काम ऊबड़-खाबड़ जमीन जो खेती योग्य नहीं है, उसे ठीक करना आदि सारी पवित्र योजनाएं हैं क्योंकि इससे जमीन को उपजाऊ करके गरीबी में बांटा जा सकता है जिससे रोजगार का सृजन हो सकता है। ये इस सरकार के अच्छे कार्यक्रम हैं।

आज हमें इस बात की खुशी है कि सामाजिक न्याय के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस तरफ संकेत किया है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जल्दी खत्म कर देते तो एक आदमी और बोल लेता। आप थोड़ा जल्दी खत्म करते-तो एक आदमी और बोल लेता।

श्री रामसागर : मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। जो ऐसे स्थान पंचायतों में हैं, परिषदों के स्थान हैं, नगर पंचायतों के स्थान हैं, ब्लॉक क्षेत्र समितियों के स्थान हैं, जहां हमारे दलित समाज के साथियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, यह अच्छी बात है कि एक साजिश चल रही है कि अभी उनको ठीक से काम-काज करने का मौका नहीं मिला है, उनको बहुत सी जगह चार्ज नहीं मिला है, लेकिन एक अच्छी पहल हुई है कि कम से कम हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको सब जगह पर एक प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ है और वे अपने दर्द की बात कह सकते हैं, अपने मौहल्ले के विकास की बात कह सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, वह एक तरीके से समतामूलक समाज की रचना के लिए और देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश की एकता के लिए और जो देश में एक नफरत की भावना फैल रही है, उन सारी भावनाओं को खत्म करके, भाई-चारे की भावना पैदा करने के लिए यह हमारी नीतियां हैं और यही ऐसी नीतियां हैं, जिनके बल पर चलकर हमारा देश मजबूत हो सकता है।

लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे करप्शन की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जैसे सुनिश्चित रोजगार के लिए हम पैसा भेजते हैं, गांव में पहुंचते-पहुंचते उसमें कुछ कटौती होती है, कुछ भ्रष्टाचार में चला जाता है, हमारे जो मकान हैं, उनमें भी कुछ दिक्कतें हैं। जो वितरण प्रणाली है, वह हमारी अच्छी बनाई गई है, सरकार ने संकेत किया है, लेकिन उसको भी ठीक से देखने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि इस तरीके से आज जो देश में अच्छी दिशा देने के लिए माननीय देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और जो हमारी दूसरी पार्टियां हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी है, वह और जो सरकार की दिशा देने के लिए राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ है, वह वास्तव में हमारी जो अच्छी मंशा है, उसकी तरफ संकेत करता है और इस बात का भी संकेत करता है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डी. एम. के. पार्टी से अब तक कोई नहीं बोला है।

श्री रामसागर : देश में इसी रास्ते से देश की, किसान की मजबूती बनाई जा सकती है, गांव की मजबूती बनाई जा सकती है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : वह तो अंडरस्टुड है कि आप समर्थन ही कीजिएगा।

[अनुवाद]

***श्री एम॰ रामनाथन (कोयम्बटूर) :** संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। इस अभिभाषण जिसमें केन्द्र में गठित बहु-दलीय सरकार की नीति की घोषणा की गई है, पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास साल बाद, जब हम अपनी आजादी की स्वर्णजयंती समारोह मना रहे हैं, केन्द्र में एक साझा सरकार है। हाल में सम्पन्न हुए चुनाव में लोगों ने विभिन्न दलों के एक गठबंधन को अपना जनादेश दिया है। उन सभी 14 दलों, जिन्होंने एक साथ मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष और स्थायी सरकार का गठन किया है, की भावनाओं से अवगत कराने के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति ने संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में सभी दलों के सिद्धान्तों का सार व्यक्त किया है।

सभापति महोदय : श्री रामनाथन, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। कृपया अब आप बैठ जाएं।

अब सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 फरवरी, 1997/8 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।